The Laws:

In practical application

in the Trial Courts

-*Adil Aftab Ahmad*

Index

Preface

Forwards

Chapter-I

Judgment on the offense of murder resulting into capital punishment.

1. State vs Indrasan Pandey and others

Chapter-II

Judgments on the offense of murder and culpable homicide resulting into imprisonment for life and fine.

1. State vs Amresh Kannaujiya and others
2. State vs Aslam Ali@Nanhey Vakil
3. State vs Sunil Singh@Tunnu Singh and others
4. State vs Veer Bahadur Rajbhar and others
5. State vs Bankey Yadav and others
6. State vs Ramesh Ram and others
7. State vs Radhey@Radheyshyam Yadav and others
8. State vs Rampreet and others

Chapter-III

Judgments of the offense of culpable homicide and other offenses resulting into imprisonment and fine.

1. State vs Pullu Chaurasiya and others
2. State vs Jhinak Chauhan and others
3. State vs Nadeem@Fakharuddin and others
4. State vs Sunil Yadav and others
5. State vs Shyamdev Harijan and others
6. State vs Rajendra Prasad Gupta

7. State vs Ramjeet and others
8. State vs Noor Hasan and others.

Chapter-IV

Judgments of the Family Court.

1. Kumari Nirmla Yadav and others vs Baburam Yadav
2. Manju Yadav and others vs Satyendra Yadav
3. Saroj Chauhan and others vs Jitendra Chauhan
4. Kalindi Singh and others vs Dayashankar Singh
5. Smt. Zahida vs Faizan
6. Asha Devi vs Chandrashekhar
7. Parmi Devi vs Kalpnath Yadav@Kalpu Yadav
8. Dinesh Singh vs Smt. Shubhra Singh
9. Surendra vs Chanda and others
10. Ravindra Verma vs Sarita
11. Akhilesh Gupta vs Anuradha Gupta

Chapter-V

Judgments of the First Appellate Court.

1. Fagu vs Paltu and others
2. Jamuna and others vs Chandrama and others
3. Sonu Dom vs State of Uttar Pradesh and others
4. State of Uttar Pradesh and others vs Saraswati Devi and others
5. Sanjay Singh vs Madhuri Devi
6. Diwakar Sharma vs Government of Uttar Pradesh and others
7. Mohd. Murtaja vs Ajaj Ahmad and others
8. Lallu@Aman Kumar vs State of Uttar Pradesh and others

Chapter-VI

Judgments of the Revisional Court.

1. Balchand and others vs Harihar and others
2. Ramchandar Maurya vs State of Uttar Pradesh and others

3. Jagvanta Rai and others vs State of Uttar Pradesh and others
4. Anjani Kumar vs Radha Ballabh Das and others
5. Tara vs Government of Uttar Pradesh and others
6. Faijan Asharaf vs Government of Uttar Pradesh and others
7. Santosh Kumar Upadhyaya vs Shamshad and others
8. Narendra Singh vs Government of Uttar Pradesh and others

Preface

This book is compilation of different kinds of judgment of the author delivered by him as a judge of the trial court.

A student of law has enough opportunity to acquire the knowledge of various kinds of laws through various resources. As soon as an Act is passed by any of the legislatures it is published in the official Gazette. The various statutes are also published by the various agencies in the form of Bare Acts. There are commentaries written in volumes on these statutes and are available for study in the form of published books. These published commentaries provide ample opportunities to a scholar to enhance their knowledge of law. The judgments of the Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Courts too are published and thereby the scholars of law have opportunity to find the interpretation of laws therein. But unfortunately the judgments of trial court are not published. Therefore, the scholars of law do not have any opportunity to see the actual and practical application of all these laws by the trial court.

It goes without saying that actually it is the trial court where various kinds of laws, both substantive and procedural, including the various Rules, find there practical application. How the laws are set into motion are to be practically seen in the judgments of the trial courts. How the outcome of the law finds final and operative expressions, is to be found only in the judgments of the trial courts because it is the judgments of the trial courts which is finally upheld, confirmed or dismissed by the Appellate Courts. In fact it is the foundation on which the whole edifice of law and fact is build. In fact the judgments of the trial courts are the embodiments of the application of rules, laws, facts, evidences, reasons, grounds and the final outcome of the entire legal exercise. Even the manner how the final outcome is to be executed and implemented can be found nowhere than in the judgments of the trial courts. But unfortunately this important foundation of the edifice of law and facts is not published and, therefore, the students and scholars of law do not have opportunity to closely study the actual and practical applications of the law. Therefore, a few of the judgments of the trial court have been compiled and published in the form of a book to make them readily

available to the students of law to study the actual and practical application of law by the trial court.

It may be noted that these judgments being judgement of trial court, many of them must have been appealed against and are therefore, subject to the final outcome of the Hon'ble Appellate Courts. Therefore, these judgments may be perfect in themselves or may have a good number of short comings which may be pointed out during their scrutiny by the Hon'ble Appellate Court. For this reason these judgments would be further useful to the students of law in as much as these judgments would provide them opportunities to scrutinize them themselves and to find out whether they are perfect or have any short comings which in turn, would further enhance their understandings of the laws.

Though, it may be said that as now the judgments and orders of the trial courts too are required to be uploaded on the website of the court concerned and thereby they are published and are within the domain of public, therefore, the students and scholars of law too may have access to them. But accessing judgments from the website of the trial court would not be as convenient to the students of law as they would be when available in the form of published books.

These judgments include judgments of the criminal court, judgments of the civil court, judgments of the family court and a few judgments of the first appellate court and revisional court. The judgments have been published in the same and exact format in which they were prepared and delivered by the trial court beginning from the name of the trial court, name of the officer, number of the case, title of the case, names of the parties, main-body of the judgment and the final order and the mode of their execution. The main-body of the judgment contains what it is about, how the law was set into motion, in criminal matters how the case was registered and investigated or inquired, how the cognizance was taken by the trial court, how the charges were framed, facts were considered, evidences were adduced, recorded and appreciated by the courts, how laws were applied, how the other party was given opportunity to defend and finally how the arguments were heard, reason was applied, grounds were mentioned and finally the judgment was pronounced in the open court and how it was directed to be executed.

In these judgments one may find the application of laws without naming the laws applied. The beauty of any judgment lies in its brevity and conciseness. If every law or sections thereof applied is specifically referred to and mentioned in the judgments the brevity and conciseness will disappear and the judgment would cease to be a fine peace of judicial product. In fact judgment of the court of law too is a kind of literature which too must satisfy the aesthetic sense of the reader as by any other kind of literary product. The Judge of the trial court is an author, a painter, an artist and a critic. He writes story, paints the picture of an event, narrates the facts and evidences carefully sometimes in sequence and sometimes interwoven in an artistic manner to appear logical and spares not criticizing the lapses on the part of anyone whosoever he might be in the matter. The judgments of the trial court is a fiction of facts, tongue of evidences, voice of reason, expression of logic and the laws actually breathing. It is hoped that students of law would find the book worthwhile.

It may be mentioned that these judgments are written in Hindi owing to the fact that the language of the subordinate courts in the state of U.P. is Hindi.

Chapter-I

Judgment of the offense of murder resulting into capital punishment.

Undoubtedly the gravest of the offense in any legal system is the offense of murder and the severest of the punishments is capital punishment.

The judgment ahead is one relating to the offense of murder punishable under section 302 IPC entailing imprisonment for life or capital punishment. This judgment is a manifestation of various laws interwoven, procedural and substantial bringing forth how this grave offense was registered through recourse to an FIR and how the law was thereafter set into motion. How it was investigated by the police and on what basis a charge-sheet was submitted. How and what procedure the Magistrate concerned adopted in taking cognizance of the offense and what he did thereafter finding the offense as one exclusively triable by the Sessions Court. What law was applied by the Sessions Court after the same was received there after having been committed by the Magistrate and how the Sessions Court thereafter began trial. The case illustrates how the evidences, both examination in chief and cross-examination of the witnesses were recorded under the guidelines of the law. How the evidences were appreciated and the grains from the chaff was separated by the trial judge. How he explained them to the persons standing trial to seek their versions under section 313 Cr.P.C. How the charged persons were given full opportunity to put a defense and how the final conclusion was drawn by the court.

As stated above the offense of murder entails imprisonment for life or the death penalty. Apparently it has been left to the discretion of the trial judge to either punish the guilty with imprisonment for life or with death penalty. The statute speaks of no guiding principles for awarding the punishment. Therefore, it appears that it depends upon the sweet will of the trial judge to choose any of them whimsically. But so is not the case. The guidelines have been set forth by the superior courts while interpreting the section. Those precedences have acquired the force of law. Thus, the law evolved is that even in cases of as grave

as the offense of murder imprisonment for life shall be the rule except where the offense proved appears to be one of the rarest of the rare cases. Again, what the "rarest of the rare cases" are have not been exhaustively narrated except leaving only a broad guideline. Now it is for the trial court to find whether the case at hand belongs to the category of "rarest of the rare case" or not by considering the brutality of the case, cruelty in the manner of commission of the offense, innocence, helplessness and tenderness of the victim slaughtered and the objective of the culprit. Every case is to be considered on the basis of its own peculiar fact for in criminal matter every case is a different case from all other so for committed.

The substantial law speaks of the sentence of the capital punishment and keep silence thereafter. Now the procedural laws come into play as to how the sentence shall be referred to the Hon'ble High Court for confirmation and if confirmed by the superior courts how the sentence shall be finally executed. The judgment is a practical instance of the application of procedural law as well as substantive law working together in the trial court.

न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 75 सन् 1996
C.N.R. No.- UPMA010000331996

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. इन्द्रासन पाण्डेय पुत्र अमरदेव उर्फ खेदन पाण्डेय **(मृतक)**
2. राकेश पाण्डेय पुत्र स्व0 इन्द्रासन पाण्डेय
मुकदमा अपराध सं0 83/1996
अंतर्गत धारा 148,302/149,201 भा.दं.वि.
थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।
3. मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय पुत्र स्व0 इन्द्रासन पाण्डेय **(बाल अपचारी घोषित तथा मामला किशोर न्याय बोर्ड को संदर्भित किया गया)**
4. घनश्याम पाण्डेय पुत्र महराज पाण्डेय **(मृतक)**
साकिनान- रैकवारडीह, थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।
5. यशवन्त चौबे पुत्र राधेश्याम चौबे
साकिन- बरवां, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 83/1996
अंतर्गत धारा 147,302/149,201 भा.दं.वि.
थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित तथा वहां से इस न्यायालय में अंतरित इस सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय व राकेश पाण्डेय का विचारण धारा 148,302/149,201 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में एवं अभियुक्तगण मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय, घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे का विचारण धारा 147,302/149,201 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में भी किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप

पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा अखिलेश कुमार पाण्डेय के बाबा दुबरी पाण्डेय की हत्या करने की नीयत से दाब जैसे घातक हथियार से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध मजमा नाजायज कायम करके बलवा किये, दुबरी पाण्डेय की दाब से गर्दन व हाथ के दोनों अंगूठे काटकर हत्या किये तथा मृतक दुबरी के सिर व हाथ के दोनों अंगूठों को छिपाकर हत्या के साक्ष्य का विलोप किये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 12.03.96 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता अखिलेश कुमार पाण्डेय ने थानाध्यक्ष, सरायलखंसी, मऊ के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *आज दिनांक 12.03.96 को वह और उसके बाबा दुबरी पाण्डेय अपने गेहूं के खेत देखने गये थे। गेहूं का खेत देखकर उसके बाबा दुबरी पाण्डेय आगे-आगे तथा वह पीछे उसके गांव के पश्चिम चकरोड पकड़कर घर आ रहे थे कि जैसे ही उसके बाबा, जीउतबंधन सिंह के गेहूं के खेत के सामने पहुंचे कि पहले से ही गेहूं के खेत में छिपे हुये उसके ही गांव के इन्द्रासन पाण्डेय, उनके लड़के राकेश कुमार पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय एवं घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे समय करीब 12 बजे दिन में जमीन की रंजिश को लेकर राकेश पाण्डेय व उपरोक्त लोगों ने उसके बाबा को पकड़कर पटक दिया। राकेश पाण्डेय ने उसके बाबा का गर्दन व दोनों हाथ का अंगूठा दाब से काट दिया तथा शेष मुल्जिमान दुबरी को दबाये हुये थे। उसके बाबा को गेहूं के खेत में मेड़ के किनारे पटककर दाब से गर्दन व दोनों हाथ के अंगूठे को काटकर लेकर गांव के लोगो के सामने से घुमाते हुये ले गये जिससे कोई भी व्यक्ति उनके विरूद्ध गवाही न दे सके तथा जिससे आम व्यक्तियों में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। घटना को उसने व उसके गांव के सीताराम सिंह, चन्द्रदेव व गांव के तमाम लोगों ने देखा है। उसकी ही आवाज पर तमाम लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मुल्जिमान उसके बाबा दुबरी की गर्दन व दोनों हाथ का अंगूठा लेकर दक्षिण की तरफ भाग गये।* अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना सरायलखंसी में अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय, घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे के विरूद्ध

अपराध सं0 83/96, अंतर्गत धारा 147,148,149,302,201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल तहरीर, नकल चिक एवं नकल रपट प्राप्त किया एवं उनका इन्द्राज केस डायरी में किया। घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी लेकर फर्द तैयार किया एवं फर्द के गवाहों का बयान अंकित किया। मृतक का पंचायतनामा तैयार किया एवं पंचायतनामे के गवाहों का बयान अंकित किया। वादी अखिलेश कुमार पाण्डेय का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। मृतक का सिर बरामद किया गया तथा उसकी फर्द बरामदगी बनायी गयी। बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। घटनास्थल से बरामद सामग्रियों की जांच हेतु डाकेट बनाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त किया तथा उसका अंकन केस डायरी में किया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय, घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे के विरूद्ध धारा 147,148,149,302,201 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का प्रसंज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्त राकेश पाण्डेय के विरूद्ध धारा 148 भा0द0वि0 के अंतर्गत, अभियुक्तगण मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय, घ ानश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे के विरूद्ध धारा 147 भा0द0वि0 के अंतर्गत तथा अभियुक्तगण राकेश पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय, घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे के विरूद्ध धारा 302/149,201 भा0द0वि0 के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया। दौरान विचारण अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय व घनश्याम पाण्डेय की मृत्यु हो गयी जिसके कारण अभियुक्त इन्द्रासन पाण्डेय के विरूद्ध कार्यवाही दिनांक 10.05.99 को तथा अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय के विरूद्ध

कार्यवाही उपशमित कर दिया गया। दौरान विचारण अभियुक्त मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय को दिनांक 07.12.19 को किशोर घोषित किया गया तथा उसकी पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की गयी।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी सूचनाकर्ता अखिलेश कुमार पाण्डेय, विशुन राम, धनपति यादव, कुसुम पाण्डेय, उपनिरीक्षक वंश बहादुर यादव, डा0 अनिल कुमार आर्या, डा0 भूपेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, कां0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिरीक्षक जामवन्त जायसवाल, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 9 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, शव का पंचायतनामा, तहरीर, चालान नाश, फोटोनाश, पत्र आर.आई., पत्र सी.एम.ओ., प्रार्थना पत्र, फर्द कब्जा में लेने खून आलूदा व सादी मिट्टी, घटनास्थल का नक्शा नजरी, बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय, घ ानश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे, मृतक के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतक के सिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सिर का पंचायतनामा, पत्र सी.एम.ओ. गाजीपुर, नमूना सील, पत्र आर.आई. गाजीपुर, पत्र सी.एम.ओ. बावत पोस्टमार्टम, चालान नाश, पत्र थानाध्यक्ष सरायलखंसी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल कायमी जी0डी0, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क23 क्रमशः को सिद्ध कराया है। अभियोजन की ओर से दौरान विचारण सूची कागज सं0 180ख के द्वारा दाखिल आदेश कागज सं0 181ख/10 तथा पक्षकारों के मध्य प्रचलित विभिन्न आपराधिक, दीवानी, राजस्व से संबंधित मुकदमों की प्रतिलिपियां, बैंक पासबुक आदि प्रस्तुत किया गया है तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में वादी मुकदमा अखिलेश कुमार पाण्डेय तथा अभियुक्तगण एक ही खानदान के हैं। दुबरी पाण्डेय उनके बाबा के छोटे भाई थे तथा खानदानी बड़ी सम्पत्ति के अपने अंश के एकमात्र स्वामी थे। उन्होने दिनांक 30.05.95 को अपनी समस्त जायदाद वादी मुकदमा अखिलेश कुमार पाण्डेय व उसके भाई कमलेश के पक्ष में हिब्बा व वसीयत कर दिया था जिससे अभियुक्तगण इन्द्रासन आदि बहुत खिन्न थे तथा दुबरी पाण्डेय की सम्पत्ति

स्वयं हड़पना चाहते थे अतः दुबरी पाण्डेय की सम्पत्ति को हड़पने के आशय से दुबरी पाण्डेय की समस्त सम्पत्ति की एक अपंजीकृत वसीयत लिखवा लिया तथा उन्होने स्थानीय पंचायत सेक्रेटरी के षडयंत्र से परिवार रजिस्टर में दुबरी पाण्डेय को मृतक अंकित करवा दिया जबकि दुबरी पाण्डेय जीवित थे एवं अभियुक्त इन्द्रासन की लड़की कनकलता उर्फ उर्मिला को दुबरी की लड़की प्रतिरूपित करते हुये दुबरी की सम्पत्ति के खारिज दाखिल का वाद भी योजित कर दिया। इस षडयंत्र का ज्ञान होने पर दुबरी पाण्डेय द्वारा आपत्ति किया गया एवं परिवार रजिस्टर में स्वयं को मृतक लिख दिये जाने पर एस.डी.एम. के यहां पंचायत राज अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत वाद सं0 22 प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा जांच की गयी एवं दिनांक 11.11.95 को एस.डी.एम. के यहां इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि दुबरी पाण्डेय जिन्दा हैं परन्तु उनका कोई पुत्र नहीं है। उसके पश्चात दुबरी पाण्डेय द्वारा स्वयं को अभियुक्तगण द्वारा पंचायत सेक्रेटरी के षडयंत्र से परिवार रजिस्टर में मृतक दिखाये जाने के अपराध के लिये धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर उनके विरूद्ध अपराध पंजीकृत करने का आदेश हुआ जिसकी चिक एफ.आई.आर. सं0 29/96 है तथा अपराध सं0 92/96 है। इस घटना के मात्र दो दिन पूर्व दुबरी पाण्डेय व अखिलेश पाण्डेय के विरूद्ध धारा 107,116 सी0आर0पी0सी0 की रिपोर्ट भी प्रेषित की गयी थी। वास्तव में अभियुक्त इन्द्रासन द्वारा दुबरी पाण्डेय की सम्पत्ति को हड़पने के आशय से एक दीवानी वाद सं0 456/95, इन्द्रासन बनाम दुबरी आदि भी योजित किया गया था जिसमे दुबरी पाण्डेय ने दावे का प्रतिवाद करते हुये प्रतिवाद पत्र भी प्रस्तुत किया था तथा प्रतिवाद पत्र के प्रस्तर सं0 9 में यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि अखिलेश एवं कमलेश को हिब्बा एवं वसीयत करने के पश्चात इन्द्रासन आदि दुबरी से क्रोधित हो गये हैं तथा उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। चूंकि दुबरी पाण्डेय काफी कमजोर एवं वृद्ध हो गये थे अतः उन्होने उक्त वाद में इस आशय का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था कि चूंकि वह वृद्ध हो चुके हैं अतः उनका पहले ही बयान आदेश 10 नियम 2 सी0पी0सी0 अंकित कर दिया जाये। अतः न्यायालय द्वारा बयान हेतु दिनांक 14.03.96 नियत की गयी थी एवं वादी तथा उसके अधिवक्ता को तदर्थ नोटिस भी

जारी की गयी थी। यदि उक्त वाद में दुबरी पाण्डेय का बयान अंकित हो गया होता तो यह सिद्ध हो जाता कि अभियुक्त इन्द्रासन द्वारा योजित इन्द्रासन बनाम दुबरी का वाद झूठा है तथा दुबरी पाण्डेय द्वारा स्वेच्छा से अखिलेश एवं कमलेश के पक्ष में अपनी सम्पत्ति का हिब्बानामा किया गया है परन्तु दुबरी पाण्डेय के बयान हेतु उक्त नियत तिथि दिनांक 14.03.96 के दो दिन पूर्व ही अभियुक्तगण द्वारा दुबरी पाण्डेय की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दिया गया जिससे वह न्यायालय में बयान अंकित न करवा सके। अभियुक्तों द्वारा उनके दोनों हाथ के अंगूठों को भी इस आशय से काट लिया गया कि उनके अंगुष्ठ निशान के मिलान अखिलेश व कमलेश के पक्ष में किये गये हिब्बानामा पर उपलब्ध अंगुष्ठ निशानों से न हो सके। अतः उन्होनें अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्तगण को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना, वादी द्वारा अभियुक्त राकेश के पिता की सम्पत्ति के अंश व दुबरी की सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपने व अपने भाई के नाम दिनांक 30.03.95 व 24.04.95 को दुबरी के बदले किसी अन्य को खड़ा करके फर्जी बैनामा कराया जाना (जबकि दुबरी की दिनांक 11.03.95 को ही मृत्यु हो चुकी थी), एक अज्ञात शव एवं एक अज्ञात सिर का पंचायतनामा कराया जाना तथा अपने विरूद्ध झूठा आरोप पत्र प्रस्तुत होना बताया है। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6,7,8 एवं 9 को झूठा साक्ष्य देना बताया है। अभियुक्त राकेश पाण्डेय ने कथन किया है कि मुकदमा नं0 456/95 वादी मुकदमा ने इन्द्रासन पाण्डेय जो उसके पिता थे, का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर या बनवाकर दाखिल किये तथा 07.03.96 को स्व0 दुबरी पाण्डेय के बदले में अपने किसी आदमी को खड़ा करके प्रार्थना पत्र दिया था जिससे यह सिद्ध होता है कि दुबरी पाण्डेय जिन्दा थे। अभियुक्त यशवन्त चौबे ने कथन किया है कि उसके बाबा के भाई स्व0 धुखारी चौबे की शादी स्व0 दुबरी पाण्डेय की बहन से हुई थी। वह निर्दोष है। उसका दोनों पक्षों के यहां आना जाना था। बचाव पक्ष द्वारा साक्षीगण जयप्रकाश सिंह, सन्तोष कुमार सिंह, केदार, जगदीश पाण्डेय, प्रेमचन्द्र दूबे को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 5 परीक्षित

कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं सूचनाकर्ता अखिलेश कुमार पाण्डेय, पी0डब्लू 1 है, जिसने अपने बयान में बताया है कि मेरे पिता का नाम रामसिंहासन पाण्डेय है। रामसिंहासन पाण्डेय के पिता का नाम अमरदेव उर्फ खेदन पाण्डेय था। अमरदेव के पिता का नाम धनराज पाण्डेय था। धनराज पाण्डेय के दो लड़के थे। वे दोनों अमरदेव उर्फ खेदन एवं दुबरी पाण्डेय थे। दुबरी पाण्डेय की शादी नहीं हुई थी जिससे उनको कोई औलाद नहीं थी। अमरदेव के लड़के रामसिंहासन और इन्द्रासन थे। रामसिंहासन के दो लड़के कमलेश एवं मैं अखिलेश कुमार पाण्डेय हूं। इन्द्रासन के चार लड़के राकेश, मिथिलेश उर्फ टीपू, अमित उर्फ मोजा एवं कविश उर्फ मान्धाता हैं। इन्द्रासन को दो लड़कियां कनकलता उर्फ उर्मिला एवं सीम्पू हैं। इस मुकदमें में इन्द्रासन, राकेश और मिथिलेश अभियुक्त हैं एवं अभियुक्त यशवन्त चौबे, इन्द्रासन के दामाद एवं कनकलता उर्फ उर्मिला के पति हैं। दौरान मुकदमा इन्द्रासन की मृत्यु हो चुकी है। मेरे बाबा के छोटे भाई दुबरी पाण्डेय मेरे परिवार के साथ रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी और मेरे परिवार की सेवा से संतुष्ट होकर दुबरी पाण्डेय ने अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति मेरे एवं मेरे भाई कमलेश के नाम वसीयतनामा एवं रजिस्टर्ड हिब्बानामा कर दिया। इस बात से इन्द्रासन पाण्डेय व उनके परिवार के लोग नाराज हुये। इसके पूर्व ही इन्द्रासन पाण्डेय अपनी लड़की कनकलता उर्फ उर्मिला को दुबरी पाण्डेय की लड़की दिखाकर फर्जी तौर पर खुश्की वसीयत कराये और परिवार रजिस्टर में दुबरी पाण्डेय को फर्जी तरीके से मृतक दिखा दिया। फर्जी इन्द्राज पर मृत्यु की तिथि अंकित नहीं थी। इसके बाद मेरे और इन्द्रासन पाण्डेय के बीच दीवानी का मुकदमा शुरू हो गया। इन्हीं सब कारणों से अभियुक्तगण, दुबरी पाण्डेय की हत्या करना चाहते थे। **आज से करीब चार वर्ष पूर्व दिनांक 12.03.96 को दिन में 12 बजे मैं और मेरे बाबा दुबरी पाण्डेय गेहूं का खेत देखकर वापस आ रहे**

थे। दुबरी आगे थे और मैं उनके पीछे-पीछे आ रहा था। जब हम लोग जिउतबंधन सिंह के खेत के करीब आये तो वहां उनके खेत में पहले से छिपे अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय, राकेश, मिथिलेश उर्फ टीकू, घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे खेत से निकलकर दुबरी पाण्डेय को पकड़ लिये और पटक दिये। मेरे बाबा को इन्द्रासन, मिथिलेश, घनश्याम और यशवन्त दबाये हुये थे और अभियुक्त राकेश पाण्डेय ने दाब से दुबरी पाण्डेय की गर्दन और दोनों हाथ के अंगूठे को काट दिया। सिर और कटे हुये अंगूठे को लेकर हाथ में घुमाते हुये चकरोड से दक्षिण की तरफ यह कहते हुये जा रहे थे कि जो हम लोगों के खिलाफ गवाही करेगा उसका यही हस्र होगा। राकेश पाण्डेय के साथ अन्य अभियुक्तगण भी चकरोड की दक्षिण तरफ चले गये। हमको भी गाली गुप्ता देते हुये मारने के लिये दौड़ाये। इसके बाद मैं चिल्लाने लगा। मेरे शोर पर मेरे ही गांव के सीताराम सिंह, चन्द्रदेव राम तथा गांव के बहुत से लोग घटनास्थल पर पहुंच गये। मुल्जिमानों के इस कृत्य से गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया जिससे कोई गवाही न कर सके। अभियुक्त यशवन्त चौबे, अन्य मुल्जिमानों के हिमायती हैं। इसके बाद मैनें घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रदर्श क1 अपने हाथ से लिखकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने में ले जाकर दिया था।

9. स्पष्ट है कि साक्षी द्वारा ही प्रदर्श क1 तहरीर थाने पर देकर एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है। अतः प्रदर्श क1 इस साक्षी का सक्षम अधिकारी के समक्ष इसी मामले से संबंधित पूर्व वक्तव्य है जिसका उपयोग साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान की विश्वसनीयता को परखने के उद्देश्य से साक्षी के बयान के खण्डन अथवा समर्थन हेतु किया जा सकता है। यद्यपि एफ.आई.आर. का उल्लेख प्रारंभ में किया जा चुका है परन्तु सुगमता की दृष्टि से उसका पुनः उल्लेख किया जा रहा है। साक्षी की एफ.आई.आर. यह है कि *''आज दिनांक 12.03.96 को वह और उसके बाबा दुबरी पाण्डेय अपने गेहूं के खेत देखने गये थे। गेहूं का खेत देखकर उसके बाबा दुबरी पाण्डेय आगे-आगे तथा वह पीछे उसके गांव के पश्चिम चकरोड पकड़कर घर आ रहे थे कि जैसे ही उसके बाबा, जीउतबंधन सिंह के गेहूं के खेत के सामने पहुंचे कि पहले से ही गेहूं के खेत में छिपे हुये उसके ही गांव के इन्द्रासन पाण्डेय, उनके लड़के राकेश कुमार पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय एवं घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे*

समय करीब 12 बजे दिन में जमीन की रंजिश को लेकर राकेश पाण्डेय व उपरोक्त लोगों ने उसके बाबा को पकड़कर पटक दिया। राकेश पाण्डेय ने उसके बाबा का गर्दन व दोनों हाथ का अंगूठा दाब से काट दिया तथा शेष मुल्जिमान दुबरी को दबाये हुये थे। उसके बाबा को गेहूं के खेत में मेड़ के किनारे पटककर दाब से गर्दन व दोनों हाथ के अंगूठे को काटकर लेकर गांव के लोगो के सामने से घुमाते हुये ले गये जिससे कोई भी व्यक्ति उनके विरूद्ध गवाही न दे सके तथा जिससे आम व्यक्तियों में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। घटना को उसने व उसके गांव के सीताराम सिंह, चन्द्रदेव व गांव के तमाम लोगों ने देखा है। उसकी ही आवाज पर तमाम लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मुल्जिमान उसके बाबा दुबरी की गर्दन व दोनों हाथ का अंगूठा लेकर दक्षिण की तरफ भाग गये।'' साक्षी के एफ.आई.आर./पूर्व वक्तव्य पर जब विचार किया जाता है तो यह प्रकट होता है कि साक्षी ने अपने पूर्व वक्तव्य में भी तात्विक रूप से वही कथन किया है जो उसने न्यायालय में बताया है। अतएव साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का तात्विक रूप से उसके पूर्व वक्तव्य से समर्थन होने के कारण साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है।

10. दौरान विवेचना विवेचक ने इस साक्षी का बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 भी अंकित किया है। न्यायालय को यह देखना है कि क्या उसके धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में कोई ऐसी विसंगति अथवा लोप तो नहीं है जिससे साक्षी द्वारा न्यायालय में दिया गया बयान अविश्वसनीय प्रतीत हो। साक्षी का धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान निम्नलिखित है *''आज दिनांक 12.03.96 को मैं और मेरे बाबा दुबरी पाण्डेय अपना खेत देखने गांव से पश्चिम गये थे। खेत गेहूं देखकर लौट रहे थे कि वे आगे तथा मैं पीछे था चकरोड पकड़कर पश्चिम से घर आ रहे थे कि जैसे ही मेरे बाबा, जिउतबंधन सिंह के गेहूं के खेत के सामने पहुंचे कि पहले से ही गेहूं के खेत में छिपे हुये मेरे गांव के इन्द्रासन पाण्डेय, उनके लड़के राकेश कुमार पाण्डेय व मिथिलेश उर्फ टीकू पाण्डेय, घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे समय करीब 12 बजे दिन में जमीन की रंजिश को लेकर राकेश पाण्डेय व उपरोक्त लोगों ने मेरे बाबा को पकड़कर जमीन पर पटक दिये। मेरे बाबा को राकेश पाण्डेय ने गर्दन व हाथ के दोनों अंगूठे दाब से काट दिया। उस समय*

मिथिलेश उर्फ टीपू, यशवंत चौबे दोनों हाथ तथा घनश्याम पाण्डेय व इन्द्रासन पाण्डेय दोनों हाथ पकड़े हुये थे। कटे हुये गर्दन सहित सिर व दोनों अंगूठों को पालीथीन में लेकर मुल्जिमान गांव के सामने से घुमाते हुये दक्षिण की तरफ ले गये जिससे कोई भी व्यक्ति उनके विरूद्ध गवाही न दे सके। उस समय खेतों में लोग काम कर रहे थे। इस घटना को देखे और मुल्जिमान यह कहते हुये जा रहे थे कि जो भी गवाही देगा उसका यही हस्र किया जायेगा जिससे भय व आतंक का माहौल पैदा हो गया। घटना को हमने व हमारे गांव के सीताराम सिंह, चन्द्रदेव तथा गांव के तमाम आदमियों ने देखा है। मेरे शोर पर तमाम लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। तब एक मुल्जिमान गर्दन सहित सिर व अंगूठों को एक पालीथीन में लेकर घुमाते हुये दक्षिण तरफ भाग गये। इसके बाद मैं भागकर थाने गया तथा रिपोर्ट लिखाया। आगे पूछने पर बताया कि मेरे बाबा की शादी नहीं हुई थी। वे आजीवन कुंवारे थे। मेरे ही साथ रहते थे। हम लोगों से संतुष्ट होकर अपने नाम की सारी सम्पत्ति हम लोगों को दे दिये। इस बात से क्षुब्ध होकर इन्द्रासन पाण्डेय आदि ने बाबा को कागज में मरा दिखाया। इसके पूर्व उन्होनें अपनी लड़की कनकलता को दुबरी पाण्डेय की लड़की दिखाकर फर्जी उनके नाम की जमीन का वसीयतनामा करवा लिया। इसके बाद ही मेरे व इन्द्रासन पाण्डेय के बीच दीवानी मुकदमा चलना शुरू हुआ। चूंकि मुल्जिमान फर्जी वसीयतनामा मेरे बाबा की सम्पत्ति का करा चुके थे तथा कागजात में तत्कालीन सेक्रेटरी से मृत्यु का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिये थे इसलिये उन्होनें हकीकत में उनकी हत्या की तथा उनके सिर व अंगूठों को काटकर लेकर फरार हो गये ताकि उनकी मृत्यु को प्रमाणित किया जा सके और यह कहा जा सके कि वे तो वास्तव में पहले ही मर चुके हैं। इसी रंजिश से मेरे बाबा की निर्मम हत्या कर दी गयी। सिर व अंगूठे को काटकर इसलिये ले गये ताकि उनकी शिनाख्त न हो सके।''

11. साक्षी के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान के परिप्रेक्ष्य में जब साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान की समीक्षा किया जाता है तो भी यह प्रकट होता है कि साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान तथा साक्षी के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में कोई विसंगति तथा अंतर्विरोध नहीं है जिससे साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान पर अविश्वास किये जाने का कोई औचित्य नहीं है

जबकि बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान को झूठा होना बताया जा रहा है।

12. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि ''........दुबरी पाण्डेय की पत्नी का नाम मैं नहीं जानता.......... पत्नी को नहीं देखा है.........कब मरी मैं नहीं बता सकता। मैं दुबरी पाण्डेय की पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानता। दुबरी पाण्डेय ने मुझे वसीयत व हिब्बानामा 30.03.95 को लिखा। वह तहसील में दाखिल है..........इस समय वसीयतनामा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है.........कलेक्ट्री से वापस लेने के बाद उच्च न्यायालय में दाखिल किया है.........हिब्बानामा दिनांक 24.04.95 मेरे व मेरे भाई के पक्ष में है......... दोनों, हिब्बानामा व वसीयतनामा, रजिस्टर्ड है..........हम लोग करीब साढ़े नौ दस बजे घर से खेत घूमने निकले थे। वह खेत घर से 300 मीटर से ऊपर दूर है.........उसका बटवारा हो चुका है। उसमे आधा हिस्सा दुबरी पाण्डेय को, 1/4 हिस्सा मुझे व 1/4 इन्द्रासन को मिला है..........उस समय गेहूं पकने की कगार पर था। मेरे घर और खेत के बीच बहुत लोगों के खेत हैं..........घटना के समय ये लोग अपने खेतों में नहीं थे..........लोग घटना के बाद पहुंचे..........हम लोग अपने खेत पर पौने ग्यारह बजे पहुंच गये थे..........खेत देखते हुये चकरोड पकड़कर हम लोग घर के लिये चले। खेत पर रुके नहीं थे...........हम लोग खाली हाथ गये थे। हाथ में कोई लकड़ी या हथियार नहीं था...........मुल्जिमान पीछे से आकर दुबरी पाण्डेय को पकड़कर पटक दिये थे.......... जब मुल्जिमान करीब पहुंच गये थे तब मैनें उन्हें देखा। जब वे छिपे हुये स्थान से उठकर चकरोड पर पहुंचे तब देखा..........राकेश पाण्डेय मुल्जिम के हाथ में दाब (*एक धारदार हथियार*) था। शेष मुल्जिमान लाठी डंडा लिये थे। जब मुल्जिमान लाठी डंडा व दाब लेकर हम लोगों की तरफ दौड़ते हुये आये थे उस समय मैं घर की तरफ नहीं भागा चकरोड पर ही थोड़ी दूर पर पश्चिम हटकर खड़ा हो गया। मुझे मुल्जिमान ने गाली गुप्ता दिया था भागो साले नहीं तो तुमको भी काट डालेंगे.........दुबरी पाण्डेय भाग नहीं पाये थे। उन्हें मुल्जिमान ने पकड़ लिया था। पकड़कर पटक दिया। सिर के बल चित गिरे थे। वहां से 70-80 कदम के फासले पर मैं खड़ा था..........मेरे शोर पर जो लोग आये थे उनमे से कुछ लोग भट्ठे से आये थे कुछ गांव से आये थे।

चन्द्रदेव व सीताराम भट्ठे से पहुंचे थे अन्य लोग गांव से पहुंचे थे.........गांव से मैनें थाने पर टेलीफोन नहीं किया था। अपने घर पर 15-20 मिनट रूका था। घर पर मैनें दरखास्त लिखा फिर थाने लेकर गया था। मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई दर्ज होने के बाद पुलिस आयी.........दुबरी पाण्डेय ने वसीयतनामा मेरे व मेरे भाई के नाम लिखा था। दोनों के गवाह एक ही हैं..........वसीयत लिखते समय दुबरी पाण्डेय की उम्र 70-80 वर्ष रही होगी..........आदि-आदि। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी को बचाव पक्ष द्वारा एक फोटो कागज सं0 108क दिखाया गया तो साक्षी ने स्वीकार किया कि फोटो में शव के पास जो व्यक्ति लकड़ी लेकर खड़े हैं वह इन्द्रासन पाण्डेय हैं उनके पीछे मैं अर्थात साक्षी खड़ा है, इन्द्रासन के बायें घनश्याम तथा घनश्याम के बायें गांव के जयप्रकाश सिंह खड़े हैं। फोटो में अभियुक्त राकेश पाण्डेय भी हैं और राकेश पाण्डेय के दाहिनी ओर अभियुक्त यशवन्त चौबे के पिता राधेश्याम चौबे हैं। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि यह फोटो उस समय का है जब दुबरी पाण्डेय का अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस समय वादी पक्ष तथा अभियुक्तगण दोनों ही उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। इससे यह सिद्ध होता है कि दुबरी पाण्डेय की मृत्यु पहले ही हो गयी थी तथा अभियुक्तों द्वारा उनकी हत्या नहीं किया गया अन्यथा अभियुक्तगण एवं वादी पक्ष एक साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार कैसे करते परन्तु साक्षी द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि वास्तव में वह फोटो जिसमे दुबरी पाण्डेय का शव बताया जा रहा है वह उस समय की नहीं है। साक्षी ने यह बताया है कि वह फोटो दुबरी पाण्डेय के दाह संस्कार के समय की नहीं है बल्कि वह फोटो उस समय की है जबकि दुबरी पाण्डेय अभी जीवित थे। वह फोटो साक्षी के आजी के दाह संस्कार के समय की है जिनका नाम अजोरा था। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को अंत में यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्तगण ने दुबरी पाण्डेय की हत्या नहीं किया था, साक्षी ने घटना नहीं देखी है तथा यह कि मुल्जिमान को उसने फर्जी फंसाया है तो साक्षी ने इन सभी सुझावों से इंकार किया है।

13. साक्षी के प्रतिपरीक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि साक्षी द्वारा जिन व्यक्तियों को शोर सुनकर मौके पर पहुंच जाना बताया गया है उनका कोई खेत आस पास नहीं था तो वे भला क्यों मौके पर मौजूद

होगे। इसके प्रतिकूल साक्षी ने उन व्यक्तियों को मौके पर पहुंचना नहीं बताया है जिनके खेत वहां मौजूद थे तथा वे ही विश्वसनीय साक्षी हो सकते थे। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि घटना के समय गेहूं की पकी फसल ऊंची होने के कारण साक्षी द्वारा यह देखा जाना कदापि संभव नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा दुबरी पाण्डेय की हत्या किया गया हो तथा उनमे से किस व्यक्ति द्वारा दुबरी पाण्डेय को दबाकर रखा गया तथा किसके द्वारा उनका गला एवं अंगूठा काटा गया। वास्तव में दुबरी पाण्डेय की इस घटना से काफी पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी जिनके दाह संस्कार का फोटो 108क है जिसमे अभियुक्तों के साथ-साथ साक्षी भी मौजूद है। अतः घटना के समय वह जीवित ही नहीं थे। अतएव उनकी हत्या किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। साक्षी द्वारा दुबरी पाण्डेय की सम्पत्ति हड़पने के आशय से एक फर्जी वसीयतनामा तथा हिब्बानामा तैयार किया गया है। इसी उद्देश्य से घटना वाले दिन दुबरी पाण्डेय की हत्या अभियुक्तों द्वारा किया जाना बताया जाकर उन्हें झूठा फंसाया गया है जिससे वादी, दुबरी पाण्डेय की सम्पत्ति हड़प सके। परन्तु बचाव पक्ष के इन तर्कों में बल नहीं है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि घटनास्थल पर जिस व्यक्ति का खेत हो वह हर समय वहां मौजूद हो तथा जिस व्यक्ति का खेत न हो वह घटनास्थल पर न पहुंच सकता हो। जहां तक गेहूं की तैयार तथा ऊंची फसल होने के कारण अभियुक्तों को देखे जाने का प्रश्न है तो इस तर्क में भी कोई बल नहीं है क्योंकि ऊंची फसल के खेत में बैठकर छिपा जा सकता है परन्तु जैसे ही छिपा हुआ व्यक्ति खड़ा होगा उसे भली भांति देखा एवं पहचाना जा सकता है। जहां तक फोटो कागज सं0 108क में किसी शव के पास अभियुक्तों तथा साक्षी के मौजूद रहने का प्रश्न है तो वास्तव में उस फोटो में किस व्यक्ति का शव है यह दिखायी नहीं दे रहा है क्योंकि शव पूरी तरह से कपड़े में लपेटा हुआ है। उस फोटो के विषय में साक्षी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह शव उसकी आजी अर्थात अजोरा देवी के दाह संस्कार के समय का है जिनकी मृत्यु दुबरी पाण्डेय की हत्या से पहले ही हो चुकी थी। अत : यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण उक्त फोटो का अनुचित लाभ उठा रहे हैं तथा यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि दुबरी पाण्डेय की हत्या नहीं हुई थी बल्कि स्वाभाविक मृत्यु हुई थी तथा उनके दाह संस्कार में वादी पक्ष एवं अभियुक्तगण

दोनों ने ही भाग लिया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण की समीक्षा की गयी तो यह पाया जाता है कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह स्वाभाविक है। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने स्वाभाविक रूप से पूछे गये प्रश्नों के अनुसार घटना का चलचित्र के रूप में वर्णन किया है जिससे यह कदापि प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने मुख्य परीक्षण अथवा प्रतिपरीक्षण में झूठा कथन किया हो बल्कि प्रतिपरीक्षण से मुख्य परीक्षण को समर्थन मिलता है तथा मुख्य परीक्षण पुष्ट होता है जिससे साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है तथा यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक अभियुक्त को घटना कारित करते हुये अपनी आंखों से देखा है तथा उसका ही वर्णन न्यायालय में सशपथ किया है।

14. अभियोजन का दूसरा साक्षी विशुन राम है जिसे बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है, जिसने अपने बयान में बताया है कि आज से सात साढ़े सात साल हुआ। चार साढ़े चार बजे सरायलखंसी थाने के दरोगा जी मौके पर आये थे और दुबरी पाण्डेय की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श क2 घटनास्थल पर ही मेरे, सीताराम सिंह, लालजी पाण्डेय, इस्लाम व चन्द्रदेव के समक्ष बनाये थे। मैनें भी लाश को देखा था। दरोगा जी पंचायतनामा लिख पढ़कर सुनाये थे। लाश को मौके पर ही कपड़े में बंद कर सील किये थे। पंचायतनामा पर मेरा हस्ताक्षर है।

15. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि साक्षी शव के पंचायतनामे का साक्षी है अर्थात उसने दुबरी पाण्डेय के सिर कटे हुये शव को देखा था। साक्षी स्थानीय निवासी है। अतः यह स्वाभाविक है कि वह दुबरी पाण्डेय को भली भांति जानता एवं पहचानता था तथा उनके सिर कटे हुये शव को देखकर भी भली भांति पहचान सकता था कि वह शव दुबरी पाण्डेय का है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह शव को पहचानने में गलती करता अथवा न्यायालय में झूठ बोल रहा हो।

16. इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमे साक्षी ने बताया है कि मेरा टोला दुबरी पाण्डेय के गांव से 100 गज की दूरी पर है। दुबरी पाण्डेय का मेरे यहां बहुत आना जाना नहीं था.........मैनें खुद लाश को पहचाना था वह दुबरी पाण्डेय का था.........आदि–आदि। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को सुझाव दिया गया है कि सिर कटे शव को अखिलेश द्वारा दुबरी पाण्डेय का शव बताये जाने पर

साक्षी ने उसे दुबरी पाण्डेय का शव बताया था तो साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है तथा यह कथन किया है कि उसने दुबरी पाण्डेय के शव को स्वयं पहचान लिया था।

17. साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि साक्षी मिथ्या कथन कर रहा हो। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से पी0डब्लू 1 के साक्ष्य को समर्थन मिलता है जहां उसने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने दुबरी पाण्डेय की हत्या कर सिर तथा अंगूठा काटकर ले गये थे।

18. अभियोजन द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्तगण ने दुबरी पाण्डेय की हत्या करने के पश्चात उसका सर एवं अंगूठा काटकर लहराते हुये तथा स्थानीय लोगों को यह धमकी देते हुये कि यदि कोई उनके विरूद्ध गवाही देगा तो उसका हस्र भी यही होगा, दुबरी पाण्डेय का सिर एवं अंगूठा अपने साथ ले गये तथा उस महत्वपूर्ण साक्ष्य का लोप तथा नष्ट करने के आशय से गांव से दूर एक दूसरे तालाब में प्लास्टिक की थैली में रखकर फेंक दिया जो भैंस की खुर में फंसकर भैंस के साथ तालाब से बाहर आ गया था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया तथा जिससे अभियोजन कथानक पुष्ट होता है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा धनपति यादव को बतौर पी0डब्लू 3 परीक्षित किया गया है। धनपति यादव, पी0डब्लू 3 है ने अपने बयान में बताया है कि मेरा ट्यूबवेल गांव के पूरब तरफ स्थित है। इसके उत्तर तरफ पोखरी है। दिनांक 13.03.96 को एक नरमुण्ड इस पोखरी में मिला था। मेरे परिवार के गनपत का लड़का संजय जो मेरा भतीजा है, पोखरी में भैंस धोने गया था। भैंस के खुर में फंसकर एक पालीथीन में रखा नरमुण्ड पानी से बाहर आ गया। शाम के करीब 6 बजे का समय था। मुझे इसकी सूचना संजय ने दिया। मैं पोखरी पर जाकर नरमुण्ड जो पालीथीन में था, को देखा। पालीथीन पर ''लिबास घर हमारे यहां स्कूल यूनीफार्म, लेडीज बैग, सूटकेस उपलब्ध है। यूनियन बैंक के नीचे सहादतपुरा मऊ।'' लिखा था। इसके बाद मैनें इसकी लिखित सूचना प्रदर्श क3 लिखकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाना दुल्लहपुर में दिया। मेरे सूचना देने के पश्चात मौके पर दरोगा जी आये और वहां पर दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाकर थाने वापस चले गये। फिर दरोगा जी आये और पंचनामा कर रहे थे उसी

समय दूसरे थाने की पुलिस और मृतक के परिवारवाले आ गये। उनके परिवार के लोगों ने नरमुण्ड को पहचाना। नरमुण्ड में आंख नहीं थी मुंह व गाल पर कटे का निशान था। वहां पर उनके परिवारवालों से पता चला कि यह दुबरी पाण्डेय का सिर है। दरोगा जी ने पंचायतनामा कागज सं0 11क/1 मौके पर तैयार किया था जिस पर उसका तथा अन्य पंचों का हस्ताक्षर बनवाये थे। उसके बाद सील मुहर कर नरमुण्ड को अपने साथ ले गये। दरोगा जी थाना दुल्लहपुर के थे। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था।

19. पत्रावली पर पंचायतनामा कागज सं0 11क/1 उपलब्ध है जिस पर पुलिसकर्मियों के, साक्षी के तथा अन्य गवाहों का हस्ताक्षर उपलब्ध है। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि पोखरी से भैंस की खुर में प्लास्टिक फंस जाने के कारण बाहर निकले नरमुण्ड की सूचना साक्षी द्वारा ही तत्काल पुलिस को दी गयी है तथा मौके पर पुलिस पहुंच गयी थी एवं दुबरी पाण्डेय के घरवाले भी वहां पहुंच गये थे। उस समय नरमुण्ड में आंख नहीं थी तथा मुंह एवं गाल पर कटे का निशान था जिसे देखकर दुबरी पाण्डेय के परिवारवालों ने पहचान लिया था कि वह सिर दुबरी पाण्डेय का सिर है। कहने की आवश्यकता नहीं कि दिनांक 12.03.96 को सिर काटा गया था तथा उसके अगले दिन लगभग 06.00 बजे सायं पानी में डूबा हुआ नरमुण्ड बाहर आ गया था अतः निश्चय ही वह अगले दिन भली भांति पहचाने जाने योग्य था जिसे दुबरी पाण्डेय के परिवारवालों ने देखकर स्वाभाविक रूप से पहचान लिया था।

20. बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से भी सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमे साक्षी ने बताया है कि वह पोखरी जिससे खोपड़ी बरामद हुई थी, मौजा जलालाबाद में पड़ता है। पोखरी पुरानी है लेकिन बहुत गहरी नहीं है। करीब 10 फिट गहरी होगी। अप्रैल मई में सूख जाती है बाकी दिन उसमें पानी रहता है। शाम को खोपड़ी देखने को मिली थी। मेरे भतीजे ने खोपड़ी के बारे में मुझे सूचना दिया था। पुलिस आयी थी। मैं पुलिस के साथ पोखरी पर आया था। गांव के 20-25 आदमी आये थे......... आदि-आदि।

21. साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने झूठा बयान दिया

हो और न ही साक्षी के द्वारा झूठा बयान देने का कोई हेतुक है। अतएव साक्षी के बयान से पी0डब्लू 1 एवं 2 के बयानों को समर्थन मिलता है क्योंकि साक्षी ने उस नरमुण्ड को पोखरी से भैंस की खुर में प्लास्टिक फंस जाने के कारण बाहर आ जाना बताया है जो निश्चय ही दुबरी पाण्डेय के सिर कटे शव की थी जिसकी पुष्टि आगे वर्णित साक्ष्यों से होती है।

22. अभियोजन द्वारा उपरोक्त खोपड़ी की शिनाख्त वादी मुकदमा अखिलेश कुमार पाण्डेय की पत्नी कुसुम पाण्डेय द्वारा भी कराया जाना बताया गया है तथा कुसुम पाण्डेय को बतौर पी0डब्लू 4 परीक्षित किया गया है। कुसुम पाण्डेय, पी0डब्लू 4 ने अपने बयान में बताया है कि मेरे चचेरे अजिया ससुर दुबरी पाण्डेय का कत्ल हुये आज से आठ साल से अधिक हुआ। मैं दिनांक 14.03.96 को विपिन दूबे, सीताराम सिंह, चन्द्रदेव राम और दरोगा जी के साथ ग्राम सुल्तानपुर अपने अजिया ससुर दुबरी पाण्डेय के कटे हुये सिर का पता चलने पर पहचान करने के लिये गयी थी। वहां पहुंचने पर जहां सिर मिला था, पोखरी के पास दरोगा जी व गांव के लोग थे तथा कुछ सिपाही भी पहले से वहां मौजूद थे। **हम लोग पहुंचे तो दरोगा जी पालीथीन में रखा हुआ सिर निकालकर हम लोगों को दिखाये। कटे हुये सिर को देखते ही मैं पहचान गयी कि वह सिर मेरे चचेरे अजिया ससुर दुबरी पाण्डेय का ही था। सिर को पहचानने के बाद दरोगा जी सिर को हम लोगों के सामने ही सील मुहर किये तथा सर्व मुहर करने के बाद हमारे साथ गये हुये दरोगा जी अपने कब्जे में ले लिये।** वहां से मैं अपने घर चली आयी।

23. इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमे साक्षी ने बताया है कि दिनांक 14.03.96 को दरोगा जी मेरे घर लगभग 5 बजे गये थे तथा बताया था कि सिर मिल गया है चलकर पहचान कर लो तो मैं तुरंत चल दी थी.........पहुंचने पर लगभग 6-7 बज रहा था। मैं अपने घर से अकेली थी। गांव के सीताराम, विपिन दूबे तथा एक दो अन्य लोग भी थे। जब वहां पहुंची तो पुलिस के लोग एवं जनता के दो चार लोग थे........पालीथीन में रखा हुआ सिर रस्सी से बंधा हुआ नहीं था पालीथीन खुला था। वही सिर निकालकर मुझे दिखाये थे........उनका सिर निकाला गया तो उनका चेहरा खून से लथपथ नहीं था। चेहरा विकृत हुआ था। पहचान

में आ रहा था। चेहरे पर भी चोटें थी। चेहरे पर कटे का घाव था सूजन नहीं था। जबड़ा कटा हुआ था गाल एवं माथे पर चोट नहीं थी। दाहिनी आंख के ऊपर चोट थी। दरोगा जी ने मुझसे पूछा था कि सिर को पहचानती हो तो मैनें कहा था जी हां। फिर वहां से पुलिस वाली जीप से ही घर आयी थी।

24. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि यह वादी मुकदमा की पत्नी है। दुबरी पाण्डेय उसके अजिया ससुर थे। अतः निश्चय ही वह दुबरी पाण्डेय को भली भांति जानती थी तथा दुबरी पाण्डेय का कटा हुआ सिर देखकर पहचानने में सक्षम थी तथा उनके कटे हुये सिर को देखकर पहचान लिया था। अतएव इस साक्षी के बयान से भी पी0डब्लू 1 एवं पी0डब्लू 2 तथा 3 के साक्ष्यों को भी समर्थन मिलता है।

25. अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया है कि इस मामले में दुबरी पाण्डेय के सिर कटे शव का तथा सिर का पृथक-पृथक पोस्टमार्टम किया गया है तथा पोस्टमार्टम करने वाले दोनो ही डाक्टरों को बतौर पी0डब्लू 6 एवं पी0डब्लू 7 परीक्षित किया गया है। सिर कटे शव का परीक्षण करने वाले डा0 अनिल कुमार आर्या, पी0डब्लू 6 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 13.03.96 को समय 02.15 बजे अपरान्ह में उन्होनें मृतक दुबरी पाण्डेय के शव का शव विच्छेदन किया था। मृतक की उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उसकी मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व की थी, शव सिर विहीन था, नीचे के हिस्से में मौत की अकड़न मौजूद थी, पेट फूला हुआ था, गुदाद्वार से मल बाहर की तरफ निकला हुआ था, दायें एवं बायें हांथ के अंगूठे का हिस्सा कटकर गायब था, गर्दन पर जमे हुये खून का थक्का मौजूद था तथा सीने एवं गर्दन के पिछले हिस्से पर भी खून का थक्का जमा हुआ था।

Anti Mortem Injury:-

1. कटा हुआ घाव 14X13 सेमी. हड्डी तक गहरा आर-पार कटा हुआ था जो सुप्रा इन्टर्नल नाच 3 सेमी. ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रा से 1 सेमी. ऊपर घाव के अंदर की हड्डी, मांसपेशी, खून की नलियां व साफ्ट टीशूज व सर्वाइकल वर्टिब्रा आर-पार कटा हुआ था। इसी का एक टुकड़ा धड़ से जुड़ा हुआ था। मार्जिन क्लीन कट।

2. कटा हुआ घाव 7X3 सेमी. मांस तक गहरा, दाहिने कंधे के जोड़ से पीछे।

3. कटा हुआ घाव 3X2 सेमी. मांस तक गहरा, दाहिने कंधे के जोड़ के ऊपरी

सतह पर।

4. कटा हुआ घाव 4X2 सेमी. चमड़ी तक गहरा, दाहिने कंधे के जोड़ पर बाहर की तरफ।

<u>**पोस्टमार्टम इंजरीः–**</u>

1. कटा हुआ घाव 2X1.50 सेमी. आर–पार दाहिने अंगूठे के प्राक्सीमल फालिग के आर–पार, जिसकी आगे की हड्डी व भाग गायब थे।

2. कटा हुआ घाव 4X3 सेमी. हड्डी तक गहरा तिरछा दाहिने इंडेक्स फिंगर के बीच वाले पोर पर।

3. कटा हुआ घाव 2X1.50 सेमी. हड्डी तक गहरा, बायें अंगूठे के बीच के हिस्से के आर–पार था।

लैरिक्स व ट्रैकिया अबसेंट था। हृदय खाली था जिसका भार 180 ग्राम था। मुख गुहा, दांत, जिह्वा एवं ग्रसनी नहीं था क्योंकि शव का सिर नहीं था। आमाशय खाली था। इन्टेस्टाईन छोटी व बड़ी में गैस व मल पदार्थ भरा हुआ था। रेक्टम भरा हुआ था। पित्ताशय भरा हुआ था। मूत्राशय खाली था। मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी हुई चोटों के कारण अत्यधिक खून बह जाने व शाक के कारण हुई थी। मृतक के शरीर पर एक अदद धोती, एक बंडी, एक गमछा, एक जनेऊ पायी गयी थी। सभी चीजें सील करके संबंधित कांस्टेबल को सुपुर्द किया गया। आठ संलग्नक जो पोस्टमार्टम हेतु शव के साथ प्राप्त हुये थे उन पर अपना हस्ताक्षर करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ एस.पी. मऊ को सील मुहर दुरूस्त हालत में संबंधित कांस्टेबल को सुपुर्द किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क13 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मृतक की मृत्यु दिनांक 12.03.96 की 12 बजे दिन की हो सकती है तथा मृतक के शरीर पर आयी चोटें दाब जैसे धारदार अस्त्र से पहुंचायी गयी हो सकती है।

26. बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से भी सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमे साक्षी ने बताया है कि मृतक की उम्र पुलिस प्रपत्र के आधार पर लिखी गयी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्नों के अनुसार शव पर उपलब्ध चोटों के आने की विभिन्न परिस्थितियां बताया है। मृत्यु पूर्व एवं मृत्यु पश्चात शरीर

पर पहुंचायी गयी चोटों का अंतर बताया है परन्तु जैसा कि साक्षी द्वारा सिर विहीन शव का पोस्टमार्टम किया गया है इसमे संदेह नहीं है कि मृतक दुबरी पाण्डेय के सिर को उनके धड़ से काटकर अलग न किया गया हो तथा इसी कारण से उनकी मृत्यु न हुई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क13 पत्रावली पर उपलब्ध है जो इसी साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमे वे सभी चोटें वर्णित हैं जो साक्षी ने अपने बयान में बताया है। अतएव पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है और यह सिद्ध होता है कि दिनांक 13.03.96 को दुबरी पाण्डेय के सिर कटे शव के पोस्टमार्टम करने पर कम से कम चार मृत्यु पूर्व चोटें तथा तीन मृत्यु पश्चात चोटें मौजूद थी। शव के दाहिने अंगूठे के आगे की हड्डी व भाग गायब थे तथा दाहिनी इंडेक्स फिंगर एवं बायें अंगूठे के बीच में भी हड्डी तक का कटा हुआ घाव मौजूद था। मृत्यु मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण अत्यधिक रक्तश्राव एवं सदमे के कारण हुई थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि पी0डब्लू 6 का साक्ष्य महत्वपूर्ण चिकित्सीय साक्ष्य है जिससे पूर्व वर्णित प्रत्यक्ष साक्ष्यों को पूरा-पूरा समर्थन मिलता है।

27. अभियोजन द्वारा मृतक दुबरी पाण्डेय के सिर का पोस्टमार्टम डा0 भूपेन्द्र नाथ श्रीवास्तव द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हे बतौर पी0डब्लू 7 परीक्षित किया गया है, जिन्होनें यह बताया है कि दिनांक 14.03.96 को समय 04.00 बजे शाम में उन्होनें मृतक दुबरी पाण्डेय के सिर का विच्छेदन किया था। मृतक की आयु लगभग 60 वर्ष थी। मृतक के सिर के बालों की लम्बाई लगभग 2 सेमी. थी एवं रंग सफेद था। मृतक के नाक, मुंह एवं ऊपरी जबड़ा तथा दोनों आंखों के नीचे का भाग सड़ा हुआ था।

<u>Anti Mortem Injury:-</u>

1. एक कटा हुआ घाव 10X10 सेमी. दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर था एवं किनारे साफ कटे हुये थे।

2. एक कटा हुआ घाव 4X1 सेमी. हड्डी तक गहरा सिर के दाहिने तरफ दाहिनी भौंह से 1.5 सेमी. ऊपर था। दाहिनी फ्रन्टल बोन शार्पली कट था।

<u>आंतरिक परीक्षणः-</u>

1. करोटि का आधार शार्पली सी2 के लेवल पर कटा हुआ था।

2. रीड़ का ऊपरी दो छल्ला ही मौजूद था शेष मेरूरज्जा अनुपस्थित थी। धड़ तथा उदर अनुपस्थित था।

मृतक के मुख गुहा में केवल 6 दांत थे। मेरी राय में मृतक की मृत्यु शाक व हैमरेज के कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों की वजह से हुई थी। मृतक की मृत्यु का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि मृतक का केवल सिर ही मौजूद था। मृतक का गला धारदार एवं भारी अस्त्र जैसे दाब से मारने से कट सकता है। यह चोटें दाब जैसे हथियार की हो सकती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क14 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ 13 संलग्नक भी मैनें एस.पी. गाजीपुर को संबंधित पुलिस कर्मियों के साथ भेज दिया। साथ ही पालीथीन का पैकेट जिसमें मृतक का सिर सील्ड मोहर करके भेजा गया था उसको भी मैनें थानाध्यक्ष दुल्हपुर जनपद गाजीपुर को संबंधित सिपाहियों द्वारा भेज दिया था।

28. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि पोस्टमार्टम के साथ भेजे गये पुलिस प्रपत्रों में मृतक का नाम अज्ञात लिखा है..........मृतक का नाम मैनें दुबरी पाण्डेय किस कागज के आधार पर लिखा है निश्चित तौर पर मैं नहीं बता सकता। मृतक की आयु दांत और बाल के आधार पर लगभग 60 वर्ष मैनें लिखा है।

29. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क14 पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे साक्षी के साक्ष्य को समर्थन मिलता है तथा यह सिद्ध होता है कि साक्षी द्वारा एक कटे हुये सिर का दिनांक 14.03.96 को पोस्टमार्टम किया गया। साक्षी के पास निश्चित रूप से वही कटा हुआ सिर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था जो तलाब के पास से बरामद हुआ था तथा जिसकी शिनाख्त पी0डब्लू 4 द्वारा की गयी थी। अतः इसमे कोई संदेह नहीं है कि साक्षी द्वारा दुबरी पाण्डेय के कटे हुये सिर का ही पोस्टमार्टम किया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस साक्षी के बयान एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क14 से पी0डब्लू 6 एवं शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क13 को समर्थन मिलता है तथा इस साक्षी के बयान से भी पी0डब्लू 1, 2, 3 एवं 4 के बयानों को भी समर्थन मिलता है अर्थात चक्षुदर्शी साक्षियों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है।

30. अभियोजन द्वारा मृतक दुबरी पाण्डेय के कटे हुये सिर का पंचायतनामा भी कराया जाना बताया गया है तथा पंचायतनामा के साक्षी पुलिसकर्मी कां0 राजेन्द्र प्रसाद

सिंह को बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया गया है जिन्होनें बताया है कि दिनांक 13.03.96 को थाने पर धनपरा यादव द्वारा ग्राम सुल्तानपुर में एक कटा हुआ सिर पोखरे में मिलने की सूचना थाने पर दी गयी जिसका इन्द्राज जी0डी0 में किया गया। पंचनामा हेतु हम लोग मौके पर पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण पंचायतनामा नहीं हुआ। दिनांक 14.03.96 को सुबह एस.आई. उमानाथ शुक्ला ने हम लोगों के सामने सिर का पंचायतनामा तैयार किये तथा कटे हुये सिर को सील मुहर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा। उमानाथ शुक्ला की मृत्यु हो चुकी है। उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। पंचायतनामा प्रदर्श क15 उक्त उपनिरीक्षक उमानाथ शुक्ला के लेख व हस्ताक्षर में है। पत्र सी.एम.ओ. गाजीपुर, नमूना सील, पत्र आर.आई. गाजीपुर, पत्र सी.एम.ओ. बावत करने पोस्टमार्टम, चालाननाश व पत्र थानाध्यक्ष सरायलखंसी उक्त एस.आई. उमानाथ शुक्ला के लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं जिस पर क्रमशः प्रदर्श क16 ता प्रदर्श क21 डाला गया है।

31. साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि सिर का पंचायतनामा स्व0 उमानाथ शुक्ला तत्कालीन उपनिरीक्षक के द्वारा विधिवत कराया गया था तथा पंचायतनामा का पी0डब्लू 8 साक्षी है। पंचायतनामा प्रदर्श क15 पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर उमानाथ शुक्ला तथा इस साक्षी एवं अन्य साक्षीगण का हस्ताक्षर उपलब्ध है जिससे यह भली भांति सिद्ध होता है कि दिनांक 14.03.96 को प्रातःकाल दुबरी पाण्डेय के सिर का पंचायतनामा भी कराया गया था। यद्यपि साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण से यह कदापि प्रतीत नहीं होता कि साक्षी झूठ बोल रहा हो तथा यह कि दुबरी पाण्डेय के सिर का पंचायतनामा न किया गया हो। अतएव इस साक्षी एवं प्रदर्श क15 पंचायतनामा से भी पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6 एवं 7 के साक्ष्यों का संतोषजनक समर्थन होता है।

32. जैसा कि प्रारंभ में ही उल्लेख किया गया है कि वादी मुकदमा अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा घटना वाले दिन ही सायं 15.10 पर थाने पर उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर इस प्रकरण का आपराधिक वाद पंजीकृत किया गया। अभियोजन द्वारा वादी की तहरीर प्रदर्श क1 पूर्व में ही सिद्ध की जा चुकी है जिस पर चर्चा की

जा चुकी है। चिक एफ.आई.आर. एवं जी0डी0 को साक्षी उपनिरीक्षक जामवन्त जायसवाल, पी0डब्लू 9 द्वारा सिद्ध कराया गया है जिन्होनें बताया है कि दिनांक 12.03.96 को मैं बतौर हेड मोहर्रिर थाना सरायलखंसी में तैनात था। उस दिन समय 15.10 बजे वादी अखिलेश कुमार पाण्डेय की लिखित तहरीर के आधार पर चिक सं0 21/96, मुकदमा अपराध सं0 83/96, अंतर्गत धारा 147,148,149,302,201 भा0दं0वि0 विरूद्ध अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय, घनश्याम पाण्डेय व यशवन्त चौबे की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क22 अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था। उसी दिन मुकदमें की कायमी का तस्कीरा थाने की जी0डी0 में कार्बन प्रति के साथ अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो प्रदर्श क23 है।

33. इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण से यह कदापि प्रतीत नहीं होता कि घटना वाले दिन ही वादी अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर समय 15.10 बजे नामित अभियुक्तण के विरूद्ध अपराध पंजीकृत न कर लिया गया हो। पत्रावली पर चिक एवं जी0डी0 प्रदर्श क22 एवं प्रदर्श क23 उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है।

34. कहने की आवश्यकता नहीं कि अविलम्ब एफ.आई.आर. सदैव अभियोजन कथानक में विश्वसनीयता उत्पन्न करती है क्योंकि अविलम्ब एफ.आई.आर. इस तथ्य का द्योतक होती है कि उसे सोच विचारकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर अथवा निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्ध किसी अन्यथा हेतुक से प्रेरित होकर नहीं दर्ज कराया गया है बल्कि वास्तव में जो घटना घटित हुई है उसी के आधार पर एफ.आई.आर. लिखायी गयी है। वास्तव में एफ.आई.आर. पीड़ित व्यक्ति के आचरण का स्वाभाविक एवं उत्तम साक्ष्य है अर्थात स्वाभाविक रूप से किसी अपराध का पीड़ित व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र वास्तविक तथ्यों के आधार पर स्थानीय एवं निकटतम पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर इस अपेक्षा के साथ पहुंचेगा कि दोषियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही किया जाये।

35. अभियोजन द्वारा प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक वंश बहादुर यादव द्वारा करना

बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 5 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 12.03.96 को मुकदमा अपराध सं0 83/96, धारा 147,148,149,302,201 भा0दं0वि0 बनाम इन्द्रासन पाण्डेय आदि की विवेचना उन्होनें ग्रहण किया था। दौरान विवेचना मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया था। तत्पश्चात हमराहियों संग घटनास्थल पर पहुंचा। मौके पर मृतक दुबरी पाण्डेय की सिरविहीन लाश पड़ी थी जिसका गर्दन व हाथ के दोनों अंगूठे गायब थे। शव के पास काफी खून गिरकर सूख गया था तथा शव के आस पास का गेहूं टूटकर जमीन पर गिरा था। मैनें हमराहियों एवं गांववालों की मदद से मृतक के सिर व दोनों अंगूठों का काफी तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद मृतक दुबरी पाण्डेय के सिरविहीन शव का पंचायतनामा प्रदर्श क2 मैनें अपने निर्देशन में उपनिरीक्षक बहादुर यादव द्वारा बोलकर तैयार करवाया तथा उस पर पंचो तथा अन्य संबंधित लोगों का हस्ताक्षर करवाया। उसके पश्चात शव को कपड़े में सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया तथा पंचायतनामे की नकल केस डायरी में किया। तत्पश्चात पोस्टमार्टम से संबंधित कागजात चालाननाश, फोटोनाश, पत्र आर.आई. /सी.एम.ओ. मेरे निर्देशन में एस.आई. बहादुर यादव ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जिस पर कमशः प्रदर्श क4 ता प्रदर्श क7 डाला गया है। उसके पश्चात पोस्टमार्टम के बाद मृतक के कपड़े वापस करने हेतु एक पत्र प्रदर्श क8 मैनें अपने निर्देशन में एस.आई. बहादुर यादव के लेख व हस्ताक्षर में तैयार करवाया। मौके से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी अलग-अलग डिब्बों में समक्ष गवाहान लेकर सर्व मुहर किया तथा उसकी फर्द अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो प्रदर्श क9 है। पंचायतनामे के गवाहों इस्लाम, लालजी पाण्डेय, विशुन राम, सीताराम, चन्द्रदेव राम का बयान अंकित किया। वादी अखिलेश कुमार पाण्डेय का बयान अंकित किया। वादी मुकदमा एवं गवाहान की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क10 तैयार किया। दिनांक 14.03.96 को ग्राम सुल्तानपुर में एक पोखरी से पालीथीन में एक कटा हुआ सिर बरामद होने की सूचना पर मय हमराहियान एवं वादी की पत्नी कुसुम, विपिन कुमार दूबे, चन्द्रदेव राम, सीताराम सिंह को लेकर ग्राम सुल्तानपुर में घटनास्थल पर पहुंचा। थाना दुल्लहपुर के उपनिरीक्षक

उमानाथ शुक्ला पंचायतनामा कर चुके थे। सिर पालीथीन के बैग में था सर्वमुहर होने ही वाला था कि हम लोग पहुंचे। मृतक दुबरी पाण्डेय के परिवार के लोग व उनके ग्रामवासी कटे सिर को देखकर पहचान गये और बताये कि यह सिर मृतक दुबरी पाण्डेय का है। सिर की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना दुल्लहपुर के उपनिरीक्षक उमानाथ ने सर्वमुहर किया। उक्त सिर के पोस्टमार्टम हेतु मेरे द्वारा सी.एम.ओ. को पत्र लिखा गया तथा बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क11 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। मृतक दुबरी पाण्डेय के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी नकल केस डायरी में किया। अभियुक्तगण की चल अचल सम्पत्ति कुर्क किया गया। मृतक दुबरी पाण्डेय के सिर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी नकल केस डायरी में किया। पंचायतनामे के गवाहान धनपति यादव, श्यामलाल, जीता यादव, जगरूप यादव व अम्बिका यादव तथा गवाह संजय यादव का बयान अंकित किया। साक्षी चन्द्रदेव का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण घनश्याम पाण्डेय व यशवंत चौबे के न्यायालय में आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त होने पर उसका अंकन केस डायरी में किया। माल परीक्षण हेतु डाकेट बनाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया जिन्होनें जुर्म से इंकार किया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, मिथिलेश पाण्डेय, यशवन्त चौबे के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क12 अपने लेख व हस्ताक्षर में न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मृतक दुबरी पाण्डेय के शरीर के कपड़े जो जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था साथ में खून आलूदा व सादी मिट्‌टी तथा पालीथीन का बैग जिसमें मृतक का सिर बरामद हुआ था जांच उपरांत वापस प्राप्त हुआ जिसकी जांच रिपोर्ट कागज सं0 125क है। अभियोजन द्वारा साक्षी के समक्ष ही न्यायालय में बतौर साक्ष्य सील मुहर दुरूस्त हालत में एक डिब्बा प्रस्तुत किया गया जिसकी सील न्यायालय के आदेश से खोली गयी तो डिब्बे के अंदर से एक अदद धोती रंग सफेद, एक अदद गमछा चेकदार, एक अदद बण्डी सफेद रंग की जिस पर खून लगा है, दो डिब्बे खून आलूदा मिट्‌टी व सादी मिट्‌टी, एक पालीथीन का बैग रंग सफेद जिसमें मृतक दुबरी पाण्डेय का सिर बरामद हुआ था जो क्रमशः वस्तु प्रदर्श 1 ता 7 हैं। निश्चय ही ये वस्तुयें मृतक दुबरी पाण्डेय से संबंधित हैं तथा विवेचना से पुष्ट होता

है कि दुबरी पाण्डेय की हत्या उपरांत दुबरी पाण्डेय की धोती, गमछा, बण्डी जिस पर खून लगा है विवेचक ने बरामद किया था तथा घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं उस पालीथीन बैग को भी अपने कब्जे में लिया था जिसमे दुबरी पाण्डेय का सिर था। अतएव विवेचना से अभियोजन कथानक पुष्ट होता है।

36. अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में बचाव साक्षीगण जयप्रकाश सिंह, सन्तोष कुमार सिंह, केदार, जगदीश पाण्डेय, प्रेमचन्द्र दूबे को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 5 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

37. डी0डब्लू 1 जयप्रकाश सिंह ने बयान दिया है कि मेरे गांव में दुबरी पाण्डेय के नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। दुबरी पाण्डेय के पास केवल एक लड़की थी जिसका नाम उर्मिला था। दुबरी पाण्डेय की औरत की मृत्यु दुबरी पाण्डेय के बहुत पहले हो चुकी है। उर्मिला की शादी वादी के पिता मध्य प्रदेश में कराये थे लेकिन शादी के बाद उर्मिला का पता सिंहासन पाण्डेय ही बता सकते हैं। दुबरी पाण्डेय की मृत्यु मार्च सन् 1995 में हुई थी। दाह संस्कार में मैं गाजीपुर गया था। फोटो कागज सं0 108क में दुबरी पाण्डेय को मुखाग्नि इन्द्रासन पाण्डेय देने जा रहे हैं। उन्होनें ने ही मुखाग्नि दिया। इनके पीछे ठीक बगल में अखिलेश पाण्डेय हैं बायें तरफ इन्द्रासन पाण्डेय के लड़के राकेश पाण्डेय उनके बगल में मेरे गांव का कोई आदमी नहीं है बल्कि कोई रिश्तेदार होगा। बायीं तरफ मेरे गांव के घनश्याम पाण्डेय हैं घ ानश्याम पाण्डेय के बगल मेरी फोटो है। वादी के पिता सिंहासन मध्य प्रदेश में नौकरी करते थे। आज से लगभग तीस वर्ष पहले वह मध्य प्रदेश से एक नौकर लाये थे। वह नौकर 11.03.96 की शाम के बाद गांव में नहीं दिखायी दिया और आज तक नहीं दिखायी दिया। मैं सीवान में 12.03.96 को गाय चराने सुबह 6-7 बजे गया था। जीउतबंधन सिंह के गेहूं के खेत के पास जब मैं पहुंचा तो वहां बड़ाई सिंह भी आ गये थे और वहां पर खेत में एक अधकटी लाश पड़ी थी। रामबड़ाई सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मैनें व रामबड़ाई सिंह ने लाश देखा तो रामबड़ाई ने कहा कि इस लाश के बारे में थाने पर सूचना देनी चाहिये। मैं व रामबड़ाई चट्टी पर गये। वहीं रैकवारडीह चट्टी पर पुलिस मिली। पुलिस को बताकर हम लोग घर चले गये। उसी दिन पुलिस 10-11 बजे मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने लाश देखकर कहा कि ध

ाट्नास्थल रानीपुर थाने में है फिर पुलिस लाश उठाकर ले गयी कहां ले गयी नहीं जानता। दुबरी पाण्डेय की जमीन को लेकर इन्द्रासन पाण्डेय व वादी अखिलेश पाण्डेय के बीच कोई विवाद नहीं था। चकबंदी में दुबरी पाण्डेय ने अपनी जमीन का आधा-आधा हिस्सा सिंहासन व इन्द्रासन को दे दिया था और ये दोनों आदमी आधे-आधे हिस्से को जोतते बोते थे। मैं अपने गांव के सीताराम को जानता हूं मेरे दामाद हैं। मैनें उनको पढ़ते लिखते व हस्ताक्षर बनाते देखा है तथा उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं। कागज सं0 46क पर सीताराम सिंह का हस्ताक्षर देखकर कहा कि यह उनका हस्ताक्षर नहीं है। मेरी नजर कमजोर है दुबारा देखने पर सीताराम सिंह का हस्ताक्षर लगता है। मैनें व जीउतबंधन सिंह ने जब लाश को देखा था तो लाश पूरब-पश्चिम थी। जीउतबंधन के घर से इस्लाम का घर दो किमी. दूरी पर है। उनके खेत से अखिलेश पाण्डेय, राकेश पाण्डेय व चन्द्रदेव राम का मकान 6-7 सौ मीटर दूरी पर है। अखिलेश पाण्डेय के घर से विरसू राम का घर करीब डेढ़ किमी. दूर पड़ेगा। दिनेश सिंह व राकेश पाण्डेय बी0डी0सी0 व प्रधानी का इलेक्शन लड़े हैं। जीउतबंधन के खेत से शंकर यादव के ट्यूबवेल की दूरी 9-10 खम्भा है। एक खम्भा की दूरी करीब 100 मीटर होती है। जीउतबंधन के खेत से सीताराम सिंह के मकान की दूरी करीब 2 किमी. है। अखिलेश पाण्डेय की आयी, दुबरी पाण्डेय के मरने के 6 माह बाद मरी थी। उनके दाह संस्कार में मैं नहीं गया था।

38. साक्षी के बयान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि यह साक्षी बता रहा है कि दुबरी पाण्डेय की मृत्यु मार्च सन् 1995 में ही हो गयी थी। वह स्वयं भी दाह संस्कार में गया था तथा उसने फोटो कागज सं0 108क देखकर सिद्ध किया है कि वह फोटो दुबरी पाण्डेय के अंतिम संस्कार के समय का है। अतः इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दुबरी पाण्डेय की अभियुक्तगण द्वारा हत्या की गयी। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में वादी पक्ष ने दुबरी पाण्डेय की मृत्यु के पश्चात उनकी ओर से अपने पक्ष में एक फर्जी वसीयतनामा एवं हिब्बानामा लिखा लिया था तथा वादी के पिता सिंहासन जो कि मध्य प्रदेश में नौकरी करते थे, अपने संग एक नौकर लेकर आये थे। घटना वाले दिन उसी नौकर की वादी ने स्वयं हत्या कर दिया और यह शोर किया कि दुबरी पाण्डेय

की अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दिया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि दुबरी पाण्डेय ने वादी के पक्ष में हिब्बानामा व वसीयतनामा अपने जीवनकाल में किया था एवं बाद में उनकी हत्या अभियुक्तों ने कर दी। यही कारण है कि यह साक्षी बता रहा है कि वादी के पिता सिंहासन जिस नौकर को मध्य प्रदेश से अपने संग लाये थे वह दिनांक 11.03.96 की शाम के बाद नहीं मिला क्योंकि वादी ने उसी की हत्या करके दुबरी पाण्डेय की हत्या का प्रोपेगण्डा किया था। परन्तु न केवल यह साक्षी झूठा साक्षी प्रतीत होता है बल्कि बचाव पक्ष का तर्क भी हास्यास्पद है क्योंकि इस साक्षी ने ही आगे अपने बयान में बताया है कि उसने स्वयं जीउतबंधन सिंह के गेहूं के खेत के पास एक अधकटी लाश देखी थी जिसके विषय में उसने पुलिस को सूचना भी दिया था परन्तु यह साक्षी यह नहीं बता रहा है कि वह अधकटी लाश उसी नौकर की थी जिसे सिंहासन मध्य प्रदेश से लाये थे। यदि इस साक्षी ने सिंहासन द्वारा मध्य प्रदेश से लाये नौकर को देखा था तो निश्चय ही उसकी अधकटी लाश को भी देखकर पहचान गया होता। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से कम से कम यह तो सिद्ध है कि घ टना वाले दिन पायी गयी लाश उक्त नौकर की नहीं थी। अतएव बचाव पक्ष का तर्क सारहीन है। यह साक्षी झूठा साक्षी इसलिये भी प्रतीत होता है क्योंकि साक्षी ने बयान दिया है कि दुबरी पाण्डेय की जमीन को लेकर इन्द्रासन पाण्डेय व अखिलेश पाण्डेय के बीच कोई विवाद नहीं था क्योंकि चकबंदी में दुबरी पाण्डेय ने अपनी जमीन का आधा-आधा हिस्सा इन्द्रासन व सिंहासन को दे दिया था जबकि जैसा कि ऊपर उल्लिखित है बचाव पक्ष ने स्वयं ही तर्क दिया है कि वादी पक्ष ने दुबरी की फर्जी वसीयत व हिब्बा अपने पक्ष में करा लिया था एवं इसी कारण नौकर की हत्या करके दुबरी की हत्या का प्रोपेगण्डा किया। अतः बचाव पक्ष का तर्क अंतर्विरोधी है। वास्तविकता यह है कि दुबरी पाण्डेय की सम्पत्ति को लेकर ही इन्द्रासन एवं सिंहासन के पुत्रों के मध्य रंजिश चली आ रही थी। इन्द्रासन के द्वारा ही दुबरी के जीवनकाल में ही दुबरी को परिवार रजिस्टर में मृतक अंकित करा दिया गया था तथा उनकी ओर से एक अपंजीकृत वसीयतनामा भी अपने परिवार के पक्ष में लिखा लिया गया जिसका ज्ञान होने पर स्वयं दुबरी पाण्डेय ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के माध्यम से अपराध पंजीकृत कराया (जिसके आदेश की प्रति

कागज सं0 181ख/10 है) तथा दुबरी पाण्डेय द्वारा जब अखिलेश एवं कमलेश के पक्ष में हिब्बानाम लिखा गया तो इन्द्रासन द्वारा दुबरी पाण्डेय के विरूद्ध दीवानी मुकदमा सं0 456/95 योजित किया गया जिसमे दुबरी पाण्डेय ने वाद का प्रतिवाद किया तथा अखिलेश एवं कमलेश के पक्ष में हिब्बानामा लिखना स्वीकार करके दीवानी न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया कि वह वृद्ध हैं। उनका बयान अंतर्गत आदेश 10 नियम 2 उनके जीवनकाल में ही अंकित कर लिया जाये। इन साक्ष्यों से यह भली भांति सिद्ध है कि दोनों पक्षों में दुबरी पाण्डेय की सम्पत्ति को लेकर घमासान चल रहा था जबकि यह साक्षी कहता है कि उनके मध्य कोई विवाद ही नहीं था। अतएव यह साक्षी झूठा साक्षी है जिसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसके साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि दुबरी पाण्डेय का देहान्त सन् 1995 में हुआ, परन्तु इसके साक्ष्य से इतना तो अवश्य सिद्ध हो गया कि घटना वाले दिन जीउतबंधन के खेत में सिरकटी लाश उपलब्ध थी तथा वह लाश तथाकथित नौकर की नहीं थी। जहां तक इस साक्षी का यह कथन है कि फोटो कागज सं0 108क दुबरी पाण्डेय के अंतिम संस्कार के समय का है तो यह साक्षी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि पी0डब्लू 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में उस फोटो को देखकर स्पष्ट बताया है कि वह उसकी आजी के अंतिम संस्कार के समय का है। उस फोटो में शव का चेहरा भी दिखायी नहीं दे रहा है। अतः यह प्रतीत होता है कि हताशा में अभियुक्तगण उस फोटो का प्रयोग कर रहे हैं।

39. डी0डब्लू 2, सन्तोष कुमार सिंह ने बयान दिया है कि मैं अपने गांव के दुबरी पाण्डेय को जानता हूं। उनका देहान्त वर्ष 1995 में होली के पहले हो गया था। दुबरी पाण्डेय की मात्र एक लड़की उर्मिला थी। उनके पास कोई लड़का नहीं था। उर्मिला की शादी दुबरी के भतीजे सिंहासन पाण्डेय जो मध्य प्रदेश में नौकरी करते थे, मध्य प्रदेश में ही कराये थे। मेरे गांव में नरेश का कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि विजयी, नरेश के पिता लगते थे। विजयी राम को मरे 30-40 साल से ज्यादा हुआ। सिंहासन पाण्डेय, इन्द्रासन पाण्डेय से अलग होने के बाद मध्य प्रदेश से एक नौकर लाये थे। यह सही है कि वह नौकर मार्च 1996 से गायब है। जीउतबंधन के खेत में जो लाश पायी गयी थी उसकी सूचना रैकवारडीह चट्टी पर पुलिस को जयप्रकाश सिंह व रामबड़ाई

सिंह ने दिया था। मैं दुबरी पाण्डेय की तेरही में गया था। इन्द्रासन व सिंहासन पाण्डेय की माता जी भी दुबरी पाण्डेय के मरने के 6 माह बाद मर गयी। मैं अपने गांव के सीताराम सिंह को जानता हूं। वह सहकारिता विभाग में सरपंच हैं। शपथ पत्र कागज सं0 46क पर सीताराम सिंह का हस्ताक्षर है। दुबरी पाण्डेय का दाह संस्कार इन्द्रासन पाण्डेय ने किया था। मेरे गांव के विशुन राम व मुल्जिम इन्द्रासन पाण्डेय के मध्य मेड़ डांड़ का झगड़ा था। जीउतबंधन के खेत के पास मेरे गांव के चन्द्रदेव का कोई खेत नहीं है। जीउतबंधन के खेत जहां अज्ञात लाश मिली थी, से अखिलेश पाण्डेय का घर 1 किमी. दूरी पर है। जीउतबंधन के खेत से शंकर का ट्यूबवेल लगभग 1 किमी. दूरी पर है। रैकवारडीह गांव जीउतबंधन के खेत से दो ढाई किमी. दूरी पर है। जीउतबंधन के खेत से विशुन राम का मकान करीब पौने दो किमी. पड़ेगा। जीउतबंधन के खेत से सीताराम सिंह का मकान ढाई तीन किमी. पड़ेगा। अखिलेश पाण्डेय के मकान से विशुन राम के मकान की दूरी 6-7 सौ मीटर होगी।

40. इस साक्षी के साक्ष्य की समीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि यह साक्षी भी झूठ बोल रहा है क्योंकि यह साक्षी भी यह कहने का प्रयास कर रहा है कि सिंहासन जिस नौकर को अपने साथ मध्य प्रदेश से लाये थे वह नौकर मार्च 1996 से गायब है तथा साक्षी यह भी बता रहा है कि घटना वाले दिन उसने जीउतबंधन के खेत में पड़ी लाश को देखा था परन्तु यह साक्षी यह साहस नहीं कर रहा है कि वह स्पष्ट बताये कि वह लाश उस नौकर की थी बल्कि प्रतिपरीक्षण में अंततः इस साक्षी ने स्वीकार किया कि मैं उस लाश को नहीं पहचाना की किसकी लाश थी। अतः निश्चय ही यह साक्षी अभियुक्तगण को बचाने के प्रयास में सिंहासन द्वारा नौकर लाने की बात तथा दुबरी पाण्डेय की 1995 में मृत्यु हो जाने की बात झूठी बता रहा है तथा इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह सिद्ध होता है कि घटना वाले दिन जीउतबंधन के खेत में जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी निश्चित रूप से वह सिंहासन के तथाकथित नौकर की नहीं थी।

41. बचाव पक्ष द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में कि दुबरी पाण्डेय का देहान्त दिनांक 11.03.95 को हो गया था, शमशान घाट की रसीद कागज सं0 386ख/11 प्रस्तुत किया गया है तथा उसे सिद्ध करने के लिये शमशान घाट के संचालक केदार

को बतौर डी0डब्लू 3 परीक्षित किया गया है। डी0डब्लू 3, केदार ने अपने बयान में बताया है कि मैं अति प्राचीन शमशान घाट मो0 रजागंज जिला गाजीपुर का मालिक हूं। वर्ष 1995 में दिनांक 11.03.95 को मेरे उक्त शमशान घाट की व्यवस्था मेरे मुनीम मुख्तार खां व मेरी मां स्व0 लक्षमीना देवी करती थी। उपरोक्त दोनों लोगों का स्वर्गवास हो चुका है। मैनें मुख्तार खां को लिखते पढ़ते देखा है। कागज सं0 386ख/11 रसीद पर मेरे मुनीम मुख्तार खां का हस्ताक्षर है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। कागज सं0 413ख रसीद पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है।

42. कागज सं0 386ख/11 पर विचार किया गया जो अति प्राचीन शमशान घाट के नाम से कटी रसीद की फोटो प्रति है जो यद्यपि दुबरी पाण्डेय से संबंधित है परन्तु शमशान घाट से इस प्रकार की रसीदें प्राप्त करना कठिन नहीं है। किसी भी शमशान घाट से इस प्रकार की फर्जी रसीदें बनवायी जा सकती हैं। अतएव न तो डी0डब्लू 3 का साक्ष्य विश्वसनीय है और न ही शमशान घाट की उक्त रसीद।

43. डी0डब्लू 4, जगदीश पाण्डेय ने बयान दिया है कि दुबरी पाण्डेय मेरे बहनोई थे। अमरदेव पाण्डेय, दुबरी पाण्डेय के सगे भाई थे। दुबरी पाण्डेय से मेरी सगी बहन शारदा देवी की शादी हुई थी। दुबरी पाण्डेय व मेरी बहन शारदा देवी के सहवास से एक लड़की भी पैदा हुई थी जिसका नाम उर्मिला है। अमरदेव पाण्डेय के दो लड़के सिंहासन पाण्डेय व इन्द्रासन पाण्डेय थे। सिंहासन पाण्डेय मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में अध्यापक थे। उन्होनें उर्मिला देवी की शादी मध्य प्रदेश में कहीं कराया था। दुबरी पाण्डेय वृद्धावस्था के कारण मरे थे। 11 मार्च 1995 को दुबरी पाण्डेय की मृत्यु हुई थी यह मुझे मालूम है। अमरदेव पाण्डेय से मेरी चचेरी बहन अजोरिया की शादी हुई थी। दुबरी पाण्डेय के दाह संस्कार व ब्रम्हभोज में मैं शामिल हुआ था। जब दुबरी पाण्डेय मरे उस समय मेरी उम्र 60 वर्ष थी। शारदा देवी को शादी के दो साल बाद बच्ची पैदा हुई उसके छः माह बाद शारदा देवी मर गयी। दुबरी पाण्डेय लगभग 90 वर्ष की उम्र में मरे थे। मेरी चचेरी बहन अजोरिया 25.09.95 में मरी थी। दुबरी पाण्डेय ने जब गांव में चकबंदी चल रही थी तभी पारिवारिक समझौते से आधी जमीन दुबरी पाण्डेय को व आधी जमीन सिंहासन पाण्डेय को दे दी थी। वादी अखिलेश पाण्डेय, रामसिंहासन पाण्डेय के लड़के हैं। दुबरी पाण्डेय से इन्द्रासन पाण्डेय की किसी

जमीन जायदाद को लेकर कोई रंजिश नहीं थी। रामसिंहासन पाण्डेय मध्य प्रदेश से एक नौकर लाये थे जो मार्च 1996 से गांव से गायब हो गया और अभी तक आया नहीं।

44. इस साक्षी का साक्ष्य भी अतिरोचक है क्योंकि यह साक्षी बताता है कि चकबंदी में पारिवारिक समझौते के अधीन दुबरी पाण्डेय ने आधी जमीन दुबरी पाण्डेय को व आधी जमीन सिंहासन पाण्डेय को दे दी थी अर्थात दुबरी पाण्डेय ने अपनी ही जमीन स्वयं को दे दी तथा आगे यह बताता है कि दुबरी पाण्डेय एवं इन्द्रासन पाण्डेय के बीच किसी जमीन जायदाद को लेकर कोई रंजिश नहीं थी परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है दोनों के बीच में सम्पत्ति को लेकर घमासान था। यह साक्षी भी यह बताने का प्रयास कर रहा है कि सिंहासन पाण्डेय अपने साथ मध्य प्रदेश से नौकर लाये थे जो मार्च 1996 से गायब है परन्तु यह साक्षी भी यह बताने का साहस नहीं कर सका कि घटना वाले दिन जिस व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी वह उक्त तथाकथित नौकर की थी। अतएव निश्चय ही यह साक्षी भी अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रहा है तथा झूठा साक्ष्य दे रहा है।

45. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 दुबरी पाण्डेय द्वारा दिया ही नहीं गया था बल्कि अखिलेश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दुबरी पाण्डेय प्रतिरोपित करके फर्जी तौर पर दिलवाया गया था जिससे यह सिद्ध हो सके कि दुबरी पाण्डेय उस समय जीवित थे परन्तु वास्तव में वह व्यक्ति दुबरी पाण्डेय नहीं था तथा इस तर्क को सिद्ध करने के लिये प्रेमचन्द्र दूबे, अधिवक्ता को बतौर डी0डब्लू 5 परीक्षित किया गया है। डी0डब्लू 5, प्रेमचन्द्र दूबे ने अपने बयान में यह बताया है कि कागज सं0 390ख/2 व 390ख/3 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 मैनें तैयार किया था। इस प्रार्थना पत्र के बाद मैं दुबरी पाण्डेय व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। यह व्यक्ति अखिलेश पाण्डेय के साथ आये थे। दुबरी पाण्डेय का नाम व पता अखिलेश पाण्डेय ने बताया था। मैनें धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 की दरखास्त मुंशी को लिखवाया, अखिलेश पाण्डेय ने टाईप करवाया व दस्तखत कराकर दाखिल किया और मैनें बहस किया। जो दुबरी पाण्डेय आये थे उनकी उम्र 60-65 साल रही होगी।

46. स्पष्ट है कि इस साक्षी के साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति दुबरी पाण्डेय थे अथवा नहीं। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से यह कदापि निष्कर्ष नहीं निकलता कि आवेदन पत्र धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 दुबरी पाण्डेय द्वारा नहीं दिया गया था।

47. न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों के विषय में दोनों ही अभियुक्तों का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया। अभियुक्तों ने अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्यों को गलत होना बताया है। दीवानी वाद सं0 456/95, इन्द्रासन बनाम दुबरी के विषय में अभियुक्त यशवन्त चौबे ने अनभिज्ञता व्यक्त किया है परन्तु अभियुक्त राकेश पाण्डेय ने यह कथन किया है कि वादी अर्थात अखिलेश पाण्डेय ने मेरे पिता के अंश व दुबरी पाण्डेय की सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपने तथा अपने भाई के नाम किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके उसे दुबरी पाण्डेय बताकर फर्जी बैनामा दिनांक 30.03.95 व 24.04.95 को करा लिया था जबकि वास्तव में दुबरी पाण्डेय का देहान्त उससे पूर्व ही दिनांक 11.03.95 को हो चुका था। दुबरी पाण्डेय द्वारा इन्द्रासन के विरूद्ध पंजीकृत कराये गये सी.जे.एम. न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक मुकदमे को फर्जी बताया है। इस मुकदमे की तहरीर प्रदर्श क1, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क22, जी0डी0 कायमी मुकदमा प्रदर्श क23 को भी फर्जी होना बताया है। दुबरी पाण्डेय के शव एवं कटे हुये सिर के पंचायतनामे को अज्ञात शव एवं सिर का पंचायतनामा होना बताया है अर्थात उसे दुबरी पाण्डेय का न होना बताया है। समस्त विवेचना फर्जी किया जाना बताया है तथा यह कथन किया गया है कि दीवानी वाद सं0 456/95 वादी मुकदमा ने इन्द्रासन पाण्डेय का फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर दाखिल किया था तथा दिनांक 07.03.96 को दुबरी पाण्डेय के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके प्रार्थना पत्र दिलवाया था जिससे यह प्रकट हो सके कि दुबरी पाण्डेय जीवित थे।

48. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के विषय में बचाव पक्ष का यह तर्क है कि दुबरी पाण्डेय वास्तव में दिनांक 11.03.95 को मर चुके थे जो शमशान घाट द्वारा निर्गत रसीद कागज सं0 386ख/11 से सिद्ध है। परिवार रजिस्टर कागज सं0 386ख/12 में उनकी मृत्यु की प्रविष्टि है अतः घटना वाले दिन अर्थात दिनांक

12.03.96 को दुबरी पाण्डेय की हत्या किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। घटना वाले दिन जीउतबंधन के खेत में उपलब्ध लाश तथा तालाब से निकली हुई खोपड़ी अज्ञात व्यक्ति का शव एवं खोपड़ी थी। वास्तव में अभियुक्तों से दुबरी पाण्डेय की कोई रंजिश ही नहीं थी क्योंकि उन्होनें अपने जीवनकाल में ही चकबंदी के दौरान अपनी समस्त सम्पत्ति की व्यवस्था कर दिया था जिससे सभी पक्ष संतुष्ट थे। अतएव अभियुक्तों को उनकी हत्या करने का कोई हेतुक प्राप्त नहीं था। अतः यदि अभियुक्तों को दुबरी पाण्डेय की हत्या करने का कोई कारण नहीं था तो वे अकारण अपने ही बाबा की हत्या क्यों करेंगे। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 के साक्ष्यों में गंभीर अंतर्विरोध है जिससे उनका साक्ष्य कदापि विश्वसनीय नहीं है। वे एक दूसरे को खण्डित कर देते हैं। इस प्रकरण में यद्यपि सीताराम तथा दुर्गेश को मौके पर पहुंच जाना बताया गया है परन्तु उनमे से किसी को परीक्षित नहीं किया गया है बल्कि उन दोनों साक्षियों ने न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र दिया है कि उन्होने गांव में ऐसी कोई घटना नहीं देखी। घटनास्थल पर अन्य व्यक्तियों को भी पहुंच जाना बताया गया है तथा यद्यपि अभियुक्तों को दुबरी पाण्डेय के कटे हुये सिर को लहराते हुये गांव में यह कहते हुये बताया गया है कि जो भी उनके विरूद्ध गवाही देगा उसका भी यही हश्र होगा परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने वह देखा हो अथवा सुना हो, अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया गया है। अतः अभियोजन कथानक झूठा है।

49. बचाव पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया।

50. बचाव पक्ष के किसी तर्क में बल नहीं पाया जाता क्योंकि जहां तक मृतक दुबरी पाण्डेय के दाह संस्कार के विषय में शमशान घाट से जारी रसीद कागज सं0 386ख/11 का प्रश्न है यह विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द साक्ष्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार की रसीद सुगमता से बनवायी तथा प्राप्त की जा सकती है। जहां तक दुबरी पाण्डेय के परिवार रजिस्टर में मृतक अंकित किये जाने के उल्लेख का प्रश्न है वास्तव में यहीं से उभय पक्षों के मध्य विवाद प्रारंभ हुआ तथा झगड़े की उत्पत्ति का केन्द्र बना। अभियुक्तगण द्वारा दुबरी पाण्डेय की खुश्की वसीयत तैयार की गयी तथा परिवार रजिस्टर में उन्हें मृतक अंकित दिखा दिया गया जबकि दुबरी पाण्डेय उस समय जीवित

थे। जैसे ही दुबरी पाण्डेय को इस फर्जीवाड़े का ज्ञान हुआ उन्होनें धारा 153(3) सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने के लिये आवेदन पत्र भी दिया जिस पर अपराध पंजीकृत हुआ। अतः इससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा दुबरी पाण्डेय के जीवनकाल में ही दुबरी पाण्डेय को परिवार रजिस्टर में कूटरचित तौर पर मृतक अंकित करा दिया था। ध्यान देने योग्य यह है कि परिवार रजिस्टर में उनकी मृत्यु की कोई तिथि भी अंकित नहीं की गयी है।यद्यपि अभियुक्तों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि दुबरी पाण्डेय ने अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था कर दिया था अतः अभियुक्तगण को उनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी तथा उन्हे उनकी हत्या करने का कोई हेतुक प्राप्त नहीं था परन्तु उनका यह कथन निराधार है क्योंकि ऊपर वर्णित विभिन्न दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे ही सिद्ध करते हैं कि पक्षकारों के मध्य सम्पत्ति को लेकर गंभीर रंजिश थी। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि यदि हत्या का प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान हो तो हत्या के हेतुक को सिद्ध करने की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकरण में हत्या का प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान है। **यदि क्षड़भर के लिये यह मान भी लिया जाये कि दुबरी पाण्डेय ने अपनी सम्पत्ति की ऐसी व्यवस्था कर दिया था जिससे अभियुक्तगण असंतुष्ट नहीं थे तथा उन्हें उनकी हत्या करने का हेतुक नहीं था तो भी चूंकि इस प्रकरण में हत्या का प्रत्य क्ष साक्ष्य विद्यमान है अतः न्यायालय को हत्या के उन्हीं साक्ष्यों पर विचार कर यह निष्कर्ष निकालना है कि वे विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द हैं अथवा नहीं। यदि वे साक्ष्य भरोसेमन्द नहीं हैं तो भी मात्र हत्या के हेतुक होने के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होगा और यदि वे साक्ष्य विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द हैं तो हत्या का हेतुक विद्यमान न होने पर भी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध हो सकेगा।**

51. जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि साक्षियों के साक्ष्यों में अंतर्विरोध है अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं तो इस तर्क में भी बल नहीं है क्योंकि यदि साक्ष्यों पर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा लगभग दो वर्ष की लंबी अवधि में एक साक्षी से प्रतिपरीक्षण पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार अन्य साक्षियों से भी प्रतिपरीक्षण एक लंबी अवधि में पूर्ण किया गया है जिससे उनके बयानों में कुछ न कुछ विविधता आना स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक

लंबी अवधि तक जिरह करने का अभियुक्तगण का उद्देश्य भी यही था कि इस अवधि में साक्षियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जाये अथवा उनकी क्षींण स्मरण की शक्ति का लाभ लेकर उनके साक्ष्यों में विविधता उत्पन्न की जाये जिससे अभियुक्तगण को लाभ हो सके, परन्तु जब साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा की जाती है तो तात्विक रूप से वे घटना का सटीक वर्णन करते हैं जिससे घटनाक्रम का एक ही स्पष्ट चित्र प्रकट होता है तथा विविधता स्वाभाविक होने से सारहीन सिद्ध होती है।

52. जहां तक सीताराम एवं दुर्गेश तथा गांव के अन्य व्यक्तियों को न परीक्षित किये जाने का प्रश्न है तो सीताराम ने विचारण प्रारंभ होने से पूर्व ही इस आशय का शपथ पत्र दे दिया था कि उसने घटना नहीं देखी है। अतः निश्चय ही सीताराम अभियोजन का समर्थन नहीं करते। दौरान तर्क यह तथ्य प्रकाश में आया कि सीताराम एवं दुर्गेश दोनों की ही मृत्यु साक्ष्य प्रारंभ होने से पूर्व ही हो गयी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में जिस प्रकार दुस्साहसिक रूप से दुबरी पाण्डेय की हत्या किया गया है कोई भी व्यक्ति यह साहस नहीं कर सकेगा कि वह अभियुक्तों के विरूद्ध गवाही दे। निश्चय ही वादी तथा अन्य साक्षी साहसी व्यक्ति रहे हैं जिन्होने ऐसे दुस्साहसी अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस किया। यदि वास्तव में अभियुक्तों द्वारा दुबरी पाण्डेय की हत्या नहीं किया गया तथा उनके मध्य सम्पत्ति को लेकर घमासान नहीं था तो वादी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा मुकदमा क्यों लिखाते।

53. बचाव पक्ष द्वारा माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होता– *Mohd. Akhtar@Kari & Ors. Vs State of Bihar & Anr. [2019(1)JIC 644 (SC)] Supreme Court, Amrika Bai Vs State of Chhattisgarh [2019(2)JIC 432 (SC)] Supreme Court, Radha Krishna Nair and others Vs State of Kerala [1995 JIC 359 (SC)] Supreme Court, Shahid Khan Vs State of Rajasthan [2016(2)JIC 1 (SC)] Supreme Court, Harbeer Singh Vs Sheeshpal & Ors. And State of Rajasthan Vs Sheeshpal & Ors*

[2016(3) JIC 847 (SC)] Supreme Court, Pankaj Vs State of Rajasthan [2016(3) JIC 287 (SC)] Supreme Court, Bandhu@Bandhu Harijan Vs The State [1997 JIC 206 (All)(LB)] Allahabad High Court (Lucknow Bench), महाराष्ट्र राज्य बनाम दिनेश [2018(9) ACC (SH) 699] उच्चतम न्यायालय, बुध सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य [2006(2) CCSC 740 (SC)] उच्चतम न्यायालय, सुदर्शन एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2014(3) CCSC 1168 (SC)] उच्चतम न्यायालय, Joginder Singh Vs State of Haryana [2014(4) CCSC 2080 (SC)] Supreme Court, State of U.P. Vs Ram Veer Singh and others [2007(3) CCSC 1519 (SC)] Supreme Court, Krishnegowda and others Vs State of Karnataka by Arkalgud Police [2017(2) CCSC 882 (SC)] Supreme Court, धारीवाल इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम किशोर वाधवानी एवं राज्य [2016(3) CCSC 1671 (SC)] उच्चतम न्यायालय, के0ए0 कोटरप्पा रेड्डी एवं एक अन्य बनाम रायरा एम0 रेड्डी उर्फ एन0आर0 मन्जूनाथ एवं अन्य [2016(1) CCSC 182 (SC)] उच्चतम न्यायालय, Podyami Sukada Vs State of M.P. (Now Chhattisgarh) [2010(70) ACC 910] Supreme Court ।

54. संदर्भित विधि व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया तथा उन पर विचार किया गया। वास्तव में संदर्भित सभी विधि व्यवस्थाओं के तथ्य एवं परिस्थितियां विभिन्न स्तरों पर इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक आपराधिक मामला स्वयं में समाहित एक स्वतंत्र वृत्तान्त होता है तथा जिनकी पृष्ठभूमि, साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों की वर्णनशैली, उनकी तथ्यों के स्मरण की क्षमता, विवेचक की दक्षता, तत्परता, सूझबूझ एवं दौरान विचारण स्वयं अभियुक्तगण के आचरण की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। अतः प्रायः विधि व्यवस्थायें सटीक रूप से प्रत्येक प्रकरण में लागू नहीं होती। प्रत्येक प्रकरण को परिस्थितियों के दृष्टिगत उसी प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा किया जाना तथा उनकी विश्वसनीयता को परखना अपेक्षित होता है। यदि साक्ष्य भरोसेमन्द प्रतीत होते हैं तो उनके आधार पर सुरक्षित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

55. इस प्रकरण में घटनास्थल पर अर्थात जब घटना घटित हुई तो एकमात्र व्यक्ति

अर्थात अखिलेश ही दुबरी पाण्डेय के साथ आ रहे थे अन्य व्यक्तियों का उस समय बतौर साक्षी उपस्थित रहने का कोई प्रश्न नहीं है। इस एकमात्र साक्षी ने जिस प्रकार घटना देखा उसका चलचित्र की भांति वर्णन किया है। उसके साक्ष्यों को विश्वसनीयता की सभी कसौटियों पर कसा गया तो उसका साक्ष्य खरा उतरता है तथा उसके साक्ष्य का भरपूर समर्थन अन्य समस्त साक्ष्यों से होता है। अभियोजन साक्ष्यों के विषय में अभियुक्तगण की व्याख्या अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 असंतोषजनक तथा निराधार है। बचाव पक्ष के साक्ष्यों से अभियोजन साक्ष्य न तो खण्डित होता है और न ही संदेहपूर्ण बल्कि वास्तव में बचाव साक्ष्यों से भी अभियोजन साक्ष्यों को ही समर्थन मिलता है तथा अभियोग पुष्ट होता है।

56. इस प्रकार अभियोजन ने अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि दिनांक 12.03.96 को अभियुक्तगण राकेश पाण्डेय तथा यशवन्त चौबे एवं अभियुक्तगण इन्द्रासन पाण्डेय, मिथिलेश उर्फ टीपू पाण्डेय व घनश्याम पाण्डेय, जीउतबंधन के गेहूं के खेत में घात लगाकर बैठे थे तथा जैसे ही दुबरी पाण्डेय एवं अखिलेश उधर से गुजरे उन सब ने दुबरी पाण्डेय को पकड़कर वहीं पटक दिया तथा अभियुक्त राकेश पाण्डेय ने ''दाब'' जैसे धारदार हथियार से रेतकर दुबरी पाण्डेय की गर्दन काटकर अलग कर दिया एवं दोनों अंगूठे काट दिये तथा उसके कटे हुये शरीर को घटनास्थल पर ही छोड़कर उसके कटे हुये सिर को अपने हाथों में लहराते हुये गांव में घूमते हुये चले गये कि अगर किसी ने उनके विरूद्ध गवाही दी तो उनका भी यही हश्र होगा तथा कटे हुये सिर को हत्या का साक्ष्य मिटाने के आशय से तालाब में फेक दिया जो बाद में बरामद कर लिया गया। अतएव अभियुक्तगण राकेश पाण्डेय व यशवन्त चौबे धारा 147,148,149,302/34,201 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने योग्य हैं। तदानुसार अभियुक्तगण राकेश पाण्डेय व यशवन्त चौबे को 147,148,149,302/34,201 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

57. दोषीगण न्यायालय में उपस्थित हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

58. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 10.02.2020

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।
ID No.- UP 5723

<u>दिनांक 11.02.2020</u>

<u>पुनश्च</u>

59. दोषीगण राकेश पाण्डेय व यशवन्त चौबे कारागार से प्रस्तुत होकर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

60. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

61. दोषीगण का कथन है कि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। दोषी राकेश पाण्डेय पेशे से एक अधिवक्ता हैं। उन पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। विगत दो दशक से भी अधिक समय से मामला विचाराधीन है जिसमे वे नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे विचारण की त्रासदी पर्याप्त मात्रा में पहले ही झेल चुके हैं जो किसी प्रकार के दण्ड से कम नहीं है। अतएव उन्हें किसी कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अजय कुमार सिंह द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। अतएव उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

62. दोषीगण को धारा 147,148,149,302/34,201 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 147 भा0द0वि0 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 148 भा0द0वि0 3 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 149 भा0द0वि0 प्रमुख अपराध के दण्डानुसार के दण्ड, धारा 302 भा0द0वि0 आजीवन कारावास के दण्ड अथवा मृत्युदण्ड तथा अर्थदण्ड एवं धारा 201 भा0द0वि0 7 वर्ष तक के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डनीय है।

63. इस प्रकरण में दण्ड के निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अनेक तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है।

64. सर्वप्रथम तो यह कि इस प्रकरण में मृतक, दोषीगण के बाबा के भाई थे। अतएव दोषीगण का यह धर्म था कि वे उनकी श्रद्धा करते, उनका सम्मान करते तथा वृद्धावस्था में उनकी सेवा करते परन्तु इसके प्रतिकूल सभी मर्यादाओं एवं नैतिक

अपेक्षाओं से परे जाकर उन्होनें उनकी हत्या कर दिया।

65. दूसरा यह कि दोषीगण में से दोषी राकेश पाण्डेय पेशे से अधिवक्ता है अर्थात न केवल वह पढ़ा लिखा परिपक्व व्यक्ति है बल्कि विधि विज्ञ भी है अर्थात वह भली भांति जानता है कि विधि की क्या अपेक्षा है। उससे यह कदापि अपेक्षा नहीं है कि वह अज्ञानता में, अनभिज्ञता में, आवेश में अथवा अन्य किसी भी प्रकार के औचित्य के वशीभूत होकर अपने ही बाबा की हत्या कर दे।

66. तीसरा यह कि इस प्रकरण के पीड़ित अर्थात मृतक दुबरी पाण्डेय 80 से 90 वर्ष के मध्य के एक वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति थे। ऐसे वृद्ध एवं नितान्त असहाय व्यक्ति को पांच दरिन्दों ने पकड़कर पटक दिया एवं उनकी नृशंस हत्या कर दिया।

67. चौथा यह कि दोषियों ने **"दाब"** जैसे धारदार हथियार से दुबरी पाण्डेय का **गला रेतकर काटकर धड़ से अलग कर दिया।** यही नहीं बल्कि तत्पश्चात उनकी अंगुलियों को भी काटकर अलग कर दिया एवं दरिन्दगी तथा नृशंसता का परिचय देते हुये उनके कटे हुये सिर को हांथ में उठाकर लहराते हुये गांव में यह कहते हुये घूमे कि यदि उनके विरूद्ध कोई गवाही देगा तो उसका भी यही हश्र होगा। उनकी दरिन्दगी से समाज स्तब्ध रह गया, मानवता भयभीत हो गयी, नैतिकता किंकर्त्तव्यविमूण तथा संबंधों की गरिमा छिन्न-भिन्न।

68. अपने ही वृद्ध बाबा के सिर को काटकर हाथ में लेकर गांव में घुमाना क्रूरता, धृष्टता, नृशंसता की पराकाष्ठा है। ऐसे व्यक्ति के समाज में जीवित रहने मात्र से समाज न केवल भयभीत एवं असुरक्षित महसूस करेगा बल्कि वास्तव में ठगा से महसूस करेगा।

69. क्या दोषीगण मानसिक रोगी थे? निश्चय ही नहीं। वे क्रूर थे। क्या वे किसी औचित्य के वशीभूत थे? निश्चय ही नहीं। वे तो सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये स्वार्थ की चरम सीमा पार कर चुके थे। उनके द्वारा मृतक दुबरी पाण्डेय का सिर एवं अंगूठा केवल इसलिये काटा गया कि दुबरी पाण्डेय को सदा-सदा के लिये समाप्त कर दिया जाये। उनके अंगुष्ठ चिन्हों के साक्ष्य को समाप्त करने के लिये उनके शव से उनकी अंगुलियों को भी काटकर उसका आस्तित्व भी समाप्त कर दिया जाये जिससे उनके द्वारा अपनी ही सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित दस्तावेज सिद्ध न हो सके।

70. यद्यपि "*आंख के बदले आंख एवं दांत के बदले दांत*" के दण्ड का सिद्धान्त प्रत्येक परिस्थिति में मान्य नहीं है परन्तु कतिपय परिस्थितियां ऐसी अवश्य उत्पन्न होती हैं जब दण्ड के इसी सिद्धान्त के आलिंगन से न्याय की मंशा पूर्ण होती है। यदि

एक पूर्णरूप से परिपक्व व्यक्ति केवल और केवल भौतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी वृद्ध एवं जर्जर व्यक्ति जो कि वास्तव में उसके लिये श्रद्धेय है, की हत्या कर देता है तो क्या ऐसे व्यक्ति का भी वही भाग्य नहीं होना चाहिये जो उसने स्वयं सोच समझकर अंजाम दिया है? आखिर किस आधार पर उसका भी वही परिणाम न हो जो उसने स्वयं अंजाम दिया है। आखिर ऐसे दोषी के जीवन का मूल्य क्यों उस असहाय एवं वृद्ध व्यक्ति के जीवन के मूल्य से अधिक आंका जाये।

71. यह सत्य है कि मृत्युदण्ड आज के सभ्य समाज की मांग नहीं है परन्तु यह भी सत्य है कि यदि समाज की सभ्यता सुरक्षित रखनी है तो मृत्युदण्ड का भय एवं समय–समय पर उचित परिस्थितियों में मृत्युदण्ड का प्रयोग भी जीवित रहना आवश्यक है। समाज में ऐसे तत्वों की कमी नहीं है जो केवल इस उदारवादी तथा मानवतावादी विचार से कि दण्ड में उनको मृत्यु नहीं मिलेगी बल्कि केवल और केवल तथा अधिक से अधिक कुछ निश्चित समय तक कारागार में (जो स्वयं दिन प्रतिदिन बंदियों के भी मानवाधिकार के दृष्टिगत रहने के लिये बेहतर से बेहतर स्थान होने की ओर अग्रसर है) व्यतीत करना होगा, नृःशंस हत्यायें करने से नहीं चूकेंगे। इस प्रकरण में दोषियों द्वारा धरती का जघन्यतम अपराध वर्ष 1996 में किया गया है तथा उसके पश्चात लगभग ढाई दशक की लंबी अवधि व्यतीत हो चुकी है परन्तु प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये उसका लाभ लेकर दोषीगण आज तक दण्डित होने से बचते चले आ रहे हैं तथा जमानत उपरांत वे स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि दण्ड में विलम्ब दण्ड के प्रभाव को न्यून करने का प्रभाव रखता है। उद्‌द्वलित समाज धैर्य की परीक्षा दे रहा है। न्याय की प्रतीक्षा करते करते कालांतर में वादी जिसके समक्ष दुस्साहसिक हत्या हुई है, बिना हत्यारों के भाग्य का परिणाम देखे हुये ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। इस मामले में हत्या सामान्य रूप में नहीं हुई है। असामान्य रूप में भी नहीं हुई है बल्कि असामान्य रूपों में से भी असामान्य रूप में हुई है। दोषियों की क्रूरता, नृशंसता तथा कटे हुये सिर को घुमाकर ले जाने के आचरण से प्रकट उनकी धृष्टता इस प्रकरण को विरलों में से विरलतम की कोटि में ही स्थापित करता है। ऐसे क्रूर दोषियों को केवल आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित करना उनको जीवनदान देना होगा और किसी भी परिस्थिति में इस मामले

में वे जीवनदान के पात्र नहीं हैं। हत्या के बदले में केवल मृत्युदण्ड? संभवतः यह भी कम है।

72. उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों में प्रत्येक दोषी धारा 147,148,201 भा0द0वि0 के अंतर्गत उपयुक्त अवधि के कारावास के दण्ड तथा अर्थदण्ड के साथ-साथ धारा 302 भा0द0वि0 के अंतर्गत अधिकतम दण्ड से तथा एक ऐसी उपयुक्त धनराशि के दण्ड से भी दण्डित किये जाने योग्य हैं जिसमे से एक समुचित धनराशि वादी/उसके वारिसों को बतौर क्षतिपूर्ति दिलायी जा सके।

<u>आदेश</u>

73. दोषीगण राकेश पाण्डेय व यशवन्त चौबे प्रत्येक को धारा 147 भा0द0वि0 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से, धारा 148 भा0द0वि0 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से, धारा 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 5 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से तथा धारा 302/34/149 भा0द0वि0 के अंतर्गत मृत्युदण्ड के दण्ड तथा 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने पर उक्त धनराशि दोषियों की सम्पत्ति से नियमानुसार वसूला जा सकेगा जो उनकी सम्पत्ति का प्रथम अधिभार (first charge) होगा।

74. प्रत्येक दोषी से प्रत्येक धारा के अंतर्गत वसूली गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा अखिलेश कुमार पाण्डेय के उत्तराधिकारियों को बराबर-बराबर अंश में बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा, जिसका भुगतान उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

75. प्रत्येक दोषी पर प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ–साथ चलेगा तथा दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

76. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक–पृथक दण्ड वारंट प्रारूप सं0 40 पर निर्मित किया जाकर दण्ड वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

77. समस्त कार्यवाही दण्डादेश को पुष्ट करने के उद्देश्य से मय निर्णय की एवं दण्डादेश की एक–एक अतिरिक्त प्रति माननीय उच्च न्यायालय को एतद्द्वारा सौंपी जाती है तथा कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि अभिलेख माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विशेष वाहक से माननीय उच्च न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाये तथा यथाउल्लेख वारंट जेल अधीक्षक, मऊ को आदेश दिया जाता है कि **दण्डादेश तब तक निष्पादित न किया जाये जब तक वह माननीय उच्च न्यायालय से पुष्ट न कर दिया जाये या अन्यथा आदेशित न कर दिया जाये जिसके संबंध में पृथक से वारंट प्रेषित किया जायेगा।**

78. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक–एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये तथा एक निःशुल्क प्रति दण्ड वारंट के साथ जेल अधीक्षक को भी प्रेषित किया जाये।

79. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 11.02.2020

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।
ID No.- UP 5723

80. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 11.02.2020

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।
ID No.- UP 5723

Chapter-II

Judgments of the offence of murder and culpable homicide resulting into imprisonment for life and fine.

Though the offence of murder is gravest of the offence in criminal law but it is not exclusively punishable by the severest of the punishment too. The law has made the offence of murder punishable with either imprisonment for life or with death. Though the discretion lies in the courts but the well established rule is that punishment for life is the rule and punishment of death is exception. As stated in the first chapter ordinarily the guilty of the offence of murder shall be awarded the sentence of imprisonment for life except when the offence false in the category of rarest of the rare cases. The trial courts have to exercise judicial mind in finding why the case does not belong to the category of rarest of the rare cases though the guilty has caused the death of one alike him. The trial judge, in these judgments, has practically applied the substantial law entirely on the basis of peculiar facts of different cases which may be of some help and interest to the students of law.

It is not necessary that all the trial of murder cases are any other case necessarily results into conviction and award of life imprisonment or death sentence. Instances of false accusation against persons to settle an old score is not uncommon. Therefore, a good number of trial of the offence of murder cases result into either acquittal of all the persons charged or anyone or more of them but the fact remains that it is for the judge of trial court to appreciate the evidences adduced by both the sides and reach a logical conclusion after weighing them on the touch stone of credibility. Here he makes use of various provisions of the Code of Criminal Procedure and those of Indian Evidence Act to base his conclusion so that his conclusion may appear legally sound as well as logical for he cannot afford to be whimsical. The judgments hereinafter may be found to be of those categories too where the accused persons have been acquitted.

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.

1.सत्र परीक्षण संख्या–50/2010

उत्तर प्रदेश राज्य ...अभियोजन पक्ष

बनाम

1. अमरेश कन्नौजिया पुत्र घूरा साकिन रणबीरपुर थाना सराय लखंसी जिला मऊ।
2. जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया पुत्र कैलाश साकिन पड़री थाना रानीपुर जिला मऊ।
3. पंकज सिंह उर्फ विनय पुत्र ओम प्रकाश सिंह साकिन जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा जिला गाजीपुर।
4. राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बालदत्त पाण्डेय साकिन लिलारी भरौली थाना कोपागंज जिला मऊ।
5. अनुज कन्नौजिया पुत्र हनुमान साकिन बहलोलपुर थाना चिरैयाकोट जिला मऊ।
6. उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू पुत्र सभाजीत सिंह साकिन दरदहाँ थाना कोतवाली जिला मऊ।
7. रजनीश सिंह पुत्र लल्लन सिंह साकिन परदहाँ थाना कोतवाली जिला मऊ।
8. उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह साकिन अहिलाद थाना सराय लखंसी जिला मऊ।

... अभियुक्तगण

2.सत्र परीक्षण संख्या–12/2011

उत्तर प्रदेश राज्य ...अभियेाजन पक्ष

बनाम

1. सन्तोष सिंह पुत्र लालचन्द सिंह साकिन बहरीपुर थाना सराय लखंसी जिला मऊ। ...अभियुक्त

3.सत्र परीक्षण 240/2012

उत्तर प्रदेश राज्य ...अभियेाजन पक्ष

बनाम

1.अरविन्द यादव पुत्र केदार साकिन तोड़रपुर थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर।
2.मुख्तार अंसांरी पुत्र सुभानउल्ला अंसारी साकिन युसूफपुर थाना मुहम्मदाबारद जनपद गाजीपुर। ...अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध सं.1866/2009
धारा–147,148,149,307,302,404,
325,120बी., 34 भा.दं.सं. व 7
क्रिमिनल ला अमेंडमेंड एक्ट,
थाना–कोतवाली, जिला– मऊ।

4.सत्र परीक्षण सं0 49/2010

उत्तर प्रदेश राज्य ...अभियोजन पक्ष

बनाम

अमरेश कन्नौजिया पुत्र घूरा राम साकिन रणबीरपुर थाना सराय लखंसी जिला मऊ।
...अभियुक्त ।

मुकदमा अ0सं0 1939/2009
अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
थाना–कोतवाली, जिला– मऊ।

<u>निर्णय</u>

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया, पंकज सिंह उर्फ विनय, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू, रजनीश सिंह, उमेश सिंह, संतोष सिंह, अरविन्द यादव एवं मुख्तार अंसारी का विचारण धारा 147,148,149,307,302,404,325,120बी.,34 भा.दं.सं. व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंड एक्ट के अंतर्गत एवं अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया का विचारण धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी दण्डित अपराध के आरोपों में किया गया।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया, पंकज सिंह उर्फ विनय, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू, रजनीश सिंह, उमेश सिंह, संतोष सिंह, अरविन्द यादव एवं मुख्तार अंसारी के विरूद्ध इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह एवं राजेश राय की हत्या करने का षडयंत्र रचा, जिसके क्रियान्वयन के लिए घातक आयुधों से सुसज्जित होकर मजमा नाजायज कायम किया, उन पर फायर किया जिसके फलस्वरूप अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह, राजेश राय एवं शब्बीर शाह ड्राईवर को गोलियां लगी जिसमें अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की तत्काल मृत्यु हो गयी एवं राजेश राय तथा शब्बीर शाह बच गये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 29.8.2009 को सांय 07.00 बजे सूचनाकर्ता हरेन्द्र सिंह ने थानाध्यक्ष कोतवाली मऊ के समक्ष **छः अज्ञात**

बदमाशों के विरूद्ध इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *आज दिनांक 29.8.2009 को शाम 6.00 बजे मेरे भाई श्री अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह अपनी सफारी गाडी यू0पी0 54एफ-4858 से थे, जिसे शब्बीर शाह पुत्र इशहाक शाह निवासी रसूलपुर (बहादुरगंज) थाना कासमाबाद जिला, गाजीपुर चला रहा था। उनके साथ गाडी में राजेश राय पुत्र स्व0 रामअधार राय निवासी बड़हल जिला, आजमगढ़ (थाना जहानागंज) के थे। जैसे ही गाडी अपने घर के बगल वाली मोड़ पर स्थित यूनियन बैंक आफ इण्डिया नरई बाँध के सामने खडी हुई। इतने में 3 मोटर साइकिल से 6 बदमाश पीछा करते हुए आकर रूके और रूकते ही अपने हाथ में लिये पिस्टल से जान मारने की नीयत से लक्ष्य करके गोली चलाने लगे। गोली की चोट से अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह, राजेश राय व चालक शब्बीर शाह उर्फ राजा बुरी तरफ से छटपटाने लगे। इस घटना को मेरे अलावा अमरजीत सिंह पुत्र राधाकिशुन सिंह निवासी परदहां ने भी देखा, जो बैंक के पास पहले से ही खडे थे। गोलियों की तड़तड़ाहट व फायर की आवाज एवं चीख पर आस पास से बहुत से लोग आ गये। बदमाशों ने लक्ष्य करके भीड़ पर गोली चलायी, जिससे अफरा-तफरी मच गयी। आने जाने वाले गिरते-पड़ते भागने लगे। पास के घर, दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द हो गये तथा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी। अजय प्रकाश सिंह, राजेश राय व शब्बीर शाह को अस्पताल लाते समय अजय प्रकाश सिंह की मृत्यु हो गयी। राजेश राय, शब्बीर शाह(राजा) को दवा इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना की हत्या ठेकेदारी की रंजिश में की गयी है तथा इनकी लाइसेंसी रिवाल्वर भी गायब हो गयी है।* अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरा मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मऊ में अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,302,404 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंड ऐक्ट पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने तहरीर वादी प्राप्त किया, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त किया, नकल जी0डी0 प्राप्त किया, नकल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं नकल जी0डी0 केस डायरी में किया, मृतक का पंचायतनामा भरवाया, मृतक का

पोस्टमार्टम कराया, घटना में घायल व्यक्तियों की चिकित्सीय आख्यायें प्राप्त किया, घ टनास्थल का नक्शा नजरी बनाया, घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया, घ टनास्थल से सादी व खून आलूदा मिट्टी एकत्र किया, मृतक के पहने हुए वस्त्रों तथा घटनास्थल से बरामद खोखा कारतूसों को एकत्र कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया, न्यायिक अभिरक्षा प्राप्त किया, अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया को गिरफ्तार करते समय उसके कब्जे से 9 एम.एम. की पिस्टल बरामद किया तथा 2 जिन्दा कारतूस भी बरामद किया, उसकी फर्द बनायी तथा फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध थाना कोतवाली मऊ में ही पृथक से अपराध सं0 1939/2009 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया जिसकी पृथक से विवेचना किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मृतक के वस्त्रों आदि की प्रेषित जांच रिपोर्ट प्राप्त किया तथा विवेचना पूर्ण हो जाने के पश्चात अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया, पंकज सिंह उर्फ विनय, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू, रजनीश सिंह, उमेश सिंह, संतोष सिंह, अरविन्द यादव एवं मुख्तार अंसारी के विरूद्ध धारा 147,148,149,307,302,404,325,120बी.,34 भा.दं.सं. व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंड एक्ट के अंतर्गत तीन अलग-अलग आरोप पत्र प्रेषित किया तथा अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध पृथक से आरोप पत्र अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम भी प्रेषित किया गया। सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा पृथक-पृथक प्रेषित आरोप पत्रों के आधार पर मामले का संज्ञान लिया गया एवं मामले को सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को भिन्न-भिन्न अंतराल पर सुपुर्द कर दिया जिसके कारण अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया, पंकज सिंह उर्फ विनय, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू, रजनीश सिंह, उमेश सिंह का मामला बतौर सत्र परीक्षण सं0 50/10, अभियुक्त संतोष सिंह का मामला बतौर सत्र परीक्षण सं0 12/11, अभियुक्तगण अरविन्द यादव एवं मुख्तार अंसारी का मामला बतौर सत्र परीक्षण सं0 240/12 तथा अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध पृथक से मामला बतौर सत्र परीक्षण सं0 49/10 भी पंजीकृत किया गया। सत्र न्यायालय के समक्ष सभी सत्र परीक्षणों में सभी

अभियुक्त उपस्थित हुये। चूंकि सभी सत्र परीक्षण एक ही घटना से संबंधित थे, अतः सभी सत्र परीक्षणों को संयुक्त करके अभियुक्तगण का संयुक्त विचारण किया गया। सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147,148,149,307,302,404,325,120बी.,34 भा.दं.सं. व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंड एक्ट विरचित किया गया तथा अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने सभी आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा हरेन्द्र सिंह, अमरजीत सिंह, शब्बीर शाह, पियूष सिंह, मंजू सिंह, हेड कां0 हीरामन, डा0 ए.पी. गुप्ता, डा0 गिरीश चन्द शर्मा, जगदीश सिंह, प्रभारी निरीक्षक जे.पी. तिवारी, निरीक्षक वाई.पी. सिंह, सेवानिवृत्त एच. सी.पी. गौरीशंकर सिंह, चन्द्रशेखर सिंह, डा0 एस. कुमार, प्रभारी निरीक्षक रामबाबू तिवारी तथा उपनिरीक्षक राम दुलारे को बतौर पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 16 परीक्षित किया। अभियोजन की ओर से दौरान परीक्षण विवेचक द्वारा घटनास्थल से एकत्रित किये गये सादी मिट्टी एवं खून आलूदा मिट्टी, खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श 1, 2 व 7 ता 13, 9 एम.एम. तमंचा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रेषित तहरीर, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं सुसंगत प्रपत्रों, चुटैलों की चिकित्सीय आख्यायें, फर्द बरामदगी नाजायज तमंचा व कारतूस, आरोप पत्रों को सुसंगत साक्षियों से बतौर प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क26 सिद्ध कराया गया। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रत्येक अभियोजन साक्ष्यों के संबंध में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी के रूप में मंगरू सिंह को डी0डब्लू 1 तथा गोरखपुर जेल के जेल सुपरीटेन्डेन्ट शिव कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी आनन्द कुशवाहा एवं डा0 सतीश कुमार को बतौर डी0डब्लू 2, 3 एवं 4 परीक्षित किया गया है, जिन्होनें गोरखपुर जेल की पंजिका के सुसंगत पृष्ठ एवं दण्ड रसीद को प्रदर्श ख1 एवं प्रदर्श ख2 के रूप में न्यायालय के

समक्ष सिद्ध किया है। न्यायालय द्वारा स्वयं साक्षी डिप्टी जेलर जिला कारागार मऊ विजय कुमार गुप्ता को बतौर कोर्ट विटनेस नं0 1 परीक्षित किया गया है जिन्होनें मऊ जिला जेल के कैदियाना रजिस्टर का संबंधित पृष्ठ प्रदर्श सी1 के रूप में सिद्ध किया है।

6. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है, अतः प्रत्येक अभियुक्त को दोषी ठहराया जाय जबकि प्रत्येक अभियुक्त ने धारा 313 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत हुये परीक्षण में प्रत्येक अभियेाजन साक्षी के बयान को झूठा एवं गलत होना तथा मुकदमें को अपने विरूद्ध रंजिशन लिखाया जाना बताया है। अभियुक्तगण राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया ने घटना के समय जेल में रहना बताया है। अभियुक्त मुख्तार अंसारी ने अपने लिखित तर्क में बताया है कि वह ठेकेदारी का कार्य नहीं करते हैं, न ही वह अनुज कन्नौजिया को जानता हैं, साक्षी मौके पर नहीं थे, तथ्य के साक्षीगण ने गलत व झूठा बयान दिया हैं। घटना के समय वह जेल में था। वर्ष 1996 में आवेदक उत्तर प्रदेश के मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से ब.स.पा. के टिकट पर चुनाव लड़ा था तथा प्रतिद्वन्दी अन्य दलों के प्रत्याशियों को हराकर चुनाव जीत गया था। उसके बाद आवेदक के विरोधियों ने झूठी व गलत सूचनाएं देकर ब.स.पा. के राष्ट्रीय अध्यक्ष को काफी भड़काया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2002 में सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब.स.पा. ने आवेदक को टिकट नहीं दिया, परन्तु मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता एवं बहुत से निष्पक्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदक पर दबाव डाला और आवेदक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गया। तदुपरान्त आवेदक ने विधानसभा चुनाव-2007 में भी आजाद प्रत्याशी के रूप में भा.ज.पा., स.पा., ब.स.पा. तथा कांग्रेस आदि राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को भारी मतों से पराजित कर दिया, जिस कारण इन दलों के नेता सम्मिलित रूप से आवेदक की सामाजिक व राजनैतिक छवि को धूमिल करने तथा उसकी लोकप्रियता पर कुठाराघात करने के लिए सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहने लगे, लेकिन आवेदक जनता के स्नेह एवं विश्वास के कारण

सन् 2012 में भी सम्पन्न हुए सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर वर्तमान में विधायक है। उपरोक्त परिस्थितियों में सभी राजनैतिक पार्टियों ने हार से अपमानित होकर आवेदक के विरूद्ध एक सम्मिलित मोर्चा खोल लिया और मऊ क्षेत्र में आवेदक की छवि धूमिल करने के लिए सत्तासीन राजनैतिक दलों द्वारा झूठे अपराधों में फंसाने का निरन्तर कुचक्र रचा गया। आवेदक 25.10.2005 से ही अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों द्वारा मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाये जाने के कारण ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरूद्ध रहा है तथा वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, आगरा में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक इस मुकदमे की घटना के समय एवं उसके पहले से ही जनपद कारागार, गाजीपुर में अभिरक्षित था। जेल में निरूद्ध रहने की अवधि में आवेदक को मोबाईल फोन रखना अथवा मोबाईल से बात करना पूर्णरूपेण निषिद्ध है तथा नियमानुसार कोई भी बन्दी जेल में अपने साथ मोबाईल फोन नहीं रख सकता है। आवेदक इस मुकदमे की घटना से पूर्व मुकदमे के सह अभियुक्त अनुज कन्नौजिया को न तो जानता-पहचानता था और न तो अनुज कन्नौजिया नाम का कोई व्यक्ति आवेदक के साथ किसी अन्य मुकदमे में सह अभियुक्त ही रहा है। आवेदक पेशे से न तो ठेकेदार है और न ही ठेकेदारी के कार्य से आवेदक का कोई संबंध ही है। मृतक मन्ना सिंह की ठेकेदारी फर्म, मृतक की हत्या से लगभग तीन वर्ष पहले ही वर्ष 2007 में विभाग द्वारा **ब्लैक लिस्ट** की जा चुकी थी, क्योंकि मृतक द्वारा अपने विभाग के इंजीनियर पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के समय न तो मृतक ठेकेदार साबित होता है और न ही आवेदक ठेकेदार साबित होता है। इस परिस्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की हत्या का कारण, ठेकेदारी की रंजिश को दर्शाया जाना, मात्र राजनैतिक दबाव का परिणाम है। आवेदक के नाम से खेतीबारी है तथा परिवार के अन्य सदस्य व्यवसाय करते हैं, जिससे आवेदक का परिवार पोषित होता है। उपरोक्त मुकदमे की कथित घटना के कई महीने बाद शासन के दबाव में आकर आवेदक को बनावटी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आध ाार पर इस मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है।

7. सभी अभियुक्तों ने तर्क दिया है कि अभियोजन साक्षियों से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। अतएव सभी अभियुक्तों को

दोषमुक्त किया जाय।

8. उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. अभियोजन का प्रथम साक्षी हरेन्द्र कुमार सिंह है जिसने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाया है। इस साक्षी को मौके का साक्षी बताया गया है। हरेन्द्र कुमार सिंह पी0डब्लू 1 ने बताया है कि घटना दिनांक 29.8.2009 के शाम 6.00 बजे की है। घटना यूनियन बैंक नरई बाँध के सामने पिच रोड से दक्षिण तरफ हुई थी। घटना के समय वह घटनास्थल से 30 कदम की दूरी पर मन्ना सिंह के घर जाने वाले रास्ते पर था। मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह उसके सगे भाई थे। घटना के समय मृतक मन्ना सिंह अपनी सफारी गाड़ी से थे। उस गाड़ी में अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह व राजेश कुमार राय बैठे थे। उस गाड़ी को शब्बीर शाह चला रहे थे। वह गाड़ी भीटी की तरफ से आकर यूनियन बैंक के सामने कुछ ही समय पहले रूकी थी। रूकने के कुछ ही समय पश्चात तीन मोटर साईकिल से छः बदमाश भीटी की तरफ से आये। सभी बदमाश अपने हाथों में छोटे हथियार लिए थे और उनमे से एक बदमाश गाड़ी के बांये, एक बदमाश गाड़ी के सामने और एक बदमाश गाड़ी के उत्तर खड़ा होकर गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायर करने लगे। बदमाशों की फायरिंग से अजय प्रकाश सिंह, राजेश कुमार राय को गोली लगी थी और वे लोग गोली लगते ही घायल हो गये। गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर बहुत से लोग आ गये थे। अज खुद कहा कि घटनास्थल पर उसके अलावा अमरजीत सिंह पहले से मौजूद थे तथा गाड़ी के पास उन लोगों से पहले रामसिंह मौर्या पहुँच गये थे और घटना को देखे थे। घटनास्थल पर अफरा–तफरी मच गयी थी और दुकानें बंद हो गयी थी। वह घटनास्थल पर रो रहा था और दुखी था, इस कारण वह घायलों को लेकर अस्पताल नहीं जा सका था। बाकी लोग उन लोगों को अस्पताल ले गये थे। वह जब पन्द्रह मिनट बाद अस्पताल पहुँचा तो डाक्टरों ने अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना को मृत घोषित कर दिया था तथा शेष दोनों घायलों को बनारस रेफर कर दिया था। घटना ठेकेदारी की रंजिश के कारण घटी थी। सदर विधायक मुख्तार अंसारी से रंजिश थी, उसी के कारण घटना घटी थी। विधायक कमीशन पर ठेका दिलवाते थे और जो कमीशन नहीं देता था, उसको टेण्डर नहीं डालने देते थे। मृतक अजय प्रकाश सिंह

टेण्डर डाले थे और कमीशन नहीं देते थे, उसी रंजिश की वजह से हत्या हुई थी। मृतक अजय प्रकाश सिंह बार-बार धमकी मिलने की बात उससे बताते थे और कई प्रार्थना-पत्र दिये थे। अजय प्रकाश सिंह मृतक के पास लाईसेंस्ड रिवाल्वर था, जिसे बदमाश लेकर चले गये। मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कन्नौजिया जेल से धमकी देता था, यह बात उसके भाई अजय प्रकाश उसे बताते थे। कागज संख्या 10क1,11क1,11क2,11क3,11क4,11क5,12क1 फोटो कापी दरख्वास्त शामिल पत्रावली पर मृतक अजय प्रकाश सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह शिनाख्त करता है। कागज संख्या 4क2 तहरीर प्रदर्श क1 उसने सदर अस्पताल में एक आदमी से बोलकर लिखाया था। मृतक भाई के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हुआ था। दरोगाजी ने उसका बयान लिया था और उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। एफ.आई.आर. अज्ञात में दर्ज हुई थी। बदमाशों का नाम बाद में पता चला था।

10. साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि यह घटनास्थल का साक्षी है। इसने घटना अपनी आंखों से देखा है तथा उसका सजीव वर्णन किया है। साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण से प्रतीत नहीं होता कि उसने घटना का गलत वर्णन किया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 28.08.09 को सांय 06.00 बजे तीन मोटरसाइकिल से कुल 6 बदमाश मौके पर पहुंचे जहां अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह एवं राजेश राय टाटा सफारी गाड़ी में बैठे थे और आते ही उनकी गाड़ी पर फायर करना प्रारंभ कर दिये जिससे अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिह व राजेश राय गाड़ी में बैठे-बैठे तथा चालक शब्बीर शाह जो उस समय गाड़ी से बाहर खड़ा था घायल हो गया। फायर करने के पश्चात बदमाश मौके से भाग गये। घायलों को तुरन्त ही अस्पताल ले जाया गया। जहां अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह को मृत घोषित किया गया तथा गोलियों से आहत राजेश राय एवं शब्बीर शाह को ईलाज हेतु वाराणसी संदर्भित कर दिया गया। यद्यपि इस साक्षी ने सभी 6 बदमाशों को देखा, परन्तु वह उनमें से न तो किसी का नाम जानता था और न ही उन्हें पहचान पाया। यही कारण है कि यद्यपि उसने घटना की तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट एक घण्टे के अंदर ही थाने पर लिखाया, परन्तु अज्ञात

व्यक्तियेां के विरूद्ध। महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालय में भी दौरान साक्ष्य इस साक्षी ने न तो किसी अभियुक्त को स्वयं देखकर बताया कि वह घटना में सम्मिलित था और न ही अभियेाजन ने इस साक्षी से न्यायालय में किसी अभियुक्त की पहचान करवायी है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से यद्यपि घटना तो सिद्ध होती है परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि घटना में अभियुक्तगण अथवा उनमें से कोई भी एक संलिप्त था अर्थात इस साक्षी के साक्ष्य से कोई भी अभियुक्त उन 6 बदमाशों में से सिद्ध नहीं होते जिन्होनें घटना को अंजाम दिया था।

11. विदित हो कि अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 120-बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया गया है। अतः न्यायालय को यह विचार करना है कि यदि इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तों की घटना में प्रत्यक्ष भागीदारी सिद्ध नहीं होती तो क्या अभियुक्तों की घटना में षडयंत्रकारियों के रूप में भागीदारी सिद्ध होती है।

12. षडयंत्र भारतीय दण्ड अधिनियम की धारा 120-बी के अंतर्गत परिभाषित है, जिसके अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी अवैधानिक कृत्य करने अथवा वैधानिक कृत्य को अवैधानिक रीति से करने की सहमति को षडयंत्र कहते हैं अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य **सहमति** षडयंत्र के अपराध का परम आवश्यक तत्व है। {(Agreement is the gist of the offence). कृपया देखें Jagannath Mishra Vs State of Udisha 1974 Cut LT 1253, State Vs Navajot Sandhu 2005 CRLJ 3950 (S.C.), State of U.P. Vs Sukhabashi AIR 1985 S.C. 1224, Kuru Chiyan Kunhaman Vs State of Kerala 1974 Ker LT 328, Lalsa Prasad Vs Emperor AIR 1945 Nagpur 163}। चूंकि यह साक्षी बदमाशों को जानता तथा पहचानता भी नहीं था, अतः अभियुक्तों तथा इन बदमाशों के मध्य किसी प्रकार की सहमति भी इस साक्षी के साक्ष्य से सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरे शब्दों में मौके पर घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों तथा अन्य अभियुक्तों के बीच किसी सहमति का साक्ष्य इस साक्षी के बयान में विद्यमान नहीं है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तों के मध्य घटना का षडयंत्र सिद्ध नहीं होता। अभियेाजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस साक्षी ने यह बताया है कि ठेकेदारी की रंजिश से अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या हुई थी तथा यह कि सदर विधायक मुख्तार

अंसारी ठेकेदारों से 10 प्रतिशत कमीशन लेते थे जो ठेकेदार कमीशन नहीं देता था उसे ठेका नहीं देने देते थे। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने ठेका लिया था, परन्तु कमीशन नहीं देते थे। इसी की मुख्तार अंसारी की अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह से रंजिश थी। मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कन्नौजिया जेल से धमकी देता था यह बात अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने उसे बताया था। अतः इस साक्षी के इस आशय के साक्ष्य से अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या का षडयंत्र सिद्ध होता है, परन्तु अभियोजन के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि इस साक्षी का यह साक्ष्य अभियुक्तों के मध्य आपस में किसी सहमति का साक्ष्य नहीं है बल्कि यदि यह साक्ष्य सुसंगत तथा विश्वसनीय साक्ष्य हो भी तो केवल इससे मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया की अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह से खिन्नता प्रकट होती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि खिन्न व्यक्ति अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या भी कर दे जब तक कि उनके द्वारा हत्या करना सिद्ध न हो जाय अथवा हत्या करने वालों तथा उनके मध्य कोई षडयंत्र सिद्ध न हो जाये। घटना के समय मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया दोनों ही अलग-अलग जेलों में थे। अतः उनका घटनास्थल पर उपस्थित रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है एवं इस साक्षी के साक्ष्य में भी उनके तथा वास्तविक हमलावरों के बीच किसी संवाद अथवा सहमति का साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे उनके द्वारा घटना का षडयंत्र सिद्ध हो।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया ने अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह को उसके समक्ष कभी ठेके का टेंडर भरने से रोका हो, कमीशन की मांग किया हो अथवा अनुज कन्नौजिया द्वारा धमकी दिया गया हो बल्कि इस साक्षी ने यह बताया है कि मुख्तार अंसारी द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन मांगने वाली बात तथा अनुज कन्नौजिया द्वारा धमकी दिये जाने वाली बात मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने उसे बताया था। अतः स्पष्ट है कि साक्षी का साक्ष्य मात्र अनुश्रुति साक्ष्य है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियोजन का यह तर्क अवश्य है कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने अपने जीवनकाल में ही उन्हें मिलने वाली धमकियों के बावत विभिन्न शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक मऊ, मुख्यमंत्री उ0प्र0 तथा मुख्य अभियंता पी0डब्लू0डी0 को दिया था,

जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तों द्वारा उनकी हत्या का षडयंत्र रचा जा रहा था। अभियोजन ने कागज सं0 10क1,11क1,11क2,11क3,11क4,11क5,12क1 को उन शिकायती पत्रों की प्रतियां बताया है जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं जिस पर विद्यमान अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के हस्ताक्षर को इस साक्षी द्वारा सिद्ध किया गया है। अतः उचित होगा कि इन शिकायती पत्रों पर विचार कर लिया जाय।

14. सर्वप्रथम तो यह कि यह सभी शिकायती प्रार्थना पत्र मात्र फोटों प्रतियां हैं। अतः उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता तथा निश्चय ही वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं, परन्तु चूंकि षडयंत्र के कृत्य का साधारणतयः प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नही होता बल्कि षडयंत्र परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से सिद्ध होता है, अतः इन शिकायती पत्रों पर विचार किया जाता है। इन पत्रों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि पत्र कागज सं0 10क1 अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह द्वारा एस.पी. मऊ को लिखा गया इस आशय की शिकायत है कि दिनांक 11.03.08 को मोबाइल फोन नं0 9838417959 से जिला कारागार से इस आशय का फोन आया था कि मेरे आदमियों के विरूद्ध टेंडर डालोगे तो मारे जाओगे। फोन करने वाले ने अपना नाम अनुज बताया था। इस पत्र में केवल और केवल एक व्यक्ति के नाम अर्थात ''अनुज'' के नाम का उल्लेख है किसी भी अन्य अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं। इस पत्र से यह भी सिद्ध नही होता कि फोन करने वाला व्यक्ति वास्तव में अभियुक्त अनुज कन्नौजिया ही था क्योंकि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह उस व्यक्ति की आवाज नहीं पहचानते थे बल्कि फोन करने वाले व्यक्ति के बताने के आधार पर उन्होनें बताया कि वह अपना नाम ''अनुज'' बता रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि कोई व्यक्ति धमकी देगा अथवा कोई भी अन्य अपराध करेगा तो अपना नाम बताने की भूल नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि फोन जिला कारागार से करना बताया गया है जबकि कारागार के भीतर फोन रखना निषिद्ध है तथा किसी बंदी के पास फोन उपलब्ध रहने का प्रश्न ही नहीं है। बताये गये फोन नंबर का सत्यापन भी नहीं कराया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वास्तव में उक्त फोन अनुज कन्नौजिया का ही फोन था तथा अनुज कन्नौजिया द्वारा ही बात की जा रही थी। अतः इस पत्र से यह तो प्रतीत हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अजय प्रकाश

उर्फ मन्ना सिंह को ठेके का टेंडर न डालने की चेतावनी तो दिया होगा, परन्तु वह व्यक्ति अभियुक्त अनुज कन्नौजिया था यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पत्र में अन्य किसी अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं है। पत्र कागज सं0 11क1 लगायत 11क5 अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह द्वारा मुख्यमंत्री उ0प्र0 को लिखी चिट्ठी है जिसमें उन्होनें लोक निर्माण विभाग में तैनात लिपिक तारकेश्वर सिंह एवं रेयाज अहमद के विरूद्ध शिकायत किया है, उन्हें माफिया बताया है, उनके द्वारा रिवाल्वर रखना बताया है तथा दूसरों के नाम पर स्वयं टेंडर डालना बताया है एवं यह कथन किया है कि वे बलिया तिराहा जैसे हत्याकांड की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। पत्र कागज सं0 11क3 में अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने मुख्यमंत्री को इस आशय का पत्र लिखा है कि दिनांक 11.03.08 को जनपद मऊ से मोबाइल नं0 9838417959 से जान से मारने की धमकी का जो फोन आया था उसकी शिकायत उसने दिनांक 07.05.08 को उनसे किया था। अनुज धोबी कई हत्या एवं आपराधिक कार्यों में शामिल रह चुका है तथा जनपद के बाहुबली विधायक का शूटर है। इस कारण उसे बाहर निकलने में सावधानी बरतनी पड़ती है............**इसके अलावा कुछ अन्य अपराधी प्रकृति के लोगों का भी फोन आता है तथा टेंडर डालने से मना किया जाता है...........। पूर्व शासनकाल में उन लोगों का एकछत्र बोलबाला था..........। मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया तो वे लोग मुझे मारने की फिराक में रहते हैं।** अतः इस पत्र से प्रतीत होता है कि टेंडर डालने को लेकर अनेक व्यक्तियों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिया गया था, परन्तु उसने उन सब का नाम नहीं बताया है। उक्त पत्र कागज सं0 11क2 में अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने यह भी शिकायत किया है कि फोन करने वाले ने टेंडर डालने से मना किया है तथा यह कथन किया है कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने टेंडर डालकर ठीक नहीं किया है तथा महमूद अहमद तथा दीपक शुक्ला के नाम पर काम करना है। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने उस पत्र में यह भी लिखा है कि कुल चार व्यक्तियों द्वारा टेंडर डाला गया था, परन्तु धमकी केवल उसे ही मिल रही है, अतः टेंडर डालने वाले तीन शेष ठेकेदार ही उसे धमकी दे रहे हैं, परन्तु उसने धमकी देने वाले शेष ठेकेदारों का नाम नहीं बताया है। इस पत्र में भी केवल अनुज नामक व्यक्ति का उल्लेख है,

शेष किसी अभियुक्त का उल्लेख नहीं है और उपरोक्त वर्णित कारणों से ''अनुज'' अभियुक्त अनुज कन्नौजिया होना सिद्ध नहीं होता। पत्र कागज सं0 11क5 एवं 12क1 क्रमशः मुख्यमंत्री उ0प्र0 तथा मुख्य अभियंता पी0डब्लू0डी0 को संबोधित अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह का पत्र है जिसमें उन्होनें पी0डब्लू0डी0 में तैनात एक सहायक अभियंता तथा लिपिक तारकेश्वर सिंह, रेयाज अहमद तथा शमीम अहमद की इस आशय की शिकायत किया है कि वे फर्जी तरीके से कार्य करते हैं तथा अपने चहेतों को ठेका देते हैं। इस पत्र में भी किसी अभियुक्त का कोई उल्लेख नहीं है। अतएव इन सभी शिकायती पत्रों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि उन्होनें अपने जीवनकाल में किसी अभियुक्त के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं किया था तथा उनके शिकायती पत्रों में उल्लिखित ''अनुज'' द्वारा न तो जेल से फोन से धमकी दिया जाना सिद्ध होता है और न ही वह अनुज, अभियुक्त अनुज कन्नौजिया ही सिद्ध होता है जबकि पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया है कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने अपने जीवनकाल में उससे मुख्तार अंसारी द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन की मांग करना तथा अनुज द्वारा कमीशन न देने पर धमकी देना बताते थे एवं इस आशय की उन्होनें लिखित शिकायत अधिकारियों/मुख्यमंत्री से किया था। अतः शिकायती प्रार्थना पत्रों के दृष्टिगत साक्षी का यह साक्ष्य झूठा सिद्ध हो जाता है और मात्र इस साक्षी के साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने अपने जीवनकाल में अभियुक्तों से अपने जीवन को खतरा होने की आशंका व्यक्त किया हो बल्कि उन पत्रों से उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग में तैनात सहायक अभियंता तथा लिपिकों की, उनको माफिया बताते हुए तथा उनके द्वारा फर्जी तरीके से ठेका लेना बताते हुए शिकायत किया गया है। अतः संभव है कि उन लिपिकों द्वारा अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करने का कोई षडयंत्र किया गया हो परन्तु न तो इस मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया गया है और न ही उनके विरूद्ध षडयंत्र का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त सभी शिकायती प्रार्थना पत्र अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह द्वारा अधिकारियों/मुख्यमंत्री को स्वयं लिखा गया है। मात्र उन पत्रों से अभियुक्तों के मध्य आपसी किसी वार्तालाप अथवा संवाद का होना सिद्ध नहीं होता और यदि अभियुक्तों के मध्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संवाद का साक्ष्य विद्यमान नहीं है

तो उनके मध्य सहमति अथवा असहमति होने का साक्ष्य भी अनुपलब्ध है तथा इसी कारण से उनके द्वारा कोई षडयंत्र किया जाना भी सिद्ध नहीं होता। कहने की आवश्यकता नहीं कि षडयंत्र के लिए व्यक्तियों के मध्य मीटिंग आफ माईंड का होना आवश्यक है तथा वह उनके मध्य किसी संवाद से ही सिद्ध हो सकता है चाहे वह संवाद क्षणिक अथवा अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने State (Government of NCT of Delhi) v. Nitin Gunwant Shah. **WITH** State (Government of NCT of Delhi) v. Om Prakash Srivastava alias Babloo. **2015 CRI. L. J. 4759** (Supreme Court) में स्पष्ट किया है कि ‘‘*...........This Court has time and again laid down the ingredients to be made out by the prosecution to prove criminal conspiracy. It is now, however, well settled that a conspiracy ordinarily is hatched in secrecy. The Court for the purpose of arriving at a finding as to whether the said offence has been committed or not may take into consideration the circumstantial evidence. However, while doing so, it must be borne in mind that **meeting of mind is essential;** mere knowledge or discussion would not be sufficient..........”* अतः इस साक्षी के साक्ष्य से यह तो अवश्य सिद्ध होता है कि 6 बदमाशों द्वारा अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह आदि पर फायर किया गया था परन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से न तो वे 6 बदमाश चिन्हित होते हैं और न ही उन बदमाशों तथा अभियुक्तों के मध्य किसी प्रकार का कोई संवाद अथवा अपराध करने की सहमति अथवा षडयंत्र सिद्ध होता है।

15. अभियेाजन द्वारा इस घटना में अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की मृत्यु हो जाना तथा राजेश राय एवं शब्बीर शाह को भी गोलियों से चोट आना बताया गया है। अतः निश्चित रूप से घटना के वे सर्वोत्तम साक्षी हैं, परन्तु चूंकि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की उसी दिन मृत्यु हो गयी है। अतः न्यायालय में उन्हें परीक्षित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। घटना में घायल राजेश राय की भी दौरान विचारण ही मृत्यु हो गयी। अतः उन्हें भी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया जा सका। घटना के तीसरे घायल शब्बीर शाह को बतौर पी0डब्लू 3 परीक्षित किया गया है। उन्होनें बताया

है कि घटना आज से लगभग चार-पांच साल पहले की है, शाम के चार-पांच बजे का समय था। घटना वाले दिन वह मन्ना सिंह की गाड़ी चला रहा था। वह छः माह पहले से मन्ना सिंह की गाड़ी चला रहा था। घटना के समय गाड़ी में मन्ना सिह आगे बैठे थे, बीच में राजेश राय बैठे थे। गाड़ी टाटा सफारी जीप थी, उसका नम्बर इस समय याद नहीं है। वह घटना के दिन लगभग दो बजे हलधरपुर मन्ना सिंह को लेकर गया था और लौटकर शाम को घटनास्थल यूनियन बैंक के सामने गाजीपुर तिराहे के पास आया था। वह रास्ते में कहीं नहीं रूका था। गाड़ी रूकने पर विक्रान्त घर चला गया और वह अमरजीत सिंह को बुलाने चला गया। जब वह लौटकर आया, तब उसने मन्ना सिंह को बताया कि अमरजीत सिंह नहीं मिले। घटनास्थल पर चार आदमी पहले से खड़े थे और चारो लोग गोली चला रहे थे। चार पांच गोली मन्ना सिंह को लगी। राजेश राय को तथा उसे भी गोली लगी थी। चार लेाग गोली चलाकर मोटर साईकिल से चले गये तथा दो अगल-बगल खड़े थे, जिनको वह नहीं पहचानता है। गोली मारने वाले चार लेागों को उसने पहचाना था, जिनके नाम **काली पासी, राजा चौहान, दारोगा चौहान** तथा **राधे हरिजन** हैं। दरोगाजी को उसने बयान दिया था और चारें का नाम बताया था। उसे गोली लगने के बाद अस्पताल लाये थे जहॉं से उसे तुरन्त बनारस रेफर कर दिये थे। राजेश राय की मौत घटना के तीन माह बाद हेा गयी। उसे नहीं मालूम है कि मन्ना सिंह की अभियुक्तगण से किस बात को लेकर रंजिश थी। इस बयान पर साक्षी को अभियेाजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घेाषित कर प्रति परीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कहा कि उसने दरोगाजी को राकेश पाण्डेय, पंकज सिंह, कमलेश यादव, राजू कन्नौजिया, अमरेश कन्नौजिया, अरविन्द यादव के नाम नहीं बताये थे। दरोगा जी उसके बयान में इन लोगों के नाम कैसे लिख दिये, वह इसका कारण नहीं बता सकता। विवेचक ने उसे बयान पढ़कर सुनाया नही था। वह गोली लगने के बाद बेहोश नहीं हुआ था। हरेन्द्र सिंह व अमरजीत सिंह मौके पर नहीं थे। मन्ना सिंह ने उसे अमरजीत सिंह को बुलाने भेजा था। उसने दरोगाजी को यह बयान नहीं दिया था कि ''मन्ना भईया को मुख्तार अंसारी व अनुज कन्नौजिया दोनों जेल में थे, मैं मन्ना भईया के साथ रहता था तो जब वह मोबाईल से किसी से बात करते थे तो उनकी बात से मालूम पड़ता था----मन्ना भाई मुख्तार अंसारी को दस प्रतिशत

कमीशन नहीं देते थे---जो जानता था, वही बता दिया। बाद में गवाही दे पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता है।'' उसने ऐसा बयान दरोगाजी को नहीं दिया था। दरोगाजी ने उसका यह बयान कैसे लिख लिया, वह इसकी वजह नहीं बता सकता। वह अनुज कन्नौजिया को नहीं जानता है। वह काली पासी, राजा चौहान, दारोगा चौहान व राधे हरिजन को तभी से जानता है, जब वह अशोक भईया के साथ धानापुर के विधायक के यहाँ बनारस जाता था। इन चारों अभियुक्तगण का इनकाउण्टर हो गया। इनकाउण्टर के बाद पुलिस उसे अस्पताल में पहचान करने के लिए ले जाती थी। गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि इनमे से मौके पर कोई नहीं था। विधायक जी को देखकर बताया कि वह उनको जानता है। उन्हें सभी लोग जानते हैं। गवाह को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया व पूछा गया तो उसने कहा कि उसने इस तरह का कोई बयान दरोगाजी को नही दिया था। उन्होने उसका यह बयान कैसे लिख लिया, वह इसकी वजह नहीं बता सकता।

16. इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि उसने घटना का लगभग उसी प्रकार वर्णन किया है जैसा कि पी0डब्लू 1 ने, परन्तु हमलावरों में किसी अभियुक्त को नहीं बताया है बल्कि हमलावरों में से चार को पहचानना बताया है तथा उनका नाम काली पासी, राजा चौहान, दरोगा चौहान तथा राधे हरिजन होना बताया है। इन व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग नहीं चलाया गया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही इस आधार पर घोषित किया गया है कि इस साक्षी के बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 एवं न्यायालय में दिये गये बयान में तात्विक विरोधाभाष है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नही होता।

17. अभियोजन ने घटनास्थल पर पीयूष सिंह को भी उपस्थित रहना बताया है तथा मौके का साक्षी बताते हुए उसे बतौर पी0डब्लू 4 प्रस्तुत किया है।

18. पीयूष सिंह पी0डब्लू 4 ने अपने बयान में बताया है कि घटना दिनांक 29.08.2009 की शाम 6.00 बजे की है। घटना के समय वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। घटनास्थल से उसकी दूकान की दूरी लगभग 20 फीट है। उसका मन्ना सिंह से कोई रिश्ता नहीं है। मृतक मन्ना सिंह अपनी सफारी गाड़ी से भीटी की

तरफ से आये थे और यूनियन बैंक के सामने रुके थे। मन्ना सिंह गाड़ी में आगे बांयी तरफ बैठे थे। शब्बीर शाह गाड़ी चला रहे थे और बीच वाली सीट पर राजेश राय बैठे थे। गाड़ी रुकने के दो से तीन मिनट बाद तीन मोटर साईकिल से भीटी की तरफ से छः बदमाश आये। चार बदमाश गाड़ी से उतरकर मन्ना सिंह की गाड़ी पर अन्धाधुन्ध फायरिंग करने लगे और दो लोग गाड़ी की दाहिनी तरफ खड़े थे। उसने चारो बदमाशों जो फायरिंग कर रहे थे, को पहचाना था, जिनके नाम **काली पासी, राजा चौहान, शेषनाथ उर्फ दारोगा चौहान व राधे हरिजन** है। शेष दोनों बदमाश जो खड़े थे, उनको नहीं पहचाना था। इस बयान पर अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षा की गयी। प्रति परीक्षा में गवाह ने कहा कि दरोगाजी ने उसका बयान लिया था। उसने दरोगाजी को राकेश पाण्डेय, पंकज सिंह, कमलेश यादव, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया, अमरेश कन्नौजिया व अरविन्द यादव के नाम नहीं बताये थे। दरोगाजी ने इन लोगों का नाम उसके बयान में कैसे लिख लिया, वह वजह नहीं बता सकता। विवेचक ने बयान लेने के बाद उसे पढ़कर सुनाया नहीं था। बदमाशों की फायरिंग से मन्ना सिंह, राजेश राय व शब्बीर शाह को गोली लगी थी। बदमाशों की फायरिंग से आयी चोटों के कारण मन्ना सिंह व राजेश की मृत्यु हो गयी। उसे नहीं मालूम कि मन्ना सिंह की हत्या ठेकेदारी के विवाद को लेकर साजिश के कारण हुई थी। मन्ना सिंह उसे कुछ नहीं बताते थे और उसके सामने किसी का फोन भी नहीं आता था। घटनास्थल पर हरेन्द्र सिंह व अमरजीत सिंह थे कि नहीं, उसे नहीं मालूम है। जिन चारो बदमाशों का नाम उसने बताया है, ये अपराध के मामले में चर्चित थे और इनको वह पहचानता था। चारों बदमाश मारे जा चुके हैं। उसने जो बयान न्यायालय में दिया है, वहीं बातें उसने विवेचक को बतायी थी। गवाह को धारा 161 दं.प्र.सं.का बयान पढ़कर सुनाया गया और पूछा गया तो गवाह ने कहा कि अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू, पंकज सिंह उर्फ विनय सिंह, राकेश पाण्डेय, अरविन्द यादव व कमलेश यादव का नाम उसने दरोगाजी को नहीं बताया था। दरोगाजी ने इनके नाम कैसे लिख लिया, इसका कारण वह नहीं बता सकता। उसने दरोगाजी को यह भी नहीं बताया था कि मुल्जिमान अनुज कन्नौजिया के आदमी हैं, जो जेल में बंद है। फायरिंग होने के तुरन्त बाद वह मौके पर गाड़ी के पास पहुँचा

था। उसके साथ विक्रान्त सिंह, मनोज सिंह, राघवेन्द्र सिंह, बृजेश सिंह भी पहुँचे थे।

19. इस साक्षी ने भी घटना का लगभग वैसे ही वर्णन किया है जैसा कि पी0डब्लू 1 एवं पी0डब्लू 3 ने, परन्तु पी0डब्लू 3 की भांति ही इसने भी हमलावरों में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया है बल्कि उसने हमलावरों को जानने एवं पहचानने का कथन किया है तथा उनमें से चार का नाम बताया है जो काली पासी, राजा चौहान, शेषनाथ उर्फ दरोगा चौहान व राधे हरिजन हैं। अभियोजन ने इस साक्षी को भी इस आधार पर पक्षद्रोही घोषित किया है कि इस साक्षी के साक्ष्य अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 तथा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में सारवान विरोधाभाष है। वास्तव में इस साक्षी के साक्ष्य अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 तथा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में अभियुक्तों के नाम के विषय में तात्विक विरोधाभाष है, अत : यह साक्षी भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। यद्यपि इस साक्षी के साक्ष्य से घटना तो सिद्ध होती है, परन्तु अभियुक्तों में से किसी भी अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित किया जाना सिद्ध नहीं होता।

20. अभियोजन द्वारा मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की पत्नी मंजू सिंह को बतौर पी0डब्लू 5 परीक्षित किया है। उन्होनें अपने बयान में बताया है कि..........उसके पति ठेकेदारी का काम करते थे। उसके पति 15-16 साल पहले से ठेकेदारी का काम करते थे। उसके पति सन् 2007 से काफी परेशान रहते थे। सन् 2009 में भी उसके पति काफी परेशान रहते थे। उसने पूछा कि वे क्यों इतना परेशान रहते हैं, तब उसके पति ने कहा कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी को ठेकेदारी का 10 प्रतिशत नहीं देते हैं, इसलिए वे उससे नाराज हैं और यह भी बताये कि गाजीपुर जेल से अनुज कन्नौजिया का बार-बार धमकी भरा फोन आता था और बार-बार परेशान करता था। इस बात की रिपोर्ट थाना सराय लखंसी में दर्ज कराये थे। घटना के एक सप्ताह पहले उसके पति ज्यादा ही परेशान हो गये थे और बताये थे कि मुख्तार अंसारी और अनुज कन्नौजिया उसे मार देगें। फिर कहा कि मरवा देगें। उसके पति की हत्या अगस्त 2009 में शाम 6.00 बजे हुई। उसके पति मन्ना सिंह की हत्या अमरेश कन्नौजिया, अरविन्द यादव, कमलेश यादव, राजू धोबी, राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान ने की थी। हत्या की साजिश में मुख्तार अंसारी, अनुज कन्नौजिया, संतोष सिंह, रजनीश सिंह,

उमेश सिंह थे। इन लोगों ने साजिश करके उसके पति की हत्या करायी। वह डर गयी थी कि कहीं ये लेाग उसके बच्चे को भी न मार दें, इसीलिए यह बात पहले नहीं बतायी। ये सब बातें उसके पति ने उसे बतायी थी। इस घटना में उसके पति के अलावा राजेश राय की हत्या हुई थी और ड्राईवर शब्बीर शाह को चोट लगी थी। दरोगा जी ने उसका बयान तीन चार माह बाद लिया था।

21. साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि यह साक्षी स्वयं मौके की साक्षी नहीं है बल्कि उसने अन्य लोगों के बताये जाने के आधार पर न्यायालय में साक्ष्य दिया है तथा यह बताया है कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की अमरेश कन्नौजिया, अरविन्द यादव, कमलेश यादव, राजू धोबी तथा राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान ने हत्या किया था तथा साजिश में अभियुक्त मुख्तार अंसारी, अनुज कन्नौजिया, संतोष सिंह, रजनीश सिंह तथा उमेश सिंह थे। अतः चूंकि यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी तथा उसने स्वयं किसी बदमाश को नहीं देखा, अतः उसके साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि बदमाशों में अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया, अरविन्द यादव, कमलेश यादव, राजू धोबी तथा राकेश पाण्डये उर्फ हनुमान थे। जहां तक इस साक्षी द्वारा घटना के साजिश कर्ताओं में अभियुक्त मुख्तार अंसारी, अनुज कन्नौजिया, संतोष सिंह, रजनीश सिंह, उमेश सिंह के बताने का प्रश्न है, इस साक्षी के साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता क्योंकि पुन : यह दोहराना सुसंगत होगा कि साजिश के लिये अभियुक्तों के मध्य सहमति का होना अत्यन्त आवश्यक है तथा अभियुक्तों के मध्य सहमति उनके मध्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, लंबे अथवा क्षणिक, संकेत मात्र अथवा अभिलेखों के द्वारा संवाद से ही सिद्ध हो सकता है, परन्तु इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसे किसी संवाद का साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि इस साक्षी ने भी यह बताया है कि उसके पति वर्ष 2009 से काफी परेशान रहते थे तथा उसके द्वारा परेशानी का कारण पूछने पर उन्होनें बताया था कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी को वह ठेकेदारी का 10 प्रतिशत नहीं देते थे इसलिये वे उससे नाराज थे तथा गाजीपुर जेल से अनुज कन्नौजिया का बार–बार धमकी भरा फोन आता था जिसके बावत उन्होनें रिपोर्ट भी दर्ज करायी थी। घटना के एक सप्ताह पहले वे ज्यादा परेशान हो गये थे और उससे बताये थे कि मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया उसे मरवा देंगे। अतः साक्षी के

इस साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया ने ही अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या का षडयंत्र रचा था, परन्तु अभियोजन के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि घटना के समय ये दोनों ही अभियुक्त अलग-अलग जेलों में बंद थे अर्थात घटनास्थल पर उनका उपस्थित रहना संभव नहीं है तथा ऊपर वर्णित साक्ष्यों से यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि कम से कम 6 बदमाशों ने घटनास्थल पर पहुंचकर फायरिंग किया था जिससे अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की मृत्यु हुई थी। अतः अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया के विरूद्ध आरोप तभी सिद्ध होगा जब उन 6 बदमाशों तथा जेल में बंद अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया के मध्य षडयंत्र सिद्ध हो। इस साक्षी के बयान से उक्त 6 बदमाशों तथा अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया के बीच कोई वार्तालाप, संवाद अथवा संदेश का आदान-प्रदान अथवा किसी प्रकार के संकेत का भी आदान-प्रदान सिद्ध नहीं होता। कहने की आवश्यकता नही कि यदि इसने उन 6 हमलावरों को देखा भी नहीं था तो ये उनके तथा शेष अभियुक्तों के बीच किसी संवाद के विषय में कैसे बता सकती है। अतः इस साक्षी के बयान से वास्तविक हमलावरों तथा अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया के बीच किसी प्रकार का षडयंत्र सिद्ध नहीं होता। इस साक्षी ने शेष अन्य अभियुक्तों के विषय में अपने पति द्वारा कोई बात बताया जाना नहीं बताया है। उसके बावजूद वह संतोष सिंह, रजनीश सिंह एवं उमेश सिंह को षडयंत्रकारियों में बता रही है अतः निश्चित रूप से उनका नाम भी यह साक्षी केवल अपने अनुमान अथवा हो सकता है कि अपने विश्वास के आधार पर बता रही हो, परन्तु षडयंत्र मात्र किसी व्यक्ति के अनुमान या विश्वास से सिद्ध नहीं होता। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से भी किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध मौके के प्रत्यक्ष हमलावर के रूप में अथवा षडयंत्र करने वालों के रूप में आरोप सिद्ध नहीं होता है।

22. अभियोजन ने मौके का एक साक्षी अमरजीत सिंह को होना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक मात्र इस साक्षी का नाम से उल्लेख किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तत्काल बाद अर्थात एक घण्टे के पश्चात ही लिखा दी गयी है। अतः यह साक्षी अभियोजन का एक महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी को अभियोजन ने

बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है। इसने अपने साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक 29.08.2009 की शाम 6.00 बजे की है। वह घटना के समय यूनियन बैंक के ए. टी.एम. के सामने खड़ा था। घटनास्थल पर पहले से मन्ना सिंह सफारी गाड़ी से आये। गाड़ी को शब्बीर शाह चला रहा था, मन्ना सिंह आगे वाली सीट पर बैठे थे और बीच वाली सीट पर राजेश राय बैठे थे। मन्ना सिंह की गाड़ी यूनियन बैंक के सामने आकर रूकी थी। उसी समय भीटी की तरफ से तीन मोटर साईकिल पर छः लोग आये। सभी लोग हाथों में पिस्टल लिए थे। उनमे से अमरेश कन्नौजिया व अरविन्द यादव मन्ना सिंह के गाड़ी के बांये तरफ तथा आगे राजू धोबी, कमलेश यादव तथा सड़क की तरफ हनुमान पाण्डेय व एक आदमी और था, जिसे वह नहीं पहचानता है, ये सभी लोग ताबड़तोड़ गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। हनुमान पाण्डेय व एक आदमी और गाड़ी पर तथा इधर–उधर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग से मन्ना सिंह व राजेश राय तथा शब्बीर शाह घायल हुए थे। मन्ना सिंह व राजेश राय गाड़ी में ही घायल हुए थे तथा शब्बीर शाह गाड़ी के बाहर घायल हुए थे। सभी घायल अचेतावस्था में थे और कराह रहे थे। उसके अलावा घटना को रामसिंह मौर्या, हरेन्द्र सिंह, क्रान्ति सिंह तथा अन्य बहुत से लोगों ने देखा था। घटनास्थल पर बहुत से लोग आ गये थे। फारिंयग से मौके पर दहशत का माहौल हो गया था तथा दुकानें धड़ाधड़ बंद हेाने लगी थी। डर व दहशत के मारे किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया था। बदमाशेां के चले जाने के बाद वे लोग घायलों को मन्ना सिंह की गाड़ी से लेकर सदर अस्पताल, मऊ गये थे। अस्पताल में डाक्टरों ने मन्ना सिंह को मृत घोषित कर दिया तथा राजेश राय व शब्बीर शाह को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल से वह मन्ना सिंह के घर गया था। बदमाशों को वह पहले से जानता व पहचानता था, जिनका नाम उसने ऊपर बताया है। मृतक मन्ना सिंह की पी.डब्ल्यू.डी. की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी व अनुज धोबी से रंजिश थी। अनुज धोबी, राजू धोबी का रिश्तेदार है। घटना के समय अनुज धोबी व मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। विधायक मुख्तार अंसारी से अनुज धोबी का टेण्डर के लेनदेन का संबंध था तथा मुख्तार अंसारी के कहने पर गोली चलाते थे और शूटर का काम करते थे। मुख्तार अंसारी व अनुज धोबी टेण्डर रूकवाते थे और जो ठेकेदार दस प्रतिशत उन्हे देता था, उसे टेण्डर

देते थे। मन्ना सिंह कमीशन नहीं देते थे, इसलिए मन्ना सिंह की हत्या करा दिये। मन्ना सिंह अक्सर यह बात बताते थे कि मुख्तार अंसारी व अनुज धोबी की धमकी उसे हमेशा आती है। मन्ना सिंह इस बात का विरोध भी किये थे और टेण्डर डाले थे तथा इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री व प्रमुख अभियन्ता से की थी। मन्ना सिंह को सुरक्षा मिली थी, लेकिन हत्या के दो दिन-तीन माह पूर्व हटा लिया गया था। दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

23. इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भी घटना का ठीक उसी प्रकार से वर्णन किया है जिस प्रकार पी0डब्लू 1, 3 एवं 4 ने। इस साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि इस साक्षी ने घटना का झूठा वर्णन किया हो। अतः इस साक्षी के साक्ष्य का घटना के विषय में पी0डब्लू 1, 3 एवं 4 के साक्ष्य से समर्थन होता है। इस साक्षी ने घटना को अंजाम देने वाले 6 हमलावरों में अमेरश कन्नौजिया, अरविन्द यादव, राजू धोबी, कमलेश यादव, हनुमान पाण्डेय तथा एक अन्य व्यक्ति जिसे वह नहीं पहचानता था, का होना बताया है। परन्तु बचाव पक्ष ने अभियुक्तों के नाम के विषय में इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य को सरासर झूठा होना तथा अविश्वसनीय होना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को झूठा साक्षी तथा इसके साक्ष्य को अविश्वसनीय साक्ष्य होना इस आधार पर बताया है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस साक्षी की मौजूदगी में हरेन्द्र सिंह पी0डब्लू 1 द्वारा करायी गयी है। यद्यपि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह थाने पर नहीं गया था, परन्तु इस पत्रावली में संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट की जी0डी0 प्रदर्श क3 उपलब्ध है तथा जी0डी0 लेखक पी0डब्लू 6 हेड कां0 हीरामन ने अपने बयान में बताया है कि हरेन्द्र सिंह के साथ थाने पर अमरजीत सिंह भी मौजूद था। अतः यदि इस साक्षी ने सभी अभियुक्तों को पहचान लिया था तथा उनका नाम जानता था तथा यह प्रथम सूचना रिपोर्ट कर्ता हरेन्द्र सिंह के साथ थाने पर मौजूद था तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध क्यों दर्ज की गयी। यदि इस साक्षी को बदमाशों का नाम मालूम होता तो अवश्य ही वह उनका नाम घटनास्थल पर उपस्थित लोगों को तथा वादी को बताता जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद दर्ज होती। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने

धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया का नाम भी विवेचक को नहीं बताया था तथा न्यायालय में अमरेश कन्नौजिया का नाम पहली बार बता रहा है जो निश्चित रूप से उसके बयान में इम्प्रूवमेंट है, अतः अविश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय घटना के समय गोरखपुर जेल में था। अतः उनका घटनास्थल पर रहना संभव ही नहीं है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य भरोसेमन्द नहीं है। या तो यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था तथा इसने न तो घटना देखी है और न ही किसी बदमाश को देखा है अथवा यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित था, परन्तु पी0डब्लू 1 की भांति इसने भी किसी बदमाश को नहीं पहचाना है तथा बाद में अभियुक्तों को उसने झूठा फंसाने के उद्देश्य से उनका नाम विवेचक को बताया है तथा न्यायालय में बताया है।

24. यद्यपि यह सत्य है कि जी0डी0 लेखक पी0डब्लू 6 हेड कां0 हीरामन के बयान तथा नकल जी0डी0 प्रदर्श क3 से सिद्ध होता है कि यह साक्षी हरेन्द्र सिंह के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय थाने पर मौजूद था अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्षी की मौजूदगी में लिखी गयी है, परन्तु अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध लिखी गयी है, परन्तु उसका यह कारण प्रतीत होता है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट न तो इस साक्षी द्वारा लिखी गयी है और न ही थाने पर लिखायी गयी है। इस साक्षी को क्या मालूम कि हरेन्द्र सिंह को बदमाशों का नाम मालूम था कि नहीं तथा हरेन्द्र सिंह ने नामजद रिपोर्ट लिखवायी है अथवा अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध। जहां तक दौरान विवेचना अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया का नाम विवेचक को न बताये जाने का प्रश्न है तो यह प्रतीत होता है कि उसने भूलवश उसका नाम विवेचक को नहीं बताया है। यह संभव है कि उसका नाम बताया हो तथा विवेचक, अमरेश कन्नौजिया का नाम लिखने से चूक गया हो क्योंकि अन्य अभियुक्तों का वही नाम साक्षी ने विवेचक को बताया है जिनका नाम उसने न्यायालय में बताया है तथा घटनाक्रम का वैसे ही वर्णन विवेचक के समक्ष भी किया है जैसा कि उसने न्यायालय के समक्ष किया है। अतएव मात्र इन दो आधारों पर साक्षी का बयान अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। घटना के समय यह साक्षी मौके पर मौजूद था तथा उसका नाम साक्षी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अंकित है जो अविलम्ब ही लिखा दिया गया है।

25. जहां तक अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय का घटना के समय जेल में होने का प्रश्न है। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय घ टनास्थल पर मौजूद था तथा घटना से पूर्व साजिश के तौर पर अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति को रेलवे एक्ट के अंतर्गत गोरखपुर जेल में दाखिल कराया गया। विदित हो कि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय ने अपने बचाव में इस आशय की Alibi लिया है कि घटना दिनांक 29.08.09 की है जबकि वह दिनांक 21.08.09 से 31.08.09 तक जिला जेल गोरखपुर में बंदी के रूप में निरूद्ध था। अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय ने जिला जेल गोरखपुर से कैदियाना रजिस्टर न्यायालय के माध्यम से तलब कराया है तथा उसे डी0डब्लू 2 श्री शिवकुमार शर्मा वरिष्ठ जेल अधीक्षक गोरखपुर द्वारा सिद्ध कराया गया है तथा जेल अधीक्षक गोरखपुर ने रजिस्टर पर उद्धरण स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श ख2 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है। गोरखपुर जेल के जेल रजिस्टर प्रदर्श ख2 में क्रम सं0 860 पर राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बाददत्त पाण्डेय, ब्राम्हण, पेशा खेती, निवासी लिलारी भरौली, थाना कोपागंज, जिला मऊ, मुकदमा नं0 3282/09 अंतर्गत धारा 137 रेलवे एक्ट, फाइन 900+374=1274 ए.सी.जे.एम. (रेलवे), पहचान चिन्ह बायें ललाट पर कट, बायें आंख के नीचे मंसा, दायें भौंह पर गोल दाग, आयु 38 वर्ष, वजन 50 किग्रा. तथा लम्बाई 167 सेमी. अंकित है तथा परिवार के सदस्यों में पत्नी सरोज तथा पुत्र आकाश अंकित है। इसे डी0डब्लू 2 ने अपने बयान में भी बताया है। रजिस्टर पर चार अंगुष्ठ चिन्ह भी अंकित है। रजिस्टर के साथ ही दिनांक 31.08.09 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. (रेलवे) द्वारा जारी 1274/- रूपये की अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के नाम से जारी रसीद की फोटो प्रति भी उपलब्ध है जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक गोरखपुर द्वारा न्यायालय में ही दिनांक 05.03.16 को प्रमाणित की गयी है। रजिस्टर पर अभियुक्त की रिहाई की तिथि 31.08.09 तथा फाइन के भुगतान का इन्द्राज है। डी0डब्लू 2 एवं डी0डब्लू 3 के आगे के पृष्ठों पर वर्णित बयानों से स्पष्ट है कि डी0डब्लू 2 एवं डी0डब्लू 3 ने जेल रजिस्टर में की गयी उक्त प्रविष्टिओं को सिद्ध किया है। अतएव डी0डब्लू 2 एवं डी0डब्लू 3 के साक्ष्यों तथा प्रदर्श ख1 अर्थदण्ड की रसीद एवं प्रदर्श ख2 जेल रजिस्टर से यह निष्कर्ष निकलता है कि

गोरखपुर में पंजीकृत अपराध सं0 3282/09 अंतर्गत धारा 137 रेलवे एक्ट में ए.सी. जे.एम. (रेलवे) द्वारा रिमाण्ड के आधार पर अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बाददत्त पाण्डेय दिनांक 21.08.09 को दाखिल हुआ था। इसका पता एवं जाति वही है जो इस मामले के आरोप पत्र में है तथा दाखिले के समय उसकी आयु 38 वर्ष, वजन 50 किग्रा. एवं लम्बाई 167 सेमी. थी तथा अर्थदण्ड अदा करने के पश्चात उसे जेल से दिनांक 31.08.09 को रिहा किया गया।

26. अभियोजन ने अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत जेल रजिस्टर को चुनौती दिया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय गोरखपुर जेल में निरूद्ध नहीं था बल्कि उसके नाम, पते से किसी अन्य व्यक्ति को जेल में दाखिल कराया गया। अतएव अभियोजन की चुनौती के दृष्टिगत अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय (जो कि इस मामले में गिरफ्तार होकर जिला जेल मऊ में दाखिल था) के बावत जिला जेल मऊ से जेल रजिस्टर न्यायालय द्वारा आहूत किया गया जिसे श्री विजय कुमार गुप्ता, डिप्टी जेलर जिला कारागार मऊ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा बतौर सी0डब्लू 1 उसे प्रदर्श सी1 (कागज सं0 411ख) सिद्ध किया गया। जिला जेल मऊ के जेल रजिस्टर में अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बाददत्त पाण्डेय, क्रम सं0 2594 दिनांक 01.11.09, जाति ब्राम्हण, पता लिलारी भरौली, थाना कोपागंज, जिला मऊ, अपराध सं0 1866/09 अंकित है। पहचान चिन्ह में बायें ललाट पर कट, दायें ललाट पर फुंसी का दाग, बायें (अपठनीय) तिल तथा परिवार के सदस्यों में पत्नी सरोज एवं पुत्र आकाश अंकित है तथा आयु 37 वर्ष, वजन 87 किग्रा. तथा लम्बाई 165 सेमी. अंकित है। न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.15 को न्यायालय में ही अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय का निशानी अंगूठा (कागज सं0 285/4 एवं 285क/5) लेकर निदेशक अंगुली चिन्ह ब्यूरो, उ0प्र0 महानगर लखनऊ को अभियुक्त के गोरखपुर जेल के रजिस्टर पर उपलब्ध अंगुष्ठ चिन्हों के मिलान हेतु प्रेषित किया, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट मय फोटोग्राफ कागज सं0 285क/1, 285क/2 एवं 285क/3 पत्रावली पर उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर जेल के कैदियाना रजिस्टर पर उपलब्ध बंदी के अंगुष्ठ निशान को 102 लगायत 105 से

चिन्हित किया गया है तथा न्यायालय में अभियुक्त के अंगुष्ठ निशान के नमूनों को 106 व 107 से चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विवादग्रस्त अंगुष्ठ चिन्ह सं0 102 नमूना अंगुष्ठ चिन्ह अर्थात न्यादर्श अंगुष्ठ चिन्ह सं0 107 के **समान** है तथा विवादित अंगुष्ठ चिन्ह सं0 103 न्यादर्श अंगुष्ठ चिन्ह सं0 106 से असमान है तथा न्यादर्श अंगुष्ठ चिन्ह सं0 107 से मिलान के लिये साफ नहीं है तथा विवादग्रस्त अंगुष्ठ चिन्ह सं0 104 एवं 105 मिलान हेतु अस्पष्ट है।

27. अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय की वल्दियत बालदत्त है जबकि गोरखपुर जेल के कैदियाना रजिस्टर में उसकी वल्दियत बाददत्त अंकित है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर जेल के कैदियाना रजिस्टर में बंदी की आयु 38 वर्ष, वजन 50 किग्रा. तथा लम्बाई 167 सेमी. अंकित है जबकि जिला जेल मऊ के कैदियाना रजिस्टर में आयु 37 वर्ष, वजन 87 किग्रा. तथा लम्बाई 165 सेमी. अंकित है तथा अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय मऊ जेल में तथाकथित गोरखपुर जेल में निरूद्ध होने के बाद निरूद्ध हुआ। अतः बाद में निरूद्ध होने के कारण बंदी की आयु 38 वर्ष से घटकर 37 वर्ष नहीं होगी तथा लम्बाई 167 सेमी. से घटकर 165 सेमी. नहीं होगी तथा मात्र 2 माह के अंतराल पर बंदी का वजन 50 किग्रा. से बढ़कर 87 किग्रा. नहीं हो सकता। अतएव चूंकि मऊ जेल में निर्विवादित रूप से बंदी/अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के ये विवरण चूंकि जिला गोरखपुर के जेल के कैदियाना रजिस्टर से सारवान रूप से भिन्न है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिला जेल गोरखपुर में वह व्यक्ति बंदी नहीं था जो व्यक्ति जिला जेल मऊ में बंदी है अर्थात अभियुक्त जिला जेल गोरखपुर में घटना के दिन निरूद्ध नहीं था। फलस्वरूप अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय यह सिद्ध करने में असफल है कि घटना के तिथि पर वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था बल्कि अन्यत्र था, परन्तु अभियोजन के इस तर्क में बल प्रतीत नहीं होता क्योंकि वल्दियत बालदत्त के स्थान पर बाददत्त लिख जाना लिपकीय त्रुटि प्रतीत होती है क्योंकि अभियुक्त का शेष विवरण अर्थात उसका पता, परिवार के सदस्यों का नाम, जाति एवं पहचान का चिन्ह दोनों ही रजिस्टरों में समान है। जहां तक आयु, वजन तथा लम्बाई में भिन्नता का प्रश्न है तो यह प्रतीत होता है कि यह जेल के संबंधित कर्मी के लेखन त्रुटि के

कारण ऐसा हुआ है। अभियुक्त ने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 में इसका स्पष्टीकरण यह दिया है कि वजन एवं लम्बाई बिना नाप तौल लिये जेल के डाक्टर ने लिख दिया। सी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया भी है कि जेल में उस समय तौलने की इलेक्ट्रानिक मशीन उपलब्ध नहीं थी। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला जेल गोरखपुर के रजिस्टर में बंदी राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के अंगूठा निशान की जांच न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के अंगूठे का नमूना निशान लेकर अंगुली चिन्ह ब्यूरो, उ0प्र0 से करवाया है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर जेल के जेल रजिस्टर पर बंदी के अंगुष्ठ चिन्ह सं0 102 न्यायालय में अभियुक्त के लिये गये **नमूना अंगुष्ठ चिन्ह सं0 107 से मेल खाता है** परन्तु जेल रजिस्टर पर उपलब्ध बंदी के अन्य अंगुष्ठ चिन्ह अस्पष्ट हैं इसलिये न्यायालय में लिये गये अभियुक्त के अंगुष्ठ चिन्ह से मिलान हेतु अस्पष्ट है। अतः चूंकि गोरखपुर जेल के कैदियाना रजिस्टर में उपलब्ध बंदी का कम से कम एक अंगुष्ठ चिन्ह अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के अंगुष्ठ चिन्ह से मेल खाता है (तथा शेष चिन्ह स्पष्ट न होने के कारण मिलान नहीं किये जा सके)। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय ही दिनांक 21.08.09 से 31.08.09 तक जिला जेल गोरखपुर में बतौर बंदी निरूद्ध था। कहने की आवश्यकता नहीं कि किन्ही दो व्यक्तियों के अंगुष्ठ चिन्ह कभी भी समान नहीं हो सकते। अभियुक्त के शेष विवरण जैसे कि पहचान के विशिष्ट चिन्ह, पता तथा परिवार के सदस्यों का नाम भी दोनों रजिस्टरों में समान है। भिन्नता केवल वजन एवं लम्बाई में है जो लेखक की उपेक्षा प्रतीत होती है। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि वास्तव में गोरखपुर जिला जेल के रजिस्टर में अभियुक्त का वजन जो अंकित है वह 80 किग्रा. है न कि 50 किग्रा.। साक्षी ने उसे 50 किग्रा. अस्पष्ट लिखावट के कारण बताया है। रजिस्टर का पृष्ट देखने से प्रतीत होता है कि अंक 50 स्पष्ट नहीं है। अतः नितान्त संभव है कि वह अंक 85 हो। अतः उपरोक्त साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय दिनांक 21.08.19 से 31.08.09 तक जिला जेल गोरखपुर में बतौर बंदी निरूद्ध था। अतः अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय ने संतोषप्रद रूप से Alibi सिद्ध कर दिया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना

की तिथि पर अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय घटनास्थल पर नहीं था।

28. अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, अरविन्द यादव तथा जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया की ओर से तर्क दिया गया है कि यदि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के मौके पर मौजूद न रहने के बावजूद भी पी0डब्लू 2 अमरजीत सिंह ने उसे मौके पर देखना बताया है तो निश्चित रूप से साक्षी हैलूसिनेशन (hallucination) से ग्रस्त है अर्थात यह साक्षी मौके पर वह भी देख रहा है जो मौके पर भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः उसका साक्ष्य हैलुसिनेटरी (hallucinatory) साक्ष्य है तथा विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के मौके पर न रहने के बावजूद यह साक्षी उसको मौके पर देखना बता रहा है जो निश्चय ही असत्य है तो उसी प्रकार अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया एवं अरविन्द यादव की मौके पर उपस्थिति के विषय में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द नहीं हो सकता।

29. बचाव पक्ष के इस तर्क पर विचार किया गया। परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं पाया जाता क्योंकि प्रत्येक आपराधिक मामले की पृष्ठभूमि, तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं। संभव है कि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के सापेक्ष इस साक्षी का साक्ष्य असत्य हो, परन्तु शेष अभियुक्तों अर्थात अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव के सापेक्ष इस साक्षी का बयान विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द प्रतीत होता है। उनसे इस साक्षी की रंजिश का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अनायास ही यह साक्षी उन्हें इतने गंभीर अपराध में क्यों लिप्त करेगा, दूसरे शब्दों में उन्हें झूठा फंसाने का इस साक्षी के पास कोई हेतुक विद्यमान नहीं है। अतः इस आधार पर यह साक्षी उनके विषय में अविश्सनीय नही हो सकता।

30. अभियुक्त जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया के विषय में यह तर्क दिया गया है कि पी0डब्लू 2 अमरजीत सिंह ने उसको हमलावरों में नहीं बताया है तथा उसका नाम किसी अन्य साक्षी ने भी मौके पर हमलावरों/बदमाशों में होना नहीं बताया है। अतः उसके विरूद्ध इस मामले में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे इस मामले में उसकी संलिप्तता सिद्ध हो। परन्तु उसके इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि साक्षी

पी0डब्लू 2 अमरजीत सिंह ने मौके पर ''राजू धोबी'' द्वारा भी फायर करना बताया है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में ''धोबी'' तथा ''कन्नौजिया'' पर्यायवाची हैं अर्थात ''राजू धोबी'' से साक्षी का तात्पर्य ''राजू कन्नौजिया'' अर्थात ''जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया'' से ही है।

31. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 29.08.09 को शाम 06.00 बजे अग्नेय शस्त्रों से लैस कुल 06 बदमाश अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करने के आशय से मौके पर इकट्ठा हुये तथा उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायर किये, जिससे अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह तथा राजेश राय गाड़ी में बैठे–बैठे तथा उनका चालक शब्बीर शाह जो गाड़ी के बाहर था गंभीर रूप से गोली लगने से घायल हो गये जिसके फलस्वरूप अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की उसी दिन मृत्यु हो गयी परन्तु राजेश राय एवं शब्बीर शाह की मृत्यु नहीं हुई। उक्त 06 हमलावरों में अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव थे तथा अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय की उपस्थिति सिद्ध नहीं हो सकी एवं शेष दो व्यक्तियों में से एक को पहचाना नहीं जा सका तथा एक व्यक्ति कमलेश यादव की दौरान विवेचना ही मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया। अतः उसका विचारण नहीं किया गया।

32. जहां तक शेष अभियुक्तों द्वारा घटना का षडयंत्र रचने का प्रश्न है, इस साक्षी के साक्ष्य से षडयंत्र कदापि सिद्ध नहीं होता क्योंकि इस साक्षी ने भी अपने बयान में यही बताया है कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी व अनुज धोबी से रंजिश थी। घटना के समय मुख्तार अंसारी तथा अनुज धोबी जेल में बंद थे। मुख्तार अंसारी व अनुज धोबी टेंडर रूकवाते थे जो ठेकेदार उन्हें 10 प्रतिशत कमीशन देता था उन्हें ही टेंडर डालने देते थे परन्तु अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह कमीशन नहीं देते थे इसीलिये अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या कर दिये। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह उससे अक्सर यह बताते थे कि मुख्तार अंसारी व अनुज धोबी की धमकी उसे हमेशा आती है। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह इसका विरोध किये थे तथा टेंडर डाले थे एवं उसकी शिकायत मुख्यमंत्री व प्रमुख अभियंता से किये थे। साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि वह स्वयं बता रहा है कि घटना के समय

मुख्तार अंसारी एवं अनुज धोबी दोनों ही जेल में बंद थे। अतः उनके द्वारा इस घटना का षडयंत्र तभी सिद्ध होगा जबकि जेल में रहते हुए उनके तथा वास्तविक हमलावरों के मध्य किसी भी प्रकार का संवाद सिद्ध हो जिसके आधार पर उनके मध्य अपराध करने की सहमति सिद्ध हो, परन्तु अभियोजन द्वारा ऐसे किसी संवाद का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मुख्तार अंसारी एवं अनुज कन्नौजिया तथा वास्तविक हमलावरों के मध्य कोई षडयंत्र सिद्ध नहीं होता। कहने की आवश्यकता नहीं कि संभव है ठेकेदारी तथा कमीशन को लेकर अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया एवं अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के मध्य कोई खिन्नता तथा रंजिश रही हो परन्तु मात्र इस खिन्नता तथा रंजिश के साक्ष्य से षडयंत्र सिद्ध नहीं होता। मात्र रंजिश तथा खिन्नता होना एक भिन्न तथ्य है तथा षडयंत्र करना एक भिन्न तथ्य है। यह सदा आवश्यक नही है कि रंजिश रखने वाला तथा खिन्न व्यक्ति आवश्यक रूप से अपने विरोधी के विरूद्ध उसकी हत्या करने का षडयंत्र भी रचे। षडयंत्र को विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध करना आवश्यक है। इस साक्षी ने अन्य अभियुक्तों अर्थात रजनीश सिंह, उमेश सिंह एवं पंकज सिंह के विषय में कोई साक्ष्य नहीं दिया है तथा उनके विषय में अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह द्वारा उससे कोई शिकायत करना भी नहीं बताया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से केवल यह सिद्ध होता है कि घटना वाले दिन अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव एवं कम से कम से दो अन्य व्यक्तियों ने अग्नेयशस्त्रों से लैस होकर अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह आदि पर फायर किया था, परन्तु अन्य किसी अभियुक्त द्वारा षडयंत्र करना सिद्ध नहीं होता।

33. बचाव पक्ष द्वारा भी मौके का एक साक्षी बचाव साक्ष्य के रूप में परीक्षित किया गया है। यह साक्षी मंगरू सिंह है। मंगरू सिंह डी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया है कि वह सन् 2007 से ड्राईवरी कर रहा है। उसने अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के यहाँ सन् 2007 से ड्राईवरी का काम शुरू किया। मन्ना सिंह उर्फ अजय प्रकाश सिह पुत्र देवपूजन सिंह ग्राम कैथवली थाना सराय लखंसी जनपद मऊ के मूल निवासी हैं। इनका एक मकान गाजीपुर तिराहे के पास इमिलिया मोहल्ला थाना कोतवाली नगर मऊ में भी है। जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहते थे। वह

मन्ना सिंह के ट्रक नं. यू.पी.63/ई–9849 को चलाता था। जब से वह मन्ना सिंह के यहाँ काम कर रहा था, तब से उनके पास कुल चार ट्रक थे, जिससे वे बालू व गिट्टी की आपूर्ति का काम करते थे। जबसे वह मन्ना सिंह के यहाँ ड्राईवर नियुक्त हुआ, तबसे वे कभी भी ठेकेदारी या टेण्डर भरने का काम नहीं करते थे। उनके पास जो अन्य तीन और ट्रक थे, उनके नम्बर भी उसे याद है। मन्ना सिंह उर्फ अजय प्रकाश सिंह की हत्या हो चुकी है। मन्ना सिंह की हत्या हुए लगभग पांच वर्ष हो गये। मन्ना सिंह की हत्या दिनांक 29.08.2009 को शाम लगभग 5.00–6.00 बजे गाजीपुर तिराहे के पास यूनियन बैंक के सामने हुई थी। उस समय वह वहीं घटनास्थल के पास ही मौजूद था। घटना होने से दस पन्द्रह मिनट पहले वह ट्रक लेकर घटनास्थल के पास आ गया था। उस दिन वह हलधरपुर में गिट्टी गिराकर आया था। जिस समय वह हलधरपुर से ट्रक लेकर आ रहा था, उस समय बलिया मोड़ पर मन्ना सिंह के चचेजात भाई हरेन्द्र सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह को देखा। वे वहाँ हरि शर्मा के गैरेज में अपने द्वारा लिए हुए चेसिस पर ट्रक की बाडी बनवा रहे थे। जिस समय वह अपनी ट्रक लेकर गाजीपुर तिराहे के पास यूनियन बैंक के सामने आया और अपनी ट्रक खड़ी किया, उसके पांच–सात मिनट बाद अपने सफारी गाड़ी से मन्ना सिंह आकर उसके ट्रक से दस–बारह मीटर पूरब रूके थे, तब वह अपनी हिसाब की कापी लेकर मन्ना सिंह के पास गया तो मन्ना सिंह अपनी गाड़ी में बांये वाली सीट पर आगे बैठे थे तथा उस गाड़ी में राजेश राय तथा उनके भतीजे विक्रान्त सिंह तथा उनका ड्राईवर शब्बीर अहमद उर्फ राजा भी बैठे थे। जब मन्ना सिंह उसके हिसाब की कापी देखे तो उन्होने विक्रान्त सिंह को घर से चालीस हजार रूपये लाने के लिए भेज दिया तथा शब्बीर को अशोक सिंह के घर से अमरजीत सिंह को बुलाने के लिए भेज दिया। अभी वह गाड़ी के पास खड़ा ही था कि शब्बीर, विक्रान्त से पहले ही गाड़ी के पास लौटकर आ गया और मन्ना सिंह से बताया कि अमरजीत सिंह सुबह से ही अशोक सिंह के घर नहीं है। इतने में दो मोटर साईकिल से चार बदमाश वहीं पर आ गये और हाथ में हथियार निकाल कर मन्ना सिंह को लक्ष्य करके सफारी गाड़ी पर गोली चलाने लगे। वह तुरन्त भागकर अपने ट्रक के पास चला आया और वहीं से पूरी घटना देखा। इस घटना में मन्ना भईया, राजेश राय तथा शब्बीर को गोली लगी थी। मन्ना सिंह व

राजेश गाड़ी में ही गिर गये तथा शब्बीर नीचे जमीन पर गोली लगने से गिर गया। वह गोली मारने वाले चारों बदमाशों को पहचाना था। मारने वाले बदमाशों में काली पासी उर्फ रमेश जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है तथा दूसरा बदमाश राधे हरिजन था जो गाजीपुर का रहने वाला है, तीसरा बदमाश शेषनाथ चौहान उर्फ दारोगा चौहान था, जो ग्राम फतहपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ का रहने वाला था तथा चौथा बदमाश राजा श्रीवास्तव उर्फ राजा चौहान था जो रैदोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ का रहने वाला था। मारने के बाद इन बदमाशों में से शेषनाथ उर्फ दरोगा चौहान मन्ना सिंह की गाड़ी के पास जाकर मन्ना सिंह को हिला-डुलाकर देखा तथा एक गोली और उनके चेहरे पर मारा तथा उनकी गाड़ी में रखी रिवाल्वर ले लिया तथा चारो बदमाश अपना असलहा लहराते अपनी मोटर साईकिलों से भीटी की तरफ भाग गये। इस घटना के समय हरेन्द्र सिंह व अमरजीत सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे। घटना के बाद मन्ना सिंह की सफारी गाड़ी के पास वह, पीयूष सिंह, विक्रान्त सिंह तथा चार-पांच लोग और पहुँचे थे, जिन्हें वह पहचानता नहीं है। पीयूष सिंह व विक्रान्त सिंह उसी सफारी गाड़ी में मन्ना सिंह व राजेश राय को लेकर डा. पी.एल. गुप्ता के अस्पताल चले गये। इसके बाद वह अपनी मोबाईल निकाल कर हरेन्द्र सिंह को फोन करके बताया कि मन्ना भईया को बदमाशों ने गोली मार दी है। उसने हरेन्द्र सिंह को यह भी बताया था कि बदमाशों ने मन्ना भईया को यूनियन बैंक के सामने गोली मार दिया है। तब हरेन्द्र सिंह कहे कि ऐसा नहीं हो सकता और उन्होने अपना फोन काट दिया। उसके बाद उसने घायलावस्था में जमीन पर पड़े शब्बीर अहमद को तीन-चार आदमियों की मदद से टैम्पू में लादकर सदर अस्पताल, मऊ ले गया, जहाँ बीस पच्चीस मिनट के बाद शब्बीर अहमद को बनारस के लिए रेफर कर दिया। वह अस्पताल में आठ बजे रात तक था। वह मन्ना सिंह के लाश के इंतजार में अस्पताल में आठ बजे रात तक रहा, लेकिन जब यह पता चला कि वह बनारस ले जाये गये हैं, तब वह वापस लौटकर अपनी ट्रक पर चला आया। उसने घटनास्थल पर या अस्पताल में जब तक रहा, हरेन्द्र सिंह व अमरजीत सिंह को कहीं नहीं देखा था। दरोगाजी ने घटना के दूसरे दिन मन्ना भईया के घर पर उससे पूछताछ की थी, परन्तु कुछ लिखे-पढ़े नहीं थे।

34. इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने भी घटना का वैसे ही वर्णन किया है जैसे की पी0डब्लू 1, 3 एवं 4 ने तथा इस साक्षी ने भी पी0डब्लू 3 एवं 4 की भांति ही हमला करने वालों बदमाशों का नाम काली पासी उर्फ रमेश, राधे हरिजन, शेषनाथ चौहान उर्फ दरोगा चौहान तथा राजा श्रीवास्तव उर्फ राजा चौहान को बताया है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि यह साक्षी घटना का सही साक्षी है तथा उसने हमलावरों का सही नाम बताया है जिसका समर्थन स्वयं पी0डब्लू 3 एवं 4 के साक्ष्यों से भी होता है जो कि अभियोजन के ही साक्षी हैं। अतः पी0डब्लू 3 एवं 4 के साक्ष्य भी विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द हैं। इस प्रकार पी0डब्लू 3 एवं 4 तथा डी0डब्लू 1 के साक्ष्यों से भलीभांति यह सिद्ध होता है कि फायर करने वाले बदमाश काली पासी, राधे हरिजन, दरोगा चौहान तथा राजा चौहान थे न कि अभियुक्तगण में से कोई भी अभियुक्त। परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है, क्योंकि दौरान विवेचना विवेचक ने इस साक्षी का बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया है जिसमें इस साक्षी ने हमलावरों में काली पासी, राधे हरिजन, राजा चौहान तथा दरोगा चौहान का नाम नहीं बताया है, अतः चूंकि इस साक्षी के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान तथा न्यायालय में दिये गये बयान में अभियुक्तों के नाम के विषय में तात्विक विरोधाभाष है। अतः साक्षी के बयान से यद्यपि घटना तो सिद्ध होती है परन्तु हमलावर बदमाशों के नाम के विषय में साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

35. अभियोजन ने तथ्यों के साक्षी के रूप में जगदीश सिंह एवं चन्द्रशेखर सिंह को बतौर पी0डब्लू 9 एवं पी0डब्लू 13 परीक्षित किया है।

36. पी0डब्लू 9 जगदीश सिंह ने अपने बयान में बताया है कि उसका हाल मुकाम सहादतपुरा थाना कोतवाली, मऊ में है, जहाँ वह अपना मकान बनवाकर अपने परिवार के साथ रहता है। घटना 29 अगस्त 2009 के शाम करीब 6.00 बजे की है। घटना यूनियन बैंक के सामने सहादतपुरा की है, जो उसके निवास से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। घटना के समय वह अपने घर पर था। मृतक मन्ना सिंह उसका सगा भतीजा था। मोहल्ले के किसी लड़के ने उसे घटना के बारे में बताया। सूचना मिलने पर वह बेहोशी की हालत में हो गया था। करीब आधे घण्टे बाद उसे चेतना आयी,

तब वह पैदल सरकारी अस्पताल की तरफ जा रहा था। घटनास्थल बीच में पड़ा था। सरकारी अस्पताल के गेट पर जाम लगा था। घटनास्थल पर जाम नहीं लगा था। सरकारी अस्पताल पर लगे जाम में से संतोष सिंह ने उसे बताया कि सदर अस्पताल में नहीं है, पी.एल. गुप्ता के अस्पताल में ले गये हैं। जाम लगाने वालों का क्या उद्देश्य था, वह नहीं जानता है। डा.पी.एल. गुप्ता के अस्पताल में मन्ना सिंह को एक चौकी पर लिटाया गया था। वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। उसे घर लौटने के बाद पता चला कि घटना में राजेश राय व शब्बीर शाह को भी चोटें लगी थी। राजेश राय व शब्बीर को बनारस भेज दिया गया था। कौन ले गया था, वह नहीं जानता है। **मृतक मन्ना सिह की रंजिश ठेकेदारी को लेकर अन्य ठेकेदारों व अभियुक्त मुख्तार अंसारी से थी।** ठेकेदारों के नाम उमेश सिंह, संतोष सिंह, रजनीश सिंह हैं। मुख्तार अंसारी दस प्रतिशत कमीशन ठेकेदारों से लेकर विभाग पर दबाव डालकर ठेका दिलवाते थे। मृतक मन्ना सिंह ने दस प्रतिशत कमीशन देने से मना कर दिया था, इसलिए विधायक मुख्तार अंसारी मृतक मन्ना सिंह से नाराज रहते थे। अभियुक्त अनुज कन्नौजिया के माध्यम से जेल से मृतक मन्ना सिंह को धमकी आती थी, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गयी थी। अनुज कन्नौजिया विधायक मुख्तार अंसारी का आदमी है। मृतक मन्ना सिंह उसे धमकी मिलने के बारे में बताते थे। मृतक मन्ना सिंह ने धमकी मिलने के संबंध में थाना सराय लखंसी में मुख्तार अंसारी व अनुज कन्नौजिया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवायी थी। मृतक मन्ना सिंह को प्रशासन से सुरक्षा मिली थी, जो घटना के दो माह पहले हटा ली गयी थी। मृतक मन्ना सिंह दस प्रतिशत कमीशन नहीं देते थे, जिससे मुख्तार अंसारी, संतोष सिंह, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय का नुकसान हेाता था। इसी नुकसान के कारण इन सभी लोगों ने साजिश करके मृतक मन्ना सिंह की हत्या करायी थी। दूसरे दिन सुबह इस केस के गवाह रामसिंह ने उसे बताया था कि पैसे की सारी व्यवस्था उमेश सिंह ने की थी, जो हत्या को सुनियोजित करने के लिए थी। गवाह राम सिंह ने उसे मारने वालों के नाम बताये थे, जो इस प्रकार से है- अमरेश कन्नौजिया, राजू धोबी, कमलेश यादव, अरविन्द यादव, राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान पाण्डेय है। विवेचक ने उसका दो बार बयान लिया था।

37. इस साक्षी के बयान से भी यह स्पष्ट है कि यह भी मौके का साक्षी नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर वह बेहोश हो गया था। आधे घण्टे बाद उसे चेतना आयी तब सरकारी अस्पताल पहुंचा जहां उसे बताया गया कि मृतक को सरकारी अस्पताल से डा0 पी0एल0 गुप्ता के अस्पताल ले गये। अतः निश्चित रूप से किसी बदमाश को स्वयं नहीं देखा था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि इस साक्षी ने भी बताया है कि मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की रंजिश ठेकेदारी को लेकर अन्य ठेकेदारों व अभियुक्त मुख्तार अंसारी से थी। उन ठेकेदारों के नाम साक्षी ने उमेश सिंह, संतोष सिंह, रजनीश सिंह बताया है तथा साक्षी ने यह भी बताया है कि मुख्तार अंसारी 10 प्रतिशत कमीशन ठेकेदारों से लेकर विभाग पर दबाव डालकर ठेका दिलवाते थे, परन्तु अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने कमीशन देने से मना कर दिया था इसलिये अभियुक्त मुख्तार अंसारी उनसे नाराज रहते थे। अभियुक्त अनुज कन्नौजिया के माध्यम से जेल से मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह को धमकी आती थी जिसकी सूचना अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने अधिकारियों को दी थी। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह उसे ये बात बताते थे। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तों के विरूद्ध षडयंत्र करके अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करना सिद्ध होता है, परन्तु अभियोजन के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि अभियोजन साक्ष्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि मौके पर उमेश सिंह, संतोष सिंह, रजनीश सिंह, मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया नहीं थे बल्कि घटना उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा कारित की गयी है। साक्षी के इस साक्ष्य से यह कदापि स्थापित नहीं होता कि उन व्यक्तियों अर्थात वास्तविक हमलावरों तथा उमेश सिंह, संतोष सिंह, रजनीश सिंह, मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया के बीच में कभी कोई सहमति अथवा संवाद स्थापित हुआ हो। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियुक्तों के मध्य कोई षडयंत्र सिद्ध नहीं होता। यदि यह मान भी लिया जाय कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की इन अभियुक्तों से कमीशन न देने को लेकर नाराजगी थी तो यह केवल नाराजगी का ही साक्ष्य है न कि षडयंत्र का। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि नाराजगी एक भिन्न तथ्य है तथा षडयंत्र एक सर्वथा भिन्न तथ्य है। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस साक्षी ने बताया है कि सरकारी अस्पताल पर जाम लगा था। जाम

में से संतोष सिंह ने उसे बताया था कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह सरकारी अस्पताल में नहीं है बल्कि डा0 पी0एल0 गुप्ता के अस्पताल ले जाया गया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि संतोष सिंह आदि ने षडयंत्र रचा था, परन्तु इस तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि पी0डब्लू 1 एवं 2 ने केवल मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया द्वारा षडयंत्र रचना बताया है किसी अन्य अभियुक्त द्वारा नहीं जबकि इस साक्षी ने संतोष सिंह का जाम में उपस्थित रहना बताया है। अतः मात्र इस तथ्य से संतोष सिंह द्वारा षडयंत्र रचना सिद्ध नहीं होता। अभियेाजन ने यह भी तर्क दिया है कि इस साक्षी ने बताया है कि दूसरे दिन सुबह इस केस के गवाह रामसिंह ने उसे बताया था कि पैसे की सारी व्यवस्था उमेश सिंह ने की थी तथा मारने वालों के नाम अमरेश कन्नौजिया, राजू धोबी, अरविन्द यादव, राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान बताया था। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से उक्त अभियुक्तों की भागीदारी सिद्ध होती है, परन्तु इस तर्क में बल नही है क्योंकि यदि रामसिंह ने उक्त सूचना इस साक्षी को दिया था तो रामसिंह ही मामले का साक्षी था परन्तु उसे अभियेाजन द्वारा परीक्षित नहीं किया गया है। इस साक्षी ने रामसिंह द्वारा बतायी गयी बात न्यायालय में बतायी है। अतः वह अनुश्रुति साक्ष्य है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से भी यद्यपि घटना अर्थात अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की बदमाशों द्वारा फायरिंग करने से हत्या तो सिद्ध होती है, परन्तु किसी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता।

38. साक्षी चन्द्रशेखर सिंह पी0डब्लू 13 ने बयान दिया है कि वह सन् 2007 से मऊ लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी का काम करता है। पी.डब्ल्यू.डी. में उसके ठेकेदारी का पंजीयन था। वह व राजेश राय, मन्ना सिंह के साथ मिलकर ठेकेदारी करते थे। मन्ना सिंह की हत्या दिनांक 29.08.2009 को ठेकेदारी के वर्चस्व को लेकर हुई थी। मन्ना सिंह के साथ राजेश राय को भी चोट लगी थी और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गयी थी तथा चालक शब्बीर शाह भी घायल हुए थे। उसने व राजेश राय ने मिलकर संतोष सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी के यहॉं दरख्वास्त दी थी, जो अम्बेडकर योजना के अंतर्गत् धवरियासाथ सम्पर्क मार्ग चौदह प्रतिशत के स्थान पर 1.4 कूटरचना करके विभाग से मिलकर टेण्डर को प्राप्त करने की कोशिश की थी।

इस मामले पर जिलाधिकारी ने जांच किया, जिसमे संतेाष सिंह व कर्मचारीगण दोषी पाये गये थे, **जिसकी वजह से** (अभियुक्त) **संतोष सिंह, मन्ना सिंह, राजेश राय उससे नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी को लेकर संतोष सिंह,** उमेश सिंह व कुछ अन्य लोग फिर कहा कि उमेश सिह का नाम नहीं लिया, संतोष सिह **ने अन्य लोगों के साथ साजिश करके मन्ना सिंह की हत्या करा दी।** घटना की सूचना मिलने पर जब वह अस्पताल आ रहा था तो संतेाष सिंह वगैरह साजिश के तहत जाम लगाये थे। वह जाम से निकल कर जा रहा था तेा सुना कि उमेश सिंह अपनी मोबाईल से बात कर रहे थे कि अनुज काम हेा गया है, विधायक जी को बोल दीजिए और शूटर सुरक्षित निकल चुके हैं। फिर वह किसी प्रकार अस्पताल पहुँचा तो मन्ना सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। संतोष सिंह जितना भी टेण्डर निकलता था, उसे विधायक जी के माध्यम से बांटते थे और उस पर दस प्रतिशत कमीशन लेते थे। विवेचक ने उसका दो बार बयान लिया था।

39. इस साक्षी के साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि यह मौके का साक्षी नही है तथा इसने किसी हमलावर को स्वयं नहीं देखा है। इस साक्षी ने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य दिया है जो पी0डब्लू 1, 2, 5 के साक्ष्यों से **सर्वथा भिन्न है** क्योंकि पी0डब्लू 1, 2 एवं 5 ने यह बताया है कि मुख्तार अंसारी ठेके का 10 प्रतिशत कमीशन न पाने के कारण अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह से नाराज थे तथा अनुज कन्नौजिया उन्हें धमकी देता था तथा **इस** रंजिश के कारण मुख्तार अंसारी एवं अनुज कन्नौजिया ने अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करवा दिया, परन्तु यह साक्षी यह बताता है कि वह स्वयं, राजेश राय एवं अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के साथ मिलकर वर्ष 2007 से लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी का काम करता था। उसने व राजेश राय ने मिलकर संतोष सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी के यहां इस आशय की शिकायत किया था कि कूटरचना करके विभाग से मिलकर उन्होनें टेंडर प्राप्त करने का प्रयास किया था। इस मामले की जिलाधिकारी ने जांच कराया था जिसमें अभियुक्त संतोष सिंह व पी0डब्लू0डी0 के कर्मचारी दोषी पाये गये थे, **जिसकी वजह से संतोष सिंह** उससे तथा अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह एवं राजेश राय से नाराज चल रहे थे **इसी** नाराजगी को लेकर संतोष सिंह ने अन्य लोगों के साथ साजिश करके अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह

की हत्या करवा दिया। अतः जहां अभियेाजन के अन्य साक्षियों ने यह बयान दिया है कि 10 प्रतिशत कमीशन न पाने के कारण अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया ने नाराज होकर अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करा दी वहीं अभियोजन के इस प्रमुख साक्षी ने अभियुक्त संतोष सिंह द्वारा अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करवाना बताया है। अतः अभियोजन प्रारंभ से अंत तक भ्रमित है कि वास्तव में किस–किस से मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की रचंजिश थी तथा उनमें से किसने उसकी हत्या करवायी। अतः यदि अभियोजन अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह से रंजिश रखने वाले व्यक्तियो के विषय में स्वयं भ्रमित है तो उसके साक्ष्यों से कदापि यह सिद्ध नहीं होता कि कौन–कौन व्यक्ति अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह से नाराज चल रहे थे।

40. अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस साक्षी ने बताया है कि सूचना पाकर जब वह अस्पताल जा रहा था तो संतोष सिंह वगैरह साजिश के तहत जाम लगाये थे तथा जब वह जाम से निकलकर जा रहा था तो सुना कि उमेश सिंह अपनी मोबाइल से बात कर रहे थे कि अनुज काम हो गया है। विधायक जी को बोल दीजिये। शूटर सुरक्षित निकल चुके हैं। अतः इससे अभियुक्तों के मध्य षडयंत्र सिद्ध होता है, परन्तु अभियोजन के इस तर्क में कोई बल नहीं है। साक्षी का यह साक्ष्य रोचक, हास्यास्पद तथा अविश्सनीय है क्योंकि साक्षी के साक्ष्य से ही प्रतीत होता है कि साक्षी मौके पर मौजूद नहीं था बल्कि घटना के घटित हो जाने के काफी देर पश्चात अस्पताल पहुंचा था जबकि साक्ष्यों के अनुसार सभी बदमाश मौके से फरार हो गये थे। इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि मानो उमेश सिंह प्रतीक्षा कर रहे हों कि जब यह साक्षी वहां पहुंचेगा तब वह मोबाइल से उसके समक्ष फोन कर अनुज कन्नौजिया को यह सूचना देगा कि शूटर सुरक्षित निकल चुके हैं। क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि फोन पर इतनी तेज आवाज में बात करके उमेश सिंह भीड़ द्वारा स्वयं को पकड़े जाने का (lynch) किये जाने का जोखिम उठायेगा यदि वास्तव में वहां जाम लगा था तो उमेश सिंह की यह बात सुनकर भीड़ उसे स्वयं षडयंत्रकारी समझकर पकड़ लेती और उसके साथ कुछ भी कर सकती थी जिसका जोखिम उमेश सिंह नहीं उठा सकता था। अतः साक्षी का यह साक्ष्य अविश्वसनीय है

कि उमेश सिंह ने ऐसी कोई बात मोबाइल से उस समय अनुज कन्नौजिया से किया होगा जो कि स्वयं उस समय जेल में था जहां मोबाइल रखना निषिद्ध है। अभियेाजन की ओर से एक काल डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, परन्तु मात्र उस काल डिटेल रिपोर्ट से यह सिद्ध नहीं होता कि उनमें से कोई मोबाइल फोन नंबर अनुज कन्नौजिया का था तथा वह अनुज कन्नौजिया को जेल में उपलब्ध था। जहां तक इस साक्षी द्वारा संतोष सिंह द्वारा साजिश के तहत जाम लगाये जाने का प्रश्न है तो यह युक्ति संगत साक्ष्य नहीं है क्योंकि संतोष सिंह तथा उमेश सिंह अकेले जाम नहीं लगा सकते तथा यह भी नहीं बताया गया है कि संतोष सिंह ने किस प्रकार जाम लगाया था? क्या उन्होनें किसी प्रकार से यातायात अवरूद्ध कर दिया था? ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि शहर के बीच एक बड़ी वारदात हुई थी तथा घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया था अतः कौतुहलवश जनता भारी संख्या में वहां इकट्ठी हो गयी थी। साक्षी मात्र अपने अनुमान के आधार पर बता रहा है कि संतोष सिंह व उमेश सिंह ने साजिशन जाम लगाया था। साक्षी के इस साक्ष्य से भी न तो किसी अभियुक्त के विरूद्ध घटना में प्रत्यक्ष साझेदारी सिद्ध होती है और न ही उनके मध्य किसी सहमति का होना जिसके आधार पर किसी षडयंत्र का होना सिद्ध हो।

41. यदि साक्षीगण मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के मित्र तथा निकट संबंधी थे तो उन्हें अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह ज्ञात हो सकता है कि ठेकेदारी को लेकर अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की अभियुक्त मुख्तार अंसारी, अनुज कन्नौजिया तथा अन्य अभियुक्तों से रंजिश थी, परन्तु मात्र रंजिश के साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रंजिश रखने वाले व्यक्तियों ने ही अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करवा दिया हो जब तक कि स्वयं उनके द्वारा हत्या करने में शामिल होना अथवा षडयंत्र रचना सिद्ध न हो। यदि रंजिश भी देखी जाय तो अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की रंजिश पी0डब्लू 1, 2 एवं 5 के अनुसार मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया से थी, पी0डब्लू 9 के अनुसार रंजिश उमेश सिंह, संतोष सिंह तथा रजनीश सिंह से थी, पी0डब्लू 13 के अनुसार संतोष सिंह से थी तथा स्वयं अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह द्वारा लिखे गये पत्रों कागज सं0

10क1,11क1,11क2,11क3,11क4,11क5 एवं 12क1 के अनुसार लोक निर्माण विभाग में तैनात सहायक अभियंता तथा माफिया प्रकृति के लिपिकों से थी। अतः इतने व्यक्तियों से रंजिश रखने वाले अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंहर की हत्या किसने किया यह सिद्ध नहीं होता तथा उनके मध्य, जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है आपसी किसी वार्तालाप, संवाद, संदेश तथा सहमति का साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे उनके मध्य षडयंत्र सिद्ध हो।

42. अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया है कि षडयंत्र अत्यन्त गोपनीय ढंग से रचा जाता है जिसका प्रायः साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। अतः उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जाता है। यद्यपि अभियोजन का यह तर्क सत्य है तथा इसमें पर्याप्त बल भी है, परन्तु इस मामले में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि इस मामले में षडयंत्र का न तो प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य विद्यमान है। अतः यदि किसी अपराध का साक्ष्य दुर्लभ हो तो उसे संभावना, संदेह, अनुमान अथवा मात्र विश्वास के आधार पर सिद्ध नहीं माना जा सकता। षडयंत्र का अपराध भी अन्य अपराधों की भांति स्वयं में ही एक दण्डनीय अपराध है जिसे भी स्पष्ट तथा विश्वसनीय साक्ष्यों से (believable and cogent) साक्ष्यों से सिद्ध करना अनिवार्य है जो कि इस मामले में सिद्ध नहीं हो सका। माननीय उच्चतम न्यायालय ने परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य (2011) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 98 में यह व्यवस्था दिया है किः–

x x x x x x

*“**10.** A criminal trial is not a fairy tale wherein one is free to give flight to one's imagination and fantasy. Crime is an event in real life and is the product of an interplay between different human emotions. In arriving at a conclusion about the guilt of the accused charged with the commission of a crime, the court has to judge the evidence by the yardstick of probabilities, its intrinsic worth and the animus of witness.................The court must bear in mind that “human nature is too willing, when faced with brutal crimes, **to spin stories out of strong suspicions”.** Though an offence may be gruesome and revolt the human conscience, an accused can be*

convicted only on legal evidence and not on surmises and conjecture. The law does not permit the court to punish the accused on the basis of a ***moral conviction or suspicion alone.*** *"The burden of proof in a criminal trial never shifts and it is always the burden of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt on the basis of acceptable evidence." In fact, it is a settled principle of criminal jurisprudence that the more serious the offence, the stricter the degree of proof required, since a higher degree of assurance is required to convince the accused...............*

*"**11.** In Sarwan Singh Rattan Vs State of Punjab AIR 1957 SC 637 The Hon'ble Supreme Court has observed:-*

"12.......considered as a whole the prosecution story may be true; but between 'may be true' and 'must be true' there is inevitably a long distance to travel and the whole of this distance must be covered by legal, reliable and unimpeachable evidence [before an accused can be convicted]."

12. *Thus, the law on the point may be summarised to the effect that in a criminal trial involving a serious offence of a brutal nature, the court should be wary of the fact that it is human instinct to react adversely to the commission of the offence and make an effort to see that such an instinctive reaction does not prejudice the accused in any way. In a case where the offence alleged to have been committed is a serious one, the prosecution must provide greater assurance to the court that its case has been proved beyond reasonable doubt.*

43. अभियोजन द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जैसा कि मृतक ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी पी0डब्लू 5 तथा पी0डब्लू 1, 2, 9 एवं 13 से यह आशंका व्यक्त किया था कि चूंकि वह ठेके का 10 प्रतिशत कमीशन अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया को नहीं देता था, अतः वे उसकी हत्या करा सकते हैं तथा उसने अपने इस आशंका के बावत विभिन्न शिकायती पत्र एस.पी. मऊ, मुख्यमंत्री, मुख्य अभियंता पी0डब्लू0डी0 को (जैसा कि पूर्व में वर्णित पृष्ठों पर अंकित है) कागज सं0 10क1,11क1,11क2,11क3,11क4,11क5 एवं 12क1 भी लिखा

था। अतः मृतक की व्यक्त यह शंकायें तथा वे पत्र मृतक का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मृत्युकालिक बयान (dying declaration) है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण ने ही उसकी हत्या का षडयंत्र रचा था। परन्तु अभियोजन के इस तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि सर्वप्रथम तो यह कि उक्त पत्र केवल कतिपय फोटो प्रतियां होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं तथा जैसा कि पूर्व में विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है, उन पत्रों में किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आशंका व्यक्त नहीं की गयी है तथा उसमें उल्लिखित ''अनुज'' वास्तव में अभियुक्त ''अनुज कन्नौजिया'' सिद्ध नहीं होता, परन्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह ने पी0डब्लू 1, 2, 5 तथा 9 एवं 13 से उक्त आशंकायें व्यक्त किया था तो भी उक्त तथाकथित रूप से बतायी गयी बातें तथा तथाकथित रूप से लिखे गये पत्र मृतक की केवल आशंका मात्र का साक्ष्य है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की मंशा के अनुसार उस **संव्यवहार** की परिस्थितियों का साक्ष्य नहीं है जिसके फलस्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हुई। अतः तथाकथित रूप से वे बतायी गयी बातें तथा लिखे गये पत्र मृतक के मृत्युकालिक बयान नहीं हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं।

44. बाबूभाई भीमाभाई बुखिरिया बनाम गुजरात राज्य (2014) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 644 के मामले में मृतक मुलुभाई मोधुवादिया ने अपने पर्स में इस आशय का नोट रखा था कि तत्कालीन सिचाई मंत्री बाबूभाई बुखिरिया व्यक्तिगत कारणों से उसकी हत्या कराना चाहते हैं और यदि उसकी हत्या हो जाती है तो वह उनके ही द्वारा करवायी जायेगी। तथा इस नोट की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया था कि वह नोट मृतक का मृत्युकालिक बयान है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पत्र को मृतक के द्वारा व्यक्त मात्र एक शंका का साक्ष्य बताया तथा उसे उस समव्यवहार जो अंततः उसकी मृत्यु में पर्णित हुई की परिस्थिति का साक्ष्य न मानते हुए उसे मृतक के मृत्युकालिक बयान के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना। उक्त नोट के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि:-

*"**15.** In the present case, except the apprehension expressed by the deceased, the statement made by him does not relate to the cause of his death or to any circumstance or the transaction which resulted in his death. Once we hold so, the note does not satisfy the requirement of Section 32 of the Act. The note, therefore, in our opinion, is not admissible in evidence and, thus, cannot be considered as such to enable exercise of power under Section 319 of the Code.*

***16.** The Privy Council had the occasion to consider the meaning of the expression "circumstances of transaction" used in Section 32 of the Act in Pakala Narayana Swami v. King Emperor AIR 1939 PC 47 at p. 50 held as follows: (IA p. 75)*

*".......The statement may be made before the cause of death has arisen, or before the deceased has any reason to anticipate being killed. The circumstances must be circumstances of the transaction: **general expressions indicating fear or suspicion whether of a particular individual or otherwise and not directly related to the occasion of the death will not be admissible."***

***17.** The aforesaid view had been approved by this Court in Shiv Kumar v. State of U.P. wherein it was held as under:*

"It is clear that if the statement of the deceased is to be admissible under this section it must be a statement relating to the circumstances of the transaction resulting in his death. The statement may be made before the cause of death has arisen, or before the deceased has any reason to anticipate being killed, but general expressions indicating fear or suspicion whether of a particular individual or otherwise and not directly related to the occasion of the death will not be admissible. A necessary condition of admissibility under the section is that the circumstance must have some proximate relation to the actual occurrence. For instance, a statement made by the deceased that he was proceeding to the spot where he was in fact killed, or as to his reasons for so proceeding, or that he was going to meet a

particular person, or that he had been invited by such person to meet him would each of them be a circumstance of the transaction, and would be so whether the person was unknown, or was not the person accused. The phrase 'circumstances of the transaction' is a phrase that no doubt conveys some limitations. It is not as broad as the analogous use in 'circumstantial evidence' which includes evidence of all relevant facts. It is on the other hand narrower than 'res gestae' [See Pakala Narayana Swami v. King Emperor]. As we have already stated, the circumstance must have some proximate relation to the actual occurrence if the statement of the deceased is to be admissible under Section 32(1) of the Evidence Act....."

18.*...................................*

19. *All these decisions support the view which we have taken that the note written by the deceased does not relate to the cause of his death or to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death and therefore, is inadmissible in law."*

45. अतः मृतक द्वारा साक्षियों से अभियुक्त मुख्तार अंसारी तथा अनुज कन्नौजिया के विषय में व्यक्त उसकी आशंकायें तथा उसके विभिन्न पत्र उसके भय की मात्र साधारण अभिव्यक्तियां (general expressions) थीं जो उसने अनेक व्यक्तियों के विषय में किया हो सकता है, परन्तु वे निश्चित रूप से उस संव्यवहार की परिस्थितियों का साक्ष्य नहीं है जो उसकी मृत्यु में परिणित हुई, अतः वह उसका मृत्युकालिक बयान नहीं है। अतः वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत कदापि ग्राह्य नहीं हैं।

46. अभियोजन ने हेड कां0 हीरामन द्वारा इस मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना बताया है तथा उसे बतौर पी0डब्लू 6 परीक्षित किया है। पी0डब्लू 6 हेड कांस्टेबिल हीरामन ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा कि दिनांक 29.8.2009 को वह थाना कोतवाली मऊ में बतौर कांस्टेबिल मोहर्रिर तैनात था। उस दिन वादी हरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर चिक् संख्या 258/2009 अंतर्गत् धारा 147,148,149,302,307,404 भा.दं.सं.व 7 क्रिमिनल

ला अमेंडमेंट ऐक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ, मुकदमा अ.सं. 1866/2009 बनाम अज्ञात तीन मोटर साईकिल सवार छः बदमाशों के विरूद्ध उसके द्वारा किता की गयी। चिक् एफ.आई.आर. शामिल पत्रावली उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह तस्दीक करता है, (जिस पर प्रदर्श क2 डाला गया)। उपरोक्त मुकदमे का खुलासा जी.डी.रपट नम्बर 47 पर समय 19.00 बजे दिंनाक 29.8.2009 को उसके द्वारा किया गया था, जिसकी कार्बन प्रति शामिल मिसिल है। मूल जी.डी. वह साथ लाया है। मूल के साथ एक ही प्रक्रिया में कार्बन प्रति तैयार की गयी थी जो शामिल पत्रावली है, जिसे आज वह मूल जी.डी. से मिलान कर प्रमाणित कर रहा है, जिस पर प्रदर्श क3 डाला गया। अतः इस साक्षी के बयान से सिद्ध होता है कि दिनांक 29.08.09 को वादी हरेन्द्र सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क2 अंतर्गत धारा 147,148,149,307,302,404 भा.दं.सं. व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंड एक्ट पंजीकृत किया गया तथा उसका उल्लेख जी0डी0 प्रदर्श क3 में किया था।

47. अभियोजन ने डा0 ए.पी. गुप्ता द्वारा मजरूब शब्बीर शाह का चिकित्सीय परीक्षण तथा डा0 गिरीश चन्द्र शर्मा द्वारा मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के शव का पोस्टमार्टम करना तथा डा0 एस. कुमार द्वारा राजेश राय का चिकित्सीय परीक्षण करना बताया है, जिन्हे बतौर पी0डब्लू 7, 8 एवं 14 परीक्षित किया गया है।

48. पी0डब्लू 7 डा. ए.पी. गुप्ता ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा कि वह दिनांक 29.08.2009 को सदर अस्पताल, मऊ में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मजरूब शब्बीर शाह उम्र 28 साल पुत्र इशहाक निवासी रसूलपुर थाना कासिमाबाद जिला गाजीपुर को घायलावस्था में भानुप्रताप उम्र 48 साल पुत्र राम नरायन सिंह निवासी ग्राम ताजोपुर, मऊ द्वारा लाया गया था। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी।

(i) फटा हुआ घाव दाहिने ठुड्ढी पर 2 सेमी X 2 सेमी, गहराई नहीं नापी जा सकी, जो जबड़े के आधार से दो सेमी. नीचे स्थित था। किनारे अनियंत्रित, काले रंग के कालर से खराश से घिरा था। ताजे रक्त का स्राव चोट से हो रहा था। खोपड़ी के एक्स-रे की सलाह दी गयी।

(ii) एक फटा हुआ घाव बांये गर्दन के पार्श्व भाग में 1 सेमी X .5 सेमी, गहराई नहीं नापी जा सकी। किनारे अनियंत्रित थे, जो खराश कालर से घिरा हुआ था। घाव से ताजे रक्त का स्राव हो रहा था, जो बांये कान से सात सेमी नीचे स्थित था। गर्दन के एक्स-रे की सलाह दी गयी।

(iii) एक फटा हुआ घाव दाहिने जंघे के आगे 1 सेमी X .5 सेमी स्थित था, गहराई नहीं नापी जा सकी। उक्त चोट ऊपर घुटने के पटेला के ऊपरी बार्डर से 14 सेमी ऊपर स्थित था। चोट से ताजे रक्त का स्राव हो रहा था। दाहिने जांघ के एक्स-रे की सलाह दी गयी।

49. उसकी राय में ये सारी चोटें फायरआर्म के द्वारा पहुँचायी गयी थी, जो ताजी थीं, जो इलाज हेतु सर्जन को संदर्भित किया गया। मजरूब के शरीर पर आयी चोटें 29.8.2009 के शाम की हो सकती हैं एवं फायरआर्म से आ सकती हैं। इंजरी रिपोर्ट कागज संख्या 15क1 फोटो कापी शामिल पत्रावली उसके सामने है। मूल मेडिको लीगल रजिस्टर वह साथ लेकर आया है, जिसमे मजरूब शब्बीर शाह की चोटों का इन्द्राज किया गया है, जिसका मिलान कर वह फोटो कापी इंजरी रिपोर्ट आज प्रमाणित कर रहा है। मजरूब शब्बीर शाह की चोटों का इन्द्राज एक्सीडेंटल रजिस्टर में दर्ज किया गया है। इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क4 डाला गया।

50. साक्षी के बयान से सिद्ध होता है कि दिनांक 29.08.09 को मजरूब शब्बीर शाह को अग्नेय शस्त्र से दाहिनी ठुड्डी पर एवं बांये गर्दन के पार्श्व भाग में एवं दाहिने जांघ पर चोटें पहुंचायी गयी थी जो उसी दिन शाम की हो सकती हैं। इस चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन चक्षुदर्शी साक्षियों से भी होता है।

51. पी0डब्लू 8 डा. गिरीश चन्द्र शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा कि दिनांक 30.8.2009 को वह नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगली पिजड़ा जनपद मऊ में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी सी.एम.ओ. मऊ के आदेश से पोस्टमार्टम हाऊस जिला चिकित्सालय, मऊ में लगी थी। दिनांक 30.08.2009 को मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह पुत्र स्व. सतीराम सिंह निवासी ग्राम कैथवली थाना सराय लखंसी जनपद मऊ के शव को एक सफेद कपड़े

में सीड्ल हालत में एस.एच.ओ. कोतवाली, मऊ द्वारा सी.पी.नं. 951 भगवान यादव व सी.पी.नं. 451 अखिलेश यादव द्वारा पोस्टमार्टम हेतु लाया गया था। सील्ड का मिलान नमूना सील से किया गया और सही पाया गया। पोस्टमार्टम जिलाधिकारी, मऊ के आदेशानुसार कृत्रिम रोशनी में एक बजे रात में उसके द्वारा किया गया था।

<u>बाह्य परीक्षण–</u>

आँखें व मुँह बंद थे, अन्य प्राकृतिक छिद्र एन.ए.डी. थी, ऊपरी लिम्ब पर राईगर मार्टिस पूर्णतया स्थापित हो चुकी थी तथा नीचले लिम्ब पर विकसित हो रहा था।

<u>एण्टीमार्टम इंजरी–</u>

(i) फायरआर्म इंजरी प्रजेण्ट आन राईट साईड चीक 2.5 सेमी लैटरल फ्राम राईट एंगिल आफ माऊथ, ब्लैकेनिंग एण्ड टटूईंग प्रजेण्ट आन एण्ड एराउण्ड वुण्ड इन एरिया आफ 3 सेमी X 1 सेमी, अब्रेडेड द स्किन। Firearm injury present on right side cheek 2.5 c.m. Lateral from right angle of mouth, blackening and tattooing present on and around wound in area of 3 c.m.x 1 c.m.x abraded the skin.

(ii) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 1.5 सेमी X 1 सेमी आन पोस्टरो लैटरल आस्पेक्ट आफ राईट अपर आर्म, 7 सेमी बिलो राईट एक्जिला, मार्जिन्स इनवर्टेड एब्रेडेड कालर एण्ड ब्लैकेनिंग प्रजेण्ट। Firearm wound of entry in area of 1.5 c.m.x 1 c.m. on postero lateral aspect of right upper arm, 7c.m. below right axilla, margin inverted, abraded collar present; blackening present)

(iii) फायरआर्म इक्जिट वुण्ड इन एरिया आफ 2 सेमी X 1 सेमी आन दि लैटरल एक्सपेक्ट आफ राईट आर्म 16 सेमी फ्राम टाप आफ राईट शोल्डर, मार्जिन–इवर्टेड, ट्रैक–1, इंजरी नं.2 कम्यूनिकेटिंग द इंजरी नं. 3, दस इंजरी नं.3 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार वुण्ड आफ इंजरी नं.2, Firearm exit wound in area of 2 c.m.x 1 c.m. on the lateral aspect of right arm 16 c.m. from top of right shoulder, margin everted. Track-1, injury No.2 communicating the injury No.3. and thus injury No.3 is wound of exit for wound of injury No.2)

(iv) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 1.5 सेमी X 1 सेमी आन पोस्टीरियर आस्पेक्ट आफ राईट इल्बो ज्वाइंट मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट एलांग विथ ब्लैकेनिंग। Firearm wound of entry in area of 1.5 c.m. x 1 c.m. on posterior aspect of right elbow joint, margin inverted, abraded collar present along with blackening)

(v) फायरआर्म वुण्ड आफ इक्जिट इन एरिया आफ 1.5 सेमी X 1 सेमी आन पोस्टीरियर आस्पेक्ट आफ राईट फोरआर्म, 2 सेमी बिलो फ्राम इंजरी नं.4 । ट्रैक–2, इंजरी नं.4 कम्यूनिकेटिंग इंजरी नं.5 एण्ड दस इंजरी नं.5 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं. 4 । Firearm wound of exit in area of 1.5 c.m. x 1 c.m. on posterior aspect of right forearm 2 c.m. below injury No.4, Track-2, injury No.4 communicating injury No.5 and thus injury No.5 is wound of exit for injury No.4)

(vi) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 3 सेमी X 1 सेमी आन इण्टीरियर आस्पेक्ट आफ राईट आर्म, 6 सेमी एबभ इल्बो ज्वाइंट। मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट एलांग विथ ब्लैकेनिंग। वन बुलेट फाउण्ड इम्बेडेड इन मसल आफ राईट अपर आर्म; Firearm wound of entry in area of 3 c.m.x 1 c.m. on interior aspect of right arm, 6 c.m. above elbow joint, margin inverted, abraded collar present along with blackening present. One bullet found embedded on muscles of right upper arm)

(vii) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 1 सेमी X 1 सेमी इण्टीरियर आस्पेक्ट आफ फोरआर्म 5.5 सेमी बिलो इल्बो ज्वाईण्ट, मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर एलांग विथ ब्लैकेनिंग। Firearm wound of entry in area of 1 c.m. x 1 c.m. interior aspect of forearm, 5.5 c.m. below elbow joint, margin inverted, abraded collar along with blackening)

(viii) वुण्ड आफ इक्जिट(फायरआर्म) इन एरिया आफ 2 सेमी X 1.5 सेमी आन इण्टीरियर आस्पेक्ट आफ राईट फोरआर्म, 3 सेमी बिलो फ्राम इंजरी नं. 7, मार्जिन इवर्टेड, ट्रैक–3 इंजरी नं. 7 कम्यूनिकेटिंग इंजरी नं. 8, दस इंजरी नं. 8 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं.7, wound of exit(firearm) in area of 2 c.m.x 1.5

c.m. on anterior aspect of right forearm, 3 c.m. below the injury No. 7, margin everted. Track-3 injury No. 7 communicating injury No. 8. Thus injury No. 8 is wound of exit for injury No. 7)

(ix) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 1 सेमी X 1 सेमी आन पार्मर आस्पेक्ट आफ राईट हैण्ड, 3 सेमी बिलो रिस्ट ज्वाइंट, मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट एलांग विथ ब्लैकेनिंग। वन बुलेट फाउण्ड इम्बेडेड इन थिनर मसल, Firearm wound of entry in area of 1 c.m.x 1 c.m. on parmar aspect of right hand, 3 c.m. below wrist joint, margin-inverted, abraded collar along with blackening present. One bullet found embedded in thinner muscles)

(x) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 2 सेमी X 1.5 सेमी आन इण्टीरियर आस्पेक्ट आफ चेस्ट राईट साईड 8 सेमी एबभ राईट निपल। मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर विथ ब्लैकेनिंग प्रजेण्ट। Firearm wound of entry in area of 2 c.m.x 1.5 c.m. on interior aspect of chest right side 8 c.m. above right nipple. Margin-inverted, abraded collar with blackening present)

(xi) फायरआर्म वुण्ड आफ इक्जिट 3 सेमी X 2 सेमी राईट एक्जिला इण्टीरियर बार्डर, मार्जिन इवर्टेड, ट्रैक–4, इंजरी नं. 10 कम्यूनिकेटिंग इंजरी नं. 11, दस इंजरी नं. 11 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं.10; Firearm wound of exit 3 c.m.x 2 c.m. right axilla interior border, margin-everted. Track-4 injury No. 10 communicating injury No. 11. Thus injury No. 11 is wound of exit for injury No. 10)

(xii) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 2 सेमी X 1.5 सेमी आन लैटरल आस्पेक्ट आफ राईट साईड चेस्ट 19 सेमी बिलो फ्राम राईट एक्जिला। मार्जिन इनवर्टेड, ब्लैकेनिंग एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट। वन बुलेट फाउण्ड इन राईट लंग। Firearm wound of entry in area 2 c.m. x 1.5 c.m.on lateral aspect of right side chest, 19 c.m. below from right axilla margin-inverted, blackening and abraded collar present. One bullet found embedded on right lung)

(xiii) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री आन द एरिया आफ 1.5 सेमी X 1 सेमी आन द पोस्टीरियर आस्पेक्ट फोरआर्म 3 सेमी बिलो इल्बो ज्वाइंट, मार्जिन इनवर्टेड,

ब्लैकेनिंग एण्ड एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट। Firearm wound of entry on the area of 1.5 c.m. x 1 c.m. on the posterior aspect forearm, 3 c.m. below elbow joint, margin-inverted, blackening and abraded collar present)

(xiv) फायरआर्म वुण्ड आफ इक्जिट इन एरिया आफ 2.5 सेमी X 1.5 सेमी आन मीडियल आस्पेक्ट आफ लेफ्ट आर्म, 1 सेमी एबभ इल्बो ज्वाइंट, मार्जिन इवर्टेड। ट्रैक–5–इंजरी नं. 13 कम्यूनिकेटिंग इंजरी नं. 14,दस इंजरी नं. 14 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं.13। Firearm wound of exit in area of 2.5 c.m. x 1.5 c.m. on the medial aspect of left arm, 1 c.m. above elbow joint, margin-everted. Track-5 injury No. 13 communicating injury No. 14. Thus injury No. 14 is wound of exit for injury No. 13)

(xv) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री 1.5 सेमी X 1 सेमी आन मीडियल आस्पेक्ट आफ लेफ्ट आर्म 2 सेमी एबभ इल्बो ज्वाइंट, मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर एण्ड ब्लैकेनिंग प्रजेण्ट। Firearm wound of entry 1.5 c.m. x 1 c.m. on medial aspect of left arm 2 c.m. above elbow joint, margin-inverted, abraded collar along with blackening)

(xvi) फायरआर्म वुण्ड आफ इक्जिट आन मीडिएल आसपेक्ट आफ लेफ्ट फोरआर्म 2 सेमी X 1.5 सेमी साईज 4 सेमी एबभ लेफ्ट इल्बो ज्वाइंट, मार्जिन इवर्टेड। ट्रैक–6–इंजरी नं. 15 कम्यूनिकेटिंग विथ इंजरी नं. 16, दस इंजरी नं. 16 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं.15। Firearm wound of exit on medial aspect of left forearm 2 c.m. x 1.5 c.m. size 4 c.m. above left elbow joint, margin-everted. Track-6 injury No.15 communicating with injury No.16. Thus injury No.16 is wound of exit for injury No.15)

(xvii) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री 2.5 सेमी X 1.5 सेमी आन लैटरल आस्पेक्ट आफ लेफ्ट साईड चेस्ट 11 सेमी बिलो लेफ्ट एक्जिला, मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट। Firearm wound of entry 2.5 c.m.x 1.5 c.m. on lateral aspect of left side chest 11 c.m below left axilla, margin-inverted, abraded collar present)

(xviii) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री 3 सेमी X 1 सेमी आन लेफ्ट साईड एब्डामेन 6 सेमी बिलो सिम्प्लाईस। मार्जिन इवनर्टेड, एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट एलांग विथ

ब्लैकेनिंग। Firearm wound of entry 3 c.m. x 1 c.m. on left side 6 c.m. below cimplives, margin-inverted, abraded collar along with blackening present)

(xix) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री इन एरिया आफ 4 सेमी X 2.5 सेमी आन लेफ्ट साईड एब्डामेन 9 सेमी एबभ लेफ्ट ए.एस.आई.एस, मार्जिन इनवर्टेड, ब्लैकेनिंग एण्ड टैटुईंग प्रजेण्ट इन एरिया आफ 10 सेमी X 7 सेमी। वन बुलेट इम्बेडेड इन राईट किडनी। Firearm wound of entry in area of 4 c.m. x 2.5 c.m. on left side abdomen 9 c.m. above left A.S.I.S., margin-inverted, blackening and tattooing present around wound in area of 10.7 c.m. One bullet embedded in right kidney)

(xx) फायरआर्म वुण्ड आफ इण्ट्री 1.5 सेमी X 1.5 सेमी आन एब्डामेन लेफ्ट साईड 6 सेमी एबभ लेफ्ट ए.एस.आई.एस., मार्जिन इनवर्टेड, एब्रेडेड कालर प्रजेण्ट। Firearm wound of entry 1.5 c.m. x 1.5 c.m. on abdomen left side 6 c.m. above left A.S.I.S. Margin-inverted, abraded collar present)

(xxi) फायरआर्म इंजरी आन बैक वुण्ड आफ इक्जिट 2 सेमी X 2 सेमी 8 सेमी. एबभ इन्फीरियर एंगिल आफ लेफ्ट स्कैपुला एण्ड 3 सेमी लेफ्ट साईड फ्राम मिड लाईन, मार्जिन इवर्टेड। Firearm injury on back wound of exit 2 c.m.x 2 c.m. 8 c.m. above inferior angle of left scapula and 3 c.m. left side from mid line, margin-everted)

(xxii) फायरआर्म वुण्ड आफ इक्जिट इन एरिया आफ 4 सेमी X 2.5 सेमी पोस्टैरो लैटरल आस्पेक्ट आफ बैक 3 सेमी लेफ्ट फ्राम इन्फीरियर एंगिल आफ लेफ्ट स्कैपुला, मार्जिन इवर्टेड। ट्रैक–7– इंजरी नं. 17 कम्यूनिकेटिंग विथ इंजरी नं.21। दस इंजरी नं. 21 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं. 17। ट्रैक–8 इंजरी नं. 18 कम्यूनिकेटिंग विथ इंजरी नं.22, दस इंजरी नं. 22 इज वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं. 18। ट्रैक–9–इंजरी नं. 20 इज कम्यूनिकेटिंग विथ इंजरी नं. 22, दस इंजरी नं. 22 इज आल्सो वुण्ड आफ इक्जिट फार इंजरी नं.20। Firearm wound of exit in area of 4 c.m. x 2.5 c.m. postero lateral aspect of back 3 c.m. left from inferior angle of scapula, margin-everted. Track-7 injury No. 17 communicating through injury No. 21. Thus injury No.21 is wound of exit for injury No.17. Track-8

injury No.18 is communicating injury No.22. Thus injury No.22 is wound of exit for injury No.18. Track-9 injury No.20 is communicating to injury No.22 . Thus injury No.22 is also wound of exit for injury No.20)

आंतरिक परीक्षण–

रिब्स एन.ए.डी.थी। दिवालें अपने स्थान पर फटी थीं। प्ल्यूरा फटा था तथा लैरिंग्स व ट्रैकिया एन.ए.डी. थे। फेफड़े वजन 820 ग्राम फटा था। पेरिकार्डियम एन.ए. डी. थी। हृदय के सभी चैम्बर खाली थे तथा उसका वजन 270 ग्राम था तथा थोरेसिक कैविटी में लगभग 2 लीटर रक्त मौजूद था। स्कैल्प स्कल एन.ए.डी. थी। मेम्ब्रेन पेल थे तथा ब्रेन एन.ए.डी.थी। वर्टिब्रा एन.ए.डी. थी। स्पाईनल कार्ड खोला नहीं गया।

एब्डामेन– दिवालें व पेरीटोनियम फटी थीं, जिसमे लगभग दो लीटर रक्त मिश्रित फ्लूड था। दाँत 16/16 थे तथा फैरिंग्स एन.ए.डी. थी। इसोफैगस एन.ए.डी. थी, पेट में 150 ग्राम 150 मिलीलीटर अधपचा तरल पदार्थ मौजूद था। म्यूकोसा एन.ए.डी. थी, छोटी आँत व बडी आँत फटी थी। रेक्टम आधा भरा था। यकृत वजन 1200 ग्राम फटा था। पित्ताशय आंशिक रूप से आधा भरा था। अग्न्याशय एन.ए.डी. थी। प्लीहा फटी थी तथा किडनी पेल थे। पेशाब की थैली खाली थी तथा जननांग एन.ए.डी. थे।

मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण रक्तस्रावी सदमा था।

बाडी वियरिंग– एक अदद शर्ट, एक अदद पैंट, एक अदद चमड़े का बेल्ट, एक अदद अण्डरवियर, एक अदद बनियान, एक अदद गमछा, एक जोड़ी मोजा, चाभी के साथ एक अदद जनेऊ, एक अदद रक्षा, भुजा के चारो तरफ एक अदद काला धागा तथा पीली धातु की चूड़ी थी।

इनक्लोजर–9 की संख्या में संलग्नक पुलिस अधीक्षक, मऊ को मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भेजा गया। संबंधित कांस्टेबिल के माध्यम से शव से निकाले गये चार अदद बुलेट सील्ड कपड़े में रखकर सील्ड लिफाफे में एस.एच.ओ. कोतवाली, मऊ को भेजा गया। **मृत्यु के पूर्व मृतक के शरीर पर आयी चोटें 29.8.2009 के शाम 6.00 बजे की हो सकती है एवं पिस्टल से मारा जाए तो इस तरह की चोटें आ सकती हैं। सभी**

चोटें आग्नेयास्त्र की हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या 25क1 शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक किया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रदर्श–क–5 डाला गया।

52. इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के शव पर फायर आर्म की प्रवेश एवं निकास के कुल 22 घाव शरीर के विभिन्न अंगों पर पाये गये थे तथा अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी अग्नेय शस्त्र की चोटों के कारण रक्तश्रावी सदमा था। साक्षी के इस चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 से होता है तथा अभियेाजन के अन्य सभी साक्ष्यों से भी होता है जिन्होनें बदमाशों द्वारा अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह पर फायर करना बताया है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य का भली भांति एवं संतोषजनक समर्थन चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से भी होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की मृत्यु बदमाशों द्वारा चलायी गयी गोली लगने से रक्तश्रावी सदमें से ही हुई थी।

53. पी0डब्लू 14 डा0 एस. कुमार ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 29.8.2009 को वह एपेक्स हास्पिटल, वाराणसी में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था। दिनांक 29.8.2009 को 9.00 बजे रात्रि उसकी एपेक्स हास्पिटल में ड्यूटी लगी थी। उस दिन उस समय मजरूब राजेश कुमार राय को उनके साथी सुबाष चन्द्र द्वारा लाया गया था। उसने मजरूब राजेश कुमार राय की चोटों का निरीक्षण किया और मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाया।

(i)-One Bullet Entry wound of size 2.5 c.m. at lower part of sternum. Wound sutured in layer.

(ii)-Second Bullet Entry Wound below right clavicle near acronym process size 2 c.m. Wound sutured in layer.

(iii)-Right Haemo-pneumothorax present. ICTD done in right 7th inter costal space.

(iv)- One Bullet extracted from right postero lateral chest wall at level of

right angle of scapula.

(v)-One Bullet extracted from subcutaneous tissue posteriorly 15.9 c.m. from right acronym.

54. दोनों प्रवेश की चोटें ताजी थी तथा खून रिस रहा था। **चोटें आग्नेयास्त्र से आयी थी। मजरूब के शरीर पर आयी चोटें दिनांक 29.8.2009 के शाम 6.00 बजे की हो सकती हैं तथा मजरूब के शरीर पर आयी चोटें आग्नेयास्त्र से आयी हैं।** मेडिकल रिपोर्ट कागज संख्या 16क1 शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने कहा कि यह मेडिकल रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी है, जिसकी वह तस्दीक करता हे, जिसपर प्रदर्श क22 डाला गया। मजरूब के शरीर से निकाली गयी बुलेट जो डाक्टर पवन जखमोला के द्वारा निकाली गयी थी, को उसके सामने कां. जयहिन्द 989 कोतवाली, मऊ को दी गयी। मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस पर उसके द्वारा जयहिन्द का हस्ताक्षर बनवाया गया था।

55. इस साक्षी के साक्ष्य से यह भलीभांति सिद्ध है कि दिनांक 29.08.09 को मजरूब राजेश राय के शरीर पर कुल 5 अग्नेय शस्त्र की चोटें मौजूद थी जो उसी दिन शाम 06.00 बजे की हो सकती हैं। अभियोजन साक्षियों ने भी बदमाशों द्वारा राजेश राय पर फायर करना बताया है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों से भी होता है जिससे सिद्ध होता है कि दिनांक 29.08.09 को बदमाशों द्वारा राजेश राय पर भी फायर किया गया था जिसकी 5 चोटें उन्हें लगी थी।

56. अभियेाजन द्वारा इस मामले की विवेचना एक के बाद दूसरे तीन विवेचकों द्वारा करना बताया गया है जो क्रमशः जे.पी. तिवारी, वाई.पी. सिंह तथा रामबाबू तिवारी हैं जिन्हे बतौर पी0डब्लू 10, 11 एवं 15 परीक्षित किया गया है।

57. पी0डब्लू 10 प्रभारी निरीक्षक जे.पी. तिवारी ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 29.8.2009 को वह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद मऊ के पद पर तैनात था। उस दिन हरेन्द्र सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह साकिन कैथवली थाना सराय लखंसी जिला मऊ की सूचना पर मुकदमा अ.सं. 1866/2009 धारा 147,148,149,302,307,404 भा.दं.सं. व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त मुकदमे की विवेचना उसी दिन उसने स्वयं ग्रहण किया। नकल

चिक्, नकल रपट करने के बाद वादी मुकदमा का बयान अंकित किया तथा उसी दिन मृतक मन्ना सिह उर्फ अजय प्रकाश सिंह के शव का पंचायतनामा भरवाया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा शांति व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में ही कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम कराने हेतु जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त किया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी कागज संख्या 27क1 शामिल पत्रावली को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क6 डाला गया। उसी दिन घटनास्थल से खूनआलूदा व सादी मिट्‌टी प्राप्त किया तथा घटनास्थल से ही सात अदद खोखा कारतूस ,एक अदद जिन्दा कारतूस 9 एम.एम. तथा दो पेलेट बरामद किया, जिसकी फर्द तैयार कराकर अपना हस्ताक्षर बनाया तथा माल को कपड़े में सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया। फर्द कागज संख्या 9क1 व 9क2 शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक किया, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क7 व प्रदर्श क8 डाले गये। दिनांक 30.8.2009 को पंचायतनामे की नकल केस डायरी में किया तथा घटनास्थल के चश्मदीद व पंचायतनामे के गवाह श्रीराम सिंह मौर्या पुत्र रामचन्द्र मौर्या निवासी फतेहपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ का बयान दर्ज किया, जिसने अपने बयान में बताया कि सदर अस्पताल, मऊ में अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के शव का पंचायतनामा भरा गया था। उसका भी बयान लिया गया था तथा पंचायतनामे पर उसने भी हस्ताक्षर बनाया था। मन्ना सिंह की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। यह भी बताया था कि वह मन्ना सिंह के मोहल्ले में उनके घर के पास ही रहता है तथा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई कराता है। दिनांक 29.08.2009 की शाम 6.00 बजे वह सब्जी लेने के लिए निकला था तथा जैसे ही यूनियन बैंक नरई बांध के पास पहुँचा तो उसने देखा कि मन्ना सिंह अपनी सफारी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे तथा उनकी गाड़ी का ड्राईवर शब्बीर शाह उर्फ राजा गाड़ी के बाहर उनकी सीट के पास खड़ा था तथा बातचीत कर रहा था, उसी के पास उनका ट्रक ड्राईवर मंगरू भी मौजूद था, बैंक के पास ही कुछ दूरी पर हरेंन्द्र कुमार सिंह व अमरजीत सिंह आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच दो मोटर साईकिल से चार आदमी ब्रह्म स्थान की तरफ से आ गये। उन्होने अपनी गाड़ी खड़ी किया

तथा उन्हीं में से एक व्यक्ति ने मन्ना सिंह को सलाम किया तथा चारों ने सफारी के पास आकर घेर लिया तथा मन्ना सिंह को लक्ष्य करके जान मारने की नियत से धुआंधार फायरिंग करने लगे। फायरिंग से मन्ना सिंह, उनके चालक शब्बीर शाह एवं सफारी की पिछली सीट पर बैठे राजेश राय भी गोली की चोट खाकर गंभीर रूप से घ ायल हो गये। उन्हीं बदमाशों के साथ आये दो अन्य जो अलग मोटर साईकिल से आये थे, आसपास के आने वालों पर नजर रखे थे। वे भी गाड़ी को घुमाकर उन्हीं फायरिंग करने वाले चारो बदमाशों के साथ भीटी की तरफ भाग गये। उनके आतंक से भगदड़ मच गयी, आसपास की सारी दुकानें बंद हेा गयी तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। मारने वालों में से एक व्यक्ति को वह भलीभांति पहचानता था, जिसका नाम कमलेश यादव है, जो ग्राम बस्ती थाना रानीपुर जनपद मऊ का निवासी है तथा उसके साथ का दूसरा व्यक्ति पंकज सिंह निवासी जौहरपुर जखनियाँ जनपद गाजीपुर का मूल निवासी है तथा अस्थायी रूप से अली बिल्डिंग सारहूँ चौकी में रहता है। इसके बाद घायलों को लेकर अस्पताल चले गये। उनके घर परिवार के आसपास बहुत से लेाग आ गये तथा अस्पताल पहुँचने पर मन्ना सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। मन्ना सिंह की हत्या ठेकेदारी के विवाद में हुई थी। उसी दिन उसने जगदीश सिंह चाचा मृतक मन्ना सिंह का बयान अंकित किया था। उसी दिन उसने पंचायतनामे के गवाहान् अशोक कुमार, श्रीनाथ सिंह का बयान भी लेखबद्ध किया था। दिनांक 31.08.2009 को उसने विक्रान्त सिंह पुत्र अशोक प्रकाश सिंह निवासी कैथवली थाना सराय लखंसी जनपद मऊ का भी बयान लेखबद्ध किया था, जेा घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी था, जिसने अपने बयान में बताया कि उन मारने वालों में अनुज धोबी का रिश्तेदार राजू भी था। उसी दिन उसने प्रत्यक्षदर्शी गवाह अमरजीत सिंह का भी बयान लिया था। इस संबंध में पर्चा नं. 3 दिनांक 31.8.2009 को किता किया गया। दिनांक 01.09.2009 को पूर्व में दिये गये प्रार्थना-पत्र मन्ना सिंह दिनांक 15.11.2008 का परिशीलन करके उसके तथ्यों को केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 02.09.2009 को गवाह बब्बन का बयान लिया तथा उसी दिन धर्मेन्द्र पटेल का भी बयान लिया। दिंनांक 04.09.2009 को मजरूब शब्बीर के मेडिकल का जिक्र केस डायरी में किया। दिनांक 07.09.2009 को अभियुक्तगण की सुरागरसी पतारसी

किया। दिनांक 12.09.2009 को मंगरू का बयान लिया, जिसमे उसने यह बताया कि अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया ने मन्ना सिंह की सफारी गाड़ी पर फायर किया था। दिनांक 30.08.2009 को गवाह रामसिंह के लिए गये बयान की अपने द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा है, जिसे उसने मूल से मिलान कर प्रमाणित किया है, जिस पर प्रदर्श क9 डाला गया। घटनास्थल से बरामद सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी अलग-अलग दो डिब्बों में सीलबंद हालत में दुरूस्त पायी गयी, जिसे खेाला गया तेा सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी पायी। सादी मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श-1 व खून आलूदा मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श-2 डाले गये। गवाह ने आगे यह भी कहा कि मृतक मन्ना सिंह के शव का पंचायतनामा उसके निर्देशन में उपनिरीक्षक बृजमोहन द्वारा लिखा गया था तथा पंचायतनामा एवं उससे संबंधित समस्त कागजात उपनिरीक्षक बृजमोहन से तैयार कराकर शव को एक सफेद कपड़े में सीलकर पोस्टमार्टम हेतु कां0 भगवान यादव व कां0 अखिलेश तिवारी द्वारा सदर अस्पताल, मऊ भेजा गया। पंचायतनामा कागज संख्या 20क1 एवं 20क2, चालान लाश 21क1, फोटो लाश 22क1, रिपोर्ट सी.एम.ओ.23क1, रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक 23क2 शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक किया, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क14 लगायत प्रदर्श क18 डाले गये। पंचायतनामा उसने दिनांक 29.08.2009 को 19.30 बजे प्रारम्भ किया था और 21.05 बजे समाप्त किया था। इसका अभिप्राय यह है कि पंचायतनामा शाम 7.30 बजे प्रारम्भ तथा समापन 29.08.2009 को 9.05 बजे रात्रि को किया था। घटनास्थल से बरामद माल मुकदमाती सीलबंद दुरूस्त हालत में पेश किया गया और न्यायालय की अनुमति से खेाला गया तो लिफाफे के अंदर सात खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस तथा दो पेलेट्स एक सफेद कागज में लपेटा हुआ पाया गया, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यही खोखा कारतूस, जिन्दा कारतूस व पेलेट्स उसने घटनास्थल से बरामद किया गया था। खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श-7 लगायत वस्तु प्रदर्श-13 डाले गये तथा जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श-14 तथा देानेा पेलेट्स पर अलग-अलग वस्तु प्रदर्श-15 एवं वस्तु प्रदर्श-16, खोखे के अंदर सफेद कागज पर वस्तु प्रदर्श-17 तथा खोखे पर वस्तु प्रदर्श-18 डाले गये।

58. इस साक्षी के बयान से यह सिद्ध होता है कि घटना के पश्चात इस

साक्षी द्वारा लगभग तत्काल ही विवेचना प्रारंभ कर दिया गया था जिसके दौरान उसने मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के शव का पंचायतनामा भरवाया तथा उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा साक्षियों का बयान भी अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया। घटनास्थल से सादी तथा खून आलूदा मिट्टी का नमूना लिया। घटनास्थल से खोखा कारतूस तथा जिन्दा कारतूस प्लेट्स वस्तु प्रदर्श 7 लगायत 18 बरामद किया था। इस साक्षी के साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया है कि विवेचक ने अपने बयान में यह बताया है कि उसने श्रीराम सिंह मौर्य एवं विक्रान्त सिंह पुत्र अशोक प्रकाश सिंह का बयान लिखा था तथा साक्षी ने बताया है कि श्रीराम सिंह मौर्य ने उसे घटना का वर्णन किया था तथा बदमाशों में कमलेश यादव तथा पंकज सिंह को बताया था तथा विक्रान्त सिंह ने मारने वालों में अनुज धोबी का नाम उसे बताया था तथा इस साक्षी ने राम सिंह मौर्य के बयान स्वप्रमाणित कर प्रदर्श क9 के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः इस साक्षी के बयान सहपठित प्रदर्श क9 से भी यह सिद्ध होता है कि हमलावरों में कमलेश सिंह तथा पंकज सिंह भी थे एवं अनुज धोबी थे, परन्तु अभियोजन के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि अभियेाजन ने न तो उक्त श्रीराम सिंह मौर्य को और न ही विक्रान्त सिंह को न्यायालय में बतौर साक्षी परीक्षित किया है। अतः उन साक्षियों द्वारा दौरान विवेचना विवेचक को बतायी गयी बात विशुद्ध रूप से धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान है जिसके उपयोग एवं महत्व की सीमांयें धारा 162 सी0आर0पी0सी0 में अंकित हैं अर्थात उसका उपयोग केवल साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान के खण्डन के उद्देश्य से किया जा सकता है उससे अधिक नहीं। अतएव विवेचक पी0डब्लू 10 के मुख से श्रीराम सिंह मौर्य एवं विक्रान्त सिंह की बतायी बात से स्वयं में किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई कृत्य सिद्ध नहीं होता।

59. पी0डब्लू 11 निरीक्षक वाई.पी. सिंह ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 12.09.2009 को वह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जनपद मऊ के पद पर तैनात था। मुकदमा अ.सं. 1866/2009 धारा 147,148,149,307,302,404 भा.दं.सं.व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की विवेचना उसे दिनांक 12.09.2009 को प्राप्त हुई। पूर्व विवेचक जे.पी.तिवारी द्वारा प्रेषित पर्चो का अवलोकन किया। **दिनांक 13.09.2009**

को पूर्व विवेचक द्वारा गिरफ्तार अमरेश कन्नौजिया का बयान अंकित किया। दिनांक 23.09.2009 को मृतक मन्ना सिंह के शव का पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा गवाह पीयूष सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 24.09.2009 को अभियुक्त का रिमाण्ड प्राप्त किया। दिनांक 03.10.2009 को जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया जो थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में मुकदमा अ.सं. 750/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में बंद था, का बयान अंकित करने हेतु एस.एस.आई. छविनाथ प्रसाद को भेजा गया था। दिनांक 07.10.2009 को अभियुक्तगण का रिमाण्ड प्राप्त किया। दिनांक 08.10.2009 को अभियुक्त कमलेश यादव जो पुलिस मुठभेड़ में थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में मारा गया था, के फर्द का अवलोकन किया। दिनांक 16.10.2009 को शब्बीर के रेफरेंस फार्म तथा एक्स–रे रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा मजरूब राजेश कुमार राय के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। दिनांक 26.10.2009 को रियाज अहमद, तारकेश्वर सिंह तथा शमीम अहमद के बयान अंकित किये। दिनांक 31.10.2009 को मुल्जिम राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान पाण्डेय को गिरफ्तार करके उसका बयान अंकित किया। दिनांक 01.11.2009 को अभियुक्त राकेश पाण्डेय के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। दिनांक 14.11.2009 को अभियुक्त रजनीश के आत्म समर्पण की सूचना का अवलोकन किया। दिनांक 16.11.2009 को अभियुक्त उमेश सिंह, रजनीश कुमार सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 21.11.2009 को अभियुक्त उमेश सिह के सी. डी.आर. का अवलोकन किया। दिनांक 23.11.2009 को अभियुक्त उपेन्द्र सिंह के आत्म समर्पण की सूचना का अवलोकन किया तथा शब्बीर का बयान अंकित किया। दिनांक 03.12.2009 को अभियुक्त जामवन्त, उपेन्द्र सिंह व पंकज सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 9.12.2009 को डा. पी.एल. गुप्ता का बयान अंकित किया। दिनांक 14.12.2009 को अभियुक्त अनुज कन्नौजिया का बयान अंकित किया। दिनांक 17.12.2009 को धारा 34 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 13.09.2009 को अमरेश कन्नौजिया के पास से बरामद 9 एम.एम. पिस्टल व दो अदद जिन्दा कारतूस की फर्द उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जो शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क10 डाला गया। फर्द के आधार पर थाना कोतवाली, मऊ में

अभियोग पंजीकृत किया गया तथा फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी एवं थाने ले जाकर माल को मालखाने में दाखिल किया गया तथा अभियुक्त को हवालात में बंद किया गया। दिनांक 10.12.2009 को अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया, दिनांक 17.01.2010 को अभियुक्त जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया, पंकज सिंह, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह, रजनीश सिंह, उमेश सिंह तथा दिनांक 07.03.2010 को अरविन्द यादव व मुख्तार अंसारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रेषित किया, जो शामिल पत्रावली हैं। आरोप-पत्र कागज संख्या 3क1,3क2,3क3 पर क्रमशः प्रदर्श क11, प्रदर्श क12 व एस.टी. नं. 240/2012 में आरोप-पत्र कागज संख्या 3क1 शामिल पत्रावली पर प्रदर्श क13 डाले गये। तीनों आरोप पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में शामिल मिसिल हैं। इसके अलावा दिनांक 18.10.2010 को चन्द्रशेखर सिंह का बयान अंकित किया तथा जिलाधिकारी महोदय की जांच आख्या व अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की जांच आख्या का अवलोकन किया। दिनांक 23.02.2010 को मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह का पर्चाजात बरामद पिस्टल, खोखा कारतूस को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। दिनांक 24.2.2010 को अभियुक्त अरविन्द यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 07.03.2010 को गवाह दीपक कुमार का बयान अंकित किया। अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया से बरामद एक अदद पिस्टल 9 एम.एम.व दो जिन्दा कारतूस एक सफेद कपड़े में सीलबंद हालत में न्यायालय में पेश किया गया, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो कपड़े के अंदर एक अदद पिस्टल व एक लिफाफे के अंदर दो जिन्दा कारतूस को निकाला गया, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही पिस्टल व जिन्दा कारतूस है, जिसे उसने अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया से बरामद किया था। पिस्टल पर वस्तु प्रदर्श-3 एवं कारतूसों पर अलग-अलग वस्तु प्रदर्श-4, वस्तु प्रदर्श-5 व सफेद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-6 डाले गये।

60. पत्रावली पर डाकेट कागज सं0 12ख उपलब्ध है, जिसके अनुसार विवेचक वाई.पी. सिंह द्वारा दिनांक 17.01.10 को (1) सादी मिट्टी, (2) खून आलूदा मिट्टी, (3) एक पोटली पार्चाजात मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह अमादा पोस्टमार्टम, (4)

एक पिस्टल 9 एम.एम. व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद अमरेश कन्नौजिया आला कत्ल, (5) एक पोटली जिन्दा कारतूस 9 एम.एम. 7 अदद खोखा कारतूस 9 एम.एम. तथा दो प्लेट्स बरामद घटनास्थल, (6) एक लिफाफा 4 अदद बुलेट अमादा पोस्टमार्टम मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह व (7) प्लास्टिक के डिब्बे में दो अदद राजेश राय के शरीर से बरामद बुलेट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला वास्ते जांच द्वारा कां0 694 राजेन्द्र यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा है।

61. इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि प्रथम विवेचक प्रभारी निरीक्षक जे.पी. तिवारी के बाद इस साक्षी ने विवेचना ग्रहण किया तथा आगे की विवेचना उसने जारी रखा, जिसके दौरान विवेचना साक्षी पीयूष सिंह का बयान अंकित किया। मजरूबों की चिकित्सीय आख्यांयें प्राप्त किया। घटना के संबंध में अन्य व्यक्तियों का बयान भी अंकित किया। अभियुक्तों में जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया, हनुमान पाण्डेय, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, उपेन्द्र सिंह, पंकज सिंह, अनुज कन्नौजिया का बयान अंकित किया तथा अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क11, 12 व 13 प्रेषित किया। साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के पास से बरामद 9 एम.एम. की पिस्टल व दो अदद कारतूस की फर्द बरामदगी प्रदर्श क10 उसके लेख हस्ताक्षर में है तथा उक्त माल को उसने मालखाने में दाखिल किया था। पत्रावली पर उपलब्ध डाकेट कागज सं0 12ख से विदित है कि वाई.पी. सिंह द्वारा ही मौके से एकत्र की गयी सादी मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी, मृतक के शरीर पर पोस्टमार्टम के समय पाये गये वस्त्र आदि, अमरेश कन्नौजिया से बरामद 9 एम.एम. पिस्टल व 2 अदद जिन्दा कारतूस, घटनास्थल से बरामद 1 जिन्दा कारतूस 9 एम.एम., 7 अदद खोखा कारतूस 9 एम.एम. तथा 2 प्लेट्स, मृतक अजय प्रकाश के शव से पोस्टमार्टम के दौरान बरामद 4 अदद बुलेट तथा राजेश राय के शरीर से बरामद 2 अदद बुलेट भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा था।

62. पी0डब्लू 15 प्रभारी निरीक्षक रामबाबू तिवारी ने अपने बयान में बताया है कि वह जुलाई 2010 में पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी, परिक्षेत्र वाराणसी के यहाँ तैनात था। दिनांक 15.07.2010 को पुलिस महानिरीक्षक के आदेश से इस मुकदमे की विवेचना उसे प्राप्त हुई। उसके द्वारा मुकदमे के पूर्व अभियेाग दैनिकों का अध्ययन

किया गया तथा दिनांक 16.07.2010 को पूर्व विवेचक दिनकर प्रताप सिंह तथा दिनांक 26.7.2009 को वाई.पी.सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली का बयान अंकित किया गया। दिनांक 26.7.2009 को ही परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो संलग्न केस डायरी की गयी। दिनांक 27.7.2010 को जिला कारागार गाजीपुर के रजिस्टर से 18. 01.2010 में अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र लालचन्द सिंह के नाम का रजिस्टर से फोटो कापी प्राप्त कर संलग्न केस डायरी किया गया। संतोष सिंह पुत्र लालचन्द सिंह के नाम व पते की तस्दीक 28.07.2010 को की गयी तो पता गलत पाया गया। दिनांक 30.7.2010 को अभियुक्त संतोष सिंह के विरूद्ध धारा 83 दं.प्र.सं. की रिपोर्ट श्रीमान् सी.जे.एम. के यहाँ दी गयी। दिनांक 31.07.2010 को अभियुक्त संतोष सिंह द्वारा सी.जे.एम. न्यायालय में समर्पण करने पर बयान लेने हेतु अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त का बयान अंकित किया तथा उसी दिन अभियुक्त संतोष कुमार सिंह पुत्र लालचन्द सिंह निवासी बहरीपुर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। आरोप-पत्र पर प्रदर्श क23 डाला गया। दिनांक 26.7.2010 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर, लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट का पुनः अवलोकन कर केस डायरी के साथ संलग्न किया गया, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 7क है। परीक्षण रिपोर्ट में मानवरक्त पाया गया। परीक्षण रिपोर्ट पर प्रदर्श क24 डाला गया। दिनांक 27.07.2010 को जिला कारागार, गाजीपुर के मुलाकाती रजिस्टर में दिनांक 18.1.2010 को संतोष सिंह पुत्र लालचन्द के नाम दर्ज वाले पेज का फोटो कापी उसके द्वारा प्राप्त की गयी, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 8ख1 है।

63. इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि विवेचक वाई.पी. सिंह के पश्चात मामले की विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। इस विवेचक ने संतोष सिंह द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के पश्चात उसका बयान अंकित किया था तथा उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क23 न्यायालय में प्रेषित किया था। इस साक्षी ने ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्रेषित रिपोर्ट को भी दिनांक 26.07.10 को प्राप्त करना बताया है तथा उसे पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0 7क अर्थात प्रदर्श क24 बताया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क24 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उसमें प्राप्त

प्रदर्शों का विवरण अंकित है तथा वे प्रदर्श मिट्टी खून आलूदा व मिट्टी सादी, पैंट, बेल्ट, शर्ट, बनियान, अंडरवियर, गमछा, जनेउ, काला धागा मय ताबीज, लाल धागा, कड़ा, मोजा, बुलेट, बुलेट दो अदद, विकृत बुलेट, बुलेट सर्व मुहर, विकृत बुलेट हैं। उन प्रदर्शों में डाकेट पर क्रम सं0 4 पर उल्लिखित पिस्टल 9 एम.एम. नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि यद्यपि डाकेट के अनुसार तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथाकथित रूप से अमरेश कन्नौजिया के पास से बरामद पिस्टल तो भेजे जाने का उल्लेख है, परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उसे प्राप्त नहीं कराया गया। अतः जहां अन्य सभी प्रदर्शों के विषय में प्रयोगशाला की यह रिपोर्ट प्राप्त है कि उन पर मानव रक्त पाया गया था परन्तु उक्त पिस्टल के विषय में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। दूसरे शब्दों में अभियोजन द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी है जिससे सिद्ध हो सके कि मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के शव से दौरान पोस्टमार्टम बरामद 4 बुलेट अथवा मजरूब राजेश राय के शरीर से चिकित्सीय परीक्षण के दौरान प्राप्त बुलेट तथाकथित रूप से अमरेश कन्नौजिया से बरामद 9 एम.एम. पिस्टल से ही चलायी गयी थी। अतः यद्यपि अभियोजन ने उक्त पिस्टल वस्तु प्रदर्श 3 न्यायालय में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसे पी0डब्लू 11 निरीक्षक वाई.पी. सिंह द्वारा सिद्ध किया गया है, परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि वह आला कत्ल अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह है अथवा उससे राजेश राय पर फायर किया गया। विदित हो कि अभियोजन द्वारा उक्त डाकेट तथा डाकेट में उल्लिखित सामग्रियों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने वाले कां0 राजेन्द्र यादव को नही परीक्षित किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि वह पिस्टल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में क्यों नहीं प्राप्त हुई। विवेचक का ये दायित्व था कि वह सुनिश्चित करते कि जो सामग्रियां विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु प्रेषित किया गया है वह प्रयोगशाला में प्राप्त हो तथा उसके विषय में रिपोर्ट भी प्राप्त हो, परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला से पिस्टल के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है न ही उसके विषय में विवचेक वाई.पी. सिंह तथा उसके पश्चात के विवेचक रामबाबू तिवारी ने कोई बयान दिया है और न ही अभियोजन ने उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में अमरेश कन्नौजिया के पास से कोई पिस्टल बरामद नहीं हुआ था

और यही कारण है कि उसे किसी विवेचक ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु नहीं भेजा। केवल उसका उल्लेख डाकेट पर विवेचक वाई.पी. सिंह ने किया है अन्यथा उसकी प्राप्ति का उल्लेख अन्य प्रदर्शों की भांति विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क24 में अवश्य होती। यद्यपि प्रदर्श क24 प्रयोगशाला की आख्या के नोट में यह अंकित है कि मिट्टी के मिलान व अग्नेयशस्त्र से संबंधित आख्या अलग से प्रेषित की जायेगी, परन्तु पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध रहने के बावजूद उक्त आख्या विवेचक अथवा अभियेाजन द्वारा आज तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी। यह विवेचक तथा अभियेाजन दोनों की ही उदासीनता का द्योतक है।

64. उल्लेखनीय है कि अभियोजन का यह भी कथन है कि दौरान विवेचना अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास से नौ एम.एम. पिस्टल तथा खोखा कारतूस विवेचक वाई.पी. सिंह द्वारा बरामद किया गया था जिसकी फर्द बरामदगी बनायी गयी थी तथा उसके आधार पर अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध पृथक से अपराध सं0 1939/09 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना हुई थी तथा पृथक से आरोप पत्र अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किया गया था।

65. स्पष्ट है कि अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया को प्रथम विवेचक प्रभारी निरीक्षक जे.पी. तिवारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। अतः उनके द्वारा अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद होने का कोई प्रश्न नहीं है। अमरेश कन्नौजिया को विवेचक वाई. पी. सिंह द्वारा गिरफ्तार करना बताया गया है तथा उनके द्वारा नौ एम.एम. का पिस्टल बरामद होना बताया गया है। निरीक्षक वाई.पी. सिंह पी0डब्लू 11 का बयान पूर्व के पृष्ठों पर अंकित है। उन्होनें अपने बयान में स्पष्ट यह कथन किया है कि **दिनांक 13.09.09 को पूर्व विवेचक द्वारा गिरफ्तार अमरेश कन्नौजिया का बयान अंकित किया था।** अतः इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि उन्होनें उसे गिरफ्तार नहीं किया था। वाई.पी. सिंह ने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया था। अतः उनके द्वारा गिरफ्तारी के समय अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के पास से किसी असलहे के बरामद होने का प्रश्न ही नहीं है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण यह है कि पी0डब्लू 11 वाई.पी. सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहीं भी नहीं बताया है कि

उन्होनें अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के पास से कोई असलहा बरामद किया था।यद्यपि फर्द बरामदगी प्रदर्श क10 पत्रावली में मौजूद है जिसमें बरवख्त बरामदगी हमराहियान पुलिसकर्मियों कां0 मुन्ना यादव, कां0 संतोष सिंह, एवं कां0 सुब्बा यादव तथा समई साक्षी राम नरेश एवं केदार गुप्ता का बतौर साक्षी नाम का उल्लेख है, परन्तु उन साक्षियों में से किसी को भी परीक्षित नहीं किया गया है। अतः अभियोजन के किसी साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अमरेश कन्नौजिया के पास से वाई.पी. सिंह द्वारा नौ एम.एम. का पिस्टल तथा दो जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। केवल फर्द बरामदगी प्रदर्श क10 पत्रावली पर उपलब्ध है तथा न्यायालय में एक पिस्टल वस्तु प्रदर्श 3 तथा दो अलग-अलग कारतूस वस्तु प्रदर्श 4 एवं 5, एक सफेद कपड़े वस्तु प्रदर्श 6 में लपेटे हुए प्रस्तुत किये गये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उस कपड़े पर न तो उसका हस्ताक्षर है और न ही किसी अभियुक्त का। उस पर लिखावट किसकी है वह नहीं पहचान सकता। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो से यह सिद्ध नही होता कि बरवख्त गिरफ्तारी अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के पास से कोई असलहा या कारतूस बरामद हुआ हो बल्कि यह प्रतीत होता है कि फर्द बरामदगी थाने पर बैठकर बनायी गयी है तथा असलहा एवं कारतूस उस पर प्लांट किया गया है। जैसा की पूर्व के पृष्ठों पर यह व्यक्त किया जा चुका है, इस 9 एम.एम. की पिस्टल के विषय में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस आधार पर भी इस पिस्टल की अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के पास से बरामदगी संदिग्ध हो जाती है।

66. अभियोजन द्वारा अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध अपराध सं0 1939/09 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम तत्कालीन हेड मोहर्रिर रामदुलारे द्वारा पंजीकृत किया जाना तथा उस मामले की विवेचना हेड कां0 गौरीशंकर द्वारा किया जाना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 16 एवं पी0डब्लू 12 के रूप में परीक्षित किया गया है।

67. पी0डब्लू 16 उपनिरीक्षक राम दुलारे ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 13.09.2009 को वह थाना कोतवाली जनपद मऊ में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन एस.एच.ओ. वाई.पी. सिंह थाना कोतवाली, मऊ की फर्द बरामदगी के आधार पर संबंधित अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया पुत्र घूरा कन्नौजिया निवासी रणबीरपुर

थाना सराय लखंसी जनपद मऊ के विरूद्ध एक अदद पिस्टल 9 एम.एम. व दो जिन्दा कारतूस बरामद होने के आधार पर अपराध संख्या 1939/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद मऊ चिक नं. 269/2009 दिनांक 13.09.2009 को समय 6.10 बजे उसके द्वारा किता की गयी, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में शामिल पत्रावली है, जिसकी वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क25 डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा जी.डी. रपट नं.9 समय 6.10 बजे दिनांक 13.09.2009 थाना कोतवाली मऊ मूल से एक साथ सेम प्रासेस में तैयार की गयी कार्बन कापी शामिल पत्रावली है, जो कां.मोहर्रिर शम्भूनाथ यादव के लेख व हस्ताक्षर में है। शम्भूनाथ यादव उसके साथ तैनात रहे हैं। उसने शम्भूनाथ यादव को लिखते-पढ्ते देखा है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर की पहचान करता है। मूल जी.डी. वह आज लाया है, जिससे मिलान के बाद शम्भूनाथ यादव के लेख व हस्ताक्षर की पहचान करते हुए प्रमाणित कर रहा है। कार्बन जी.डी. कागज संख्या 7क1 शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क26 डाला गया। शम्भूनाथ यादव इस समय कहाँ तैनात है, उसे नहीं मालूम है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

68. इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि दिनांक 13.09.09 को श्री वाई.पी. सिंह द्वारा थाने पर प्रस्तुत की गयी फर्द बरामदगी के आधार पर अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध अपराध सं0 1939/09 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था जिसकी चिक प्रदर्श क25 एवं जी0डी0 प्रदर्श क26 है।

69. पी0डब्लू 12 सेवानिवृत्त एच.सी.पी. गौरीशंकर सिंह ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 13.9.2009 को वह थाना कोतवाली जनपद मऊ में एच.सी.पी. के पद पर तैनात था। इस मुकदमे की विवेचना उसे दिनांक 13.9.2009 को प्राप्त हुई थी। उस दिन उसने प्रभारी निरीक्षक वादी श्री वाई.पी. सिंह का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया तथा अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 26.09.2009 को उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा उसी दिन कां.250 मुन्ना यादव, कां. 289 संतोष सिंह एवं कां. 343 सुब्बा यादव का बयान लिया तथा एफ.आई.आर. लेखक राम दुलारे राम का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 06.10.2009 को समई साक्षी

रामनरेश का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 09.10.2009 को समई साक्षी केदार गुप्ता का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 07.11.2009 को अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन जिलाधिकारी श्री रमाशंकर साहू से लेकर थाने आया। अभियेाजन स्वीकृति कागज संख्या 9क टाईपशुदा है, जिस पर नीचे जिला मजिस्ट्रेट श्री रमाशंकर साहू के सूक्ष्म हस्ताक्षर हैं। उसने श्री रमाशंकर साहू को लिखते-पढ़ते देखा है, वह उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क19 डाला गया। नक्शा नजरी संख्या 10क1 शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क20 डाला गया। अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप-पत्र कागज संख्या 3क1 शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क21 डाला गया।

70. इस साक्षी के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने अपराध सं0 1939/09 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की विवेचना किया था। दौरान विवेचना उसने साक्षियों का बयान अंकित किया था। अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाये जाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट श्री रमाशंकर साहू से प्रदर्श क19 के रूप में प्राप्त किया था। नक्शा नजरी प्रदर्श क20 बनाया था एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात आरोप पत्र प्रदर्श क21 न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आरोप पत्र में घटना के साक्षियों का भी उल्लेख है, परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है कि आरोप पत्र के प्रथम साक्षी जो कि अरेस्टिंग आफिसर है जो कि वाई.पी. सिंह हैं ने अपने बयान में न तो अभियुक्त को स्वयं गिरफ्तार करना बताया है बल्कि पूर्व विवेचक द्वारा गिरफ्तार करना बताया है और न ही अभियुक्त के पास से किसी असलहे या कारतूस को बरामद करना बताया है तथा आरोप पत्र के किसी भी अन्य साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत तक नहीं किया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्यों से यद्यपि यह सिद्ध होता है कि वाई.पी. सिंह द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम भी पंजीकृत किया गया था, जिसके विवेचना हुई थी तथा आरोप पत्र भी प्रेषित किया गया था, परन्तु यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि अभियुक्त अमरेश

कन्नौजिया के पास से कोई असलहा अथवा कारतूस अर्थात वस्तु प्रदर्श 3, 4, 5 वास्तव में बरामद किया गया था।

71. डी0डब्लू 2 शिव कुमार शर्मा वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार गोरखपुर ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 26.06.10 से आज तक जिला कारागार गोरखपुर में वरिष्ठ जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। वह आज न्यायालय के समक्ष जनपद कारागार गोरखपुर का रजिस्टर नं0 1 जो दिनांक 06.04.09 से 11.01.10 तक लिखा गया है को मूल रूप से अदालत के समक्ष लाया है। इस रजिस्टर के क्रमांक सं0 860 पर दिनांक 21.08.09 को राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बालदत्त पाण्डेय निवासी लिलारी भरौली थाना कोपागंज जनपद मऊ के जेल में दाखिल होने का इन्द्राज है। राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय मुकदमा नं0 3282/09 धारा 137 रेलवे एक्ट में ए.सी.जे.एम. रेलवे के आदेश से जनपद कारागार गोरखपुर में दाखिल हुआ था। दौरान परीक्षण ए.सी.जे.एम. रेलवे ने रेलवे एक्ट की धारा 137 में 1274/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दी थी जिसे अदा न करने के कारण राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय को 30 दिन के कारावास की सजा हुई थी। जेल में दाखिले के समय अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के पहचान का चिन्ह जेल रजिस्टर पर अंकित किया गया है जिसमें उसके बांये ललाट पर कट, बांये आंख के नीचे मंशा तथा दांये भौंह पर गोल दाग अंकित है तथा पारिवारिक सदस्यों के रूप में पत्नी सरोज तथा पुत्र आकाश अंकित है तथा अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के बायें अगूठे का निशान लिया गया है तथा उम्र 38 वर्ष, वजन 50 किग्रा. एवं लंबाई 167 सेमी. अंकित है। दिनांक 31.08.09 को अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय ने अर्थदण्ड 1274/- रूपये रसीद सं0 163252 के द्वारा ए.सी.जे.एम. रेलवे के न्यायालय में जमा किया है जिसकी मूल रसीद इस रजिस्टर के पृष्ठ पर चस्पा है तथा जिसकी फोटी प्रति अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करके न्यायालय में दाखिल किया जो प्रदर्श ख1 है। उक्त अर्थदण्ड जमा करने के पश्चात दिनांक 31.08.09 को अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय शाम को 07.00 बजे के आस पास रिहा हुआ था। रिहाई के समय भी उसके पहचान चिन्ह मिलाया गया तथा पुनः बायें हाथ के अंगुष्ठ निशान जेल रजिस्टर पर अंकित किया गया था, जिसकी पहचान तत्कालीन डिप्टी जेलर आनन्द

कुमार सिंह द्वारा किया गया जो प्रदर्श ख2 है। इस साक्षी के बयान से यह सिद्ध होता है कि उसने गोरखपुर जेल के कैदियाना रजिस्टर को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा क्रमांक सं0 860 पर अंकित बंदी राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के पृष्ठ को स्वप्रमाणित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा उसकी प्रविष्टियों को सिद्ध किया है। जैसा की पूर्व के पृष्ठों पर अंकित है बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि बंदी का वजन लिखावट की अस्पष्टता के कारण 50 किग्रा. अंकित है जबकि वह वास्तव में 85 किग्रा. है। इस अंक के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वह अंक अस्पष्ट अंकित है। अतः वह 50 किग्रा. भी हो सकता है और 85 किग्रा. भी हो सकता है।

72. डी0डब्लू 3 आनन्द कुशवाहा मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 21.08.09 को जिला कारागार गोरखपुर के अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बालदत्त पाण्डेय निवासी लिलारी भरौली थाना कोपागंज जिला मऊ बंदी के रूप में दाखिल किया गया था। मेरे साथ उस समय जेल अस्पताल में डा0 सतीश कुमार भी कार्यरत थे। मैनें मुल्जिम राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय का वजन मैनुअल मशीन से तौलकर लिखा था। मुल्जिम की लंबाई लकड़ी के लट्ठे जिस पर स्केल बना होता है से मैनें ही नापी थी, जो मापदण्ड मेरे द्वारा प्रदर्श ख2 में लिखा गया है उस पर न ही मेरा हस्ताक्षर है और न ही डाक्टर साहब का हस्ताक्षर है। जो मुल्जिम जेल में दाखिल होता है उसके पहचान के चिन्ह डाक्टर द्वारा ह्यूमन राईट के फार्म पर अंकित किये जाते हैं जो जेल प्रभारी द्वारा अंकित किये गये पहचान के चिन्ह जेल रजिस्टर पर लिखे रहते हैं उसी से मिलान करके लिखा जाता है। जिस मेजरमेंट से लंबाई नापी गयी थी वह इलेक्ट्रानिक मशीन नहीं थी इसलिये लंबाई में 1-2 सेमी. का अंतर हो सकता है। जिस मशीन से वजन किया गया था वह पुरानी हो सकती है। वजन खान-पान तथा बीमारी के कारण घट-बढ़ सकता है। तौल की इलेक्ट्रानिक मशीन उस समय गोरखपुर जेल में नहीं थी इसलिये मुल्जिम राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय का वजन मैनुअल मशीन से लिया गया था। **इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित मुल्जिम राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय को देखकर कहा कि इसी मुल्जिम का दिनांक 21.08.09**

को नाप तौल किया गया था। मैनें फार्मेसी का 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किया है। किसी व्यक्ति का अंगूठा निशानी किसी अन्य व्यक्ति के अंगूठा निशानी के समतुल्य नहीं हो सकता है।

73. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने भी जिला कारागार गोरखपुर के कैदियाना रजिस्टर में बंदी राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय की लंबाई, चौड़ाई केा अंकित करने तथा उसे नापने, तौलने का साक्ष्य दिया है। साक्षी के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि उसने बताया है कि जिस मेजरमेंट से लंबाई नापी गयी थी वह इलेक्ट्रानिक मशीन नहीं थी। अतः माप में 1-2 सेमी. का अंतर हो सकता है। उस समय गोरखपुर जेल में तौल के लिए इलेक्ट्रानिक मशीन भी उपलब्ध नहीं थी इसलिये उसका वजन मैनुअल मशीन से लिया गया था तथा यह कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय का ही दिनांक 21.08.09 को ही गोरखपुर जिला कारागार में नाप तौल किया गया था।

74. डी0डब्लू 4 डा0 सतीश कुमार ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 21.08.09 को वह मेडिकल आफिसर के पद पर जिला कारागार गोरखपुर के अस्पताल में कार्यरत था। जब कोई बंदी जेल में दाखिल किया जाता है तो जेल रजिस्टर में उस बंदी के पहचान का चिन्ह अंकित किया जाता है और बंदी को रजिस्टर के साथ मेडिकल परीक्षण हेतु उसके पास भेजा जाता है और वह रजिस्टर में अंकित पहचान के चिन्ह का मिलान बंदी के शरीर पर पाये जाने वाले पहचान के चिन्ह से करता है। **पत्रावली में संलग्न प्रदर्श ख2 गोरखपुर जेल रजिस्टर दिनांकित 21.08.09 के क्रम सं0 860 पर अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बालदत्त पाण्डेय निवासी लिलारी भरौली थाना कोपागंज जिला मऊ का जो पहचान का चिन्ह अंकित है वह हाजिर अदालत अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के हैं। मुल्जिम राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के पहचान के चिन्ह और प्रदर्श ख2 में अंकित पहचान के चिन्ह की मिलान करने पर वह यह कह सकता है कि यही वह मुल्जिम है जो दिनांक 21.08.09 को जिला कारागार गोरखपुर में बंदी के रूप में लाया गया था तथा जिसकी रिहाई दिनांक 31.08.09 को हुई थी।**

75. इस साक्षी के बयान से सिद्ध होता है कि गोरखपुर जेल के कैदियाना रजिस्टर

पर बंदी का जो पहचान चिन्ह अंकित है वह हाजिर अदालत राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय का ही है और उस आधार पर वह यह कह सकता है कि अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय ही दिनांक 21.08.09 को जिला कारागार गोरखपुर में बंदी के रूप में लाया गया था जिसकी रिहाई दिनांक 31.08.09 को हुई थी।

76. सी0डब्लू 1 डिप्टी जेलर जिला कारागार मऊ विजय कुमार गुप्ता ने अपने बयान में बताया है कि वह न्यायालय के आदेशानुसार बंदी प्रवेश एवं मुक्ति रजिस्टर नं0 12 जो दिनांक 01.10.09 से दिनांक 31.12.09 तक का मूल रजिस्टर लेकर आया है जिसके क्रमांक सं0 2594 दिनांक 01.11.09 पर अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बालदत्त पाण्डेय, जाति ब्राम्हण, कार्य ठेकेदारी/कृषि, शिक्षा पालीटेक्निक, निवासी लिलारी भरौली थाना कोपागंज जिला मऊ, अपराध सं0 1866/09 धारा 147,148,149,302,307,325,404,120-बी भा0दं0वि व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट थाना कोतवाली एवं अपराध सं0 3836/09 धारा 394,380,411,506,120-बी भा0दं0वि थाना कोतवाली के वारंट पर जेल में दाखिल हुआ। अपराध सं0 1866/09 में रिमाण्ड पर दाखिल हुआ था। रिमाण्ड की अगली तिथि 13.11.09 अंकित है तथा पहचान के चिन्ह के रूप में बांये ललाट पर कट, दांये ललाट पर फुंसी का दाग, बांये मुट्ठे पर तिल अंकित है तथा पारिवारिक सदस्यों के रूप में पत्नी सरोज एवं लड़का आकाश अंकित है तथा बांये हाथ का निशानी अंगूठा तथा उम्र 37 वर्ष, वजन 97 किग्रा., लंबाई 165 सेमी. अंकित है तथा कालम 26 में दिनांक 25.01.10 को गाजीपुर न्यायालय में पेशी हेतु गया तथा गाजीपुर न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार गाजीपुर में दाखिल हुआ। इस अभिलेख की प्रविष्टि तत्कालीन डिप्टी जेलर राकेश सिंह द्वारा किया गया है। वजन व लंबाई तत्कालीन डाक्टर द्वारा नाप तौलकर लिखा गया है। मूल रजिस्टर की फोटो प्रति कराकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करके दाखिल किया है जो प्रदर्श सी1 है तथा कालम 29 में बांये हाथ का निशानी अंगूठा अंकित है।

77. यह साक्षी न्यायालय द्वारा आहूत साक्षी है जिसने जिला कारागार मऊ के कैदियाना रजिस्टर को सिद्ध किया है तथा क्रमांक सं0 2594 पर अंकित अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के विस्तृत विवरण यथा अपराध सं0, धारा, पता, पहचान

चिन्ह, लंबाई, वजन आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या को सिद्ध किया है जो वजन के अतिरिक्त लगभग वहीं है जो कि डी0डब्लू 2 एवं डी0डब्लू 3 ने अपने-अपने बयानों में बताया है तथा जो प्रदर्श ख2 में है।

78. अतः बचाव पक्ष द्वारा बचाव में प्रस्तुत डी0डब्लू 2, 3, 4 एवं सी0डब्लू 1 के मौखिक साक्ष्यों एवं गोरखपुर के कैदियाना रजिस्टर एवं जिला जेल मऊ के कैदियाना रजिस्टर से सिद्ध होता है कि गोरखपुर जिला कारागार में दिनांक 21.08.09 से 31.08.09 तक वही बंदी बंद था जो अपराध सं0 1866/09 में अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय के नाम से रिमाण्ड हुआ था जो निश्चय ही अभियुक्त राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय ही था। (उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों अर्थात डी0डब्लू 2, 3, 4 एवं सी0डब्लू 1 के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष पूर्व के पृष्ठों पर भी निकाला जा चुका है)।

79. अतएव उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का विश्लेषण एवं उनकी समीक्षा करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि दिनांक 28.08.09 को अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव ने कम से कम अन्य तीन व्यक्तियों के साथ मिलकर अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से मजमा नाजायज कायम करते हुए बलवा किया तथा उक्त बलवा अग्नेय शस्त्रों जैसे घातक आयुधों से सुसज्जित होकर किया एवं अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की गाड़ी पर अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या करने के आशय से अंधाधुंध फायर किया जिससे अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह, राजेश राय एवं शब्बीर शाह को गोलियां लगी, जिसके फलस्वरूप अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह, राजेश राय तथा शब्बीर शाह गंभीर रूप से घायल हुये एवं अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की उसी दिन मृत्यु हो गयी तथा राजेश राय एवं शब्बीर शाह देवयोग से बच गये, परन्तु यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि किसी अभियुक्त ने अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की किसी सम्पत्ति को बेईमानी पूर्वक उस समय हड़प लिया जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी तथा अभियुक्तों ने धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत विशिष्ट अपराध किया हो तथा अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया के पास से कोई अनाधिकृत अग्नेय शस्त्र बरामद

हुआ हो। अभियोजन शेष अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे किसी आरोप को सिद्ध करने में विफल रहा है। अतएव अभियुक्तगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव धारा 147,148,302/149,307/325/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जोन योग्य हैं तथा आरोप अंतर्गत धारा 404 भा0दं0वि0 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट से तथा अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप से भी तथा शेष सभी अभियुक्त अर्थात पंकज सिंह उर्फ विनय, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू, रजनीश सिंह, उमेश सिंह, संतोष सिंह एवं मुख्तार अंसारी सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

80. अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव को धारा 147,148,302/149,307/325/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा आरोप अंतर्गत धारा 404 भा0दं0वि0 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अमरेश कन्नौजिया को अपराध सं0 1939/09 (सत्र परीक्षण सं0 49/10) में आरोप अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम से भी दोषमुक्त किया जाता है। शेष अभियुक्तगण अर्थात पंकज सिंह उर्फ विनय, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय, अनुज कन्नौजिया, उपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू, रजनीश सिंह, उमेश सिंह, संतोष सिंह एवं मुख्तार अंसारी सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाते हैं। दोषमुक्त अभियुक्तगण पंकज सिंह उर्फ विनय, राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय तथा मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में हैं, अतः उनका रिहाई आदेश तत्काल निर्गत हो।

81. दोषीगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उन्हें दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हो।

82. अभियुक्तों/दोषियों के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 27.09.2017 **(आदिल आफताब अहमद)**

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 1,
मऊ।

<u>दिनांकः 27.09.2017</u>
<u>पुनश्च</u>

83. दोषीगण द्वारा निवेदन किया गया कि दण्ड के प्रश्न पर उन्हें आज ही सुन लिया जाय। अभियोजन को कोई आपत्ति नहीं है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु मामला लिया गया।

84. दोषीगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

85. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

86. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147,148,302/149,307/325/149 भा0दं0वि0 सिद्ध हो चुका है जो अत्यन्त गंभीर प्रकृति का अपराध है, दोषियों का आपराधिक इतिहास है। अतः उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय, जबकि दोषीगण का कथन है कि किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा उन्हें किसी अपराध के लिये प्रथम बार दण्डित किया गया है। अन्य मामलों में उनके विरूद्ध कोई भी आरोप अभी

तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। वर्ष 2009 में गिरफ्तारी के पश्चात से ही वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं। वे युवा हैं। उनके ऊपर पारिवारिक दायित्व है। अपने परिवार के पालन–पोषण का भी दायित्व है। वे निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करेंगे जिसमें उन्हें सफल होने की आशा है। अतः उन्हें किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये।

87. सुना गया। विचार किया गया।

88. दोषीगण को अपराध अंतर्गत धारा 147,148,302/149,307/325/149 भा0दं0वि0 में दोषी पाया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 147 भा0दं0वि0 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास के दण्ड से अथवा अर्थदण्ड से अथवा दोनों से, अंतर्गत धारा 148 भा0दं0वि0 3 वर्ष तक के सश्रम कारावास के दण्ड से अथवा अर्थदण्ड से अथवा दोनों से, अंतर्गत धारा 307/149 भा0दं0वि0 आजीवन कारावास तक के दण्ड से तथा अर्थदण्ड से, अंतर्गत धारा 325/149 भा0दं0वि0 7 वर्ष तक के सश्रम कारावास के दण्ड से तथा अर्थदण्ड से, अंतर्गत धारा 302/149 भा0दं0वि0 आजीवन कारावास के दण्ड से अथवा मृत्युदण्ड से तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है। इस प्रकरण में दोषियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह पर अंधाधुंध फायर करते हुए उनकी हत्या किया गया है, जिसके दौरान उनकी गाड़ी में बैठे हुये राजेश राय तथा गाड़ी के बाहर खड़े चालक शब्बीर शाह को भी गोलियां लगी हैं जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुये हैं। इस प्रकार दोषियों द्वारा दिनदहाड़े सार्वजनिक स्थल पर दुस्साहसिक कृत्य करते हुए गोलियों से तीन व्यक्तियों को गंभीर रूप से आहत किया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से एक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की उसी दिन अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु हो गयी। दोषियों के उक्त दुस्साहसिक कृत्य से न केवल अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की मृत्यु हुई, राजेश राय तथा शब्बीर शाह गंभीर रूप से घायल हुये बल्कि शांति एवं सभ्य समाज की आत्मा भी आहत हुई। सभी दोषीगण द्वारा हत्या कारित करने में पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है तथा फायरिंग करने के पश्चात वे मौके से तत्काल ही पलायन कर गये थे। अतएव समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचार करने के उपरांत यह मामला विरलों में से विरलतम प्रकृति का नहीं प्रतीत होता, अतः किसी भी दोषी को धारा 302/149

भा0दं0वि0 के अंतर्गत मृत्युदण्ड देना न्यायहित में नहीं होगा, परन्तु निश्चय ही वे आजीवन कारावास के दण्ड के भागी हैं। जैसा कि दोषीगण द्वारा चलायी गयी गोलियों से शब्बीर शाह तथा राजेश राय गंभीर रूप से आहत हुये थे, अतः धारा 307/325/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत वे कम से कम 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से एवं उपयुक्त अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के पात्र हैं। दोषीगण द्वारा अग्नेयशस्त्र जैसे घातक शस्त्रों से लैस होकर बलवा किया गया है जिससे स्थानीय शांति भी छिन्न-भिन्न हुई है, अतः उन्हें धारा 147,148 भा0दं0वि0 के अंतर्गत भी उपयुक्त कारावास के दण्ड से तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा। दोषियों द्वारा धारा 307/325/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से एक बड़ा अंश घटना में घायल राजेश राय, जिनकी दौरान विचारण कालांतर में मृत्यु हो गयी, के वारिसों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा धारा 302/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से एक बड़ा अंश मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के वारिसों को दिलाया जाना न्यायहित में होगा। अतः प्रत्येक दोषी पर उचित अर्थदण्ड अधिरोपित करना भी आवश्यक है। घटना में घायल शब्बीर शाह को दोषियों से प्राप्त अर्थदण्ड की धनराशि में से कोई धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसके अनुसार इन दोषियों द्वारा फायर करके उसे आहत नहीं किया गया था। दोषियों द्वारा धारा 147,148,307/325/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना भी आवश्यक है, परन्तु धारा 302/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का दण्ड अधिरोपित करना तर्कसंगत एवं विधिसंगत नहीं होगा क्योंकि उक्त धारा के अंतर्गत उन्हें आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि जीवनपर्यन्त कारावास में रहने के कारण उनके पास शेष ऐसा जीवन नहीं होगा जिससे उन्हें किसी भी अवधि के लिये पुनः कारावास में रखा जाय। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रत्येक दोषी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

89. दोषीगण अमरेश कन्नौजिया, जामवन्त उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अरविन्द यादव को धारा 147 भा0दं0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से तथा 2000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से, धारा 148 भा0दं0वि0 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 4000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से, धारा 307/325/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से एवं धारा 302/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से तथा 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

90. दोषीगण द्वारा धारा 307/325/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अधिरोपित प्राप्त अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि राजेश राय के वारिसों को बतौर क्षतिपूर्ति तथा धारा 302/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अधिरोपित प्राप्त अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के वारिसों को बतौर क्षतिपूर्ति अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न की जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन यदि अपील किया जाता है, भुगतान किया जायेगा।

91. प्रत्येक दोषी का प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ-साथ चलेगा तथा प्रत्येक दोषी द्वारा इस मामले में दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि का प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित दण्ड कारावास के दण्ड में समायोजित किया जायेगा। तदानुसार दोषियों का दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अध्यक्ष, जिला कारागार मऊ को दण्ड भोगने के लिये प्रेषित किया जाये।

92. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक प्रति निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

93. प्रकरण में प्रस्तुत वस्तु प्रदर्शों में से एक्स-रे प्लेट के अतिरिक्त शेष वस्तु प्रदर्शों

को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात तथा अपील हो जाने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन नियमानुसार नष्ट किया जाये।

94. निर्णय की एक-एक प्रति सत्र परीक्षण सं0 12/11 राज्य बनाम संतोष सिंह में, सत्र परीक्षण सं0 240/12 राज्य बनाम अरविन्द यादव आदि में तथा सत्र परीक्षण सं0 49/10 राज्य बनाम अमरेश कन्नौजिया में रखी जाय।

95. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 27.09.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 1,
मऊ।

96. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 27.09.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 1,
मऊ।

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 296 सन् 2012

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. असलम अली उर्फ नन्हे वकील पुत्र अहमद
साकिन- मुंशीपुरा, थाना- कोतवाली, जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 1274/2011
अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0
थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।

<u>निर्णय</u>

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील का विचारण धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा निजामुद्दीन की पत्नी अलमा खातून की हत्या कर दिया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 17.07.11 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता निजामुद्दीन ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *प्रार्थी की पत्नी अलमा खातून बुनकर कालोनी वाले मकान में रहती थी। वह कुछ दिन से मुहल्ला रघुनाथपुरा में जरी की मशीन पर काम करता था और वहीं पर रहता था। हफ्ते में एक दो दिन अपनी पत्नी को खर्च वगैरह देने के लिए बुनकर कालोनी आता था। मकान को लेकर उससे तथा उसकी पत्नी से असलम अली उर्फ नन्हे वकील से विवाद चल रहा था। असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने उसे और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दिया था। बीती रात में उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। मकान की रंजिश को लेकर असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी पत्नी की हत्या की जानकारी उसे दोपहर में हुई। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गयी थी।*

पोस्टमार्टम के बाद सूचना देने आया हूं। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना सरायलखंसी में अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील के विरूद्ध अपराध सं0 1274/11 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी की लिखित तहरीर एवं नकल जी0डी0 प्राप्त किया। उसका उल्लेख केस डायरी में किया। वादी का बयान अंकित किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया। मृतका के भाई का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। घटनास्थल से खूल आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी का नमूना एकत्र किया तथा उसकी फर्द तैयार किया। समई साक्षियों का बयान अंकित किया। पंच नियुक्त कर शव का पंचायतनामा कराया। शव को पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ को प्रेषित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्राप्त कर उसका अवलोकन किया। पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। फर्द के गवाहों का बयान अंकित किया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया। अभियुक्त का बयान अंकित किया। घटनास्थल से प्राप्त खून आलूदा व सादी मिट्टी के परीक्षण हेतु उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने पर अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादी मुकदमा निजामुद्दीन, मुमताज अहमद, अतहर हुसैन, मुहम्मद हाशिम, उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, डा0 यूसुफ अंसारी, उपनिरीक्षक श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव, देवेन्द्र कुमार

सिंह, सुरेश चन्द्र मिश्र, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 9 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, पंचायतनामा, फर्द कब्जा में लेने खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, मुमताज अहमद की तहरीर की जी0डी0, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चालान नाश, फोटोनाश, पत्र प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन मऊ, पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मऊ, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील, घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क13 क्रमशः को सिद्ध कराया है। प्रलेखीय साक्ष्यों में सूची सं0 37ग से अपराध सं0 366/09 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 38ग/2, आरोप पत्र कागज सं0 38ग/4 तथा तहरीर वादी अलमा खातून कागज सं0 38ग/6 एवं अपराध सं0 984/12 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 38ग/8, तहरीर कागज सं0 38ग/10 तथा आरोप पत्र कागज सं0 38ग/12 ता 38ग/14 प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन ने अलमा खातून द्वारा यासमीन पत्नी असलम अली उर्फ नन्हे वकील के पक्ष में निष्पादित बैनामें की नकल कागज सं0 38ग/15, वाद सं0 1525/10 के आदेशिका की सत्य प्रति कागज सं0 38ग/24, आपराधिक वाद सं0 3551/11 में निजामुद्दीन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति कागज सं0 38ग/26, एवं उक्त वाद की आदेश पंजिकायें कागज सं0 38ग/28 व 38ग/29 प्रस्तुत किया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे उक्त आरोप को सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्त को उक्त धारा में दोषसिद्ध ठहराया जाय।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने अभियोजन साक्ष्यों को गलत होना बताते हुए झूठी रिपोर्ट लिखाया जाना बताया। पी0डब्लू 5, 6, 7, 8 तथा 9 के बयानों से पूर्णतयः अनभिज्ञता व्यक्त किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्र को गलत होना बताया तथा अपने को निर्दोष होना बताते हुये अपने विरूद्ध झूठा मुकदमा चलाया जाना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा किसी

भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, परन्तु सूची सं0 71ख से अलमा खातून द्वारा अभियुक्त की पत्नी यासमीन के नाम निष्पादित बैनामें की प्रति कागज सं0 72ख, उक्त बैनामें के संबंध में जिला स्टैम्प अधिकारी के द्वारा पारित आदेश की नकल कागज सं0 72ख/2 तथा बैनामें के मकान के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा यासमीन बेगम को जारी नोटिस कागज सं0 72ख/3, अलमा खातून द्वारा उक्त मकान को ही पुनः हाजी सैयद अली के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हिब्बानामा की प्रति कागज सं0 73ख, यासमीन बेगम द्वारा अलमा खातून एवं सैयद अली के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत धारा 156 (3) सी0आर0पी0सी0 का आवेदन पत्र कागज सं0 74ख, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.02.09 कागज सं0 75ख, थाना सरायलखंसी पर पंजीकृत अपराध सं0 212/09 की प्रति कागज सं0 76ख, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 06.08.15 की प्रति कागज सं0 77ख, अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील के विरूद्ध पंजीकृत अपराध सं0 366/09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 78ख, आरोप पत्र कागज सं0 79ख तथा उस वाद में पी0डब्लू 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के बयान की प्रतियां बतौर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी भी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का प्रथम साक्षी निजामुद्दीन पी0डब्लू 1 है जो मृतका का पति है। उसने अपने बयान में बताया है कि घटना दो साल पहले समय 10.00 बजे रात की है। उसकी पत्नी अलमा खातून घटना के समय बुनकर कालोनी में अपने मकान में रहती थी। वह कुछ दिन से रघुनाथपुरा में मुहम्मद सालेह के यहां जरी की मशीन चलाता था तथा वहीं रह भी जाता था। हफ्ते में दो चार दिन बुनकर कालोनी आकर अपनी पत्नी को खर्चा दे जाता था। बुनकर कालोनी वाले मकान को लेकर उससे, उसकी पत्नी तथा असलम अली उर्फ नन्हे वकील से विवाद चल रहा था। इसी विवाद

को लेकर असलम अली उर्फ नन्हे वकील उसकी पत्नी को जान से मारने की बार-बार धमकी देता था। घटना की रात उसकी पत्नी बुनकर कालोनी वाले मकान में अकेली थी और वह उस दिन जरी मशीन चलाने गया था। अगल-बगल के लोगों ने हत्या करते समय असलम को देखा और बताया कि मकान, रूपया पैसा जेवरात हड़प लिया था इसलिये उसकी पत्नी की हत्या किया। उसे घटना की जानकारी दूसरे दिन 11.00 बजे दिन में हुई थी। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल मऊ में हुआ था। उसके बाद घटना की लिखित सूचना थाना सरायलखंसी पर दिया था। तहरीर एक व्यक्ति से बोलकर, लिखवाकर उस पर अपना अंगूठा लगाकर थाने पर दिया था जो पत्रावली पर कागज सं0 5क प्रदर्श क1 है। घटना के बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

9. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि अलमा खातून की पहली शादी खलील अहमद से हुई थी जिनकी 11-12 साल पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी थी। जब अलमा खातून से मेरी शादी हुई उस समय मेरी आयु 30 वर्ष थी तथा अलमा खातून की आयु 40 वर्ष थी............। अलमा खातून को मैनें तलाक नहीं दिया था। दिनांक 20.07.06 को अलमा खातून मुझे घर से कचहरी लाकर 5 रूपये के स्टैम्प पर जबरदस्ती तलाकनामा पर अंगूठा लगवा लिया............। अलमा खातून से मेरी शादी के बाद मोहल्ले वालों ने अलमा खातून की शादी चेयरमैन साहब के मकान के सामने रहने वाले एक आदमी से करा दिया था...........। अलमा खातून का मकान बुनकर कालोनी में एक पाव जमीन में बना था..........। उसी मकान को लेकर असलम और अलमा खातून के बीच विवाद था। असलम ने उससे 90,000/- नगद, जेवरात व मकान का कागज ले लिया था। अलमा खातून ने रूपये डाकखाने में रखा था। कागज मैनें नहीं देखा था...........। अलमा खातून ने असलम पर एक मुकदमा थाना सरायलखंसी में लिखाया था। उसी मकान के संबंध में असलम ने अलमा खातून एवं सैयद अली के विरूद्ध 420 का मुकदमा लिखाया था............। मैनें कोई घटना नहीं देखा था। सूचना मिलने के बाद मैं बुनकर कालोनी गया था.............. । वहां लोगों ने बताया कि लाश पोस्टमार्टम के लिये गयी है............। मकान में पहुंचने पर देखा कि बक्सा, चौकी, कपड़ा, रूपया मकान से गायब था............।

पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिसवालों ने दफन करने के लिये मेरी सुपुर्दगी में दे दिया था। पंचायतनामा मेरे सामने हुआ था आदि-आदि।

10. इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि उसका विवाह अलमा खातून से हुआ था, परन्तु अलमा खातून बुनकर कालोनी में रहती थी। साक्षी उसके साथ नहीं रहता था। अलमा खातून की हत्या उस घर में ही रात में हो गयी थी। हत्या की सूचना पाकर साक्षी घटनास्थल पर पहुंचा था। पुलिसवालों ने मृतका का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराया था तथा साक्षी को शव दे दिया था। साक्षी ने शव का अंतिम संस्कार किया था। साक्षी ने यद्यपि घटना कारित करते स्वयं किसी को नहीं देखा था परन्तु उसके बयान से यह अवश्य प्रतीत होता है कि बुनकर कालोनी स्थित मकान को लेकर साक्षी का तथा उसकी पत्नी मृतका का विवाद अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हें वकील से चल रहा था तथा अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने साक्षी को तथा अलमा खातून को जान से मारने की धमकी दिया था तथा अलमा खातून ने अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायलखंसी में मुकदमा पंजीकृत कराया था तथा अभियुक्त की पत्नी की ओर से भी उसी मकान को लेकर अलमा खातून तथा हाजी सैयद अली के विरूद्ध धारा 420 भा0दं0वि0 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

11. अभियोजन की दूसरी साक्षी मुमताज अहमद पी0डब्लू 2 है। उसने बयान दिया है कि मृतका अलमा खातून बुनकर कालोनी के पीछे अकेली रहती थी तथा इधर-उधर मांगकर खाती थी। सबेबारात का दिन था, दो साल तीन महीने के करीब हुआ। मुहल्ले की बच्ची उसे खाना लेकर गयी तो वहां मरी हुई बुढ़िया पड़ी थी। बच्ची चिल्लाकर बाहर निकल आयी। उसके मरने की सूचना थाने में दिया था। मृतका का पंचायतनामा दरोगा जी उसके सामने बनाये थे। पंचायतनामा पर उसका भी हस्ताक्षर है। पत्रावली पर पंचायतनामा कागज सं0 9/1 व 9/2 प्रदर्श क2 है। दरोगा जी मौके पर गिरे खून को व सादी मिट्टी को लेकर डिब्बी में पैक किये थे तथा उस पर मेरा हस्ताक्षर बनवाये थे जो शामिल पत्रावली कागज सं0 8क प्रदर्श क3 है। दरोगा जी उसका बयान लिये थे।

12. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि घटना की उसने मौखिक सूचना थाने पर दिया था............। अलमा खातून की लाश का पंचायतनामा थाने पर हुआ था। अलमा

खातून के मरने की सूचना थाने पर देने से पहले उसकी लाश घर में देखा था। लाश टीन वाले कमरे में थी। मुझसे पहले एक छोटी बच्ची शायरा ने देखा और शोर किया तब हम लोगों ने जाकर देखा। लाश पर पर्दा पड़ा था, दुपट्टा से ढकी थी आदि–आदि।

13. इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि अलमा खातून की लाश घर के अंदर पड़ी थी जिसे अगले दिन सबसे पहले एक बालिका ने उस समय देखा जब वह उसे खाना देने के लिये गयी थी। उसके शोर करने पर साक्षी आदि भी मौके पर पहुंचे थे। साक्षी ने सूचना थाने पर दिया था। यद्यपि साक्षी यह बता रहा है कि उसने थाने पर मौखिक सूचना दिया था, परन्तु पत्रावली पर साक्षी की ओर से लिखित सूचना कागज सं0 31क उपलब्ध है, अतः यह प्रतीत होता है कि संभवतः साक्षी यह भूल गया है कि उसने लिखित सूचना भी थाने पर दिया था। साक्षी पंचायतनामे का गवाह है। महत्वपूर्ण यह है कि साक्षी ने भी अलमा खातून का शव उसके घर में ही देखा था।

14. अभियोजन का तीसरा साक्षी अतहर हुसैन पी0डब्लू 3 है, जिसने बयान दिया है कि घटना हुये लगभग तीन साल हुआ। रात्रि का समय था। उसे सुबह खबर मिली तो वह मऊ आया था। उसकी बहन अलमा खातून की हत्या हुई थी। अलमा खातून की शादी पहले खलील अहमद के साथ हुई थी। खलील की मृत्यु घटना के दस साल पहले हुई थी। उसके बहनोई खलील अहमद एक पांव जमीन उसकी बहन के नाम से लिखे थे जिसे उसकी बहन ने साढ़े तीन लाख रूपये में बेच दिया था। उसके बाद उसकी बहन रघुनाथपुरा में रहने लगी। वहां निजामुद्दीन जो बेल्थरा जनपद बलिया का रहने वाला था के साथ उसकी बहन का निकाह हुआ। उसके बाद उसकी बहन व निजामुद्दीन बुनकर कालोनी में जमीन लेकर मकान बनवाकर रहने लगे। इसके बाद बुनकर कालोनी वाला मकान असलम अली उर्फ नन्हे वकील बिल जमा करने के बहाने बहकाकर कचेहरी ले जाकर अंगूठा निशानी लगवाकर उसका उक्त मकान अपनी औरत के नाम लिखवा लिया। बाद में उसकी बहन अलमा खातून को जब इस जालसाजी की जानकारी हुई तो वह थाने पर मुकदमा लिखवाई। असलम अली उर्फ नन्हे वकील, उसे, उसकी बहन व बहनोई को जान से मारने की धमकी देता था।

धमकी दिया था कि मुकदमें की पैरवी मत करो नहीं तो जान से मार दूंगा। घटना से दो माह पहले वह बुनकर कालोनी आया था। उसकी बहन की हत्या रात्रि में हुई जिसकी सूचना उसे करीब 11.00 बजे दिन में मिली। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी बहन की हत्या असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने किया है। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

15. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैं गांव में रहता हूं। घूम-घूमकर चादर, मच्छरदानी बेचता हूं। मैनें घटना अपनी आंख से नहीं देखा था। बुनकर कालोनी वाले मकान को जब असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था तो उस समय मैं रजिस्ट्री कार्यालय में नहीं था............। अलमा खातून की पहली शादी 40 साल पहले खलील के साथ हुई थी। खलील ने एक पाव जमीन मेरी बहन अलमा खातून के नाम से लिया था। उसके मरने के बाद उस जमीन को अलमा खातून ने बेच दिया। उसके बाद मेरी बहन ने दो लाख रूपये में बुनकर कालोनी में जमीन खरीदा व एक लाख रूपये बैंक में रख दिया.............। मकान मेरी बहन ने अपने नाम से खरीदा था। निजामुद्दीन हमेशा उसके साथ नहीं रहते थे, आते जाते रहते थे। जब असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने मुझे, मेरी बहन व बहनोई को जान से मारने की धमकी दिया था तो उसके लिये मेरी बहन ने थाने पर दरखास्त दिया था............। सूचना पाकर मैं 11.00 बजे मऊ पहुंचा था। अलमा खातून की लाश बुनकर कालोनी वाले मकान में थी। पुलिसवालों ने हमसे चार बात पूंछा था उसके बाद छोड़ दिया था आदि-आदि।

16. इस साक्षी के बयान से भी यह प्रतीत होता है कि अलमा खातून का शव बुनकर कालोनी स्थित मकान में पाया गया था। उस मकान को अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने अपनी पत्नी के नाम लिखवा लिया था जिसके विषय में अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील से अलमा खातून का विवाद चल रहा था तथा असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने इस साक्षी को जो कि मृतका का भाई है तथा अलमा खातून तथा उसके पति निजामुद्दीन को इसी मकान के विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी दिया था। अलमा खातून ने अभियुक्त के विरूद्ध जालसाजी से मकान लिखाये जाने की जानकारी होने पर थाना सरायलखंसी में रिपोर्ट लिखायी थी।

अभियुक्त ने साक्षी, उसकी बहन व बहनोई को यह धमकी दिया था कि यदि उक्त मुकदमें की पैरवी करोगे तो जान से मार दूंगा।

17. अभियोजन का चौथा साक्षी मुहम्मद हाशिम पी0डब्लू 4 है, जिसने बयान दिया है कि वादी निजामुद्दीन की पत्नी अलमा खातून उसके मुहल्ले में रहती थी जिसकी हत्या हो गयी, जिसके संबंध में दरखास्त उसके पति निजामुद्दीन उससे लिखवाये थे जो निजामुद्दीन बोले थे वही वह अक्षरशः लिखा था। जो उसने लिखा था उसे उसने निजामुद्दीन को पढ़कर सुनाया था। उसके बाद उस पर अपना अंगूठा निशानी लगाया था। वह थाने गया था। जो दरोगा जी उससे पूछे थे वही वह बताया था। साक्षी ने प्रदर्श क1 तहरीर को सिद्ध किया है।

18. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मैं थाना सरायलखंसी रिपोर्ट कराने की तारीख को 5-6 बजे शाम को पहुंचा था। मेरे साथ तीन और लोग थाने पर गये थे। उस समय अलमा खातून का शव घर पर आ गया था आदि-आदि।

19. इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने वादी मुकदमा निजामुद्दीन के बोलने पर तहरीर लिखा था।

20. अभियोजन का अगला साक्षी उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह पी0डब्लू 5 है जिसने बयान दिया है कि दिनांक 17.07.11 को मुमताज अहमद की तहरीर का उल्लेख मूल जी0डी0 के मद नं0 24 पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में किया गया जो पत्रावली पर कागज सं0 7क/2 प्रदर्श क4 है। उसी दिन वादी मुदकमा निजामुद्दीन की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील के विरूद्ध अपराध सं0 1274/11 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 थाना सरायलखंसी में समय 18.30 बजे किता किया था जिसकी चिक प्रदर्श क5 तथा जी0डी0 कायमी की नकल प्रदर्श क6 है।

21. इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम दिनांक 17.07.11 को मुमताज अहमद पी0डब्लू 3 ने घटना की लिखित सूचना थाने पर दिया था जिसका उल्लेख जी0डी0 प्रदर्श क4 में इस साक्षी द्वारा किया गया तथा उसी दिन वादी मुकदमा निजामुद्दीन ने भी 18.30 बजे घटना की लिखित तहरीर दिया जिसके आधार पर मुकदमा अपराध सं0 1274/11 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 अभियुक्त

के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी चिक प्रदर्श क5 तथा जी0डी0 की नकल प्रदर्श क6 है।

22. अभियोजन ने शव विच्छेदन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में शव विच्छेदन करने वाले डा0 यूसुफ अंसारी सीनियर सर्जन को बतौर पी0डब्लू 6 परीक्षित किया है, जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 17.07.11 को उन्होनें मृतका अलमा खातून के शव का शव विच्छेदन किया था। शव सील मुहर अवस्था में उन्हे प्राप्त हुआ था तथा जिन्हे कां0 जय शंकर चौबे व होमगार्ड संतोष कुमार ने शिनाख्त किया था। उन्होनें प्रपत्रों से शव का मिलान किया था जो सही था। मृतका की सामान्य आयु लगभग 55 वर्ष थी। मृतका सामान्य कद काठी की थी, आंख व मुंह बंद था। खून का थक्का चेहरे एवं खोपड़ी पर मौजूद था। मृत्यु पश्चात अकड़न उसके दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में मौजूद थी। दाहिने कान से खून बहने का साक्ष्य मौजूद था। उन्होनें शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें पायी थी–

चोट नं.1– खोपड़ी के बायें कान के ठीक ऊपर 10X8 सेमी. के एरिया में निलगू निशान।

चोट नं.2– खोपड़ी के दाहिने तरफ दाहिने कान के ठीक ऊपर 9X7 सेमी. के एरिया में निलगू निशान।

चोट नं.3– दाहिने कलाई के ऊपर 8X6 सेमी. के एरिया में निलगू निशान खरास के साथ मौजूद था और दोनों हड्डियां टूटी पायी गयी थी।

चोट नं.4– बायीं कलाई के ऊपर 7X5 सेमी. के एरिया में निलगू खरास के साथ निलगू निशान था और दोनों हड्डी टूटी थी।

चोट नं.5– दाहिने खोपड़ी के ऊपर दाहिने भौंह से ठीक ऊपर फटा हुआ घाव 3X1 सेमी. के एरिया में मांस तक गहरा था।

चोट नं.6– बायें पलक पर नीचे की तरफ फटा हुआ घाव 4X1 सेमी. के एरिया में।

चोट नं.7– दाहिने तरफ के ऊपर होंठ में फटा हुआ घाव 3X1.5 सेमी. के एरिया में।

चोट नं.8– दाहिने सीने के सामने की तरफ 4 सेमी. कालर बोन से नीचे

10X8 सेमी. के एरिया में ट्रोमैट्रिक स्वेलिंग थी।

चोट नं.9– सीने पर सामने की तरफ 3 सेमी. कालर बोन से नीचे 11X9 सेमी. के एरिया में ट्रोमैट्रिक स्वेलिंग थी।

आंतरिक परीक्षणः– खोपड़ी के दाहिने तरफ की हड्डी (टैम्पोरोपेराइटल बोन) टूटी हुई थी। दिमाग की झिल्ली फटी हुई थी। मस्तिष्क के अन्दर सबड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा मौजूद था। सीने के दोनों तरफ की पसली 3 से लेकर 8 तक टूटी हुई थी। दोनों फेफड़े सूजे हुये थे। हृदय का दाहिना चेम्बर भरा हुआ था तथा बांया चेम्बर खाली था। आमाशय के अन्दर 200 ग्राम अर्धपचा भोजन मौजूद था। म्यूकस नार्मल था। छोटी एवं बड़ी आंत में गैस एवं मल पदार्थ भरा था। मलाशय आंतरिक रूप से भरा था। लीवर, प्लीहा, गुर्दा कन्जेस्टेड था। पेशाब की थैली आधी खाली थी। बच्चेदानी के अन्दर कोई भ्रूण नहीं था। मृतका के शरीर पर सूट, सलवार, साल, बुरका, अंगूठी, चूड़ी के टुकड़े आदि थे। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व आयी चोटें सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त थी। मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण कोमा से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं0 13क/1 प्रदर्श क7 उसके लेख व हस्ताक्षर में है।

23. इस साक्षी के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उसने मृतका अलमा खातून के शव का पोस्टमार्टम किया था तथा उसके शरीर पर नौं चोटें पायी थी जिनमें खोपड़ी की हड्डी, छाती के दोनों ओर की पसली सं0 3 से लेकर 8 तक, दाहिने कलाई की दोनों हड्डियां तथा बांयी कलाई की दोनों हड्डी टूटी थी। चेहरे पर कई फटे हुये घाव थे। सीने पर सूजन थी, दिमाग की झिल्ली फटी हुई थी तथा उसकी मृत्यु इन्हीं चोटों से हुई थी अर्थात वृद्धा की कठोर हथियार से मार-मारकर बड़ी निर्ममता से हत्या किया गया था।

24. अभियोजन का अगला साक्षी उपनिरीक्षक श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव पी0डब्लू 7 है जिसने बयान दिया है कि दिनांक 17.07.11 को मुमताज की लिखित तहरीर के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचकर उसने मृतका अलमा खातून के शव का पंचायतनामा किया था। मौके पर उपस्थित लोगों में से मुमताज, निजामुद्दीन, अशोक, सुल्तान व इरशाद को पंचान नियुक्त किया था। मृतका का शव उसके कमरे में जमीन

पर पाया गया था। मृतका के हुलिया, पहनावा व चोट को पंचायतनामे में अंकित करते हुये सभी पंचान से एक साथ व अलग-अलग राय ली गयी थी, जिसका अंकन पंचायतनामा प्रदर्श क2 में किया था तथा पोस्टमार्टम कराने से संबंधित कागजात पुलिस फार्म 13 प्रदर्श क8, फोटोनाश प्रदर्श क9, रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क10, रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी सदर अस्पताल मऊ प्रदर्श क11 तैयार किया था।

25. इस साक्षी के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उसने दिनांक 17.07.11 को मृतका का पंचायतनामा कराया था तथा पंचायतनामा के पश्चात उसके शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा था।

26. अभियोजन द्वारा इस मामले की विवेचना क्रमशः दो विवेचकों द्वारा करना बताया गया है। प्रथम विवेचक सुरेश चन्द्र मिश्र को बतौर पी0डब्लू 9 परीक्षित किया गया है, जिन्होनें बयान दिया कि दिनांक 17.07.11 को वह थाना सरायलखंसी पर बतौर थानाध्यक्ष तैनात थे। उस दिन मुकदमा अपराध सं0 1274/11 धारा 302 भा0द0वि0 थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया था एवं वादी का बयान अंकित किया तथा तहरीर लेखक मुहम्मद हाशिम व मृतका के भाई अतहर हुसैन का बयान अंकित किया था। दिनांक 18.07.17 को वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क13 बनाया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ही मौके से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही फर्द प्रदर्श क3 बनाया था। उसी दिन समई साक्षियों अतीक, श्रीमती जहांआरा, श्रीमती विमला देवी व जावेद का बयान अंकित किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 24.07.11 को पंचायतनामें की नकल केस डायरी में किया। दिनांक 30.07.11 को चिक लेखक हेड मोहर्रिर राजेन्द्र सिंह व साक्षी मुमताज अहमद का बयान केस डायरी में अंकित किया था। दिनांक 02.08.11 को इनायत का बयान अंकित किया था। दिनांक 05.08.11 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख केस डायरी में किया था। तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण हो गया। दूसरे विवेचक उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह हैं। उन्हें बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया गया है।

27. पी0डब्लू 8 उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह ने बयान दिया है कि दिनांक 10.08.11 को अपराध सं0 1274/11 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 थाना सरायलखंसी की विवेचना का कार्य मुझे प्राप्त हुआ। उसी दिन मैनें पूर्व में की गयी विवेचना का अवलोकन किया जिसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 25.08.11 को साक्षी फारूख का बयान अंकित करते हुए अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील का बयान अंकित किया था तथा अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 प्रदर्श क12 प्रेषित किया। घटना से संबंधित खून आलूदा व सादी मिट्टी व अन्य संबंधित विषय वस्तु को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला डाकेट बनवाकर भेजा था जिसका उल्लेख केस डायरी में किया था।

28. इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य से सिद्ध होता है कि मामले की विवेचना उनके द्वारा किया गया था तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

29. अभियोजन द्वारा दाखिल प्रलेखीय साक्ष्यों में सूची सं0 37ग से अपराध सं0 366/09 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 38ग/2, आरोप पत्र कागज सं0 38ग/4 तथा तहरीर वादी अलमा खातून कागज सं0 38ग/6 एवं अपराध सं0 984/12 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 38ग/8, तहरीर कागज सं0 38ग/10 तथा आरोप पत्र कागज सं0 38ग/12 व 38ग/14, अलमा खातून द्वारा अभियुक्त की पत्नी के नाम किये गये बैनामें की नकलें कागज सं0 38ग/15 ता 38ग/22, वाद सं0 1525/10 के आदेशिका की सत्य प्रति कागज सं0 38ग/24, आपराधिक वाद सं0 3551/11 में निजामुद्दीन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति कागज सं0 38ग/26 एवं कागज सं0 38ग/28 व 38ग/29 उक्त वाद की आदेश पंजिकायें हैं। विदित हो कि बचाव पक्ष ने भी सूची सं0 71ख से 15 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जिनमें अलमा खातून द्वारा अभियुक्त की पत्नी यासमीन के नाम निष्पादित बैनामें की प्रति कागज सं0 72ख, उक्त बैनामें के संबंध में जिला स्टैम्प अधिकारी के द्वारा पारित आदेश की नकल कागज सं0 72ख/2 तथा बैनामें के मकान के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा यासमीन बेगम को जारी नोटिस कागज सं0 72ख/3, अलमा खातून द्वारा उक्त मकान को ही पुनः हाजी सैयद अली के पक्ष

में निष्पादित पंजीकृत हिब्बानामा की प्रति कागज सं0 73ख, यासमीन बेगम द्वारा अलमा खातून एवं सैयद अली के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत धारा 156 (3) सी0आर0पी0सी0 का आवेदन पत्र कागज सं0 74ख, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.02.09 कागज सं0 75ख, थाना सरायलखंसी पर पंजीकृत अपराध सं0 212/09 की प्रति कागज सं0 76ख, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 06.08.15 की प्रति कागज सं0 77ख, अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील के विरूद्ध पंजीकृत अपराध सं0 366/09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 78ख, आरोप पत्र कागज सं0 79ख तथा उस वाद में पी0डब्लू 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के बयान की प्रतियां हैं।

30. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रलेखीय साक्ष्यों में कागज सं0 38ग/15 बैनामें की नकल है जो श्रीमती अलमा खातून द्वारा अभियुक्त की पत्नी यासमीन के पक्ष में निष्पादित है। अभियुक्त ने भी इसी बैनामें की प्रति कागज सं0 72ख के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः उभय पक्षों में यह निर्विवादित है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी के नाम दिनांक 06.05.08 को अलमा खातून का बुनकर कालोनी स्थित मकान क्रय कर लिया था, अतः अभियुक्त की पत्नी उस मकान की स्वामी हो गयी। अभियुक्त की ओर से कागज सं0 72ख/2 एवं 72ख/3 भी प्रस्तुत किया गया है। कागज सं0 72ख/2 इसी मकान के विषय में न्यायालय अपर कलेक्टर/जिला स्टैम्प अधिकारी मऊ का इस आशय का आदेश है कि उक्त मकान के क्रेता ने बैनामें के समय कम स्टैम्प शुल्क अदा किया है। अतः क्रेता से शेष स्टैम्प शुल्क वसूल लिया जाय तथा कागज सं0 72ख/3 नगर पालिका मऊनाथ भंजन द्वारा इसी मकान के बावत अभियुक्त की पत्नी को प्रेषित गृहकर एवं जलकर की नोटिस है। इन दोनों अभिलेखों से भी यह पुष्ट होता है कि अभियुक्त की पत्नी ने अलमा खातून का मकान क्रय कर लिया था। कागज सं0 73ख अभियुक्त द्वारा ही दाखिल किया गया है जो अलमा खातून द्वारा इसी मकान के बावत दिनांक 13.10.08 को मस्जिद इमाम आजम के पक्ष में निष्पादित हिब्बानामा है जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के द्वारा अलमा खातून का मकान दिनांक 06.05.08 को अपने पक्ष में विक्रय कराने के पश्चात उक्त असहाय तथा वृद्ध अलमा खातून ने निराश होकर उक्त मकान को मस्जिद के पक्ष में

दिनांक 13.10.08 को हिब्बानामा कर दिया। यह कृत्य उक्त वृद्ध तथा असहाय महिला के द्वारा हताशा में उठाया गया कदम प्रतीत होता है। अभियुक्त द्वारा ही कागज सं0 74ख प्रस्तुत किया गया है जो अभियुक्त की पत्नी यासमीन बेगम द्वारा अलमा खातून तथा सैयद अली आदि के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के समक्ष प्रस्तुत धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र है कि अलमा खातून ने दिनांक 06.05.08 को अपना मकान अभियुक्त की पत्नी के पक्ष में विक्रय कर दिया था, परन्तु उसके बावजूद सैयद अली आदि ने उक्त मकान का हिब्बानामा दिनांक 13.10.08 को अलमा खातून से साजिश करके करा लिया तथा वे अब उसके क्रयशुदा मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने की धमकी दे रहे हैं जबकि बैनामा दिनांक 06.05.08 के पश्चात वह उक्त मकान की स्वामी है तथा उस पर काबिज है। अतः उनके विरूद्ध अपराध पंजीकृत कर विवेचना किया जाये। कागज सं0 75ख एवं 76ख उसी आवेदन पत्र के संबंध में पारित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश तथा अपराध सं0 212/09 की चिक एफ.आई.आर., क्रमशः, की नकले हैं। कागज सं0 77ख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.15 की नकल है जिसके द्वारा उन्होनें उक्त अपराध सं0 212/09 में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या को अभियुक्त की पत्नी यासमीन बेगम द्वारा प्रोटेस्ट पेटीशन प्रस्तुत करने के कारण निरस्त करके मामले की पुनः विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया है। अतः इससे भी यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने न केवल अलमा खातून का मकान अपनी पत्नी के नाम क्रय किया तथा उसका कब्जा प्राप्त किय बल्कि अलमा खातून द्वारा हताशा में उक्त मकान को मस्जिद के पक्ष में हिब्बा कर देने के पश्चात उसके विरूद्ध आपराधिक मामला भी पंजीकृत कराया तथा यहां तक कि विवेचना में अंतिम आख्या प्रेषित होने पर उसके विरूद्ध प्रोटेस्ट पेटीशन भी लगाया अर्थात अभियुक्त दृढ़ है कि उसने अलमा खातून का मकान क्रय किया है तथा उस पर वह अपनी पत्नी के संग प्रभावी रूप से काबिज भी है। अभियुक्त द्वारा ही कागज सं0 78ख अपराध सं0 366/09 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन द्वारा भी इसी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र तथा तहरीर की नकलें प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अलमा खातून द्वारा अभियुक्त असलम

के विरूद्ध इस आशय की पंजीकृत करायी गयी है कि अभियुक्त असलम ने दिनांक 25.02.09 को दिन में 02.00 बजे उसको उसके मकान से निकालकर अपना ताला यह कह करके बंद कर दिया कि अभियुक्त ने उसका बैनामा लिया है जबकि उसे (अलमा खातून को) उसकी जानकारी नहीं है। अलमा खातून ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित कराया है कि अभियुक्त ने उसका 92,000/- रूपया भी यह कहकर ले लिया कि उसको दूसरे खाते में डालकर दूना करवा दूंगा तथा अब वह उस बेसहारा महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है तथा कह रहा है कि तुम अपने मायके शिवान चली जाओ। वह दर-दर भटक रही है। कहीं रहने एवं खाने का कोई ठिकाना नहीं है। चूंकि अलमा खातून द्वारा लिखायी गयी उक्त चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं अभियुक्त द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का अलमा खातून द्वारा लिखाया जाना भी अभियुक्त को स्वीकार है तथा उस तथ्य को अभियुक्त द्वारा गलत होना नहीं बताया गया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त की पत्नी ने पहले दिनांक 17.11.08 को अलमा खातून के विरूद्ध धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत ऊपर वर्णित आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं दिनांक 25.02.09 को आलमा को उसके मकान से निकालकर मकान पर अपना कब्जा कर लिया अर्थात अपनी पत्नी के नाम बैनामा कराने के पश्चात अभियुक्त ने मकान पर प्रभावी कब्जा भी जमा लिया।

31. अभियोजन साक्षियों पी0डब्लू 1, 2, 3 एवं 4 के साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि बुनकर कालोनी में स्थित अलमा खातून के ही उस मकान में जिसे अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में क्रय किया गया है, अलमा खातून का शव बरामद हुआ है। अभियोजन साक्षी डा0 यूसुफ अंसारी पी0डब्लू 6 जिन्होनें मृतका अलमा खातून का पोस्टमार्टम चकिया है के बयान से स्पष्ट है कि अलमा खातून को मारपीटकर गंभीर उपहतियां कारित करके उसकी हत्या की गयी है। अतएव चूंकि अलमा खातून की हत्या उपरांत उसका शव उस घर में बरामद हुआ है जिसका स्वामी अभियुक्त तथा उसकी पत्नी हैं तथा उक्त मकान उन्हीं दोनों व्यक्तियों के प्रभावी नियंत्रण में भी था, अतः यह तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान का विषय है कि मृतका

अलमा खातून का शव उसके घर में कैसे उपलब्ध था। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत यह तथ्य सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है कि उसने स्वयं अलमा खातून की हत्या नहीं किया तथा यदि अभियुक्त द्वारा यह तथ्य सिद्ध नहीं किया जाता है तो न्यायालय द्वारा यह उपधारणा किया जा सकेगा कि वास्तव में अभियुक्त ने ही अलमा खातून की हत्या किया है [कृपया देखें State of A.P. v. Gangula Satya Murthy, AIR 1997 SC 1588 एवं State of Punjab v. Karnail Singh, AIR 2003 SC 3609 (para 7)] इस निष्कर्ष का समर्थन अभियोजन साक्षी पी0डब्लू 1 एवं पी0डब्लू 3 अर्थात मृतका का पति निजामुद्दीन तथा उसका भाई अतहर हुसैन के उन साक्ष्यों से भी होता है जहां उन्होनें यह बताया है कि अभियुक्त ने फर्जी तरीके से अलमा खातून का मकान अपनी पत्नी के पक्ष में क्रय कर लिया था जिससे अभियुक्त तथा अलमा खातून के मध्य विवाद चल रहा था तथा अभियुक्त ने अलमा खातून, उसके पति निजामुद्दीन तथा उसके भाई अतहर हुसैन को भी जान से मारने की धमकी दिया था तथा अलमा खातून के द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त मकान को अभियुक्त द्वारा फर्जी तरीके से लिखाये जाने के कारण पंजीकृत कराये गये मुकदमें की पैरवी करने से भी मना किया था।

32. अभियोजन द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अलमा खातून की हत्या हो जाने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत होने पर अफजाल अली एड0 अभियोजन की ओर से पैरवी करते थे। अभियुक्त ने उन्हे पैरवी न करने की धमकी दिया था, परन्तु जब वह नहीं माने तो दिनांक 09.10.12 को अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील ने कुछ बदमाशों के साथ साजिश करके अफजाल अली एड0 की भी हत्या करवा दिया जिसकी रिपोर्ट अफजाल अली एड0 के भाई शौकत अली ने तहरीर कागज सं0 38ग/10 देकर लिखाया जिसकी चिक एफ.आई.आर. कागज सं0 38ग/8 है तथा जिसमें विवेचना उपरान्त अभियुक्त तथा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 302,120-बी भा0दं0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट प्रेषित किया गया है। कागज सं0 38ग/10 तहरीर के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अफजाल अली एड0 के भाई शौकत अली की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील के विरूद्ध अपराध सं0 984/12 अंतर्गत

धारा 302,120-बी भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था तथा उसमें विवेचना उपरान्त अंततः अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 302,120-बी भा0दं0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट प्रेषित किया गया है तथा वह वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इससे कम से कम इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि अलमा खातून की हत्या हो जाने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध चल रहे इस आपराधिक वाद में पहले अफजाल अली एड0 अभियोजन की ओर से पैरवी करते थे। उन्हे पैरवी न करने के लिये अभियुक्त की ओर से धमकी दी गयी थी तथा अंततः दिनांक 09.10.12 को उनकी हत्या हो गयी। उनकी हत्या किसने करायी अर्थात उनकी हत्या कराने का हेतुक किसको था? अतः उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त का अलमा खातून के मकान को लेकर अलमा खातून से रंजिश एवं विवाद चला आ रहा था तथा अभियुक्त ने न केवल अलमा खातून को बल्कि उसके पति निजामुद्दीन तथा भाई अतहर हुसैन को जान से मारने की धमकी दिया था। अतः अभियुक्त के पास अलमा खातून की हत्या कर देने का दृढ़ हेतुक भी प्राप्त है तथा अंततः दिनांक 17.07.11 को अलमा खातून का गंभीर रूप से क्षतविक्षत शव अभियुक्त के ही कब्जे वाले मकान से बरामद भी हुआ तथा अभियुक्त यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उक्त हत्या उसने नहीं किया। अतः अभियोजन समस्त साक्ष्यों से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील द्वारा दिनांक 17.07.11 को मारपीटकर गंभीर उपहति कारित करते हुये अलमा खातून की हत्या कर दिया गया। अतः अभियुक्त धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने योग्य है। तदानुसार अभियुक्त असलम अली उर्फ नन्हे वकील को धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

33. दोषी न्यायालय में उपस्थित है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

34. दोषी के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 07.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 1,
मऊ।

<u>दिनांकः 10.10.2017</u>
<u>पुनश्च</u>

35. दोषी असलम अली उर्फ नन्हे वकील मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

36. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

37. दोषी का कथन है कि वह अच्छे चाल चलन का व्यक्ति रहा है। उसे पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। उस पर अपने परिवार के पालन–पोषण का दायित्व है। वह युवा अधिवक्ता है। अतः उसे कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाय जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्रीप्रकाश यादव द्वारा तर्क दिया गया है कि विधि व्यवसायी होने के बावजूद अपने समस्त ज्ञान और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करते हुये दोषी द्वारा हत्या जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः उसे अधिकतम दण्ड अर्थात मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाय।

38. सुना गया। विचार किया गया।

39. दोषी द्वारा इस प्रकरण में एक अकेली, असहाय वृद्ध महिला की उसकी दोनों कोहनियों की हड्डियों को, पसलियों को तथा सिर की हड्डी को मार–मारकर तोड़कर निर्मम हत्या किया गया है। हत्या का हेतुक भी मात्र सम्पत्ति का लालच था। अतः उसे किसी प्रकार आवेश में आकर आत्मनियंत्रण खोने के कारण भी किया गया नहीं बताया जा सकता बल्कि इसके विपरीत एक योजनाबद्ध तरीके से सम्पत्ति को प्राप्त करने के आशय से हत्या करना सिद्ध होता है। हत्या का अपराध धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से अथवा मृत्युदण्ड से तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

40. सम्यक विचारोपरांत यह मामला विरलों में से विरलतम श्रेणी का नहीं पाया जाता। अतः दोषी को धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना तर्कसंगत एवं विधिसंगत नहीं होगा, परन्तु निश्चय ही उसे न्यूनतम दण्ड अर्थात आजीवन कारावास के दण्ड से तथा एक ऐसी उपयुक्त राशि के अर्थदण्ड से जिसमें से एक अंश मृतका के विधिक वारिस अर्थात उसके पति को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी

जा सके, के दण्ड से दण्डित किया जाना उपयुक्त, विधिसंगत, तर्कसंगत एवं न्यायहित में होगा। विदित हो कि चूंकि दोषी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, अतः अर्थदण्ड की धनराशि अदा न होने के फलस्वरूप उसे किसी मजीद कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना तर्कसंगत नहीं होगा।

आदेश

41. दोषी असलम अली उर्फ नन्हे वकील को धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

42. दोषी से वसूले गये अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के पति निजामुद्दीन को बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा, जिसका भुगतान उसे अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न की जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील किया जाता है, किया जायेगा।

43. तदानुसार दोषी का दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश का नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाय।

44. दोषी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

45. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 10.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 1,
मऊ।

46. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 10.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 1,
मऊ।

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.

1. सत्र परीक्षण संख्या 77 सन् 2011

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सर्वजीत सिंह
2. अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल पुत्र सीता सिंह
3. अश्वनी कुमार उर्फ पप्पू पुत्र जनार्दन
4. विपिन सिंह पुत्र रामाश्रय
5. बृजेश सिंह पुत्र रामजन्म सिंह

साकिनान– रणवीरपुर, थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

6. सतीश उर्फ बबलू पुत्र सुरेन्द्र नाथ उर्फ सुरेन्द्र
7. अवनीश कुमार सिंह उर्फ मिन्टू पुत्र सुरेन्द्र नाथ

साकिनान– जयसिंहपुर, थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

8. रंजय सिंह उर्फ मनीष सिंह पुत्र स्व0 पारसनाथ

साकिन– रकौली, थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

मुकदमा अपराध सं0 1338/2010 अंतर्गत धारा 147,302/149,120–बी भा0दं0वि0 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

9. रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू पुत्र धीरेन्द्र सिंह

साकिन– रकौली, थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

मुकदमा अपराध सं0 1338/2010 अंतर्गत धारा 147,148,302/149,120–बी भा0दं0वि0 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

2. सत्र परीक्षण संख्या 75 सन् 2011

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह

साकिनान– जयसिंहपुर, थाना– सरायलखंसी,

जनपद– मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 2009/2010
अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम,
थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

एवं

3. सत्र परीक्षण संख्या 76 सन् 2011

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिहं पुत्र धीरेन्द्र सिंह
साकिनान– रकौली, थाना– सरायलखंसी,
जनपद– मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 1714/2010
अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम,
थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

निर्णय

1. उपरोक्त तीनों सत्र परीक्षण एक दूसरे से संबंधित होने के कारण तीनों का विचारण एक साथ किया गया।

2. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित तथा वहां से इस न्यायालय में अंतरित इन सत्र परीक्षणों में अभियुक्तगण सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल, अश्वनी कुमार उर्फ पप्पू, विपिन सिंह, बृजेश सिंह, सतीश उर्फ बबलू, अवनीश कुमार सिंह उर्फ मिन्टू, रंजय सिंह उर्फ मनीष सिंह का विचारण धारा 147,302/149,120–बी भा0दं0वि0 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह का विचारण धारा 147,148,302/149,120–बी भा0दं0वि0 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में तथा अभियुक्तगण सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह का विचारण धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में भी किया गया है।

3. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा रामनरायन सिंह के भाई देवनरायन सिंह की हत्या करने का षडयंत्र रचा, जिसके क्रियान्वयन के लिए घातक आयुधों से

सुसज्जित होकर मजमा नाजायज कायम किया, बलवा किया, देवनरायन सिंह की गोली मारकर हत्या किया तथा अभियुक्तगण सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह के पास से वह अवैध असलहा भी बरामद हुआ जिससे उन्होनें देवनरायन सिंह पर फायर कर उसकी हत्या किया था।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 15.05.10 को समय 18.30 बजे वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता रामनरायन सिंह ने थानाध्यक्ष, सरायलखंसी, मऊ के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *घटना आज दिनांक 15.05.10 समय लगभग 04.00 बजे शाम की है। उसका छोटा भाई देवनरायन सिंह सदर से घर आ रहा था कि रास्ते में रणवीरपुर बाजार से 50 मीटर पहले पीछे से पीछा करते हुये दो मोटरसाइकिल से बदमाश ओवरटेक करके रूकने के लिये कहे और फायर करना शुरू कर दिये। मौके पर कुछ दूर पर भागते हुये रोड के किनारे मोटरसाइकिल लेकर गिर गये। फायर की आवाज सुनकर रणवीरपुर चट्टी पर मौजूद उसके साथ कुछ लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े तो देखे कि उसके भाई को डीजल सिंह जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति जो दोनों हाथ में असलहा से उसके भाई को लक्ष्य करके गोली मार रहे थे तथा दूसरी काले रंग की पल्सर गाड़ी पर तीन लोग बैठे थे। उनमे से दो लोग हाथ में असलहा लेकर उसके भाई पर फायर कर रहे थे। इन तीनों लोगों को मैं पहचान नहीं सका। घटना के बाद दोनों मोटरसाइकिल से बदमाश हवाई फायर करते हुये मऊ की तरफ भागे। इस घटना को रणवीरपुर चट्टी पर मौजूद आशानरायन सिंह व श्यामनरायन सिंह तथा कुछ अन्य लोगों ने अच्छी तरह देखा। उसके गांव के सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह व विपिन सिंह से चुनावी रंजिश व बालू व मोटर स्टैंड के ठेके को लेकर रंजिश थी। उसके भाई को इन दोनों लोगों ने साजिश रचकर उपरोक्त मुल्जिमानों से हत्या करवा दिया। उसके बाद वह उसके भाई को जीप में लादकर सदर अस्पताल लेकर आया जहां डाक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया।* अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त मुल्जिमानो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. इस तहरीर के आधार पर थाना सरायलखंसी में अभियुक्तगण डीजल सिंह, रवि

सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह, सुनील सिंह, विपिन सिंह व चार व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अपराध सं0 1338/10, अंतर्गत धारा 147,148,149,302,120–बी भा0द0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंड ऐक्ट पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल तहरीर, नकल चिक एवं नकल रपट प्राप्त किया एवं उसका इन्द्राज केस डायरी में किया। वादी मुकदमा रामनरायन सिंह का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी व खोखा कारतूस बरामद कर फर्द तैयार किया एवं फर्द के गवाहों का बयान अंकित किया। मृतक का पंचायतनामा तैयार किया एवं पंचायतनामे के गवाहों का बयान अंकित किया तथा मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया। मृतक की पत्नी रंजना सिंह का बयान अंकित किया। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का बयान अंकित किया। चश्मदीद एवं समई साक्षीगण का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया। दिनांक 11.06.10 को अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह को तथा दिनांक 01.07.10 को अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी के समय ही अभियुक्तगण के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद किया तथा मौके पर ही फर्द बरामदगी तैयार किया तथा उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर ही अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह के विरूद्ध थाना सरायलखंसी, मऊ में ही पृथक से अपराध सं0 1714/10, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह के विरूद्ध थाना सरायलखंसी, मऊ में ही पृथक से अपराध सं0 2009/10, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया। फर्द बरामदगी की नकल केस डायरी में अंकित किया। वादी तथा अन्य गवाहों का बयान अंकित किया। बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी बनाया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल, अश्वनी कुमार उर्फ पप्पू, विपिन सिंह, बृजेश सिंह, सतीश उर्फ बबलू, अवनीश कुमार सिंह उर्फ मिन्टू, रंजय सिंह उर्फ मनीष सिंह व रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह के विरूद्ध धारा 147,148,149,302,120–बी भा0दं0वि0 व 7 क्रिमिनल ला

अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। अपराध सं0 1714/10 को भी विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना फर्द बरामदगी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी0डी0 नकल प्राप्त कर उनका अंकन केस डायरी में किया। चिक लेखक हेड मोहर्रिर प्रहलाद, अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू तथा वादी विजय शंकर यादव एस. ओ. का बयान अंकित किया। फर्द के साक्षियों का बयान अंकित किया। बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट से आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया एवं विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबूल उर्फ सोनू सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किया। अपराध सं0 2009/10 को भी विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना फर्द बरामदगी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी0डी0 नकल प्राप्त कर उनका अंकन केस डायरी में किया। चिक लेखक वीरेन्द्र कुमार, वादी एस.आई. रामचन्दर यादव, अभियुक्त का बयान अंकित किया। फर्द के साक्षियों का बयान अंकित किया। बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट से आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया एवं विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किया। सत्र परीक्षण सं0 77/11 अपराध सं0 1338/10, सत्र परीक्षण सं0 76/11 अपराध सं0 1714/10 तथा सत्र परीक्षण सं0 75/11 अपराध सं0 2009/10, तीनों सत्र परीक्षणों में आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने तीनों मामलों का प्रसंज्ञान लिया एवं तीनों मामलों को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर तीनों मामलों को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहां से अंतरित होने के पश्चात तीनों मामले इस सत्र न्यायालय को प्राप्त हुये। तीनों मामले एक दूसरे से संबंधित होने के कारण तीनों मामलों को संयुक्त विचारण के आशय से विचारण में लिया गया। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर सत्र परीक्षण सं0 77/11 में अभियुक्तगण सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल, अश्वनी कुमार उर्फ पप्पू, विपिन सिंह, बृजेश सिंह, सतीश उर्फ बबलू, अवनीश कुमार सिंह उर्फ मिन्टू, रंजय सिंह उर्फ मनीष सिंह

के विरूद्ध धारा 147,302/149,120-बी भा0द0वि0 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एवं अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह के विरूद्ध धारा 147,148,302/149,120-बी भा0दं0वि0 व 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, सत्र परीक्षण सं0 75/11 में अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह के विरूद्ध पृथक से धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत तथा सत्र परीक्षण सं0 76/11 में अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह के विरूद्ध पृथक से धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

6. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादी मुकदमा रामनरायन सिंह, आशनरायन सिंह, श्यामनरायन सिंह, डा0 निरंकार सिंह, उपनिरीक्षक बिन्द कुमार, उपनिरीक्षक प्रकाश लाल श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक मुनौवर हुसैन, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामचन्द्र यादव, सेवानिवृत्त कां0मोहर्रिर वेद प्रकाश यादव, निरीक्षक विजय शंकर यादव, रंजना सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हेमंत कुमार सिंह, कां0 दाता प्रसाद चौबे, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 12 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों पंचायतनामा, तहरीर, फर्द कब्जा में लेने खून आलूदा व सादी मिट्टी व खोखा कारतूस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल का नक्शा नजरी, चालान नाश, फोटोनाश, पत्र आर.आई., पत्र सी.एम.ओ., फर्द बरामदगी आला कत्ल पिस्टल, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल कायमी जी0डी0, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण, जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित पत्र, बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी, अभियोजन स्वीकृति, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह, अभियोजन स्वीकृति, बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल कायमी जी0डी0, काल डिटेल, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क30 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि उन्होनें अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर

दिया है। अतः अभियुक्तगण को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्यों को गलत होना बताया है, पुलिस प्रपत्रों के विषय में जानकारी न होना बताया है तथा गलत विवेचना करके झूठा आरोप पत्र प्रस्तुत करना बताया है। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9ए,10,11 एवं 12 के बयानों को झूठा, गलत एवं जानकारी न होना बताया है तथा कथन किया है कि वह निर्दोष है। प्रधानी के चुनाव व गांव की रंजिशवश गलत व झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। किसी भी अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

8. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

9. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं वादी मुकदमा रामनरायन पी0डब्लू 1 है जिसने अपने बयान में बताया है कि मेरे छोटे भाई का नाम देवनरायन सिंह था। घटना दिनांक 15.05.10 शाम चार बजे की है। मेरा भाई उस समय मऊ से घर आ रहा था रणवीरपुर चट्टी के पास पहुंचा था कि फायर की आवाज हुई। फायर की आवाज के समय मैं बीस मीटर की दूरी पर गुमटी के पास खड़ा था। मैं दौड़कर गया तो देखा कि डीजल सिंह मोटरसाइकिल लिये थे उनके पीछे रवि सिंह व एक आदमी और था जो दोनों हाथ में असलहा 9 एम.एम. की पिस्टल लिये था। उस पिस्टल से मेरे भाई को गोली मार रहे थे। इन लोगों के साथ एक काले रंग की पल्सर गाड़ी पर तीन लोग और थे जिसमें एक आदमी गाड़ी लिये था तथा दो लोग असलहा लिये थे जिससे मेरे भाई के ऊपर फायर कर रहे थे। उन दोनों लोगों के पास भी 9 एम.एम. की पिस्टल थी। इन तीनों लोगों को मैं नहीं पहचान पाया था। मेरे साथ मौके पर आसनरायन सिंह, श्यामनरायन सिंह व गांव के अन्य लोग भी पहुंचे थे। इन लोगों ने भी घटना देखा था। जब हम लोग पहुंच गये तब मुल्जिमान गोली मारकर

मऊ की तरफ भाग गये। चुनावी रंजिश व बालू के ठेके की रंजिश के कारण मेरे भाई को मारा गया। चुनावी रंजिश सुनील सिंह से थी जो कि ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर थी। उस चुनाव में मैं व सुनील सिंह ग्राम प्रधान के लिये उम्मीदवार थे। मुझको मेरे भाई ने चुनाव लड़ने के लिये कहा था। सुनील सिंह मुझसे चुनाव न लड़ने के लिये बैठने के लिये कहते थे लेकिन भाई मुझे बैठने नहीं देता था। बालू का ठेका मेरे भाई देवनरायन सिंह लेते थे तथा विपिन सिंह, सुनील सिंह और डीजल के भाई विजय सिंह एक साथ मिलकर ठेका लेते थे। मेरे भाई को डोमा साहनी के नाम से ठेका मिल गया था और विजय के ग्रुप को ठेका नहीं मिला था। इसी रंजिश के कारण मेरे भाई को कई बार मोबाइल पर धमकी भी दी गयी थी। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि इन लोगों ने धमकाया है कि बालू का ठेका व प्रधानी का चुनाव न लड़े नही तो जान से मार दिया जायेगा। मुल्जिमान के भाग जाने के बाद मैं अपने भाई को जीप में लादकर मऊ लाया जहां डाक्टर ने बताया कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। मेरे भाई की मृत्यु के बाद अस्पताल वालों की सूचना पर दरोगा जी आये थे तथा लाश का पंचायतनामा करके कपड़े में शील करके पोस्टमार्टम के लिये भेजा दिया। पंचायतनामा प्रदर्श क1 मेरे सामने दरोगा जी ने तैयार किया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। उसके बाद मैनें घटना की रिपोर्ट प्रदर्श क2 रणजीत बहादुर सिंह से लिखवाकर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने में दिया था। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था तथा मैनें उन्हें मौका भी दिखाया था। मौके से दरोगा जी ने खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी तथा दो खोखा कारतूस जो 9 एम.एम. पिस्टल का था, कब्जे में लेकर अलग-अलग कपड़े व डिब्बे में रखकर मेरे सामने सील मुहर किया था तथा मौके पर ही फर्द प्रदर्श क3 तैयार किया था जिस पर मैनें हस्ताक्षर बनाया था।

10. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि उसने स्वयं को घटनास्थल पर दौड़कर तुरंत पहुच जाना बताया है और यह देखा जाना बताया है कि अभियुक्त डीजल सिंह मोटरसाइकिल लिये खड़े थे, उनके पीछे रवि सिंह थे व एक अन्य आदमी था जो दोनों हाथ से पिस्टल चला रहा था। साक्षी ने उस अन्य आदमी का नाम नहीं बताया है, जिससे प्रतीत होता है कि वह उस आदमी को नहीं पहचानता क्योंकि यदि पहचानता तो वह उसका नाम अवश्य बताता और निश्चय ही आज तक अर्थात घटना के पश्चात

से आज तक वह उस आदमी को नहीं पहचान पाया अन्यथा वह उस आदमी का नाम अवश्य बताता। साक्षी ने मौके पर हमलावरों में तीन अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता भी बताया है जिनके विषय में यह बताया है कि वे काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर थे जिनमें दो लोग 9 एम.एम. की पिस्टल से उसके भाई पर फायर कर रहे थे परन्तु उन तीनों हमलावरों के विषय में स्पष्ट यह कथन किया है कि उन तीनों लोगों को वह नहीं पहचानता। कहने की आवश्यकता नहीं कि दौरान विवेचना विवेचक ने नामजद व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी अभियुक्त बनाया है परन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से उनकी संलिप्तता इस हमले में सिद्ध नहीं होती।

11. विदित हो कि इसी साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग ढाई घण्टे के पश्चात ही लिखाया गया है जिसमें भी उसने अभियुक्त डीजल सिंह को मोटरसाइकिल चलाना उसके पीछे रवि सिंह उर्फ बब्लू सिंह उर्फ सोनू सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति का बैठना बताया है तथा दूसरे काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा मौके पर रहना तथा उनमे से दो लोगों द्वारा फायर करना बताया गया है तथा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि वह उन तीन लोगों को नहीं पहचान सका। साक्षी का प्रथम सूचना रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष उसका किया गया पूर्व वक्तव्य है जिसका प्रयोग साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान के समर्थन अथवा खण्डन के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उसकी उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विचार करने से यह प्रकट होता है कि साक्षी के बयान का समर्थन उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है जिससे मौके पर पहचाने गये तथा न पहचाने गये हमलावरों के विषय में दिये गये उसके बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है।

12. विदित हो कि साक्षी ने न्यायालय में आगे यह भी बताया है कि उसके भाई देवनरायन सिंह की चुनावी एवं बालू के ठेके की रंजिश सुनील सिंह, विपिन सिंह व डीजल के भाई विजय सिंह से भी थी। रंजिश के कारण उसके भाई को कई बार उन लोगों ने मोबाइल पर धमकी भी दिया था तथा उसके भाई अर्थात देवनरायन ने उन लोगों की धमकी के विषय में उसे बताया भी था परन्तु साक्षी द्वारा घटना वाले दिन विपिन सिंह, सुनील सिंह और डीजल के भाई विजय सिंह को मौके पर उपस्थित रहना

नहीं बताया है केवल उनसे मृतक की पूर्व रंजिश होना बताया है।

13. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण भी किया गया है, जिसमें उसने देवनरायन सिंह, विपिन सिंह, सुनील सिंह आदि द्वारा ठेका लिया जाना तथा चुनाव की रंजिश के विषय में कथन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण में भी उनमे से किसी के द्वारा घटना वाले दिन देवनरायन पर हमला करना या हमलावरों में सम्मिलित रहना नहीं बताया है। इसके प्रतिकूल प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि ''प्रथम सूचना रिपोर्ट में डीजल सिंह, रवि सिंह, सुनील सिंह, विपिन कुमार का नाम लिखवाया है। मैं वहां किसी को पहचान नहीं पाया क्योंकि मुंह ढके थे। चार मुल्जिमान मुंह ढके थे जिसके कारण मैं उनको पहचान नहीं पाया।'' साक्षी ने यही बात विवेचक को भी अपने बयान में बताना बताया है। अतः साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी यही बात दोहराया है कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार कुल 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्यितों को न तो वह घटना के समय व तिथि पर पहचान पाया था और न ही आज तक उनको चिन्हित कर पाया है। विपिन सिंह एवं सुनील सिंह का नाम अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल इसलिये लिखाया है कि उनसे उसके भाई देवनरायन की चुनावी व ठेके की रंजिश चली आ रही थी।

14. अभियोजन का दूसरा साक्षी आशनरायन सिंह है जिसे बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया गया है, जिसने अपने बयान में बताया है कि घटना दिनांक 15.05.10 को करीब 4 बजे शाम की है। मैं रणवीरपुर बाजार गया था। मेरे साथ रामनरायण, श्यामनरायण सिंह भी थे। हम लोग सामान लेने व चाय पीने रणवीरपुर बाजार आये थे। पारस सिंह के मकान के करीब 15 कदम पूरब कैलाश की दुकान पर हम लोग चाय पी रहे थे। पारस सिंह के मकान के पूरब करीब 18 कदम पर पक्की सड़क है जो मऊ से सरवा होते हुये रणवीरपुर होते हुये बहादुरगंज को जाती है। देवनरायण सिंह मोटरसाइकिल से उक्त सड़क से मऊ की तरफ से आ रहे थे। कैलाश की दुकान से करीब 16 कदम पश्चिम पारस के मकान के सामने पहुंचे। उस समय दो मोटरसाइकिल वाले पीछा करते हुये आये जिसमें से एक मोटरसाइकिल रणन्जय सिंह चला रहे थे तथा उसके पीछे सतीश उर्फ बब्लू व अवनीश बैठे थे। दूसरी मोटरसाइकिल डीजल सिंह चला रहे थे जिस पर रवि उर्फ बब्लू बैठे थे। उस पर एक

और व्यक्ति पगड़ी बांधे बैठा था जिसको मैं पहचान नहीं पाया। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे लोग देवनरायण सिंह की **मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके पिस्टल से ताबड़तोड़ फायर किये।** देवनरायण सिंह गोली लगने से सड़क के पश्चिम पटरी पर गिरकर छटपटाने लगे। गोली चलाने वालो के डर के कारण बाजार में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मुल्जिमान गोली चलाते हुये मऊ की तरफ भाग गये। देवनरायण सिंह को उठाकर हम लोग सदर अस्पताल लाये जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देवनरायण सिंह पर गोली चलाने वालों में से रवि सिंह, सतीश सिंह, मिण्टू सिंह को मैनें पहचाना। एक आदमी और गोली चलाया था जो पगड़ी बांधे था इसलिये नहीं पहचान पाया। दरोगा जी मेरा बयान लिये थे। मृतक का पंचायतनामा मेरे सामने हुआ था। घटना को कारित करने में विपिन सिंह, सुनील सिंह, अश्वनी सिंह की आपराधिक साजिश थी। मेरे अलावा इदरीश, अशोक, खेदन, श्यामनरायन, रामनरायन आदि ने घटना को देखा था।

15. इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित था, मृतक देवनरायन को अन्य व्यक्तियों के साथ सदर अस्पताल ले जाने तक मौजूद था तथा पंचायतनामा भी इसके सामने बना था। साक्षी ने गोली चलाने वालों में रवि सिंह, सतीश सिंह तथा मिन्टू सिंह को पहचानना बताया है परन्तु साक्षी का यह बयान कदापि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता क्योंकि पी0डब्लू 1 ने रवि सिंह द्वारा गोली चलाना नहीं बताया है बल्कि उसने डीजल द्वारा चलाये जाने वाली मोटरसाइकिल पर रवि सिंह को पीछे बैठना तथा तीसरे अज्ञात सवार द्वारा दोनों हाथ से गोली चलाना बताया है। इसके अतिरिक्त पी0डब्लू 1 के बयान से स्पष्ट है कि गोली लगने के बाद पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 सभी देवनरायन सिंह को अस्पताल ले गये। अस्पतालवालों के सूचना देने पर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस के द्वारा मृतक का पंचनामा बनाया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। उसके पश्चात पी0डब्लू 1 ने रणजीत बहादुर सिंह से तहरीर लिखवाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था। अतः यदि पी0डब्लू 2 ने वास्तव में सतीश तथा मिन्टू सिंह को भी पहचाना होता तो उनका नाम उसने वादी मुकदमा रामनरायन सिंह को अवश्य बता दिया होता और तब वादी मुकदमा ने सतीश सिंह व मिन्टू सिंह का नाम भी प्रथम

सूचना रिपोर्ट में लिखाया होता। अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया है कि इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है क्योंकि इस साक्षी के साक्ष्य एवं उसके धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में कोई अंतर्विरोध नहीं है क्योंकि साक्षी ने अपने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में बृजेश सिंह, रंजय सिंह, सतीश व अवनीश सिंह को मौके पर रहना तथा फायर करना बताया है परन्तु अभियोजन के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि इस साक्षी का बयान विवेचक ने दिनांक 15.06.10 को अर्थात घटना के एक महीने की लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात अंकित किया है जबकि यह साक्षी स्थानीय तथा सदैव उपलब्ध रहने वाला साक्षी है। अतएव साक्षी का न्यायालय में रंजय सिंह, सतीश उर्फ बबलू, मिन्टू सिंह को हमलावरों में संलिप्त करता हुआ बयान कदापि भरोसेमन्द नहीं है।

16. यदि साक्षी के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जाये तो यह प्रतीत होता है कि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसका रामनरायन के परिवारवालों के साथ खाना पीना, आना जाना, पटीदारी है एवं गांव के नाते भी मिलना जुलना है। ब्रम्हभोज, तेरहवें दिन सम्पन्न हुई तेरहवीं एवं दाह संस्कार में भी वह सम्मिलित था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे बताया है कि सभी मुल्जिमान मुंह बांधे हुये थे और झटके से हवा चलने से सभी मुल्जिमान का मुंह खुल गया था केवल पगड़ीवाले का मुंह नहीं खुला था इसलिये पगड़ीवाले को नहीं पहचाना था परन्तु साक्षी का यह बयान भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि पी0डब्लू 1 ने न तो अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही न्यायालय में दिये गये बयान में यह बताया है कि सभी मुल्जिमान मुंह बाधें हुये थे तथा झटके से हवा चलने से मुंह खुल गया था। इस साक्षी ने स्वयं भी न तो मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि सभी अभियुक्त मुंह बाधें थे और न ही धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में यह बताया है कि सभी अभियुक्त मुंह बाधें रहे हों तथा केवल एक पगड़ीवाले के अतिरिक्त शेष का मुंह हवा चलने से झटके से खुल गया हो। आगे प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दरोगा जी ने जब उसका बयान लिया था तो उसके पूर्व ही कुछ मुल्जिमान जैसे अवनीश, सुनील, विपिन, रंजय, डीजल गिरफ्तार हो चुके थे। अतः यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने मुल्जिमानों की गिरफ्तारी को देखते हुये उसने उनका नाम धारा 161

सी0आर0पी0सी0 के बयान में बताया है तथा अब न्यायालय में बता रहा है न कि उनकी संलिप्तता को स्वयं देखने के आधार पर। साक्षी ने आगे यह बताया है कि पंचायतनामा के समय बयान देने के पूर्व उसने किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। उसका कारण यह बताया है कि वह डिस्टर्ब था परन्तु उसकी यह व्याख्या भी कदापि संतोषजनक नहीं है। विदित हो कि इस अवधि में वह अपना नियमित व्यवसाय अर्थात मऊ से वीरपुर के मध्य रूट पर बस चलवाना स्वीकार करता है अर्थात वह व्यवसाय करने के लिये डिस्टर्ब नहीं था केवल हमलावरों का नाम बताने के लिये डिस्टर्ब था। अतः साक्षी का डीजल सिंह एवं रवि सिंह के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध दिया गया बयान कदापि विश्वसनीय नहीं है।

17. अभियोजन का तीसरा साक्षी श्यामनरायन सिंह पी0डब्लू 3 है, जिसने बयान दिया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अपनी दस्तखत कर लेता हूं। मेरे सबसे छोटे भाई का नाम देवनरायन सिंह था। घटना दिनांक 15.05.10 समय लगभग 04.00 बजे शाम की है। मेरे भाई देवनरायन सिंह मोटरसाइकिल से मऊ की तरफ से आ रहे थे। उस समय मैं कैलाश की चाय की दुकान पर था। मेरे भाई देवनरायन सिंह का पीछा करते हुये दो मोटरसाइकिल से 6 लोग आ रहे थे और पारस सिंह के मकान के सामने रणवीरपुर में मेरे भाई को ओवरटेक करके देवनरायन सिंह पर पिस्टल सटाकर फायर करके मारे। मेरा भाई गोली लगने से मोटरसाइकिल से गिर गया और छटपटाने लगा। पहली मोटरसाइकिल डीजल सिंह चला रहे थे तथा उस पर रवि सिंह बैठे थे एक आदमी और बैठा था मुंह बंधा होने के कारण पहचान नहीं पाया। दूसरी मोटरसाइकिल रंजन चला रहे थे जिस पर सतीश उर्फ बब्लू और अवनीश उर्फ मिन्टू बैठे थे। गोली चार लोग रवि सिंह, सतीश उर्फ बब्लू, अवनीश उर्फ मिन्टू व मुंह बांधा हुआ था, चला रहे थे। डीजल सिंह, रंजन सिंह मोटरसाइकिल पर बैठे थे और मोटरसाइकिल चालू थी। गोली मारने वाले अभियुक्त हाजिर अदालत हैं। घटना के समय मेरे साथ आशनरायन सिंह, श्यामनरायन सिंह व और बहुत से लोग थे जिन्होनें घटना देखा। मुल्जिमान मारकर वापस मऊ की तरफ भाग गये। हम लोग गोली की आवाज सुनकर और डरवश मुल्जिमान के जाने के बाद अपने भाई के पास पहुंचे। हम लोग देवनरायन को उठाकर सदर अस्पताल लाये जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर

दिया। देवनरायन के शव का पंचायतनामा मेरे व अन्य गवाहों के सामने हुआ। मेरे भाई की हत्या प्रधानी के चुनाव व बालू के ठेके की रंजिश के कारण हुई थी। मेरे भाई की हत्या सुनील प्रधान उर्फ टुन्नू, विपिन सिंह, अश्वनी कुमार सिंह उर्फ पप्पू मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर किये थे। मेरे भाई की हत्या के लोकेशन लेने देने में भी (उनका) हाथ था। भाई की हत्या की साजिश में शामिल रहे हैं। दिनांक 14.05.10 की रात को खाना बनाते समय मेरे भाई की हत्या की योजना बनाये थे जिसको गांव के सभी लोग जानते थे लेकिन भय व डर के कारण कोई बताया नहीं। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

18. यह साक्षी मृतक देवनरायन सिंह का बड़ा भाई है तथा स्वयं को न केवल घटनास्थल पर श्यामनरायन सिंह व रामनरायन सिंह के साथ तुंरत पहुंच जाना बताता है बल्कि अंत तक अर्थात जब मृतक देवनरायन को घायलावस्था में उठाकर अस्पताल ले जाने तथा पंचायतनामा हो जाने तक रामनरायन सिंह के संग मौजूद रहना बताता है। यद्यपि साक्षी ने हमलावरों की दूसरी मोटरसाइकिल को रंजन द्वारा चलाना तथा सतीश उर्फ बबलू एवं अवनीश उर्फ मिन्टू द्वारा उस पर बैठना बताया गया है परन्तु इस साक्षी ने भी रंजन, सतीश तथा अवनीश का नाम वादी रामनरायन सिंह को नहीं बताया है। इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि यह साक्षी भी झूठ बोल रहा है। इसने भी दूसरी मोटरसाइकिल के चालक तथा उस पर सवार व्यक्तियों को पहचाना नहीं था अन्यथा अपने ही छोटे भाई के हत्यारों को जिनको वह भली प्रकार से पूर्व से जानता था, जानने एवं पहचानने के बाद उनका नाम अपने भाई वादी रामनरायन को क्यों नहीं बताया जिससे वे उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखवा देते?

19. साक्षी का विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि हम लोग **कन्हैया** की चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। विदित हो कि पी0डब्लू 1 एवं 2 तथा इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण में एक क्षण पहले ही कैलाश की दुकान पर चाय पीना बताया है। अतः इस आधार पर बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि वास्तव में यह साक्षी मौके का साक्षी नहीं है बल्कि ''प्लांट'' तथा ''ट्यूटर्ड'' किया गया साक्षी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने आगे बताया है कि हमलावरों ने **सटाकर** देवनरायन पर ताबड़तोड़ फायर किया है जबकि पी0डब्लू 1 एवं 2 ने मोटरसाइकिल

ओवरटेक करके फायर करना बताया है सटाकर फायर करना नहीं बताया है। बचाव पक्ष द्वारा इस आधार पर भी साक्षी को मौके का साक्षी न होकर मात्र ''प्लांटेड'' साक्षी बताया गया है। आगे साक्षी ने बताया है कि ''जब हमलावरों ने गोली मारी उस समय देवनरायन की मोटरसाइकिल खड़ी थी क्योंकि हमलावरों ने घेरमार किया था...........। हमलावरों की मोटरसाइकिल भी उस समय खड़ी थी'' जबकि पी0डब्लू 1 एवं 2 ने हमलावरों द्वारा देवनरायन की मोटरसाइकिल को पीछे से ओवरटेक करके गोली मारना बताया है। किसी ने देवनरायन को हमलावरों द्वारा घेर लेना तथा देवनरायन को मोटरसाइकिल खड़ी कर देना नहीं बताया है। आगे प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि हमलावरों की संख्या 6 थी। इनमे से दो मोटरसाइकिल चलाने वाले थे और चार गोली मारने वाले थे जबकि पी0डब्लू 1 एवं 2 ने पहली मोटरसाइकिल के केवल सबसे पीछे बैठने वाले सवार द्वारा तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अर्थात केवल तीन व्यक्तियों द्वारा ही फायर करना बताया गया है। साक्षी ने हमलावरों में पांच हमलावरों का मुंह ढककर आना तथा बाद में खुल जाना बताया है जबकि धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है तथा वह स्वीकार कर रहा है कि मुंह खुलने वाली बात अदालत में पहली बार बता रहा है जिससे इंगित होता है कि उसने मुंह खुलने वाली बात न्यायालय में विकसित किया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में आगे बताता है कि हमलावरों ने मोटरसाइकिल से उतरकर सटाकर गोली मारा था देवनरायन को चारो लोग घेरे थे जिसमें से एक आदमी ने सटाकर गोली मारा बाकी तीन फायरिंग कर रहे थे। सटाकर किसने गोली मारा मैनें नहीं देखा परन्तु अन्य साक्षियों ने हमलावरों द्वारा न तो मोटरसाइकिल से उतरकर और न ही सटाकर गोली मारना बताया है बल्कि केवल **ओवरटेक कर** गोली चलाना बताया है। अतएव यह साक्षी घटनास्थल का एक दूसरा ही दृश्य प्रकट कर रहा है जबकि पी0डब्लू 1 एवं 2 द्वारा घटना का दूसरा दृश्य प्रकट किया गया है अतः दोनों दृश्यों में गंभीर भिन्नता है। विदित हो कि इस साक्षी का बयान भी विवेचक ने घटना के एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात अंकित किया था जबकि उस समय तक सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे अतः उसने भी गिरफ्तार व्यक्तियों के दृष्टिगत ही उनका नाम धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में

बताया है तथा उसी आधार पर न्यायालय में उनकी भूमिका की रचना कर रहा है। यह साक्षी मृतक का सगा भाई है। इसे मौके का साक्षी होना बताया गया है तथा यह सदैव उपलब्ध भी था। अतएव विवेचक द्वारा एक माह के पश्चात इस साक्षी का बयान अंकित किया जाना यह इंगित करता है कि यह साक्षी सिखाया पढ़ाया गया साक्षी है। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि रंजन, सतीश उर्फ बबलू एवं अवनीश दूसरी मोटरसाइकिल चला रहे थे तथा बैठे थे तथा घटना में सम्मिलित रहे हों। यदि वे सम्मिलित रहे होते और उन्हें मौके पर पहचान लिया गया होता तो यह साक्षी जो कि मौके का साक्षी है, मृतक का सगा भाई है, ने निश्चय ही उसी समय उनका नाम प्रकट कर दिया होता और उनका नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके भाई वादी द्वारा अवश्य ही लिखा दिया जाता।

20. अभियोजन की चौथी साक्षी रंजना सिंह है जिन्हें बतौर पी0डब्लू 10 परीक्षित किया गया है, जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि मेरे पति की हत्या दिनांक 15.05.10 को समय साढ़े तीन चार बजे शाम को हुई थी। उस समय मैं अपने घर पर थी। इस घटना से एक सप्ताह पूर्व मैं खाना खाकर रात में 9 बजे अपने घर पर अपने पति के साथ बैठी थी। उस समय वह बहुत घबराये हुये चुपचाप बैठे थे। उन दिनों मेरे पति रणवीरपुर में बालू का ठेका चलाते थे। जब मैं अपने पति से पूछा कि आप इतना क्यों घबराये हैं तब उन्होनें कहा था कि बालू के ठेके में हमसे लोग 35 परसेंट हिस्सा मांग रहे हैं। हिस्सा मांगने वालों का नाम उन्होनें रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह, रन्जय सिंह उर्फ मनीष, बबलू सिंह उर्फ सतीश सिंह, मिन्टू सिंह उर्फ अवनीश सिंह, अश्वनी सिंह उर्फ पप्पू सिंह, विपिन सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल सिंह, ग्राम प्रधान सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह बताया था। उपरोक्त लोग मेरे पति से रणवीरपुर बाजार में मिलकर कहे थे कि बालू के ठेके में हम लोगों को 35 परसेंट हिस्सा दो नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। यह बात मेरे पति द्वारा बताने के 2-3 दिन बाद ही मेरे पति की हत्या हो गयी। जब मेरे पति की हत्या हो गयी **तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि उपरोक्त लोगों ने ही मिलकर मेरे पति की हत्या किया है।** इस हत्या को कराने में मुख्य भूमिका ग्राम प्रधान सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह तथा रवि सिंह की रही है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

21. साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि वह मौके की साक्षी नहीं है अतः उसने किसी भी हमलावर को नहीं देखा है। साक्षी ने अपने बयान में यह अवश्य बताया है कि घटना से एक सप्ताह पूर्व उसके पति ने उसको बताया था कि रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह, रंजय सिंह उर्फ मनीष, बबलू सिंह उर्फ सतीश सिंह, मिन्टू सिंह उर्फ अवनीश सिंह, अश्वनी सिंह उर्फ पप्पू सिंह, विपिन सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल सिंह, सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह बालू के ठेके में 35 प्रतिशत हिस्सा मांग रहे थे तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दिया था। अतएव जब उसके पति की हत्या हो गयी तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उन लोगों ने मिलकर उसके पति की हत्या किया है परन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसके द्वारा बताये गये उपरोक्त व्यक्तियों ने उसके पति की हत्या किया हो (उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनके विरूद्ध अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध हैं)। साक्षी मात्र अपने विश्वास एवं अनुमान के आधार पर बता रही है कि उन लोगों ने उसके पति की हत्या किया था। आपराधिक मामला अनुमान एवं विश्वास के आधार पर सिद्ध नहीं होता बल्कि ठोस एवं संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर सिद्ध होता है। यह कदापि आवश्यक नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने किसी व्यक्ति को धमकी दिया हो अथवा जिन व्यक्तियों से किसी व्यक्ति की पूर्व से रंजिश रही हो उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उस व्यक्ति की हत्या भी कर दिया जाये जब तक कि हत्या करने का प्रत्यक्ष साक्ष्य उनके विरूद्ध उपलब्ध न हो अथवा वास्तविक हत्यारों तथा उनके मध्य किसी साजिश का साक्ष्य उपलब्ध न हो। इस साक्षी के साक्ष्य से इस मामले में रंजय सिंह उर्फ मनीष, बबलू सिंह उर्फ सतीश सिंह, मिन्टू सिंह उर्फ अवनीश सिंह, अश्वनी सिंह उर्फ पप्पू सिंह, विपिन सिंह, सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह द्वारा वास्तविक हमला किया जाना सिद्ध नहीं होता और न ही उसके साक्ष्य से मौके पर पहचान लिये गये वास्तविक हमलावरों अर्थात रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह तथा अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल सिंह के मध्य किसी प्रकार की घटना से पूर्व संवाद, संचार, वार्ता अथवा गोष्ठी का साक्ष्य मिलता जिससे उनके तथा वास्तविक हमलावरों के मध्य साजिश होने का निष्कर्ष निकाला जा सके।

22. अभियोजन साक्षी प्रकाश लाल श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक, पी0डब्लू 6 है जिसने बयान दिया है कि दिनांक 15.05.10 को मैनें मृतक देवनरायन सिंह के शव का

पंचायतनामा सदर अस्पताल मऊ में किया था। मौके पर उपस्थित लोगों में से रामनरायन सिंह, आशनरायन सिंह, गनेश सिंह, श्यामनरायन सिंह व दिनेश सिंह को पंचान नियुक्त कर पंचायतनामे की कार्यवाही प्रारंभ किया। मृतक की दशा, चोटों व हुलिया का उल्लेख पंचायतनामें में करते हुये पंचो की सामूहिक व व्यक्तिगत राय का उल्लेख पंचायतनामे में किया तथा समक्ष पंचान मृतक देवनरायन के शव को कपड़े में सील सर्वमुहर किया तथा सभी पंचानों का हस्ताक्षर बनवाया था। पंचायतनामा प्रदर्श क1 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। पुलिस फार्म 13, फोटोनाश, रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक व रिपोर्ट सी.एम.ओ. अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो प्रदर्श क6 ता प्रदर्श क10 है। इस साक्षी के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उसने दिनांक 15.05.10 को मृतक देवनरायन सिंह के शव का सदर अस्पताल मऊ में विधि ावत पंचायतनामा कराया था तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। अतः साक्षी के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि देवनरायन सिंह के शव का पंचायतनामा सदर अस्पताल में किया गया था तथा पंचायतनामा उपरांत शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था।

23. अभियोजन ने शव विच्छेदन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में शव विच्छेदन करने वाले डा0 निरंकार सिंह को बतौर पी0डब्लू 4 परीक्षित किया है, जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 15.05.10 को समय 08.00 बजे रात्रि उन्होनें मृतक देवनरायन सिंह के शव का शव विच्छेदन किया था। मृतक की आयु लगभग 37 वर्ष थी जो सामान्य कद काठी का था, आंखे आधी खुली थी, मुंह बंद था, शरीर में अकड़न अभी शुरू नहीं हुई थी। शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें पायी गयी थी:–

1. अग्नेयास्त्र द्वारा 1X1 सेमी. दाहिनी साईड सीने पर जो 2 सेमी. दाहिने निपुल से अंदर की तरफ था जिसके किनारे अंदर की तरफ धंसे थे और किनारों पर कालिमा थी।

2. 1X1 सेमी. बायें साईड सीने पर जो करीब 11 सेमी. अंदर की तरफ बायें सीने के निपुल से मौजूद थी। घाव के किनारे अंदर की तरफ धंसे थे और किनारों पर कालिमा थी।

3. 1X1 सेमी. दाहिने साईड पेट में लंबर रीजन में मौजूद थी जो 10 सेमी. नाभि के बाहर की तरफ थी।

4. वुण्ड आफ एक्जिट 2X1.5 सेमी. दाहिने सीने के पीछे की तरफ मौजूद थी जो 2 सेमी. स्केपुला बोन के नीचे के एंगल से नीचे थी।

5. वुण्ड आफ एक्जिट 2X1.5 सेमी. दाहिने सीने के पीछे के इंजरी नं0 4 से 11 सेमी. अंदर की तरफ थी जिसकी मार्जिन बाहर की तरफ निकली हुई थी।

6. वुण्ड आफ एक्जिट 2X1.5 सेमी. बायें साइड सीने के पीछे जो बायें स्केपुला के नीचे के एंगल से 1 सेमी. बाहर की तरफ थी।

ट्रैक नं.1– इंजरी नं0 1 जो इंजरी नं0 5 से संबंधित थी और सीने की मसल व दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था।

ट्रैक नं.2– इंजरी नं0 2 जो इंजरी नं0 6 से संबंधित थी। इसमे सीने की मसल, बायां फेफड़ा और हार्ट फटा हुआ था।

ट्रैक नं.3– इंजरी नं0 3 जो इंजरी नं0 4 से संबंधित थी और लीवर फटा हुआ था।

फ्लूरा एवं फेफड़ा फटा हुआ था। पेरीकार्डियम फटी हुई थी। हर्ट खाली था। करीब 2 लीटर ब्लड थेरैक्सी कैविटी सीने के अंदर मौजूद था। 150 ग्राम सेमी डाईजेस्टेड फूड पेट में मौजूद था। छोटी आंत में गैस और डाईजेस्टेड फूड था। बड़ी आंत में फीकल मैटर मौजूद था। लीवर स्पीलीन व किडनी सफेद पड़े हुये थे। ब्लैडर खाली था। मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी अग्नेयास्त्र की चोटों से उत्पन्न हैमरेज व शाक है। मृत्यु का समय 6 घण्टे का अंदर का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क4 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। मृतक के शरीर पर आयी चोटें अग्नेयास्त्र द्वारा पहुंचायी गयी थी।

24. साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक देवनरायन सिंह के शरीर पर दिनांक 15.05.10 की रात 08.00 बजे अग्नेयशस्त्र के 3 प्रवेश एवं 3 निकास घाव विद्यमान थे। बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि अग्नेयशस्त्र के प्रवेश एवं निकास घाव मृतक के शरीर पर न पाये गये हों। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अग्नेयशस्त्र से सीने पर पहुंचाये गये वे सभी घाव देवनरायन सिंह की मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थे तथा वास्तव में देवनरायन सिंह की

मृत्यु उन्हीं घावों से हुई थी तथा वे चोटें उसी समय पहुंचायी गयी थी जिस समय पी0डब्लू 1 द्वारा उन्हें पहुंचाया जाना बताया गया है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क अवश्य दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्यों के अनुसार पहली मोटरसाइकिल पर बैठे हुये तीसरे अज्ञात व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों से 9 एम.एम. की पिस्टल से फायर करना तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दोनों व्यक्तियों द्वारा फायर किया जाना बताया गया है परन्तु इतने फायर होने के बावजूद मृतक के शरीर पर केवल तीन ही प्रवेश घाव विद्यमान हैं जो अभियोजन कथानक को बनावटी सिद्ध करते हैं परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि यह सदैव आवश्यक नहीं है कि सभी फायर लक्ष्य तक पहुंच जायें परन्तु मृतक के शरीर पर तीन आग्नेयशस्त्र से पहुंचाये गये घाव ही इस तथ्य के साक्ष्य हैं कि उस पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगभग एक ही समय फायर किया गया है जो हमलावरों तथा लक्ष्य की तत्समय की परिस्थितियों के अनुसार उसके शरीर पर अलग-अलग लग सकती हैं। विदित हो कि अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तों द्वारा केवल फायर करके देवनरायन सिंह की हत्या कारित किया जाना बताया है न कि किसी अन्य अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग से। देवनरायन सिंह के शरीर पर किसी अन्य अस्त्र-शस्त्र से पहुंचायी गयी चोट का भी साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अतएव पी0डब्लू 1 के अर्थात प्रत्यक्ष साक्ष्य से चिकित्सीय साक्ष्य का पूरा पूरा समर्थन होता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में दिनांक 15.05.10 को देवनरायन सिंह पर गोली चलायी गयी थी जिसके घाव के कारण ही उनकी मृत्यु हुई।

25. अभियोजन का अगला साक्षी सेवानिवृत्त कां0मुहर्रिर वेद प्रकाश यादव पी0डब्लू 9 है जिसने दिनांक 15.05.10 को थाना सरायलखंसी में 18.30 बजे वादी रामनरायन सिंह के प्रार्थना पत्र के आधार पर चिक सं0 102/10, मुकदमा अपराध सं0 1338/10, अंतर्गत धारा 147,148,149,302,120-बी भा0द0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट डीजल सिंह, रवि सिंह, सुनील सिंह, विपिन सिंह व चार व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध किता किया जाना बताया है जिसकी चिक प्रदर्श क13 तथा जी0डी0 कायमी की नकल प्रदर्श क14 अपने लेख व हस्ताक्षर में होना सिद्ध किया है।

26. किसी भी अपराध के उपरांत निकट संबंधियों का साधारण आचरण घटना की

सूचना थाने पर देना तथा मौके पर पहचाने गये अभियुक्तों का नाम पुलिस को बताना होता है। इस प्रकरण में भी घटना 04.00 बजे शाम की बतायी गयी है जिसकी सूचना 18.30 बजे थाना सरायलखंसी पर मृतक के भाई रामनरायन सिंह द्वारा लिखाया गया है जिसको इस साक्षी अर्थात पी0डब्लू 9 द्वारा सिद्ध किया गया है जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

27. अभियोजन का अगला साक्षी उपनिरीक्षक बिन्द कुमार, पी0डब्लू 5 है जिसने दिनांक 15.05.10 को थाना सरायलखंसी में बतौर थानाध्यक्ष तैनात रहना तथा उस दिन थाना कार्यालय में मुकदमा अपराध सं0 1338/10, धारा 147,148,149,302,120-बी भा0द0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट की विवेचना करना बताया है तथा दौरान विवेचना नकल रपट, नकल कायमी, नकल तहरीर का उल्लेख केस डायरी में करना, वादी का बयान अंकित करना, अभियुक्त सुनील सिंह उर्फ टुन्नू को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित करना, वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क5 तैयार करना, घ टनास्थल से खोखा कारतूस 9 एम.एम., खून आलूदा व सादी मिट्टी अलग-अलग डिब्बे में रखकर सील सर्वमुहर कर फर्द प्रदर्श क3 तैयार करना, फर्द के गवाहान का बयान अंकित करना तथा समई साक्षीगण का बयान अंकित करना बताया है। इसके पश्चात अपना स्थानांतरण हो जाना बताया है।

28. अभियोजन का अगला साक्षी निरीक्षक विजयशंकर यादव, पी0डब्लू 9ए है जिसने बयान दिया है कि दिनांक 18.05.10 को इस अपराध की विवेचना ग्रहण करना बताया है तथा उस दिन पूर्व में की गयी विवेचना का अवलोकन कर उसका उल्लेख केस डायरी में करना, पंचायतनामे की नकल केस डायरी में अंकित करना, अभियुक्तगण विपिन सिंह, अजय कुमार, रवि उर्फ बबलू उर्फ सोनू का बयान अंकित करना, अभियुक्त रवि उर्फ बबलू उर्फ सोनू द्वारा 9 एम.एम. की पिस्टल आला कत्ल को बरामद करवा देने का कथन करना, अभियुक्त अश्वनी कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह तथा अवनीश सिंह उर्फ मिन्टू को गिरफ्तार कर उनका बयान अंकित करना, अभियुक्त रवि सिंह द्वारा आला कत्ल एक अदद 9 एम.एम. पिस्टल बरामद कराया जाना जिसकी फर्द प्रदर्श क11 अपने निर्देशन पर एस.आई. मुनौव्वर हुसैन द्वारा लिखा जाना बताया

है। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष एक बण्डल को खोला जिसमें परीक्षणशुदा दो अदद 9 एम.एम. पिस्टल निकला जिसमें एक पिस्टल पर मेड इन यू.एस.ए. अंकित है तथा जिसे रवि उर्फ बबलू उर्फ सोनू के पास से बरामद होना बताया गया वस्तु प्रदर्श 3ए है। साक्षी ने दौरान विवेचना बरामदशुदा असलहा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा जाना भी बताया है तथा एस.आई. प्रकाश लाल श्रीवास्तव, एस.आई. मुनौव्वर, एस.आई. रामचन्दर, पोस्टमार्टमकर्ता डा0 निरंजन सिंह, मृतक की पत्नी रंजना सिंह, कां0 हरेराम, पारसनाथ सिंह, आशनरायन सिंह, अनिल सिंह, राकेश शर्मा व पंचायतनामे के गवाहों का बयान अंकित करना, अन्य अभियुक्तों का बयान, गिरफ्तारी, बरामदगी का विवरण भी केस डायरी में अंकित करना तथा विवेचना उपरांत अभियुक्तगण सुनील सिंह, अजय कुमार, अश्वनी कुमार, विपिन सिंह, सतीश, अवनीश, रवि सिंह, रंजय सिंह व बृजेश सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क15ए अंतर्गत धारा 147,148,149,302,120–बी भा0द0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट न्यायालय प्रेषित करना बताया है तथा आगे दौरान विवेचना अभियुक्तगण सुनील सिंह, अश्वनी सिंह उर्फ पप्पू, रंजय सिंह, रवि सिंह के मोबाइल नंबर को प्रकाश में आना, उन नंबरों को सर्विलांस द्वारा चेक कराया जाना तथा मोबाइल नं0 9415219144 अभियुक्त सुनील सिंह का, 9616476591 अभियुक्त अश्वनी उर्फ पप्पू का, 9721114851 अभियुक्त रंजय सिंह का, 9455050375 अभियुक्त अवनीश कुमार उर्फ मिन्टू का, 9454277522 अभियुक्त रवि सिंह का पाया जाना तथा उनकी काल डिटेल प्राप्त कर केस डायरी के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है जो वस्तु प्रदर्श 28, 29 व 30 है।

29. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि प्रथम विवेचक पी0डब्लू 5 के स्थानांतरण के पश्चात मामले की विवेचना पी0डब्लू 9ए द्वारा ग्रहण किया गया था जिसके दौरान उन्होनें अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्तों का बयान अंकित किया था तथा शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण सुनील सिंह, अजय कुमार, अश्वनी कुमार, विपिन सिंह, सतीश सिंह, अवनीश, रवि सिंह, रंजय सिंह व बृजेश सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147,148,149,302,120–बी भा0द0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट प्रेषित

किया था। साक्षी ने आगे बताया है कि दौरान विवेचना उसने अभियुक्तगण सुनील सिंह, अश्वनी सिंह, रंजय सिंह तथा रवि सिंह के मोबाइल नंबर भी प्रकाश में आये थे जो क्रमशः 9415219144, 9616476591, 9721114851, 9455050375 एवं 9454277522 है तथा यह भी बताया था कि उनकी काल डिटेल प्राप्त करके केस डायरी में लगाया है परन्तु साक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि उक्त मोबाइल नंबर कथित अभियुक्तों का ही सिद्ध हो जबकि उसके विषय में अभिलेख बड़ी सुगमता से प्राप्त किया जा सकता था। और न ही यह साक्ष्य दिया है कि उन नंबरों से शेष अभियुक्तों अर्थात मौके के हमलावरों से संचार स्थापित हुआ हो अर्थात जिन नंबरों से उन नंबरों का संचार स्थापित हुआ हो वे नंबर वास्तविक हमलावरों के ही रहे हों। अतएव मात्र इस काल डिटेल रिपोर्ट एवं मोबाइल नंबरों से कोई युक्तियुक्त निष्कर्ष नहीं निकलता।

30. विदित हो कि अभियोजन द्वारा यह भी कथन किया गया है कि दौरान विवेचना अभियुक्तगण **रवि सिंह** एवं **सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह** की निशानदेही पर उनके पास से अग्नेयशस्त्र बरामद हुआ था जिसके आधार पर उनके विरूद्ध पृथक से अपराध सं0 1714/10 एवं 2009/10, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उपरांत उनके विरूद्ध अलग-अलग आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

31. अभियोजन का अगला साक्षी कां0 दाता प्रसाद चौबे, पी0डब्लू 12 है जिसने अपने बयान में बताया है कि हेड मुहर्रिर प्रहलाद प्रसाद के साथ मैनें कार्य किया है तथा उनके लेख व हस्ताक्षर को भली भांति पहचानता हूं। मुकदमा अपराध सं0 1714/10, धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं नकल कायमी जी0डी0 उक्त हेड मुहर्रिर प्रहलाद प्रसाद के लेख व हस्ताक्षर में है तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क26 व नकल कायमी जी0डी0 पर प्रदर्श क27 डाला गया है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं।

32. इस साक्षी के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि अभियुक्त रवि सिंह के विरूद्ध अपराध सं0 1714/10, धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाने पर हेड मोहर्रिर प्रहलाद सिंह द्वारा कायम किया गया था।

33. अभियोजन ने उक्त असलहों की बरामदगी के साक्षियों के रूप में मुनौव्वर हुसैन को बतौर पी0डब्लू 7 एवं रामचन्दर यादव को बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया है।

34. मुनौवर हुसैन, पी0डब्लू 7 ने बयान दिया है कि दिनांक 11.06.10 को मैं बतौर उपनिरीक्षक थाना सरायलखंसी में तैनात था। उस दिन अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह को (अपने साथ लेकर) मैं, कां0 राजनाथ, कां0 सरोज कुमार, कां0 कमलेश कुमार के साथ ग्राम रकौली में परमानंद शिक्षण संस्थान पर समय 15.40 बजे पहुंचे तो अभियुक्त ने बबूल के पेड़ के पास से एक पालीथीन निकाला तथा उसके अंदर से एक अदद पिस्टल 9 एम.एम. चालू हालत में निकालकर हमें दिया (तथा बताया कि इसी पिस्टल से दिनांक 15.05.10 को देवनरायन सिंह की हत्या अपने साथियों के साथ की थी (अग्राह्य))। साक्षी ने आगे बताया है कि बरामद पिस्टल को कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर इकट्ठे लोगों से गवाही के लिये कहा गया तो कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। फर्द प्रदर्श क11 थानाध्यक्ष विजय शंकर यादव के बोलने पर मैनें अपने लेख में लिखा था। फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी। फर्द पर सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये। साक्षी ने आगे बताया कि दिनांक 01.07.10 को थाना प्रभारी रामचन्द्र यादव के साथ मैं व अन्य हमराही अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह को लेकर उसके बताने के अनुसार ग्राम जयसिंहपुर में बंधा पर समय 21.45 बजे (पहुंचे) जीप से उतरकर अभियुक्त (सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह ने) बंधे की दाहिनी पटरी पर सरपत के झुरमुट से एक पालीथीन में लिपटा हुआ पिस्टल 9 एम.एम. चालू हालत में निकालकर दिया (तथा बताया कि इसी पिस्टल से मैनें अपने साथियों के साथ मिलकर रणवीरपुर बाजार में दिनांक 15.05.10 को शाम करीब 4 बजे देवनरायन सिंह की गोली मारकर हत्या किया था (अग्राह्य))। साक्षी ने आगे बताया कि मौके पर ही पिस्टल को कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर इकट्ठे लोगों से गवाही के लिये कहा गया तो कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। फर्द प्रदर्श क12 एस.आई. रामचन्द्र यादव के बोलने पर मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी। फर्द पर सभी के

हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द के आधार पर मुकदमा लिखा गया। साक्षी ने आगे बताया कि अभियुक्तगण रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह व सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह के पास से बरामद दोनों 9 एम.एम. पिस्टल कंट्री मेड थी।

35. अभियोजन का अगला साक्षी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामचन्द्र यादव, पी0डब्लू 8 है जिसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 01.07.10 को मैं बतौर प्रभारी थाना सरायलखंसी में तैनात था। उस दिन मैं अन्य हमराहियों के साथ मय जीप सरकारी से अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह को लेकर अभियुक्त के बताने के अनुसार ग्राम जयसिंहपुर में बंधा पर समय 21.45 बजे पहुंचा। जीप से उतरकर अभियुक्त (सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह) ने बंधे की दाहिनी पटरी पर सरपत के झुरमुट से एक पालीथीन में लिपटा हुआ पिस्टल 9 एम.एम. चालू हालत में निकालकर दिया (तथा बताया कि इसी पिस्टल से मैनें अपने साथियों के साथ मिलकर रणवीरपुर बाजार में दिनांक 15.05.10 को शाम करीब 4 बजे देवनरायन सिंह की गोली मारकर हत्या किया था (अग्राह्य))। साक्षी ने आगे बताया कि मौके पर ही पिस्टल को कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। फर्द प्रदर्श क12 मेरे बोलने पर एस.आई. मुनौव्वर हुसैन ने अपने हस्तलेख में तैयार किया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी। फर्द पर सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये तथा फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को जेल में दाखिल किया गया। जांचोपरांत (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) सील मुहर माल प्राप्त हुआ। पिस्टल पर वस्तु प्रदर्श 1, सील लगे कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 2 एवं दूसरे कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 3 डाला गया है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। उक्त 9 एम.एम. की पिस्टल कंट्री मेड है। खोखा कारतूसों, जिन्दा कारतूस के अलावा दो अदद 9 एम.एम. पिस्टल व एक अदद कट्टा 303 बोर व 3 अदद सील लगा फटा कपड़ा सील के अंदर पाया गया।

36. पी0डब्लू 7 एवं 8 के बयानों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि तथाकथित तमंचा रवि सिंह एवं सतीश सिंह के व्यक्तिगत कब्जे से बरामद होना नहीं बताया गया है बल्कि रवि सिंह की निशानदेही पर बबूल के पेड़ के पास से एक तमंचा तथा सतीश सिंह की निशानदेही पर किसी सरपत की झुरमुट के पास से एक

तमंचा बरामद होना बताया गया है। दोनों ही साक्षियों के बयान से यह भी स्पष्ट है कि उनके उक्त बयान पुलिसिया शैली में रटे रटाये स्टीरियो टाईप बयान हैं जिसकी भाषा व व्याकरण भी सही नहीं है जो भरोसा उत्पन्न नहीं करते। उक्त बरामदगी का कोई जनसाक्षी भी नहीं है। साक्षियों ने यद्यपि यह भी बताया है कि रवि एवं सतीश ने बरामदगी के पश्चात बताया था कि उसी तमंचे से उन्होनें देवनरायन सिंह की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर किया था परन्तु चूंकि उक्त वक्तव्य अभियुक्तगण का पुलिस के समक्ष दिया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट है अतः उनके यह साक्ष्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

37. अभियोजन ने रवि सिंह के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 1714/10, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम तथा सतीश सिंह के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 2009/10, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की विवेचना प्रकाश लाल श्रीवास्तव उपनिरीक्षक एवं हेमंत कुमार सिंह उपनिरीक्षक के द्वारा किया जाना बताया गया है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव उपनिरीक्षक को बतौर पी0डब्लू 6 परीक्षित किया गया है जिन्होनें बयान दिया है कि दिनांक 11.06.10 को मुकदमा अपराध सं0 1714/10, धारा 3/25 आयुध अधिनियम विरूद्ध रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। उस दिन मैनें चिक व जी0डी0 की नकल केस डायरी में किया। अभियुक्त रवि सिंह, चिक लेखक हेड मोहर्रिर प्रहलाद प्रसाद, वादी विजय शंकर यादव थानाध्यक्ष, एस.आई. मुनौव्वर हुसैन, कां0 राजनाथ तिवारी, कां0 सरोज कुमार, कां0 कमलेश का बयान अंकित किया। एस.आई. मुनौव्वर हुसैन की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क17 व खसरा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। दिनांक 19.07.10 को जिलाधिकारी श्री राकेश द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क18 प्रदान किया गया। अभियोजन स्वीकृति के साथ विवेचना उपरांत अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क19 अपने लेख व हस्ताक्षर में न्यायालय प्रेषित किया।

38. अभियोजन का अगला साक्षी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हेमन्त कुमार सिंह, पी0डब्लू 11 हैं, जिन्होनें बयान दिया है कि दिनांक 01.07.10 को अपराध सं0

2009/10, धारा 3/25 आयुध अधिनियम की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना सर्वप्रथम नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया। तदोपरान्त चिक लेखक विरेन्द्र कुमार, वादी मुकदमा रामचन्द्र यादव एस.आई., फर्द के गवाह मुनौव्वर हुसैन सिद्दीकी एस.आई., कां0 छोटेलाल, कां0 आशीष कुमार का बयान अंकित किया। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क20 एवं प्रदर्श क21 प्राप्त किया। बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क22 तैयार किया एवं आरोप पत्र प्रदर्श क23 न्यायालय प्रेषित किया था। कां0मुहर्रिर विरेन्द्र कुमार के साथ मैनें कार्य किया है तथा उनके लेख व हस्ताक्षर को भली भांति पहचानता हूं। मुकदमा अपराध सं0 2009/10, धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं नकल कायमी जी0डी0 उक्त कां0मुहर्रिर विरेन्द्र कुमार के लेख व हस्ताक्षर में है तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क24 व नकल कायमी जी0डी0 पर प्रदर्श क25 डाला गया है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं।

39. पी0डब्लू 6 एवं 11 के बयानों से यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनों विवेचकगण द्वारा अपराध सं0 1714/10 तथा 2009/10, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत विवेचना किया गया था **परन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मृतक देवनरायन सिंह के घावों को तथाकथित बरामद तमंचों की निकली गोली से लिंक किया जा सके अर्थात अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्हीं तमंचों का प्रयोग करके देवनरायन सिंह की हत्या किया गया था।** अतएव उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अभियुक्त रवि सिंह तथा सतीश सिंह के व्यक्तिगत अध्यसन से उक्त तमंचे बरामद किये गये हों अथवा उनके द्वारा देवनरायन सिंह की हत्या कारित करने में उनका प्रयोग किया गया हो।

40. बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि समस्त अभियोजन कथानक झूठा है। बचाव पक्ष द्वारा इसके दो अंतर्विरोधी तर्क दिये गये हैं। प्रथम तो यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटीटाईम है तथा दूसरा यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित है। अतएव यह दोनों ही तर्क परस्पर विरोधी होने के कारण न केवल रोचक हैं बल्कि रोचक होने के कारण ही सारहीन भी हैं। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटीटाईम है

अर्थात घटना के पूर्व की है तो वह निश्चय ही विलंबित नहीं हो सकती और विलंबित है तो एंटीटाईम नहीं हो सकती। बचाव पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलंबित होने के आधार पर अभियोजन कथानक को विश्वास योग्य न होना इस आधार पर बताया गया है कि पंचायतनामा होने के पश्चात सोच विचारकर अपने विरोधियों के प्रति वादी ने झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दिया है जबकि कोई भी वास्तविक हमलावर पहचाना नहीं गया था। यदि घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता सच होती तो उसकी अविलंब नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी गयी होती परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि ऐसी घटना हो जाने के पश्चात प्रियजनों का सामान्य आचरण यही होगा कि घायल की सर्वप्रथम जीवनरक्षा का प्रयत्न किया जाये इसीलिये मृतक के भाई ने सर्वप्रथम घायल को अस्पताल पहुंचाया परन्तु घायल को अस्पताल में मृतक घ ोषित कर दिया गया। चूंकि अस्पताल में ही पुलिस पहुंच चुकी थी अतः तत्काल ही अस्पताल में ही शव का पंचायतनामा कराया गया तथा पंचनामा हो जाने के पश्चात वादी द्वारा 06.30 बजे उन व्यक्तियों के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट लिखा दिया गया **जिसको उसने तथा मौके के साक्षियों द्वारा पहचान लिया गया था तथा जिन पर उसको शक था भले ही वे मौके के साक्षी न रहे हों।** अतएव इस मामले में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मात्र ढाई घण्टे के विलम्ब से लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से अभियोजन कथानक झूठा साबित नहीं होता बल्कि परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वाभाविकता उत्पन्न करता है।

41. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मामले में पांच व्यक्तियों द्वारा फायर करना बताया जा रहा है परन्तु चोट केवल तीन फायर की कारित हुई है जिससे घटना झूठी प्रतीत होती है परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि सभी गोलियां निश्चित रूप से लक्ष्य को बेध ही दें।

42. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठा एवं साक्षियों के द्वारा झूठी गवाही देना बताया गया है। अभियुक्त सुनील सिंह द्वारा स्वयं को प्रधानी के चुनाव व गांव की रंजिश के कारण झूठा फंसाया जाना, अभियुक्त अश्वनी कुमार सिंह द्वारा गांव की रंजिश के कारण गलत फंसाया जाना,

अभियुक्तगण रंजय सिंह, रवि सिंह, सतीश सिंह, अवनीश कुमार सिंह, डीजल सिंह, विपिन सिंह, बृजेश सिंह द्वारा भी स्वयं को निर्दोष होना तथा गलत तरीके से फंसाया जाना बताया गया है। इसी प्रकार अभियुक्तगण रवि सिंह एवं सतीश सिंह द्वारा भी आयुध अधिनियम के मामलों में स्वयं को झूठा फंसाया जाना बताया गया है। जहां तक अभियोजन साक्ष्यों के संबंध में अभियुक्त डीजल सिंह तथा रवि सिंह द्वारा झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया है उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 द्वारा उन्हें मौके पर पहचाना गया है तथा पी0डब्लू 1 द्वारा उनके विरूद्ध तत्काल नामजद रिपोर्ट भी लिखायी गयी है। जहां तक शेष अभियुक्तों का प्रश्न है स्वयं अभियोजन साक्षियों द्वारा बताया गया है कि उनसे देवनरायन सिंह से रंजिश चली आ रही थी अतः यह प्रतीत होता है कि उसी रंजिश के वशीभूत होने के कारण या तो उन्हें जानबूझकर रंजिशन झूठा फंसाया गया है अथवा इस अनुमान एवं विश्वास के आधार पर फंसाया गया है कि चूंकि उनसे रंजिश चल रही थी अतएव उन्होनें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देवनरायन सिंह की हत्या करायी परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि आपराधिक मामले केवल संदेह, अनुमान अथवा विश्वास के आधार पर सिद्ध नहीं होते बल्कि ठोस तथा संदेह से परे एवं भरोसेमन्द साक्ष्यों से सिद्ध होता है। इस मामले में शेष अभियुक्तों सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह, अश्वनी कुमार उर्फ पप्पू, विपिन सिंह, बृजेश सिंह, सतीश उर्फ बबलू, अवनीश कुमार सिंह उर्फ मिन्टू, रंजय सिंह उर्फ मनीष सिंह में से किसी को पहचाना नहीं गया है। जहां तक पी0डब्लू 2 एवं 3 द्वारा मौके पर अभियुक्तगण **रंजय सिंह, सतीश उर्फ बबलू व अवनीश उर्फ मिन्टू** को पहचानना बताया गया है जैसा कि ऊपर उल्लिखित है उनका उक्त आशय का साक्ष्य विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द नहीं है क्योंकि वे प्रारंभ से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने तक वादी के संग थे, वादी के भाई तथा निकट संबंधी/मित्र थे तथा उन अभियुक्तों से भी भलीभांति परिचित थे। यदि रंजय सिंह, सतीश उर्फ बबलू व अवनीश उर्फ मिन्टू वास्तव में हमलावर होते तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि पी0डब्लू 2, 3, पी0डब्लू 1 को उनका नाम न बता देते एवं स्वयं भी पी0डब्लू 1 जिसने कि डीजल सिंह तथा रवि सिंह को तो तुरन्त पहचान लिया, उनको अथवा रंजय सिंह, सतीश उर्फ बबलू एवं अवनीश उर्फ मिन्टू को न पहचान पाता। दौरान विवेचना घटना के एक महीने के पश्चात पी0डब्लू 2 एवं 3 ने शेष अभियुक्तों का नाम विवेचक को बताया है तथा बाद में उसी आधार पर न्यायालय में बयान दिया है। आखिर क्या कारण था कि

वादी के निकट संबंधी होने के बावजूद पुलिस को एक महीने के बाद उन्होनें हमलावरों में उनका नाम बताया था। स्पष्ट है चूंकि उनसे चुनावी तथा ठेके की रंजिश चली आ रही थी अतः रंजिशवश अथवा अनुमान के आधार पर उनको घटना में संलिप्त करना वादी पक्ष का स्वाभाविक आचरण था परन्तु उससे उन अभियुक्तों की संलिप्तता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि रंजिश दोधारी तलवार होती है। रंजिश के कारण ही कोई व्यक्ति किसी की हत्या को अंजाम देता है तथा रंजिश के कारण ही किसी व्यक्ति को अपराध में आलिप्त किया जाता है। इस मुकदमे में दोनों का ही प्रयोग किया गया है अर्थात अभियुक्त डीजल एवं रवि ने पूर्व रंजिश के हेतुक से देवनरायन सिंह की हत्या किया तथा वादी पक्ष द्वारा शेष अभियुक्तों को रंजिश के कारण अनुमान अथवा विश्वास के आधार पर आलिप्त किया गया।

43. अतएव अभियोजन ने अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि दिनांक 15.05.10 को डीजल सिंह तथा रवि सिंह ने अन्य चार व्यक्तियों के संग जिनकी पहचान नहीं की जा सकी, मिलकर देवनरायन सिंह की हत्या कारित करने का सामान्य आशय बनाया तथा उस आशय को अंजाम देने के लिये, अग्रसारित एवं क्रियान्वित करने के लिये तमंचे जैसे घातक आयुधों से लैस होकर विधि विरूद्ध मजमा कायम किया तथा उनमे से दो व्यक्तियों ने अनेक फायर कर देवनरायन सिंह को प्राणघातक चोटें पहुंचायी जिसने घटना के कुछ समय पश्चात ही दम तोड़ दिया तथा अस्पताल में उसे घायल अवस्था में पहुंचाने के पश्चात उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया, परन्तु अभियोजन साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध नहीं हो सका है कि अभियुक्तगण सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह तथा रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह ने देवनरायन की हत्या में उन तमन्चों का प्रयोग किया था जो न्यायालय में बतौर भौतिक साक्ष्य वस्तु प्रदर्श 1,2,3 और 3ए प्रस्तुत किया गया है और न ही यह कि वे उनके व्यक्तिगत कब्जे से बरामद किये गये हैं। अतएव इस प्रकरण में अभियुक्तगण अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह धारा 147,148,149,302/34/120-बी भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने योग्य तथा आरोप अंतर्गत धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम से दोषमुक्त

किये जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह एवं सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप से भी दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं तथा शेष अभियुक्तगण अर्थात सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह, अश्वनी कुमार उर्फ पप्पू, विपिन सिंह, बृजेश सिंह, सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह, अवनीश कुमार सिंह उर्फ मिन्टू व रंजय सिंह उर्फ मनीष सिंह सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

44. अभियुक्तगण अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह को धारा 147,148,149,302/34/120-बी भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा आरोप अंतर्गत धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह को मुकदमा अपराध सं0 1714/10 (सत्र परीक्षण सं0 76/2011) तथा अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह को मुकदमा अपराध सं0 2009/10 (सत्र परीक्षण सं0 75/2011) में आरोप अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम से भी दोषमुक्त किया जाता है। शेष अभियुक्तगण अर्थात सुनील सिंह उर्फ टुन्नू सिंह, अश्वनी कुमार उर्फ पप्पू, विपिन सिंह, बृजेश सिंह, सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह, अवनीश कुमार सिंह उर्फ मिन्टू व रंजय सिंह उर्फ मनीष सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

45. दोषीगण अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह न्यायालय में उपस्थित हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को प्रस्तुत हो।

46. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 11.09.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

<u>दिनांक 12.09.2019</u>
<u>पुनश्च</u>

47. दोषीगण अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह कारागार से प्रस्तुत होकर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

48. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

49. दोषीगण का कथन है कि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। उन पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। अतएव उन्हें किसी कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। अतएव उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

50. दोषीगण अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह को धारा 147,148,149,302/34/120-बी भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 147 भा0दं0वि0 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास के दण्ड अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से, धारा 148 भा0दं0वि0 3 वर्ष तक के सश्रम कारावास के दण्ड अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से, धारा 302 भा0द0वि0 आजीवन कारावास के दण्ड अथवा मृत्युदण्ड तथा अर्थदण्ड से तथा धारा 120-बी एवं 149 भा0द0वि0 का अपराध उतने ही दण्ड से जितना कि मुख्य अपराध दण्डनीय है, के दण्ड से दण्डनीय है।

51. इस प्रकरण में दोषीगण द्वारा चार अन्य हमलावरों के संग वादी के भाई देवनरायन सिंह की आपस में साजिश रचकर उनकी हत्या करने का सामान्य आशय बनाकर तमंचे जैसे घातक शस्त्रों से लैस होकर तथा विधि विरूद्ध मजमा कायम करके गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। यद्यपि दोषीगण का कृत्य एक जघन्य अपराध है परन्तु उक्त अपराध इस प्रकार कारित नहीं है जिसे विरलों में से विरलतम की श्रेणी में अनुभव किया जाये। अतएव धारा 302/34/149/120-बी भा0द0वि0 के अंतर्गत किसी भी दोषी को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाना विधिसंगत नहीं होगा बल्कि उन्हें आजीवन

कारावास के दण्ड से एवं एक ऐसी धनराशि के दण्ड से जिसमें से एक उचित मात्रा मृतक के उत्तराधिकारियों को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जा सके, के दण्ड से दण्डित करने से विधि एवं न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। जहां तक अन्य धाराओं में दण्डित किये जाने का प्रश्न है चूंकि दोषीगण ने घातक आयुधों से लैस होकर बलवा कारित किया है जिसमें देवनरायन सिंह की मृत्यु हो चुकी है अतएव उन धाराओं के अंतर्गत उन्हें एक उचित अवधि के कारावास के दण्ड से तथा अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से विधि का उद्देश्य पूर्ण होगा।

आदेश

52. दोषीगण अजय कुमार सिंह उर्फ डीजल व रवि सिंह उर्फ बबलू उर्फ सोनू सिंह प्रत्येक को धारा 147 भा0दं0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 148 भा0दं0वि0 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 4 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से तथा धारा 302/34/149/120-बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड तथा 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

53. प्रत्येक दोषी से प्रत्येक धाराओं के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक देवनरायन सिंह के विधिक वारिसों को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी जो उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

54. प्रत्येक दोषी पर प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ-साथ चलेगा तथा दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

55. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक-पृथक दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश

को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

56. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

57. निर्णय की एक-एक प्रति सत्र परीक्षण सं0 75/2011, राज्य बनाम सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह में तथा सत्र परीक्षण सं0 76/2011, राज्य बनाम रवि सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ सोनू सिंह में रखी जाये।

58. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 12.09.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

59. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 12.09.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 243 सन् 2013

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. वीर बहादुर राजभर पुत्र झूरी
साकिन-कटघराशंकर (मथई), थाना-मधुबन,
जनपद- मऊ।
2. सुरेश राजभर पुत्र ढोढ़े राजभर
साकिन-भेड़कुल सुल्तानपुर, थाना-मधुबन,
जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 260/2013
अंतर्गत धारा 302/34 भा0दं0वि0 व 3(2)5
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अधिनियम
थाना- मधुबन, जनपद- मऊ।
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 सूर्यभान
साकिन-कटघराशंकर (मथई), थाना-मधुबन,
जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 260/2013
अंतर्गत धारा 302/34 भा0दं0वि0
थाना- मधुबन, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण वीर बहादुर राजभर व सुरेश राजभर का विचारण धारा 302/34 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत तथा अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला का विचारण धारा 302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा श्रीमती किरन के पति रामबचन जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, की चाकू घोंपकर हत्या कर दिये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 04.05.13 को वादिनी मुकदमा/सूचनाकर्ता श्रीमती किरन ने प्रभारी निरीक्षक, मधुबन के समक्ष इस आशय की

लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *उसके गांव की रहने वाली उर्मिला ने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे पति की हत्या लुधियाना में उसके पति ने करवा दिया है। मैं उसका बदला जरूर लूंगी। इसी बात को लेकर बराबर उसके पति को मरवाने के चक्कर में बदमाशों को बुलाती रही है। उसके गांव के ही वीर बहादुर के साथ योजना बनाकर देवारा में किसी बदमाश को पैसा देकर उसके पति को मरवाने के लिये बुलायी थी। आज दिनांक 03/04.05.13 की रात जब वह उसके गांव में आयी हुई बारात में चली गयी। उसका पति घर के बाहर बरामदे में सोया हुआ था कि इसी बीच रात में करीब तीन बजे उक्त कार्यक्रम से जब वह उसके घर आयी तो देखी कि वीर बहादुर व उर्मिला तथा एक व्यक्ति और जिसका नाम नहीं जानती, तीनों उसके पति के चारपाई के पास से भागे। वह नजदीक जाकर देखी तो उसके पति खून से लथपथ थे और उनकी मृत्यु हो गयी थी। उसे पूर्ण विश्वास है कि उक्त वीर बहादुर व उर्मिला ने अपने एक साथी से मिलकर तीनों ने उसके पति की चाकू मारकर हत्या कर दिये हैं।* अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि घटना के बावत उसकी रपट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना मधुबन में अभियुक्तगण उर्मिला, वीर बहादुर व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अपराध सं0 260/13 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल तहरीर, नकल रपट का उल्लेख केस डायरी में किया। वादिनी श्रीमती किरन देवी व तहरीर लेखक श्री शशिकान्त का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। घटनास्थल से खून आलूदा कपड़े, खूल आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी का नमूना एकत्र किया तथा उनकी अलग-अलग फर्द तैयार किया। समई साक्षियों का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण वीर बहादुर व श्रीमती उर्मिला को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया तथा उसकी फर्द तैयार किया तथा उनका बयान अंकित किया। मृतक का पंचायतनामा प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया तथा पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। फर्द

के गवाहों का बयान अंकित किया। बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। पंचायतनामा लेखक एस0आई0 नरेन्द्र प्रताप सिंह का बयान अंकित किया। अभियुक्त सुरेश राजभर का बयान अंकित किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण वीर बहादुर राजभर, श्रीमती उर्मिला व सुरेश राजभर के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु विशेष न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण वीर बहादुर राजभर व सुरेश राजभर के विरूद्ध धारा 302/34 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत तथा अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला के विरूद्ध धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत पृथक-पृथक आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादिनी मुकदमा किरन, शशिकान्त, जयमंगल, बालकिशुन, अकालू, सिद्धू, डा0 निरंकार सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक बंशीधर मिश्रा, उपनिरीक्षक पंचम यादव, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक नन्द कुमार ओझा, हेड कां0 भूपेन्द्र सिंह, एस0आई0 राजेश कुमार यादव, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 12 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, पंचायतनामा, फर्द कब्जा में लेने खून आलूदा कपड़े, खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चालान लाश, फोटो लाश, पत्र प्रतिसार निरीक्षक, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, घटनास्थल एवं बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी, डाकेट, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण, फर्द बरामदगी एक अदद चाकू व कब्जा अभियुक्त वीर बहादुर, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क16 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा

विद्वान एस0पी0ओ0 द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत एवं झूठा होना बताये हैं तथा वादिनी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताये हैं। गलत विवेचना करके गलत तरीके से कागजात तैयार करके झूठा आरोप पत्र प्रेषित करना बताये हैं। बरामदगी व गिरफ्तारी को फर्जी बताये हैं तथा थाने पर बैठे बैठाये फर्जी कार्यवाही करना बताये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल जी0डी0 को एंटीटाईम करके गलत तरीके से तैयार करना बताये हैं। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 एवं 12 द्वारा गलत व झूठा बयान देना बताये हैं तथा अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलाया जाना बताये हैं तथा अभियुक्तगण वीर बहादुर राजभर व सुरेश राजभर ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं। उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है तथा अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला ने कथन किया है कि उसके पति हीरो साइकिल लुधियाना की फैक्टरी में काम करते थे जहां उनकी बीमार पड़ने से स्वाभाविक मृत्यु हुई थी तथा उनका फण्ड आदि उसे मिला था। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदोपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन की सर्वप्रथम साक्षी वादिनी मुकदमा किरन पी0डब्लू 1 है। उसने अपने बयान में बताया है कि मेरे पति मृतक रामबचन टेलीफोन आपरेटर के पद पर नौकरी करते थे। दिनांक 30.04.13 को रिटायर हो गये और मथई गांव में ही मैं और वह रहने लगे। अभियुक्ता उर्मिला मेरे गांव की है। मेरे घर से उसका घर लगभग सटा है। 2010 में उर्मिला के पति सूर्यभान जो लुधियाना में रहते थे, की

किडनी खराब होने की वजह से मृत्यु हो गयी। जब सूर्यभान का शव लुधियाना से गांव आया तो अभियुक्ता उर्मिला यह कहने लगी कि रामबचन भूत प्रेत कराकर मेरे पति को मरवा दिये हैं। उसका बदला मैं जरूर लूंगी और मेरे पति रामबचन से रंजिश रखने लगी। देवारा क्षेत्र जो मधुबन के पास है, से बदमाशों को बुलाकर हत्या कराना चाहती थी। दिनांक 3/4 मई 2013 को मेरे गांव में श्रीकिशुन की लड़की की शादी थी। मैं व मेरे पति शाम को ही उसमें शामिल होने गये। कुछ कार्यक्रम बिताकर दस बजे रात घर आ गये। मेरे पति घर के सामने बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो गये। मैं पुनः कार्यक्रम में शामिल होने श्रीकिशुन के घर चली गयी। मैं तीन बजे भोर तक रुकी रही और वहां से कार्यक्रम में शामिल होकर तीन बजे भोर में अपने घर चली आयी। घर पर लाईट थी। मैं वहां पर देखी कि जहां मेरे पति सोये थे वहां पर तीन लोग थे। उसमें से एक उर्मिला, दूसरा वीर बहादुर तथा तीसरे का नाम नहीं जानती देखने पर पहचान सकती हूं, थे। तीसरा अभियुक्त जो हाजिर अदालत है, पगड़ी बांधा है बतायी कि घटना के समय वही था। अभियुक्त से नाम पूछने पर सुरेश राजभर बताया। ये लोग मुझे देखकर भागने लगे। अभियुक्तगण उत्तर पश्चिम की तरफ गये। मैं अपने पति को देखी तो वे खून से लथपथ थे। मैं रोने लगी और शोर करने लगी तो गांव के लोग व रिश्तेदार आ गये। मेरे रिश्तेदार शशिकान्त ने भी आ गये। मेरे पति को चाकू से चोट पहुंचायी गयी थी। गर्दन के अलावा और अंगों में चोटें थी। घटना के बावत मैनें अपने रिश्तेदार शशिकान्त से दरखास्त प्रदर्श क1 बोलकर, लिखवाकर, पढ़वाकर, सुनकर, उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने में दी थी। घटना के बावत सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था और उनको मैं घटना के बारे में बतायी थी।

9. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि उसने अपने रिश्तेदार शशिकांत से तहरीर प्रदर्श क1 लिखवाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, अतः उसकी तहरीर में उसके द्वारा किया गया कथन उसका पूर्व वक्तव्य है जिसका प्रयोग साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान के समर्थन अथवा खण्डन के उद्देश्य से किया जा सकता है। साक्षी की तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रस्तर सं0 3 में उद्धरित किया जा चुका है। साक्षी ने अपनी तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट में वैसा ही कथन किया

है जैसा कि न्यायालय में बताया है। अतएव साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का समर्थन उसके उक्त पूर्व वक्तव्य से होता है जिससे साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। साक्षी का बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी किया गया है जिसमें साक्षी ने बताया है कि............मेरे मकान से उर्मिला के मकान की दूरी 10–15 हाथ के लगभग है और वीर बहादुर का घर उतनी ही दूरी पर है। वीर बहादुर के पिता का नाम झूरी है। झूरी का मकान उर्मिला के मकान से 5–7 हाथ की दूरी पर पूरब दिशा में है..............। उर्मिला कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ी थी। उर्मिला से हमारी प्रधानी को लेकर कोई रंजिश नहीं है। मेरे पति प्रधानी का चुनाव लड़े थे। उर्मिला एवं उसके पति अथवा मेरे व मेरे पति के मध्य कभी कोई मारपीट या फौजदारी का मुकदमा नहीं चला। वीर बहादुर सिंह प्रधानी का चुनाव कभी नहीं लड़े। मेरे परिवार तथा वीर बहादुर के मध्य भी कभी कोई दीवानी फौजदारी का मुकदमा नहीं चला न कोई मारपीट हुई। घटना के दिन मेरे गांव के बालकिशन के यहां बारात आयी थी। बालकिशन के भाई की लड़की की शादी थी। हमारे घर एवं बालकिशन के घर खान पान आना जाना है। उनका घर हमारे घर से पूरब दिशा में है। शादी में मेरा निमंत्रण था। मैं दिन में भी दस मिनट के लिये शादी वाले घर में गयी थी। मेरे पति सुबह से वहीं थे। तीन बजे दिन में वापस आ गये थे..........। मेरे भाई मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से विधायक थे..............। मैं रात में आठ बजे तक पति के साथ शादी में गयी थी तथा तीन बजे रात को वापस आयी थी। पौने तीन बजे शादी वाले घर से चली थी। दीवाल से सटा दक्षिण वीर बहादुर का घर है, लगभग 6–7 कदम की दूरी होगी। मैं शादी वाले घर से अपने घर उत्तर–पश्चिम कोने से पश्चिम तरफ आयी थी। मैं व मेरे पति के अलावा मेरे घर में मेरे बहन की 7–8 वर्ष बच्ची भी साथ में रहती थी। घटना के दिन ही आयी थी...........। उर्मिला का पति सूर्यभान लुधियाना में रहता था। हीरो कंपनी में काम करता था, जब जिंदा था तब अपने घर आता था। उसकी मृत्यु किडनी खराब होने से हुई थी। सूर्यभान की लाश गांव आयी थी। कंपनी वालों ने बताया था कि किडनी खराब हो गयी थी.......... । मैं व मेरे पति दोनों लोग लाश देखने गये थे। उसके बाद से मेरी उर्मिला से कोई बात नहीं हुई..........। सूर्यभान की मृत्यु के लगभग तीन वर्ष बाद मैं प्रधानी का

चुनाव लड़ी थी। जब मैं शादी वाले घर से लौटकर अपने घर वापस आयी थी तो उस समय मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी, कितने बजे हुई मैं नहीं बता सकती किन्तु जब मैं आयी तब वह मर चुके थे...मैं तीन बजे आयी थी। उस समय मेरी बहन की लड़की मेरे साथ थी। वह रोते हुये गयी और लोगों को बुलायी, तब गांव के बहुत से लोग आ गये। गांव के लोग तुरंत ही आ गये..............। मैं अपने पति की लाश लेकर रोने लगी, शोर नहीं मचायी। गांव के लोग जो आये थे उन्हें पहचान सकती हूं। बालकिशन उनके भाई आदि आये थे............। रात अंधेरी थी किन्तु बरामदे में लाईट जल रही थी, शशिकांत चार बजे भोर में ही आ गये थे...........। पति के जेब में मोबाइल व डायरी थी। डायरी में लिखे नंबर पर गांव वालों को सूचना दिया था। सूचना के तहत शशिकांत आये थे। तहरीर लिखी थी। उस पर मैनें दस्तखत किया था। थाने पर तहरीर देने हम और शशिकांत गाड़ी से गये थे। थाने पर पौने पांच बजे गये थे। मेरे बोलने पर शशिकांत ने तहरीर को थाने के अंदर बैठकर लिखा था..........। चारपाई किसे कहते हैं मैं जानती हूं। चौकी किसे कहते हैं यह भी मैं जानती हूं.............। मुझे प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी लगभग पौने पांच बजे मिल गयी थी। पुलिस घटनास्थल पर लगभग 06.00 बजे आयी थी। मुझसे पूछताछ की थी तथा चली गयी थी। बाद में पति की लाश ले गयी थी। पहले पोस्टमार्टम के लिये उसके बाद दोहरीघाट दाह संस्कार हेतु। शव के साथ मेरे घर के बहुत से लोग गये थे।

10. साक्षी के इस विस्तृत प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसके मुख्य परीक्षण में दिया गया बयान अविश्वसनीय प्रतीत हो बल्कि प्रतिपरीक्षण में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर घटना के दृष्टिगत नितांत स्वाभाविक ही है जिससे उसका बयान भरोसेमन्द प्रतीत होता है।

11. अभियोजन का दूसरा साक्षी शशिकान्त पी0डब्लू 2 है। उसने बयान दिया है कि किरन मेरी मौसी की लड़की है जो रिश्ते में बहन लगती है। घटना दिनांक 03/04.05.13 की रात में किरन के पति रामबचन की हत्या हो गयी। उनकी मृत्यु की सूचना मुझे 04.05.13 को समय लगभग तीन बजे सुबह मिली। सूचना पाकर मैं किरन के घर ग्राम कटघराशंकर (मथई) गया और वहां पर हत्या के बावत किरन के बोलने व बताने पर मैनें प्रार्थना पत्र प्रदर्श क1 अपने लेख में तैयार किया जिस पर

किरन ने अपना हस्ताक्षर बनाकर ले जाकर थाने में दिया। प्रार्थना पत्र थाने में देने के बाद हम लोग किरन के घर आ गये। वहां पर घटनास्थल पर दरोगा जी ने मृतक रामबचन का पंचायतनामा प्रदर्श क2 तैयार किया तथा हम लोगों को पढ़कर सुनाया और उस पर मेरा हस्ताक्षर बनवाये। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।

12. यद्यपि इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु यह प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने झूठा बयान दिया हो। प्रदर्श क1 पत्रावली पर उपलब्ध है जो शशिकान्त द्वारा लिखित है तथा जिस पर पी0डब्लू 1 किरन का हस्ताक्षर है। विदित हो कि यह साक्षी शव के पंचायतनामे का भी साक्षी है तथा पंचायतनामा प्रदर्श क2 भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर शशिकान्त बतौर पंच क्रमांक 5 अंकित है तथा जिस पर उसका हस्ताक्षर भी उपलब्ध है। पंचायतनामा 04.05.13 को ही 12.00 बजे तैयार किया गया है। अतएव प्रदर्श क1 एवं प्रदर्श क2 से साक्षी के बयान का समर्थन होता है तथा इस साक्षी के बयान से पी0डब्लू 1 के बयान का समर्थन होने के कारण अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

13. अभियोजन का तीसरा साक्षी जयमंगल पी0डब्लू 3 है। उसने बयान दिया है कि मृतक रामबचन को मैं जानता हूं। वो मेरे ही गांव के थे। उनकी हत्या 3-4 मई 2013 की रात में हुई थी। हत्या की सूचना पाकर मैं भी उनके घर गया था। वहां पर सी0ओ0 साहब, दरोगा जी तथा पुलिस के लोग मौजूद थे। दरोगा जी ने हम लोगों के समक्ष मृतक रामबचन का पंचायतनामा प्रदर्श क2 तैयार किया तथा पढ़कर सुनाने के बाद हम लोगों के हस्ताक्षर कराये थे। सी0ओ0 साहब ने मेरे व बालकिशुन के सामने घटनास्थल से खून आलूदा कपड़ा लेकर सील मुहर कर फर्द प्रदर्श क3 तैयार किये थे तथा उस पर मेरा हस्ताक्षर कराये थे। मेरे सामने ही सी0ओ0 साहब ने घटनास्थल से सादी मिट्‌टी व खून से सनी मिट्‌टी को अलग-अलग डिब्बे में सील बन्दकर फर्द प्रदर्श क4 तैयार किये थे जिस पर मेरा हस्ताक्षर कराये थे। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।

14. इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि इसने भी स्वयं को पंचायतनामे का साक्षी बताया है था इसके समक्ष ही विवेचक ने घटनास्थल से सादी मिट्‌टी व खून आलूदा मिट्‌टी इकट्‌ठा किया था तथा उसे सील मुहर करने के पश्चात उसकी फर्द

प्रदर्श क4 बनाया था। पत्रावली पर पंचायतनामा प्रदर्श क2 उपलब्ध है जिस पर साक्षी का नाम बतौर पंच अंकित है तथा उस पर उसका हस्ताक्षर भी मौजूद है। फर्द प्रदर्श क4 भी पत्रावली में मौजूद है जिस पर उसका हस्ताक्षर भी उपलब्ध है। फर्द के अनुसार दिनांक 04.05.13 को ही विवेचक श्री बंशीधर मिश्र क्षेत्राधिकारी मधुबन द्वारा घटनास्थल से सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी एकत्र कर दो अलग-अलग डिब्बों में रखकर सील सर्व मुहर किया गया। अतः इस साक्षी के बयान का समर्थन प्रदर्श क2 एवं प्रदर्श क4 से होता है जिससे उसका बयान विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा इस साक्षी के साक्ष्य से पी0डब्लू 1 एवं 2 के साक्ष्यों का समर्थन होता है।

15. अभियोजन का चौथा साक्षी बालकिशुन पी0डब्लू 4 है। उसने बयान दिया है कि दिनांक 04.05.13 को रामबचन की हत्या की खबर सुनकर मैं ग्राम कटघरा शंकर मथई पहुंचा था। मृतक रामबचन की लाश तख्त पर पड़ी थी। थाना मधुबन के दरोगा जी मेरे सामने पंचायतनामा प्रदर्श क2 तैयार किये थे तथा पढ़कर सुनाये थे। मेरे अलावा जयमंगल, सिद्धू, अकालू व शशिकान्त भी पंचायतनामा के गवाह थे। मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर बनाया था। दरोगा जी को मैनें यह राय व्यक्त किया था कि मृतक की मृत्यु शरीर पर आयी चोटों के कारण हुई है। यही राय सभी पंचानों की थी। पंचायतनामा के दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

16. अभियोजन का पांचवा साक्षी अकालू पी0डब्लू 5 है। उसने बयान दिया है कि रामबचन की हत्या लगभग ढाई वर्ष पहले हुई थी। मृतक रामबचन मेरा भतीजा था। मृतक की लाश चारपाई पर पड़ी थी। थाना मधुबन के दरोगा जी आये थे। पंचनामा प्रदर्श क2 मेरे सामने तैयार किये थे और पढ़कर सुनाये थे। उसके बाद मैनें अपना हस्ताक्षर बनाया था। सी0ओ0 साहब मुझसे पूछताछ किये थे।

17. अभियोजन का छठां साक्षी सिद्धू पी0डब्लू 6 है। उसने बयान दिया है कि रामबचन की हत्या हुई थी। उनके दरवाजे मैं गया था। थाना मधुबन के दरोगा जी मेरे सामने मृतक रामबचन का पंचायतनामा प्रदर्श क2 तैयार किये। पंचायतनामा में मैं, अकालू, बालकिशुन व जयमंगल थे। किसी के मारने से रामबचन की मृत्यु हुई थी। पंचायतनामा दरोगा जी पढ़कर सुनाये उसके बाद मैनें अपना हस्ताक्षर बनाया था। सी0ओ0 साहब ने पंचायतनामा के बावत उससे पूछताछ किया था और बयान लिये

थे।

18. पी0डब्लू 4, 5 एवं 6 से भी बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इन साक्षियों का बयान अविश्वसनीय अथवा संदिग्ध प्रतीत हो। ये सभी साक्षी पंचायतनामे के साक्षी हैं। पंचायतनामा प्रदर्श क2 पर इन सभी व्यक्तियों का नाम बतौर पंच अंकित है तथा उस पर उनके हस्ताक्षर भी विद्य मान हैं। अतएव प्रदर्श क2 से इन प्रत्येक साक्षियों के साक्ष्य का समर्थन होता है तथा इन सभी साक्षियों के साक्ष्य से पी0डब्लू 1 एवं 2 के साक्ष्यों का भी समर्थन होता है।

19. अभियोजन ने शव विच्छेदन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में शव विच्छेदन करने वाले डा0 निरंकार सिंह, अपर निदेशक को बतौर पी0डब्लू 7 परीक्षित किया है, जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 04.05.13 को समय 15.45 बजे मृतक रामबचन के शव का पोस्टमार्टम मैनें किया था। मृतक की उम्र करीब 60 वर्ष थी। वाह्य परीक्षण में शरीर में अकड़न मौजूद थी तथा मुंह खुला हुआ था।

<u>एंटीमार्टम इंजरीः–</u> भुका हुआ घाव 2X1X4 सेमी. बायें साइड के गर्दन पर बायें कान के नीचे घाव की मार्जिन शार्प थी। 3X1X4 सेमी. बायें साइड के गर्दन पर 6 सेमी. बायें कान के नीचे। इनसाइड वुन्ड 1X.5 सेमी. चमड़े की गहराई तक बायें साइड के गर्दन पर जो 8 सेमी. बायें कान से नीचे था। फिर इनसाइड वुन्ड 1.5X1 सेमी. बायें गर्दन पर इंजरी नं0 3 से नीचे था। फिर भुका हुआ घाव 1X.5X4 सेमी. बायें गर्दन पर, भुका हुआ घाव 4X2X3 सेमी. चोट नं0 5 के नीचे था। फिर भुका हुआ घाव 4X2X3 सेमी. छअवें इंजरी के नीचे था। फटा हुआ घाव 3X1.50 सेमी. ठूढ़ी के नीचे था। फटा हुआ घाव 1X.5 सेमी. लोवर लीप, भुका हुआ घाव 3X2X4 सेमी. दाहिने साइड के गर्दन पर 6 सेमी. कान के नीचे था। भुका हुआ घाव 6X2X4 सेमी. दाहिने एंगल आफ माउथ, फटा हुआ घाव इनसाइड वुन्ड 3X1 सेमी. अंगूठा और पहली अंगुली के बीच में दाहिने हाथ, फटा हुआ घाव 3X2 सेमी. सामने की तरफ दाहिने हाथ में 6 सेमी. कलाई से ऊपर, फटा हुआ घाव 1X.5 सेमी. दाहिने हथेली में, फटा हुआ घाव 1.50X.5 सेमी. तरजनी अंगुली पर, फटा हुआ घाव 2X.5 सेमी. कानी

अंगुली पर।

<u>आंतरिक परीक्षणः–</u> मस्तिष्क पीला पड़ा हुआ था। श्वास नली दाहिने व बायें साइड दोनों तरफ कटी हुई थी। गर्दन में रक्तवाहिनी भी कटी हुई थी। हृदय बायें साइड खाली था दाहिने तरफ में थोड़ा रक्त था। आमाशय में 200 मिली. के करीब तरल पदार्थ था। छोटी व बड़ी आंत गैस और फोकल से भरी थी। यकृत पीला पड़ा था। किडनी व प्लीहा पीला पड़ा हुआ था। पेशाब की थैली खाली थी। मृतक की मृत्यु हेमरिक शाक मृत्यु के पूर्व आये घाव की वजह से हुई थी जिसका समय 12 से 24 घण्टे के बीच में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। पंचायतनामा प्रदर्श क2, इनक्लोजर नं0 9 प्रदर्श क6, फोटो लाश प्रदर्श क7, पत्र प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क8, पत्र सी0एम0ओ0 प्रदर्श क9 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक किया।

20. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि पोस्टमार्टम के समय शव का मुंह आधा खुला था। आमाशय में 200 मिली. तरल पदार्थ मिला था। छोटी आंत में आंशिक रूप से गैस और मल भरा था। पेशाब की थैली खाली थी। चोटों में कोई रक्तश्राव नहीं था, खून जमा हुआ था आदि–आदि।

21. इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि साक्षी ने शव पर धारदार हथियार अर्थात चाकू जैसे हथियार से कारित चोटें पायी थी तथा मृत्यु का कारण भी उक्त चोटों के फलस्वरूप रक्तश्राव के सदमें से हुई थी। स्मरण रहे कि पी0डब्लू 1 ने भी अपने साक्ष्य में यही बताया है कि जब उसने अपने पति को देखा था तो उसका शरीर खून से लथपथ था तथा उसे चाकू से चोट पहुंचायी गयी थी तथा वहां उर्मिला, वीर बहादुर तथा एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर साक्षी का हस्ताक्षर विद्यमान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मृतक के नाम, वल्दियत, आयु, मृतक के शरीर पर वैसी ही चोटें तथा मृत्यु का वही कारण बताया है जैसा कि साक्षी ने न्यायालय में अपने बयान में बताया है। अतएव पी0डब्लू 1 के प्रत्यक्ष साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है जिससे पी0डब्लू 1 का साक्ष्य पुष्ट हो जाता है।

22. अभियोजन का अगला साक्षी एस0आई0 राजेश कुमार यादव पी0डब्लू 12 है

जिसने बयान दिया है कि दिनांक 04.05.13 को मैं बतौर हेड मोहर्रिर थाना मधुबन में तैनात था। उस दिन समय 04.45 बजे वादिनी मुकदमा श्रीमती किरन एक अदद तहरीर जो शशिकान्त के लेख व हस्ताक्षर में थी तथा जिस पर वादिनी का भी हस्ताक्षर था तथा जिनके साथ जयमंगल भी थे, के आधार पर चिक सं0 82/13, अपराध सं0 260/13, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम विरूद्ध अभियुक्तगण उर्मिला, वीर बहादुर व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था तथा मुकदमें का इन्द्राज उसी दिन समय 04.45 बजे थाने की जी0डी0 में किया था जिसकी चिक प्रदर्श क15 तथा जी0डी0 कायमी की नकल प्रदर्श क16 है।

23. चिक प्रदर्श क15 एवं नकल जी0डी0 प्रदर्श क16 पत्रावली पर उपलब्ध हैं जिस पर साक्षी का हस्ताक्षर विद्यमान है तथा इन पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतएव प्रदर्श क15 एवं प्रदर्श क16 से साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है। साक्षी का बयान एवं प्रदर्श क15 एवं प्रदर्श क16 से यह भली भांति सिद्ध होता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन प्रातः 04.45 बजे ही दर्ज करा दिया गया था। यह भी स्मरण रहे कि घटना रात के लगभग 03.00 बजे की बतायी गयी है तथा मात्र डेढ़ घण्टे के पश्चात ही नामजद रिपोर्ट लिखा देने से तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का वैसा ही उल्लेख होने से, जैसा कि साक्षी पी0डब्लू 1 ने न्यायालय में बताया है, यह स्पष्ट हो जाता है कि वादिनी के पास इतना समय नहीं था कि वह सोच विचार अथवा मंत्रणा कर अभियुक्तों के विरूद्ध मात्र किसी रंजिशवश उन्हें झूठा फंसाने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया हो। पति की हत्या से व्याकुल, दुःखी, हताश, निराश तथा हृदय से टूटी हुई वादिनी से यह कदापि अपेक्षा नहीं है कि वह ऐसी विषम परिस्थिति में अभियुक्तों को फंसाने का षडयंत्र रचेगी अथवा चक्रव्यूह बनायेगी। निश्चय ही ऐसी दुःखी महिला ने जो प्रत्यक्ष रूप से मौके पर देखा उसी का अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुवाद किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता का सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ होता है। उसे उसकी अंतरनिहित विशेषताओं के कारण न तो नकारा जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। वास्तविक हत्यारों को

छोड़कर अनावश्यक ही ऐसी विषम परिस्थिति में किसी निर्दोष के विरूद्ध भला कोई क्यों अपराध में नामजद करेगा। वास्तविक हत्यारे से अनुराग एवं निर्दोष से द्वेष? यह मनुष्य का सामान्य आचरण नहीं होता तथा विधि की यह मान्यता है कि मनुष्य सामान्यतः सामान्य आचरण में ही दिनचर्या करता है।

24. यदि हत्या चाकू से चोट पहुंचाकर की गयी थी तो निश्चय ही हत्या में प्रयुक्त चाकू हत्या का महत्वपूर्ण साक्ष्य है तथा यदि उस चाकू का किसी व्यक्ति को ज्ञान है तो निश्चय ही उस व्यक्ति की हत्या में उस समय तक व्यक्तिगत भागीदारी की उपधारणा किया जायेगा जब तक कि वह स्वयं युक्तिसंगत तथा संतोषजनक रूप से यह सिद्ध न कर दे कि उसे उस चाकू की अन्यथा जानकारी कैसे है। अभियोजन ने उक्त चाकू तथा अभियुक्त को उसकी व्यक्तिगत जानकारी भी होने का दावा किया है तथा उस संबंध में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब न्यायालय को इन साक्ष्यों पर विचार करना है।

25. अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक पंचम यादव पी0डब्लू 9 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 05.05.13 को मैं बतौर उपनिरीक्षक के पद पर थाना मधुबन में तैनात था। उस दिन मैं, थानाध्यक्ष एन.के. ओझा, उपनिरीक्षक एन.पी. सिंह, कां0 भूपेन्द्र सिंह, कां0 प्रदीप यादव, कां0 सभाजीत यादव, सरकारी वाहन चालक हरेन्द्र यादव के साथ वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि नदौर चट्टी पर कहीं जाने के लिये सवारी की तलाश में खड़ा है। एस.ओ. महिला थानाध्यक्ष नगीना राय अपने महिला कांस्टेबल हमराहियों के साथ शहीद इण्टर कालेज के सामने रोड पर मिली। उनको उद्देश्य बताते हुये मय फोर्स नदौर चट्टी पर पहुंचे जहां अभियुक्तगण खड़े थे जिन्हें दबिश देकर प्रातः सात बजे पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम वीर बहादुर तथा दूसरे ने अपना नाम श्रीमती उर्मिला बताया जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों का अनुपालन करते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर पकड़ लिया गया। उर्मिला को थानाध्यक्ष नगीना राय, महिला कांस्टेबल के साथ थाने भेज दिया गया। वीर बहादुर सिंह से आला कत्ल के बावत पूछा गया तो बताया कि आला कत्ल चाकू अम्बेडकर कृष्णा महाविद्यालय में झाड़ी में छिपा कर रखा है, चलकर दिखा सकता

हूं। उसे सरकारी वाहन में बिठाकर महाविद्यालय के पास लाया गया तो पुलिया पर रोकने का इशारा किया और आगे-आगे चलकर महाविद्यालय की झाड़ी से निकालकर चाकू दिया और कहा कि इसी चाकू से मई 2013 को दिनांक 3/4 की रात करीब दो बजे अपने साथी सुरेश व उर्मिला की मौजूदगी में उसके द्वारा टांग पकड़ने पर रामबचन की हत्या की थी। रामबचन की पत्नी को आते देख हम लोग वहां से भाग गये थे और छूरा यहां छिपा दिये थे। उक्त छूरे को निरीक्षण कर समय करीब आठ बजे एक कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामदगी के समय जनता के लोगों से गवाही के लिये कहा गया तो हट बढ़ गये। फर्द प्रदर्श क14 मौके पर लिखकर, पढ़कर, सुनाकर उस पर अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया गया तथा हम लोगों ने भी उस पर अपना हस्ताक्षर किया तथा फर्द की कापी अभियुक्त की दी गयी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

26. यद्यपि साक्षी का उस सीमा तक दिया गया बयान जहां उसने अभियुक्तों की अपराध संस्वीकृति के विषय में बताया है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः उसे पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया जाता है परन्तु जिस सीमा तक उसने चाकू की बरामदगी प्रकट की है तथा चाकू बरामद हुआ है उसको साक्ष्य में ग्राह्य किया जाता है। पत्रावली पर फर्द बरामदगी चाकू प्रदर्श क14 उपलब्ध है जो साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांक 05.05.13 को ही निर्मित है जिस पर मौके के साक्षियों का हस्ताक्षर भी विद्यमान है तथा जिसमें यह अंकित है कि दिनांक 05.05.13 को साक्षी द्वारा अभियुक्तों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर उसके द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्तगण वीर बहादुर व श्रीमती उर्मिला को पकड़ लिया गया तथा हिरासत में लिया गया एवं वीर बहादुर से पूछताछ किया गया जिसके आधार पर उसे कृष्णा अम्बेडकर महाविद्यालय कटघरा शंकर की तरफ झाड़ियों की तरफ ले जाया गया एवं उसकी ही निशानदेही पर एक चाकू बरामद किये जाने का उल्लेख है। अतः प्रदर्श क14 से इस साक्षी के बयान का समर्थन होता है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या इस बरामदगी का कोई अन्य साक्षी भी मौजूद है जिससे उस बरामदगी तथा तत्संबंधी तैयार की गयी प्रदर्श क14 पर विश्वास किया जा सके?

27. अभियोजन ने सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक नन्द कुमार ओझा को बतौर

पी0डब्लू 10 परीक्षित किया है उन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 05.05.13 को मैं बतौर प्रभारी निरीक्षक के पद पर थाना मधुबन में तैनात था। मुकदमा अपराध सं0 260/13 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाम उर्मिला आदि की विवेचना क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री बंशीधर मिश्र द्वारा की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी महोदय के आदेश से वांछित अभियुक्तों की तलाश में दिनांक 05.05.13 को मैं, एस.एस.आई. एन.पी. सिंह, एस.आई. पंचम यादव, कां0 भूपेन्द्र सिंह, कां0 प्रदीप यादव, कां0 सभाजीत यादव, वाहन चालक हरेन्द्र यादव के साथ उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्तों की तलाश में था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त नदौर चट्टी पर कहीं जाने के लिये सवारी के इंतजार में खड़े हैं। शहीद इण्टर कालेज के सामने पहले से एस.ओ. महिला थाना नगीना राय अपने हमराहियों के साथ खड़ी थी। उन्हें कारण बताकर अपने साथ लेकर नदौर चट्टी पर पहुंचकर नदौर चट्टी पर खड़े अभियुक्तगण को सुबह सात बजे पकड़ लिया गया। नाम पूछने पर एक ने अपना नाम वीर बहादुर तथा दूसरे ने अपना नाम श्रीमती उर्मिला बताया। उन्हें कारण गिरफ्तारी बताकर प्रदत्त प्राविधानों का अनुपालन करते हुये अभियुक्त वीर बहादुर को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्ता उर्मिला को एस0ओ0 महिला थाना श्रीमती नगीना राय की हिरासत में देकर थाने भेजा गया। अभियुक्त वीर बहादुर से आला कत्ल के बावत पूछा गया तो बताया कि आला कत्ल चाकू अम्बेडकर महाविद्यालय के पूरब तरफ झाड़ी में छिपा कर रखा हूं चलकर दिखा सकता हूं। अभियुक्त को लेकर कृष्णा महाविद्यालय के पास आये तो पुलिया पर रोकने का इशारा किया और आगे-आगे चलकर महाविद्यालय के पूर्वी किनारे पर स्थित झाड़ियों से निकालकर एक अदद चाकू दिया और कहा कि इसी चाकू से मैनें दिनांक 03/04.05.13 की रात करीब दो बजे सुरेश व उर्मिला की मौजूदगी में उसके द्वारा टांग पकड़ने पर रामबचन की हत्या की थी। रामबचन की पत्नी के अचानक आ जाने पर हम लोग हत्या कर भाग गये थे और चाकू यहां छिपा दिये थे। उक्त चाकू का निरीक्षण कर मौके पर ही एक सफेद कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा मौके पर ही फर्द प्रदर्श क14 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार

किया। बरामदगी के समय जनता के लोगों से गवाही के लिये कहा गया तो हट बढ़ गये। फर्द पर अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया गया तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त की दी गयी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

28. इस साक्षी ने अभियुक्तगण वीर बहादुर तथा उर्मिला की उपस्थिति की सूचना मिलने के समय से तथा चाकू बरामदगी एवं फर्द रचना तक की पूरी घटना का वर्णन उसी प्रकार किया है जिस प्रकार से पी0डब्लू 9 ने किया है तथा इस साक्षी का हस्ताक्षर भी फर्द बरामदगी चाकू प्रदर्श क14 पर विद्यमान है। स्वयं अभियुक्त वीर बहादुर का भी हस्ताक्षर फर्द बरामदगी पर विद्यमान है। फर्द बरामदगी पर अभियुक्त वीर बहादुर का हस्ताक्षर कैसे आ गया इसका कोई कारण अथवा कोई साक्ष्य वीर बहादुर द्वारा नहीं दिया गया है। अतएव फर्द प्रदर्श क14 से पी0डब्लू 10 के बयान को समर्थन मिलता है तथा पी0डब्लू 10 के बयान से पी0डब्लू 9 के बयान को समर्थन मिलता है जिससे उन दोनों के बयानों में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है।

29. अभियोजन का अगला साक्षी हेड कां0 भूपेन्द्र सिंह पी0डब्लू 11 हैं जिसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 05.05.13 को मैं बतौर कांस्टेबल थाना मधुबन में तैनात था। उस दिन मैं इंस्पेक्टर एन.के. ओझा का हमराही था और वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि अपराध सं0 260/13 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम थाना मधुबन से संबंधित अभियुक्त नन्दौर चट्टी पर कहीं जाने के लिये सवारी के इंतजार में खड़ा है, जल्दी करने पर पकड़ा जा सकता है। उसी समय महिला थाना कोतवाली नगीना राय अपने हमराहियों के साथ शहीद इण्टर कालेज के सामने मिली। उनको साथ लेकर मकसद बताकर नन्दौर चट्टी के पास प्रभारी निरीक्षक एन.के. ओझा के साथ पहुंचकर नदौर चट्टी पर खड़े अभियुक्तगण को सुबह सात बजे दबिश देकर पकड़ लिया गया। नाम पूछने पर एक ने अपना नाम वीर बहादुर तथा दूसरे ने अपना नाम श्रीमती उर्मिला बताया। महिला थानाध्यक्ष नगीना राय ने अभियुक्ता उर्मिला को और प्रभारी निरीक्षक एन.के. ओझा ने अभियुक्त वीर बहादुर को हिरासत में लिया। प्रभारी निरीक्षक एन.के. ओझा द्वारा वीर बहादुर से पूछताछ करने पर वीर बहादुर ने बताया कि मैं, उर्मिला व एक व्यक्ति ने मिलकर घटना कारित

किया हूं और घटना से संबंधित आला कत्ल चाकू अम्बेडकर नगर महाविद्यालय के पूरब तरफ झाड़ी में छिपा कर रखा हूं, चलकर दे सकता हूं। अभियुक्त को उसके बताये गये स्थान पर ले जाया गया जहां महाविद्यालय के पूर्वी किनारे से झाड़ी से निकालकर एक अदद चाकू दिया और कहा कि इसी चाकू से मैनें 03 मई 2013 की रात दो बजे अपने साथी सुरेश ओझा व उर्मिला की मौजूदगी में उसके द्वारा टांग पकड़ने पर रामबचन की हत्या की थी। रामबचन की पत्नी के अचानक आ जाने पर हम लोग भाग गये थे और चाकू यहां छिपा दिये थे। अभियुक्त वीर बहादुर की निशानदेही पर बरामद आला कत्ल न्यायालय के समक्ष खोला गया जिसे देखकर गवाह ने बताया कि यही चाकू अभियुक्त वीर बहादुर ने बरामद कराया था जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया। चाकू पर खून लगा हुआ था। मौके पर मौजूद एस.एस.आई. एन. पी. सिंह द्वारा उक्त चाकू को एक सफेद कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामदगी के समय जनता के लोगों से गवाही के लिये कहा गया तो हट बढ़ गये। मौके पर ही फर्द बरामदगी एक अदद आला कत्ल चाकू व गिरफ्तारी अभियुक्तगण प्रदर्श क14 निरीक्षक एन.के. ओझा ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। फर्द पर हमराहियान व अभियुक्त का हस्ताक्षर बनवाया गया। मैनें भी फर्द पर अपना हस्ताक्षर बनाया था तथा फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी। विवेचक द्वारा निरीक्षक को इस मामले से संबंधित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु हुकुम तहरीरी दिया गया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

30. इस साक्षी ने भी स्वयं को पी0डब्लू 9 एवं 10 के संग उस समय होना बताया है जबकि उन्हें अभियुक्तों की उपस्थिति के विषय में सूचना मिली तथा उसके पश्चात उन्होनें किस प्रकार आगे कार्यवाही किया तथा किस प्रकार अभियुक्त वीर बहादुर की निशानदेही पर चाकू बरामद कर उसको सील मुहर किया तथा उसकी फर्द प्रदर्श क14 बनाया। फर्द प्रदर्श क14 पर इस साक्षी का भी हस्ताक्षर विद्यमान है। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से पी0डब्लू 9 एवं 10 का साक्ष्य पुष्ट होता है।

31. अभियोजन द्वारा प्रकरण की विवेचना सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक बंशीधर मिश्रा द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 04.05.13 को मुकदमा अपराध सं0

260/13 धारा 302 भा0द0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम थाना मधुबन जनपद मऊ की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया। वादिनी किरन एवं तहरीर लेखक शशिकान्त का बयान अंकित किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क10 तैयार किया तथा घटनास्थल से खून आलूदा कपड़े, खून आलूदा व सादी मिट्टी कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर अलग-अलग फर्द तैयार किया गया जो प्रदर्श क3 एवं प्रदर्श क4 है। समई साक्षीगण का बयान अंकित किया गया। दिनांक 05.05.13 को अभियुक्त वीर बहादुर व अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला की गिरफ्तारी व आला कत्ल की बरामदगी की सूचना प्राप्त होने पर थाने पहुंचकर फर्द बरामदगी की नकल केस डायरी में किया तथा अभियुक्त वीर बहादुर व अभियुक्ता उर्मिला का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण द्वारा इकरार जुर्म करने के कारण धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के कलमबंद बयान हेतु आवेदन किया गया। दिनांक 10.05.13 को पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अंकन केस डायरी में किया व पंचायतनामा के गवाहान का बयान अंकित किया। गवाह एस.एच.ओ. नन्द कुमार ओझा, एस.एस.आई. नरेन्द्र प्रताप सिंह, एस.आई. पंचम यादव का बयान अंकित किया। फर्द के गवाहान का बयान अंकित किया। आला कत्ल बरामदगी का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क11 तैयार किया गया। गवाहों का बयान अंकित किया। दिनांक 26.05.13 को अभियुक्त सुरेश राजभर के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की सूचना प्राप्त होने के तथ्य का अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 31.05.13 को कारागार में निरूद्ध अभियुक्त सुरेश राजभर का बयान अंकित किया तथा विवेचना पूरी कर अभियुक्तगण के विरूद्ध संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र प्रदर्श क13 न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्ता उर्मिला के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का अपराध सिद्ध न होने के कारण माननीय न्यायालय को उससे अवगत कराया गया। खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी व मृतक के खून आलूदा कपड़े विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया था जो डाकेट प्रदर्श क12 है। विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो कागज सं0 47क पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें यह अंकित

है कि इस मामले से संबंधित डाकेट के माध्यम से प्रेषित अंडरवियर, बनियान, चद्दर, तकिया कवर, अंगूठी, छल्ला, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, चाकू प्रयोगशाला में उपलब्ध कराया गया है तथा वस्तु 1 से 3 तथा 6 से 10 अर्थात बनियान, अंडरवियर, कलावा, चद्दर, लुंगी, तकिया कवर, चाकू एवं खून आलूदा मिट्टी पर मानव रक्त पाया गया था।

32. यद्यपि इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि इस साक्षी ने मामले की विवेचना न किया हो। साक्षी द्वारा निर्मित फर्द प्रदर्श क4, नक्शा नजरी प्रदर्श क10, आला कत्ल बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क11, आरोप पत्र प्रदर्श क13 उपलब्ध है तथा कहने की आवश्यकता नहीं है कि समस्त केस डायरी जिसमें दौरान विवेचना विवेचक द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही एवं समस्त साक्षियों के अंकित बयान प्रदर्शित हैं, से साक्षी के बयान का समर्थन होता है तथा यह निष्कर्ष निकलता है कि विवेचना उपरांत साक्षी ने अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया है।

33. प्रत्येक साक्ष्य के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने सभी साक्षियों के बयानों को झूठा एवं गलत दिया जाना तथा अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलाया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होना तथा गलत तरीके से फंसाया जाना बताया गया है। अभियुक्ता उर्मिला ने यह कथन किया है कि उसके पति हीरो साइकिल लुधियान की फैक्ट्री में काम करते थे जहां बीमार पड़ने से उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गयी थी। जैसा कि सभी अभियुक्तों ने सभी साक्षियों के बयानों को सरीही झूठा तथा गलत बताया है, अतः इससे यह इंगित होता है कि उनके उत्तर स्टीरियो टाईप उत्तर हैं क्योंकि यदि वास्तव में वादिनी के पति की हत्या चाकू से चोट पहुंचाकर की गयी थी तो निश्चय ही उसके शव का पंचायतनामा भी बनाया गया था जिसके पी0डब्लू 2 ता 6 साक्षी थे परन्तु उनके बयानों को भी गलत एवं झूठा बता दिया गया है। यहां तक कि पोस्टमार्टमकर्ता डाक्टर पी0डब्लू 7 के बयान को भी गलत बताया गया है। भला पोस्टमार्टमकर्ता शव पर विद्यमान चोटों के विषय में क्यों झूठा साक्ष्य देंगे। विवेचक से

कोई रंजिश अथवा द्वेष न होने के बावजूद वह भला क्यों झूठा साक्ष्य देंगे। अतएव समस्त अभियोजन साक्ष्यों को मात्र सरसरी तौर पर नकार देना यह स्थापित करता है कि अभियोजन साक्ष्यों के विषय में न तो अभियुक्तों की कोई व्याख्या है और न ही उसका कोई उत्तर और निश्चित ही न ही कोई खण्डन। चूंकि अभियुक्तगण पर गंभीर आरोप है अतएव स्वाभाविक रूप से वे साक्ष्यों को स्वीकार तो नहीं कर सकते। अतः उसको झूठा बताना उनकी विवशता एवं हताशा है।

34. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पी0डब्लू 1 ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि उसने अभियुक्तों द्वारा उसके पति को चाकू से मारते देखा है तथा यह कि अभियोजन ने पी0डब्लू 1 के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को पी0डब्लू 1 के साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः मात्र पी0डब्लू 1 के साक्ष्य से घटना कदापि सिद्ध नहीं होती परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि यदि घटना ऐसे समय व स्थान पर कारित हो जहां कोई अन्य दूसरा साक्षी उपलब्ध ही नहीं था तो ऐसे दूसरे साक्षी की अपेक्षा भी कैसे किया जा सकता है और यदि अभियोजन द्वारा ऐसे समय तथा स्थान पर घटना को कोई दूसरा साक्षी प्रस्तुत भी किया जाये तो वह निश्चय ही ''प्लांटेड'' साक्षी होगा जो अभियोजन कथानक के लिये आत्मघाती होगा। बचाव पक्ष द्वारा न्यायालय का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित किया गया है कि पी0डब्लू 1 के अनुसार जब वह मौके पर पहुंची तो उसके साथ उसकी बहन की लड़की भी थी, अतः उसे प्रस्तुत किया जा सकता था परन्तु उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि वह लड़की ''बच्ची'' थी, अतः उसकी कम अवस्था तथा नासमझी के दृष्टिगत उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि पी0डब्लू 1 ने यह नहीं बताया है कि उसने अभियुक्तों को अपने पति पर चाकू से प्रहार करते देखा है परन्तु यदि उसने चाकू से घायल अपने पति की चारपाई के पास अभियुक्तों का मौजूद होना तथा उसे देखते ही पलायन कर जाना यह सिद्ध करता है कि घटना उन्होनें ही कारित किया था जिसका कि साक्षी ने स्वाभाविक साक्ष्य दिया है न कि झूठा। यदि उसे वास्तव में झूठ बोलना ही होता तो वह यह कह भी सकती थी कि अभियुक्तों को उसने प्रहार करते देखा है परन्तु उसने ऐसा नहीं कहा है जो उसके साक्ष्य की स्वाभाविकता एवं सत्यता को प्रकट करता है।

35. स्मरण रहे कि अभियोजन साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि अभियुक्त वीर बहादुर की निशानदेही पर एक चाकू बरामद हुआ है जिसे विवेचक पी0डब्लू 8 द्वारा शव पर से प्राप्त मृतक के कपड़ों बनियान, अंडरवियर, कलावा तथा चद्दर, लुंगी, तकिया कवर, अंगूठी एवं छल्ला मय खून आलूदा मिट्टी जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है जिसकी रिपोर्ट कागज सं0 47क पत्रावली पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के अनुसार बनियान, अंडरवियर, कलावा, चद्दर, लुंगी, तकिया कवर, खून आलूदा मिट्टी तथा चाकू पर मानव रक्त पाया गया था। अतएव यदि वह चाकू जिस पर मानव रक्त पाया गया था अभियुक्त वीर बहादुर की निशानदेही पर बरामद किया गया है, की जानकारी वीर बहादुर को थी तो यह उसके विरूद्ध अपराध में संलिप्तता का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। भला उसे उक्त मानव रक्तरंजित चाकू का ज्ञान कैसे हुआ इसकी संतोषजनक व्याख्या उसी से ही आपेक्षित थी जिस पर वह मौन है, अतः उसकी यह मौनता वास्तव में उसकी यह घोषणा है कि वही सह हत्यारा है। अतः मानव रक्तरंजित चाकू की बरामदगी से पी0डब्लू 1 के बयान को भरपूर समर्थन प्राप्त होता है तथा यह कदापि तर्क नहीं दिया जा सकता कि पी0डब्लू 1 एकमात्र साक्षी के साक्ष्य का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होता।

36. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि पी0डब्लू 1 ने अभियुक्त सुरेश राजभर के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी है बल्कि उसने मात्र यह बताया है कि घटनास्थल पर एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात न तो उसे पुलिस द्वारा बापरदा रखा गया है और न ही विधिवत साक्षी से उसकी आईडेंटीफिकेशन परेड करायी गयी है बल्कि सर्वप्रथम अभियुक्त की पहचान पी0डब्लू 1 से मात्र न्यायालय में करा दी गयी है तथा उस साक्षी से यह भी पूछने का प्रयास नहीं किया गया है कि यदि वह प्रारंभ से ही उसे जानती पहचानती नहीं थी तो कालांतर में उसका नाम उसे कैसे ज्ञात हुआ जिसे वह नाम से आलिप्त कर रही है। क्या उसने उसकी आज्ञप्तता के विषय में किसी अन्य श्रोत से जानकारी प्राप्त किया? बचाव पक्ष के इस तर्क में पर्याप्त बल है क्योंकि निश्चित ही पी0डब्लू 1 ने सुरेश राजभर के विरूद्ध न तो नामजद रिपोर्ट किया है और न ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के पश्चात उसे बापरदा रखा गया और न ही उसकी आईडेंटिफिकेशन

परेड करायी गयी बल्कि मात्र साक्षियों के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान के आधार पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया परन्तु जिन्होनें घटना में उसकी पहचान बतायी थी उनको न तो साक्षी बनाया गया और न ही उन्हें प्रस्तुत किया गया। अतएव विवेचक ने किस आधार पर सुरेश राजभर को अभियुक्त बना दिया है यह स्पष्ट तथा संतोषजनक नहीं है। यह भी सत्य है कि पी0डब्लू 1 ने सर्वप्रथम अपने बयान के समय न्यायालय में उसकी पहचान किया है जबकि उससे पूर्व, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है उसे बापरदा नहीं रखा गया है। अतएव अभियुक्त सुरेश राजभर के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कदापि संतोषजनक नहीं है जिससे युक्तियुक्त संदेह से परे घटना में उसकी संलिप्तता सिद्ध नहीं होती परन्तु जहां तक अन्य दो अभियुक्तों अर्थात वीर बहादुर एवं उर्मिला की घटना में संलिप्तता का प्रश्न है तो अभियोजन ने अपने उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि वीर बहादुर तथा उर्मिला ने रामबचन की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया तथा चाकू से उस पर प्रहार कर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिये। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अभियोजन इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है कि अभियुक्तों ने रामबचन की हत्या इस आधार पर कर दिया है कि मृतक रामबचन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य था तथा वह उक्त हत्या कदापि नहीं करते यदि मृतक रामबचन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का न होता। अतएव अभियुक्तगण वीर बहादुर राजभर व श्रीमती उर्मिला को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा अभियुक्त वीर बहादुर राजभर को धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के आरोप से तथा अभियुक्त सुरेश राजभर को सभी धाराओं अर्थात धारा 302/34 भा0द0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

37. दोषी वीर बहादुर राजभर पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। वह न्यायिक अभिरक्षा में बना रहेगा। दोषी श्रीमती उर्मिला न्यायालय में उपस्थित है। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

38. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 19.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

दिनांक 24.09.2018
पुनश्च

39. दोषीगण वीर बहादुर राजभर व उर्मिला मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

40. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

41. दोषीगण का कथन है कि उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है जबकि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषीगण में से उर्मिला महिला है जो वृद्ध है। उनके पीछे उनका परिवार है जिनके पालन पोषण का दायित्व उन पर है। वे न्यायालय को विश्वास दिलाते हैं कि वे सदा सदाचार बनाकर गांव में जीवन यापन करेंगे। अतः उन्हें कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये, जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा चुका है। दोषीगण द्वारा चाकू से घोंपकर एक व्यक्ति की हत्या किया गया है। अतएव दोषीगण को अधिकतम दण्ड अर्थात मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाये।

42. दोषीगण को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अपराध का दोषी पाया गया है जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है। दोषीगण द्वारा रामबचन की हत्या करने का सामान्य आशय बनाकर चाकू से उस पर हमला कर उसकी हत्या कारित किया गया है। तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यदि मामला विरलों में से विरलतम कोटि का पाया जाता है तो दोषी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना विधिसंगत होता है अन्यथा नहीं। इस मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामला विरलों में से विरलतम कोटि का नहीं पाया जाता है। अतएव दोषीगण को अधिकतम दण्ड अर्थात मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः दोषीगण को आजीवन कारावास के दण्ड से एवं एक ऐसी धनराशि के अर्थदण्ड से जिसमें से एक उचित अंश मृतक रामबचन के निकटतम वारिसों को बतौर क्षतिपूर्ति भी दिलायी जा सके, से दण्डित करना विधिसंगत एवं न्यायसंगत होगा।

आदेश

43. दोषीगण वीर बहादुर राजभर व उर्मिला, प्रत्येक को धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से एवं चालीस-चालीस हजार रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर संबंधित दोषी 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगेगा।

44. दोषीगण से वसूले गये अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक रामबचन के उत्तराधिकारियों को बराबर-बराबर अंश में बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा, जिसका भुगतान उन्हें अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

45. दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

46. तदानुसार दोषीगण का दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ दोषीगण को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

47. दोषीगण को निर्णय की एक-एक प्रति निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

48. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 24.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

49. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 24.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 2, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 63 सन् 2004

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. बांके यादव पुत्र अलगू यादव **(मृतक)**
साकिन- सिहुलिया, थाना- मधुबन,
जनपद-मऊ।
2. रामाश्रय पुत्र बब्बन यादव
साकिन- परसिया जयरामपुर, थाना- मधुबन,
जनपद- मऊ।
3. राधेश्याम सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह
4. अजीत सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र राधेश्याम सिंह
साकिनान- रामपुर बुजुर्ग, थाना- सलेमपुर,
जनपद- देवरिया।
5. अमरजीत यादव पुत्र रामप्रीत यादव
साकिन- मानपुर दुबारी, थाना- मधुबन,
जनपद-मऊ।
6. सियाराम पुत्र रमाशंकर
साकिन- चैनपुर गुलौरा, थाना- उभांव,
जनपद- बलिया।
मुकदमा अपराध सं0 297/2002
अंतर्गत धारा 147,148,302/149,201,
120-बी भा0द0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित
जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम,
थाना- मधुबन, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण बांके यादव, रामाश्रय, राधेश्याम सिंह, अजीत सिंह उर्फ पिन्टू व अमरजीत यादव का विचारण धारा 148,302/149,201 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत तथा अभियुक्तगण रामाश्रय, राधेश्याम सिंह, अजीत सिंह उर्फ पिन्टू, अमरजीत यादव व सियाराम का विचारण धारा 147 भा0द0वि0 के अंतर्गत तथा अभियुक्त सियाराम का विचारण धारा 120-बी भा0द0वि0 के अंतर्गत भी दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने विभूति हरिजन जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा वादी मुकदमा बाबूराम के छोटे भाई परशुराम मौर्य, का वध करने का षडयंत्र रचा जिसके क्रियान्वयन के लिए घातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव किये, बलवा किये, परशुराम मौर्य व विभूति हरिजन की हत्या किये, हत्या के साक्ष्य का विलोप किये, वादी की बन्दूक चोरी किये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 16.07.02 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता बाबूराम मौर्य ने थानाध्यक्ष, मधुबन मऊ के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *उसके भाई परशुराम मौर्य प्रा0इ0का0 में पी0टी0आई0 के पद पर कार्यरत थे। घर से स्कूल आया जाया करते थे। आज दिनांक 16.07.02 को घर से स्कूल गये थे और बाजार से अन्य कार्य निपटाने के बाद कुछ राजनीतिज्ञ कार्य किया करते थे। उसके भाई परशुराम से बांके यादव व रामाश्रय से पुरानी रंजिश चली आ रही थी कि आज समय करीब 03.40 बजे शाम उसके भाई परशुराम अपनी नई राजदूत मोटर साइकिल पर विभूति हरिजन को पीछे बैठाकर घर आ रहे थे। वह तथा उसका भतीजा राजेश मौर्य दूसरी मोटरसाइकिल से उसकी एक नाली बंदूक लेकर पीछे-पीछे चल रहे थे। जैसे ही ग्राम गगउपुर पहुंचे तो पीछे से जीप नं0 यू0पी0 52एफ 0154 तेजी से उन्हें क्रास करते हुये उसके भाई परशुराम की मोटरसाइकिल में धक्का मारकर घसीटते हुये कुछ दूर तक ले गयी। उसके भाई व विभूति छिटककर सड़क किनारे गिर गये। जीप से चार बदमाश उतरकर उसके भाई व विभूति की गोली मारकर हत्या कर दिये। वह और उसका भतीजा राजेश जो पीछे-पीछे चल रहे थे, बांके यादव व रामाश्रय यादव व उनके द्वारा बुलाये गये भाड़े के हत्यारों को हत्या करते देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर भागे कि ठोकर लगने से उसकी लाईसेंसी बन्दूक गिर गयी। बदमाश जाते समय उसकी बन्दूक उठा ले गये। फायर की आवाज सुनकर जनता में दहशत फैल गयी और घटना को गिरते परते तमाम लोगों ने देखा। खेतों में काम करने वाले बदहवास होकर अपने घरों की तरफ भागे। आवागमन बन्द हो गया। उसके भाई परशुराम व विभूति की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। लाश पड़ी है।* अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज

कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना मधुबन में अभियुक्तगण बांके यादव, रामाश्रय व भाड़े के हत्यारे नाम पता अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 297/02 अंतर्गत धारा 147,148,149,302,379 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक एवं नकल रपट प्राप्त किया एवं उसका इन्द्राज केस डायरी में किया। मृतक परशुराम व विभूति का पंचायतनामा प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। वादी का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। चश्मदीद साक्षियों का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया। पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण बांके यादव, रामाश्रय, राधेश्याम सिंह, अजीत सिंह उर्फ पिन्टू, प्रेमचन्द्र कुशवाहा, भानू प्रताप यादव, अमरजीत यादव व सियाराम के विरूद्ध धारा 147,148,149,302,379,411,201,120-बी भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का प्रसंज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु विशेष न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण बांके यादव, रामाश्रय, राधेश्याम सिंह, अजीत सिंह उर्फ पिन्टू, प्रेमचन्द्र कुशवाहा, भानू प्रताप यादव व अमरजीत यादव के विरूद्ध धारा 148,302/149,201 भा0दं0वि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत, अभियुक्तगण बांके यादव, रामाश्रय, राधेश्याम सिंह, अजीत सिंह उर्फ पिन्टू, प्रेमचन्द्र कुशवाहा, भानू प्रताप यादव, अमरजीत यादव व सियाराम के विरूद्ध धारा 147 भा0द0वि0 के अंतर्गत, अभियुक्त बांके यादव के विरूद्ध धारा 379,411 भा0द0वि0 के अंतर्गत तथा अभियुक्त सियाराम के विरूद्ध धारा 120-बी

भा0द0वि0 के अंतर्गत पृथक-पृथक आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया। दौरान विचारण अभियुक्तगण बांके यादव, प्रेमचन्द्र कुशवाहा व भानु प्रताप यादव की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 26.10.07, 30.10.07 व 18.01.08, क्रमशः को उनके विरूद्ध कार्यवाही उपशमित कर दी गयी।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादी मुकदमा बाबूराम मौर्य, हंसनाथ यादव, हरिश्चन्द, मुन्ना राजभर, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 4 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा बचाव पक्ष द्वारा पुलिस प्रपत्रों के साथ प्रेषित अभिलेखीय साक्ष्यों चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट, पंचायतनामा, चालान नाश, फोटोनाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल का नक्शा नजरी, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण, प्रदर्श क2 ता प्रदर्श क18 क्रमशः की मौलिकता को स्वीकार कर लिया है तथा अभियोजन को उसको सिद्ध करने की औपचारिकता से मुक्त कर दिया है। विद्वान एस0पी0ओ0 द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि उन्होनें अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है, अतः अभियुक्तगण को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताये हैं। अपने विरूद्ध रंजिशन गवाही देना बताये हैं तथा अपने विरूद्ध गलत तरीके से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया जाना बताये हैं तथा कथन किये हैं कि वे निर्दोष हैं। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है बचाव पक्ष द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की मौलिकता को स्वीकार कर लिया गया है जो प्रदर्श क2 है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 16.07.02 को 16.10 बजे

बाबूराम मौर्या द्वारा बांकेलाल यादव, रामाश्रय एवं कुछ भाड़े के बदमाशों के विरूद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। विदित हो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही घ टना 03.40 बजे की बतायी गयी है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट 04.10 बजे उसी दिन अंकित करा दी गयी है अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज करायी गयी है। बचाव पक्ष द्वारा जी0डी0 की भी मौलिकता स्वीकार की गयी है जो प्रदर्श क6 पत्रावली पर उपलब्ध है। घटना की जी0डी0 बतौर रपट नं0 15 प्रदर्श क6 समय 16.10 बजे दिनांक 16.07.02 में भी इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लेख है। अतः जी0डी0 से भी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन होता है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी बाबूराम मौर्या द्वारा घटना वाले दिन ही घटना की तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज करा दिया गया है। बचाव पक्ष ने नकल रपट नं0 35 की जी0डी0 प्रदर्श क3 की भी मौलिकता को स्वीकार किया है जो इस आशय की है कि वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के आधार पर उक्त चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर अंकित की गयी। बचाव पक्ष द्वारा विभूति हरिजन एवं परशुराम मौर्य के पंचायतनामों क्रमशः प्रदर्श क10ए एवं प्रदर्श क10बी की मौलिकता को स्वीकार किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 16.07.02 को पंचों की उपस्थिति में विभूति हरिजन एवं परशुराम मौर्य के शवों का पंचायतनामा विवेचक द्वारा तैयार किया गया था। दूसरे शब्दों में विभूति हरिजन एवं परशुराम मौर्य के शवों का दिनांक 16.07.02 को पंचायतनामा किया जाना निर्विवादित है। बचाव पक्ष द्वारा चालान लाश, फोटो लाश, वास्ते किये जाने पोस्टमार्टम क्रमशः प्रदर्श क11 ता प्रदर्श क14 की भी मौलिकता को स्वीकार किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 16.07.02 को ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु विवेचक द्वारा प्रेषित भी किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क15ए एवं प्रदर्श क15बी की मौलिकता को भी स्वीकार किया गया है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बचाव पक्ष को यह स्वीकार है कि परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन का पोस्टमार्टम दिनांक 17.07.02 को किया गया था जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क15ए एवं प्रदर्श क15बी है। चूंकि बचाव पक्ष द्वारा दोनों ही शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सिद्ध करने की आवश्यकता से अभियोजन को

मुक्त कर दिया था। अतएव अभियोजन द्वारा उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्टों को पोस्टमार्टमकर्ता डाक्टर द्वारा न्यायालय में सिद्ध नहीं कराया गया। परशुराम मौर्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क15ए में परशुराम मौर्य के शव पर विद्यमान चोटों का उल्लेख एवं मृत्यु का कारण अंकित है जिसके अनुसार परशुराम मौर्य के शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें विद्यमान थीः-

1. Firearm wound of entry 2x2 cm. x brain cavity deep on the back of head, 15 cm. away from right ear. Margins inverted, blackening present around the wound.

2. Firearm wound of exit 7x2 cm. x brain cavity deep on the forehead, 1 cm. above the left eyebrow. Wound no. 1 is communicating with wound no. 2.

3. Firearm wound of entry 2x2 cm. x brain cavity deep on the temporal region, 3 cm. medial to right ear. Margins inverted, blackening present around the wound.

4. Firearm injury of exit 2x3 cm. on the temporal region 1 cm. lateral to left eye. Wound no. 3 is communicating to wound no. 4.

5. Abrasion 5x3 cm. on the right side of nose.

6. Lacerated wound 8x5 cm. x muscle deep on the left ear.

7. Multiple infracted contusion in the area of 44x10 cm. on the left arm. Underlying humorous bone fractured.

8. Abrasion sign 3x7 cm. on the right hand.

9. Laceration 10x3x1 cm. x muscle deep on the left thigh.

10. Multiple abbreviated contusion in the skin 52x10 cm. on the left knee joint and lower thigh.

11. Abrasion 14x7 cm. on the right knee joint.

12. Abrasion 11x6 cm. on the right thigh 20 cm. above knee joint.

13. Firearm wound of entry 2x2 cm. x chest cavity deep on the right side of chest, 7 cm. below the superior border of right scapula.

14. Multiple abbreviated contusion in the area 44x26 cm. on the

back.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि– ''Recovered small pellet (20) from the body and handed over to the constable concerned in the sealed cover to handover S.P. Mau.''

मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों से उत्पन्न सदमा एवं रक्तश्राव है। इसी प्रकार विभूति हरिजन के शव पर निम्नलिखित चोटें विद्यमान थीः–

1. Firearm wound of entry 2x2 cm. x brain cavity deep on the left forehead just above the left eyebrow. Blackening present around the wound.

2. Firearm wound of exit on 9x7 cm. on the back of head 8 cm. behind the left ear. Brain matter coming out of the wound. Wound no. 1 is communicating injury no. 2.

3. Abbreviated contusion 7x4 on the left side of the face 1 cm. below the left eye.

4. Abrasion 10x10 cm. on the left elbow.

5. Abrasion 9x4 cm. on the left knee.

6. Abrasion 7x3 cm. on the right thigh.

7. Contusion 4x3 cm. on the right knee.

8. Abrasion 3x2 cm. dorrsome on the right hand.

मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों से उत्पन्न सदमा अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अतएव पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भली भांति यह निष्कर्ष निकलता है कि परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन की दिनांक 16.07.02 को गोली लगने से मृत्यु कारित हुई थी। अब न्यायालय को यह विचार करना है कि उक्त हत्या किसने किया?

8. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं वादी मुकदमा बाबूराम मौर्य पी0डब्लू 1 है जिसने अपने बयान में बताया है कि मेरे छोटे भाई परशुराम मौर्य, सईद इण्टर कालेज मधुबन में अध्यापन का कार्य करते थे तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस साल नत्थूपुर विधान सभा से भाजपा के टिकट पर विधान सभा का चुनाव लड़े थे। स्कूल में अध्यापन के बाद राजनीतिक कार्य में भी व्यस्त रहते थे। घटना दिनांक

16.07.02 की करीब 03.40 बजे दिन की है। मेरे भाई स्कूल पढ़ाने गये। वहां से बाजार गये और बाजार से वापस मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। उनके साथ मोटरसाइकिल पर विभूति हरिजन पीछे बैठे थे। मैं भी मोटरसाइकिल से अपने भतीजे राजेश मौर्य के साथ पीछे-पीछे आ रहा था। मेरे पास मेरी लाईसेन्सी एक नाल की बंदूक थी। जब मेरे भाई ग्राम गगउपुर के पास पहुंचे तो पीछे से जीप आयी और हम लोगों को क्रास करके परशुराम के मोटरसाइकिल में धक्का मारकर घसीटते हुये मोटरसाइकिल को थोड़ी दूर ले गयी। मोटरसाइकिल से मेरे भाई परशुराम और विभूति गिर गये। तब बांके यादव, रामाश्रय यादव, भानू व सियाराम जीप से उतरकर परशुराम व विभूति की गोली मारकर हत्या कर दिये। गोली मारते देखकर हम लोग घ ाबड़ा गये तथा राजेश ने ब्रेक मारा तो मैं गिर गया और मेरी बन्दूक भी गिर गयी। डर के कारण हम लोग थोड़ी दूर पर खड़े हो गये। मुल्जिमान मेरे भाई व विभूति की हत्या करने के बाद मेरी बन्दूक को भी उठाकर लेकर चले गये। घटना को देखकर आस पास के लोग डरकर भाग गये तथा आवागमन रूक गया। मैनें घटना की रिपोर्ट प्रदर्श क1 अपने भतीजे राजेश मौर्य को बोलकर, लिखवाकर तथा उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया। रामाश्रय व बांके से हम लोगों की पहले से रंजिश थी। मेरी बन्दूक को बाद में पुलिस ने बरामद किया था जो मुझे मिल गयी थी। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था तथा घटनास्थल का निरीक्षण किये थे।

9. विदित हो कि इस साक्षी का यह मुख्य परीक्षण दिनांक 18.10.10 को पूर्ण किया गया। उस तिथि को बचाव पक्ष को साक्षी से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया परन्तु बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। अतः न्यायालय द्वारा साक्षी से बचाव पक्ष का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया गया परन्तु बाद में बचाव पक्ष की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये साक्षी को पुनः आहूत कर बचाव पक्ष को उससे प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया तो साक्षी ने दिनांक 05.04.11 को हुये प्रतिपरीक्षण में अपने पूर्व बयान से मुकरते हुये यह बयान दिया कि विभूति हरिजन तथा मेरे भाई परशुराम मुझसे कहां मिले मैं नहीं जानता। घटना वाले दिन जब वह स्कूल से निकले और विभूति हरिजन को लिये, मैं वहां नहीं था। गोली लगने के बीस मिनट बाद मैं पहुंचा। मैनें किसी को अपने भाई को गोली मारते

नहीं देखा और न जीप से धक्का मारते हुये देखा था और न गाड़ी नंबर को जाना पहचाना था। जब मैं सूचना पाने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा तो अपने भाई की लाश देखकर बेहोश होकर गिर गया और मेरी बन्दूक भी गिर गयी। मेरी बन्दूक कौन ले गया मैं नहीं देखा। मैनें रामाश्रय, सियाराम, भानू व बांके को गोली मारते हुये नहीं देखा। रामस्वरूप और बांके से मेरे भाई परशुराम से कोई दुश्मनी नहीं थी। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। जबकि साक्षी ने पांच माह पूर्व हुये मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 16.07.02 को 03.40 बजे जब उसके भाई परशुराम मौर्य, विभूति हरिजन को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर आ रहे थे तो यह साक्षी भी मोटरसाइकिल से अपने भतीजे राजेश मौर्य के साथ पीछे-पीछे ही आ रहा था तथा ग्राम गगउपुर के पास पहुंचने पर पीछे से जीप आयी और उसने परशुराम की मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया जिससे परशुराम व विभूति हरिजन गिर गये तब बांके यादव, रामाश्रय यादव, भानू व सियाराम ने जीप से उतरकर परशुराम व विभूति को गोली मार दिया। साक्षी ने यहां तक बताया है कि गोली मारते देखकर वह घबरा गया तथा राजेश ने मोटरसाइकिल में ब्रेक मारा तो वह गिर गया और गिरने से उसके हाथ में ली बंदूक भी गिर गयी। डर के कारण वे थोड़ी दूरी पर खड़े हो गये तथा मुल्जिमान उसकी बन्दूक को उठाकर लेकर चले गये। साक्षी का यह बयान स्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने समक्ष ही बदमाशों द्वारा भाई की हत्या करता देखकर घबरा जायेगा एवं डर जायेगा तथा सहसा मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाने से सवार गिर भी सकता है एवं घबराहट एवं गिर जाने से उसके हाथ में पकड़ी बन्दूक भी छूट सकती है तथा हमलावर स्वयं अपनी सुरक्षा हेतु गिरी हुई बन्दूक को उठाकर अपने कब्जे में ले सकते हैं। अतएव साक्षी का यह बयान उसके स्वाभाविक आचरण को प्रकट करता है जिससे उसमें विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। अतएव स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षण के पांच माह से अधिक के पश्चात हुये प्रतिपरीक्षण में उसने किसी भय, लोभ अथवा प्रतिलोभन के वशीभूत होकर न्यायालय में झूठा बयान दिया है। यही कारण है कि अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा अभियोजन को अपने ही साक्षी से प्रतिपरीक्षण करने की भी अनुमति दिया है तथा अभियोजन द्वारा साक्षी से किये गये प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट

प्रतीत होता है कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में झूठा बयान दिया है जबकि साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया बयान स्वाभाविक बयान होने से सत्य बयान प्रतीत होता है। फिर भी सावधानी के नियम के दृष्टिगत साक्षी के मुख्य परीक्षण को सत्यता की अन्य कसौटियों पर कसना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

10. विदित हो कि इसी साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित करायी गयी है जो निश्चय ही उसका पूर्व वक्तव्य है जिसका उपयोग साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान के खण्डन अथवा समर्थन के उद्देश्य से किया जा सकता है जिससे साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान की विश्वसनीयता परखी जा सके। साक्षी के तहरीर (प्रदर्श क1/चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क2 जिसका उल्लेख ऊपर के प्रस्तरों में किया जा चुका है) में साक्षी ने घटना उसी प्रकार अंकित किया है जिस प्रकार उसने न्यायालय में मुख्य परीक्षण में बताया है। अतएव साक्षी के मुख्य परीक्षण का समर्थन स्वतः उसकी अपनी ही तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है जिससे साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। यह अवश्य है कि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में बांके यादव तथा रामाश्रय के नामों के अतिरिक्त अन्य किसी हमलावर का नाम न बताकर हमलावरों को ''चार बदमाशों'' के रूप में बताया है जबकि मुख्य परीक्षण में उसने बांके यादव तथा रामाश्रय यादव के साथ साथ भानू व सियाराम के नामों का भी उल्लेख कर दिया है। अतः यह प्रतीत होता है कि बदमाशों में भानू व सियाराम का नाम उसे हमले के समय नहीं मालूम था बल्कि उनका नाम उसे बाद में किसी प्रकार ज्ञात हुआ परन्तु उक्त नाम उसे कैसे ज्ञात हुआ इसका उल्लेख उसने नहीं किया। विदित हो कि भानू व सियाराम की आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं करायी गयी है। अतएव साक्षी किस आधार पर हमलावरों में भानू व सियाराम का नाम ले रहा है, स्पष्ट नहीं है जिससे घटना में उनकी लिप्तता का ठोस आधार नहीं है परन्तु मात्र इस कारण से साक्षी द्वारा न्यायालय में दिया गया बयान अविश्वसनीय नहीं होता बल्कि साक्षी का बयान विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा सम्पूर्ण घटनाक्रम एवं घटना में बांके यादव तथा रामाश्रय यादव की संलिप्तता सिद्ध होती है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय द्वारा किसी भी साक्षी के पूरे बयान पर विचार करना आपेक्षित है तथा उसके सत्यांश पर भरोसा करना तथा मिथ्यांश को अनदेखा करना

पूर्णतः उचित है अर्थात बयान के सत्यांश पर भरोसा करते हुये न्यायालय द्वारा उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि न्यायालय के समक्ष सत्य बयान देने के उपरांत भी कालांतर में किसी भय अथवा प्रलोभन से वशीभूत होकर साक्षी बाद में अपना बयान बदल सकता है परन्तु उस बदले हुये बयान के कारण साक्षी का पूर्व बयान यदि विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा साक्षियों द्वारा अभियोजन को हाईजैक करने का अवसर नहीं दिया जा सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय को साक्षियों के हाथ की कठपुतली बनने की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती। पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्यों का भी साक्ष्य मूल्य किसी भी प्रकार से कम नहीं होता बल्कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के सत्यांश पर भी न्यायालय द्वारा पूर्ण तौर पर निर्भर हुआ जा सकता है तथा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किन परिस्थितियों में अन्य बिन्दुओं पर साक्षी झूठ बोलने के लिये विवश हो रहा है। दूसरों शब्दों में यदि साक्षी पक्षद्रोही हो रहा है तो उसका जितना साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा जिस सीमा तक उसके साक्ष्य से अभियोजन को अथवा बचाव को समर्थन मिलता है उस पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जायेगा तथा निर्भर हुआ जायेगा। {कृपया देखें Khujji@Surendra Tiwari vs The State of Madhya Pradesh 1991 AIR 1853, 1991 SCR (3) 1}

11. अभियोजन का दूसरा साक्षी हंसनाथ यादव है जिसे बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है, जिसने अपने बयान में बताया है कि मैं परशुराम मौर्य को नहीं जानता हूं। उनकी हत्या कैसे हुई यह भी मैं नहीं जानता हूं। मेरे सामने दरोगा जी ने खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी नहीं लिया था और न ही दो बुलेट 303 बोर और एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद किया था और न ही सील मुहर किया था। दरोगा जी ने मुझसे कोई कागज लिखकर हस्ताक्षर नहीं कराया था। साक्षी ने फर्द प्रदर्श क2 एवं प्रदर्श क3 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और बताया कि जिस समय हस्ताक्षर बनाया था उस समय उस पर कुछ लिखा नहीं था। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। स्पष्ट है कि यह साक्षी भी निश्चय ही कालांतर में किसी भय अथवा प्रलोभन के कारण न्यायालय में सत्य बात प्रकट नहीं

कर रहा है। रोचक है कि साक्षी फर्द प्रदर्श क2 एवं प्रदर्श क3 पर अपने हस्ताक्षर का होना स्वीकार करता है परन्तु उसकी व्याख्या यह देता है कि जिस समय हस्ताक्षर बनवाया गया उस समय उस पर कुछ नहीं लिखा था। उसका यह वाक्यांश सामान्य एवं सत्य प्रतीत नहीं होता परन्तु इस साक्ष्य से भी इतना तो कम से कम अवश्य सिद्ध होता है कि विवेचक ने किसी फर्द पर साक्षी का हस्ताक्षर अवश्य कराया था। अतएव मामले की सक्रिय रूप से जांच चल रही थी।

12. अभियोजन का तीसरा साक्षी हरिश्चन्द पी0डब्लू 3 है, जिसने बयान दिया है कि परशुराम मौर्य मेरे गांव के थे जो गरीबों के मसीहा थे। गरीबों का साथ देते थे। विभूति मेरे भाई थे जिन्हें परशुराम मौर्य अपने साथ ले जाया करते थे। मैं मुल्जिमान सियाराम, रामाश्रय व बांके को जानता हूं। सन् 2002 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसमें परशुराम मौर्य नत्थूपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्यासी थे। उसी चुनाव के समय से मुल्जिमान से परशुराम मौर्य की रंजिश थी। घटना 16 जुलाई, 02 की है। मैं दुबारी मोड़ पर था कि लगभग तीन बजे एक जीप को पश्चिम की तरफ से बहुत तेजी से आकर भागते हुये देखा। उस जीप को सियाराम चला रहे थे। उनके बगल में रामस्वरूप यादव बैठे थे। सबसे किनारे बांके थे जिनके हाथ में बंदूक थी। उस जीप में एक आदमी और बैठा था जिसको मैं पहचान नहीं पाया। करीब पांच मिनट बाद शोर हुआ कि परशुराम मौर्य को बांके ने मार दिया है। लोगों ने बताया कि परशुराम मौर्य के साथ और कोई भी था उसको भी मार दिया गया है। मैं गया तो देखा कि मेरे भाई विभूति व परशुराम की लाश पड़ी हुई थी। दोनों लोगों को गोली मारी गयी थी। मैं समझ गया कि वही मुल्जिमान अन्य मुल्जिमान के साथ मिलकर मेरे भाई व परशुराम की हत्या किये हैं और भाग गये हैं। दिनदहाड़े हुये हादसे से लोग डर गये थे। यह पता चला कि परशुराम के भाई बाबूराम मौर्य जो परशुराम के पीछे-पीछे आ रहे थे, की बन्दूक भी मुल्जिमान उठा ले गये थे। सी0ओ0 साहब ने मुझसे पूछताछ किया था। इस साक्षी के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना वाले दिन उसने भी एक जीप को स्थानीय दुबारी मोड़ पर 03.00 बजे पश्चिम की तरफ से बहुत तेजी से आकर भागते हुये देखा था जिसे अभियुक्त सियाराम चला रहा था जिसमें बांके बैठे थे जिनके हाथ में बंदूक थी। जीप में रामस्वरूप तथा एक अन्य आदमी भी

बैठा था जिसको वह पहचान नहीं पाया तथा उसके पांच मिनट पश्चात ही उसने सुना कि परशुराम मौर्य एवं एक अन्य व्यक्ति को बांके ने मार दिया है तथा तुरन्त ही जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो विभूति और परशुराम की लाश पड़ी हुई थी जिनको गोली मारी गयी थी। अतएव पी0डब्लू 3 के साक्ष्य से भी पी0डब्लू 1 के मुख्य परीक्षण के साक्ष्य को इस आशय का समर्थन मिलता है कि इस साक्षी ने भी एक जीप से बांके यादव, सियाराम तथा दो अन्य व्यक्तियों को अर्थात कुल चार व्यक्तियों को घटनास्थल से वारदात करने के पश्चात तेजी से भागते हुये देखा था जिससे पी0डब्लू 1 के मुख्य परीक्षण के बयान को समर्थन मिलता है तथा वह पुष्ट होता है।

13. स्मरण रहे कि बचाव पक्ष ने दोनों ही मृतको की पोस्टमार्टम की मौलिकता को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें चुनौती नहीं दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों ही मृतकों के शवों पर मृत्यु पूर्व चोटों का उल्लेख है जिसके अनुसार मृतक परशुराम मौर्य के शरीर पर कुल तीन गोली के प्रवेश एवं निकास घाव तथा मृतक विभूति हरिजन के शरीर पर अग्नेयशस्त्र से चलायी गयी गोली का एक प्रवेश एवं निकास घाव मौजूद है। जैसा कि पी0डब्लू 1 ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि चार बदमाशों ने परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन पर फायर किया था। अतएव मृतकों के शवों पर विद्यमान चार अग्नेयशस्त्र के उत्पन्न घाव पी0डब्लू 1 के बयान का समर्थन करते हैं। यह भी स्मरण रहे कि पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट बताया है कि जीप से मोटरसाइकिल में धक्का लगने पर मोटरसाइकिल घसीटते हुये थोड़ी दूर ले गया। अतः इस प्रक्रिया में निश्चय ही परशुराम मौर्य एवं विभूति को अन्य चोटें भी आना स्वाभाविक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन के शरीर पर खरोच एवं निलगू निशान के अनेक अन्य चोटें विद्यमान हैं जिससे पुनः साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है तथा पी0डब्लू 1 का बयान पुष्ट होता है। उक्त चिकित्सीय साक्ष्य एक अन्य दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह यह कि केवल चक्षुदर्शी साक्षी ही यह बताने में सक्षम होगा कि जीप से धक्का लगने के पश्चात मोटरसाइकिल कुछ दूर तक घसीट कर गयी और उसके पश्चात अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल सवार पर फायर किया तथा मोटरसाइकिल को घसीटे जाने का तथ्य परशुराम एवं विभूति के शरीर पर आयी चोटों से सिद्ध होता है तथा उससे यह सिद्ध

होता है कि घटना को वास्तव में पी0डब्लू 1 द्वारा अपनी आंखों से देखा गया था। जैसा कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है, परन्तु जिससे वह प्रतिपरीक्षण में बचने का प्रयास कर रहा है। अतएव चिकित्सीय साक्ष्य से भी पी0डब्लू 1 के मुख्य परीक्षण को समर्थन मिलता है तथा वह विश्वास किये जाने योग्य है एवं निर्भर रहने योग्य है।

14. अभियोजन का चौथा साक्षी मुन्ना राजभर पी0डब्लू 4 है, जिसने बयान दिया है कि दिनांक 16.07.02 को मृतक परशुराम मौर्य व विभूति हरिजन का शव पड़ा था। लोगों के साथ मैं भी देखने गया था। वहां पर दरोगा जी आये और मुझसे सादे कागज पर हस्ताक्षर बनवाये थे। उसमें क्या लिखा था पढ़कर सुनाये नहीं थे। फर्द बावत खून आलूदा व सादी मिट्टी प्रदर्श क2 एवं फर्द खोखा कारतूस प्रदर्श क3 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और कहा कि मैं आज तक नहीं जान पाया कि उसमें क्या लिखा था। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 16.07.02 को परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन की हत्या हो गयी थी तथा विवेचक ने दौरान विवेचना खून आलूदा एवं सादी मिट्टी एवं खोखा कारतूस घटनास्थल से बरामद किया था जिसकी फर्द बनायी गयी थी। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से भी पी0डब्लू 1 के बयान एवं अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता है।

15. स्मरण रहे कि बचाव पक्ष ने सभी अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता तथा आरोप पत्र की मौलिकता को भी स्वीकार कर उनको औपचारिक रूप से सिद्ध करने से आवश्यकता से अभियोजन को मुक्त कर दिया है। पुलिस प्रपत्रों मय आरोप पत्र पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि इस मामले की विवेचना श्री दीपनारायन क्षेत्राधिकारी द्वारा किया गया है। दौरान विवेचना विवेचक ने घटनास्थल से कारतूसों को बरामद किया है जिसकी फर्द प्रदर्श क3 है तथा बरामद कारतूस को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु प्रेषित किया है। विवेचक द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद लाईसेंसी एस.बी.बी.एल. गन तथा दो अदद कट्टा 303 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर को दिनांक 28.07.02 को बरामद किया गया है तथा जिसे मालखाना थाना में बतौर रपट नं0 34 समय 19.30 बजे दाखिल भी किया गया है।

विवेचक द्वारा उक्त लाईसेंसी गन एवं दोनों कट्टे तथा घटनास्थल से बरामद कारतूसों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 26.06.03 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें यह अंकित है कि विवादित कारतूस अर्थात घटनास्थल से बरामद कारतूस देसी पिस्टल चिन्हित 2/2003 द्वारा ही चलाये गये हैं। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि घटनास्थल पर बरामद कारतूस उसी कट्टे से चलाया गया था जो अभियुक्त बांके यादव तथा रामाश्रय के पास से बरामद हुआ। अतः इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त बांके यादव तथा रामाश्रय द्वारा ही घटनास्थल पर गोलियां चलायी गयी थी जिससे पुनः पी0डब्लू 1 के बयान को समर्थन मिलता है तथा उसका साक्ष्य भरोसेमन्द सिद्ध होता है।

16. इस प्रकार अभियोजन ने अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि दिनांक 16.07.02 को बांके यादव एवं रामाश्रय ने पुरानी रंजिश के कारण परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया तथा अपने दो अन्य साथियों के साथ परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन को जब वे एक ही मोटरसाइकिल से जा रहे थे, को अग्नेयशस्त्र से फायर कर उनकी हत्या कर दिया। विदित हो कि दौरान विचारण बांके यादव की मृत्यु हो चुकी है, अतः उसके विरूद्ध मामला उपशमित हो चुका है। अतएव अभियुक्त रामाश्रय धारा 302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने योग्य हैं। अभियोजन अपने साक्ष्यों से वारदात अंजाम देने वालों में चार से अधिक व्यक्तियों को तथा उनमे बांके यादव एवं रामाश्रय के अतिरिक्त किन्हीं अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है तथा अभियोजन यह भी सिद्ध करने में विफल रहा है कि हमलावरों ने परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन को मारने से पूर्व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित भी किया हो। अतएव सभी अभियुक्तों को अन्य सभी धाराओं के आरोपों से तथा अभियुक्त रामाश्रय भी धारा 302/34 भा0द0वि0 के अतिरिक्त शेष अन्य धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

17. अभियुक्त रामाश्रय को धारा 302/34 भा0द0वि0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है तथा अन्य सभी धाराओं अर्थात धारा 147,148,201 भा0दं0वि0 व

3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा शेष अन्य सभी अभियुक्तों अर्थात राधेश्याम सिंह, अजीत सिंह उर्फ पिण्टू, अमरजीत यादव व सियाराम को सभी धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

18. दोषी रामाश्रय पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। वह न्यायिक अभिरक्षा में बना रहेगा। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

19. दोषी के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 10.07.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2, मऊ।

<u>दिनांक 11.07.2018</u>
<u>पुनश्च</u>

20. दोषी रामाश्रय मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान एस0पी0ओ0 उपस्थित।

21. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

22. दोषी का कथन है कि वह अच्छे चाल चलन का व्यक्ति रहा है। उसे पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। उस पर अपने परिवार के पालन–पोषण का दायित्व है, अतः उसे कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान एस0पी0ओ0 द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषी को ध ारा 302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा चुका है। दोषी द्वारा अग्नेयशस्त्र से फायर कर दो व्यक्तियों की नृशंष हत्या किया गया है। अतएव दोषी को अधिकतम दण्ड अर्थात मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाये।

23. विचार किया गया।

24. दोषी रामाश्रय को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अपराध का दोषी पाया गया है जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है।यद्यपि यह सत्य है कि दोषी द्वारा गोली मारकर दो व्यक्तियों की हत्या किया गया है परन्तु समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत दोषी का उक्त अपराध विरलों में विरलतम कोटि का नहीं पाया जाता। अतएव दोषी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना विधिसंगत नहीं होगा। अतएव दोषी को आजीवन कारावास के दण्ड से एवं एक ऐसी धनराशि के अर्थदण्ड से जिसमें से एक उचित अंश मृतक परशुराम मौर्य एवं विभूति हरिजन के निकटतम वारिसों को बतौर क्षतिपूर्ति भी दिलायी जा सके, से दण्डित करना विधिसंगत एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

25. दोषी रामाश्रय को धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से एवं 50,000/– रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

26. दोषी से वसूले गये अर्थदण्ड की धनराशि में से 20,000/– रूपये की धनराशि मृतक परशुराम मौर्य एवं 20,000/– रूपये की धनराशि मृतक विभूति हरिजन के

निकटतम उत्तराधिकारियों को बराबर–बराबर अंश में बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा, जिसका भुगतान उन्हें अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील किया जाता है, किया जायेगा।

27. दोषी द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

28. तदानुसार दोषी का दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

29. दोषी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

30. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 11.07.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2, मऊ।

31. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 11.07.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2, मऊ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 03 सन् 2013

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. रमेश राम पुत्र नगीना राम
2. गनेश राम पुत्र नगीना राम
3. धनेश राम पुत्र नगीना राम
4. नगीना राम पुत्र स्व0 विश्वनाथ
साकिनान- अमरसेपुर, थाना- चिंरैयाकोट, जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 161/2012
अंतर्गत धारा 498-ए,304-बी/34,302/34 भा0दं0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना- चिरैयाकोट, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम, धनेश राम तथा नगीना राम का विचारण धारा 498-ए,304-बी/34, 302/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने मृतका अमृता से दहेज की मांग किया, दहेज के लिए उसे प्रतिपीड़ित किया तथा दहेज की प्राप्ति न होने के कारण उसकी हत्या कर दिये जो दहेज हत्या भी थी।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 16.06.12 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता रामअवध ने थानाध्यक्ष चिरैयाकोट के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *उसकी भतीजी मृतका अमृता देवी जिसकी उम्र उस समय लगभग 25 वर्ष थी का विवाह दिनांक 29.05.08 को रमेश पुत्र नगीना राम के साथ हुआ था तथा शादी में ही अमृता की विदाई की गयी थी। शादी के बाद से ही अमृता के पति रमेश, देवर गणेश व धनेश एवं ससुर नगीना उससे दहेज की मांग करते थे तथा प्रताड़ित करते थे। माह मई 2012 में रामविजय द्वारा मांग के*

मुताबिक 50,000/- रूपये देने के बावजूद अमृता को मारते पीटते थे तथा यातना देते थे। आज दिनांक 16.06.12 को सुबह करीब 07.00 बजे सूचना मिलने पर जब वे लोग अमृता के ससुराल आये तो पता चला कि अमृता को उसके ससुराल वाले जलाकर मार डाले हैं। अमृता के शव को साथ लेकर आये हैं। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना चिरैयाकोट में अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम, धनेश राम तथा नगीना राम के विरूद्ध अपराध सं0 161/12 अंतर्गत धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी की लिखित तहरीर एवं नकल जी0डी0 प्राप्त किया। उसका उल्लेख केस डायरी में किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया। वादी का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया। वादी का मजीद बयान अंकित किया। साक्षी रामजीत राम का बयान अंकित किया। पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। पंचायतनामें की नकल केस डायरी में अंकित किया। पंच नियुक्त कर शव का पंचायतनामा कराया। पोस्टमार्टम की नकल केस डायरी में अंकित किया। बयान पंचायतनामा कर्ता अंकित किया। मृतका के माता, पिता एवं चाची का बयान अंकित किया। मृतका का ईलाज करने वाले डाक्टर का बयान अंकित किया। शव को पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ को प्रेषित किया। बयान डाक्टर पोस्टमार्टमकर्ता अंकित किया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम, धनेश राम तथा नगीना राम के विरूद्ध धारा 498-ए,304-बी/34,302/34 भा0दं0वि0 एवं

धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने सभी आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी राम अवध, रामजनम, रामविजय जायसवार, दिनेश कुमार नायब तहसीलदार, डा0 दीपक शाह, डा0 मोहम्मद आसिफ, कां0 मोहर्रिर केशवानन्द चौधरी, क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 8, क्रमशः, का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों, तहरीर, पंचायतनामा, चालान नाश, फोटोनाश, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ, पत्र प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन मऊ, मृतका का वेडहेड टिकट, रेफरेंश स्लिप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, अभियुक्तगण रमेश, गनेश, नगीना के दाखिले की जी0डी0, घ टनास्थल का नक्शा नजरी, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम, धनेश राम तथा नगीना राम प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क14 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाय।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताया है तथा वादी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताये हैं। पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 द्वारा झूठा बयान देना बताये हैं तथा पी0डब्लू 4, 5, 6, 7 एवं 8 के बयानों के विषय में कुछ नहीं कहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्र को गलत होना बताया तथा अपने को निर्दोष होना बताये हैं तथा कथन किये हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा स्वयं अभियुक्त रमेश राम को बतौर डी0डब्लू 1 परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची सं0 109ख से अभियुक्त द्वारा पैसे भेजने वाली रसीदें कागज सं0 110ख ता 120ख तथा मृतका अमृता के इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2010 के अंक पत्र की मूल

प्रति कागज सं0 121ख बतौर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का प्रथम साक्षी रामअवध है जिसे अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया है जिसने बयान दिया है कि मेरे बड़े भाई की पुत्री अमृता की शादी दिनांक 29.05.08 को रमेश के साथ हुई थी। शादी में हम लोगों ने उपहार स्वरूप 70,000/- रूपये नगद, हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल, सोने की चेन, कान की बाली, झुमका तथा अंगूठी दिया था। अमृता की विदाई शादी में ही हो गयी थी तभी से ससुराल में रहती थी कभी-कभी हमारे घर आना जाना लगा रहता था। शादी के कुछ दिन बाद से अमृता के पति रमेश, देवर गनेश, धनेश तथा ससुर नगीना दहेज में और पैसों की मांग करते थे न मिलने पर मारते पीटते थे तथा मेरी भतीजी को तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। 18 मई, 2012 को रमेश की बहन सरोज की शादी थी जिसमें रमेश ने मेरी भतीजी अमृता से दहेज के रूप में 60,000/- रूपये की मांग की। हम लोगों ने व्यवस्था करके 50,000/- रूपये रमेश को दिया उसके बाद भी अमृता के ससुराल वाले हमेशा पैसों की मांग करते रहते थे। 16 जून, 2012 को सुबह लगभग 07.00 बजे ग्राम अमरसेपुर के मेरे परिचित ने मुझे फोन से सूचना दिया कि आपकी भतीजी अमृता को उसके ससुराल वाले जला दिये। यह बात मैनें अपने गांव के रामजीत, बिन्दू तथा हीरालाल को बताकर अमृता के गांव के लिये चल दिया। रास्ते में मुझे फोन से पता चला कि अमृता को लेकर लोग अस्पताल गये हैं तो हम भी अस्पताल जा रहे थे कि वे लोग अस्पताल से वापस आ रहे थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस समय मेरी भतीजी मर चुकी थी। मैं अमृता की लाश लेकर थाना चिरैयाकोट गया तथा थाने के बाहर अपने भाई रामजनम से बोलकर दरखास्त प्रदर्श क1 लिखाया। थाने पर मेरी भतीजी अमृता का पंचनामा नायब तहसीलदार साहब ने मेरे सामने बनाया था................। थाने से अमृता की लाश पोस्टमार्टम के लिये भेजी गयी

थी। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान दो बार लिया था।

9. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि हम दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के हैं..............। जब मैं अभियुक्त रमेश के घर पहुंचा तो वहां पर पता चला कि रमेश आदि अमृता को लेकर अस्पताल गये हैं...........। जब हम अस्पताल को चले तो मुल्जिमान रमेश वगैरह से हम लोगों की मुलाकात सुल्तानीपुर गांव के पास हुई। अमृता मर चुकी थी। ये लोग बुलेरों से लेकर अस्पताल गये थे और उसी से वापस आ रहे थे। सुल्तानीपुर में मिलने के बाद में वे लोग भाग गये। भागकर कहां गये मुझे नहीं मालूम। सुल्तानीपुर से चिरैयाकोट थाना मैं उसी बुलेरो से गया। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि बुलेरो कौन चलाकर ले गया..............। शादी के पूर्व मेरी भतीजी अपने पिता के साथ नौकरी पर रहती थी और हमारे यहां भी रहती थी। वह बी0ए0 पास थी.............। शादी के बाद ससुराल से अमृता मायके बराबर आती जाती थी। रमेश सऊदी चला गया था। जिस समय वह सऊदी में था, अमृता एकातबार ससुराल गयी थी। अमृता अपने मन से ससुराल आती जाती थी आने जाने पर रोक नहीं था, परन्तु ससुरालवाले जब उसे प्रताड़ित करते थे तो वह मायके चली आती थी। इसकी शिकायत की प्रार्थना पत्र मैनें कहीं नहीं दिया। समझा बुझाकर उसे फिर विदा कर देते थे। रमेश के पिता का नाम रामनगीना है। उनके पास 8 बीघा खेती का पता चला था। उनके लड़के प्राइवेट तौर पर नौकरी करते हैं और अपनी खेती भी करते हैं। जब रमेश सऊदी से वापस आया तो मेरे भाई रामविजय के यहां कोकोरी परिवार सहित गया था.............। रमेश कभी भी दहेज में इकट्ठा नहीं मांगता था। कभी 50,000/- रूपये तो कभी 60,000/- रूपये मांगता था। अपनी बहन की शादी के लिये मेरे भईया से रमेश ने पैसा मांगा था आदि-आदि।

10. इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क1 देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सारवान रूप से वही तथ्य लिखे हैं जो साक्षी ने न्यायालय में बताया है। अतः साक्षी के बयान का समर्थन उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है जिससे उसके बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि मृतका अमृता उसकी भतीजी थी जिसका विवाह रमेश के साथ दिनांक 29.05.08 को हुआ था तथा दिनांक

16.06.12 को उसकी मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तगण गनेश तथा धनेश, अभियुक्त रमेश के भाई तथा अभियुक्त नगीना, अभियुक्त रमेश के पिता हैं। साक्षी ने अमृता की मृत्यु 16 जून, 2012 को होना बताया है तथा यह बताया है कि 18 मई, 2012 को रमेश की बहन सरोज की शादी के अवसर पर रमेश ने अमृता से दहेज के रूप में 60,000/- रूपये की मांग किया था अर्थात विवाह के ठीक पूर्व अभियुक्त रमेश द्वारा 60,000/- रूपये की मांग करना बताया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस साक्षी के अनुसार अमृता का विवाह रमेश के साथ हुआ था तथा विवाह के 7 वर्ष के अंदर ही जल जाने से अस्वाभाविक रूप से अमृता की मृत्यु हुई थी।

11. अभियोजन का दूसरा साक्षी रामजनम पी0डब्लू 2 है। उसने बयान दिया है कि अमृता उसकी भतीजी थी। उसकी उसके ससुराल वाले रमेश, गनेश, धनेश व नगीना दहेज के लिये जलाकर हत्या कर दिये थे। उसके शव का पंचायतनामा प्रदर्श क2 थाना चिरैयाकोट में मेरे सामने नायब तहसीलदार की देखरेख में दरोगा जी द्वारा तैयार कराया गया था। दिनांक 16.06.12 को अपने भाई रामअवध के बोलने पर मैनें घटना के बावत दरखास्त प्रदर्श क1 लिखकर अपना हस्ताक्षर किया था।

12. इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि रमेश वगैरह अमृता को ईलाज हेतु लेकर मऊ गये थे, परन्तु ईलाज नहीं हो पाया और वह मर गयी। रमेश ने बताया था कि कोई डाक्टर भर्ती नहीं ले रहा है कहीं ले चलिये। रमेश की मुलाकात मुझसे शारदा अस्पताल मऊ में हुई थी। उस समय उसके पिता नगीना व 3-4 लोग गाड़ी में थे। उसके बाद मैं, रमेश व अमृता के साथ ही गाड़ी से मऊ से चल दिया। रमेश बोले की घर से पैसा लेना है। मैं अपनी बाईक से था............। पैसा वह ईलाज के लिये खोज रहे थे। साथ ही चिरैयाकोट गये फिर एक और डाक्टर को दिखाये। चिरैयाकोट का डाक्टर बोला कि अमृता मर चुकी है। इसके बाद रमेश व उसके परिवार के लोग थाने में लेकर चले गये। थाने में रमेश वगैरह पहुंचे तब गांव से मेरे भाई रामअवध और 2-4 लोग आ गये। थाने पर रमेश व उनके परिवार के साथ मैं भी था तब तक मेरे भाई व मेरे गांव के अन्य लोग आ गये व रिपोर्ट लिखने की कार्यवाही शुरू हुई। रिपोर्ट लिखने के बाद रमेश व उनके पिता वगैरह को वहीं पर बैठा लिया और

बाद में जेल भेज दिया। अमृता के जलने की सूचना रमेश ने मेरे भाई रामविजय को दिया था। मैनें अमृता के मरने के उपरांत चिरैयाकोट से ही अपने बड़े भाई रामविजय को सूचना दिया था। थाने पर भाई ने कहा कि रिपोर्ट लिखकर दो तब मैनें थाने में दरखास्त दी थी.............। मेरे भाई दूसरे दिन गांव आ गये थे। वह कोल फील्ड में नौकरी करते हैं तथा परिवार के साथ वहीं रहते हैं आदि-आदि।

13. इस साक्षी के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि वह मृतका का चाचा है। अमृता की जलने की सूचना मिलने पर वह उसे देखने गया था तो रमेश आदि अमृता को लेकर शारदा अस्पताल गये थे, परन्तु उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अभियुक्तगण वहां से उसे चिरैयाकोट ले गये थे। वहां भी उसे डाक्टर से दिखाया था जिसने अमृता को देखने के बाद उसे मृत बताया था। वहां से सभी अभियुक्तगण अमृता के शव को लेकर थाना चिरैयाकोट गये थे। उसी समय थाने पर यह साक्षी तथा उसके बड़े भाई रामअवध पी0डब्लू 1 तथा गांव के अन्य लोग भी थाने पर पहुंच गये थे तथा रामअवध के बोलने पर इस साक्षी ने थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उसी समय रिपोर्ट लिखा दिया था जहां अभियुक्तगण को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था तथा वहीं से उन्हे जेल भेज दिया था। विदित हो कि पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में यह बताया है कि अभियुक्तगण, अमृता के शव को लेकर अस्पताल से लौट रहे थे तो सुल्तानीपुर गांव में अभियुक्तगण से उसकी मुलाकात हुई थी जो अमृता के शव को लेकर बुलेरो गाड़ी से आ रहे थे तो वे गांव सुल्तानीपुर से ही बुलेरो में अमृता का शव छोड़कर भाग गये तब पी0डब्लू 1, अमृता के शव को उसी बुलेरो से थाने ले गया। अतः यह प्रतीत होता है कि पी0डब्लू 1 यह झूठ बोल रहा है कि अभियुक्तगण सुल्तानीपुर गांव से अमृता के शव को छोड़कर भाग गये थे बल्कि यह सत्य है कि अभियुक्तगण, अमृता के शव को थाना चिरैयाकोट ले गये थे तथा वहीं पर पी0डब्लू 1 एवं पी0डब्लू 2 भी पहुंच गये थे तथा पी0डब्लू 1 ने पी0डब्लू 2 को बोलकर तहरीर लिखाई एवं उस तहरीर के आधार पर उसी समय थाने पर रिपोर्ट हुई तथा थाने पर मौजूद अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया।

14. मृतका के पिता रामविजय जायसवार हैं जिन्हें अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 3 परीक्षित किया है, उन्होनें बयान दिया है कि मैनें अपनी सबसे बड़ी लड़की अमृता का

विवाह दिनांक 29.05.08 को रमेश के साथ किया था तथा विवाह में 70,000/- रूपये नगद, एक मोटरसाइकिल तथा यथाशक्ति सामान दिया था एवं विदाई कर दिया था। शादी के 5 महीने बाद मेरा दामाद रमेश मेरी लड़की अमृता को लेकर मेरी नौकरी वाले स्थान पश्चिम बंगाल आया था तथा 15 दिन तक रहा था। उस समय मुझसे कहा था कि विदेश जाने का मेरा वीजा आने वाला है, कुछ मेरी मदद कर देते तो विदेश चला जाता। मैनें कहा कि अभी शादी किया है सब पैसा खर्च हो गया है। इसके बावजूद भी मैनें जनवरी में 70,000/- रूपये की व्यवस्था करके दामाद को दिया। वह रूपये व अमृता को लेकर अपने घर चला गया तथा मेरी लड़की अमृता को घर पर छोड़कर विदेश चला गया। जब तक वह विदेश में था मेरी लड़की काफी खुशहाल थी। विदेश से लौटकर उसने बहन की शादी तय कर दिया। उसमें भी मुझसे मदद करने के लिये कहा तो मैनें कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उसने तथा उसके पिता नगीना मेरी लड़की अमृता पर दबाव डालने लगे और कहे कि अपने पिता से पैसा मांगो नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। तब मेरी लड़की अमृता ने मुझसे व मेरी पत्नी से अपने पति रमेश व ससुर नगीना द्वारा किये गये बर्ताव के बारे में बतायी तब मैं मजबूर होकर उसकी बहन सरोज की शादी में भी 50,000/- रूपये नगद मदद के रूप में दिया फिर उसके तीसरे दिन रमेश का भाई गनेश मेरे घर आया और कहा कि पिता जी कुछ और पैसे दे दीजिये नहीं तो इज्जत चली जायेगी। चूंकि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिये मैनें इंकार कर दिया तब गनेश जाते-जाते धमकी दिया कि बहन की शादी बीत जाने दीजिये तब आपको तथा आपकी लड़की को बताऊंगा एवं आपको नहीं रहने दूंगा। उसके बाद अमृता के पति रमेश, देवर गनेश, धनेश तथा ससुर नगीना, अमृता को मारने पीटने लगे तथा तरह-तरह से दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 16.06.12 को उपरोक्त लोग मेरी लड़की अमृता के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर उसकी दहेज हत्या कर दिये।

15. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मैं तीन भाई हूं। दो भाई घर पर रहते हैं। मैं कोल इण्डिया वर्धमान में नौकरी करता हूं। तीनों भाईयों का परिवार एक ही है............। अमृता की शादी 29 मई, 2008 को हुई थी। विवाह बाद रमेश हमारे यहां पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा देखने आया था। जाते समय कहा कि मेरा वीजा

आने वाला है कुछ मदद कर दीजिये। मेरा दामाद जनवरी में पैसा लेकर चला गया। मैनें नगद दिया था। रमेश कुवैत गया था तथा तीन वर्ष रहा था। कुवैत चले जाने के बाद रमेश पैसा वापस नहीं किया और न ही मैनें उससे मांगा क्योंकि मदद के रूप में 70,000/- रूपये दिया था। अमृता अपने ससुराल में रहती थी। कभी-कभी मेरे पास आती जाती थी। कुवैत से आने के पहले अमृता ने अपने सास, ससुर की शिकायत नहीं किया था आदि-आदि।

16. साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता है कि साक्षी ने मुख्य परीक्षा में झूठा बयान दिया हो। अतः इस साक्षी के बयान से भी यह प्रतीत होता है कि उसने अपनी पुत्री अमृता का विवाह दिनांक 29.05.08 को रमेश के साथ किया था तथा दिनांक 16.06.12 को उसकी पुत्री की मृत्यु उसके ससुराल में जल जाने के कारण हुई थी। शादी के लगभग 5 माह के पश्चात ही रमेश के आग्रह पर उसने उसे 70,000/- रूपये विदेश जाने के लिये दिया था। 03 वर्ष के पश्चात जब वह विदेश से आया तब रमेश ने अपनी बहन सरोज की शादी तय किया तथा रमेश ने साक्षी से 50,000/- रूपये की मदद के लिये कहा तो साक्षी ने उससे बताया कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पश्चात रमेश तथा उसके पिता नगीना ने उसकी पुत्री अमृता पर पैसे के लिये दबाव डाला तथा यह कहा कि पैसा तुम्हारे पिता जी नहीं देंगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं। इस दबाव पर साक्षी ने 50,000/- रूपये रमेश को दिया। उसके तीसरे ही दिन गनेश ने पुनः आकर और पैसों की मांग किया, परन्तु पैसा न पाने पर साक्षी को धमकी भी दिया तथा अंततः दिनांक 16.06.12 को ही उसकी पुत्री अमृता जल गयी एवं जलने से उसकी मृत्यु हो गयी।

17. अभियोजन का अगला साक्षी दिनेश कुमार नायब तहसीलदार पी0डब्लू 4 है जिन्होनें बयान दिया है कि दिनांक 16.06.12 को उनके निर्देशन में उपनिरीक्षक रामसकल यादव द्वारा मृतका अमृता का पंचायतनामा प्रदर्श क3 तैयार किया गया था। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 16.06.12 को अमृता की जलने से अस्वाभाविक मृत्यु हो गयी थी जिसका विधिवत पंचायतनामा बनाया गया था।

18. मृतका का इलाज डा0 दीपक शाह द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर

पी0डब्लू 5 परीक्षित किया गया है। उन्होनें बताया है कि दिनांक 16.06.12 को वह बतौर चिकित्साधिकारी जिला संयुक्त चिकित्सालय, मऊ में तैनात थे। उस दिन अमृता के पति रमेश द्वारा जिला चिकित्सालय में अमृता को इलाज हेतु लाया गया था जो लगभग 100 प्रतिशत जली थी। जांच के दौरान पीड़िता की सामान्य स्थिति खराब थी, पल्स 110 प्रति मिनट थी लेकिन उसका वाल्यूम बहुत कम था। उसका पूरा शरीर सतह से लेकर गहराई तक जला हुआ था। केवल पैर का तलवा व खोपड़ी बची हुई थी। आवश्यक दवायें मजरूबा की जिंदगी बचाने के लिये मैनें दिया था। मजरूबा की स्थिति गंभीर देखते हुये उनके परिवार की सहमति लेकर मैनें दिनांक 16.06.12 को ही सुबह 06.25 बजे उचित इलाज हेतु बी0एच0यू0 के लिये संदर्भित कर दिया। वेडहेड टिकट प्रदर्श क7 तथा रिफरेंश फार्म प्रदर्श क8 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

19. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि दिनांक 16.06.12 को इलाज हेतु मृतका अमृता को सरकारी अस्पताल में रमेश द्वारा ही लाया गया था जो शत प्रतिशत जली हुई थी।

20. अमृता की मृत्यु के पश्चात उसका पोस्टमार्टम किया जाना बताया गया है तथा पोस्टमार्टम करने वाले डा0 मोहम्मद आसिफ को बतौर पी0डब्लू 6 परीक्षित किया गया है, उन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 17.06.12 को उन्होनें अमृता के शव का परीक्षण किया था। मृतका की आयु लगभग 25 वर्ष थी जिसकी मृत्यु 24 से 36 घण्टे पूर्व हुई थी। वह सामान्य कद काठी की थी। दोनों आंखे बन्द थी तथा मुंह खुला था। मृतका के शरीर पर जलने की चोटें थी। अकड़न समाप्त हो चुकी थी, परन्तु शरीर के निचले अंग पर आंशिक अकड़न मौजूद थी। मृतका के पूरे शरीर पर गहरी जलने की चोटें मौजूद थी लेकिन खोपड़ी का ऊपरी भाग व पैरों के दोनों तलवे जले नहीं थे। लालिमा लिये लकीर मौजूद थी। श्वास नली में कार्बन पार्टिकल्स देखा गया था। दाहिना व बांया फेफड़ा कन्जेस्टेड था तथा वजन 840 ग्राम था। हृदय बांया खाली था तथा दाहिने तरफ लाल रक्त भरा हुआ था तथा वजन 260 ग्राम था। आमाशय में लगभग 150 मिली. तरल भरा था। छोटी आंत पचे हुये तरल भोजन व गैस से आंशिक रूप से भरी हुई थी। बड़ी आंत मल व गैस से आंशिक रूप से भरी

हुई थी। यकृत कन्जेस्टेड था तथा वजन 1150 ग्राम था। पित्ताशय मल व गैस से आंशिक रूप से भरा हुआ था। प्लीहा कन्जेस्टेड था जिसका वजन 100 ग्राम था। गुर्दा कन्जेस्टेड था जिसका वजन 170 ग्राम था। पेशाब की थैली खाली थी। मृतका की मृत्यु अत्यधिक जलने की वजह से आयी चोटों के कारण हुई थी जैसा कि एन्टीमार्टम इंजरी में प्रदर्शित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क9 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मृतका की मृत्यु दिनांक 16.06.12 के 07.00 बजे सुबह की अत्यधिक जलने के कारण आयी हुई चोटों के कारण हो सकती है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

21. अतः पी0डब्लू 5 एवं 6 के साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि अमृता दिनांक 16.06.12 को 100 प्रतिशत जल गयी थी तथा जलने के कारण ही उसकी मृत्यु उसी दिन हो गयी थी जिसके शव का पंचायतनामा बनाया गया था तथा पोस्टमार्टम भी कराया गया था।

22. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू 7 केशवानन्द चौधरी कां0मोहर्रिर ने बयान दिया है कि दिनांक 16.06.12 को मैं बतौर कां0मोहर्रिर थाना चिरैयाकोट में तैनात था। उस दिन समय 12.10 बजे राम अवध की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण रमेश, गनेश, धनेश पुत्रगण नगीना व नगीना के विरूद्ध अपराध सं0 161/12 अंतर्गत धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं सहपठित धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जिसकी चिक सं0 42/12 है तथा उसका उल्लेख जी0डी0 में है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क10 व जी0डी0 प्रदर्श क11 है। पत्रावली में संलग्न गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण रमेश, गनेश, नगीना के थाने में दाखिले की जी0डी0 प्रदर्श क12 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

23. अभियोजन द्वारा इस मामले की विवेचना राकेश कुमार सिंह तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया गया है। उन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 16.06.12 को मुकदमा अपराध सं0 161/12 धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं सहपठित धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के विवेचना से संबंधित कागजात

नकल चिक, नकल रपट मुझे कार्यालय से प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान सर्वप्रथम दिनांक 16.06.12 को ही नकल चिक, नकल रपट को केस डायरी में अंकित किया था। तत्पश्चात चिक लेखक कां0 केशवानन्द चौधरी का बयान केस डायरी में अंकित किया तथा थाना परिसर में ही मौजूद वादी मुकदमा राम अवध का बयान अंकित किया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क13 बनाया। निरीक्षण के समय घटनास्थल आंगन की सफाई कर दी थी जिससे कोई वस्तु साक्ष्य के रूप में नहीं मिली। दिनांक 17.06.12 को अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम तथा नगीना राम का बयान केस डायरी में अंकित किया जिन्होनें जुर्म से इंकार किया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व दाखिला का इन्द्राज थाने की जी0डी0 प्रदर्श क12 में की गयी थी जिसका अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 18.06.12 को वादी मुकदमा राम अवध का मजीद बयान अंकित किया तथा वादी के साथ आये रामजीत राम, रामजनम राम, हीरा लाल, योगेन्द्र राम, संतोष कुमार तथा जय प्रकाश का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 20.06.12 को मृतका अमृता का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। पंचायतनामा कराने वाले नायब तहसीलदार दिनेश कुमार का बयान अंकित किया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाने वाले कां0 घूरा प्रसाद तथा कां0 राजेन्द्र प्रसाद का बयान अंकित किया। दिनांक 22.06.12 को गवाहान राम विजय, श्रीमती मालती देवी, श्रीमती आशा देवी व श्रीमती मनती देवी का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 28.06.12 को मृतका का वेडहेड टिकट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। तत्पश्चात सदर अस्पताल मऊ पहुंचकर मृतका का इलाज करने वाले डा0 दीपक शाह, मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डा0 एम.के. गुप्ता व डा0 मोहम्मद आसिफ के बयान केस डायरी में अंकित किये जिन्होनें मृतका को 100 प्रतिशत जलने की बता बतायी थी। दिनांक 12.07.12 को अभियुक्त धनेश का बयान केस डायरी में अंकित किया। मृतका का पंचायतनामा अपने लेख व हस्ताक्षर में मुस्तब करने वाले उपनिरीक्षक रामसकल यादव का बयान केस डायरी में अंकित किया तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों व सबूतों तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम,

धनेश राम एवं नगीना राम के विरूद्ध धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं सहपठित धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क14 प्रस्तुत किया।

24. अतः इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि इस साक्षी द्वारा मामले की विवेचना किया गया था तथा विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रेषित किया गया था।

25. प्रत्येक अभियोजन साक्ष्य के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया है तो यद्यपि प्रत्येक अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया है तथा उनके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाना बताया है तथा यह कथन किया है कि चूंकि उन्होनें साक्षीगण की अनुचित मांग को पूरा नहीं किया, अतः उन्होनें उनके विरूद्ध झूठा बयान दिया है, परन्तु अमृता के चिकित्सीय परीक्षण एवं पोस्टमार्टम के साक्ष्यों के दृष्टिगत यह कहीं नहीं बताया है कि अमृता किस प्रकार जल गयी।

26. अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में स्वयं अभियुक्त रमेश राम ने स्वयं को डी0डब्लू 1 के रूप में परीक्षित कराया है जिसने बयान दिया है कि मेरी शादी अमृता से सन् 2008 में हुई थी। शादी के बाद अमृता जब विदा होकर आयी थी तो हम लोगों के बीच प्यार मोहब्बत था। मैनें या मेरे परिवारवालों ने शादी के समय या शादी के बाद अमृता या अमृता के परिवारवालों से कभी भी दहेज की मांग नहीं किया गया और न ही कभी दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया। मेरे घर में गरीबी थी। मेरे जीजा रामविलास कुवैत में नौकरी करते थे। उन्होनें मेरा वीजा भेजवाया तथा सन् 2008 में मैं अपने जीजा के बुलाने पर कुवैत कमाने चला गया। मेरे विदेश जाने के बाद भी मेरी पत्नी अमृता मेरे घर में ही रहती थी। पूरा परिवार उसे प्रेम के साथ रखता था। अमृता ने कभी भी हम लोगों की शिकायत किसी से नहीं की थी। मैं विदेश से कमाकर 8 मार्च, 2012 को अपने घर वापस आया। घर वापस आने के बाद मैं अपनी पत्नी अमृता को लेकर अपनी ससुराल गया तथा पश्चिम बंगाल में जहां अमृता के पिता नौकरी करते थे वहां पर भी लेकर गया था और मैनें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे परिवार में मेरी मां, छोटी बहन

सविता व अन्य भाई हैं। मेरे विदेश से आने के दो माह बाद मेरी बहन सरोज का विवाह हुआ। शादी में मेरे ससुराल से सभी लोग आये थे तथा शादी के एक दो दिन बाद तक रहे लेकिन मेरी पत्नी अमृता ने इन लोगों से कोई शिकायत नहीं की थी। घटना के 7–8 दिन पहले मेरे ससुर जब अपनी नौकरी पर वापस जा रहे थे तो उस समय मेरे घर आकर अमृता तथा मुझसे मिलकर राजी खुशी से गये थे। घटना दिनांक 16.06.12 के भोर की है। मेरी पत्नी लगभग 03.00 बजे मेरी बहन को साथ लेकर शौच के लिये बाहर गयी थी। मैं घर के अंदर सोया हुआ था। मेरे पिता और भाई लोग गांव के बाहर अम्बेडकर मूर्ति के पास बने मकान में सोये हुये थे। जब मेरी पत्नी शौच से वापस आयी तो मेरी बहन बाहर ही सो गयी तथा घर के आंगन में बने बरामदे में रखी आलमारी जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फिट है जिस पर मेरी पत्नी अंधेरा होने के कारण डिबरी जलाकर रखना चाहती थी। दुर्भाग्यवश डिबरी उसके हाथ से छूटकर उसके शरीर पर गिर गयी और उसकी साड़ी में आग लग गयी। उसकी आवाज पर मैं दौड़कर कमरे से बाहर आया और आग को बुझाने का प्रयास किया। हैंण्ड पम्प से पानी चलाकर उसके ऊपर फेंका तब किसी तरह से आग बुझी। मेरी पत्नी लंबाई में छोटी है। वह लगभग साढ़े चार फिट की है। मैं अपनी पत्नी को तुरन्त गाड़ी की व्यवस्था करके सदर अस्पताल मऊ लाया तथा भर्ती कर दिया और बोतल चढ़ने लगा। मेरी पत्नी होश में थी। घटना के समय शोर पर मौके पर जोगेन्दर तथा मेरे परिवार के कई लोग आ गये थे। मैं घटना के तुरन्त बाद अपने ससुर रामविजय व चचेरे ससुर रामजनम व रामअवध को फोन से सूचना दे दिया था। मेरी सूचना पर ही रामजनम सदर अस्पताल इलाज के दौरान पहुंच आये थे। सदर अस्पताल से मेरी पत्नी बनारस के लिये संदर्भित हो गयी लेकिन मैं सदर अस्पताल से निकालने के बाद शारदा नारायण अस्पताल में भी दिखाया था। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को अपने चचेरे ससुर रामजनम के साथ चिरैयाकोट के रास्ते से बनारस ले जा रहा था क्योंकि मैं चिरैयाकोट में अपने घर से पैसा मंगाया था। दुर्भाग्य से मेरी पत्नी चिरैयाकोट पहुंचते-पहुंचते मर गयी। चिरैयाकोट में ही मेरे चचेरे ससुर रामअवध व अन्य 10–12 गांव के लोग आ गये थे। रामअवध के साथ लाश लेकर हम लोग थाने चले गये। थाने में रामअवध मुझसे पैसों की मांग करने लगे, मैं असमर्थतता

व्यक्त किया तो उन्होनें मेरे, मेरे पिता और भाईयों के खिलाफ यह मुकदमा कायम कराया। थाने में मैं, मेरे माता, पिता, भाई व बहन सभी लोग थे। रपट होने के बाद जो लोग मुल्जिम बनाये गये थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जब कुवैत कमाने गया था तो अपनी पत्नी अमृता को खर्च के लिये अमृता के सगे भाई दीपक जायसवार जिसका खाता आजमगढ़ स्टेट बैंक में था उनके नाम अपनी कमाई के अनुसार पैसा भेजता था जो वह निकालकर मेरी पत्नी को उसमें से खर्च के लिये देता था। जो रसीद मेरे पास उपलब्ध थी उसे मैं पत्रावली में दाखिल किया हूं। पत्रावली में दाखिल रसीद सं0 110ख से 5000/- रूपये, रसीद सं0 111ख से 5000/- रूपये, रसीद सं0 112ख से 40,000/- रूपये, रसीद सं0 113ख से 12,000/- रूपये, रसीद सं0 114ख से 11,000/- रूपये, रसीद सं0 115ख से 5000/- रूपये, रसीद सं0 116ख 5000/- रूपये, रसीद सं0 117ख से 6000/- रूपये, रसीद सं0 118ख से 35,000/- रूपये, रसीद सं0 119ख से 14,000/- रूपये भेजा था। इसके अतिरिक्त मैं अपने चचेरे ससुर रामजनम के नाम से भी 12,000/- रूपये भेजा था जिसकी रसीद मेरे द्वारा दाखिल किया गया है। मैं अपनी पत्नी अमृता को अपने यहां से इण्टर की पढ़ाई जमुना इण्टर कालेज आजमगढ़ से पूरी करवाया था जिसका अंक पत्र कागज सं0 121ख पत्रावली में दाखिल है। मैं अपनी बहन सरोज की शादी अपनी कमाई से व अन्य भाईयों की मदद से किया था। मैं अपने ससुर से कोई पैसा नहीं लिया था। जेल में जाने के बाद मेरे चचेरे ससुर रामजनम का लड़का पंकज दो बार मुझसे मिलने आया था और कहता था कि मेरे बड़े पिता जी और चाचा जी कहे है कि तुम 5,00,000/- रूपये की व्यवस्था करके दे दो तो हम लोग सुलह कर लेंगे। मैं अपनी पत्नी अमृता को कभी दहेज के लिये प्रताड़ित नहीं किया था और न ही मैं तथा मेरे परिवार के लोग उसे दहेज के लिये जलाये थे। घटना अचानक घटित हो गयी और यह झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ झूठे कथनों पर कायम कराया गया है। मैं निर्दोष हूं।

27. अभियुक्तगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची सं0 109ख से अभियुक्त द्वारा कुवैत से पैसे भेजने वाली रसीदें कागज सं0 110ख ता 120ख तथा मृतका अमृता के इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2010 के अंक पत्र की मूल प्रति कागज

सं0 121ख बतौर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

28. बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा न तो मृतका से कभी किसी प्रकार के दहेज की मांग की गयी और न ही दहेज के लिये प्रतिपीड़ित किया गया और न ही दहेज के लिये जलाया गया, बल्कि वास्तव में पीड़िता की लंबाई केवल साढ़े चार फिट थी। घटना वाली रात्रि में वह तथा उसकी ननद 03.00 बजे रात्रि में शौच के लिये बाहर गयी थी लौटकर आने पर उसकी ननद बाहर सो गयी थी तथा मृतका बरामदे में रखी आलमारी पर जिसकी ऊंचाई 6 फिट है, पर दीया रखने का प्रयत्न कर रही थी, परन्तु लंबाई कम होने के कारण वह आलमारी के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंच सकी तथा दीया उसके ऊपर गिर गया जिससे वह जल गयी। जलने के उपरांत उसके शोर पर उसका पति रमेश तत्काल मौके पर पहुंचा तथा उस पर बाल्टी से पानी डाला, परन्तु तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह काफी जल चुकी थी। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन के साक्ष्यों पर ही ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण ही मृतका को इलाज के लिये तत्काल अस्पताल ले गये थे एवं उसके इलाज का प्रयत्न किया था, परन्तु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वे स्वयं ही मृतका का शव लेकर थाने पर गये थे। यदि उनका उसकी हत्या करने का आशय होता तो वे उसे क्यों स्वयं ही इलाज के लिये ले जाते तथा यदि उन्होनें अपराध किया होता तो स्वयं ही मृतका का शव लेकर थाने क्यों जाते? अभियुक्त रमेश ने ही मृतका के पिता को मृतका के जल जाने की सूचना फोन पर दिया था। यह भी उसके निर्दोष होने का द्योतक है। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त रमेश जब विदेश में था तो उसने विदेश से 5000, 5000, 40000, 12000, 11000, 5000, 5000, 6000, 35000, 14000 रूपयें अपने साले के नाम तथा 12000 रूपये अपने चचेरे ससुर रामजनम के नाम भेजा था जो पत्रावली में कागज सं0 110ख ता 120ख से सिद्ध है। अतः अभियुक्त रमेश तो स्वयं अपने ससुराल में पैसे भेजता था। अतः ससुरालियों से उसके द्वारा पैसे मांगने का प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में अमृता की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका नाजायज लाभ उठाकर अमृता के चाचा ने पहले थाने पर ही रमेश को फर्जी मुकदमा लिखाये जाने की धमकी देकर रूपये की मांग किया, परन्तु जब अभियुक्त द्वारा पैसे

देने से इंकार किया गया तो उसने थाने पर ही फर्जी रिपोर्ट लिखवाकर उन्हें फंसा दिया। यहां तक कि जिन दिनों अभियुक्त रमेश जेल में बंद था उस अवधि में भी कम से कम दो बार उसके चचेरे ससुर रामजनम उससे जेल में मिलकर सुलह करने के लिये पांच लाख रूपये की मांग कर रहे थे, परन्तु अभियुक्त के पास पैसा नहीं था। अतः वादी पक्ष ने उसके विरूद्ध झूठा बयान भी दिया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि मृतका के पिता रामविजय जायसवार पी0डब्लू 3 ने अपने बयान में बताया है कि उन्होनें विदेश जाने के लिये रमेश के मांगने पर पहले 70,000/- रूपये तथा बाद में रमेश की बहन की शादी के अवसर पर 50,000/- रूपये **"मदद"** के तौर पर देना बताया है। अतः पहले तो यह कि रमेश ने उक्त राशियां कभी मांगा ही नहीं था। उनका यह कथन झूठ है, परन्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि पी0डब्लू 3 ने अभियुक्त को 70,000/- रूपये तथा 50,000/- रूपये दिया था तथा उसके बाद भी अभियुक्तगण द्वारा पैसे की मांग की गयी थी तो वह केवल बतौर **"मदद"** थी जो कि दहेज की परिभाषा में नहीं आती क्योंकि उसका संबंध विवाह से नहीं था। बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क के समर्थन में विपिन जायसवाल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य {2013 (2) जे.आई.सी. 377 (एस.सी.)} की विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षियों ने ही स्वतः बताया है कि विदेश रहने की अवधि में मृतका अपने ससुराल में खुशहाल थी, आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। वह अपनी मर्जी से ससुराल तथा मायके आती जाती थी। दहेज की मांग अथवा प्रताड़ना के लिये मृतका के घरवालों द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई शिकायत कहीं दर्ज नहीं करायी गयी थी। रमेश की बहन की शादी के अवसर पर भी पीड़िता के परिवार के लोग अभियुक्तगण के घर गये थे। वहां भी कोई शिकायत मृतका ने उनसे नहीं किया था। अतः इन सब साक्ष्यों से एवं इन सब कारणों से यह सिद्ध नहीं होता कि अभियुक्तगण ने अमृता को दहेज के लिये प्रताड़ित किया हो तथा उसकी दहेज हत्या नहीं किया गया था।

29. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक साक्ष्य पर मनन किया गया, परन्तु यह पाया जाता है कि बचाव पक्ष के

किसी तर्क में बल नहीं है क्योंकि उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि अभियुक्तगण के घर में ही विवाह के सात वर्ष के अंदर ही अमृता की जल जाने से मृत्यु हो गयी। अतः आरोपों के दृष्टिगत न्यायालय को अब केवल यह विचार करना है कि क्या अभियुक्तगण ने मृतका की हत्या कर दिया जो मृतका से दहेज स्वरूप राशि मांगने के कारण तथा विवाह के सात वर्ष के भीतर होने तथा उसे दहेज हेतु प्रतिपीड़ित करने के कारण ''दहेज हत्या'' भी थी?

30. पी0डब्लू 5 डा0 दीपक शाह एवं पी0डब्लू 6 डा0 मोहम्मद आसिफ के बयानों से सिद्ध है कि मृतका शत प्रतिशत जली थी। यदि वास्तव में मृतका पर दीया गिर गया था और उसके शोर पर तत्काल ही रमेश उसे बचाने के लिये पहुंच गया था तो इतनी अल्प अवधि में मात्र दीये में उपलब्ध तेल से मृतका शत प्रतिशत नहीं जल सकती थी। विदित हो कि दीये में पेट्रोल जैसा अतिज्वलनशील तेल भी नहीं होता तथा दीये में उपलब्ध तेल की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। वास्तव में अभियुक्तगण का बचाव में दिया गया यह साक्ष्य तथा यह तर्क झूठा है कि मृतका के ऊपर दीया गिर जाने के कारण मृतका जल गयी क्योंकि अभियुक्त रमेश ने जमानत के स्तर पर अपने जमानत आवेदन पत्र सं0 (Bail Application no. 698/12, कागज सं0 3क/1) के प्रस्तर सं0 4 में यह कथन किया है कि ''घटना के दिन मृतका **चाय बना रही थी** कि इत्तफाकिया रूप से जल गयी।'' अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण यह छिपाने का असफल प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में अमृता किस प्रकार जली। उनका यह भी कथन नहीं है कि उसने आत्महत्या कर लिया था। अतः सत्य को छिपाने के प्रयास में हताशा में कभी यह बता रहे हैं कि वह दिन में चाय बनाते समय जल गयी तथा कभी यह बता रहे हैं कि रात्रि में दीया गिर जाने से जलकर मर गयी। व्यक्त किये गये ये दोनों ही कारण एक दूसरे से खण्डित होकर झूठे साबित हो जाते हैं। अतः इससे प्रतीत होता है कि अमृता के जलने का एक तीसरा ही कारण था जो किसी अन्य के ज्ञान में नहीं है बल्कि अभियुक्तगण के विशेष ज्ञान का विषय है जिसे अभियुक्तगण द्वारा प्रकट नहीं किया जा रहा है। क्यों? अतः इस न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के इस साक्ष्य पर विश्वास किये जाने का तथा धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित रूप से उपधारणा किये

जाने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्तगण ने ही अमृता को उसकी हत्या करने के आशय से जलाकर उसकी हत्या कर दिया। मृतका से किसी अन्य प्रकार की रंजिश अथवा क्षुब्धता नहीं थी, अतः निश्चय ही उक्त हत्या दहेज स्वरूप मांगे गये रूपयों से असंतुष्ट होकर तथा क्षुब्ध होकर ही की गयी थी। यद्यपि यह विधि व्यवस्थायें उपलब्ध हैं कि ससुरालियों से की गयी प्रत्येक मांग दहेज की मांग नहीं होती तथा ऐसी मांग के पश्चात यदि किसी विवाहिता की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु दहेज हत्या की कोटि में नहीं आयेगी क्योंकि ऐसी मांग वास्तव में ''विवाह के संबंध में'' की मांग नहीं होती, परन्तु ऐसी हत्याओं के भिन्न-भिन्न मामलों में तथ्य भिन्न-भिन्न होते हैं तथा उन तथ्यों के आधार पर ही न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ससुरालियों द्वारा ऐसी की गयी मांग ''विवाह के संबंध में'' की गयी मांग थी अथवा नहीं।

31. दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विवाह से पूर्व, विवाह के समय तथा विवाह के पश्चात विवाह के संबंध में की गयी मांग दहेज की मांग होती है अर्थात विवाह सम्पन्न हो जाने के पश्चात भी यदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के संबंध में मांग की गयी हो तो वह मांग दहेज की मांग ही होगी। इस प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मांग की एक श्रृंखला है जो विवाह के तुरन्त बाद से ही प्रकट होना प्रारंभ होती है। सबसे पहले तो तब जब अभियुक्त रमेश विदेश जाने के लिये अमृता के पिता से 70,000/- रूपये की मांग करता है। उसके पश्चात तीन वर्ष के बाद विदेश से लौटने पर अपनी बहन की शादी के अवसर पर अभियुक्त रमेश तथा उसके पिता नगीना द्वारा 50,000/- रूपये की मांग तथा उसके पश्चात पुनः अभियुक्त गनेश द्वारा अमृता के पिता के घर पर आकर उनसे 50,000/- रूपये की मांग करना। इस सभी अवसरों पर अमृता के पिता ने अपनी असमर्थतता भी व्यक्त किया था इसके बावजूद भी पैसा न मिलने पर अभियुक्त रमेश तथा उसके पिता नगीना द्वारा (कृपया देखें पी0डब्लू 3) उक्त पैसों की मांग के लिये अमृता पर दबाव डाला तथा ''तुम्हारी खैरियत नहीं होगी'' जैसे धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करना तथा कुछ ही दिनों पश्चात पुनः अभियुक्त गनेश द्वारा पैसों की मांग करना तथा न मिलने पर ''शादी बीत जाने दीजिये तब आप को तथा आपकी लड़की को नहीं रहने दूंगा''

जैसे शब्दों से धमकी देने से यही निष्कर्ष निकलता है कि उक्त सभी मांग अमृता को मोहरा बनाकर ही की गयी थी। अतः निश्चय ही वे विवाह के संबंध में ही की गयी मांग थी और अंततः, जैसा कि ऊपर निष्कर्ष निकल चुका है अभियुक्तों द्वारा मोहरा अमृता को जलाकर उसकी हत्या भी कारित कर दिया गया। यदि उक्त मांग मात्र एक रिश्तेदार होने के कारण की जाती तो मांग न पूरी होने पर उनके पारिवारिक संबंध आपस में खराब हो सकते थे, एक दूसरे के यहां विभिन्न अवसरों पर आना जाना बंद हो सकता था, परन्तु एक नवविवाहिता को मोहरा बनाना, धमकी देना एवं अंततः उसकी हत्या कर देने से यही सिद्ध होता है कि उक्त मांग उसी नवविवाहिता के विवाह के संबंध में ही की जा रही थी। अतः इन तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तों में से रमेश, गनेश तथा नगीना राम द्वारा न केवल सक्रियता से अमृता से दहेज की मांग की गयी तथा उसे दहेज के लिये प्रतिपीड़ित किया गया बल्कि उसकी अंततः जलाकर हत्या भी कर दी गयी जो स्वयं में हत्या के साथ-साथ दहेज हत्या भी थी। जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्तगण ने ही उसके इलाज का प्रयास किया तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि दिखावे मात्र के लिये इलाज के लिये प्रयत्नरत रहना प्रकट करना आवश्यक था तथा शव लेकर थाने पर पहुंच जाना भी इसी प्रयास को प्रकट करना था। जहां तक अमृता के ससुराल में खुशहाल रहने तथा दहेज के लिये कोई शिकायत दर्ज न किये जाने एवं बहन के विवाह के अवसर पर अमृता के परिवार के सदस्यों का रमेश के घर जाने का प्रश्न है तो इसका कारण यह है कि पहले नवविवाहितायें संबंध को बनाये रखने के प्रयास में ससुराल में अप्रिय व्यवहारों की शिकायत नहीं करती तथा मानमर्यादा की रक्षा हेतु ऐसे व्यवहारों की तुरंत ही थाने पर अथवा घर से बाहर शिकायत नहीं किया जाता तथा सामाजिक रीति रिवाजों एवं संबंधों की मधुरता बनाये रखने की अपेक्षा में एवं कालांतर में सब कुछ ठीक हो जाने की आशा में विवाहिता के घर वाले उसके ससुराल आते जाते रहते हैं तथा संबंधों का पटाक्षेप नहीं करते। जहां तक रमेश द्वारा विदेश से अपने साले के नाम पर पैसा भेजने का प्रश्न है तो उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह सब पैसा अपने ससुरालवालों के लिये भेजता था। वह तो पैसा भेजने का माध्यम भर था जो अपने खाते से निकालकर रमेश के निर्देशानुसार दे देता था। ऐसा कोई साक्ष्य

विद्यमान नहीं है कि वह सब पैसा अपने ससुरालवालों पर खर्च करता था।

32. विदित हो कि थाने पर अमृता का शव पहुंचते ही उसके चाचा राम अवध द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध अविलम्ब रिपोर्ट लिखा दिया गया जबकि अमृता के पिता उस समय अपनी नौकरी पर पश्चिम बंगाल में ही थे। अतः वादी पक्ष द्वारा अमृता की मृत्यु हो जाने के तत्काल पश्चात उसी समय जबकि अमृता का शव थाने पर मौजूद था तथा अभियुक्तगण भी थाने पर ही मौजूद थे से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे अभियुक्तगण के आचरण से पहले से ही खिन्न तथा क्षुब्ध थे। उन्होनें सोच विचारकर, मिलजुलकर किसी राय मशविरे से अभियुक्तगण के विरूद्ध उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से फर्जी रिपोर्ट नहीं लिखाया है क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्रथम सूचना रिपोर्ट कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद लिखायी गयी होती। अतः निश्चय ही अमृता का चाचा होने के कारण अभियुक्तगण के व्यवहार के प्रति जो उसके मन में क्षोभ था उसे प्रकट करते हुये उन्होनें रिपोर्ट लिखाया जो सत्य होने के कारण उससे उसके सभी भाई अर्थात अमृता के दूसरे चाचा तथा उसके पिता पी0डब्लू 2 एवं पी0डब्लू 3 भी सहमत थे तथा उन्होनें अवसर पड़ने पर न्यायालय के समक्ष बयान दिया जो एक दूसरे का संतोषजनक रूप से समर्थन करते हैं जिससे उनमें विश्वसनीयता उत्पन्न होती है तथा वे भरोसेमन्द प्रतीत होते हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में यद्यपि अमृता के पति रमेश के भाई धनेश को भी अभियुक्त बनाया गया है, परन्तु रूपये पैसे मांगने अथवा न देने पर धमकी देने में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका पी0डब्लू 1 एवं 2 अथवा अमृता के पिता पी0डब्लू 3 द्वारा उस प्रकार नहीं बतायी गयी है जिस प्रकार रमेश राम, गनेश राम तथा नगीना राम की बतायी गयी है। धनेश राम के विषय में पी0डब्लू 1 एवं 3 द्वारा केवल एक सामान्य तथा सरसरी तौर पर अन्य अभियुक्तों के संग आरोप लगाया गया है कि वह भी अमृता को मारता पीटता था, परन्तु कोई ऐसा विशेष अवसर अथवा तिथि नहीं बतायी गयी है जिस तिथि पर उसने अन्य अभियुक्तों की भांति अमृता से अथवा उसके घरवालों से किसी धन की मांग किया हो अथवा धमकी दिया हो। यदि धनेश राम द्वारा भी वास्तव में दहेज स्वरूप किसी धन की मांग की गयी होती तथा न मिलने पर किसी प्रकार की धमकी दी गयी होती अथवा अपशब्द कहे गये होते तो साक्षीगण अवश्य ही उस अवसर अथवा ध

ाटना का उल्लेख करते जैसा की उन्होनें रमेश राम, गनेश राम एवं नगीना राम के विषय में किया है। अतः यह प्रतीत होता है कि मात्र रमेश का भाई होने के कारण तथा परिवार का सदस्य होने के कारण उसको भी अभियुक्त बना दिया गया है।

33. इस प्रकार अभियोजन ने अपने समस्त साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम तथा नगीना राम द्वारा मृतका अमृता से तथा उसके पिता से दहेज स्वरूप पैसों की मांग की गयी तथा कम से कम दो अवसरों पर क्रमशः 70,000/- रूपये एवं 50,000/- रूपये प्राप्त किया गया। उनके द्वारा पैसों की मांग अमृता की मृत्यु से ठीक पूर्व भी की गयी तथा पूर्ण संतुष्ट न होने पर अमृता को दहेज के लिये प्रतिपीड़ित किया गया एवं अंततः अमृता को उसके ससुराल में ही जलाकर विवाह के सात वर्ष के भीतर ही उसकी हत्या भी कर दी गयी जो वास्तव में हत्या के साथ-साथ दहेज हत्या भी थी। अतः अभियुक्तगण रमेश राम, गनेश राम तथा नगीना राम को धारा 3 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा 498-ए,304-बी,302 सहपठित धारा 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा अभियुक्त धनेश राम को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

34. दोषी रमेश राम पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। वह न्यायिक अभिरक्षा में बना रहेगा। दोषीगण गनेश राम एवं नगीना राम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। सभी दोषियों को वारंटाधीन जिला कारागार मऊ भेजा जाये।

35. दण्ड के प्रश्न पर दोषियों को सुना जाना है। अतएव दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली नियत तिथि पर पेश हो।

36. दोषीगण के बन्धपत्र तथा जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 24.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट
ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ।

<u>दिनांकः 25.10.2017</u>
<u>पुनश्च</u>

37. दोषीगण रमेश राम, गनेश राम तथा नगीना राम मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्रीप्रकाश यादव उपस्थित।

38. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

39. दोषीगण को धारा 3 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा 498-ए,304-बी एवं 302 भा0दं0वि0 सहपठित धारा 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है। दोषीगण का कथन है कि उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दाण्डित मामले में दण्डित किया गया है। वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। रमेश राम तथा गनेश राम सगे भाई हैं तथा नगीना राम उनके वृद्ध पिता हैं। इस प्रकार केवल अभियुक्त धनेश राम को छोड़कर दोषीगण परिवार के सभी पुरूष सदस्य हैं। कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने की स्थिति में परिवार छिन्न-भिन्न हो जायेगा। परिवार का पालन-पोषण असंभव हो जायेगा। अतः उन्हें कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये, जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्रीप्रकाश यादव द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषियों द्वारा दहेज की मांग कर तथा दहेज की लालसा में एक नवविवाहिता को जलाकर हत्या कर दिया गया है। अतः दोषीगण का अपराध अत्यन्त गंभीर है, अतः उन्हें कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

40. दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध न्यूनतम 5 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से तथा 15,000/- रूपये अथवा दहेज स्वरूप प्राप्त की गयी सम्पत्ति के समतुल्य धनराशि, जो अधिक हो, से तथा धारा 4 के अंतर्गत न्यूनतम 6 माह के सश्रम कारावास के दण्ड से जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा तथा अर्थदण्ड से, भारतीय दण्ड विधि की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध 3 वर्ष तक के सश्रम कारावास के दण्ड से तथा अर्थदण्ड से, धारा 304-बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध न्यूनतम 7 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा

से तथा धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध आजीवन कारावास से अथवा मृत्युदण्ड से तथा अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डनीय है।

41. हस्तगत मामले में दोषियों द्वारा नवविवाहिता से तथा उसके पिता से विवाह के उपरांत से ही नगद धनराशि की मांग की गयी है जबकि उसके पिता द्वारा उनके समक्ष अपनी विवशता व्यक्त भी किया गया था, परन्तु इसके बावजूद 70,000/- रूपये एवं 50,000/- रूपये की धनराशि दोषियों द्वारा प्राप्त किया गया तथा मृत्यु से ठीक पूर्व अग्रिम धनराशि की पुनः मांग की गयी, परन्तु एक विवश पिता दोषियों की उस अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप उसकी पुत्री को न केवल प्रताड़ित किया गया बल्कि अंततः उसे जलाकर उसकी हत्या कर दिया गया। दोषियों की दहेज लोलुपता तथा उनके विचार एवं कर्म पाश्विक हैं। उनके कृत्यों से समाज की शांत आत्मा आहत हुई है। मृतका के माता पिता आहत हुये हैं। उन्हें अपूर्णनीय क्षति हुई है तथा समाज में ऐसे क्रूर तत्व अब भी विद्यमान हैं यह प्रकट हुआ है जिस पर कठोर दण्ड से इस उद्देश्य से अंकुश लगाना अतिआवश्यक है कि समाज में उन जैसे तत्वों को एक पाठ भी मिल सके जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके तथा दहेज की मांग की प्रवृत्ति को कम से कम विधि के भय से समाप्त किया जा सके अन्यथा समाज में न जाने कितनी ही नवविवाहिताओं को अपनी आहूति देनी पड़ेगी और कितने माता पिता को असहनीय पीड़ा सहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में दोषियों को विधि द्वारा प्रदत्त कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना ही न केवल विधिसंगत होगा बल्कि न्यायहित में भी होगा। अतः दोषियों को पर्याप्त अवधि के सश्रम कारावास के दण्ड से तथा ऐसी उपयुक्त धनराशि के अर्थदण्ड से, जिसमें से कि एक उचित मात्रा मृतका के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जा सके, के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा।

आदेश

42. दोषीगण रमेश राम, गनेश राम तथा नगीना राम प्रत्येक को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,20,000/- रूपये (दहेज स्वरूप प्राप्त धनराशि) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अग्रिम 6 माह के सश्रम कारावास के दण्ड से, धारा 4 के

अंतर्गत 7 माह के सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से, भारतीय दण्ड विधि की धारा 498-ए के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से, धारा 302/304-बी/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

43. प्रत्येक दोषी से प्रत्येक धाराओं के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के पिता श्री रामविजय जायसवार को बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा, जिसका भुगतान उन्हे अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन, यदि अपील किया जाये, किया जायेगा।

44. प्रत्येक दोषी पर प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ-साथ चलेगा तथा प्रत्येक दोषी द्वारा इस मामले में दौरान विवेचना तथा/अथवा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि कारावास के दण्ड में समायोजित किया जायेगा।

45. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक-पृथक दण्ड वारंट निर्मित कर उन्हें मय दण्ड वांरट कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को सजा भुगतने हेतु मय निर्णय की एक निःशुल्क प्रति सौंप दिया जाये।

46. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

47. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 25.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट
ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ।

48. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

दिनांकः 25.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट
ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ।

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 250 सन् 2004

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. राधे उर्फ राधेश्याम यादव पुत्र रघुवीर यादव
2. गामा यादव पुत्र रघुवीर यादव
साकिनान- मिर्जापुर, थाना- दोहरीघाट,
जनपद- मऊ।
3. सूर्यभान यादव पुत्र मोहन यादव
साकिन- नियाईपुर, थाना- दोहरीघाट,
जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 206/2002
अंतर्गत धारा 302/34 भा0दं0वि0
थाना- दोहरीघाट, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव का विचारण धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा राजदेव यादव के भतीजे रामपलट यादव की गोली मारकर हत्या कर दिया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 10.06.02 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता राजदेव यादव ने थानाध्यक्ष दोहरीघाट के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *आज दिनांक 10.06.02 को समय करीब 02.00 बजे रात उसके भट्ठे पर राधेश्याम यादव, गामा यादव, रघुवीर यादव व सूर्यभान आये और उसके भतीजे रामपलट यादव को गोली मार दिये जिससे उसके भतीजे की तत्काल मृत्यु हो गयी। आपसी तनाव व भट्ठा बंद करवाने के लिये उसके भतीजे को गोली मारे थे। उसका भतीजा तथा गांव के राजेन्द्र यादव, श्रीकिशुन व परसोतिन भट्ठे पर सोये हुये थे। गोली की आवाज सुनकर भागते हुये व्यक्तियों को पहचाने थे। राधे इत्यादि लोग भट्ठा बंद करवाने के लिये प्रदूषण विभाग बनारस, जिलाधिकारी मऊ,*

जिला पंचायत मऊ, पुलिस अधीक्षक मऊ को दरखास्त दिये थे। कुछ दिन बाद एक लाख रूपये में समझौता हुआ। दिनांक 05.06.02 को रामपलट ने 13,000/- रूपये राधे को दिया। राधे यादव पूरी रकम इकट्ठा मांग रहे थे। रामपलट यादव 10,000/- रूपये प्रतिवर्ष देने को तैयार थे। इकट्ठा पैसा न देने के कारण उसके भतीजे रामपलट को गोली मार दिया गया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना दोहरीघाट में अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव, रघुवीर व सूर्यभान यादव के विरूद्ध अपराध सं0 206/02 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी की लिखित तहरीर एवं नकल जी0डी0 प्राप्त किया। उसका उल्लेख केस डायरी में किया। वादी का बयान अंकित किया। साक्षीगण परसोतिम चौहान, श्रीकिशुन यादव, राजेन्द्र यादव का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। एस.आई. हरिशंकर मिश्र का बयान अंकित किया। घटनास्थल से खून आलूदा बिस्तर के टुकड़े, खूल आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी का नमूना व टार्च एकत्र किया तथा उनकी अलग-अलग फर्द तैयार किया। फर्द के गवाहों का बयान अंकित किया। तहरीर लेखक अवधेश यादव का बयान अंकित किया। पंच नियुक्त कर शव का पंचायतनामा कराया तथा पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया। शव को पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ को प्रेषित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्राप्त कर उसका अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, रघुवीर यादव, सूर्यभान यादव, गामा यादव का बयान अंकित किया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया तथा उसकी नकल केस डायरी में अंकित किया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र

न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया। दौरान विचारण अभियुक्त रघुवीर यादव की मृत्यु हो गयी जिसके कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही दिनांक 26.06.15 को उपशमित कर दिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी श्रीकिशुन, वादी राजदेव यादव, रामसतन, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण सिंह, सेवानिवृत्त एस.आई. शिव कुमार सिंह, डा0 रामप्रकाश, हेड कां0 रामजी राय, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 7 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों फर्द कब्जा में लेने टार्च, तहरीर, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, रघुवीर यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव, घटनास्थल का नक्शा नजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, फर्द कब्जा में लेने खून आलूदा बिस्तर के टुकड़े, खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, चालान नाश, फोटोनाश, पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मऊ, पत्र प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन मऊ, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क11 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे उक्त आरोप को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को उक्त धारा में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्यों को गलत होना बताये हैं तथा वादी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताये हैं। गलत विवेचना करके झूठे आधारों पर आरोप पत्र प्रेषित करना बताये हैं। पी0डब्लू 1,2 एवं 3 द्वारा गलत बयान देना बताये हैं तथा पी0डब्लू 4 द्वारा गलत विवेचना किया जाना

तथा पी0डब्लू 5 के बयान के विषय में अनभिज्ञता व्यक्त किये हैं तथा पी0डब्लू 6 व 7 को गलत आधार पर प्रपत्र सिद्ध करना बताये हैं तथा अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव ने कथन किया है कि घटना के काफी समय पहले से माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय के आवास नं0 1, जजेज कालोनी उच्च न्यायालय कैम्पस इलाहाबाद पर सर्वेन्ट के रूप में कार्य करता था तथा जज साहब के साथ रहता था। कथित घटना दिनांक 10.06.02 को इलाहाबाद में ही मौजूद था तथा दिनांक 10.06.02 को सुबह 06.50 बजे न्यायमूर्ति साहब को इलाहाबाद जक्शन पर प्रयागराज एक्सप्रेस से रिसीव करने गया था। घटना में नामित होने के उपरांत 24.08.02 को माननीय उच्च न्यायालय से अवकाश लेने के उपरांत हाजिर हुआ। मुझे गलत आधार पर फंसाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी विजय बहादुर यादव, रामलच्छन, हरेन्द्र यादव, सेवानिवृत्त निजी सचिव जहीर हसन को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 4 परीक्षित कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का प्रथम साक्षी श्रीकिशुन पी0डब्लू 1 है जिसने अपने बयान में बताया है कि मेरा एक ईंट का भट्ठा है जो मेरे भतीजे मृतक रामपलट के नाम था। भट्ठे की देखरेख रामपलट करता था तथा हम लोग भी लगे रहते थे। भट्ठा जब खुला तो राधेश्याम जो पड़ोस के गांव के रहने वाले थे व उनके आदमी भट्टा न चलाने के लिये कहने लगे तथा प्रदूषण के नाम पर इधर उधर दरखास्त देकर दिक्कतें पैदा करने लगे। राधेश्याम से मेरे भतीजे रामपलट से एक लाख रूपये में समझौता हुआ। तब भट्टा चलने लगा। रूपया थोड़ा-थोड़ा करके दिया जाने लगा। घटना के 3-4 दिन पहले भी 13,000/- रूपया राधेश्याम को दिया गया लेकिन वे पूरा रूपया इकट्ठा चाहते थे और इकट्ठा रूपया न देने के कारण हम लोगों से रंजिश करने लगे। मेरे गांव के सूर्यभान यादव भी ट्रैक्टर जाने के रास्ते पर नाद रखकर रास्ता रोकने लगे। हम लोगों के आर्थिक विकास को देखकर सूर्यभान भी हम लोगों से

रंजिश रखने लगे। घटना के पहले मेरे भट्ठे की आग कट गयी थी। भट्ठे पर मेरे अलावा भतीजा रामपलट, चौकीदार सोतिम (पुरसोतिम) व ट्रैक्टर चालक राजेन्दर थे। हम लोग भट्ठे पर सोते थे। घटना की रात मैं दक्षिण तरफ सोया था। रामपलट भट्ठे पर मड़ई में, आफिस में चौकीदार सोये थे। राजेन्द्र व सोतिम आफिस के सामने अगल बगल सोये थे। तीनों–चारो लोग आपस में अगल–बगल सोये थे। दिनांक 10.06.02 को रात में करीब 02.00 बजे लगातार दो फायर की आवाज सुनकर जग गया तथा अपने भतीजे रामपलट की तरफ टार्च जलाया तब तक राजेन्द्र व सोतिम भी जग गये थे तो रामपलट छटपटा रहा था। राधेश्याम उर्फ राधे व गामा अपने हाथ में कट्टा लिये थे तथा उनके पीछे सूर्यभान व रघुवीर थे। सूर्यभान टार्च लिये थे तथा पूरब की तरफ जा रहे थे। मैं, राजेन्द्र व परसोतिम जब रामपलट के पास पहुंचे तो देखे कि रामपलट के सिर में गोली लगी है और वह लहुलुहान है। तब हम लोग चिल्लाये कि रामपलट को गोली मारकर जा रहे हैं। हम लोगों ने राधेश्याम आदि चारो लोगों का कुछ दूरी तक पीछा किया, परन्तु चूंकि मुल्जिमान के हाथ में हथियार था इसलिये ज्यादा दूर तक पीछा नहीं किया और लौट आये। लौटकर भतीजे को देखा तो वह मर चुका था। इसी बीच मेरे भाई राजदेव यादव आ गये। उनसे सारी घटना बताया। दरोगा जी मेरा बयान लिये थे। तीन सेल की एवरेडी टार्च की रोशनी में मैनें घटना देखा था जिसे आज मैं न्यायालय लाया हूं। दरोगा जी ने मौके पर मेरा टार्च लिया तथा सुपुर्दगी में मुझे दिया था जिसकी फर्द प्रदर्श क1 मेरे सामने तैयार किया गया था तथा टार्च पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया।

9. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मेरे बताने पर दरोगा जी ने घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया था.............। पुलिस वाले जब आये थे तो लाश उसी चौकी पर उसी हालत में पड़ी थी। जब हम रामपलट के यहां पहुंचे तो रामपलट खून से लहुलुहान थे। मैनें उनको उठाया नहीं था, उलट–पुलट कर देखा भी नहीं था............। कनपटी से सीने से खून बह रहा था। खून देखकर मैं घबरा गया था............। राजदेव भी आ गये थे, आकर खड़े थे और पूरा गांव आकर खड़ा था............। राजेन्द्र मेरा ट्रक ड्राइवर है.............। परसोतिम मेरा चौकीदार है.............। ट्रैक्टर को राजेन्द्र चलाते थे। मर्डर होने के बाद से नहीं चला रहे हैं.............। मेरे सामने दरोगा जी खून की

मिट्टी, कम्बल और चादर कब्जे में लिये थे तथा लिखा पढ़ी किये थे..............। दरोगा जी सुबह लगभग आठ बजे आये थे और 3-4 घण्टे तक वहां रूके थे। दरोगा जी को कोई बुलाने नहीं गया था। रिपोर्ट होने पर स्वयं आये थे। रिपोर्ट करने मैं नहीं गया था। मेरे भाई साहब गये थे। दरोगा जी लाश को भट्ठे पर से सील मुहर करके ले गये थे.............। रामपलट को घायल अवस्था में देखा तो वह जिन्दा थे............। गांव वाले घटना के तुरंत बाद आ गये थे। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को सुझाव दिया गया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तथा यह कि जैसा उसने बताया है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है तथा उसने झूठा बयान दिया है तो साक्षी ने सुझावों से इंकार किया।

10. साक्षी के प्रतिपरीक्षण पर ध्यान दिया जाता है तो यह कदापि प्रतीत नहीं होता कि उसने मुख्य परीक्षण में झूठा बयान दिया हो। साक्षी का बयान विवेचक द्वारा धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत भी अंकित किया गया है परन्तु साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान तथा धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में कोई विरोधाभाष नहीं है जिससे साक्षी का न्यायालय में दिया गया बयान संदेहास्पद प्रतीत हो। साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान में सहजता एवं स्वाभाविकता प्रकट होती है। साक्षी ने बयान में बताया है कि फायर की आवाज सुनने के बाद वह तथा परसोतिम एवं राजेन्द्र भी रामपलट की तरफ गये तो देखे कि रामपलट की छटपटा रहे थे तथा राधेश्याम उर्फ राधे व गामा अपने हाथ में कट्टा लिये थे तथा उनके पीछे सूर्यभान तथा रघुवीर थे एवं वे पूरब की तरफ भाग रहे थे। साक्षी ने बताया है कि उन लोगों ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया परन्तु चूंकि उनके पास हथियार था इसलिये डर के मारे ज्यादा दूर तक पीछा नहीं किया एवं लौट आये तथा लौटकर देखे तो उनका भतीजा रामपलट मर चुका था। इसी बीच मेरे भाई राजदेव यादव आ गये। उनसे सारी घटना बताया। अतः अब न्यायालय को यह देखना है कि राजदेव ने क्या बताया है।

11. अभियोजन ने वादी मुकदमा राजदेव को बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है। उसने बयान दिया है कि घटना से लगभग एक वर्ष पहले मेरा भतीजा रामपलट यादव गांव के किनारे ईंट भट्ठा शुरू किया था। घटना के समय दूसरा साल था। यह भट्ठा

अमिला बाजार के विनोद गुप्ता के साले का था। दोनों लोग मिलकर भट्ठा चलाते थे। भट्ठे के बगल के गांव मिर्जापुर मठिया के राधेश्याम उर्फ राधे भट्ठा शुरू करने में व्यवधान डाले थे तथा भट्ठा न चलाने की धमकी दिये थे तथा प्रदूषण विभाग बनारस व एस.पी. को यहां प्रदूषण का आरोप लगाकर दरखास्त दिये थे। मेरे भतीजे रामपलट से राधेश्याम ने उसी समय समझौता किया कि एक लाख रूपया दे दो और भट्ठा चलाओ। मेरा भतीजा एक लाख रूपया देने के लिये तैयार हो गया। भट्ठा शुरू होने के बाद समझौते के मुताबिक मेरे भतीजे ने तेरह हजार रूपये दिया था। राधेश्याम कहते थे कि उसे एकमुश्त एक लाख रूपया चाहिये तो मेरे भतीजे ने कहा कि एकमुश्त रूपया नहीं दे पाउंगा, दस-दस हजार रूपये किस्त में दे सकता हूं। इसी बात को लेकर मुल्जिमान राधेश्याम उर्फ राधे, गामा, रघुवीर नाराज हो गये। सूर्यभान का मकान मेरे गांव के सामने है। सूर्यभान रास्ते में नाद रख दिये थे जिससे हम लोगों का रास्ता रूक जाता था तथा रास्ते में सूर्यभान मड़ई भी डाल दिये थे। सूर्यभान हम लोगों से जलन रखते थे। रमेश चौहान, सूर्यभान के घर अक्सर आता जाता था क्योंकि सूर्यभान की लड़की से रमेश का नाजायज संबंध था। घटना वाली रात रमेश 11.00 बजे रात्रि में भट्ठे से होकर अपने घर की तरफ गया था। घटना के 15-20 दिन पहले भट्ठा बंद हो गया था। भट्ठे पर चौकीदार परसोतिम, भाई श्रीकिशुन, रामपलट तथा ड्राइवर राजेन्द्र सोते थे। घटना हुये आज से 06 वर्ष से अधिक हुआ। मेरा भतीजा रामपलट भट्ठे के आफिस के बरामदे में चौकी पर लेटा था तथा आफिस के सामने राजेन्द्र चालक व परसोतिम क्रमशः चारपाई व चौकी पर लेटे थे तथा मेरे भाई श्रीकिशुन दक्षिण तरफ कोने में चारपाई पर लेटे थे। मैं अपने घर पर सोया था कि दो बजे रात को मैं लगातारा दो-तीन फायर की आवाज सुनकर जग गया तथा भट्ठे पर गया तो देखा कि रामपलट गोली लगने के कारण मर गये थे तथा उनके शरीर से खून बह रहा था **तथा श्रीकिशुन, परसोतिम व राजेन्द्र बताये कि आवाज सुनकर जब हम लोग टार्च जलाते हुये रामपलट के पास पहुंचे तो देखे कि राधेश्याम उर्फ राधे, गामा, रघुवीर और सूर्यभान, रामपलट को गोली मारकर भागे जा रहे थे।** मुझे पूरी घटना इन्हीं लोगों के द्वारा मालूम हुई। फायर की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग आ गये थे। घटना के बावत मैनें राजेन्द्र, परसोतिम व श्रीकिशुन

के बताने के आधार पर अवधेश से दरखास्त प्रदर्श क2 लिखवाया और दरखास्त पढ़वाकर, सुनकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने में देकर मुकदमा लिखाया था। दरोगा जी ने मेरा बयान उसी दिन लिया था तथा मेरी निशानदेही पर दरोगा जी ध ाटनास्थल का नक्शा नजरी बनाये थे।

12. विदित हो कि इसी साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वही अंकित किया है जो उसने न्यायालय में बताया है, अतः साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का समर्थन उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित वक्तव्य से होता है जिससे साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटना के पहले मैं घर पर सोया था। घटना के बाद मैं मौके पर आया। मैं दूसरों के बताने पर ही घटना के विषय में जाना। मैनें घटना को घटित होते अपनी आंख से नहीं देखा क्योंकि मैं घटनास्थल पर घटना के समय नहीं था। मैं यह बता सकता हूं कि कौन कहां-कहां था। साक्षी का यह बयान स्वाभाविक प्रतीत होता है तथा इस साक्षी के बयान का पूरा-पूरा समर्थन पी0डब्लू 1 के बयान से होता है क्योंकि पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया है कि फायर होने के बाद उसकी आंख खुली तो उसने रामपलट को गोली लगी हुई अवस्था में तथा अभियुक्तों को भागते हुये देखा था एवं उनका पीछा भी किया था तथा कुछ देर बाद लौट आया था। इस बीच उसके भाई राजदेव भी पहुंच गये थे तो उसने उनसे घटना के विषय में बताया था। यह साक्षी भी यही बता रहा है कि घटना उसने अपनी आंख से नहीं देखा था। गोली की आवाज सुनकर वह भट्ठे पर पहुंचा तो दूसरों के अर्थात पी0डब्लू 1 के बताने के आधार पर घटना के विषय में जाना था। साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मैनें मुल्जिमान को गोली चलाते नहीं देखा। उनको भागते हुये दूर से देखा था। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में मुल्जिमान को भागते हुये दूर से देखना नहीं बताया है, अतः यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने वास्तव में मुल्जिमान को भागते हुये स्वयं नहीं देखा था बल्कि अपने भाई के बताने के आधार पर ही बता रहा है। इस प्रकार का व्यवहार साक्षियों में सामान्य है परन्तु उसके बयान से यह अवश्य सिद्ध होता है कि जैसे ही वह मौके पर पहुंचा तो पी0डब्लू 1 ने उसे घटना एवं अभियुक्तों

के विषय में बता दिया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे बताया है कि चूंकि राजेन्द्र व श्रीकिशुन रोज उसी स्थान पर सोते थे इसलिये मुझे पता है कि राजेन्द्र, श्रीकिशुन व चौकीदार किस स्थान पर सोये थे। साक्षी का बयान स्वाभाविक है। उसने आगे बताया है कि जिस समय मैं मुल्जिमान को देखा उस समय भट्ठे से पूरब की तरफ थे..............। मैनें जब मुल्जिमान को देखा तो मुल्जिमान मुझसे 2-3 बीघे की दूरी पर थे। उस दिन दो बजे रात अंधेरी रात थी। बीच में खुला मैदान था। बीच में कुछ बोया नहीं था क्योंकि मेरे घर से भट्ठे तक रास्ता है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को सुझाव दिया गया है कि उसने घटना स्वयं नहीं देखा था तथा जो भी बता बताया है वह दूसरों के बताने के आधार पर बताया है तो साक्षी ने सुझाव स्वीकार किया। अतः इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता है कि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में झूठा कथन नहीं किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण में यह बताकर कि उसने मुल्जिमान को जब देखा तो वे भट्ठे के पूरब तरफ 2-3 बीघे की दूरी पर थे उसने तनिक अतिश्योक्ति से काम लिया है जो विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। सत्य यही है कि जब वह भट्ठे पर पहुंचा तो हमलावर भाग चुके थे परन्तु उसके भाई श्रीकिशुन जो हमलावरों का कुछ दूर तक पीछा करके लौटे थे अपने भाई (इस साक्षी) को देखकर उसे उसी समय घटना एवं हमलावरों के विषय में बताया था।

13. पी0डब्लू 2 ने ऊपर अपने बयान में बताया है कि उसने प्रदर्श क2 देकर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था। अभियोजन ने हेड कां0 रामसतन को बतौर पी0डब्लू 3 परीक्षित किया है। उसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 10.06.02 को वादी मुकदमा राजदेव के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मैनें अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, रघुवीर यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 206/02, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 समय 06.20 बजे की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क3 किता किया था तथा उसी दिन उपरोक्त मुकदमें की कायमी जी0डी0 बतौर रपट नं0 11 समय 06.20 बजे किता किया था जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श क4 है। प्रदर्श क3 एवं प्रदर्श क4 पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है। यद्यपि साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे साक्षी का बयान झूठा

प्रतीत हो। अतः इस साक्षी के बयान एवं प्रदर्श क3 व प्रदर्श क4 से यह सिद्ध होता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.06.02 को ही प्रातः 06.20 बजे हो गयी थी।

14. अभियोजन ने शव विच्छेदन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में शव विच्छेदन करने वाले डा0 राम प्रकाश, वरिष्ठ परामर्शदाता को बतौर पी0डब्लू 6 परीक्षित किया है, जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 10.06.02 को समय 03.15 बजे उन्होनें मृतक रामपलट यादव के शव का शव विच्छेदन किया था। शव सील मुहर अवस्था में प्राप्त हुआ था तथा जिसकी कां0 अवधेश सिंह एवं कां0 रामजी राय ने शिनाख्त किया था। उन्होनें प्रपत्रों से शव का मिलान किया था जो सही था। मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी। मृतक की मृत्यु लगभग आधे दिन की थी। मृतक सामान्य कद काठी का था। आंख, मुंह बंद था। शरीर के पूरे हिस्से में अकड़न मौजूद थी। पोस्टमार्टम स्टेनिंग डिपेन्डेन्ट पार्ट पर मौजूद थी। शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें पायी गयी थी–

चोट नं.1– आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 2X2 सेमी. मस्तिष्क की गुहा तक गहरा चोट बांये कान से एक सेमी. आगे जो फेस और टेम्पोरल रीजन के जंक्शन पर था। चोट के चारो तरफ 4X4 सेमी. के क्षेत्र में ब्लैकनिंग थी। चोट की मार्जिन इनवर्टेड थी। चोट के नीचे हड्डियां बांया टेम्पोरल, बांया मेन्डीबुल का ऊपरी हिस्सा एवं फ्रन्टल बोन फ्रैक्चर था। चोट की मार्जिन अन्दर की तरफ धंसी हुई थी।

चोट नं.2– आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 5X3 सेमी. मांसपेशी तक गहरी दाहिने चेहरे पर मुख के दाहिने किनारे से एक सेमी. दाहिने था।

चोट नं.3– आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 2X2 सेमी. चेस्ट गुहा की गहराई तक दाहिने हंसुली से 2 सेमी. नीचे एवं दाहिने कन्धे से 5 सेमी. ऊपर अन्दर की तरफ थी। चोट के किनारे अन्दर की तरफ धंसे हुये थे। चोट के चारो तरफ 22X8 सेमी. के क्षेत्र में ब्लैकनिंग एवं टैटुइंग मौजूद थी जो चेहरे पर दोनों तरफ थी एवं दाहिने गर्दन से हंसुली के बीच वाले क्षेत्र में तथा दाहिनी भुजा के ऊपरी हिस्से में थी। यह चोट, चोट नं0 2 से एप्राक्सीमेट कर रही थी अर्थात मिलान कर रही थी।

चोट नं.4– आग्नेयास्त्र का निकास घाव 3X3 सेमी. जो दाहिने सीने के पिछले

हिस्से में दाहिने स्केपुला के निचले हिस्से से 2 सेमी. नीचे थी। पोस्टीरियर एक्जीलरी लाइन पर थी। यह चोट, चोट नं0 3 से कम्यूनिकेट कर रही थी।

आंतरिक परीक्षणः- गर्दन, स्कैल्प, स्कल पर चोटें जैसा कि चोट नं0 1 में वर्णित है मस्तिष्क की झिल्ली एवं मस्तिष्क फटा हुआ था एवं मस्तिष्क से प्लास्टिक वेंडिंग कार्क एवं 20 पिलेट्स पाये गये। सीने की भित्तियां जैसा कि चोट नं0 3 में वर्णित है। दाहिना फ्यूरा फटा हुआ था एवं सीने की गुहा में 300 मिली. रक्त मौजूद था तथा दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था। हृदय का दाहिना भाग भरा हुआ तथा बांया भाग खाली था। मुंह में दांत 16/16 थे। आमाशय में 200 मिली. अधपचा भोजन मौजूद था। छोटी व बड़ी आंत में फीकल मैटर व गैस था। मलाशय आधा भरा हुआ था। पित्ताशय आधा भरा हुआ था। पेशाब की थैली खाली थी। मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण उत्पन्न कोमा से हुई थी। मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व आयी चोटें सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त थी। मृतक के शरीर पर कुल 7 इनक्लोजर्स थे। मृतक के शरीर से पाये गये 20 छोटे-छोटे पिलेट्स पर वस्तु प्रदर्श 7 ता 26 तथा प्लास्टिक वेंडिंग कार्क पर वस्तु प्रदर्श 27 डाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं0 12क/1 प्रदर्श क6 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। प्रदर्श क6 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें मृतक रामपलट यादव के शव पर वही चोटें अंकित हैं तथा मृत्यु का वही कारण वर्णित है जैसा साक्षी ने न्यायालय में बताया है। अतः साक्षी के साक्ष्य का समर्थन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क6 से भी होता है।

15. बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में झूठा कथन किया हो तथा मृतक के शव का परीक्षण करके झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रेषित किया हो।

16. अभियोजन का अगला साक्षी हेड कां0 रामजी राय पी0डब्लू 7 है जिन्होनें बयान दिया है कि मैं, एस.आई. हरिशंकर मिश्रा के साथ कई जिलों में कार्य किया हूं तथा उनके लेख व हस्ताक्षर को भलीभांति पहचानता हूं। मृतक रामपलट यादव का पंचायतनामा प्रदर्श क7 एस.आई. हरिशंकर मिश्रा के लेख व हस्ताक्षर में है तथा मृतक के पंचायतनामें से संबंधित समस्त कागजात चालाननाश, फोटोनाश, पत्र सी.एम.ओ., पत्र आर.आई., क्रमशः प्रदर्श क8 ता प्रदर्श क11 भी एस.आई. हरिशंकर मिश्रा के

लेख व हस्ताक्षर में है। एस.आई. हरिशंकर मिश्रा की मृत्यु हो चुकी है।

17. अभियोजन द्वारा इस मामले की विवेचना क्रमशः दो विवेचकों द्वारा करना बताया गया है। प्रथम विवेचक सेवानिवृत्त एस.आई. शिव कुमार सिंह को बतौर पी0डब्लू 5 परीक्षित किया गया है, जिन्होनें बयान दिया कि दिनांक 10.06.02 को वह थाना दोहरीघाट पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन समय 06.20 बजे प्रातः मुकदमा अपराध सं0 206/02 धारा 302 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया था एवं वादी का बयान अंकित किया। घटनास्थल पर पहुंचकर हमराही एस.आई. हरिशंकर मिश्रा को मृतक रामपलट यादव के शव का पंचायतनामा करने हेतु लगाया तथा मौके पर ही गवाह परषोत्तिम चौहान, श्रीकृष्ण यादव व राजेन्द्र यादव का बयान अंकित किया तथा गवाह परषोत्तिम चौहान की निशानदेही पर ही घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क6 बनाया। एस.आई. हरिशंकर मिश्रा का बयान अंकित किया तथा मौके से मृतक जिस बिस्तर पर लेटा था उस बिस्तर के खून आलूदा टुकड़े कब्जा पुलिस में लेकर फर्द प्रदर्श क7 तैयार किया तथा उसी समय घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही फर्द प्रदर्श क8 बनाया था तथा जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। घटना को साक्षी श्रीकिशुन द्वारा जिस तीन सेल की टार्च से देखा जाना बताया गया था उस टार्च को भी कब्जा पुलिस में लेकर फर्द प्रदर्श क1 तैयार किया था तथा उक्त टार्च को श्रीकिशुन की सुपुर्दगी में दे दिया था। माल मुकदमाती एक सफेद कपड़े में सीलबन्द हालत में न्यायालय में पेश किया गया तथा न्यायालय के आदेश से खोला गया तो अलग-अलग डिब्बों में खून आलूदा व सादी मिट्टी, सफेद कपड़े के अन्दर एक भेड़ के ऊन की सफेद कमरी, एक भूरे रंग की खूनी चादर थी जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि इसे ही घटनास्थल से कब्जा पुलिस में लिया गया था जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 1 ता 4 डाला गया तथा कार्टून पर वस्तु प्रदर्श 5 व सफेद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 6 डाला गया। फर्द के गवाहान भानू प्रताप यादव, जयप्रकाश यादव का बयान अंकित किया। पंचायतनामे के गवाह परषोत्तिम चौहान, रामबदन यादव, राजेन्द्र यादव, अवधेश यादव व रामप्यारे यादव का

बयान अंकित किया। दिनांक 13.06.02 को पोस्टमार्टम कराने वाले आरक्षी अवधेश सिंह व रामजी राय का बयान अंकित किया तथा चिक लेखक हेड कां0 रामसतन का बयान अंकित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 18.06.02 को अभियुक्तगण रघुवीर यादव व सूर्यभान यादव की गिरफ्तारी अमल में लायी गयी। दिनांक 22.06.02 को पंचायतनामें की नकल केस डायरी में किया। दिनांक 27.06.02 को भट्ठा मुनीब सुबाष गुप्ता का बयान केस डायरी में अंकित किया तथा उसके द्वारा दी गयी डायरी की छाया प्रतियों को केस डायरी में संलग्न किया गया। दिनांक 29.06.02 को आत्मसमर्पण किये अभियुक्त गामा यादव का बयान जिला कारागार मऊ पहुंचकर अंकित किया। इस मुकदमे से संबंधित माल मुकदमाती खून आलूदा कपड़ा, खून आलूदा व सादी मिट्टी, पोस्टमार्टम से प्राप्त एक सील मुहर लिफाफा जिसमें कारतूस का काक व छर्रा, खून आलूदा बिस्तर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण हो गया। दूसरे विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण सिंह हैं। उन्हें बतौर पी0डब्लू 4 परीक्षित किया गया है।

18. पी0डब्लू 4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण सिंह ने बयान दिया है कि दिनांक 03.08.02 को उक्त विवेचना का कार्य मुझे प्राप्त हुआ जिसमें अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव की गिरफ्तारी शेष थी। घटना के समय अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल के यहां प्यून के पद पर तैनात था। विवेचना से अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर गिरफ्तारी का प्रयास किया लेकिन अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो गया। माननीय न्यायालय के आदेश से अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव का बयान जिला कारागार मऊ में लिया तथा अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, रघुवीर यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 प्रदर्श क15 प्रेषित किया।

19. बचाव पक्ष द्वारा इन दोनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता है कि दोनों ही विवेचकों द्वारा मामले की झूठी

विवेचना किया गया हो तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया हो।

20. विदित हो कि अभियोजन ने तथ्यों के साक्षियों के रूप में घटना के केवल दो साक्षी पी0डब्लू 1 एवं 2 को परीक्षित किया है जिनके साक्ष्यों का उल्लेख ऊपर किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियोजन कथानक अनुसार मौके पर राजेन्द्र, परसोतिम भी पहुंच गये थे परन्तु अभियोजन ने उन्हें परीक्षित नहीं किया है। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पी0डब्लू 1 ने न तो घटना देखी है और न ही हमलावरों को देखा है। वास्तव में किसी अज्ञात बदमाश द्वारा रामपलट से रंजिश होने के कारण रामपलट की रात के किसी पहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। प्रातः काल जब भट्ठे पर पड़े रामपलट के शव को उसके घरवालों ने देखा तो उसे वहां से उठाकर भट्ठे पर बने भट्ठे के कार्यालय में रखी हुई चौकी पर उसके शव को लिटाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध रंजिश होने के कारण उन्हें फंसाने के उद्देश्य से उन्हें नामित करते हुये उनके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखा दिये। अभियुक्तगण के विरूद्ध रामपलट की हत्या करने का कोई हेतुक का साक्ष्य नहीं है। पी0डब्लू 2 के साक्ष्य से ही सिद्ध है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अतः घटना उसने अपनी आंख से नहीं देखा है। अभियुक्तों के विषय में उसने श्रीकिशुन के बताने के आधार पर उनका नाम बताया है। अतएव अभियुक्तों के विषय में पी0डब्लू 2 का बयान अनुश्रुति साक्ष्य है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। पी0डब्लू 1 का बयान अपने आप में विश्वसनीय नहीं है। निश्चय ही वह हितबद्ध साक्षी है तथा इस एकमात्र साक्षी के साक्ष्य का समर्थन किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से नहीं होता। अतएव पी0डब्लू 1 के एकमात्र असमर्थित साक्ष्य से घटना सिद्ध नहीं होती। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि घटना के समय अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव इलाहाबाद शहर में मौजूद था। वह माननीय उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति महोदय के आवास पर सर्वेन्ट क्वार्टर में ड्राइवर के रूप में 24 घण्टे रहता था तथा घटना वाले दिन प्रातः माननीय न्यायमूर्ति महोदय की निजी कार लेकर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन गया था जहां माननीय न्यायमूर्ति महोदय प्रयागराज एक्सप्रेस से वापस आ रहे थे। अतएव ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव

की घटनास्थल पर उपस्थिति ही सम्भव नहीं है परन्तु बचाव पक्ष के इन तर्कों में बल नहीं है। उसके निम्नलिखित कारण हैंः-

21. सर्वप्रथम तो यह कि घटना दो बजे रात्रि की बतायी गयी है। उस समय निश्चित ही सभी व्यक्ति सोयी हुई अवस्था में होंगे। अतः किसी साक्षी से यह अपेक्षा नहीं है कि वह हमलावरों को आते हुये, आकर गोली चलाते हुये तथा गोली चलाकर भागते हुये, इस क्रम में देखेगा। निश्चय ही साक्षीगण गोली की आवाज सुनकर ही जगेंगे तथा उनके पहुंचते ही हमलावर मौके से भाग जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। रामपलट भट्ठे पर निर्मित भट्ठे के कार्यालय में स्थित चौकी पर सो रहा था तथा श्रीकिशुन एवं राजेन्द्र तथा परसोतिम भट्ठे पर खुले में सो रहे थे। दो फायर की आवाज सुनने पर उनका जग जाना स्वाभाविक है, अतः वे जग गये और जगकर जब उन्होनें तुरंत ही रामपलट को देखा तो वह चौकी पर लेटा था, उसे गोली लग चुकी थी तथा श्रीकिशुन ने अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव एवं गामा यादव के हाथ में कट्टा तथा सूर्यभान के हाथ में टार्च एवं रघुवीर को उनके संग देखा जो भाग रहे थे। सभी अभियुक्तगण उसके पूर्व परिचित थे, अतः श्रीकिशुन उन्हे भली भांति पहचानता था। उसने भागते हुये उक्त हमलावरों का कुछ दूर तक पीछा किया परन्तु जैसा कि उसका कथन है कि उनके हाथ में हथियार था अतः वह लौट आया। यह उसका स्वाभाविक आचरण था। कोई भी व्यक्ति असलहों से लैस व्यक्तियों का पीछा नहीं करेगा। साक्षी ने बयान दिया है कि लौटकर जब वह आया तब तक रामपलट मर चुका था एवं इस बीच उसके भाई राजदेव भी मौके पर पहुंच गये थे तथा उसने हमलावर अभियुक्तों के विषय में उसी समय तत्काल उसे बता दिया था। पी0डब्लू 2 के बयान के अनुसार वह भी फायर की आवाज सुनकर भट्ठे पर पहुंचा था तो उसने रामपलट को गोली लगी अवस्था में देखा था और अभियुक्तों के विषय में उसी समय श्रीकिशुन आदि ने उसे बताया कि आवाज सुनकर जब हम लोग टार्च जलाते हुये रामपलट के पास पहुंचे तो देखे कि राधेश्याम उर्फ राधे, गामा, रघुवीर और सूर्यभान, रामपलट को गोली मारकर भागे जा रहे थे। साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा था बल्कि श्रीकिशुन आदि के बताने के आधार पर अभियुक्तों का नाम बता रहा है। यद्यपि पी0डब्लू 2 ने

अपने बयान में यह बताया है कि उसने घटना अपनी आंख से नहीं देखा था बल्कि श्रीकिशुन आदि के बताने के आधार पर अभियुक्तगण का नाम बता रहा है। अतः इस आधार पर साक्षी का साक्ष्य अनुश्रुति साक्ष्य है परन्तु ऐसी अनुश्रुति बतौर एक अपवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य साक्ष्य है क्योंकि घटनास्थल पर श्रीकिशुन ने अभियुक्तों का पीछा करके लौटने के तुरंत बाद ही रामपलट के शव के स्थान पर अपने भाई पी0डब्लू 2 को देखकर उसी समय उसने अभियुक्तों का नाम बता दिया था। अतएव फायर की आवाज सुनना, जगना, रामपलट को साक्षी द्वारा घायल अवस्था में देखना, साक्षी द्वारा अभियुक्तों का पीछा करना, हताश निराश लौटना एवं उसी क्रम में मृतक के शव के पास ही अपने दूसरे भाई पी0डब्लू 2 को देखकर साक्षी द्वारा समस्त घटना एवं अभियुक्तों का नाम बताना वास्तव में एक ही समव्यवहार के यद्यपि भिन्न-भिन्न परन्तु अटूट अंश हैं जो मिलजुलकर घटनाक्रम का एक पूर्ण (complete) चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस साक्षी का साक्ष्य सत्य एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि परिस्थितियों के दृष्टिगत फायरों की आवाज सुनकर इसका घटनास्थल पर पहुंचना स्वाभाविक है तथा इस अवधि में हमलावरों का मौके से भाग जाना तथा श्रीकिशुन आदि द्वारा उनका पीछा करना एवं श्रीकिशुन आदि द्वारा लौटकर घटनास्थल पर मौजूद इस साक्षी को पाकर घटना के विषय में एवं अभियुक्तों के विषय में बताना स्वाभाविक है। पी0डब्लू 1 एवं 2 का साक्ष्य एक दूसरे को भली प्रकार से समर्थन प्रदान करता है। यद्यपि यह सत्य है कि घटनास्थल के राजेन्द्र एवं परसोतिम को भी साक्षी बताया गया है परन्तु उन्हें परीक्षित नहीं किया गया है परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव सफल अभियोजन पर नहीं पड़ता क्योंकि न्यायालयों द्वारा साक्षियों की संख्या की गणना नहीं किया जाता बल्कि उपलब्ध साक्ष्य की गुणवत्ता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में साक्ष्यों की संख्या नहीं बल्कि उनकी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है। यदि एक ही साक्ष्य संतोषजनक रूप से विश्वसनीय हो तो अनेक अन्य साक्ष्यों की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण में चूंकि पी0डब्लू 1 एवं 2 के साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द प्रतीत होते हैं। अतएव अन्य साक्ष्यों के अभाव में भी उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

22. पी0डब्लू 1 एवं 2 के साक्ष्यों से यह भी सिद्ध होता है कि अभियुक्त राधे उर्फ

राधेश्याम यादव प्रारंभ से ही रामपलट के भट्ठा चलाने में अनावश्यक रूप से निश्चय ही रामपलट से अनुचित लाभ प्राप्त करने की अभिलाषा से व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। मजबूर होकर रामपलट ने उससे एक बड़ी रकम अर्थात एक लाख रूपये में समझौता किया था जिससे वह आगे अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। यह राशि कुछ और नहीं बल्कि Extortion स्वरूप प्राप्त होने वाली राशि थी। उसी राशि की अदायगी में रामपलट ने अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव को घटना से 2-3 दिन पूर्व ही तेरह हजार रूपये की राशि दिया था परन्तु राधे उर्फ राधेश्याम यादव समस्त धनराशि एकमुश्त प्राप्त करना चाहता था जिसे अदा करने में रामपलट असमर्थ था। अतः उसने इंकार कर दिया। राधे उर्फ राधेश्याम यादव की इसी का क्षोभ था तथा इसी क्षोभ स्वरूप उसने रामपलट की हत्या को अंजाम दिया था। दूसरे शब्दों में अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव के पास हत्या करने का हेतुक विद्यमान था जिसे पी0डब्लू 1 एवं 2 के साक्ष्यों द्वारा सिद्ध किया गया है। अतः निश्चय ही हत्या वही करेगा जिसके पास हत्या का हेतुक विद्यमान हो। अभियुक्त सूर्यभान भी रामपलट आदि से ईर्ष्या रखता था तथा ट्रैक्टर ले जाने के रास्ते में गतिरोध उत्पन्न करता था। अतः उसके पास भी ईर्ष्या के वशीभूत होकर रामपलट की हत्या करने का हेतुक विद्यमान था। शेष दो अभियुक्तों में से गामा एवं रघुवीर को मौके पर राधे उर्फ राधेश्याम यादव एवं सूर्यभान के संग मौजूद रहना तथा गोली चलाने के बाद उनके संग ही भाग जाना पी0डब्लू 1 द्वारा उन्हें देखकर पहचानकर बताया गया है। गामा के हाथ में राधे उर्फ राधेश्याम यादव की भांति ही असलहा होना बताया गया है तथा साक्षीगण ने दो फायर की आवाज सुनना एवं मृतक के शरीर में फायर की एक से अधिक चोटें विद्य मान होने से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि राधे उर्फ राधेश्याम यादव व गामा यादव ने अपने-अपने हाथों में लिये हथियार से फायर किया था। अतएव सभी अभियुक्तों ने एकराय होकर रामपलट की हत्या करने का प्रयास किया था तथा राधे उर्फ राधेश्याम यादव एवं गामा यादव ने प्राणघातक गोली रामपलट पर चलायी थी।

23. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि अभियोजन कथनानुसार रामपलट को चौकी पर सोयी हुई अवस्था में गोली मारने का अभियोग है परन्तु लकड़ी की चौकी पर गोली का कोई निशान नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है

कि रामपलट को गोली उस समय मारी ही नहीं गयी जब वह चौकी पर लेटा था बल्कि उसकी हत्या कहीं और हुई थी और हत्या के बाद उसे चौकी पर लाकर लिटा दिया गया था। विवेचक ने खून आलूदा मिट्टी भी चौकी के नीचे से एकत्र नहीं किया था बल्कि चारपाई के नीचे से एकत्र किया था जबकि रामपलट को चौकी पर सोना बताया गया है न कि चारपाई पर, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि इस मामले में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना चौकी को कब्जे में नहीं लिया गया है और न ही चौकी की दशा के विषय में अपनी विवेचना में कोई उल्लेख किया है। यह विवेचक की अपनी घोर लापरवाही का प्रतीक है। कभी-कभी विवेचक अभियुक्तों को नाजायज लाभ पहुंचाने के आशय से जानबूझकर ऐसी लापरवाही करते हैं जो भर्त्सनीय है। इस मामले में भी चूंकि पुलिस ने चौकी पर से ही रामपलट का शव एकत्र किया था, अतः चौकी को फर्द बनाकर कब्जे में बतौर साक्ष्य अवश्य लेना चाहिये था तथा उसकी दशा का उल्लेख भी फर्द में करना चाहिये था। जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि रामपलट को गोली किसी अन्य स्थान पर मारी गयी थी तथा प्रातःकाल परिजनों द्वारा उसका शव देखकर चौकी पर लाकर लिटाकर अभियुक्तों को संलिप्त करते हुये झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी है तो इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी डी0डब्लू 3 (जिसका उल्लेख आगे किया गया है) ने स्वयं बताया है कि घटना के तुरंत बाद ही वह मौके पर पहुंच गया था तो उसने गोली लगने से आहत रामपलट को भट्ठे के कार्यालय पर चौकी पर लेटे देखा था। अतः बचाव पक्ष के ही इस साक्षी से न केवल घटना सिद्ध होती है बल्कि घटना का समय एवं घटनास्थल तथा चौकी पर ही रामपलट को गोली मारा जाना भी सिद्ध हो जाता है।

24. विदित हो कि अभियोजन द्वारा घटना का समय अर्थात अभियुक्तों द्वारा रामपलट को गोली लगना रात्रि के दो बजे बताया गया है एवं 06.20 बजे ही थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है अर्थात घटना की अविलम्ब नामजद रिपोर्ट करना भी घटना में अभियुक्तों को सही नामित होना सिद्ध करता है क्योंकि इस बीच इतना अधिक समय नहीं था कि परिजनों द्वारा विचार विमर्श करके किसी अन्य को झूठा फंसाया जाये। यदि बचाव साक्ष्य से ही घटनास्थल का समय तथा स्थान सिद्ध हो

जाता है तो रामपलट के परिजन वास्तविक हत्यारे को छोड़कर भला क्यों किसी अन्य व्यक्ति को झूठा नामित करेंगे जबकि फायर की आवाज सुनकर उनका तुरंत जग जाना तथा छटपटाते हुये गोली से आहत रामपलट को उनके द्वारा देखा गया है, अतः निश्चित ही साक्षियों के समक्ष ही हमलावर अभियुक्तगण ने पलायन किया होगा जिसे साक्षी पी0डब्लू 1 भली भांति देख एवं पहचान सकता था।

25. यदि रामपलट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पोस्टमार्टम कर्ता डाक्टर पी0डब्लू 6 के मौखिक साक्ष्य पर विचार किया जाये तो यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर अग्नेयास्त्र के प्रवेश एवं निकास के घाव विद्यमान थे। एक प्रवेश घाव मस्तिष्क में तथा दूसरा प्रवेश घाव छाती पर था। साक्षी पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया भी है कि रामपलट के सिर एवं छाती से खून बह रहा था। पी0डब्लू 1 एवं 2, दोनों ने यही बताया है कि उन्होनें फायर की दो आवाजे सुनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी उक्त चोटों के कारण उत्पन्न सदमें से हुई थी। अतएव चिकित्सीय परीक्षण एवं चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य पूरा-पूरा एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं जिससे घटना पुष्ट होती है। अतएव अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि रंजिश एवं ईर्ष्या के वशीभूत होकर अभियुक्तगण ने रामपलट की हत्या करने का सामान्य आशय बना लिया था तथा अपने उसी सामान्य आशय को अंजाम देने के लिये दिनांक 10.06.02 को चारो ही अभियुक्तगण, रामपलट के भट्ठे पर रात के दो बजे पहुंचे जिनमें से राधे उर्फ राधेश्याम यादव व गामा यादव के पास कट्टा था। राधे उर्फ राधेश्याम यादव तथा गामा यादव ने भट्ठे पर आफिस में तख्त पर सोये हुये रामपलट पर गोलियां चला दी जिससे रामपलट यादव की मृत्यु हो गयी और वे घटनास्थल से पलायन कर गये जिन्हे भागते हुये श्रीकिशुन ने देखा व पहचाना था।

26. जहां तक राधे उर्फ राधेश्याम यादव की plea of alibi का प्रश्न है तो राधे उर्फ राधेश्याम यादव की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वह ड्राइवर है तथा इलाहाबाद में माननीय न्यायमूर्ति महोदय के जजेज कालोनी स्थित आवास नं0 1 हेतु निर्मित सर्वेन्ट क्वार्टर में 24 घण्टे अपने परिवार के साथ रहता है। माह जून में माननीय न्यायमूर्ति महोदय अवकाश पर गये थे तथा दिनांक 09.06.02 को माननीय

न्यायमूर्ति महोदय की सूचना प्राप्त हुई कि वह दिनांक 10.06.02 को प्रातःकाल प्रयागराज एक्सप्रेस से वापस लौट रहे हैं, अतः अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव, माननीय न्यायमूर्ति महोदय को प्रयागराज एक्सप्रेस से लेने के लिये प्रातःकाल रेलवे स्टेशन पर गया था। अतः चूंकि वह दिनांक 09.06.02 की रात्रि में इलाहाबाद में था अतः घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति संभव ही नहीं है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये राधे उर्फ राधेश्याम यादव ने बचाव साक्षी विजय बहादुर यादव, रामलच्छन, हरेन्द्र यादव, सेवानिवृत्त निजी सचिव जहीर हसन को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 4 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

27. डी0डब्लू 1 विजय बहादुर यादव ने बयान दिया है कि मैं जून 2002 में माननीय न्यायमूर्ति डी.आर. चौधरी के आवास नं0 1 जजेज कालोनी उच्च न्यायालय कैम्पस इलाहाबाद पर सर्वेन्ट के रूप में कार्य करता था। वहीं मेरे साथ राधेश्याम यादव चपरासी के पद पर कार्यरत था। राधेश्याम अपने परिवार के साथ सर्वेन्ट क्वार्टर में रहता था तथा वह साहब की प्राईवेट गाड़ी चलाता था। मेम साहब को कहीं आना जाना होता था तो वही ले जाता था। मेरी व राधेश्याम की रोज बंगले पर मुलाकात होती थी। माननीय न्यायामूर्ति साहब ग्रीष्मावकाश में एल.टी.सी. छुट्टी पर बाहर गये थे। उन्होनें दिनांक 09.06.02 को फोन से सूचित किया कि मैं प्रयागराज एक्सप्रेस से दिनांक 10.06.02 को सुबह आ रहा हूं, राधेश्याम व रामलच्छन को सूचित कर दो कि दोनों समय से स्टेशन पर गाड़ी लेकर आ जायें। **मैनें दिनांक 09.06.02 को राधे उर्फ राधेश्याम यादव व उनके ड्राइवर रामलच्छन को फोन किया तथा** सूचना जज साहब की दिया कि साहब 10.06.02 को सुबह 06.00 बजे स्टेशन पर पहुंच जाइये। रामलच्छन को साहब के प्रोग्राम की पहले से जानकारी थी। वह दिनांक 08.06.02 को ही अपने कमरे पर आ गया था। राधेश्याम पूरा जून व जुलाई 2002 साहब के क्वार्टर पर ही तैनात था। 12 जून 2002 को हम लोगों को जानकारी हुई कि राधेश्याम के गांव में हत्या हुई है जिसमें राधेश्याम को मुल्जिम बना दिया गया है। घटना के समय दिनांक 10.06.02 को रात्रि दो बजे राधेश्याम इलाहाबाद में साहब के बंगले पर ही था तथा दिनांक 10.06.02 को सुबह 06.00 बजे साहब को रिसीव करने स्टेशन गया था।

28. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि मेरी व राधे उर्फ राधेश्याम यादव की एक साथ ड्यूटी थी। वह सर्वेन्ट क्वार्टर में परिवार के साथ रहते हैं। मैं वहीं बगल में सर्वेन्ट क्वार्टर में रहता था। अभियोजन ने साक्षी के साक्ष्य को चुनौती देते हुये सुझाव दिया है कि वह साथी होने के कारण अभियुक्त के पक्ष में झूठा बयान दे रहा है तो उसने सुझाव से इंकार किया।

29. डी0डब्लू 2 रामलच्छन ने बयान दिया है कि जून 2002 को मैं माननीय न्यायमूर्ति डी.आर. चौधरी के यहां वाहन चालक के पद पर तैनात था। वहां पर मेरे साथ प्यून विजय बहादुर यादव व राधेश्याम यादव भी तैनात थे। माननीय न्यायमूर्ति साहब मई 2002 के अंतिम सप्ताह में हाई कोर्ट बंद होने पर एल.टी.सी. पर चले गये। उनके दिनांक 10.06.02 की सुबह 06.00 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस से आने की सूचना थी। मैं दिनांक 08.06.02 को अपने गांव से इलाहाबाद पहुंच गया। वहां बंगले पर राधेश्याम यादव व विजय बहादुर यादव मिले। दिनांक 09.06.02 को विजय बहादुर यादव मुझे स्टाफ गाड़ी की चाभी तथा राधे उर्फ राधेश्याम यादव को साहब की प्राइवेट गाड़ी फिएट की चाभी दिये और कहे कि गाड़ी की साफ सफाई करके हवा आदि चेक कर लो क्योंकि दिनांक 10.06.02 को सुबह 06.00 बजे स्टेशन से साहब को लेने जाना है। दिनांक 10.06.02 की सुबह मैं व राधेश्याम मय स्टाफ कार व साहब की फियेट कार लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और साहब को रिसीव करके बंगले पर लाये। दिनांक 08.06.02 से जुलाई 2002 तक राधेश्याम साहब के बंगले पर ही था। बाद में पता चला कि दिनांक 10.06.02 की घटना में राधेश्याम को मुल्जिम बना दिया गया है जबकि राधेश्याम यादव उस दिन अपने परिवार के साथ सर्वेन्ट क्वार्टर में ही मौजूद थे। उनके बगल में मैं व विजय बहादुर यादव एक साथ रहते थे। दिनांक 10.06.02 को राधेश्याम यादव इलाहाबाद में ही मौजूद थे।

30. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि दिनांक 10.06.02 को मैं..............माननीय न्यायमूर्ति महोदय की गाड़ी चलाता था। राधे उर्फ राधेश्याम यादव चपरासी उनके साथ थे। उनकी प्राइवेट फिएट कार भी चलाते थे। मैं 10 बजे से 4 बजे तक हाई कोर्ट में रहता था। राधे उर्फ राधेश्याम यादव 24 घण्टे बंगले पर रहते थे...........। राधे उर्फ राधेश्याम यादव मेरे बगल ही सर्वेन्ट क्वार्टर में रहते थे। दिनांक 10.06.02 के पहले

मैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय (एक अन्य न्यायमूर्ति महोदय) के साथ था। मैं आज राधे उर्फ राधेश्याम यादव के बुलाने पर साक्ष्य देने आया हूं। चूंकि उन्होनें बताया कि दिनांक 10.06.02 की रात्रि की घटना में फंसाया गया हूं। चूंकि राधे उर्फ राधेश्याम यादव दिनांक 08.06.02 से 10.06.02 तक मेरे साथी थे और दिनांक 10.06.02 को साहब को स्टेशन पर रिसीव किये थे।

31. डी0डब्लू 4 सेवानिवृत्त निजी सचिव जहीर हसन ने बयान दिया है कि मैं वर्ष 2002 से 2003 में माननीय न्यायमूर्ति (नाम) महोदय के साथ निजी सचिव के रूप में कार्यरत था। उस समय राधेश्याम यादव चपरासी माननीय न्यायमूर्ति के निवास पर कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था तथा वह उन्हीं के बंगला नं0 1 जजेज कालोनी हाई कोर्ट कैम्पस इलाहाबाद के सर्वेन्ट क्वार्टर में 24 घण्टे रहता भी था। राधेश्याम कार चलाना भी जानता था। वह माननीय न्यायमूर्ति के बंगला नं0 1 पर दिनांक 09.06.02 व 10.06.02 को उपस्थित था। राधेश्याम 10 जून 2002 को प्रयागराज एक्सप्रेस के द्वारा इलाहाबाद जक्शन पर एल.टी.सी. का उपभोग करने के बाद आ रहे माननीय न्यायमूर्ति को सुबह 06.00 बजे फिएट कार लेकर रिसीव करने गया था। उसके साथ विजय बहादुर यादव भी गये थे व मुझसे बताये भी थे कि दिनांक 09.06.02 व 10.06.02 को राधेश्याम, माननीय न्यायमूर्ति के बंगले पर उपस्थित था। विजय बहादुर यादव उनके साथ दूसरे सर्वेन्ट क्वार्टर में रहते थे। मैनें इस बावत माननीय न्यायमूर्ति द्वारा स्वयं तस्दीक करने के उपरांत दिनांक 20.06.02 को प्रमाण पत्र प्रदर्श ख1 दिया था। मुझे न्यायालय से साक्ष्य हेतु सम्मन मिला था।

32. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि.................घटना का समय व दिनांक हमें पता नहीं है। मैं शुरू से बतौर पी.एस. माननीय न्यायमूर्ति महोदय के साथ तैनात था। मेरा आवास न्यायमूर्ति महोदय के आवास से चार किलोमीटर की दूरी पर था। कागज सं0 147ख (प्रमाण पत्र) मैनें स्वयं टाइप किया है। यह तथ्य मैनें जज साहब, विजय बहादुर यादव से तस्दीक करने पर दिया है। न्यायमूर्ति महोदय के यहां 10 से 05 बजे तक काम करता था। माननीय न्यायमूर्ति महोदय का कर्मचारी कब कहां जाता था इसकी मुझे जानकारी नहीं रहती थी। यह पत्र मैनें दिनांक 20.06.02 को टाइप करके जज साहब के आदेश से राधे उर्फ राधेश्याम यादव को दिया था............।

जज साहब ने मुझे ''डायरेक्टेड बाई'' लिखने से मना किया था। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने साक्षी के साक्ष्य को चुनौती देते हुये सुझाव दिया है कि वह अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से झूठा साक्ष्य दे रहा है तो साक्षी ने सुझाव से इंकार किया।

33. इस साक्षी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श ख1 निम्नलिखित अंकित हैः–

"Certified that Sri Radhey Shyam Yadav S/o Sri Raghubir Yadav is employed in the High Court as Peon (Employee No. 5165). He has been deputed to work at the residence of Hon'ble Mr. Justice D.R. Chaudhary. He resides 24 hours in the servant quarter of Bunglow No. 1, Judges Colony, High Court Campus, High Court, Allahabad.

Mr. Radhey Shyam Yadav knows driving of Car. He was present on 9th and 10th June, 2002 at Bunglow No. 1 of His Lordship.

On 10th June, 2002 when His Lordship came back to Allahabad from New Delhi by Prayagraj Express at 6.50 A.M., after availing the L.T.C. facility, he was present at the station with Fiat No. U.G.V. 3216.

Mr. Vijay Bahadur Yadav, Daily Labour deputed at the residence of Hon'ble Mr. Justice D.R. Chaudhary also resides in another servant quarter (24 hours). He has stated that Mr. Radhey Shyam Yadav, Peon had departed with Fiat No. U.G.V. 3216 to receive his Lordship at 6.00 A.M. from the Bunglow No. 1 on 10th June, 2002.

(Zaheer Husain)
P.S. to
Hon. D.R. Chaudhary, J.
20.06.2002

34. डी0डब्लू 4 के बयान तथा उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श ख1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रमाण पत्र प्रदर्श ख1 में उन्होनें यह अंकित किया है कि उन्हें विजय बहादुर यादव जो दैनिक वेतन भोगी था तथा माननीय न्यायमूर्ति महोदय की सेवा हेतु नियुक्त किया गया था ने बताया था कि राधे उर्फ राधेश्याम यादव, माननीय न्यायमूर्ति महोदय को लेने के लिये उनकी फिएट कार लेकर

दिनांक 10.06.02 को प्रातः 06.00 बजे गया था अर्थात उनको दिनांक 10.06.02 को राधे उर्फ राधेश्याम यादव के स्टेशन जाने का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है बल्कि वह सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। इसी प्रकार उन्होनें अपने बयान में बताया है कि राधे उर्फ राधेश्याम यादव द्वारा माननीय न्यायमूर्ति महोदय को स्टेशन पर लेने जाने वाली बात उन्होनें न्यायमूर्ति महोदय द्वारा तस्दीक करने के उपरांत प्रमाण पत्र प्रदर्श ख1 दिया था अर्थात पुनः उन्होनें राधे उर्फ राधेश्याम यादव के स्टेशन जाने वाली बात अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय के बताने के आधार पर बताया है। अतएव साक्षी का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर मात्र अनुश्रुति साक्ष्य है तथा किसी भी अपवाद में न आने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी ने अपने पूर्व वक्तव्य अर्थात अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श ख1 में केवल यह अंकित किया है कि उसे विजय बहादुर यादव ने बताया था कि अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव प्रश्नगत तिथि पर कार लेकर स्टेशन गया था, माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा तस्दीक करके प्रमाण पत्र जारी करना नहीं बताया है जबकि न्यायालय में साक्षी उक्त बात माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा तस्दीक करने के उपरांत बताना बताया है। अतः प्रतीत होता है कि यह बात साक्षी ने न्यायालय में विकसित किया है जिसका समर्थन उसके पूर्व वक्तव्य प्रदर्श ख1 से नहीं होता।

35. अब विजय बहादुर यादव डी0डब्लू 1 के साक्ष्य पर विचार कर लिया जाये। उसने साक्ष्य दिया है कि माननीय न्यायमूर्ति ने दिनांक 09.06.02 को फोन से उसे सूचित किया कि महोदय दिनांक 10.06.02 को प्रातःकाल प्रयागरात एक्सप्रेस से पहुंच रहे हैं। अतः साक्षी ने दिनांक 09.06.02 को राधे उर्फ राधेश्याम यादव को व उनके ड्राइवर रामलच्छन **को फोन किया** तथा सूचना जज साहब की दिया कि साहब 10.06.02 को सुबह स्टेशन पहुंच रहे हैं। साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि यह साक्षी राधे उर्फ राधेश्याम यादव के बगल में ही क्वार्टर में रहता था परन्तु जज साहब के आने की सूचना उसने राधे उर्फ राधेश्याम यादव को 09.06.02 को फोन से दिया था अर्थात उसका राधे उर्फ राधेश्याम यादव से व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं हुआ था। राधे उर्फ राधेश्याम यादव फोन अपने क्वार्टर में रहते हुये भी उठा सकता था तथा क्वार्टर से दूर रहकर भी। इस साक्षी ने साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि वह स्वयं राधे उर्फ

राधेश्याम यादव के साथ स्टेशन गया था या नहीं। अतः दिनांक 09.06.02 को इस साक्षी का अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव से कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं हुआ था। उसका केवल फोन से सम्पर्क हुआ था। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से भी सिद्ध नहीं होता कि दिनांक 09.06.02 को तथा दिनांक 10.06.02 को प्रयागराज एक्सप्रेस के आने से पूर्व अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव बंगले पर सर्वेन्ट क्वार्टर में था।

36. बचाव पक्ष के अगले साक्षी रामलक्ष्छन डी0डब्लू 2 के साक्ष्य पर जब विचार किया जाता है तो यह पाया जाता है कि उसने बताया है कि जज साहब का प्रयागराज से दिनांक 10.06.02 को प्रातः 06.00 आने का प्रोग्राम था। वह अपने गांव से 08.06.02 को इलाहाबाद पहुंच गया था। वहां पर राधे उर्फ राधेश्याम यादव व विजय बहादुर यादव बंगले पर मिले। दिनांक 09.06.02 को विजय बहादुर यादव (डी0डब्लू 1) ने मुझे स्टाफ गाड़ी की चाभी दिया तथा राधे उर्फ राधेश्याम यादव को फिएट की चाभी दिया जो साहब की प्राइवेट गाड़ी थी "तथा कहे कि गाड़ी की साफ सफाई करके हवा आदि चेक कर लें क्योंकि 10.06.02 को सुबह 06.00 बजे साहब को लेने स्टेशन जाना है।" परन्तु इस साक्षी का यह साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि जहां, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि, विजय बहादुर यादव ने अपने बयान में मात्र जज साहब के आने की सूचना राधे उर्फ राधेश्याम यादव को फोन से देना बताया है तथा राधे उर्फ राधेश्याम यादव व रामलच्छन को सरकारी गाड़ी व प्राइवेट फिएट कार की चाभी देने का कोई उल्लेख नहीं किया है, वहीं इस साक्षी ने कई कदम आगे बढ़कर बयान दिया है कि विजय बहादुर यादव ने 09.06.02 को उसे तथा राधे उर्फ राधेश्याम यादव को गाड़ी की चाभियां दिया था तथा यह हिदायत भी दिया था कि गाड़ी की साफ सफाई कर लो तथा हवा भरा लो। इसके अतिरिक्त विजय बहादुर यादव मात्र एक दैनिक वेतन भोगी था जिसे माननीय न्यायमूर्ति महोदय के आवास पर नियुक्त किया गया था जबकि राधे उर्फ राधेश्याम यादव, माननीय न्यायमूर्ति महोदय का स्थायी कर्मचारी (Peon कर्मचारी नं0 5165) था, अतः एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पास माननीय न्यायमूर्ति महोदय की सरकारी गाड़ी एवं निजी गाड़ी की कुंजियां होना विश्वसनीय नहीं है तथा उस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा राधे उर्फ राधेश्याम यादव को हिदायते देना भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। अतः

डी0डब्लू 1 एवं 2 के साक्ष्यों का समर्थन एक दूसरे से नहीं होता तथा यह प्रतीत होता है कि डी0डब्लू 1 ता 2 दोनों ने ही सहकर्मी होने के कारण राधे उर्फ राधेश्याम यादव को बचाने के उद्देश्य से झूठा साक्ष्य दिया है जो भरोसेमन्द नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि दिनांक 10.06.02 को प्रयागराज एक्सप्रेस इलाहाबाद स्टेशन पर कितने बजे पहुंची थी। अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 में बताया है कि दिनांक 10.06.02 को प्रयागराज एक्सप्रेस प्रातः 06.50 पर पहुंची थी जबकि घटना रात्रि दो बजे की है। अतः यदि यह मान भी लिया जाये (यद्यपि यह मानने का संतोषजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है) कि राधे उर्फ राधेश्याम यादव दिनांक 10.06.02 को प्रातः इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद था तो भी रात्रि दो बजे घटना अंजाम देने के पश्चात निजी वाहन से 06.50 बजे इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाना कदापि असंभव नहीं है विशेषकर रात्रि के समय जब मार्ग पर यातायात न्यूनतम से शून्य तक रहता है।

37. किसी भी अभियुक्त से अपेक्षा है कि यदि वह alibi से अपना बचाव करता है तो उसे alibi प्रत्येक दशा में युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक है अन्यथा alibi से उसका सफल बचाव नहीं हो सकेगा और यदि अभियोजन ने अपने साक्ष्यों से अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है तो अभियोजन कथानक पर अविश्वास नहीं किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव alibi को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असमर्थ रहा है परन्तु अभियोजन ने अपने साक्ष्यों से अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव की भी मौके पर उपस्थिति युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अतएव अभियोजन कथानक पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।

38. बचाव पक्ष ने बचाव में डी0डब्लू 3 को भी इसी आशय से परीक्षित किया है कि घटना हो जाने के पश्चात अन्य ग्राम वासियों के साथ-साथ वह भी मौके पर तुरंत ही पहुंच गया था तथा मौके पर पुलिस भी पहुंच गयी थी परन्तु उस समय किसी ने किसी भी हमलावर का नाम पुलिस को नहीं बताया बल्कि अभियुक्तों का नाम बाद में लिखवाया गया तथा यह कि अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव उस समय इलाहाबाद में रहता था।

39. साक्षी हरेन्द्र यादव डी0डब्लू 3 ने बयान दिया है कि नियाईपुर गांव व मिर्जापुर गांव लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर है। रामपलट के भट्ठे से दोनों गांव समान दूरी पर हैं। जिस भट्ठे पर रामपलट को गोली मारी गयी वह भट्ठा एक गुप्ता जी व रामपलट की साझेदारी में था। दिनांक 10.06.02 को रात 2.00-02.15 के बीच रामपलट को गोली लगी थी। उस समय बरसात हो जाने के कारण भट्ठा पहले से ही बन्द था। भट्ठा रामपलट के घर के बगल में ही था। रात में चौकीदार व मजदूर भट्ठे पर रहते थे। गोली व मजदूरों की आवाज सुनकर मैं, रामपलट के चाचा राजदेव व श्रीकिशुन तथा गांव के रामबदन, विरेन्द्र व अन्य लोग भट्ठे पर पहुंचे तो देखे कि मंडई के पास रामपलट मृत पड़े थे। मजूदर व चौकीदार भट्ठे से भाग चुके थे। काफी लोग इकट्ठे हो गये थे। किसी ने पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस आधे घण्टें में पहुंची। पुलिस के पूछने पर कोई भी अभियुक्त का नाम नहीं बता सका। मेरी जानकारी में भट्ठा खोलने का विरोध गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। भट्ठा करीब दो साल से चल रहा था। पुलिस लाश को सुबह ले गयी। तब तक किसी व्यक्ति ने किसी का नाम दरोगा जी को नहीं बताया था। बाद में पता चला कि राजदेव ने गलत आधार पर मेरे गांव के राधेश्याम यादव, गामा यादव, रघुवीर यादव तथा अपने गांव के सूर्यभान को गलत आधार पर हत्या के केस में फंसा दिये हैं। राधे घटना के दिन घर पर नहीं थे बल्कि वह पहले से ही इलाहाबाद में रहते थे। गलत नामजदगी पर गांव के लोगों ने भट्ठे के साझीदार गुप्ता जी व रामपलट के चाचा राजदेव से पूछा तो गुप्ता जी ने कहा कि इन लोगों ने लिखाया है तो मैं क्या कर सकता हूं? राजदेव ने कहा कि दरोगा जी बार-बार नाम पूछ रहे थे तो मैनें संख्या के आधार पर इनका नाम लिखा दिया। सूर्यभान खेत में ट्रैक्टर का रास्ता नहीं दे रहे थे तो उनका नाम लिखा दिया। सच्चाई यह है कि राजदेव ने राधे, गामा, रघुवीर व सूर्यभान का नाम गलत व साजिश के तहत लिखाया है। मेरी न तो मुल्जिमानों से दोस्ती है और न ही वादी से दुश्मनी।

40. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि **रामपलट घटना के दिन अपने भट्ठे की चौकी पर मरे पड़े थे।** मैं भी शोर पर भट्ठे पर गया था।

41. जहां तक इस साक्षी के इस बयान का प्रश्न है कि फायर की आवाज सुनकर

वह भी मौके पर तुरंत ही पहुंच गया था और आधे घण्टे में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी थी परन्तु उस समय पुलिस के पूछने पर किसी ने किसी हमलावर का नाम नहीं बताया था तो इस साक्षी का यह साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि घटना की रिपोर्ट समय 06.20 बजे किया गया था, अतः उससे पूर्व पुलिस के मौके पर पहुंचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पी0डब्लू 1 ने इस साक्षी के बयान से पूर्व ही अपने बयान में बताया है कि दरोगा जी सुबह लगभग 08.00 बजे आये थे। तीन चार घण्टे रूके थे। दरोगा जी को कोई बुलाने नहीं गया था। रिपोर्ट होने पर स्वयं आये थे। अतः इस साक्षी का यह बयान अविश्वसनीय है कि घटना के तुरंत बाद किसी को अभियुक्तों के विषय में ज्ञान नहीं था तथा बाद में अभियुक्तों को गलत फंसाया गया। जहां तक इस साक्षी के इस साक्ष्य का प्रश्न है कि घटना के दिन राधे उर्फ राधेश्याम यादव घर पर नहीं थे बल्कि इलाहाबाद में थे तो इस साक्षी को कैसे सटीक ज्ञान हो सकता है कि अभियुक्त इलाहाबाद में था अथवा मऊ में। अतएव बचाव पक्ष के इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है।

42. अतएव उपरोक्त उल्लिखित साक्ष्यों से अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव, रघुवीर यादव व सूर्यभान यादव ने रामपलट यादव की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया तथा राधे उर्फ राधेश्याम यादव तथा गामा यादव ने दिनांक 10.06.02 को रात्रि दो बजे कट्टे से फायर करके रामपलट यादव की हत्या कर दी। विदित हो कि दौरान विचारण अभियुक्त रघुवीर यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 26.06.15 को मामला उपशमित कर दिया गया। अतएव अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने योग्य हैं। तदानुसार अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव को धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

43. दोषीगण न्यायालय में उपस्थित हैं। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

44. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 09.03.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

दिनांकः 12.03.2018
पुनश्च

45. दोषीगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्रीप्रकाश यादव उपस्थित।

46. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

47. दोषीगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव को धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है। दोषीगण का कथन है कि उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है जबकि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनके पीछे उनका परिवार है जिनके पालन पोषण का दायित्व उन पर है। अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव माननीय उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। कारावास के दण्ड से दण्डित होने पर उसकी सेवा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वे न्यायालय को विश्वास दिलाते हैं कि वे सदा सदाचार बनाकर गांव में जीवन यापन करेंगे। अतः उन्हें कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये, जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण द्वारा जघन्य एवं गंभीरतम अपराध कारित किया गया है। अतः उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

48. सुना गया। विचार किया गया।

49. दोषीगण द्वारा रामपलट यादव की हत्या करने का सामान्य आशय बनाकर राधे उर्फ राधेश्याम यादव तथा गामा यादव द्वारा कट्टे से उस पर फायर कर उसकी हत्या कारित कर दिया गया है। धारा 302 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास के दण्ड से तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है। तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यदि मामला विरलों में से विरलतम कोटि का पाया जाता है तो दोषी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना विधिसंगत होता है अन्यथा नहीं। इस मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामला विरलों में से विरलतम कोटि का

नहीं पाया जाता है। अतएव दोषीगण को अधिकतम दण्ड अर्थात मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में दोषीगण को आजीवन कारावास के दण्ड से तथा एक ऐसी राशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उपयुक्त होगा जिसमें से एक समुचित राशि मृतक के उत्तराधिकारियों को भी बतौर क्षतिपूर्ति दिलायी जा सके।

आदेश

50. दोषीगण राधे उर्फ राधेश्याम यादव, गामा यादव व सूर्यभान यादव, प्रत्येक को धारा 302/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से एवं चालीस-चालीस हजार रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

51. दोषीगण से वसूले गये अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक रामपलट यादव के उत्तराधिकारियों को बराबर-बराबर अंश में बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा, जिसका भुगतान उन्हें अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

52. तीनों ही दोषियों द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

53. तदानुसार दोषीगण का दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ दोषीगण को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश का नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

54. दोषीगण को निर्णय की एक-एक प्रति निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

55. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 12.03.2018 **(आदिल आफताब अहमद)**

अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,

मऊ।

56. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

दिनांकः 12.03.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 278 सन् 2008

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. रामप्रीत पुत्र गोकुल
2. रामसमुझ पुत्र मोतीचन्द
3. भूपेन्द्र पुत्र मानसिंह उर्फ नरसिंह
4. अंगद पुत्र सुरेन्द्र उर्फ भुल्लन
5. अनिरूद्ध पुत्र विजय शंकर उर्फ विजयी
6. लालबहादुर पुत्र बंगाली
समस्त साकिनान– चौधरीपुर, थाना– मधुबन, जनपद– मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 422/2008
अंतर्गत धारा 147,148,302/149, 323/149,325/149,504,506 भा0दं0वि0
थाना– मधुबन, जनपद– मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित तथा वहां से इस न्यायालय में अंतरित इस सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लालबहादुर का विचारण धारा 147,148,302/149,323/149,325/149,504,506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा रफीउल्लाह के लड़के उजैर अहमद का वध करने की नीयत से घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध मजमा कायम करके बलवा किये, उजैर अहमद की हत्या किये, मोहम्मद हातिम व फहीम अहमद को लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, हाकी से मारपीटकर गंभीर उपहति कारित किये, गाली गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी दिये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 11.05.08 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता रफीउल्लाह ने थानाध्यक्ष, मधुबन, मऊ के समक्ष इस आशय की

लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *कल दिनांक 10.05.08 को उसके गांव के बच्चे मौलाना अबुल कलाम आजाद इण्टरमीडिएट कालेज सलेमपुर रामपुर मऊ से पढ़कर घर आ रहे थे कि रास्ते में रामप्रीत के लड़के व उसके गांव के इमरान के बीच कुछ कहासुनी हो गयी थी जिसकी रंजिश थी। उसका लड़का उजैर अहमद भैंस चराता हुआ चौधरीपुर ग्राम की सीमा से फरही के किनारे चला गया कि समय लगभग 16.45 बजे रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लाल बहादुर उसी रंजिश को लेकर एकराय होकर गाली गलौच व ललकारते हुये आकर घेर लिये तथा कहने लगे कि यह भी उसी गांव का है साले को घेर लो तथा जान से मार डालो बचकर जाने न पाये और अपने-अपने हाथों में लिये हुये लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व हाकी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिये जिससे उसका लड़का वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होने पर रामप्रीत ने हाथ में लिये लाठी से मार दिया। उक्त घटना को गांव के हातीम, आमीर जो पास में ही थे, दौड़कर मौके पर पहुंचे कि अभियुक्तगण उन्हें भी मारकर घायल कर दिये। शोर मचाने पर गांव के ही हबीबुल्लाह व शाहनवाज, अतीक अहमद मौके पर पहुंचकर बेहोश हालत में उजैर अहमद को लेकर उपचार हेतु मधुबन सरकारी अस्पताल भर्ती कराये। दौरान उपचार डाक्टरों ने सदर अस्पताल के लिये रेफर कर दिया तथा जैसे ही सदर अस्पताल भर्ती कराये डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लाश मऊ में पड़ी है। सूचना दे रहा हूं।* अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना मधुबन में अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लाल बहादुर के विरूद्ध अपराध सं0 422/08, अंतर्गत धारा 147,148,302,323,504,506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल तहरीर, नकल चिक एवं नकल रपट प्राप्त किया एवं उनका इन्द्राज केस डायरी में किया। चिक लेखक कां0मुहर्रिर घूरा प्रसाद, वादी रफीउल्लाह का बयान अंकित किया। मजरूब उजैर अहमद की इंजरी रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। समई साक्षियों एवं अभियुक्तगण का बयान अंकित किया। मृतक उजैर अहमद के शव का पंचायतनामा कराया तथा आवश्यक प्रपत्रों को

तैयार करने के पश्चात शव का पोस्टमार्टम कराया एवं पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उनका अंकन केस डायरी में किया। चश्मदीद साक्षीगण का बयान अंकित किया। चुटैल फहीम अहमद, मोहम्मद हतीम की इंजरी रिपोर्ट व एक्स रे रिपोर्ट का अवलोकन कर उनका अंकन केस डायरी में किया तथा उक्त चुटैलों का बयान अंकित किया। डाक्टरों का बयान अंकित किया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लाल बहादुर के विरूद्ध धारा 147,148,302,323,325,504,506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का प्रसंज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लाल बहादुर के विरूद्ध धारा 147,148,302/149,323/149,325/149,504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादी मुकदमा रफीउल्लाह, हातिम, मोहम्मद आमीर, डा0 वी0के0 यादव, डा0 पी0एन0 चतुर्वेदी, कां0मुहर्रिर घूरा प्रसाद, निरीक्षक रामेश्वर पाण्डेय, डा0 एस0डी0 गौतम, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवाजी सिंह, थानाध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव, फहीम अहमद, परामर्शदाता डा0 ए0के0 राय, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 12 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, चुटैल मोहम्मद हातिम व फहीम की इंजरी रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, चुटैल फहीम अहमद की एक्स रे रिपोर्ट, घटनास्थल का नक्शा नजरी, पंचायतनामा, चालान नाश, फोटोनाश, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ, पत्र प्रतिसार निरीक्षक, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लाल बहादुर, मृतक उजैर अहमद की मेडिकल रिपोर्ट, मृतक उजैर अहमद की मृत्यु की सूचना, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क16 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि उन्होनें अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्तगण को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्यों को गलत एवं झूठा होना बताया है तथा अपने विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताया है तथा अपने विरूद्ध झूठा आरोप पत्र प्रस्तुत करना बताया है। मेडिकल रिपोर्ट के विषय में जानकारी न होना बताया है। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 एवं 12 को झूठा साक्ष्य देना बताया है तथा कथन किया है कि वह निर्दोष है। गांव की राजनीति की रंजिश के कारण उसे झूठा अभियुक्त बनाया गया है। किसी भी अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं सूचनाकर्ता रफीउल्लाह, पी0डब्लू 1 है, जिसने अपने बयान में बताया है कि घटना हुये दो साल से ऊपर हो गया। हमारे गांव के कुछ लड़के इण्टरमीडिएट कालेज सलेमपुर में पढ़ते थे। मेरे गांव के इमरान का झगड़ा स्कूल से आते समय रामप्रीत के लड़के से हुआ था। उस दिन मेरा लड़का उजैर अहमद करीब साढ़े चार बजे भैंस चराते हुये फरही के किनारे मेरे गांव व चौधरीपुर गांव के बीच में चला गया। वहां पर रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लालबहादुर, इमरान को खोजते हुये गये लेकिन जब मेरा लड़का मिला तो कहे कि यह भी इसी गांव का है इसी को मारे और मुल्जिमान मेरे लड़के उजैर अहमद को लाठी डंडा से मारने लगे। मेरा लड़का बेहोश हो गया और बेहोशी में रामप्रीत ने मेरे लड़के को लाठी से मारा। मेरे लड़के को बचाने हाकिम, फहीम, अमीर गये तो फहीम अहमद व हाकिम को भी मुल्जिमानों ने मारा। इस घटना को

हबिबुल्लाह, शाहनवाज, अतीक अहमद ने देखा और मेरे लड़के को उठाकर सरकारी अस्पताल मधुबन ले गये, वहां से सदर अस्पताल मऊ गये जहां मेरे लड़के की मृत्यु हो गयी। मैं अपने लड़के की चोट की खबर सुनकर घबराहट में आ गया इसलिये मैं अस्पताल नहीं गया। मुझे मेरे लड़के की मरने की खबर घर पर ही मिली। घटना के बारे में पूरी जानकारी हातिम ने घर आकर मुझे दिया था। मैनें हातिम के बताने के अनुसार घटना की रिपोर्ट प्रदर्श क1 मोबीन से लिखवाकर अपना अंगूठा निशानी लगाकर थाने पर दिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

9. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मैनें घटना नहीं देखा था क्योंकि मैं घर पर नहीं था। घटना के बारे में शाम 7-8 बजे पता चला। स्पष्ट है कि साक्षी स्वयं घ टना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है बल्कि साक्षी हातिम के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उसने तहरीर प्रदर्श क1 मुबीन नामक व्यक्ति से लिखवाकर थाने पर दिया था, परन्तु इस साक्षी के बयान से इतना तो अवश्य निष्कर्ष निकलता है कि उसके बयान से दो साल से कुछ पहले उसके लड़के की हत्या कर दी गयी थी जिसकी सूचना उसे उसी दिन मिली थी और प्राप्त सूचना के आधार पर उसने अगले दिन घटना की रिपोर्ट अभियुक्तों को नामजद करते हुये कर दिया। साक्षी का बयान स्वाभाविक है तथा उस सीमा तक विश्वसनीय भी है।

10. अभियोजन का दूसरा साक्षी हातिम है जिसे बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है, जिसने अपने बयान में बताया है कि मैं मुल्जिमान रामप्रीत, रामसमुझ, लालबहादुर, अनिरूद्ध, अंगद व भूपेन्द्र को जानता हूं। ये चौधरीपुर के हैं। घटना हुये दो साल से अधिक हुआ, शाम का समय था। मैं, आमीर व उजैर अपने गांव के बगल में भैंस चरा रहे थे। दो तीन लड़कों से पता चला कि स्कूल में रामप्रीत के लड़के व इमरान से झगड़ा हुआ था। घटना के समय उजैर भैंस हांक रहा था। उसी समय 6 मुल्जिमान लाठी व कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आये तथा आकर उजैर से पूछे कि तुम लोग कहां के रहने वाले हो। इस पर उजैर ने बताया कि मैं चांदपुर का रहने वाला हूं। उसी पर मुल्जिमान कहे कि यह भी उसी गांव का रहने वाला है मारो साले को तथा ये लोग उजैर को मारने लगे। शोर पर मैं और आमीर बचाने पहुंचे तो मुल्जिमान हम लोगों को भी लाठी डंडे से मारे पीटे। हम लोगों के शोर पर

हबीबुल्लाह, अतीक अहमद और शहनवाज तथा अन्य लोग पहुंचे तो मुल्जिमान मारपीटकर भाग गये। उजैर गिरकर बेहोश हो गया था। हम लोग उजैर को लेकर सरकारी अस्पताल मधुबन गये जहां डाक्टर ने उजैर को सरकारी अस्पताल मऊ के लिये संदर्भित कर दिया तथा मेरा डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल मधुबन में हुआ। उसके बाद मैं घर चला गया। रात को 11.30 बजे के बाद मुझे पता चला कि उजैर की मृत्यु हो चुकी है तब मैं उजैर के पिता रफीउल्लाह के घर जाकर उनसे पूरी घटना के बारे में बताया था तथा झगड़े वाले स्थान के बारे में भी बताया था। दरोगा जी ने घटना के बावत मुझसे पूछताछ किया था। आमीर का डाक्टरी मुआयना मेरे सामने नहीं हुआ था।

11. बचाव पक्ष को इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण करने के लिये पर्याप्त समय एवं अवसर दिया गया परन्तु इसके बावजूद उपलब्ध समय एवं अवसर का बचाव पक्ष द्वारा उपयोग नहीं किया गया तथा साक्षी से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। अतएव पी0डब्लू 2 हातिम जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है तथा इसी घटना में अभियुक्तों द्वारा मारे जाने से चुटैल भी हुआ है, का साक्ष्य बिना किसी चुनौती (unchallenged) के है। चूंकि यह साक्षी भी घटना में चुटैल हुआ है। अतएव घटनास्थल पर इस साक्षी की उपस्थिति किसी भी प्रकार अविश्वसनीय नहीं है तथा साक्षी का साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय प्रतीत होने से भरोसेमन्द है। इस साक्षी द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि घ टना वाले दिन अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, लालबहादुर, अनिरूद्ध, अंगद एवं भूपेन्द्र ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से लैस होकर उस समय लाठी डंडों से उजैर की मारकर हत्या कर दिया जब वह अपने गांव के ही बगल में भैंस चरा रहा था।

12. अभियोजन का तीसरा साक्षी मोहम्मद आमिर, पी0डब्लू 3 है, जिसने बयान दिया है कि घटना हुये करीब चार साल हुआ, पौने पांच बजे शाम का समय था। मैं, हातिम व उजैर फरही नाला के पास भैंस चरा रहे थे। उजैर भैंस चराते-चराते आगे बढ़ गया और हम लोग वहीं रूक गये। जब उजैर हम लोगों से 40-50 मीटर आगे बढ़ा था तो 6-7 लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर आये और उजैर को घेर लिये तथा उजैर को लाठी डंडा से मारने लगे। इन 6-7 लोगों को मैनें पहचाना था फिर कहा कि 6 लोगों को पहचाना था जो रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व

लालबहादुर थे। इन लोगों को मैं पहले से जानता पहचानता था। मैं, हातिम व फहीम घटना देखकर बचाने के लिये दौड़े तब तक मुल्जिमान, उजैर को लगातार मारते रहे और मारकर गिरा दिये। जब हम लोग पहुंचे तो मुल्जिमान हम लोगों को मारने लगे। हम लोगों के शोर करने पर हबीबुल्ला, शहनवाज, अतीक अहमद एवं गांव के अन्य लोग आ गये तो मुल्जिमान गाली गुप्ता देते हुये भाग गये। मुल्जिमान के मारने से मुझे, उजैर, फहीम व हातिम को चोटें आयी थी। उजैर बेहोश था। हम सभी लोग मधुबन अस्पताल गये। उजैर को सदर अस्पताल मऊ के लिये संदर्भित कर दिया गया तथा अन्य लोगों का डाक्टरी मुआयना मधुबन में ही हुआ। मैं सदर अस्पताल मऊ नहीं आया था। मुझे हल्की चोट आयी थी दवा लगवाकर चला गया था। उजैर की सदर अस्पताल मऊ में उसी रात मृत्यु हो गयी थी। उसी दिन सुबह मेरे गांव के इमरान से स्कूल जाते समय रामप्रीत से कहासुनी हुई थी। उजैर और हम लोग भी इमरान के गांव के हैं। इसी रंजिशवश उजैर व हम लोगों को मारे। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था।

13. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मेरा गांव चांदपुर है। मुल्जिमान का गांव चौधरीपुर है। भूपेन्द्र के पिता का नाम मैं नहीं जानता। भूपेन्द्र के हाथ में कुल्हाड़ी और डंडा था। उजैर की उम्र घटना के दिनांक को 15-16 साल रही होगी..........। दो चार लाठी मुझे भी हाथ, पैर व बदन पर लगी थी..........। मैं दवा लेने अस्पताल गया था। हल्की फुल्की दवा लिया था। मेरा कोई डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ था..........। कुल्हाड़ी डंडे में लगी थी। उस समय मैनें ख्याल नहीं किया कि कितनी कुल्हाड़ियां थी। सब लोगों के हाथ में भी गिनने की कोशिश नहीं किया। उजैर को लोग गिरी हालत में उस समय मार रहे थे जब हम लोग पहुंचे...........। यह सही है कि मेरे पास गांव में कोई भैंस नहीं थी। मेरे मामू की भैंस थी।

14. साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह तनिक भी प्रतीत नहीं होता कि मुख्य परीक्षण में उसने झूठा बयान दिया हो। यह साक्षी भी घटना में चुटैल था तथा उसने अभियुक्तों द्वारा उजैर को मारते देखकर तुरंत मौके पर पहुंच जाना बताया है। अतएव यह साक्षी भी निःसंदेह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने अभियुक्तों द्वारा (उनमे से प्रत्येक का नाम लेकर) उजैर को लाठी डंडो से मारना बताया है। इस साक्षी के बयान

का पूरा–पूरा समर्थन पी0डब्लू 1 के बयान से होता है।

15. अभियोजन का चौथा साक्षी फहीम अहमद, पी0डब्लू 11 है, जिसने बयान दिया है कि घटना 10.05.08 समय लगभग पांच बजे शाम की है। उस दिन मेरे गांव का उजैर अहमद अपनी भैंस चौधरीपुर ग्राम की सीमा में फरही के किनारे चरा रहा था कि उसी समय लगभग पांच बजे शाम को चौधरीपुर के रामप्रीत, रामसमुझ, अंगद, अनिरूद्ध, लालबहादुर, भूपेन्द्र लाठी डंडा लेकर आये और कहे कि उजैर भी उसी गांव का है इसी को मारो तथा यह कहते हुये उपरोक्त सभी लोग लाठी डंडा से उजैर को मारने लगे। हम लोग वहीं बगल में क्रिकेट खेल रहे थे, मारते देखकर मैं व हातिम दौड़कर बचाने गये तो हमें भी मारे। हम लोगों के चिल्लाने पर हबीबुल्लाह, आमिर, अतीक आदि आ गये और घटना देखे तथा बीच बचाव किये। इस घटना में मुझे, हातिम तथा उजैर को चोटें लगी थी तथा दौरान इलाज उजैर जिला अस्पताल में मर गया था। हम लोगों का डाक्टरी मुआयना जिला अस्पताल में हुआ था। दिनांक 10.05.08 को स्कूल जाते समय मेरे गांव के इमरान व रामप्रीत के लड़के के बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े की बात को लेकर मुल्जिमानों ने उजैर को मारा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

16. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि इस मुकदमें का क्रास केस भी है परन्तु मैं उसमें मुल्जिम नहीं हूं..........। अगर क्रास केस में कोई मुल्जिम फहीम है तो वह दूसरा व्यक्ति है...........। घटना के समय उस खेत में गेहूं बोया था जो कट चुका था। उस खेत में नाला से थोड़ा पहले दक्षिण तरफ 20–25 फिट की दूरी पर मारपीट हुई थी। उजैर को सभी मुल्जिमान घेरकर मार रहे थे..........। 10–15 मिनट तक उजैर को मारे थे। उजैर मार खाते समय छटपटा रहा था। मेरे पहुंचने पर वह बेहोश नहीं हुआ था। हम लोगों के पहुंचने तक उजैर घटनास्थल पर रहे। हम लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले गये...........। उसी जगह पर हम लोगों को भी मुल्जिमान ने 2–4 मिनट तक मारा था। चोट खाकर मैं गिरा नहीं था। घटना के समय हम लोग कुछ दूरी पर क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग मुल्जिमानों द्वारा उजैर को मारते देखकर गये थे। घटना किस कारण से हुई थी मैं यह नहीं जानता। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को सुझाव दिया गया है कि सत्यता को छुपाकर मुल्जिमान के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है

तो साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया।

17. इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि साक्षी के मुख्य परीक्षण में दिया गया बयान अविश्वसनीय हो। साक्षी भी बीच बचाव में घायल हुआ था अतः निश्चय ही साक्षी ने अभियुक्तों द्वारा उजैर को लाठी डंडे से मारना अपनी आंखों से देखा है। साक्षी ने भी सम्पूर्ण घटना का वैसे ही वर्णन किया है जैसा कि पी0डब्लू 2 एवं 3 ने किया है। अतएव इस साक्षी के बयान का समर्थन पी0डब्लू 2 एवं 3 के बयानों से भी होता है तथा पी0डब्लू 2 एवं 3 के बयान का समर्थन इस साक्षी के बयान से होता है।

18. अभियोजन ने चुटैलों मोहम्मद हातिम व फहीम अहमद का चिकित्सीय परीक्षण तथा चुटैल फहीम अहमद का एक्स रे कराया जाना बताया है तथा इस संबंध में चिकित्सीय परीक्षक डा0 वी0के0 यादव को बतौर पी0डब्लू 4 तथा एक्स रे करने वाले डा0 एस0डी0 गौतम को बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया गया है।

19. साक्षी डा0 वी0के0 यादव, पी0डब्लू 4 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 10.05.08 को समय 09.50 बजे मजरूब मोहम्मद हातिम के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी परीक्षण मैनें किया था। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी:–

1. फटा घाव 6X1 सेमी. सर पर जिस पर रक्त जमा था दाहिने कान से 10 सेमी. ऊपर हड्डी तक गहरा था। 2. फटा घाव 4X.5 सेमी. बायें तरफ सामने के सर पर भौंह से 6 सेमी. ऊपर हड्डी तक गहरा था। 3. छिला हुआ और निलगू निशान 10X3.5 सेमी. सूजन युक्त बायें भुजा केहुनी से ठीक नीचे जो लाल रंग की थी जिसके एक्स रे की सलाह दी गयी। 4. निलगू निशान 3X2 सेमी. दाहिनी हथेली में छोटी अंगुली के आधार पर जिसका रंग लाल था। 5. छिला हुआ चोट .5X.5 सेमी. दाहिने अंगूठे के आधार पर खून जमा हुआ था।

मजरूब की सभी चोटें ताजी थी। चोट नं0 1,2,3,4,5 कुन्दाले से पहुंचायी गयी थी। चोट नं0 1,2,4,5 साधारण प्रकृति की थी। मजरूब को जो चोटें आयी हैं वह लाठी डंडा या कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से मारा जाये तो ऐसी चोटें आनी संभव हैं। चोटें दिनांक 10.05.08 समय 04.45 बजे दिन की होना संभव है। मजरूब की

इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क2 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था।

दिनांक 11.05.08 को समय 11.50 बजे मैनें मजरूब फहीम अहमद के शरीर का भी चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीः-

1. सूजन के साथ निलगू निशान 9X7 सेमी. बायें हाथ में कलाई से ठीक नीचे एवं 1X1 सेमी. की छिली हुई चोट छोटी अंगुली के आधार पर जिसके एक्स रे की सलाह दी गयी एवं जिला अस्पताल भेजा गया। 2. छिली हुई चोट 3X1.5 सेमी. दाहिने माथे पर भौंह से 2 सेमी. ऊपर रंग लाल था। 3. छिला हुआ निलगू चोट 3X2 सेमी. लालिमा लिये हुये कंधे के पिछले हिस्से में ऊपर से 3 सेमी. नीचे। 4. छिली हुई चोट 1.5X1.5 सेमी. दाहिने कान पर खून सूख गया था और रंग लाल था।

चोट नं0 1,2,3,4 कुंद वस्तु से पहुंचायी गयी थी तथा चोट नं0 2,3,4 साधारण प्रकृति की थी। चोट नं0 1 के लिये एक्स रे की सलाह दी गयी थी। सभी चोटें एक दिन के अंदर की थी। मजरूब की चोटें लाठी डंडे से आना संभव है तथा दिनांक 10.05.08 समय 04.45 बजे दिन की होना संभव है। मजरूब की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क3 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। दिनांक 03.06.08 को मजरूब फहीम की एक्स रे रिपोर्ट प्राप्त कर मजरूब फहीम अहमद की पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क4 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। एक्स रे रिपोर्ट के अनुसार फहीम अहमद की बायें हाथ की छोटी अंगुली जोड़ से खिसक गयी थी अतः चोट नं0 1 गंभीर प्रकृति की थी।

20. मजरूब फहीम अहमद का एक्स रे करने वाले डा0 एस0डी0 गौतम को बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 12.05.08 को चिकित्साधिकारी मधुबन द्वारा एक्स रे हेतु संदर्भित मजरूब फहीम अहमद का एक्स रे मेरी देखरेख में हुआ था। एक्स रे प्लेट के आधार पर मैनें एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श क8 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। एक्स रे प्लेट के अनुसार बायें हाथ की छोटी अंगुली का मेटाकार्पो फोलेन्जियल ज्वाइंट का अपनी जगह से हट जाना पाया गया था। एक्स रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया।

21. पी0डब्लू 4 डा0 वी0के0 यादव के बयान से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 10.05.08 को उन्होनें मोहम्मद हातिम तथा फहीम अहमद अर्थात पी0डब्लू 2 एवं

11 का चिकित्सीय परीक्षण किया था तथा मोहम्मद हातिम के शरीर पर कुन्दालय से पहुंचायी गयी भिन्न-भिन्न आकार एवं प्रकार की 5 चोटें पायी थी जो लाठी डंडा या कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से दिनांक 10.05.08 को 04.45 बजे कारित किया जाना संभव है। साक्षी द्वारा ही तैयार इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क2 से साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है अतः साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। इसी साक्षी के बयान के अनुसार उसी तिथि को फहीम अहमद के शरीर पर भी कुन्दालय से पहुंचायी गयी विभिन्न आकार उवं प्रकार की 4 साधारण प्रकृति की चोटें तथा बायें हाथ की छोटी अंगुली के ज्वाइन्ट से खिसक जाने के कारण एक गंभीर प्रकृति की चोट विद्यमान थी जो दिनांक 10.05.08 को समय 04.45 बजे कारित की गयी संभव थी। साक्षी डा0 एस0डी0 गौतम द्वारा फहीम अहमद की उंगली का एक्स रे वस्तु प्रदर्श 1 किया जाना सिद्ध किया गया है जिन्होनें स्वयं भी फहीम अहमद के बायें हाथ की छोटी अंगुली के फोलेन्जियल ज्वाइंट को अपनी जगह से हट जाना बताया है। साक्षी पी0डब्लू 4 एवं 8 के द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्यों से भी पी0डब्लू 3 एवं 11 के साक्ष्यों का समर्थन होता है जिससे उनके साक्ष्य पुनः पुष्ट होते हैं।

22. अभियोजन ने मृतक उजैर अहमद का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना बताया है तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डा0 ए0के0 राय को बतौर पी0डब्लू 12 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 10.05.08 को समय 11.00 बजे रात्रि मजरूब उजैर अहमद के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी परीक्षण मैनें किया था। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थीः-

1. फटा हुआ घाव 4X1 सेमी. बोन डीप जो कि सिर के सामने वाले भाग पर नाक की जड़ से 9 सेमी. ऊपर स्थित था, घाव से खून बहने का साक्ष्य मौजूद था। 2. फटा हुआ घाव 8X1 सेमी. बोन डीप सिर के पिछले भाग आक्सीपिटल रीजन 10 सेमी. नाक की जड़ से ऊपर था। यह घाव आक्सीपिटल रीजन में राइट साइड में था, घाव से खून बहने का साक्ष्य मौजूद था, खोपड़ी के एक्स रे की सलाह दी गयी। 3. निलगू निशान 4X3 सेमी. राइट फोर आर्म के पीछे की तरफ राइट रिस्ट ज्वाइन्ट से 4 सेमी. ऊपर घाव का रंग लाल था। राइट फोर आर्म के एक्स रे की सलाह दी गयी। 4. फटा हुआ घाव 3X2 सेमी. मसल डीप दाहिने हथेली पर लिटिल फिंगर व रिंग

फिंगर के जड़ के नीचे।

मजरूब की सभी चोटें हार्ड ब्लंट एवं लंबे आब्जेक्ट से आयी हैं। सभी चोटों को अंडर आब्जर्वेशन में रखा गया था, ड्यूरेशन फ्रेश था। मजरूब की सभी चोटें दिनांक 10.05.08 समय 04.45 बजे शाम की आनी संभव है तथा लाठी डंडे, हाकी से मारने पर आ सकती हैं। मजरूब की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क15 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। इलाज के दौरान ही दिनांक 10.05.08 को मजरूब उजैर अहमद की मृत्यु जिला अस्पताल में समय 11.40 बजे रात्रि में हो गयी जिसकी लिखित सूचना प्रदर्श क16 मैनें थाना सरायलखंसी को भेजा था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है।

23. इस साक्षी के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 10.05.08 को रात्रि 11 बजे उजैर अहमद का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके शरीर पर सिर के सामने वाले भाग, सिर के पिछले भाग आक्सीपिटल रीजन पर, अग्रबाहु के पीछे तथा हथेली पर उंगलियों के बीच में चोटें पायी गयी थी। सिर पर पहुंचायी गयी दोनों चोटों से रक्तश्राव हुआ था तथा साक्षी द्वारा खोपड़ी के एक्स रे की सलाह भी दी गयी थी। उक्त सभी चोटें हार्ड एवं ब्लंट आब्जेक्ट से दिनांक 10.05.08 को 04.45 बजे पहुंचायी गयी थी। चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क15 जिसे साक्षी ने मुआयने के पश्चात स्वयं तैयार करना बताया है, से साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है जिससे साक्षी का बयान पुष्ट होता है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उजैर अहमद की मृत्यु जिला अस्पताल में 11.40 बजे रात्रि में हो गयी थी जिसकी लिखित सूचना प्रदर्श क16 साक्षी ने थाना सरायलखंसी को भेजा था। अतएव साक्षी के बयान से पी0डब्लू 1, 2, 3 एवं 11 के साक्ष्यों को समर्थन मिलता है।

24. अभियोजन द्वारा मृतक का पंचायतनामा किया जाना भी बताया गया है तथा उसे सिद्ध करने के लिये सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवाजी सिंह को बतौर पी0डब्लू 9 परीक्षित किया गया है।

25. सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवाजी सिंह, पी0डब्लू 9 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11.05.08 को मैनें मृतक उजैर अहमद के शव का पंचायतनामा सदर अस्पताल मऊ में किया था। मौके पर उपस्थित लोगों में से बकाव अहमद, नौशाद

अहमद, सगीर अहमद, अफजल व अहमद अल्लाह को पंचान नियुक्त कर पंचायतनामे की कार्यवाही प्रारंभ किया। मृतक की दशा, चोटों व हुलिया का उल्लेख पंचायतनामें में करते हुये पंचो की सामूहिक व व्यक्तिगत राय का उल्लेख पंचायतनामे में किया तथा समक्ष पंचान मृतक के शव को कपड़े में सील सर्वमुहर किया तथा पंचायतनामा प्रदर्श क9 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। पुलिस फार्म 13, फोटोनाश, रिपोर्ट सी.एम.ओ. व रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो प्रदर्श क10 ता प्रदर्श क13 है। विवेचक ने मुझसे पूछताछ किया था। पुलिस फार्म 13, फोटोलाश, रिपोर्ट सी.एम.ओ. व रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक, प्रदर्श क10 ता प्रदर्श क13 जिसे साक्षी द्वारा स्वयं तैयार करना बताते हुये सिद्ध किया गया है, से साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है अतः इन साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि मृतक उजैर अहमद के शव का दिनांक 11.05.08 को पंचायतनामा किया गया था।

26. अभियोजन ने शव विच्छेदन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में शव विच्छेदन करने वाले डा0 पी0एन0 चतुर्वेदी को बतौर पी0डब्लू 5 परीक्षित किया है, जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11.05.08 को समय 12.15 बजे दोपहर में उन्होनें मृतक उजैर अहमद के शव का शव विच्छेदन किया था। मृतक की आयु लगभग 16 वर्ष थी तथा उसकी मृत्यु दिनांक 10.05.08 रात्रि 11.40 बजे हुई थी। मृतक औसत कद का था, रीगर मोर्टिस पूरे शरीर में प्रजेंट थी, कोई सड़न का चिन्ह नहीं था, आखें बंद थी, मुंह खुला हुआ था तथा नाक से खून बहने का साक्ष्य मौजूद था। शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें पायी गयी थीः-

1. एक सिला हुआ घाव जो 4 सेमी. लंबा था तथा उसमें दो टाकें लगे थे। यह चोट सिर पर नाक से 11 सेमी. ऊपर थी। 2. एक सिला हुआ घाव जो 7 सेमी. लंबा था जिसमें 4 टाकें थे। यह चोट सिर के दाहिने तरफ ट्रांसवर्सली प्लेस्ड थी तथा दाहिने कान से 10 सेमी. ऊपर थी। 3. एक खरोंच 2X1 सेमी. दाहिने आंख के ऊपरी पलक पर। 4. एक खुर्चा हुआ कन्ट्यूजन 6X3 सेमी. दाहिनी बीच वाली उंगली के प्राक्सिमल फैलिंक्स के पिछले हिस्से में थी तथा नीचे की हड्डी टूटी हुई थी। 5. एक फटा हुआ घाव 1X.5 सेमी. हड्डी तक गहरा हथेली की तरफ राइट मिडिल फिंगर प्राक्सिमल फैलिंक्स पर थी।

आन्तरिक परीक्षणः– सिर के दोनों पैराइटल बोन तथा फ्रन्टल बोन फैक्चर थे। मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियां फटी हुई थी तथा झिल्ली के नीचे एक बड़ा खून का थक्का पाया गया। दिमाग फटा हुआ था। एंटीरियर क्रेनियल फोसा फेक्चर था। ट्रैकिया एवं ब्राउन्कस में झाग मिला हुआ खून पाया गया। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे तथा वजन 750 ग्राम था। हृदय का दाया हिस्सा भरा तथा बायां हिस्सा खाली था तथा वजन 250 ग्राम था। दांत 15/15 थे। आमाशय की झिल्ली सामान्य थी और उसमें 200 ग्राम अधपचा भोजन पाया गया। लीवर कन्जेस्टेड था जिसका वजन 1100 ग्राम था। पित्त की थैली आधी भरी हुई थी। स्पीलीन कन्जेस्टेड था तथा वजन 100 ग्राम था। गुर्दा कन्जेस्टेड था तथा दोनों का सम्मिलित वजन 160 ग्राम था। पेशाब की थैली आंशिक रूप से भरी हुई थी। मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों से उत्पन्न कोमा पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है तथा साक्षी के साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 से यह सिद्ध होता है कि उजैर अहमद की मृत्यु मृत्यु पूर्व आयी चोटों से उत्पन्न कोमा से ही हुई थी। इस साक्षी के साक्ष्य से भी पी0डब्लू 1, 2, 3 एवं 11 के साक्ष्यों को समर्थन मिलता है।

27. अभियोजन साक्षी कां0मुहर्रिर घूरा प्रसाद पी0डब्लू 6 के बयान से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 11.05.08 को जब वह थाने पर बतौर कां0मोहर्रिर तैनात था उसने वादी मुकदमा रफीउल्लाह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 422/08, अंतर्गत धारा 147,148,302,323,504,506 भा0दं0वि0 बनाम रामप्रीत आदि की चिक सं0 122/08 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क6 अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था जो प्रदर्श क6 एवं प्रदर्श क7 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है। किसी भी अपराध के घटित हो जाने पर परिवार के सदस्यों का आचरण यही होता है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र घटना की रिपोर्ट थाने पर करें। इस प्रकरण में मृतक के पिता रफीउल्लाह के द्वारा ऐसा ही किया गया है जिससे अभियोजन कथानक पुष्ट होता है।

28. अभियोजन द्वारा प्रकरण की विवेचना दो विवेचकों निरीक्षक रामेश्वर पाण्डेय एवं

थानाध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 7 एवं 10 परीक्षित किया गया है। निरीक्षक रामेश्वर पाण्डेय, पी0डब्लू 7 ने दिनांक 11.05.08 को मुकदमा अपराध सं0 422/08, धारा 147,148,302,323,504,506 भा0दं0वि0 बनाम रामप्रीत आदि की विवेचना प्राप्त होना, दौरान विवेचना नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में करना, चिक लेखक कां0मुहर्रिर घूरा प्रसाद, वादी मुकदमा रफीउल्लाह का बयान अंकित करना, मजरूब उजैर अहमद की इंजरी रिपोर्ट प्राप्त करना, घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क8 तैयार करना, समई साक्षीगण का बयान अंकित करना, अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, अनिरूद्ध की गिरफ्तारी का उल्लेख केस डायरी में करना एवं उनका बयान अंकित करना, पंचायतनामा प्राप्त करना, पंचायतनामे के गवाहों का बयान अंकित करना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उसका उल्लेख केस डायरी में करना, चक्षुदर्शी साक्षियों का बयान अंकित करना बताया है तथा यह बताया है कि तत्पश्चात उनका स्थानांतरण हो गया।

29. अगले विवेचक थानाध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव, पी0डब्लू 10 ने दिनांक 10.06.08 को इस अपराध की विवेचना प्राप्त करना, मजरूबान की आघात आख्या का उल्लेख केस डायरी में करना, अभियुक्तगण अंगद व लालबहादुर का बयान अंकित करना, आघात आख्या के आधार पर मुकदमें में धारा 325 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी किया जाना, शेष साक्षियों का बयान अंकित करना, अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुये उसका बयान अंकित करना एवं अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र सिंह, अंगद, अनिरूद्ध व लालबहादुर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क14 प्रेषित करना बताया है।

30. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का प्रत्येक साक्ष्य के विषय में विस्तृत परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया तो सभी अभियुक्तों ने लगभग एक ही जैसा स्टीरियो टाईप उत्तर देते हुये अभियोजन साक्षियों को रंजिशन झूठा एवं गलत बयान देना तथा रंजिशवश झूठी कहानी के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना एवं गलत तथ्यों के आधार पर झूठा आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया जाना बताया है। सभी

अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया जाकर गांव की राजनीति की रंजिश के कारण झूठा अभियुक्त बनाया जाना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के विषय में यह तर्क भी दिया गया है कि वास्तव में उभय पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ था जिसके विषय में अभियुक्तगण द्वारा भी क्रास केस दर्ज कराया गया है परन्तु क्रास केस की विवेचना पुलिस द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया। झगड़े में उजैर अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण वादी द्वारा अभियुक्तों को झूठा फंसा दिया गया परन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में अभियुक्तगण का प्रस्तुत स्पष्टीकरण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में बल नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में प्रत्येक अभियोजन साक्षी की समीक्षा करने पर उनका साक्ष्य स्वयं में सत्य तथा विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा उनका एक दूसरे से संतोषजनक रूप से समर्थन होता है। उनमें से प्रत्येक का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्यों से भी होता है एवं स्वयं वादी के आचरण से होता है जो उसके द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र घटना की रिपोर्ट कराये जाने से प्रकट है। अतएव साक्षियों द्वारा किसी भी प्रकार की रंजिश के वशीभूत होकर झूठा साक्ष्य देना सिद्ध नहीं होता। उभय पक्षों के मध्य किसी प्रकार की गांव की राजनीतिक रंजिश का भी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है और न ही ऐसा कोई सुझाव ही दौरान प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष द्वारा किसी साक्षी को दिया गया हो। अतएव अभियुक्तगण की मुकदमें में उनकी संलिप्तता के विषय में प्रस्तुत स्पष्टीकरण उनकी हताशा को ही प्रकट करता है तथा वे अपनी संलिप्तता के विषय में सर्वथा एक ऐसा कारण बता रहे हैं जो पूर्णतयः निराधार है। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा उनके विरूद्ध क्रास केस दर्ज कराये जाने का तर्क है तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि निराशा, हताशा एवं इस मामले से बचने के प्रयास में उन्होनें संभवतः कोई क्रास केस दर्ज कराया होगा परन्तु वह निश्चय ही झूठा तथा निराधार रहा होगा जिसके कारण उसके आधार पर वादी पक्ष के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई भी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया। अतएव अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध होता है कि दिनांक 10.05.08 को समस्त अभियुक्तगण ने उजैर अहमद की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया तथा उसी सामान्य आशय को अग्रसारित करते हुये लाठी, डंडे तथा कुल्हाड़ी जैसे घातक आयुधों

से लैस होकर विधि विरूद्ध मजमा कायम किया, बलवा किया, उजैर की मारपीटकर हत्या कर दिया, उजैर को बचाने के आशय से दौड़े मोहम्मद हातिम, आमीर एवं फहीम अहमद को भी मारपीटकर साधारण चोटें तथा फहीम अहमद को गंभीर चोट पहुंचायी, उन्हें मारो साले को जैसे शब्दों का प्रयोग कर गाली गुप्ता देकर अपमानित किया तथा मारपीटकर भयाक्रान्त भी किया। अतएव अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लालबहादुर धारा 147,148,302/149/34, 323/149/34,325/149/34,504/34,506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने योग्य हैं। तदानुसार अभियुक्तगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लालबहादुर को 147,148,302/149/34,323/149/34,325/149/34, 504/34,506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

31. दोषीगण न्यायालय में उपस्थित हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

32. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 11.09.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

<u>दिनांक 13.09.2019</u>
<u>पुनश्च</u>

33. दोषीगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लालबहादुर कारागार से प्रस्तुत होकर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

34. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

35. दोषीगण का कथन है कि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। दोषी रामप्रीत वृद्ध है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। उन पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। विगत एक दशक से भी अधिक समय से मामला विचाराधीन है जिसमें वे नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे विचारण की त्रासदी पर्याप्त मात्रा में पहले ही झेल चुके हैं जो किसी प्रकार के दण्ड से कम नहीं है। अतएव उन्हें किसी कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अजय कुमार सिंह द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। अतएव उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

36. दोषीगण को धारा 147,148,302/149/34,323/149/34,325/149/34, 504/34,506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 147 भा0द0वि0 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 148 भा0द0वि0 3 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 302 भा0द0वि0 आजीवन कारावास के दण्ड अथवा मृत्युदण्ड तथा अर्थदण्ड, धारा 323 भा0द0वि0 1 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा 1000 रूपये तक के अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 325 भा0द0वि0 7 वर्ष तक के सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों तथा धारा 506 भा0द0वि0 7 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों के दण्ड से दण्डनीय है।

37. निर्विवाद रूप से दोषीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है अर्थात न तो उनको किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है अथवा उनके विरूद्ध कोई भी दाण्डिक मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु दोषीगण द्वारा निश्चय ही लाठी, डंडे जैसे हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध मजमा कायम करके बलवा कारित करते हुये एक युवक की लाठी, डंडों से निर्दयता पूर्वक मारकर हत्या कर दिया गया है। साक्ष्य में यह भी विद्यमान है कि दोषी रामप्रीत द्वारा युवक पर उस समय भी लाठी से प्रहार किया गया जबकि वह पहले ही चोट खाकर भूमि पर गिरकर मुर्छित हो गया था। दोषी रामप्रीत की कूरता की यह पराकाष्ठा है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अजय कुमार सिंह द्वारा कूरता की इसी पराकाष्ठा के दृष्टिगत दोषीगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना किया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि लाठी, डंडे से किसी व्यक्ति को उस समय तक इतना मारा जाना जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये तथा आहत व्यक्ति के मूर्छित हो जाने पर भी उसको लाठी से मारना सामान्य मामला तो नहीं है बल्कि एक विरला ही मामला है परन्तु विरलों में विरलतम मामला नहीं है। अतएव चूंकि मामला विरलों में विरलतम की श्रेणी में नहीं आता अतएव दोषी रामप्रीत को अथवा अन्य दोषीगण को मृत्युदण्ड से दण्डित करना विधिसंगत एवं न्यायसंगत नहीं होगा परन्तु हत्या कारित करने के अपराध में उन्हें आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना तथा एक उचित धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा। शेष अन्य अपराधों के लिये भी प्रत्येक दोषी को एक उचित अवधि के कारावास के दण्ड से एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना विधिसंगत होगा। प्राप्त अर्थदण्ड की धनराशि में से एक बड़ा अंश मृतक के माता पिता को बतौर क्षतिपूर्ति तथा घायलों को भी क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाये जाने से न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा।

आदेश

38. दोषीगण रामप्रीत, रामसमुझ, भूपेन्द्र, अंगद, अनिरूद्ध व लालबहादुर प्रत्येक को धारा 147 भा0द0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 148 भा0द0वि0 के अंतर्गत

1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 2,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 302/149/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड तथा 40,000/– रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 323/149/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 500/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 325/149/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 3,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से व धारा 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

39. प्रत्येक दोषी से धारा 302/149/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत वसूली गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक उजैर अहमद के माता पिता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा तथा शेष अन्य सभी धाराओं के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि घायलों मोहम्मद हातिम व फहीम अहमद को क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जायेगी। क्षतिपूर्ति का भुगतान उपरोक्त पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

40. प्रत्येक दोषी पर प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ–साथ चलेगा तथा दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

41. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक–पृथक दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड

वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

42. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

43. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 13.09.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

44. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 13.09.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

Chapter-III

Judgments of the offence of culpable homicide and other offences resulting into imprisonment and fine.

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 01 सन् 2009

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. पुल्लू चौरसिया पुत्र पन्ना लाल चौरसिया
2. पन्ना लाल चौरसिया पुत्र स्व0 परमेश्वर चौरसिया
साकिनान- दोस्तपुरा, थाना- कोपागंज, जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 1415/2008
अंतर्गत धारा 304/34 भा0दं0वि0
थाना- कोपागंज, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण पुल्लू चौरसिया व पन्ना लाल चौरसिया का विचारण धारा 304/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा कन्हैया प्रजापति के लड़के शिव कुमार की लात-घूसों से मारकर उपहति कारित कर उसका वध कर दिया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 16.09.08 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता कन्हैया प्रजापति ने थानाध्यक्ष कोपागंज के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *प्रार्थी पेशे से रिक्शा चालक है। उसका लड़का शिवकुमार जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है जो रिक्शा चलाता है, रोज की भांति आज दिनांक 16.09.08 को सुबह घर से रिक्शा लेकर निकला व रिक्शा चलाते हुये पन्ना लाल की दुकान पर लगभग 10.00 बजे मुहल्ला दोस्तपुरा पहुंचा और अपने रिक्शे के किराये के शेष पैसों की मांग किया जो की दो महीने से बकाया था। बकाया पैसा मांगने पर पुल्लू चौरसिया पुत्र पन्ना लाल चौरसिया से कहा सुनी होने लगी। पुल्लू ने उसके लड़के को लात घूसों से मारा और उसका लड़का शिव कुमार मारखाकर रिक्शा लेकर घर की तरफ आने लगा और पशु अस्पताल के पास गिर पड़ा। उसके लड़के*

को उसका भाई चन्द्रबली ठेले पर लादकर सरकारी अस्पताल कोपागंज ले गया तथा एक व्यक्ति से उसके पास सूचना पहुंचवाया। सूचना पाकर मैं अस्पताल आया। अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं था। फिर वहां के लोगों के कहने पर अपने पुत्र शिव कुमार को एक टेम्पो से सदर अस्पताल मऊ लाने के लिये टेम्पों पर रखा, थोड़ी ही देर में उसके पुत्र शिव कुमार की मृत्यु हो गयी और वह और उसका भाई, शिव कुमार की लाश को रिक्शे पर रखकर घर ले आये। सूचना दे रहा है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना कोपागंज में अभियुक्त पुल्लू चौरसिया के विरूद्ध अपराध सं0 1415/08 अंतर्गत धारा 304 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी की लिखित तहरीर एवं नकल जी0डी0 प्राप्त किया। उसका उल्लेख केस डायरी में किया। वादी का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। समई साक्षियों का बयान अंकित किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया। पंच नियुक्त कर शव का पंचायतनामा कराया। पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। पंचायतनामा करने वाले एस.आई. कमलाकर पाण्डेय का बयान अंकित किया। शव को पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ को प्रेषित किया। पोस्टमार्टम कराने वालों का बयान अंकित किया। अभियुक्त पुल्लू चौरसिया का बयान अंकित किया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया। अभियुक्त पन्ना लाल का बयान अंकित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्राप्त कर उसका अवलोकन किया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण पुल्लू चौरसिया व पन्ना लाल चौरसिया के विरूद्ध धारा 304 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण पुल्लू चौरसिया व पन्ना लाल चौरसिया के विरूद्ध धारा 304/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की

मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादी मुकदमा कन्हैया प्रजापति, दुर्गविजय, चन्द्रबली, फैयाज अहमद, कमलेश सोनकर, उपनिरीक्षक रामानन्द, कां0मोहर्रिर रामाश्रय, डा0 आर.के. गुप्ता, उपनिरीक्षक कमलाकर पाण्डेय, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 9 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, पंचायतनामा, घटनास्थल का नक्शा नजरी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस प्रपत्र 13, फोटोनाश, पत्र प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन मऊ, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण पुल्लू चौरसिया व पन्ना लाल चौरसिया प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क11 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे उक्त आरोप को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को उक्त धारा में दोषसिद्ध ठहराया जाय।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताये हैं तथा वादी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाईम तैयार कराना बताये हैं। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6,7,8 एवं 9 द्वारा झूठा एवं गलत बयान देना बताये हैं। गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र प्रेषित करना बताये हैं तथा कथन किये हैं कि जमीनी रंजिश के कारण उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वे निर्दोष हैं, कोई अपराध नहीं किये हैं। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का प्रथम साक्षी कन्हैया प्रजापति है जिसे अभियोजन द्वारा बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया गया है। उसने बयान दिया है कि मेरा लड़का शिव कुमार रिक्शा चलाता है। मैं अभियुक्तगण पन्ना लाल व पुल्लू को जानता हूं। घटना के दो माह पहले मेरे लड़के शिव कुमार का 30/– रूपया रिक्शा भाड़ा मुल्जिमान पर बकाया था। तकादा करने पर नहीं देते थे तथा आज काल करते रहते थे। घटना 11 माह पूर्व 10.00 बजे दिन की है। मेरा लड़का शिव कुमार, पन्ना लाल की दुकान पर आकर 30/– रूपया बकाया की मांग करने लगा तो पुल्लू चौरसिया ने पैसा नहीं दिया और पन्ना लाल के ललकारने पर लात घूसों से मारने लगा और पन्ना लाल भी लात घूसों से मारने लगा। पन्ना लाल ललकार रहे थे कि जब तक पैसा मांगे तब तक मारते रहो। मेरे लड़के को लोगों ने बचाया तो वह रिक्शा से घर जाने लगा परन्तु स्टेशन के सामने पुराने अस्पताल के पास पहुंचा तो वहीं गिर गया। उसे काफी चोट लगी थी। मेरा भाई चन्द्रबली कोपागंज सदर अस्पताल से मुझे घर पर खबर भेजवाया तो मैं अस्पताल पहुंचा। लड़के ने बताया कि मुझे पुल्लू व पन्ना ने किराया मांगने पर मारे हैं। शिव कुमार ने यह भी बताया कि पन्ना लाल कह रहे थे कि जब तक पैसा मांगता है तब तक मारते रहो। अस्पताल में मेरे लड़के का इलाज नहीं हो पाया। डाक्टर ने कहा कि मैं सदर अस्पताल रेफर कर दे रहा हूं झट से ले जाओ। तब टेम्पों लाकर मैं और चन्द्रबली लड़के को टेम्पों में लादने लगे लेकिन मेरा लड़का वहीं पर दम तोड़ दिया। लड़के की लाश को घर ले गया और घटना की रिपोर्ट प्रदर्श क1 लिखवाकर अपना अंगूठा लगाकर थाने पर दे दिया। तहरीर में पन्ना का नाम गलती से छूट गया है मैनें पन्ना लाल का नाम बताया था। साक्षी ने आगे बताया है कि मेरे लड़के के शव का पंचायतनामा दरोगा जी ने मेरे घर पर किया था जिस पर मैनें भी अंगूठा निशान लगाया था। साक्षी ने प्रदर्श क2 को पंचायतनामा बताया है।

9. साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मैनें जो न्यायालय में मुख्य बयान दिया है वह मैनें रपट में लिखाया था और यह सब बात दरोगा जी को भी अपने बयान में बताया था। दरोगा जी ने मेरा बयान थाने में लिया था.............। दरोगा जी को कुल बात बताया तो दरोगा जी कहे कि रपट लिखकर दे दो। वहीं पर रपट मैं बोलकर लिखाया। निशान

अंगूठा लगाया और दरोगा जी को थाने में दे दिया...........। मैं घटना के दिन घर से 10.00 बजे रिक्शा लेकर निकला था। मेरा लड़का शिवकुमार घटना के दिन नौ बजे सुबह रिक्शा लेकर दाल रोटी खाकर निकल गया था। मेरे लड़के का रिक्शा भाड़े का है...........। पन्ना लाल की दुकान से मेरा घर पश्चिम ओर एक किलोमीटर पर है...........। उनकी दुकान से पक्की सड़क मेरे घर तक और उसके आगे आजमगढ़ तक चली जाती है। पन्ना लाल की दुकान से पूरब ओर पशु अस्पताल, पश्चिम तरफ तीन चार मीटर दूरी पर है। पशु अस्पताल से सरकारी अस्पताल दक्षिण तरफ एक किलोमीटर की दूरी पर है। इस केस की कोई घटना मेरे सामने नहीं हुई थी और न मैनें घटना देखा है। जिस स्थान से मेरा लड़का रिक्शा से गिर कर मरा था, वह मरा नहीं था, उसके मरने की सूचना मुझे घर पर मिली थी। वह जिन्दा था जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डाक्टर साहब अस्पताल में नहीं मिले। वह पोलियो पिलाने चले गये थे। केवल कम्पाउंडर से मुलाकात हुई थी। उन्होनें कहा कि मैं रेफर कर रहा हूं मऊ लेकर जाओ............। खबर पाकर मैं पुराना अस्पताल गया जहां मेरा लड़का रिक्शा से गिरा था। उसके बाद सरकारी अस्पताल गया। जहां लड़का गिरा था वहां खून नहीं गिरा था, रिक्शा मिला था। अगला व पिछला चक्का नहीं टूटा था आदि-आदि।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने तर्क दिया है कि इस साक्षी ने बताया है कि शिव कुमार ने मृत्यु से पूर्व अस्पताल में इस साक्षी से बताया था कि किराये का तकादा करने पर पन्ना लाल व पुल्लू चौरसिया ने उसे मारा पीटा था तथा पन्ना लाल ने कहा था कि जब तक किराया मांगे मारते रहो। अतः मृतक का इस साक्षी को दिया गया उक्त वक्तव्य मृतक का मृत्युकालिक बयान है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत ग्राह्य है परन्तु विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के इस तर्क में बल प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस साक्षी ने शिव कुमार द्वारा बताये जाने वाली उक्त बात न तो साक्षी की तहरीर प्रदर्श क1, प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही साक्षी के बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 में है बल्कि साक्षी ने यह बात न्यायालय में पहली बार बतायी है। चूंकि यह वक्तव्य घटना के संबंध में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है अतः साक्षी द्वारा अपने

तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उस वक्तव्य का उल्लेख न करना तथा विवेचक को भी धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में न बताना उसकी तहरीर प्रदर्श क1, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में तात्विक लोप है। अतः यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने उक्त वक्तव्य का साक्ष्य अपने न्यायालय के बयान में विकसित किया है। अतः साक्षी का उस सीमा तक साक्ष्य भरोसेमन्द नहीं है परन्तु जहां तक शेष बयान का प्रश्न है तो साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि उसने मुख्य परीक्षा में झूठा बयान दिया है। इस साक्षी द्वारा ही थाने में तहरीर प्रदर्श क1 देकर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है जिसमें शिव कुमार द्वारा तथाकथित रूप से बतायी गयी बात के अतिरिक्त सारवान रूप से वही अंकित है जो साक्षी ने न्यायालय में बताया है। अतः साक्षी की तहरीर/एफ.आई.आर. से साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का समर्थन होता है। साक्षी का बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 तथा साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान में भी शिव कुमार द्वारा तथाकथित रूप से बतायी गयी बात के अतिरिक्त कोई तात्विक अंतर्विरोध नहीं है जिससे साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। अतः इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि शिव कुमार उसका पुत्र था जो रिक्शा चलाता था तथा घटना वाले दिन नौ बजे प्रातः दाल रोटी खाकर शिव कुमार रिक्शा चलाने निकल गया था। अस्पताल से उसके भाई चन्द्रबली की सूचना पर जब वह सरकारी अस्पताल पहुंचा तो वहां कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं था। अतः अस्पताल पर उपलब्ध कर्मचारी के कहने पर वह अपने पुत्र को मऊ ले जाने के लिये टेम्पों पर रखा परन्तु वहीं शिव कुमार की मृत्यु हो गयी। मारने पीटने की घटना इस साक्षी के समक्ष नहीं हुई थी।

11. अभियोजन का दूसरा साक्षी दुर्गविजय है जिसे अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है। उसने अपने बयान में बताया है कि मैं पुल्लू और पन्ना को जानता हूं। पुल्लू टेम्पों चलाते थे और उनके पिता चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। कन्हैया के लड़के को मैं जानता हूं। उसका नाम नहीं जानता था। घटना हुये तीन साल हो गये। दस बजे दिन का समय था। मैं बृजराज के होटल के पास पान की दुकान पर पान खा रहा था। बृजराज की दुकान से पन्ना की दुकान सड़क की दूसरी पटरी पर

सामने है। मैनें दस बजे देखा कि **शिव कुमार को पुल्लू, पन्ना लात घूंसा से मार रहे थे। पन्ना ललकार रहे थे कि तब तक मारो जब तक वह भाग नहीं जाता। वहां बहुत लोग थे। मैं छुड़ाया नहीं अपने घर चला गया। शिव कुमार थोड़ी दूर जाकर अपना दम तोड़ दिया। शिव कुमार गिर गया और दम तोड़ दिया। पन्ना की दुकान से शिव कुमार उठकर गया था। मैनें शिव कुमार को गिरते व दम तोड़ते नहीं देखा था।**

12. इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें उसने बताया है कि मैं राजभर बिरादरी का हूं। वादी मुकदमा भी मेरी बिरादरी का है। मेरा घर कन्हैया के घर से 50 मीटर पूरब है। मैं कोपागंज में ननिहाल में रहता हूं, रिक्शा नहीं चलाता हूं। खेती किसानी का काम करता हूं। घटना के पहले से कन्हैया मेरे घर आते जाते थे...........। थाने से पन्ना की दुकान किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है मैं नहीं बता सकता। पन्ना की दुकान के उत्तर, पूरब, पश्चिम व दक्षिण किसकी दुकानें हैं मैं नहीं बता सकता। बृजराज की दुकान के उत्तर, पूरब, पश्चिम व दक्षिण किसकी दुकानें हैं मैं नहीं बता सकता। बृजराज का होटल पश्चिम रूखा है। वहां पर मैं बराबर पान खाने जाता हूं। किसकी पान की दुकान है मैं नहीं जानता। पान की दुकान पर मैं अकेले पान खा रहा था। बृजराज के होटल में भीड़ भाड़ थी। बृजराज के होटल में केवल खाना मिलता है, नमकीन चाय नहीं मिलती। बृजराज के होटल से पन्ना की दुकान कितनी लट्ठे दूर है मैं नहीं बता सकता। जब मैं पान खा रहा था तो पन्ना की दुकान पर काफी भीड़भाड़ थी..........। मैं घर से पान की दुकान पर पैदल गया था.........। दस मिनट में पहुंच गया था आदि-आदि।

13. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के प्रतिपरीक्षण की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि साक्षी झूठा साक्षी है। साक्षी को यह भी ज्ञात नहीं है कि पन्ना लाल की दुकान तथा बृजराज के होटल के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसकी दुकानें हैं। अतः यह साक्षी मौके का साक्षी नहीं है बल्कि वादी की बिरादरी का होने के कारण हितबद्ध साक्षी है तथा उसके कहने पर झूठा साक्ष्य दे रहा है परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि साक्षी से यह कदापि अपेक्षा नहीं है कि वह पन्ना लाल तथा बृजराज के आस पास की दुकानों के मालिकों का नाम जाने। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उस समय बृजराज की दुकान पर काफी भीड़भाड़

थी। उनकी दुकान पश्चिम रूखा है। बृजराज की दुकान पर केवल खाना मिलता है, चाय नमकीन नहीं मिलती। अतः साक्षी के मौके के इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि वह स्वाभाविक रूप से बयान दे रहा है तथा एक साधारण व्यक्ति को घटनास्थल के विषय में जो सामान्य जानकारी हो सकती है वह उसे है तथा उसने स्वाभाविक रूप से बताया है। अतः इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में झूठा बयान नहीं दिया है। साक्षी का बयान विवेचक ने भी धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत अंकित किया है परन्तु साक्षी के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान एवं न्यायालय में दिये गये बयान में कोई अंतर्विरोध नहीं है। अतः साक्षी का बयान विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द प्रतीत होता है। साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि साक्षी घटना का प्रत्यक्ष तथा चक्षुदर्शी साक्षी है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि शिव कुमार को अभियुक्तगण पुल्लू तथा पन्ना लाल लात घूंसों से मार रहे थे तथा पन्ना लाल मारने के लिये ललकार भी रहा था तथा मार खाने के बाद शिव कुमार वहीं मरा नहीं था बल्कि पन्ना की दुकान से शिव कुमार उठकर चला गया था। न्यायालय को अब यह विचार करना है कि क्या इस साक्षी के साक्ष्य का समर्थन अभियोजन के किसी अन्य साक्षी से भी होता है अथवा नहीं ?

14. अभियोजन का अगला साक्षी चन्द्रबली है जिसे बतौर पी0डब्लू 3 परीक्षित किया गया है। उसने अपने बयान में बताया है कि घटना एक माह कम दो साल पूर्व की है। दिन के दस बजे का समय था। मैं पुल्लू की दुकान के पूरब सड़क के पार नीम के पास था। वहां सवारी लेकर गया था। **पुल्लू दीवाल में शिव कुमार को लड़ाकर घूसा से मार रहे थे। पुल्लू के पिता पन्ना ललकार रहे थे कि जब तक भाड़ा मांगना बंद न करे तब तक मारते रहो।** मैं छुड़ाने गया तब तक पुल्लू भाग गया। शिव कुमार रिक्शा लेकर घर की तरफ जाने लगा और पशु अस्पताल के सामने गिर गया। मुझे खबर लगी तो मैं जाकर ठेला पर लादकर कोपागंज अस्पताल पहुंचा। वहां मेरा भाई कन्हैया भी पहुंच गया। अस्पताल में शिव कुमार जिन्दा था। वह अपने पिता से बताया कि मुझे पुल्लू ने मारा है। डाक्टर ने कहा कि मऊ ले जाओ। टेम्पों बुलाकर उसे चढ़ाने लगे तब तक शिव कुमार मर गया। उसकी लाश लादकर घर ले गये। शिव

कुमार को पुल्लू ने इसलिये मारा था कि शिव कुमार भाड़ा मांग रहा था।

15. साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मैं भी रिक्शा चलाता हूं............। पन्ना की दुकान पश्चिम मुंह है, फिर कहा कि पूरब मुंह है। पन्ना की दुकान के दक्षिण एक राय साहब का मकान है, उत्तर पन्ना लाल का मकान है, पश्चिम पन्ना लाल का हाता है। उस हाते का विवाद किससे चल रहा है मुझे नहीं मालूम। पन्ना लाल की चाय की दुकान है। पुल्लू टेम्पों चलाता है...........। घटना के पहले पन्ना के घर मेरा आना जाना था............। पन्ना की दुकान के पूरब सात आठ कदम की दूरी पर नीम का पेड़ है। सड़क के पूरब नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ से पन्ना की दुकान दस बीस कदम होगी। उसी नीम के पेड़ के पास टैक्सी स्टैन्ड है...........। इस घटना से पहले मुल्जिम व शिव कुमार से कोई विवाद नहीं हुआ था। घटना के दिन मैं रिक्शा लेकर भोर में निकला था...........। इस मुकदमें से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है...........। मैं छुड़ाने पहुंचा मुझे कोई नहीं मारा। मैं किसी को नहीं मारा। शिव कुमार को मैनें मौके पर घायल देखा था लेकिन मैं उसको लेकर थाने पर नहीं गया। सरकारी अस्पताल में मौके से दवा के लिये ले गया था। वहां डाक्टर ने कहा सदर ले जाओ आदि–आदि।

16. इस साक्षी का बयान भी विवेचक ने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत अंकित किया है परन्तु धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान में इस साक्षी ने यह नहीं बताया है कि शिव कुमार ने मरने से पहले अपने पिता को बताया था कि मुझे पुल्लू ने मारा है। अतः धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में साक्षी के इस बयान का लोप होने के कारण यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने मात्र इतना बयान न्यायालय में विकसित किया है परन्तु उसके धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के शेष बयान एवं न्यायालय में दिये गये बयान में किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने न्यायालय में झूठा बयान दिया हो। इस साक्षी ने न्यायालय में घटना का वैसे ही वर्णन किया है जैसा कि पी0डब्लू 2 ने। यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी तथा चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने घटनास्थल तथा घटना का स्वाभाविक वर्णन किया है। इस प्रकार घटना के विषय में पी0डब्लू 2 के बयान का समर्थन पी0डब्लू 3 के बयान से होता है तथा जिस समय

से शिव कुमार के पिता पी0डब्लू 1 को घटना के विषय में ज्ञान हुआ, उस समय से पी0डब्लू 1 के बयान का भी समर्थन पी0डब्लू 2 एवं 3 के बयानों से होता है। अतः उनके बयान विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द प्रतीत होते हैं।

17. अभियोजन का अगला साक्षी फैयाज अहमद है जिसे अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 4 परीक्षित किया है। उसने बयान दिया है कि मैं, कन्हैया के लड़के शिव कुमार को जानता हूं। करीब दो वर्ष पूर्व शिव कुमार की हत्या हुई थी। जानकारी होने पर मैं उनके घर गया था। वहां पर उसकी लाश थी तथा पुलिस के लोग मौजूद थे। दरोगा जी ने मेरे सामने लाश का पंचायतनामा किया था। मेरे अलावा चार पांच पंचों को नियुक्त किये थे। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। पंचों की राय बनी थी कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाय। पंचायतनामा प्रदर्श क2 दरोगा जी ने पढ़कर सुनाया था तथा हम लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। पंचायतनामा प्रदर्श क2 पत्रावली पर उपलब्ध है जो दिनांक 16.09.08 को तैयार किया गया है। इस पर इस साक्षी का तथा पुलिस कर्मियों के हस्ताक्षर हैं। अतः प्रदर्श क2 से साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है और उसका बयान विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः इस साक्षी के बयान से सिद्ध होता है कि दिनांक 16.09.08 को शिव कुमार के शव का पंचायतनामा पुलिस द्वारा कराया गया था।

18. अभियोजन का अगला साक्षी कमलेश सोनकर पी0डब्लू 5 है। इसने बयान दिया है कि मैं, कन्हैया व उसके लड़के शिव कुमार को जानता हूं। शिव कुमार कोपागंज कस्बा में रिक्शा चलाता है। शिव कुमार की हत्या करीब दो वर्ष पहले पुल्लू चौरसिया से झगड़ा होने के कारण हुई चोटों से हुई थी। ऐसी चर्चा मैनें सुना था। साक्षी ने आगे बताया है कि मैं कन्हैया के घर गया था। वहां दरोगा जी लोग मौजूद थे। दरोगा जी ने मुझसे व चार अन्य व्यक्तियों से पंचायतनामा का गवाह बनने के लिये कहा था। लाश को उलट पलटकर हम लोगों के सामने देखा था और हम लोगों के सामने पंचायतनामा लिखा था। शिव कुमार को कोई जाहिरा चोट नहीं थी इसलिये हम लोग ने पोस्टमार्टम के लिये कहा था। दरोगा जी ने हम लोगों के सामने पंचायतनामा प्रदर्श क2 तैयार किया था।

19. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु यह

प्रतीत नहीं होता कि साक्षी झूठ बोल रहा है। यह साक्षी भी शिव कुमार के शव का पंचायतनामे का साक्षी है जिसके साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 16.09.08 को शिव कुमार के शव का पंचायतनामा किया गया था। अतः पी0डब्लू 4 एवं 5 के साक्ष्यों से भी पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 के बयानों को समर्थन मिलता है तथा यह सिद्ध होता है दिनांक 16.09.08 को शिव कुमार की मृत्यु हो गयी थी जिसका पंचायतनामा बनाया गया था। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि पंचायतनामा के इन दोनों साक्षियों ने बताया है कि शिव कुमार के शव पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तों ने उसे मारापीटा नहीं था। अतः अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध सिद्ध नहीं होता परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नही है। यह आवश्यक नहीं है कि मारेपीटे जाने पर किसी व्यक्ति को सदैव जाहिरा प्रकट होने वाली चोट उसके शरीर पर विद्यमान हो। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साक्ष्य से ही सिद्ध होगा जिसका उल्लेख आगे किया जायेगा।

20. अभियोजन का अगला साक्षी डा0 आर.के. गुप्ता पी0डब्लू 8 है जिन्होनें बयान दिया है कि दिनांक 17.09.08 को मैं सदर अस्पताल मऊ में बतौर मेडिकल आफिसर तैनात था। उस दिन समय 02.30 बजे शिव कुमार प्रजापति पुत्र कन्हैया प्रजापति के शव का पोस्टमार्टम मैनें किया था..........। मृतक पुरूष था। उसकी आयु करीब 22 वर्ष थी। मृत्यु का संभावित समय 24 घण्टे से 36 घण्टे पूर्व था। मृतक सामान्य कद काठी का था। दोनों आंखें खुली थी। उसके दोनों नाक व मुंह से खून बहने के लक्षण थे। गुदा द्वार के आस पास टट्टी फैला हुआ था। अण्डकोश व लिंग पर सूजन थी। अन्य सभी प्राकृतिक छिद्र सामान्य थे। मृत्यु पश्चात अकड़न शरीर के ऊपरी हिस्से से गायब हो गयी थी परन्तु निचले हिस्से में मौजूद थी। मृत्यु पूर्व चोटों में दाहिने भौंह के ऊपर दाहिनी तरफ सिर के अगले हिस्से पर 5 सेमी.X7 सेमी. के क्षेत्र में दर्ददार सूजन के साथ निलगू निशान, सिर पर दाहिनी तरफ कान से 4 सेमी. ऊपर 3.5 सेमी.X2 सेमी. दर्ददार सूजन के साथ निलगू निशान, सिर पर दाहिने तरफ दाहिने कान से 8 सेमी. ऊपर 6 सेमी.X5 सेमी. दर्ददार सूजन के साथ निलगू निशान, सिर पर बांयी तरफ भौंह से 1 सेमी. ऊपर 4 सेमी.X2 सेमी. दर्ददार सूजन के साथ निलगू निशान, सिर पर बांयी तरफ कान से 3 सेमी. ऊपर 8 सेमी.X4

सेमी. दर्ददार सूजन के साथ निलगू निशान, सिर के पिछले हिस्से पर बांये कान से 7 सेमी. ऊपर 3 सेमी.X2 सेमी. दर्ददार सूजन के साथ निलगू निशान। गर्दन, खोपड़ी की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, श्वासनली, पसलियां, हृदय की झिल्ली, खून की बड़ी नलियां, पेट की दीवाल, पेट की झिल्ली एवं भोजन नली तथा जननांग सामान्य पाये गये। मष्तिस्क की झिल्ली कन्जेस्टेड थी। सब ड्यूरल एवं इन्ट्रासेरिब्रल हिमेटोमा मौजूद था। फ्लूरा कन्जेस्टेड था। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे। हृदय का बांया चेंबर खाली तथा दाहिना चेंबर भरा था। आमाशय में 150 मिली. द्रव पदार्थ था। म्यूकोशा सामान्य था। छोटी आंत में पचा हुआ खाद्य पदार्थ एवं गैस मौजूद था। बड़ी आंत में आंशिक रूप से मल एवं गैस मौजूद था। यकृत कन्जेस्टेड था। पित्ताशय आधा भरा हुआ था। दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। पेशाब की थैली आधी भरी थी। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व सिर में आयी हुई चोटों के कारण कोमा की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क6 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क6 पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें शव की वही दशा एवं चोटों का उसी प्रकार उल्लेख है जिस प्रकार साक्षी ने न्यायालय मे बताया है। अतः प्रदर्श क6 पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है तथा साक्षी का बयान पूर्णतयः भरोसेमन्द प्रतीत होता है। साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि मृतक के सिर पर छः चोटें विद्यमान थी। स्मरण रहे कि पी0डब्लू 3 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट बताया है कि अभियुक्त, शिव कुमार को दीवार में लड़ा रहे थे। अतः निश्चय ही अभियुक्त शिव कुमार का सिर ही दीवार में लड़ा रहे थे तथा दीवार में लड़ाने से शिव कुमार के सिर में आंतरिक प्रभाव छोड़ने वाली चोटें आयी थी। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य का पूर्णतयः तथा संतोषप्रद रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य से होता है। यही नहीं दोनों ही साक्षियों ने अर्थात पी0डब्लू 2 एवं 3 ने अभियुक्तगण द्वारा शिव कुमार को लात एवं घूसों से मारना बताया है तथा पी0डब्लू 8 पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर ने पोस्टमार्टम करते समय शिव कुमार के नाक एवं मुंह से खून बहने के लक्षण पाये थे। मृतक के अण्डकोश व लिंग पर सूजन थी तथा गुदा द्वार पर टट्टी फैल गयी थी। अतः निश्चय ही दोनों अभियुक्तों द्वारा पर्याप्त बल पूर्वक लात घूसों से शिव कुमार की इस प्रकार पिटाई की थी जिससे उसके अण्डकोश व लिंग पर भी चोटें आयी थी तथा उसे असहनीय पीड़ा

हुई थी जिसके कारण उसे टट्टी भी हो गयी थी। साक्षी ने बताया है कि शिव कुमार की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी सिर में चोटों के कारण कोमा से हुई थी। स्पष्ट है कि शिव कुमार, अभियुक्तों द्वारा मारे जाने के कारण उत्पन्न असहनीय पीड़ा से कोमा में चला गया था तथा परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से भी पी0डब्लू 2 एवं 3 के साक्ष्यों से समर्थन मिलता है तथा पी0डब्लू 2 एवं 3 के साक्ष्यों पर भरोसे का आधार बढ़ जाता है।

21. अभियेाजन का अगला साक्षी का0 रामाश्रय है जिसे बतौर पी0डब्लू 7 परीक्षित किया गया है जिसने बताया है कि दिनांक 16.09.08 को कन्हैया प्रजापति की तहरीर प्रदर्श क1 के आधार पर उसने थाने पर अपराध सं0 1415/08 बनाम पुल्लू चौरसिया पंजीकृत किया था जिसकी चिक एफ.आई. आर. सं0 175/09 प्रदर्श क4 है तथा उसका तस्कीरा उसने उसी दिन जी0डी0 में बतौर रपट नं0 20 समय 12.45 बजे अपने लेख व हस्ताक्षर में किया था। जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क5 है। अत : इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 16.09.08 को कन्हैया वादी के तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध भी पंजीकृत कर लिया गया था। अतः इस साक्ष्य से भी पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 के साक्ष्य को समर्थन मिलता है।

22. अभियोजन द्वारा प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक रामानन्द एवं उपनिरीक्षक कमलाकर पाण्डेय, क्रमशः, द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 6 एवं पी0डब्लू 9 परीक्षित किया गया है। पी0डब्लू 6 रामानन्द ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 16.09.08 को मैं बतौर उपनिरीक्षक थाना कोपागंज में तैनात था। उस दिन अपराध सं0 1415/08 अंतर्गत धारा 304 भा0दं0वि0 की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना मैनें अभियोग से संबंधित समस्त कागजात प्राप्त किया था। उपनिरीक्षक कमलाकर पाण्डेय के द्वारा पंचायतनामे की कार्यवाही की गयी। मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया एवं वादी का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क3 बनाया। समई साक्षियों सुरेश पटेल व बालेश्वर शर्मा का बयान अंकित किया। प्रथम सूचना लेखक का बयान अंकित किया। पंचायतनामा का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में

किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। पंचायतनामा करने वाले कमलाकर पाण्डेय तथा पोस्टमार्टम कराने वाले कां0 सुरेश सिंह यादव व सदानन्द यादव का बयान अंकित किया। अभियुक्त पुल्लू चौरसिया को गिरफ्तार किया तथा उसका बयान अंकित किया। घटना के गवाह गोपी, दुर्गविजय राजभर, चन्द्रबली का बयान अंकित किया। अभियुक्त पन्ना लाल को गिरफ्तार किया तथा उसका बयान अंकित किया। तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण हो गया। मैं विवेचना छोड़कर चला गया।

23. इसी प्रकार पी0डब्लू 9 कमलाकर पाण्डेय ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 16.09.08 को मैं थाना कोपागंज में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन अपराध सं0 1415/08 अंतर्गत धारा 304 भा0दं0वि0 की विवेचना उपनिरीक्षक रामानन्द को सौपी गयी थी। मैनें विवेचना से संबंधित नकल चिक, नकल रपट तथा जिल्द पंचायतनामा व दीगर कागजात साथ लेकर वादी के ग्राम शिवपुर गाढ़ा गया था। उपनिरीक्षक रामानन्द वहां पहले से मौजूद थे। वहां काफी भीड़ इकट्ठा थी। मृतक शिव कुमार पुत्र कन्हैया प्रजापति का शव पड़ा था। उसके मृत्यु के संबंध में लोगों ने बताया कि उसे लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इकट्ठे हुये लोगों में से ही पंच नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही किया। पंचायतनामा प्रदर्श क2 पर उसका तथा गवाहों का हस्ताक्षर है। पंचायतनामा के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजने के लिये कपड़े में सील मुहर किया तथा कां0 सदानन्द यादव व सुरेश सिंह को आवश्यक कागजात के साथ पोस्टमार्टम के लिये भेजा। पोस्टमार्टम हेतु पुलिस प्रपत्र 13, फोटोलाश, आर.आई. को पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र, क्रमशः, प्रदर्श क7 ता प्रदर्श क10 तैयार किया था। दिनांक 21.10.08 को इस मुकदमें की विवेचना उपनिरीक्षक रामानन्द का स्थानांतरण हो जाने के कारण मुझे प्राप्त हुआ। मैनें विवेचना के दौरान पूर्व में किता किये गये सभी पर्चो, अभिलेखों तथा साक्ष्यों का परिशीलन किया तथा अभियुक्तगण पुल्लू चौरसिया व पन्ना लाल चौरसिया के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 304 भा0दं0वि0 प्रदर्श क11 प्रेषित किया था।

24. दोनों ही विवेचकों से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि इन दोनों साक्षियों द्वारा मामले की विवेचना

न किया गया हो तथा अभियोजन कथानक झूठा हो।

25. यद्यपि अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्यों के विषय में किये गये परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 में साक्षियों के बयान को गलत एवं झूठा होना बताया है तथा मुकदमें को अपने विरूद्ध जमीनी रंजिश के कारण लिखाया जाना बताया है, परन्तु अभियोजन साक्षियों के संबंध में दिया गया उनका उक्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। अभियुक्तों द्वारा तथाकथित जमीनी रंजिश का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतः अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्तों को इस मामले में झूठा लिप्त किये जाने का तथा उनके विरूद्ध झूठा साक्ष्य दिये जाने का कोई हेतुक विद्यमान नहीं है। अतः निश्चय ही वादी द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध सही मामला पंजीकृत कराया गया है तथा उनके विरूद्ध सही साक्ष्य दिया गया है जो विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द है।

26. इस प्रकार अभियोजन ने अपने समस्त साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि दिनांक 16.09.08 को अभियुक्तगण पुल्लू चौरसिया एवं पन्ना लाल चौरसिया द्वारा सआशय शिव कुमार को लात घूसों से मारपीटकर तथा उसका सिर दीवार से लड़ा-लड़ाकर ऐसी चोटें पहुंचाकर उसे उपहति कारित किया गया जिससे शिव कुमार की मृत्यु हो जाना संभावित है और अंततः उसी दिन कुछ घण्टों के अंदर ही उन्हीं चोटों से शिव कुमार की मृत्यु हो गयी। अतः दोनों ही अभियुक्त धारा 304 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराये जाने योग्य हैं। तदानुसार अभियुक्तगण पुल्लू चौरसिया एवं पन्ना लाल चौरसिया को धारा 304 भा0दं0वि0 के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध किये जाने का दोषी ठहराया जाता है।

27. दोषी पुल्लू चौरसिया न्यायालय में उपस्थित है। उसे अभिरक्षा में लिया गया तथा दोषी पन्ना लाल चौरसिया की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह अस्वस्थता के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। दोषी पन्ना लाल चौरसिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि दोषी पन्ना लाल चौरसिया अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल है तथा बीमारी के कारण शैया पर पड़ा हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में दोषी पन्ना लाल चौरसिया को अवसर दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के अंदर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

28. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर पेश हो।

29. दोषीगण के बन्धपत्र तथा जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 08.11.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट
ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ।

<u>दिनांकः 15.11.2017</u>
<u>पुनश्च</u>

30. दोषीगण पुल्लू चौरसिया एवं पन्ना लाल चौरसिया मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्रीप्रकाश उपस्थित।

31. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

32. दोषीगण को धारा 304/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है जो, यदि मानव वध मृत्यु कारित करने वाले कार्य को मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है तो आजीवन कारावास के दण्ड से अथवा 10 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से एवं अर्थदण्ड से तथा यदि वध कारित करने वाला कार्य बिना मृत्यु कारित करने के आशय से परन्तु इस ज्ञान के साथ कारित किया गया हो कि दोषी के कृत्य से मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, तो 10 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से अथवा अर्थदण्ड से अथवा दोनो से, दण्डनीय है।

33. दोषीगण द्वारा तर्क दिया गया है कि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक मामले में दोषी ठहराया गया है। वे आपस में पिता पुत्र हैं। उन पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। उनकी अनउपलब्धता में उनका सम्पूर्ण परिवार असहाय, बेसहारा तथा आजीविका विहीन हो जायेगा। दोषी पन्ना लाल चौरसिया वृद्ध तथा अत्यन्त बीमार व्यक्ति है जो शैया पर पड़ा रहता है। उपरोक्त परिस्थितियों में उन्हें किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्रीप्रकाश द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण द्वारा अत्यन्त कूर ढंग से शिवकुमार को मार-मारकर सआशय उसकी निर्मम हत्या किया गया है। अतः उन्हें कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

34. इस प्रकरण में दोषीगण द्वारा वादी मुकदमा कन्हैया प्रजापति के 22 वर्षीय पुत्र शिवकुमार को उसका सिर दीवार में लड़ा-लड़ाकर गंभीर उपहति कारित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसके नाक व मुंह से खून आया था। उसको लात घूंसों से भी इतना मारापीटा गया था कि बरवख्त पोस्टमार्टम उसके गुदा द्वार पर टट्टी पायी गयी

थी तथा उसके अण्डकोश व लिंग पर भी सूजन विद्यमान थी। अतः निश्चय ही दोषीगण द्वारा पहुंचायी गयी चोटों से शिवकुमार को असहनीय पीड़ा हुई थी तथा उक्त पीड़ा के सदमे से ही अंततः शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गयी। दोषीगण द्वारा शिवकुमार को लगातार उसके शरीर पर चोट पहुंचायी जा रही थी तथा वह चोटें निर्ममता से उसके मर्मस्थल सिर तथा अत्यन्त संवेदनशील स्थल अण्डकोश पर पहुंचायी जा रही थी जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त चोटें शिव कुमार की मृत्यु कारित करने के आशय से ही पहुंचायी जा रही थी। अतः दोषीगण द्वारा अत्यन्त क्रूरता एवं निर्ममता से शिवकुमार की मृत्यु कारित करने के आशय से मार-मारकर उसका वध किया गया जिससे दोषीगण की क्रूर तथा पाश्विक मानसिकता प्रकट होती है जिसका सभ्य समाज में विद्यमान रहना घातक है। अतः दोषीगण को समाज से दूर रखकर ही समाज में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकता है। उससे न केवल समाज सुरक्षित अनुभव करेगा बल्कि दोषियों को उनके कृत्यों के अनुरूप दण्ड मिल सकेगा जिससे उनको अपराध बोध होगा, अपने कृत्यों के लिये पश्चाताप करने का अवसर प्राप्त होगा, आहत परिवार को संतोष का बोध होगा तथा समाज में ऐसी मानसिकता रखने वाले अन्य असामाजिक तत्वों को यह संदेश मिल सकेगा कि अपराध करना कभी भी हितकर नहीं है बल्कि अपराधियों के लिये कड़ी सजा आतुर एवं प्रतीक्षारत है और जिससे ऐसे तत्व अपराध करने के लिये प्रभावी रूप से हतोत्साही होंगे और निश्चय ही तभी आपराधिक विधि के सभी उद्देश्य पूर्ण हो सकेगे। अतः दोनों ही दोषियों को आजीवन कारावास के दण्ड से तथा ऐसी पर्याप्त धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना युक्तिसंगत होगा जिसमें से एक उचित अंश मृतक के परिवार/पिता को बतौर क्षतिपूर्ति भी दिलायी जा सके।

आदेश

35. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत दोषीगण पुल्लू चौरसिया एवं पन्ना लाल चौरसिया को धारा 304/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से एवं तीस-तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। चूंकि दोषीगण को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है अतः अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर उन्हें पुनः किसी कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश निरर्थक

होगा।

36. प्रत्येक दोषी द्वारा अदा की गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक शिवकुमार के परिवार/पिता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा, जिसका भुगतान उन्हें अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

37. दोनों ही दोषियों द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

38. तदानुसार दोनों ही दोषियों को दण्ड वारंट आधीन कारागार अधीक्षक, जिला जेल मऊ को दण्ड भुगतने हेतु सौंप दिया जाये।

39. दोषीगण को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

40. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 15.11.2017 **(आदिल आफताब अहमद)**
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

41. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 15.11.2017 **(आदिल आफताब अहमद)**
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं. 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 23 सन् 2013

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. झीनक चौहान पुत्र पत्तू चौहान
2. पूर्णमासी चौहान पुत्र झीनक चौहान
साकिनान- भीरा, थाना-घोसी, जनपद-मऊ।

मुकदमा अपराध सं0 91/2011
अंतर्गत धारा 363,376 भा0दं0वि0
थाना- घोसी, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान का विचारण धारा 363 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप में तथा अभियुक्त पूर्णमासी चौहान का विचारण धारा 376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डित अपराध के आरोप में भी किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता को बहका फुसलाकर भगाया तथा अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 27.01.11 को वादिनी मुकदमा/सूचनाकर्ता किसमतून ने थाना प्रभारी घोसी के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की कि *उसकी पुत्री पीड़िता जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 16 वर्ष थी को उसके गांव का पूर्णमासी चौहान अपने पिता झीनक चौहान के सहयोग से दिनांक 26.01.11 को प्रातः 05.00 बजे भगा ले गया। उसके रिश्तेदार मुमताज उसके यहां आये थे जिन्होनें पीड़िता को पूर्णमासी चौहान व झीनक के साथ जाते देखा था तथा गांव के कई अन्य लोगों ने भी देखा था। वह पूर्णमासी के घर जाकर उसके घरवालों से पीड़िता को वापस करने की काफी मिन्नतें की लेकिन वे लोग उसकी लड़की को वापिस नहीं कर रहे हैं। उसकी लड़की घर से 40,000/- रूपये नगद व*

40,000/- रूपये कीमत के जेवर भी साथ ले गयी थी। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस लिखित तहरीर के आधार पर थाना घोसी में अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध अपराध सं0 91/11 अंतर्गत धारा 363,366 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक व नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया। वादिनी मुकदमा किसमतून का बयान केस डायरी में अंकित किया। चश्मदीन गवाह मुमताज का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। समई साक्षियों का बयान अंकित किया। पीड़िता के हाईस्कूल परीक्षा 2010 के प्रवेश पत्र की मूल प्रति तथा अंक पत्र की फोटो प्रति प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। फिरोज, रईस का बयान अंकित किया। अभियुक्त झीनक चौहान को गिरफ्तार किया तथा उसका बयान अंकित किया। पीड़िता का बयान अंकित किया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट व पैथोलाजिस्ट रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। पीड़िता का मजीद बयान अंकित किया गया। अभियुक्त पूर्णमासी चौहान को गिरफ्तार किया गया तथा उसका बयान अंकित किया गया। पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्राप्त कर, अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया तथा पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमें में धारा 376 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध धारा 363,366,376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र प्रेषित होने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का प्रसंज्ञान लिया गया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहां से अन्तरित होकर मामला इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध धारा 363 भा0दं0वि0 के अंतर्गत तथा अभियुक्त पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध धारा 376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग

किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन साक्षी वादिनी मुकदमा किसमतून, पीड़िता, मुमताज अहमद, डा0 एस0डी0 गौतम, डा0 लालमणि, कां0मोहर्रिर जगमोहन, उपनिरीक्षक राकेश कुमार, उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह को बतौर पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 8 परीक्षित किया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, पीड़िता का धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान, पीड़िता के हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2010 के प्रवेश पत्र की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति, एक्स रे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, मुकदमें में धारा 376 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की जी0डी0, आरोप पत्र, घटनास्थल का नक्शा नजरी, अभियुक्त झीनक चौहान के थाने में दाखिले की जी0डी0, क्रमशः, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क14 को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाय।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताये हैं तथा वादिनी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी0डी0 को गलत होना बताये हैं। पुलिस प्रपत्रों के विषय में अनभिज्ञता व्यक्त किये हैं। विवेचक द्वारा गलत विवेचना के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित करना बताये हैं। पी0डब्लू 1,2 एवं 3 द्वारा गलत एवं झूठा बयान देना बताये हैं। अभियुक्त झीनक चौहान ने अपनी गिरफ्तारी होना बताया है। अपने विरूद्ध मुकदमा बहकाने फुसलाने व दबाव में धार्मिक भावनावश चलाया जाना बताये हैं तथा अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने कथन किया है कि पीड़िता घटना के समय वयस्क थी तथा अपनी मर्जी से उसके साथ गयी थी। अदालत में अपनी माता के पक्ष में अवमुक्त होने पर पुनः दबाव में धर्म बदलकर दूसरी शादी करने के पश्चात अदालत में

आकर झूठी गवाही दी है। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन की सर्वप्रथम साक्षी वादिनी मुकदमा किसमतून है जो पीड़िता की माता है जिसे बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया गया है जिसने बयान दिया है कि घटना 26 जनवरी, 2011 की पांच बजे सुबह की है। उसकी लड़की पीड़िता को झीनक व झीनक का लड़का पूर्णमासी बहका फुसलाकर भगा ले गया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी और वह नाबालिग थी तथा मेरे संरक्षण में थी। घटना के समय पीड़िता कक्षा 10 पास हो चुकी थी। उसकी जन्मतिथि 27.11.95 है। पूर्णमासी हमेशा मेरे घर आता था। मैनें उसको मना किया था तथा उसके माता पिता से उलाहना भी दिया था उसके बाद भी वह नहीं मानता था। घटना के दिन मेरा रिश्तेदार मुमताज शौच करने गया था तो देखा कि मेरी लड़की को पूर्णमासी व झीनक बहका फुसलाकर ले जा रहे थे। मुमताज ने रोका भी था तो कहे कि कुछ काम से जा रहे हैं अभी आ जायेंगे। मेरी लड़की जाते समय अपने साथ सोने का एक मंगलसूत्र, सोने की एक अंगूठी, सोने का एक जोड़ा झाला, सोने की दो कील, चांदी की दो जोड़ी पायल, चांदी की दो तोड़िया व सोने की एक नथिया लेकर गयी थी। मुमताज ने जब मुझे बताया तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी लड़की को झीनक व पूर्णमासी बहका फुसलाकर ले गये हैं। मैनें घटना की सूचना दूसरे दिन थाने पर दरखास्त प्रदर्श क1 बोलकर, टाइप कराकर दिया था तथा उस पर अपना अंगूठा निशानी लगायी थी। घटना के दो महीने बाद मेरी लड़की को पूर्णमासी के साथ पुलिसवाले बरामद किये थे। जब मेरी लड़की बरामद हुई तब बतायी थी कि पूर्णमासी मुझे बहका फुसलाकर भगाया था तथा झीनक ने सहयोग किया था तथा पूर्णमासी ने मेरे साथ बुरा काम किया था। मेरी लड़की का मेडिकल व एक्स रे पुलिस वाले कराये थे तथा उसका बयान भी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कराये थे। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

9. साक्षी से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता है कि साक्षी ने मुख्य परीक्षा में झूठा बयान दिया हो। अतः इस साक्षी के बयान से यह भलीभांति सिद्ध होता है कि 26 जनवरी, 2011 को प्रातः से पीड़िता घर से गायब थी तथा इस साक्षी की तहरीर पर ही दूसरे दिन घटना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है।

10. निश्चय ही घटना की सर्वोत्तम साक्षी स्वयं पीड़िता है, जिसे अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है। पी0डब्लू 2 पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि घटना दिनांक 26.01.11 समय करीब 05.00 बजे भोर की है। उस समय मेरी उम्र साढ़े सोलह वर्ष थी। घटना के दिन मेरे रिश्तेदार मुमताज घर आये थे। मैं शौच करने के लिये बाहर निकली तो मेरे गांव के झीनक व पूर्णमासी बहला फुसलाकर अपने घर ले गये। मुझे जाते हुये मुमताज ने देखा था। मैं अपने साथ चालीस हजार रूपया तथा चालीस हजार रूपये कीमत का जेवर ली थी। ये लोग मेरे घर आते जाते थे। अभियुक्तगण अपने घर से मुझे गाजियाबाद ले गये। वहां पूर्णमासी चौहान अपने भाई के घर में रखे। पूर्णमासी जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किये तथा मारते पीटते थे। जिस दिन अपने घर ले गया था उस दिन भी पूर्णमासी मेरे साथ बुरा काम किया था। बलात्कार का मलतब मैं समझती हूं। मुझे पुलिस गाजियाबाद से बरामद करके मऊ लेकर आयी थी। यहां मेरा डाक्टरी मुआयना व एक्स रे हुआ था। मैं दरोगा जी को बयान दी थी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 प्रदर्श क2 हुआ था। साक्षी को उसका बयान धारा 161 सी0आर0पी0सी0 व 164 सी0आर0पी0सी0 सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने उक्त बयान अभियुक्तगण के दबाव में दिया था। अभियुक्तगण उसे धमकी देते थे कि जहां-जहां कह रहा हूं वहां-वहां हस्ताक्षर कर दो नहीं तो तुमको व तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। घटना के समय मैं कक्षा 11 में पढ़ती थी। मेरी जन्मतिथि 27.11.95 है। कागज सं0 15क पर मेरा फोटो है जिस पर प्रदर्श क3 डाला गया है तथा कागज सं0 16क मेरा अंक पत्र है जिस पर प्रदर्श क4 डाला गया है।

11. साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि उसका बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 मजिस्ट्रेट के द्वारा अंकित किया गया था जिसका उपयोग साक्षी के

न्यायालय में दिये गये बयान के खण्डन अथवा समर्थन के उद्देश्य से किया जा सकता है। साक्षी का बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 प्रदर्श क2 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें साक्षी ने बताया है कि *“.............मुझे पूर्णमासी चौहान भगाकर नहीं ले गया था। मैं इस मुकदमें के अभियुक्त पूर्णमासी चौहान के साथ अपनी मर्जी से गयी थी। वह मुझे भगाकर नहीं ले गया था। मैं उसके साथ अपनी मर्जी से गयी थी। मैं उससे प्यार करती हूं व मैं उसी के साथ रहना चाहती हूं। मेरी उम्र 22 साल है। मेरा जन्म 01.01.89 को हुआ था। मैं बालिग हूं। मेरे पेट में पूर्णमासी चौहान का बच्चा है। उसके द्वारा मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया गया। पूर्णमासी चौहान के साथ मैनें गाजियाबाद के मंदिर में शादी की थी। मैं उसी के साथ रहना चाहती हूं। मेरे मां बाप मेरी जबरदस्ती कहीं और शादी कर रहे हैं जो मैं नहीं चाहती क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। मैं पूर्णमासी चौहान के साथ ही रहना चाहती हूं। मैं उसके साथ अपनी मर्जी से गयी थी। वह मुझे भगाकर नहीं ले गया था। मैं पूर्णमासी चौहान के साथ दिनांक 26.01.11 को गयी थी। झीनक चौहान हमारे साथ नहीं गये थे। मेरी माता ने जो रिपोर्ट लिखायी है वह गलत है। झीनक चौहान का पूर्णमासी चौहान के साथ जाने में कोई हाथ नहीं है। मेरी माता ने उनका नाम गलत लिखाया है।”* अतः साक्षी के धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान से साक्षी का न्यायालय में दिया गया इस आशय का बयान खण्डित हो जाता है कि उसे झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान बहला फुसलाकर ले गये थे परन्तु यह अवश्य पुष्ट होता है कि दिनांक 26.01.11 को वह पूर्णमासी चौहान के साथ अपनी इच्छा से गयी थी तथा पी0डब्लू 1 एवं इस साक्षी के बयान से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि घर से जाते समय पीड़िता अपने साथ चालीस हजार रूपये एवं चालीस हजार रूपये की कीमत के जेवर भी ले गयी थी तथा यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता के साथ सहवास भी किया था जिससे वह गर्भवती हो गयी थी। साक्षी के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि घर से जाते समय उसे मुमताज ने देखा था तथा यह कि उसका चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ था। अतः न्यायालय को अब अन्य साक्ष्यों पर विचार करना है।

12. अभियोजन का तीसरा साक्षी मुमताज अहमद पी0डब्लू 3 है, जिसने बयान

दिया है कि नसीम मेरे साढ़ू थे। उनकी मृत्यु घटना से 20 वर्ष पहले हो चुकी थी। किसमतून मेरी साली है जो बीड़ी बनाकर अपने बच्चों का गुजारा करती है। मैं भी समय–समय पर उसकी मदद करता हूं। मैं अक्सर अपनी साली किसमतून के घर आता जाता रहता हूं। दिनांक 25.01.11 को शाम को किसमतून के घर गया था और रात रूका था। उसकी लड़की का नाम पीड़िता है जिसकी उम्र घटना के समय 16 साल थी। पूर्णमासी चौहान तथा उनके परिवार के लोगों का मेरी साली के घर आना जाना रहता था। दिनांक 26.01.11 को समय लगभग 04.30 बजे मैं खेत की तरफ शौच करने के लिये गया था। लगभग पांच बजे मैनें देखा कि मेरी साली की लड़की पीड़िता को पूर्णमासी तथा उसका पिता झीनक लेकर जा रहे थे। मैनें उनसे पूछा तो वे बताये कि थोड़ा काम है, काम करके चली आयेगी। पीड़िता से भी पूछने पर उसने बताया कि झीनक चाचा के घर कुछ काम है, काम करके आ जाऊंगी। जब काफी देर तक पीड़िता घर वापस नहीं आयी तो मेरी साली किसमतून ने मुझसे पीड़िता के बारे में पूछा तो मैनें उससे उपरोक्त बाते बतायी। तब मैं व मेरी साली झीनक के घर जाकर पीड़िता के बारे में पूछे तो वे लोग कुछ नहीं बताये। बाद में मेरी साली ने बताया था कि पूर्णमासी व झीनक, पीड़िता को भ्रम में डालकर पीड़िता के द्वारा 40 हजार रूपये नगद व जेवरात भी ले गये हैं। उसके बाद मेरी साली घ टना के बावत एक दरखास्त टाइप करवाकर उस पर अपना अंगूठा निशानी लगाकर थाने में देकर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा लिखायी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

13. इस साक्षी के बयान से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 26.01.11 को उसने पीड़िता को पूर्णमासी चौहान के साथ जाते देखा था। अतः साक्षी के बयान से पी0डब्लू 2 के इस आशय के साक्ष्य को समर्थन मिलता है कि वह पूर्णमासी चौहान के संग दिनांक 26.01.11 को गयी थी।

14. अभियोजन द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना बताया गया है जिसके दौरान उसका एक्स रे कराया जाना तथा उसके शरीर का परीक्षण कराया गया है। पीड़िता का एक्स रे करने वाले डा0 एस0डी0 गौतम को बतौर पी0डब्लू 4 तथा उसके शरीर का परीक्षण करने वाले डा0 लालमणि, चिकित्साधिकारी को बतौर पी0डब्लू

5 परीक्षित किया गया है।

15. डा0 एस0डी0 गौतम पी0डब्लू 4 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 17.06.11 को आकस्मिक महिला चिकित्साधिकारी आजमगढ़ द्वारा प्रेषित पीड़िता का एक्स रे, एक्स रे टेक्नीशियन द्वारा तथा प्रेगनेंसी जांच हेतु अल्ट्रासाउंड अपनी देखरेख में कराया था। एक्स रे प्लेट के आधार पर पीड़िता की दाहिनी कलाई, दाहिने घुटने व दाहिने केहुनी के जोड़ों के चारो तरफ की एपीफाइसिस फ्यूज थी तथा अल्ट्रासाउंड में मैनें पीड़िता के गर्भ में नौ सप्ताह छः दिन का जीवित भ्रूण पाया था। साक्षी ने प्रदर्श क5 को अपनी एक्स रे रिपोर्ट तथा वस्तु प्रदर्श 1 को एक्स रे प्लेट बताया है तथा प्रदर्श क6 को अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट व वस्तु प्रदर्श 2 को अल्ट्रासाउंड प्लेट बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पीड़िता का एक्स रे व अल्ट्रासाउंड मैनें ही किया था। पीड़िता के पेट में नौ सप्ताह छः दिन का गर्भ था। पीड़िता के सभी एपीफाइसिस फ्यूज्ड थी। अतः इस साक्षी के बयान से यह सिद्ध होता है कि घटना के पश्चात पीड़िता का एक्स रे व अल्ट्रासाउंड कराया गया था तथा एक्स रे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की दाहिनी कलाई, दाहिने घुटने व दाहिने केहुनी के जोड़ों के एपीफाईसिस फ्यूज्ड पायी गयी थी तथा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भ में नौ सप्ताह छः दिन का जीवित भ्रूण पाया गया था।

16. डा0 लालमणि पी0डब्लू 5 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 16.06.11 को उन्होनें पीड़िता के शरीर का परीक्षण किया था जिसकी ऊंचाई 169 सेमी., वजन 53 किग्रा., दांत 14/14 तथा पीड़िता की महावारी की तारीख ज्ञात नहीं हो सकी थी, स्तन पूर्ण विकसित थे, गुप्तांग पर बाल मौजूद थे। गुप्तांग में दो अंगुली आसानी से प्रवेश कर जा रही थी। हाइमन पुराना फटा हुआ एवं भर हुआ था। योनिश्राव लेकर शुक्राणुओं के परीक्षण हेतु पैथोलाजिस्ट के पास भेजा गया था। प्रेगनेंसी व उम्र निर्धारण हेतु पीड़िता की दाहिनी कलाई, दाहिने घुटने व दाहिने केहुनी के एक्स रे हेतु रेडियोलाजिस्ट के पास जाने की सलाह दी गयी थी। साक्षी ने पीड़िता का चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क7 तैयार किया था तथा एक्स रे रिपोर्ट एवं पैथोलाजिकल रिपोर्ट व अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क8 तैयार करना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि पैथोलाजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जीवित शुक्राणु

नहीं पाया गया था, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भ में नौ सप्ताह छः दिन का जीवित भ्रूण पाया गया था तथा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पाजिटिव थी। एक्स रे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की दाहिनी केहुनी, घुटने एवं कलाई की एपीफाइसिस फ्यूज्ड थी जिसके आधार पर पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

17. पी0डब्लू 4 एवं पी0डब्लू 5 के बयानों से यह प्रतीत होता है कि पी0डब्लू 5 द्वारा पीड़िता के शरीर का परीक्षण किया गया था एवं पीड़िता की प्रेगनेंसी एवं आयु निर्धारित करने के लिये हड्डियों की जांच हेतु पी0डब्लू 4 को संदर्भित किया था। पी0डब्लू 4 ने पीड़िता की दाहिनी कलाई, घुटने एवं केहुनी की हड्डियों का एक्स रे किया था एवं पीड़िता के गर्भ का अल्ट्रासाउंड किया था तथा उसकी रिपोर्ट पी0डब्लू 5 को प्रेषित किया था। रिपोर्ट के आधार पर पी0डब्लू 5 ने पीड़िता के गर्भ में नौ सप्ताह का भ्रूण पाया था एवं दाहिनी केहुनी, कलाई एवं घुटनों की एपीफाइसिस जुड़ी हुई पायी थी जिसके आधार पर उन्होनें पीड़िता की आयु 18 वर्ष बतायी। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 16.06.11 को पीड़िता गर्भवती थी जिससे पी0डब्लू 2 पीड़िता के साक्ष्य को समर्थना मिलता है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त पूर्णमासी चौहान के सहवास से ही पीड़िता गर्भवती हुई थी। अब न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता का अपहरण किया गया था तथा अभियुक्त पूर्णमासी चौहान द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था?

18. ऊपर किये गये साक्ष्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि यद्यपि पीड़िता, अभियुक्त पूर्णमासी चौहान के साथ दिनांक 26.01.11 को तो गयी थी परन्तु वह अभियुक्तगण के बहलाने फुसलाने के कारण नहीं गयी थी बल्कि अपने घर से स्वेच्छा से घर से चालीस हजार रूपये एवं आभूषण लेकर गयी थी। अतः यदि वह अभियुक्तगण के बहलाने फुसलाने अथवा डराने धमकाने से नहीं गयी थी बल्कि स्वेच्छा से गयी थी तो कोई भी अभियुक्त उसका अपहरण करने का दोषी नहीं होगा, क्योंकि किसी अवयस्क का किसी अन्य व्यक्ति के संग स्वेच्छा से जाने पर वह व्यक्ति उस अवयस्क के अपहरण का दोषी नहीं होगा तथा विधि किसी वयस्क से यह कदापि अपेक्षा नहीं करती कि वह अपने संग अथवा शरण में आये अवयस्क को भगा दे

अथवा स्वयं पलायल कर जाये अथवा उसे उसके अभिभावक को सौंप दे। अतएव अभियोजन साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि किसी भी अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण किया है।

19. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है?

20. अभियोजन साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता के साथ कम से कम दिनांक 16.06.11 से नौ सप्ताह पूर्व सहवास किया था जिसके फलस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गयी थी। यद्यपि पीड़िता ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने उसके साथ बलात्कार किया था परन्तु चूंकि उसने अपने धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में यह बताया है कि वह स्वयं स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गयी थी व उससे प्यार करती थी। उसने उसके साथ गाजियाबाद के मंदिर में विवाह किया था, अतः न्यायालय में दिया गया उसका यह बयान कि पूर्णमासी चौहान ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था, झूठा साबित होता है बल्कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता की सहमति से सहवास किया था। क्या यह सहवास बलात्कार की कोटि में आयेगा? यदि सहवास की तिथि पर पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की हो तो निश्चय ही सहमति से किया गया ऐसा सहवास भी बलात्कार की कोटि में ही आयेगा परन्तु यदि सहवास की तिथि पर पीड़िता की आयु 16 वर्ष से अधिक हो तो सहमति से किया गया ऐसा सहवास बलात्कार की कोटि में नहीं आयेगा। अतः अब न्यायालय को यह विचार करना है कि घटना की तिथि पर पीड़िता की आयु क्या थी?

21. पी0डब्लू 1 पीड़िता की माता ने बताया है कि घटना की तिथि पर पीड़िता की आयु 16 वर्ष थी। स्वयं पीड़िता पी0डब्लू 2 ने अपने मौखिक साक्ष्य में बताया है कि घटना की तिथि पर उसकी आयु साढ़े सोलह वर्ष थी, परन्तु किसी व्यक्ति की आयु का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य नहीं होता। किसी अवयस्क की आयु का साक्ष्य जुवेनाईल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) रूल्स, 2007 के नियम 12 के अनुसार उल्लिखित साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसके अनुसार क्रमशः अवयस्क के हाईस्कूल के प्रमाण पत्र, उसकी अनुपलब्धता पर अवयस्क के प्रथम

पाठशाला में वर्णित अवयस्क की जन्मतिथि के आधार पर तथा उसकी अनुपलब्धता की दशा में स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के आधार पर तथा उनमें से कमानुसार प्रत्येक अभिलेख के अनुपलब्धता की दशा में चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर व्यक्त किये गये मत के आधार पर आयु का आकलन किया जायेगा। इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीड़िता का हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2010 का अंक पत्र/प्रमाण पत्र तथा पी0डब्लू 4 एवं 5 द्वारा पीड़िता की हड्डियों की जांच के आधार पर व्यक्त चिकित्सीय रिपोर्ट का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। चूंकि इस मामले में पीड़िता का हाईस्कूल का अंक पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध है, अतः उसकी उपलब्धता की दशा में चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करना वांछित नहीं है। पीड़िता के हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2010 के अंक पत्र/प्रमाण पत्र प्रदर्श क4 में उसकी जन्मतिथि 27.11.95 अंकित है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो वह अपहरण की तिथि पर और न ही अपहरण के पश्चात तथा चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 16.06.11 से पूर्व जिस अवधि में उसके साथ यौन संबंध बनाया गया होगा वह 16 वर्ष से कम आयु की कन्या थी, अतः यदि इस अवधि में अभियुक्त पूर्णमासी चौहान द्वारा पीड़िता की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाया गया जिससे वह गर्भवती भी हुई तो निश्चय ही ऐसा सहवास बलात्कार की कोटि में आयेगा। अतः अभियोजन साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि कोई भी अभियुक्त, पीड़िता के अपहरण का दोषी नहीं है परन्तु निश्चय ही अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता के साथ बलात्कार का अपराध किया है जिसका वह दोषी है।

22. अभियोजन ने पी0डब्लू 1 द्वारा थाने पर उपलब्ध करायी गयी तहरीर प्रदर्श क1 के आधार पर अपराध पंजीकृत कराना बताया गया है तथा कां0मोहर्रिर जगमोहन को बतौर पी0डब्लू 6 परीक्षित किया गया है जिसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 27.01.11 को वादिनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर उसने चिक सं0 22/11, अपराध सं0 91/11 अंतर्गत धारा 363,366 भा0द0वि0 विरूद्ध अभियुक्तगण झीनक चौहान एवं पूर्णमासी चौहान पंजीकृत किया था जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी0डी0 कायमी कमशः प्रदर्श क9 एवं प्रदर्श क10 है। ये दोनों प्रदर्श पत्रावली पर उपलब्ध हैं जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है तथा यह

भलीभांति सिद्ध होता है कि दिनांक 27.01.11 को वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क1 के आधार पर अभियुक्तगण झीनक चौहान एवं पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363,366 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

23. अभियोजन द्वारा इस मामले की विवेचना क्रमशः दो विवेचकों द्वारा करना बताया गया है। प्रथम विवेचक इंस्पेक्टर देवेन्द्र सिंह को बतौर पी0डब्लू 8 परीक्षित किया गया है, जिन्होनें बयान दिया कि दिनांक 27.01.11 को वह थाना घोसी पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात थे। उस दिन वादिनी की टाईपशुदा दरखास्त जिस पर वादिनी का अंगूठा निशानी लगा था, के आधार पर थाना कार्यालय में मौजूद कां0 मोहर्रिर जगमोहन ने अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध चिक सं0 22/11, अपराध सं0 91/11, अंतर्गत धारा 363,366 भा0द0वि0 थाने में कायम हुआ था तथा उक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया था। तत्पश्चात थाना कार्यालय में मौजूद चिक लेखक कां0 जगमोहन का बयान अंकित किया। इसके बाद वादिनी के गांव भीरा पहुंचकर वादिनी श्रीमती किसमतून तथा उनके रिश्तेदार मुमताज का बयान केस डायरी में अंकित किया तथा वादिनी एवं साक्षी मुमताज की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क13 बनाया। दिनांक 28.01.11 को वादिनी के घर पहुंचकर पीड़िता के हाईस्कूल परीक्षा 2010 के प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रदर्श क3 व हाईस्कूल परीक्षा 2010 के अंक पत्र की छाया प्रति प्रदर्श क4 प्राप्त किया तथा उनका तसकीरा केस डायरी में किया। गवाह फिरोज, डा0 रईश का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 30.01.11 को अभियुक्त झीनक चौहान उसके घर से गिरफ्तार कर थाने में ले जाकर दाखिल किया गया तथा दाखिले का इन्द्राज थाने की जी0डी0 प्रदर्श क14 में किया गया। दिनांक 06.02.11 को वादिनी थाने आकर मुझे बतायी थी कि उसकी लड़की पीड़िता उसका मोबाइल ले गयी है तथा पीड़िता व पूर्णमासी का फोन आता है तथा फोन पर कहते हैं कि मुकदमा वापस ले लो हम दोनों ने शादी कर लिया है। इसी तरह पूर्णमासी के भाई रामप्रवेश व अच्छेलाल भी फोन से मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हैं। दिनांक 13.02.11 को थाना कार्यालय से अभियुक्त पूर्णमासी व अपहृता पीड़िता की गिरफ्तारी हेतु स्थगन

आदेश माननीय उच्च न्यायालय का प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण हो गया तथा आगे की विवेचना दूसरे विवेचक थानाध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा किया गया है जिन्हें बतौर पी0डब्लू 7 परीक्षित किया गया है।

24. पी0डब्लू 7 थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बयान दिया है कि दिनांक 10.05.11 को वह बतौर उपनिरीक्षक थाना घोसी पर तैनात था। उसी दिन अपराध सं0 91/11 अंतर्गत धारा 363,366 भा0दं0वि0 थाना घोसी की विवेचना का कार्य मुझे प्राप्त हुआ। विवेचना से संबंधित कागजात पूर्व विवेचक ने मुझे प्राप्त कराया। उसी दिन मैनें पूर्व में की गयी विवेचना का अवलोकन किया तथा उनका तसकीरा केस डायरी में किया। दिनांक 04.06.11 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की छाया प्रति प्राप्त कर उसकी नकल केस डायरी में किया। उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.02.11 जो अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का आदेश था, को आगे न बढ़ाये जाने का था। दिनांक 16.06.11 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब करने पर न्यायालय पहुंचा जहां पीड़िता को उसका धारा 161 दं0प्र0सं0 व 164 दं0प्र0सं0 का बयान एवं मेडिकल कराने हेतु सुपुर्दगी में लेने के लिये प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। न्यायालय के आदेश से पीड़िता का धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित किया। दिनांक 20.06.11 को पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट व पैथोलाजिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। तत्पश्चात पीड़िता का मजीद बयान अंकित किया। विवेचना के दौरान पीड़िता के हाईस्कूल के अंक पत्र के आधार पर उसकी जन्मतिथि 27.11.95 पायी गयी जिसके आधार पर घ टना के समय पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम पाया गया। ऐसी स्थिति में मुकदमें में धारा 376 भा0दं0वि0 की वृद्धि की गयी जिसका तसकीरा मेरे द्वारा थाने की जी0डी0 प्रदर्श क11 में किया गया। दिनांक 22.06.11 को अभियुक्त पूर्णमासी चौहान के न्यायालय में आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त कर उसका तसकीरा केस डायरी में किया। अभियुक्त पूर्णमासी चौहान का बयान अंकित किया। दिनांक 28.06.11 को पीड़िता का धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित किया गया तथा न्यायालय के आदेश से पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान का अवलोकन कर उसका तसकीरा केस डायरी में किया तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य व सबूतों के आधार

पर अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान के विरूद्ध धारा 363,366,376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क12 प्रस्तुत किया।

25. पी0डब्लू 6 के बयान से यह सिद्ध होता है कि पी0डब्लू 1 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उसने अपराध अंतर्गत धारा 363,366 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया था तथा पी0डब्लू 7 एवं 8 के बयानों से यह सिद्ध होता है कि उन्होनें क्रमशः विवेचना कर साक्ष्य एकत्र किया था एवं एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 363,366,376 भा0दं0वि0 न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिससे अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता है तथा अभियोजन कथानक पुष्ट होता है।

26. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यद्यपि यह सिद्ध नहीं होता कि किसी भी अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण किया हो, परन्तु युक्तियुक्त संदेह से परे यह अवश्य सिद्ध होता है कि अभियुक्त पूर्णमासी चौहान ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। अतएव दोनों ही अभियुक्त धारा 363 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त, परन्तु अभियुक्त पूर्णमासी चौहान धारा 376 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जोन योग्य है। तदानुसार अभियुक्तगण झीनक चौहान व पूर्णमासी चौहान को धारा 363 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त पूर्णमासी चौहान को धारा 376 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

27. दोषी पूर्णमासी चौहान को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर पेश हो।

28. दोषी के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 24.01.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

<u>दिनांकः 25.01.2018</u>
<u>पुनश्च</u>

29. दोषी पूर्णमासी चौहान मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

30. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

31. दोषी का कथन है कि वह अच्छे चाल चलन का व्यक्ति रहा है। किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा उसे पहली बार किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। वह नवयुवक है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उस पर अपने परिवार के पालन–पोषण का पूर्ण दायित्व है। इस मामले में पीड़िता स्वेच्छा से उसके साथ गयी थी तथा स्वयं को वयस्क बताकर तथा मंदिर में उसके साथ विवाह करके उसके साथ स्वेच्छा से यौन संबंध भी बनायी थी तथा इसी आशय का बयान भी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था परन्तु न्यायालय में बाद में वह मुकर गयी। अतः उसे कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये। जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्रीप्रकाश यादव द्वारा तर्क दिया गया है कि मामले में अभियुक्त को धारा 376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी पाया जा चुका है। अतः उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

32. सुना गया। विचार किया गया।

33. इस मामले में मामले के अभियुक्त पूर्णमासी चौहान को धारा 376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी पाया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 376 भा0दं0वि0 आजीवन कारावास तक के दण्ड से तथा न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास के दण्ड से तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

34. इस मामले में अभियुक्त को धारा 376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत इस आधार पर दोषी पाया गया है कि यद्यपि उसने पीड़िता के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से बनाया था, परन्तु चूंकि उस तिथि को पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम की थी, अतः अभियुक्त द्वारा उस तिथि पर पीड़िता के साथ किया गया सहवास भी बलात्कार का अपराध होगा। अतएव यद्यपि स्वयं अपने कृत्य एवं आचरण के कारण पीड़िता तो किसी अपराध की दोषी नहीं होगी परन्तु उसके आचरण के वशीभूत होकर किये गये कृत्य के

लिये दोषी के दण्ड का न्यूनीकरण किया जाना विधिसंगत तथा न्यायहित में होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में दोषी पूर्णमासी चौहान को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

आदेश

35. दोषी पूर्णमासी चौहान को धारा 376 भा0दं0वि0 के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से तथा 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

36. दोषी द्वारा इस मामले में दौरान विवेचना तथा/अथवा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि का समायोजन दण्ड की अवधि में किया जायेगा।

37. तदानुसार दोषी का दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश का नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

38. दोषी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

39. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 25.01.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं.1,
मऊ।

40. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 25.01.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं.1,
मऊ।

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0 1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 252 सन् 2009

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. नदीम उर्फ फखरूद्दीन पुत्र मो0 सिद्दीक शाह
2. सिद्दीक शाह पुत्र मो0 रहीम
3. श्रीमती हदीसुन्निशा पत्नी मो0 सिद्दीक शाह
4. कु0 अमीना शाह पुत्री मो0 सिद्दीक शाह

समस्त साकिनान- युसुफाबाद, थाना- चिरैयाकोट, जनपद- मऊ।

मुकदमा अपराध सं0 1002/2009
अंतर्गत धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना- चिरैयाकोट, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण नदीम उर्फ फखरूद्दीन, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा व कु0 अमीना शाह का विचारण धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने मृतका तवस्सुम से दहेज की मांग किया, दहेज के लिए उसे प्रतिपीड़ित किया तथा दहेज की प्राप्ति न होने के कारण उसकी हत्या कर दिये जो दहेज हत्या थी।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 18.06.09 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता नूर मुहम्मद ने थानाध्यक्ष चिरैयाकोट के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *उसकी लड़की बेबी तबस्सुम की शादी विगत 4-5 साल पूर्व नदीम उर्फ फखरूद्दीन पुत्र सिद्दीक शाह के साथ हुई थी। उसकी लड़की की विदाई शादी में ही हो गयी थी और वह मात्र 3-4 दिन रहने के बाद वापस मायके चली आयी। पुनः 2-4 माह उसके यहां रहने के बाद ससुराल चली गयी। ससुराल में उसकी लड़की का पति नदीम उर्फ फखरूद्दीन, ससुर सिद्दीक शाह, सास*

व ननद अमीना उसकी लड़की को दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगे। उसकी लड़की ने जब उक्त बात उसे बतायी तो वह उसके ससुराल गया और सभी लोगों को समझाया बुझाया परन्तु वे लोग बार-बार दहेज की मांग करते रहे और उसकी लड़की को मारते पीटते रहे। हार मानकर वह अपनी लड़की को घर लिवाकर चला आया। कुछ माह बाद उसकी लड़की के ससुर आये और कहे कि अब ऐसी कोई बात नहीं होगी और लड़की को लिवाकर ससुराल चले गये। उसके बाद भी उसकी लड़की उसे बार-बार बताती थी कि वे लोग उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करते हैं। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी कि कोई दुसरी व्यवस्था कर सके। कल दिनांक 17.06.09 को फोन से लड़के के पिता ने सूचना दिया कि उसकी लड़की की तबियत खराब है वे लोग चले आयें। वे लोग किसी तरह लड़की की ससुराल गये तो वहां मौके पर कोई नहीं मिला मात्र उनकी लड़की अमीना थी जो बतायी कि उसकी लड़की जल गयी है तथा सरकारी अस्पताल मऊ गयी है तो वे लोग मऊ गये तो पुनः फोन से बताये कि आजमगढ़ सदर में भर्ती है। जब आजमगढ़ सदर गये तो पता चला कि वाराणसी चली गयी है। जब वे लोग वाराणसी पहुंचे तो पता चला कि लड़की मर गयी है और वे लोग लाश लेकर घर आ रहे हैं। उसकी लड़की को उसके ससुरालवाले जलाकर मार दिये हैं तथा लाश दफनाने की फिराक में हैं जिससे पोस्टमार्टम न हो सके। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि थानाध्यक्ष चिरैयाकोट को आदेशित करें कि वे मौके पर जाकर अविलम्ब लाश को दफनाने से रोकें तथा विपक्षी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना चिरैयाकोट में अभियुक्तगण नदीम उर्फ फखरूद्दीन, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा व कु0 अमीना शाह के विरूद्ध अपराध सं0 1002/09 अंतर्गत धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी की लिखित तहरीर एवं नकल जी0डी0 प्राप्त किया। उसका उल्लेख केस डायरी में किया। वादी एवं गवाह अमीकलहसन का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। समई साक्षीगण का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया। पंच नियुक्त कर शव का

पंचायतनामा कराया। शव को पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ को प्रेषित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्राप्त कर उसका अवलोकन किया। फर्द का अवलोकन किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया। पोस्टमार्टम कराने वाले कां0 ओंकार राय तथा सुरेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। पंचायतनामा भरने वाले एस.आई. देवेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। मृतका की माता साजिदा खातून का बयान अंकित किया। निकाहनामा व पंचायतनामा के गवाहों का बयान अंकित किया। फर्द के गवाहों का बयान अंकित किया। मृतका की शादी के कार्ड का अवलोकन किया। मृतका की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। मृतका के मृत्यु पूर्व दिये गये बयान का अवलोकन किया। बयान डाक्टर पोस्टमार्टमकर्ता अंकित किया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण नदीम उर्फ फखरूद्दीन, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा व कु0 अमीना शाह के विरूद्ध धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने सभी आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी नूर मोहम्मद, साजदा, अमीरूल हसन, हेड कां0 राजेश कुमार सिंह, डा0 वी.जे.पी. सिंहा, नायब तहसीलदार राममूरत, डा0 ए.के. गुप्ता, रामअवध यादव, दुर्गेश कुमार पुलिस अधीक्षक, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 9, क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, फर्द कब्जा में लेने जला हुआ पर्दा, मैक्सी, दुपट्टा तथा राख, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0,

पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, चालान नाश, फोटोनाश, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ, पत्र प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन मऊ, मृतका की मृत्यु पूर्व डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट, मृतका के बेड–हेड–टिकट की छाया प्रति, मृतका के डिस्चार्ज स्लिप की छाया प्रति, मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को लिखा गया पत्र, घटनास्थल का नक्शा नजरी, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण नदीम उर्फ फखरूद्दीन, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा व कु0 अमीना शाह, मृतका की शादी के कार्ड व निकाहनामें की छाया प्रतियां, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क19, क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताया है तथा वादी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताये हैं। पी0डब्लू 1,2,3,5,6,7 एवं 9 द्वारा गलत बयान देना बताये हैं तथा पी0डब्लू 4 एवं 8 के बयानों के विषय में अनभिज्ञता व्यक्त किये हैं तथा सभी अभियुक्तगण ने कथन किया है कि मृतका तबस्सुम खाना बनाते समय स्टोव से जल गयी, उसके चिल्लाने पर नदीम उसे बचाने पहुंचा तो उसे भी जलने से चोटें आयी जिसका डाक्टरी मुआयना पुलिस ने कराया था। मृतका का मृत्यु पूर्व बयान भी वाराणसी में हुआ था। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी बी0राम, लोकनाथ सिंह, दुर्गविजय सिंह को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 3 परीक्षित कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का प्रथम साक्षी वादी मुकदमा नूर मोहम्मद है जिसे अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया है जिसने बयान दिया है कि मेरी लड़की का नाम

बेबी तबस्सुम था। उसकी शादी नदीम उर्फ फखरूद्दीन के साथ वर्ष 2003 में हुई थी। शादी में मैनें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी में मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल की मांग नहीं किया था इसलिये मैनें मोटरसाइकिल नहीं दिया था। शादी में मैनें कार्ड छपवाया था जिसकी छाया प्रति पत्रावली में शामिल है। शादी के समय लड़की की विदाई हुई थी। ससुराल में 4-5 दिन रहने के बाद वह मायके वापस आयी थी। मेरे यहां 3-4 महीने रहने के बाद तबस्सुम पुनः अपनी ससुराल चली गयी। इस बार जब लड़की विदा होकर ससुराल गयी तो उसके पति नदीम, ससुर सिद्दीक शाह, सास हदीसुन्निशा तथा ननद अमीना शाह लड़की से मोटरसाइकिल मांग कर लाने के लिये कहने लगे। मेरी लड़की ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल के उक्त लोग मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं तथा मैनें लड़की से बताया था कि मैं अभी नहीं दे सकता बाद में देखा जायेगा। जब मोटरसाइकिल देने से मना कर दिया तो मुल्जिमान मेरी लड़की को मारने पीटने लगे तथा तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे। मैनें मुल्जिमान से कहा कि अभी मेरी मोटरसाइकिल देने की सामर्थ्य नहीं है जब होगी तो दूंगा। उसके बाद लड़की मेरे घर आयी तो बतायी कि मुल्जिमान उसे बहुत सता रहे हैं अब वह वहां नहीं जायेगी। लड़की फिर विदा होकर अपने ससुराल गयी तो मुल्जिमान मोटरसाइकिल के लिये सताने लगे जिसकी सूचना मेरी लड़की फोन से रो-रोकर बताती थी। तब मजबूर होकर मैं अपनी लड़की को घर लाया। उसके बाद तबस्सुम के ससुर सिद्दीक शाह आये और कहे कि लड़की को विदा कर दीजिये अब उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। इस बात पर भरोसा करके अपनी लड़की को विदा कर दिया। उसके बाद भी मुल्जिमान के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और मोटरसाइकिल के लिये प्रताड़ित करते रहे। मैनें उसके ससुराल वालों को भी समझाया था। मैनें अपनी इज्जत के लिये इस बात की कोई लिखित शिकायत नहीं किया था। दिनांक 17.06.09 को मेरे लड़के शहनवाज ने गाजियाबाद से फोन से मुझे बताया कि तबस्सुम जल गयी है तथा इस समय आजमगढ़ अस्पताल में है। मैं उस समय घर पर था। मैं आजमगढ़ सदर अस्पताल गया तो पता चला कि पांच मिनट पहले बनारस चले गये हैं। तबस्सुम के ससुर ने फोन करके बताया कि तबस्सुम बनारस में सिंह मेडिकल में भर्ती है तो मैं बनारस के लिये चल दिया। वहां

पहुंचने पर पता चला कि तबस्सुम मर गयी है उसको लेकर घर चले गये हैं। तबस्सुम के मरने की सूचना उसके ससुराल के किसी व्यक्ति ने नहीं दिया था। मैं तबस्सुम के ससुराल गया तो पता चला कि तबस्सुम को दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लड़की को दहेज में मोटरसाइकिल ने मिलने के कारण उसके ससुराल वाले जलाकर मार डाले हैं तथा उसको तुरन्त दफनाना चाहते हैं। मैनें घटना के बावत एक तहरीर प्रदर्श क1 लिखवाकर अपना हस्ताक्षर बनाकर दिया था। सी0ओ0 साहब ने पूछताछ किया था।

9. यह साक्षी मृतका का पिता है। साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहीं नहीं बताया है कि अभियुक्तों ने किस समय, किस तिथि पर, किस अवसर पर अथवा किसके समक्ष मोटरसाइकिल की मांग किया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि वास्तव में अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल की मांग किया होता तो वह किसी समय विशेष, तिथि विशेष अथवा अवसर विशेष पर किया होता, परन्तु ऐसे किसी समय, तिथि, अवसर को साक्षी द्वारा बताया नहीं गया है। साक्षी ने यह भी नहीं बताया है कि वह मांग सभी अभियुक्तों ने साथ-साथ किया था या उनमें से किसी एक, दो अथवा तीन ने तथा यह भी नहीं बताया है कि उक्त मांग किस स्थान पर किया। ध्यान देने योग्य यह है कि साक्षी ने अपने बयान में यह कहीं नहीं बताया है कि अभियुक्तों ने इस साक्षी से ही मोटरसाइकिल की मांग किया था। यदि वास्तव में अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल की मांग किया होता तो चूंकि साक्षी मृतका का पिता था, अतः उसे ही मोटरसाइकिल देना था। अतएव अभियुक्तों द्वारा उससे प्रत्यक्ष रूप से मांग की गयी होती परन्तु ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। दहेज मांगने का आरोप एक महत्वपूर्ण आरोप है जिसके गंभीर आपराधिक परिणाम होते हैं। अतः इस तथ्य के साक्ष्य की सत्यता पर उपयुक्त विचार आवश्यक है जिससे उस पर भरोसा किया जा सके। दहेज की मांग के तिथि, समय, स्थान एवं अवसर तथा मांगने वाले व्यक्ति के नाम का ब्योरा इस आशय के साक्ष्य को विश्वसनीय होने तथा भरोसेमन्द होने के लिये अतिआवश्यक है। यदि किसी साक्षी द्वारा दहेज स्वरूप कोई सम्पत्ति मांगने का साधारण आरोप लगाया जाता है तो वह कदापि विश्वसनीय नहीं होगा। यदि उसमें तनिक भी सत्यता है तो साक्षी से अपेक्षा होगी कि वह उस व्यक्ति,

समय, स्थान तथा अवसर का भी विवरण प्रस्तुत करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने NACHHATTAR SINGH AND OTHER vs STATE OF PUNJAB 2011 (3) S.C.C.Cr., page no. 400 में मत व्यक्त किया है कि "Analysis of statement of prosecution witness, referred to above, clearly indicates that allegations regarding demand of dowry and cruelty inflicted upon the deceased are in general terms and vague. None of the prosecution witnesses had stated as to when, in which year, date and month, any act of cruelty in connection with demand of dowry was committed by any of the appellants against the deceased. Not even a single witness has given any specific instance in that regard. None of them except Sajjan Singh had stated that soon before death, acts of cruelty in connection with demand of dowry were committed by the appellants against the deceased."

10. इस संदर्भ में इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण भी विचार करने योग्य है। इस साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। अतः साक्षी के मुख्य परीक्षण की विश्वसनीयता की परख उसके प्रतिपरीक्षण की कसौटी पर भी किया जाना उचित होगा।

11. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटना होने के 14-15 दिन पहले से नदीम सउदिया में नौकरी करता था..............। नदीम का परिवार धनी मनी नहीं था.............। मुझे नदीम ने सउदी से ढाई लाख रूपया भेजा था जो मुझे मिला था। 14-15 दिन तक जब तक सउदियास में था नदीम ने रूपया भेजा था अर्थात साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि इस घटना से 14-15 महीने पहले ही अभियुक्त नदीम सउदी अरब चला गया था तथा इस पूरी अवधि में उसने वादी को ही ढाई-तीन लाख रूपये की राशि भी भेजा था। अतः यदि मुख्य अभियुक्त बिना किसी शर्त के ढाई-तीन लाख रूपया कमाकर अपने श्वसुर अर्थात वादी को भेज रहा हो तो यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि अभियुक्त, वादी से मोटरसाइकिल की मांग कर रहा है जबकि साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे अभियुक्त के परिवार से केवल यही शिकायत है कि वे दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि नदीम के पिता सिद्दीक की उम्र 68-69 वर्ष

थी। शेष दो अभियुक्तगण नदीम की मां तथा बहन है अर्थात महिलायें हैं। अतएव यदि घटना से 14-15 महीने पूर्व से अभियुक्त नदीम विदेश में था तथा वह स्वयं रूपया कमाकर लगभग औसत 25,000/- रूपये प्रतिमाह की दर से वादी को ही भेजता था तो विदेश में रहकर न तो वह मोटरसाइकिल चला सकता था और न उसे मोटरसाइकिल की आवश्यकता प्रतीत होती। चूंकि शेष अभियुक्त उसके 69 वर्षीय वृद्ध पिता तथा महिलायें हैं, अतः निश्चय ही यह विश्वास नही होता कि वे मोटरसाइकिल चलायेंगे तथा उन्हें उसकी आवश्यकता होगी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह बताया है कि मैं जलने की सूचना पाकर गया था तो मुल्जिम नदीम, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा एवं अमीना शाह उसकी पुत्री तबस्सुम को आजमगढ़ सदर अस्पताल ले गये थे। वहां से रेफर होने पर वे उसे सिंह रिसर्च एवं मेडिकल सेंटर बनारस ले गये थे अर्थात तबस्सुम के जलने के तुरंत पश्चात चारों ही अभियुक्तों द्वारा उसे तुरंत ही पहले निकटस्थ अस्पताल तथा तदोपरान्त वहां से संदर्भित किये जाने पर बनारस ले जाया गया एवं उसके इलाज का यथासंभव पूर्ण प्रयास किया गया। यदि वास्तव में उनका आशय तबस्सुम को जलाकर उसे समाप्त करना ही होता तो जलाने के पश्चात वे उसे बचाने का प्रयास क्यों करते। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि दहेज के बावत मैनें किसी अधिकारी के यहां शिकायत नहीं किया था। विदित हो कि विवाह वर्ष 2003 में होता है तथा जलने की घटना वर्ष 2009 की है अर्थात 6 वर्ष से भी लंबी अवधि तक तबस्सुम को दहेज के लिये लगातार प्रतिपीड़ित किया जाता रहा परन्तु उसकी शिकायत न तो किसी अधिकारी से की जा रही है और न ही अन्यत्र और इस अवधि में मृतका के दो बच्चे कु0 निम्मी 5 वर्ष एवं पुत्र अमन ढाई वर्ष उत्पन्न हो चुके हैं। इस साक्षी को बचाव पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उसने अभियुक्तों से पैसा वसूलने के लिये झूठा मुकदमा लिखाया है। मृतका को अभियुक्तों ने जलाया नहीं था तथा पूरी कहानी झूठी है तो साक्षी ने यद्यपि इन सभी सुझावों से इंकार किया परन्तु उसका इन सुझावों से इंकार उपरोक्त वर्णित कारणों से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता जब तक कि अभियोग अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्यों से सिद्ध न हो जाये।

12. अभियोजन की दूसरी साक्षी साजदा पी0डब्लू 2 है जिसने बयान दिया है कि

मेरी बेटी बेबी तबस्सुम की शादी दिनांक 24.02.03 को नदीम उर्फ फखरूद्दीन के साथ हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के दिन ही मेरी बेटी विदा होकर ससुराल गयी थी। वहां चार दिन रहने के बाद मायके आयी तो बतायी कि ससुराल में सास, ससुर, पति व ननद दहेज से संतुष्ट नहीं है तथा एक मोटरसाइकिल के लिये दबाव बना रहे हैं। मोटरसाइकिल के लिये सभी मुल्जिमान मेरी लड़की को प्रताड़ित करते थे। मेरे पति ने तबस्सुम के सास, ससुर, पति व ननद को समझाया था कि अभी सामर्थ्य नहीं है जब मेरी हैसियत होगी तो मोटरसाइकिल देने का प्रयास करूंगा। समझाने बुझाने के बाद भी मुल्जिमान के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और वे लोग मेरी लड़की को प्रताड़ित करते रहे। मोटरसाइकिल की बात शादी के पहले कोई बात नहीं हुई थी। बाद में मुल्जिमान दबाव बनाकर दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मेरी लड़की तबस्सुम प्रताड़ना देने की बात फोन से बतायी थी तथा अपनी जान का डर भी बतायी थी तब मेरे पति जाकर तबस्सुम को लिवा आये। उस समय वह गर्भवती थी। मेरे यहां तबस्सुम को बच्चा हुआ। बच्चा पैदा होने की जानकारी होने पर उसके ससुर सिद्दीक शाह उसे विदा कराने के लिये आये और आश्वासन दिये कि अब ऐसी बात नहीं होगी हम लोग परेशान नहीं करेंगे। मामला सुधरता देखकर लड़की को विदा कर दिया। उसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी लड़की ने फोन करके मुझसे कहा था कि मुझे बुला लो, मुझे ये लोग मार डालेंगे। **दिनांक 17.06.09 को मेरा लड़का शहनवाज जो दिल्ली में रहता है ने फोन किया कि तबस्सुम का हाथ स्टोव फटने से जल गया है।** आप लोग जाकर देख आईये। हम लोगों ने तबस्सुम के ससुराल में फोन मिलाया तब सिद्दीक शाह ने फातिमा अस्पताल मऊ आने के लिये कहा तो हम लोग फातिमा अस्पताल पहुंचे तो फोन आया कि हम लोग आजमगढ़ आ गये हैं। वहां जाने पर पता चला कि बनारस चले गये हैं। एक बजे रात को खबर मिली कि मेरी लड़की की बनारस अस्पताल में मृत्यु हो गयी है। मेरी लड़की को मुल्जिमान मिट्टी का तेल डालकर जला दिये। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।

13. इस साक्षी का बयान भी स्टीरियो टाईप बयान है। इसने भी अभियुक्तों द्वारा

मोटरसाइकिल मांगने की रटी रटाई बात बतायी है। इस साक्षी ने भी तथाकथित मोटरसाइकिल की मांग की कोई तिथि, समय एवं अवसर नही बताया है। इसने भी यह कही नहीं बताया है कि किस अभियुक्त विशेष ने अथवा सभी अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल की मांग किया था। उसने यह भी नहीं बताया है कि किसी ने उससे मांग किया था। यदि अभियुक्तों ने वास्तव में मोटरसाइकिल की मांग किया होता तो उसमें निश्चितता होती अर्थात किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यक्ति विशेष से किसी समय, स्थान तथा तिथि विशेष पर मांग की गयी होती जिसको साक्षी स्पष्ट रूप से बता पाने में सक्षम होती परन्तु साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह न बताना उनकी विश्वसनीयता को युक्तिसंगत रूप से संदिग्ध बनाती है। इस साक्षी के बयान का समर्थन पी0डब्लू 1 के बयान से भी नहीं होता क्योंकि जहां पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया है कि शादी के बाद लड़की विदा हुई थी तथा 4-5 दिन रहने के बाद मायके वापस आयी थी **तथा 3-4 महीने रहने** के बाद तबस्सुम पुनः अपने ससुराल चली गयी, इस बार जब लड़की विदा होकर गयी तब अभियुक्तगण मोटरसाइकिल की मांग करने लगे जबकि इस साक्षी ने यह बताया है कि शादी के दिन विदा हो जाने के बाद ससुराल में 4 दिन रहने के बाद जब वह मायके आयी तो बतायी कि ससुरालवाले संतुष्ट नहीं हैं और वे मोटरसाइकिल के लिये दबाव बना रहे हैं। दोनों साक्षियों के बयानों में यह महत्वपूर्ण विरोधाभाष है जो इंगित करता है कि उन्होनें न्यायालय के समक्ष झूठा बयान दिया है। साक्षी ने अपने बयान में यह बताया है कि **उसके पुत्र शहनवाज ने उसे फोन किया था कि तबस्सुम का हाथ स्टोव फटने से जल गया है। आप लोग जाकर देख आईये।** अतः इससे यही प्रतीत होता है कि वास्तव में स्टोव फटने की घटना हुई थी जिसकी यथावत सर्वप्रथम सूचना साक्षी के पुत्र को भी थी जो सूचना उसने अपनी माता अर्थात साक्षी को दिया था बाद में तबस्सुम की मृत्यु हो जाने के पश्चात मोटरसाइकिल मांगने की कहानी रची गयी।

14. बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी का भी सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें प्रथम लाईन में ही साक्षी ने बताया है कि **"मेरी लड़की दिनांक 17 जून, 2009 को स्टोव से जली थी।"** अतः साक्षी के बयान से ही पुष्ट होता है कि तबस्सुम स्टोव फटने की दुर्घटना से जल गयी थी। स्टोव अभियुक्तगण तो नहीं फटा सकते। उससे

विवाह के ठीक पूर्व किसी प्रकार की मोटरसाइकिल की मांग नहीं की गयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे बताया है कि **मुल्जिमानों से शादी में लेन देन की कोई बात नहीं हुई थी। हंसी खुशी से शादी बीत गयी थी। लड़की हंसी खुशी से विदा हो गयी** अर्थात अभियोजन के इस साक्षी से ही यह सिद्ध होता है कि शादी से पूर्व या शादी के अवसर पर अभियुक्तों ने किसी प्रकार की कोई मांग नहीं किया था। यदि वास्तव में अभियुक्तों में दहेज की लालसा होती तथा वे दहेज लोलुप होते तो शादी के पूर्व ही तथा शादी के अवसर पर ही वे अपनी इच्छा व्यक्त कर देते क्योंकि वही दहेज मांगने का सबसे उत्तम तथा सबसे उपयुक्त एवं सुरक्षित अवसर होता तथा मांग पूरी न होते देख वे वहां से मुकर सकते थे तथा अन्यत्र अपनी अभिलाषा पूरी कर लेते। विवाह के बाद मांग पूरी न होने की भी संभावना रहती है तथा मांग करना घातक भी सिद्ध हो सकता है। अतः इस कारण से भी यह प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्तों ने मृत्यु से पूर्व दहेज स्वरूप मोटरसाइकिल की मांग किया हो। इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जो रूपया नदीम मेरे पति के नाम से सउदिया से भेजा था मेरे पति ने बताया था। अतः यदि नदीम स्वयं अपनी ससुराल लाखों की राशि घटना के 10-15 महीने पूर्व से भेज रहा था तो वह घटना के पूर्व दहेज स्वरूप मात्र एक मोटरसाइकिल की मांग क्यों करेगा और मोटरसाइकिल न मिलने पर वह अपनी पत्नी को क्यों जला देगा। इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि **"मोटरसाइकिल के अतिरिक्त मुल्जिमान ने और किसी चीज की मांग नहीं की थी। इसके अलावा और कोई विवाद नहीं था।"** इस साक्षी को भी बचाव पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया है कि उसने मात्र पैसा वसूलने के उद्देश्य से अभियुक्तों के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया है तथा तबस्सुम को जलाने का झूठा आरोप लगाकर झूठी गवाही दिया है तथा तबस्सुम वास्तव में खाना बनाते समय जल गयी थी तो साक्षी ने इस सुझावों से इंकार किया परन्तु साक्षी का इंकार उसके बयान में विश्वास उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार इस साक्षी का बयान स्वयं में भरोसेमन्द नहीं है तथा उसके बयान से पी0डब्लू 1 का बयान भी भिन्न है जिससे पी0डब्लू 1 के मुख्य परीक्षण का बयान कदापि पुष्ट नहीं होता।

15. अभियोजन का तीसरा साक्षी अमीरूल हसन पी0डब्लू 3 है, जिसने बयान दिया

है कि मृतका तबस्सुम मेरी भतीजी थी। वह मेरे सगे भाई नूर मुहम्मद की लड़की थी। उसकी शादी नदीम के साथ करीब साढ़े आठ साल पहले हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया गया था। शादी में मैं भी मौजूद था। तबस्सुम शादी में ही विदा होकर गयी थी तथा कुछ दिन बाद विदा होकर जब हमारे यहां आयी तो बतायी थी कि उसके पति, ससुर, सास व ननद मोटरसाइकिल के लिये परेशान करते थे, खाना नहीं देते थे। तबस्सुम घर में सब को यह बात बतायी थी। सिद्दीक शाह ने मेरे भाई से कहा था कि मोटरसाइकिल दे दीजिये जबकि शादी के समय मोटरसाइकिल की कोई बात नहीं हुई थी। फिर जब तबस्सुम की विदाई हुई तो मेरे भाई भी तबस्सुम के साथ उसके ससुराल गये थे और नदीम, उसके पिता सिद्दीक शाह व उसके सास व ननद से कहे थे कि अभी मेरी हैसियत नहीं है जब होगी तो दे देंगे। वे लोग तबस्सुम को मोटरसाइकिल के लिये मारते पीटते व ताना देते रहे। परेशान होकर मेरे भाई तबस्सुम को अपने घर ले गये। तबस्सुम अपने माता पिता के साथ दिल्ली चली गयी। फिर सिद्दीक शाह गये और कहे कि अब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिये चलकर रहो अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भी मालूम हो गया था कि तबस्सुम को नदीम व सिद्दीक अपने घर चिरैयाकोट लाये हैं। करीब 16-17 दिन बाद दिल्ली से मेरे भतीजे शहनवाज ने फोन से बताया कि तबस्सुम चिरैयाकोट में जल गयी है। शहनवाज ने यह भी बताया कि चिरैयाकोट में ससुराल वालों ने जला दिया है नाम नहीं बताया। तब हम लोगों ने सिद्दीक शाह से मोबाइल पर बात किया तो सिद्दीक शाह ने बताया कि तबस्सुम जल गयी है सदर अस्पताल मऊ लेकर गये हैं। फिर मैं, नूर मुहम्मद, जीमल, शब्बीर, नूरमुहम्मद की औरत तथा अन्य लोग सदर अस्पताल गये। वहां पहुंचने पर हम लोगों को कोई नहीं मिला। फिर हम लोगों ने फोन से बात किया तो सिद्दीक शाह ने बताया कि आजमगढ़ अस्पताल गये हैं। फिर हम लोग आजमगढ़ अस्पताल गये तो वहां लोग बताये कि बनारस लेकर गये हैं। आजमगढ़ से बनारस नूर मुहम्मद व जमील गये और हम लोग वापस चिरैयाकोट होते हुये घोसी चले आये। बनारस से पता चला कि तबस्सुम की मृत्यु हो गयी है। मुल्जिमान दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण तबस्सुम को प्रताड़ित करते थे और अन्त में जलाकर मार डाले। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था। सी0ओ0

साहब ने घटनास्थल को देखा तथा वहां से जली हुई मैक्सी, परदा, दुपट्टा तथा राख हम लोगों के सामने कब्जे में लेकर मौके पर ही फर्द बरामदगी प्रदर्श क2 बनाया था। बनारस से जब लाश लेकर लोग आये तो सिद्दीक शाह ने फोन किया कि दो बजे मिट्टी होगी आप लोग आइये तब तक गांव के किसी व्यक्ति ने फोन किया कि सुबह ही मिट्टी की जायेगी आप लोग आ जाइये। हम लोग सुबह ही पहुंच गये तो देखे कि कब्र खोदी जा रही थी और दफनाने की तैयारी हो रही थी तब मेरे भाई ने थाने पर सूचना दिया तब पुलिस ने आकर दफनाने से रोका था।

16. यह साक्षी वादी का भाई है। इसने भी अभियुक्तों पर मोटरसाइकिल मांगने का एक साधारण आरोप लगाया है। मांग की कोई तिथि, समय, अवसर नहीं बताया है। उसने भी यह नहीं बताया है कि किसी अभियुक्त ने उससे मोटरसाइकिल की मांग किया हो। साक्षी ने यद्यपि यह बयान में बताया है कि सिद्दीक शाह ने मेरे भाई से कहा था कि मोटरसाइकिल दे दीजिये परन्तु उसके भाई पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में यह कहीं नहीं बताया है कि सिद्दीक शाह ने स्वयं उससे मोटरसाइकिल की कभी मांग किया हो। इस साक्षी ने भी अपने बयान में बताया है कि शादी के समय मोटरसाइकिल की कोई बात नहीं हुई थी और मोटरसाइकिल को लेकर न कोई कहासुनी हुई थी। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तों की मोटरसाइकिल की कोई लालसा नहीं थी तथा अब वे मुल्जिमान पर मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं। इस साक्षी ने भी यह बताया है कि जलने के बाद सभी अभियुक्त मृतका को सदर अस्पताल मऊ ले गये तथा उसके पश्चात आजमगढ़ तथा बनारस ले गये। अतः साक्षी के बयान से ही सिद्ध होता है कि जलने पर अभियुक्तों ने तबस्सुम के इलाज का यथासंभव प्रयास किया। यदि उनकी तबस्सुम को जलाकर मार डालने की ही नीयत होती तो वे उसके इलाज का प्रयास क्यों करते। यह साक्षी वादी का भाई है, अतः उसका इस प्रकार का बयान देना स्वाभाविक है।

17. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटना के पहले नदीम सउदिया में 7-8 महीने रहा जबकि पी0डब्लू 1 एवं 2 ने अपने-अपने बयानों में एक स्वर में यह बताया है कि नदीम घटना से 14-15 महीने पूर्व सउदी अरब में था। इस साक्षी के इस साक्ष्य का यह महत्व है कि उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि घटना से कितने दिन

पूर्व तक नदीम सउदिया में था। अतः इस परिवार के अन्य क्रिया कलापों के विषय में जिसके विषय में वह साक्ष्य दे रहा है, उसे कैसे ज्ञान हो सकता है। अतः निश्चय ही भाई होने के कारण वह भाई की भांति ही अभियुक्तों पर साधारण आरोप लगा रहा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि जिस समय मैं तबस्सुम को देखने गया था उस समय उसके परिवार के सभी सदस्य मिले थे............। मुल्जिमानों से मैनें कोई बात नहीं किया था। अतः इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि जब वह तबस्सुम की ससुराल गया था तब भी उससे किसी मुल्जिमान ने किसी चीज की मांग नहीं की थी। इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण के अंतिम पृष्ठ सं0 8 पर स्पष्ट स्वीकार किया है कि तबस्सुम स्टोव से जली थी। अतः स्पष्टतः स्टोव फटने से अथवा स्टोव से स्वतः तेल निकलने से वह जल गयी थी। स्टोव अभियुक्तगण तो नहीं फटा सकते। अतः किसी अभियुक्त ने स्वयं उसे नहीं जलाया था। यह मात्र एक दुर्घटना थी जिससे तबस्सुम जली थी। अतः इस साक्षी का साक्ष्य भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

18. उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा भी इस मामले में बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिन पर विचार करना उचित होगा।

19. अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में बचाव साक्षी बी0 राम, लोकनाथ सिंह, दुर्गविजय को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। डी0डब्लू 1 बी0 राम ने बयान दिया है कि दिनांक 17.06.09 को मैं जनपद वाराणसी में अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट तृतीय के पद पर कार्यरत था। मैं पुलिस की सूचना पर विभाग द्वारा स्थायी आदेशानुसार मृतका तबस्सुम का मृत्यु पूर्व बयान लेने के लिये सिंह मेडिकल व रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी गया। मैनें मजरूबा तबस्सुम को पूर्णरूप से बयान देने की स्थिति में पाते हुये उसका मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श ख1 अंकित किया जिसमें मजरूबा ने बयान दिया था कि *''दिनांक 17.06.09 को दिन में करीब 10 बजे स्टोव पर खाना बना रही थी उस समय मेरे पति मेरे दोनों बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे तथा ननद घर में झाडू लगा रही थी। स्टोव से खाना बनाते समय उससे तेज आंच निकली जिससे मेरे शरीर के कपड़े में आग लग गयी जिससे मेरा मुंह, सीना, हाथ-पैर जल गया है। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति व ननद दौड़कर आये तथा मेरी आग बुझाई। मैं ग्रेजूएट तक पढ़ी*

हूं। मेरी शादी 6 वर्ष पहले हुई है। मेरे से किसी का झगड़ा नहीं हुआ है और न ही मैं खुद आग लगाई हूं। मुझे यहां पर मेरे पति व घरवाले भर्ती कराये हैं। मैं अपने ससुराल में खाना बनाते समय जली हूं।'' बयान होने के बाद पुनः डाक्टर ने अपने लेख व हस्ताक्षर में मरीज के पूरे होश में बयान देने के संबंध में प्रमाणित किया है।

20. डी0डब्लू 1 के बयान से प्रतीत होता है कि पत्रावली पर तबस्सुम का मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श ख1 उपलब्ध है। प्रदर्श ख1 में अंकित है कि ''दिनांक *17.06.09 को दिन में करीब 10 बजे स्टोव पर खाना बना रही थी उस समय मेरे पति मेरे दोनों बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे तथा ननद घर में झाड़ू लगा रही थी। स्टोव से खाना बनाते समय उससे तेज आंच निकली जिससे मेरे शरीर के कपड़े में आग लग गयी जिससे मेरा मुंह, सीना, हाथ-पैर जल गया है। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति व ननद दौड़कर आये तथा मेरी आग बुझाई। मैं ग्रेजूएट तक पढ़ी हूं। मेरी शादी 6 वर्ष पहले हुई है। मेरे से किसी का झगड़ा नहीं हुआ है और न ही मैं खुद आग लगाई हूं। मुझे यहां पर मेरे पति व घरवाले भर्ती कराये हैं। मैं अपने ससुराल में खाना बनाते समय जली हूं।"'* इस साक्षी के बयान एवं प्रदर्श ख1 से प्रतीत होता है कि डी0डब्लू 1 जनपद वाराणसी में अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। दिनांक 17.06.09 को वह सिंह मेडिकल व रिसर्च सेंटर प्रा0लि0 वाराणसी में जाकर नियमतः मृतका तबस्सुम का मृत्यु पूर्व बयान अंकित किया था जिसके पश्चात तबस्सुम की मृत्यु हो गयी थी। अतः प्रदर्श ख1 मृतका का मृत्यु पूर्व बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य एवं सुसंगत साक्ष्य है जिसमें उसने स्पष्ट बताया है कि स्टोव से खाना बनाते समय तेज आंच निकली जिससे मेरे शरीर के कपड़े में आग लग गयी जिससे मेरा मुंह, सीना, हाथ, पैर जल गया। आवाज सुनकर मेरे पति व ननद दौड़कर आये और आग बुझाये। मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ। मुझे यहां मेरे पति भर्ती करवाये। मैं खाना बनाते समय जली। अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह बयान दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अथवा पुलिस द्वारा अंकित नहीं कराया गया है तथा दौरान विवेचना विवेचक ने बतौर साक्ष्य स्वयं भी एकत्र नहीं किया है और न ही न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट के संलग्नक के रूप में साथ में प्रेषित किया गया है। अतएव प्रदर्श ख1 मृत्यु

पूर्व बयान नहीं है और यदि है भी तो वह विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द नहीं है बल्कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी तौर पर तैयार कराया गया है परन्तु अभियोजन का यह तर्क युक्तिसंगत नहीं है। मृत्यु पूर्व बयान के लिये यह कदापि आवश्यक नहीं है कि वह विवेचक द्वारा अथवा पुलिस द्वारा ही आवश्यक रूप से दर्ज कराया जाये अथवा वह अपराध पंजीकृत होने के पश्चात ही पंजीकृत कराया जाये। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का वक्तव्य अथवा आचरण उसका मृत्यु पूर्व बयान हो सकता है। इस मामले में अभियोजन साक्ष्यों से ही यह प्रतीत होता है कि तबस्सुम को जली हुई हालत में सिंह मेडिकल व रिसर्च सेंटर प्रा0लि0 वाराणसी ले जाया गया था, अतः निश्चय ही मृत्यु से पूर्व तबस्सुम सिंह मेडिकल व रिसर्च सेंटर प्रा0लि0 वाराणसी में उपलब्ध थी। डी0डब्लू 1 ने जली हुई तबस्सुम का बयान वहीं अंकित किया था। डी0डब्लू 1 अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। वह किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण के निकट संबंधी, मित्र अथवा हितबद्ध साक्षी नहीं हो सकते। अतः डी0डब्लू 1 के साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण अथवा आधार प्रतीत नहीं होता। यह अवश्य है कि उक्त मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श ख1 को विवेचक द्वारा दौरान विवेचना प्राप्त/एकत्र कर पुलिस रिपोर्ट के साथ न्यायालय में प्रेषित करना चाहिये था परन्तु उन्होनें ऐसा नहीं किया जबकि उसका ज्ञान उन्हें हो चुका था क्योंकि विवेचक पी0डब्लू 9 श्री दुर्गेश कुमार ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 17.07.09 को उपनिरीक्षक विजय बहादुर यादव जिन्होनें मृतका के मृत्यु पूर्व बयान का अवलोकन किया था उनसे पूछताछ कर उनका बयान अंकित किया था। अतः मृतका के मृत्यु पूर्व बयान का ज्ञान हो जाने के बावजूद भी विवेचक द्वारा उस पर ध्यान नही दिया गया और उसे बतौर साक्ष्य संकलित नहीं किया गया। यह उनकी घोर लापरवाही का प्रतीक है। उन्होनें ऐसा कोई कारण भी नहीं बताया कि उन्होनें उसे क्यों नहीं प्राप्त किया तथा आरोप पत्र प्रेषित करने से पूर्व उस पर क्यों विचार नहीं किया जबकि मृत्यु पूर्व बयान एक तात्विक साक्ष्य था, अतः जब विवेचक ने मृत्यु पूर्व बयान स्वयं प्राप्त कर पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रेषित नहीं किया तो बचाव पक्ष द्वारा बाध्य होकर स्वयं मृत्यु पूर्व बयान प्राप्त किया गया एवं उसे अंकित करने वाले मजिस्ट्रेट को न्यायालय में बतौर साक्षी आहूत कर उसे सिद्ध कराया गया जिस पर

अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। मृत्यु पूर्व बयान में तबस्सुम ने किसी अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप नहीं लगाया है कि किसी अभियुक्त ने उसे कभी मोटरसाइकिल के लिये प्रताड़ित किया हो अथवा उसे जलाकर मारने की चेष्ठा किया हो बल्कि उसने स्पष्ट कथन किया है कि खाना बनाते समय स्टोव से तेज आंच निकलने से उसके कपड़े में आग लग गयी जिससे वह जल गयी। मृतका ने यह भी बयान दिया था कि आवाज सुनकर उसके पति तथा ननद उसे बचाने आये थे तथा आग बुझाये थे। अभियुक्त का यह कथन है कि आग बुझाने की प्रक्रिया में वह स्वयं भी जल गया था तथा अपना चिकित्सीय परीक्षण भी कराया था जिसके साक्ष्य के रूप में उसने लोकनाथ सिंह एवं दुर्गविजय क्रमशः फार्मासिस्ट एवं वार्ड ब्वाय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीपुर को परीक्षित कराया है।

21. डी0डब्लू 2 लोकनाथ सिंह फार्मासिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीपुर ने बयान दिया है कि मेडिकोलीगल मूल रजिस्टर में दिनांक 19.06.09 को समय 09.40 बजे नदीम उर्फ फखरूद्दीन जो थाने के कांस्टेबल द्वारा लाया गया था, का डाक्टरी मुआयना डा0 एस.बी. तिवारी द्वारा किया गया है जिसका अंकन रजिस्टर के क्रमांक सं0 129-09 पर है जिस पर मजरूब के हाथ व अंगुलियों के जलने की कुल 12 चोटें अंकित हैं। चोट की ड्यूरेशन 2 से 3 दिन के अंदर की अंकित है। मजरूब की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श ख2 है।

22. साक्षी दुर्गविजय डी0डब्लू 3 ने बयान दिया है कि मैं दिनांक 19.06.09 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीपुर में वार्डब्वाय के पद पर कार्यरत था। उस समय डा0 एस0बी0 तिवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात थे। अभियुक्त नदीम उर्फ फखरूद्दीन जरिये पुलिस का डाक्टरी मुआयना प्रदर्श ख2 डा0 एस0बी0 तिवारी ने किया था जो क्रम सं0 129-09 पर डा0 एस0बी0 तिवारी के लेख व हस्ताक्षर में अंकित है जिसमें मजरूब के शरीर पर 12 चोटें पायी गयी थी। मूल रजिस्टर मेरे सामने है। कार्बन प्रति प्रदर्श ख2 असल के मुताबिक सही है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। डा0 एस0बी0 तिवारी की मृत्यु हो गयी है।

23. इस प्रकार इन दोनों साक्षियों के बयान से प्रतीत होता है कि दिनांक 19.06.09 को अभियुक्त नदीम उर्फ फखरूद्दीन का चिकित्सीय परीक्षण हुआ था

जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श ख2 है। डा0 एस0बी0 तिवारी ने प्रदर्श ख2 चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार किया था जिसके अनुसार उसके हाथ व अंगुलियों में जलने के 12 चोटें विद्यमान थी (डी0डब्लू 3 ने यह भी बताया है कि उक्त डा0 एस0बी0 तिवारी की मृत्यु हो चुकी है)। इन साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 17.04.09 को खाना बनाते समय तबस्सुम स्टोव से सहसा तेज आंच निकलने के कारण जल गयी थी जिसे उसके पति अभियुक्त नदीम उर्फ फखरूद्दीन ने बचाने का प्रयास किया और उस प्रयास में उसका स्वयं का हाथ व अंगुलियां जल गयी।

24. उपरोक्त उल्लिखित साक्ष्यों से कदापि यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि तबस्सुम की मृत्यु से पूर्व किसी भी अभियुक्त ने उससे मोटरसाइकिल अथवा किसी सम्पत्ति की मांग किया हो अथवा उसके न मिलने के कारण उसे प्रतिपीड़िता किया हो।

25. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू 4 राजेश कुमार सिंह हेड कांस्टेबल ने बयान दिया है कि दिनांक 18.06.09 को मैं बतौर हेड मोहर्रिर थाना चिरैयाकोट में तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा नूर मुहम्मद की तहरीरर प्रदर्श क1 के आधार पर चिक सं0 48/09, अपराध सं0 1002/09, अंतर्गत धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था तथा जिसका उल्लेख थाने की जी0डी0 में भी किया था। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क3 व जी0डी0 प्रदर्श क4 है।

26. अभियोजन ने मृतका तबस्सुम की मृत्यु के पश्चात दो डाक्टरों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाना बताया गया है तथा पोस्टमार्टम करने वाले डा0 वी0जे0पी0 सिंहा तथा डा0 ए0के0 गुप्ता को बतौर पी0डब्लू 5 व 7 परीक्षित किया गया है। डा0 वी0जे0पी0 सिंहा पी0डब्लू 5 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 18.06.09 को मृतका तबस्सुम के शव का परीक्षण दो डाक्टरों के पैनल द्वारा कराये जाने का आदेश मिला था। इस कारण मेरे साथ डा0 ए0के0 गुप्ता भी मौजूद थे तथा दौरान पोस्टमार्टम मृतका की आयु लगभग 26 वर्ष थी जो सामान्य कद काठी की थी। दोनों आंखे बंद थी तथा मुंह आंशिक रूप से खुला था। अन्य प्राकृतिक छिद्र सामान्य थे शिवाय इसके कि उन पर जले के निशान थे। यूरेथ्रा में कैथटर (पेशाब की नली) मौजूद थी। इन्टूलेनस कैन्डूला बांये पैर के अन्दर तरफ मिडिमल मैलूलस के

ठीक ऊपर मौजूद था। मृत्यु पश्चात अकड़न ऊपरी हिस्से से समाप्त होना प्रारंभ हो चुका था तथा निचले हिस्से में पूरी तरह से मौजूद था। मृत्यु पूर्व चोटों में शरीर पर 90 प्रतिशत सुपरफिसियल से गहरे जले का निशान था। सर के ऊपरी हिस्से में तथा दोनों घुटने के चार सेमी. नीचे जला नहीं था। एंटीसेप्टिक मलहम चोटों के चारो तरफ और उनके आस पास मौजूद था। लालिमा लगी लाईन मौजूद थी। सिर के बाल जलकर उखड़ रहे थे। फफोले मौजूद थे। पूरे शरीर पर कैरोशीन आयल की गंध मौजूद थी। आंतरिक परीक्षण के दौरान झिल्लियां व मस्तिष्क कन्जेस्टेड था। फेफड़ा कन्जेस्टेड था। किडनी लीवर स्पीलीन कन्जेस्टेड था। सांस की नली में कार्बन के कड़ मौजूद थे। हृदय का बाया हिस्सा खाली था तथा दाहिना हिस्सा चेरी रेड ब्लड से भरा था। आमाशय में 150 मिली. द्रव पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन व गैस मौजूद थी। बड़ी आंत में आंशिक रूप से गैस व मल पदार्थ भरा था। पित्त की थैली आधी भरी थी। पेशाब की थैली खाली थी। जननांग में गर्भ का कोई लक्षण नहीं था। मृत्यु पोस्टमार्टम के लगभग एक से डेढ़ दिन पहले की होना सम्भावित थी। मृतका की मृत्यु मृत्यु पूर्व जले हुये चोटों के कारण उत्पन्न हुये शाक के कारण हुई थी। मेरी राय व डा0 ए0के0 गुप्ता की राय एक दूसरे से मेली खाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 अपने लेख व हस्ताक्षर में डा0 ए0के0 गुप्ता के साथ मिलकर तैयार किया था। मृतका की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु पूर्व आयी हुई जलने की चोटों के कारण होने के लिये पर्याप्त थी। मृतका के शरीर से उतारे गये मैटेलिक इयर टब्स, पीले रंग की नाक की कील, सफेद रंग की अंगूठी अलग कपड़े में सीलकर सिपाही को दिया गया था तथा मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट व दस इनक्लोजर्स जिस पर मैनें अवलोकन कर हस्ताक्षर बनाया था एक सील लिफाफे में भरकर सिपाही को एस.पी. मऊ के लिये दे दिया था। मृतका की मृत्यु दिनांक 17.06.09 की सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे के बीच में मिट्टी का तेल छिड़ककर जलने से आयी हुई चोटों के कारण होना सम्भव है।

27. डा0 ए0के0 गुप्ता पी0डब्लू 7 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 18.06.09 को मृतका तबस्सुम के शव का परीक्षण करने हेतु डा0 वी0जे0पी0 सिंहा के साथ मेरी भी ड्यूटी लगायी गयी थी। मैनें तथा डा0 वी0जे0पी0 सिंहा ने उसी

दिन समय 16.15 बजे मृतका तबस्सुम का पोस्टमार्टम किया गया तथा हम दोनों डाक्टरों की राय से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क5 डा0 वी0जे0पी0 सिंहा ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जिस पर मैनें भी सहमत होकर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मृतका तबस्सुम की मृत्यु, मृत्यु पूर्व अत्यधिक जलने के कारण आयी हुई चोटों से उत्पन्न हुये शाक के कारण हुई थी।

28. अभियोजन का अगला साक्षी नायब तहसीलदार राममूरत पी0डब्लू 6 है जिन्होनें बयान दिया है कि दिनांक 18.06.09 को मेरे द्वारा मृतका तबस्सुम का पंचायतनामा प्रदर्श क6 एस.आई0 देवेन्द्र सिंह से बोलकर तैयार करवाया था तथा उस पर अपना, एस.आई. देवेन्द्र सिंह तथा पंचानों का भी हस्ताक्षर बनवाया था। मृतका का पोस्टमार्टम कराने के संबंध में कागजात पुलिस प्रपत्र 13, फोटोनाश, पत्र सी.एम.ओ., पत्र आर.आई., क्रमशः प्रदर्श क7 ता प्रदर्श क10 थानाध्यक्ष नन्हे राम सरोज से तैयार करवाया था जिस पर मैनें अपना हस्ताक्षर बनाया था। मृतका का शरीर 95 प्रतिशत तक जला था। दहेज हत्या का मामला होने के कारण मैनें डाक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराने हेतु सी.एम.ओ. को पत्र लिखा था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

29. अभियोजन साक्षी रामअवध यादव फार्मासिस्ट पी0डब्लू 8 ने अपने बयान में बताया है कि मैं जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में नवम्बर 2006 से तैनात हूं। दिनांक 31.05.09 से 21.06.09 तक के जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के मेडिकोलीगल रजिस्टर जिसमें कुल 240 पेज हैं और जो इमरजेंसी मेडिकल आफिसर आजमगढ़ द्वारा प्रमाणित किया गया है, के अनुसार पेज नं0 208 पर दिनांक 17.06.09 को समय 11.30 बजे डा0 आर.के. पटेल द्वारा मृतका का मुआयना किया गया था तथा इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क11 डा0 आर.के. पटेल ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मजरूबा/मृतका का पंजीकरण पर्चा सं0 106646 दिनांक 17.06.09 को तैयार किया गया था जिसकी छाया प्रति प्रदर्श क12 पत्रावली में बेड हेड टिकट के साथ संलग्न है। मजरूबा को पहले डा0 आर.के. पटेल ने देखा व दवा लिखा था तथा बाद में सर्जन डा0 बी.एस. श्रीवास्तव ने देखा व ईलाज किया तथा बेहतर ईलाज के लिये संदर्भित कर दिया था। मूल बेड हेड टिकट जिस पर डा0 आर.के. पटेल व डा0 बी.एस. श्रीवास्तव के द्वारा मजरूबा का ईलाज किया गया है,

की छाया प्रति प्रदर्श क13 है तथा मृतका के डिस्चार्ज स्लिप की छाया प्रति प्रदर्श क14 है। क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल आजमगढ़ से मजरूबा का मृत्यु पूर्व बयान के विषय में जानकारी मांगी गयी थी जिस पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बी0 भार्गव द्वारा श्री बर्नवाल पूर्व फार्मासिस्ट को संबोधित किया गया था इस संबंध में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद द्वारा तैयार किया गया पत्र प्रदर्श क15 है जिसकी कार्बन प्रति मेडिकोलीगल रजिस्टर के पेज सं0 208 के साथ संलग्न है।

30. अभियोजन द्वारा इस मामले की विवेचना दुर्गेश कुमार पुलिस अधीक्षक, एस. टी.एफ वाराणसी द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 9 परीक्षित किया गया है। उन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 17.06.09 को मुकदमा अपराध सं0 1002/09 धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ की विवेचना से संबंधित कागजात नकल चिक, नकल रपट मुझे कार्यालय से प्राप्त हुआ था जिसका अंकन केस डायरी में अंकित किया था। वादी नूर मुहम्मद व गवाह अमीरूल हसन का बयान अंकित किया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क16 बनाया। समई साक्षीगण सज्जाद एवं किताबुद्दीन का बयान अंकित किया। दिनांक 19.06.09 को पर्चा सं0 2 किता किया जिसमें अभियुक्तगण नदीम उर्फ फखरूद्दीन, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा व कु0 अमीना शाह की गिरफ्तारी का ब्योरा दर्ज करने एवं बयान अंकित करने की कार्यवाही किया गया। दिनांक 22.06.09 को पर्चा सं0 3 किता किया जिसमें पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन, निरीक्षण घटना के दौरान मौके से बरामद सामान को कब्जा पुलिस में लेने का अवलोकन, बयान चिक लेखक हेड मुहर्रिर राजेश कुमार सिंह, पोस्टमार्टम कराने वाले कां0 ओमकार राय एवं सुरेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया गया, पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह का बयान अंकित करने की कार्यवाही की गयी। दिनांक 24.06.09 को पर्चा सं0 4 किता किया गया जिसमें पंचायतनामा के गवाहान जमील अहमद, मृतका की मां साजिदा खातून, गवाह निकाहनामा व पंचायतनामा शब्बीर, फर्द के गवाह शकील अहमद एवं अमीरूल हसन का बयान दर्ज किया गया एवं श्रीमती

साजिदा खातून द्वारा दिये गये मृतका के शादी का कार्ड प्रदर्श क18 एवं निकाहनामा प्रदर्श क19 की फोटो प्रति का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 09.07.09 को मृतका तबस्सुम की मेडिकल रिपोर्ट व डिस्चार्ज स्लिप का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 15.07.09 को मृतका के भाई शहनवाज का बयान अंकित किया। **दिनांक 17.07.09 को उपनिरीक्षक विजय बहादुर यादव जिन्होनें मृतका के मृत्यु पूर्व बयान का अवलोकन किया था उनसे पूछताछ कर उनका बयान अंकित किया।** दिनांक 21.07.09 को पंचायतनामा के गवाह मोहम्मद आलम, पंचायतनामा करने वाले नायब तहसीलदार राममूरत राम एवं पोस्टमार्टम करने वाले डा0 वीर बहादुर प्रसाद सिंहा एवं डा0 अरूण कुमार गुप्ता का बयान अंकित किया तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अभियुक्तगण नदीम उर्फ फखरूद्दीन, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा व कु0 अमीना शाह के विरूद्ध धारा 498-ए,304-बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क17 प्रस्तुत किया।

31. पी0डब्लू 4 के बयान से यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 18.06.09 को नूर मोहम्मद के द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर प्रदर्श क1 के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध यह मामला पंजीकृत किया गया था तथा उसका उल्लेख जी0डी0 में किया गया था। पी0डब्लू 5 एवं 7 के बयानों से यह सिद्ध होता है कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया था जिससे यह प्रकट हुआ था कि तबस्सुम की मृत्यु दिनांक 17.06.09 को मिट्टी के तेल से जल जाने से आयी हुई चोटों से उत्पन्न शाक के कारण हुई थी तथा पी0डब्लू 6 नायब तहसीलदार के बयान से प्रतीत होता है कि उन्होनें मृतका के शव का पंचायतनामा बनाया था तथा मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु सी.एम.ओ. को पत्र लिखा था। पी0डब्लू 8 के बयान से यह प्रतीत होता है कि जलने के पश्चात तबस्सुम को जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में भर्ती कराया गया था जहां उसका डा0 आर0के0 पटेल द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था तथा जिसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क11 तैयार किया था। उसे डा0 बी0एस0 श्रीवास्तव द्वारा भी देखा गया था तथा उसे बेहतर ईलाज के लिये संदर्भित कर दिया गया था। साक्षी पी0डब्लू 9 के बयान से स्पष्ट है कि उन्होनें मामले की विवेचना

किया था जिसके दौरान उन्होनें घटना से भिज्ञ व्यक्तियों का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क16 बनाया। मृतका के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराया। मृतका का निकाहनामा एकत्रित किया। मृतका के चिकित्सा संबंधी साक्ष्यों को एकत्र किया। दौरान विवेचना उपनिरीक्षक विजय बहादुर यादव ने उसे बताया भी था कि उसने मृतका के मृत्यु पूर्व बयान का अवलोकन भी किया था तथा उन्होनें उपनिरीक्षक विजय बहादुर यादव का बयान भी स्वयं अंकित किया अर्थात उनको यह ज्ञान हो गया था कि मृतका का मृत्यु पूर्व बयान उपलब्ध है परन्तु उन्होनें उसे प्राप्त नहीं किया तथा अंततः उन्होनें अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क17 प्रेषित किया।

32. अतएव उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर सम्यक विचार करने के उपरांत यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त नदीम उर्फ फखरूद्दीन मृतका का पति, अभियुक्त सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा एवं कुमारी अमीना शाह क्रमशः नदीम उर्फ फखरूद्दीन के पिता, माता एवं बहन हैं। मृतका तबस्सुम की मृत्यु दिनांक 17.06.09 को जल जाने के कारण विवाह के सात वर्ष के अंदर ही अस्वाभाविक रूप से हुई थी परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि मृत्यु से पूर्व किसी भी अभियुक्त ने उससे दहेज स्वरूप मोटरसाइकिल की अथवा किसी भी सम्पत्ति की मांग किया हो अथवा उसके लिये उसे प्रताड़ित किया हो बल्कि यह सिद्ध होता है कि खाना बनाते समय स्टोव से सहसा तेज आंच निकलने के कारण तबस्सुम के कपड़े जल गये थे तथा तबस्सुम जल गयी थी एवं उसी जलने के कारण आयी चोटों से उत्पन्न शाक से उसकी मृत्यु हो गयी थी। अतएव अभियोजन किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे कोई भी आरोप सिद्ध करने में सर्वथा विफल रहा है। अतः सभी अभियुक्तगण सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

33. अभियुक्तगण नदीम उर्फ फखरूद्दीन, सिद्दीक शाह, श्रीमती हदीसुन्निशा एवं कुमारी अमीना शाह को धारा 498–ए,304–बी भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

34. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार

संचित हो।

दिनांकः 20.02.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं.1,
मऊ।

35. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 20.02.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं.1,
मऊ।

न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 334 सन् 2006

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. सुनील यादव पुत्र रामऔतार यादव
साकिन- नखतपुर, थाना- मरदह,
जनपद- गाजीपुर।
मुकदमा अपराध सं0 707/2006
अंतर्गत धारा 148,307,324/149,
325/149,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अधिनियम
थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।
2. अरूण कुमार पुत्र तुरन्ती नाई
3. ढुल्लू यादव पुत्र शिवमूरत यादव
4. अंगद यादव पुत्र शिवमूरत यादव
5. उदयभान पुत्र राजेन्द्र सिंह
6. पप्पू यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव
समस्त साकिनान- नखतपुर, थाना- मरदह,
जनपद- गाजीपुर।
मुकदमा अपराध सं0 707/2006
अंतर्गत धारा 147,307/149,323/149,
324/149,325/149,504 भा0दं0वि0 व
3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति अधिनियम
थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्त सुनील यादव का विचारण धारा 148,307,324/149,325/149,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत तथा अभियुक्तगण अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान व पप्पू यादव का विचारण धारा 147,307/149,323/149,324/149,325/149,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत भी दण्डनीय अपराध के

आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा श्याम बिहारी, उसकी पत्नी मालती देवी, परिवार के सदस्यों लालसा, मंसा, रामअवध व जीरिया जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, की हत्या करने के आशय से लाठी डंडा तथा घातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव किये, बलवा किये, मालती देवी के ऊपर कट्टे से फायर किये जिससे वह घायल हो गयी, लाठी डंडा से मारपीटकर साधारण एवं गंभीर उपहति कारित किया व गाली गुप्ता देकर अपमानित किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 22.07.06 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता श्याम बिहारी ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *वह अनुसूचित जाति का चमार है। उसकी पांच लड़कियां सयानी व तीन लड़के हैं जिसमें से दो लड़कियों की शादी कर दिया है। तीन लड़कियां शादी के लिये बची हैं। ग्राम नखतपुर के सुनील यादव आदि जो उसके घर से 1/2 किमी. की दूरी पर दक्षिण पूरब दिशा में बसे हैं, उसके घर के अगल बगल आकर उसकी लड़कियों से बोलबाजी करते थे जिस पर उन लोगों को बराबर डाटता फटकारता था। उसी रंजिश को लेकर आज दिनांक 21.07.06 को रात करीब 11.00 बजे जब वह सपरिवार सो रहा था कि सुनील यादव अपने हाथ में कट्टा लेकर तथा अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान सिंह, रामऔतार सिंह व पप्पू यादव तथा एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात जिसे देखकर पहचान सकता हूं, सभी ग्राम नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं, एकाएक उसके घर पर आकर सुनील यादव अपने साथियों के साथ घर में घुस गया। उसने पूछा कि वे लोग कौन हैं। इस पर सुनील ने कट्टे से फायर कर दिया जिससे मालती के हाथ में गोली लगी जिससे दाहिने हाथ में काफी चोट आयी तथा शेष लोग हाथ में लिये हुये लाठियों से लड़की लालसा, मंसा व लड़का रामअवध व सास जिरिया देवी को मारने लगे। वे लोग जान बचाने का शोर करने लगे। वह मौका पाकर गांव के तरफ भाग गया, शोर मचाया जिससे गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंच गये और घटना को देखे। गांव के लोगों को देखते ही सुनील यादव अपने साथियों के साथ कट्टे से*

फायर करता हुआ तथा यह कहते हुये भागे कि चमारिया साला अब सुधर जायेगा। वह अपने लड़की, लड़का, औरत व सास को सदर अस्पताल मऊ में इलाज हेतु छोड़कर आया है। सूचना दे रहा है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि रपट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना सरायलखंसी में अभियुक्तगण सुनील यादव, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान सिंह, रामऔतार सिंह व पप्पू यादव के विरूद्ध अपराध सं0 707/06 अंतर्गत धारा 147,148,452,323,324,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी की लिखित तहरीर एवं नकल जी0डी0 प्राप्त किया। उसका उल्लेख केस डायरी में किया। घटनास्थल से खूल आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी का नमूना एकत्र किया तथा खोखा कारतूस बरामद किया तथा उसकी फर्द तैयार किया। चिक लेखक एवं वादी का बयान अंकित किया। मजरूबा लालसा एवं मालती देवी का बयान अंकित किया। घ टनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। समई साक्षियों का बयान अंकित किया। मजरूबा मालती देवी की इंजरी रिपोर्ट व एक्स रे रिपोर्ट तथा मजरूबा लालसा की इंजरी रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। गवाह रामअवध राम, रामध्यान, मंसा, जिरिया व हंसा का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया। वादी का मजीद बयान अंकित किया। शपथ पत्र का अवलोकन का उसका अंकन केस डायरी में किया। मजरूबा मालती का ईलाज करने वाले डाक्टर का बयान अंकित किया। घटना से भिज्ञ साक्षियों का बयान अंकित किया एवं विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण सुनील यादव, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान व पप्पू यादव के विरूद्ध धारा 147,148,307,323,324,325,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु विशेष न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय

को प्राप्त हुआ। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्त सुनील यादव के विरूद्ध धारा 148,307,324/149,325/149,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत तथा अभियुक्तगण अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान व पप्पू यादव के विरूद्ध धारा 147,307/149,323/149,324/149,325/149,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत पृथक–पृथक आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादी मुकदमा श्यामबिहारी, मालती देवी, लालसा देवी, डा0 अरूण कुमार राय, डा0 के0के0 राय, कां0मुहर्रिर जगमोहन राम, क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार पाण्डेय, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 7 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, चोटिल मालती देवी व लालसा की आघात आख्या, एक्स रे रिपोर्ट, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, घटनास्थल का नक्शा नजरी, फर्द कब्जा में लेने खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, फर्द कब्जा में लेने खोखा कारतूस 12 बोर, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क9 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताये हैं तथा वादी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया जाना बताये हैं। पुलिस प्रपत्रों के विषय में कोई जानकारी न होना बताये हैं तथा गलत विवेचना करके गलत आरोप पत्र प्रेषित करना बताये हैं। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6 एवं 7 द्वारा गलत व झूठा बयान देना बताये हैं तथा अपने विरूद्ध मुकदमा गंवई रंजिश एवं

प्रतिद्वन्दितावश चलाया जाना बताये हैं। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी राजू, रणधीर को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 2 परीक्षित कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का प्रथम साक्षी वादी मुकदमा श्यामबिहारी पी0डब्लू 1 है। उसने अपने बयान में बताया है कि घटना हुये आज से एक साल पांच माह हुआ, 11.00 बजे रात का समय था। उस समय मैं घर पर सोया था। मेरे साथ बगल में मेरा लड़का रामअवध सो रहा था। मेरे दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। मेरी पत्नी मालती मेरे छप्पर के बगल के छप्पर में सोयी थी। घर के अन्दर लालसा, मनसा, हंसा, जिरिया व रामध्यान सोये थे। 11.00 बजे रात को सुनील, अरूण, ढोलू, अंगद, उदयभान, पप्पू, रामऔतार यादव तथा एक दो लोग और जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया, मेरे दरवाजे पर आये। मुल्जिमान में से सुनील कट्टा लिये थे। ढोलू, पप्पू, अरूण, उदयभान, रामऔतार लाठी लिये थे उसमें तीन इंच की कटिया ठोकें थे। मैनें पूछा कौन है। इस पर मुझे और मेरे लड़के को लाठी से मारने लगे। एक दो आदमी को छोड़कर सभी मारने लगे। जब मारने लगे तब मेरी पत्नी जग गयी और मेरा लड़का रामअवध मौका पाकर घर के अन्दर घुसकर पश्चिम तरफ टाटी फाड़कर गांव में भागकर गया। मुझे मारने के बाद सभी मुल्जिमान लालसा, मनसा, जिरिया, रामध्यान को लाठी से मारने लगे। मुल्जिमान मारते समय मादरचोद बहनचोद की गाली देते हुये कह रहे थे कि इसी औरत (मालती देवी) के कारण हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के शोर पर गांव के राजू, रणधीर तथा और काफी लोग जुट गये। जब गांव के लोग जुटने लगे तब सुनील ने कट्टे से मेरी पत्नी मालती पर फायर कर दिया और अपने साथियों के साथ यह कहते हुये पूरब तरफ भाग गया कि अब चमारिया साले सुधर जायेंगे। मुल्जिमान के मारने से मालती, लालसा, रामअवध, रामध्यान, मनसा तथा मुझे चोट लगी थी। मुलिजमान के जाने के बाद हम लोग सदर

अस्पताल गये जहां मालती और लालसा का डाक्टरी मुआयना हुआ और ये लोग भरती हो गये। अन्य लोगों की चोटें हल्की थी इसलिये डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ। मैनें एक पशुपुरा के आदमी से बोलकर घटना की रिपोर्ट प्रदर्श क1 लिखवाया तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करके थाने में दिया था। सी0ओ0 साहब घटना के बावत मेरा बयान लिये थे तथा घटना देखे थे।

9. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि लाठी की कोचन से मुझे भी चोट लगी थी और लड़के को भी लगी थी। कोचन धस गये थे। मेरे लड़के को दसों कोचन लगा था। मेरे दोनों पैर में चोट आयी थी। सिर व शरीर के अन्य भाग पर चोट नहीं थी। मेरे शरीर में तीन जगह जहां कोचने से लगा था वहां थोड़ा खून बहा था। मैं अपनी चोट का डाक्टरी मुआयना नहीं कराया था। मेरे अलावा मेरे लड़के रामअधार व रामअवध को लाठी की चोट आयी थी। उनका डाक्टरी मुआयना नहीं कराया था। उन्हें केवल पैर में चोट आयी थी। मेरी सास की पीठ पर व पंखे पर चोट आयी थी। उनका भी डाक्टरी मुआयना मैनें गरीबी के कारण नहीं कराया। लालसा का डाक्टरी मुआयना मैनें कराया था। पत्रावली में लालसा का डाक्टरी मुआयना नहीं है............। मेरा घर चारो तरफ मिट्टी की दिवाल से घिरा है। बीच में आंगन है। दीवालों पर सही ओसारे छाये गये हैं। दीवाल की ऊंचाई कहीं 6 फिट है कहीं 5 फिट है.............। साक्षी ने टाइपशुदा कागज सं0 145/1 एवं 145/2 दिनांकित 02.09.06 को देखकर बताया कि वह शपथ पत्र उसने क्षेत्राधिकारी साहब को दिया था। साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मुझे एक ही आदमी ने मारा था। कुचने से कितनी बार मारा गिना नहीं था..........। शरीर से निकला खून मेरी लुंगी में लग गया था...........। मुझे अनगिनत चोट नहीं लगी थी, दो तीन चोट लगी थी। उससे ही खून बहा था। इसके अलावा कोई चोट नहीं लगी थी...........। ऊपर जिनके नाम मैं बताया हूं सब के हाथ में कोचना था........। मैनें सी0ओ0 साहब को यह बयान नहीं दिया था कि घबराहट में मैनें पप्पू यादव का नाम गलत लिखा दिया लेकिन पप्पू यादव मेरे मुल्जिम नहीं है। उनका नाम निकाल दिया गया है। ये उन्होनें कैसे लिख दिया मैं नहीं बता सकता..........। सभी मुल्जिमान कच्छा व बनियान में थे। मुंह नहीं बांधे थे। पहले मुल्जिमान मुझे नहीं मारे। मुझे हाथ से मारे हैं। ढ़ुल्लू व सुनील ने हाथ से मारा

है......। हम लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। गांव के लोग घटना के बाद आ गये तो मुल्जिमान भाग गये..........। मैं अपने गांव के चारो तरफ स्थित गांव को जानता हूं। यह गांव नखतपुर, उस्मानपुर, पिपरी, सेहरापुर, मछनी है। नखतपुर को छोड़कर हम सभी मऊ जनपद में हैं............। लड़की अपनी मां को बतायी थी कि मनमोहन, रघुवीर और अच्छेलाल छेड़खानी करते थे। अरूण कुमार ने मेरी लड़की लालसा को छेड़ा था। लालसा ने अपनी मां को यह बात बतायी थी। वह बराबर मेरी लड़कियों को छेड़ता था। एस0पी0 गाजीपुर को दरखास्त दिया था..........। मेरा दिमाग गुस्सा से भर गया। मेरे दिमाग में आया कि सब को सबक सिखाना पड़ेगा और सोचा कि कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह काबू में नहीं आयेंगे। इस समय छेड़खानी नहीं कर रहा है काबू में आ गया है............। जहां मैं दरवाजे पर सोया था उस दरवाजे से बदमाश नहीं घुसे थे। एक आदमी पीपल टप कर घुसा था। मेरी लड़की बतायी कि एक आदमी पीपल फांदकर घर में घुसा है। लड़की मेरे घर में नहीं बतायी थी। यह बतायी थी कि घर में घुसा है। जब वह बतायी तो हम लोग जग गये और हमने शोर मचाया कि एक आदमी मेरे घर में घुस गया है। मैं गांव में दौड़कर गुहार लगाया। जो आदमी मेरे घर में घुसा था वह मेरी लड़कियों को व मेरी औरत को मारा और मारकर हम लोगों को घायल कर दिया। वह मुझको गांव में जाने से पहले मारा। वह मुंह बांधे था। मैं रामअवतार सिंह को नहीं जानता। रामऔतार यादव को जानता हूं। जब मैं गांववालों के साथ घर लौटकर आया तो मुल्जिमान गोली मारकर भाग गये। हम लोग घायल थे पीछा नहीं किये।

10. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के प्रतिपरीक्षण की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर उसे झूठा एवं अविश्वसनीय साक्षी इस आधार पर बताया है कि यद्यपि वह यह बताता है कि अभियुक्तों ने उसे कोचने से मारा था तथा उसे चोट लगी थी, खून निकला था एवं उसकी लुंगी पर खून लग गया था परन्तु उसने अपना चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया। इसी प्रकार वह अपने पुत्र रामअवध एवं रामध्यान को भी चोट लगना बताया है परन्तु उनका भी चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया है। साक्षी का कहीं यह कथन है कि सभी अभियुक्तगण घर में घुस गये तथा कहीं यह कथन है कि सभी कोचना लेकर बाहर खड़े थे। साक्षी ने कहीं यह बताया है कि अभियुक्तगण

दरवाजे से नहीं घुसे थे बल्कि पीपल के पेड़ पर चढ़कर उसके घर में कूद गये थे जिसे उसकी लड़की ने देखकर बताया। साक्षी कभी यह कहता है कि अभियुक्तों ने उसे घर में मारा था परन्तु कहीं यह कहता है कि घर में घुसे हुये व्यक्ति को देखकर वह बाहर भाग गया तथा गुहार लगायी जिससे गांव वाले इकट्ठा हो गये तब अभियुक्तगण भाग गये। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षी के बयान का समर्थन उसकी अपनी ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथन से नहीं होता।

11. बचाव पक्ष के तर्कों के प्रकाश में साक्षी के बयान पर विचार किया गया तो यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने न्यायालय में वही बता बतायी है जो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करायी है। यद्यपि यह सत्य है कि साक्षी ने न्यायालय में शब्द-ब-शब्द उन्हीं शब्दों में घटना का वर्णन नहीं किया है जिन शब्दों मे उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी है परन्तु घटना का सार एक ही है। वास्तव में साक्षी अत्यन्त कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अतएव वह घटना का क्रमबद्ध एवं साहित्यिक वर्णन करने में असमर्थ प्रतीत होता है। कतिपय प्रश्नों का उत्तर उसने प्रतिपरीक्षण में पूछे गये नाना प्रकार के प्रश्नों से भ्रमित होकर दिया है जिससे यह प्रतीत नहीं होता कि न्यायालय में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित घटना से सर्वथा भिन्न किसी घटना का उल्लेख किया हो। विदित हो कि सिखाये, पढ़ाये तथा रटाये हुये साक्षी तो घटना का एक ही जैसा वर्णन अनेक स्थानों पर कर सकते हैं परन्तु स्वाभाविक साक्षी भिन्न-भिन्न अवसरों पर घटना का वर्णन करते समय घटनाक्रम आगे पीछे बता सकते हैं तथा उनकी वर्णन शैली भी कालांतर में भिन्न हो सकती है। वास्तव में न्यायालय को साक्षी के दो स्थानों पर दिये गये बयानों के शाब्दिक समर्थन की अपेक्षा नहीं करना है बल्कि उनके भाव तथा सार का समर्थन होता है अथवा नहीं यह विचार करना है। अतः इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि साक्षी अनपढ़ गवार साक्षी है। प्रतिपरीक्षण में यदा कदा उसने भ्रमित उत्तर भी दिया है परन्तु वास्तव में न्यायालय में जो घटना उसने बतायी है उसका भाव एवं सार वही है जो उसने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया है। अतएव साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का समर्थन उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है। यह अवश्य है कि उसने प्रथम सूचना

रिपोर्ट में रामऔतार एवं अभियुक्त पप्पू के नाम का उल्लेख किया है जबकि साक्षी ने स्वीकार किया है रामऔतार की घटना से पहले मृत्यु हो चुकी थी तथा पप्पू के विषय में उसने शपथ पत्र कागज सं0 145/1 व 145/2 इस आशय का विवेचक के समक्ष प्रस्तुत किया था कि वह घटना में सम्मिलित नहीं था। उपरोक्त परिस्थितियों में इस साक्षी के साक्ष्य का समर्थन अन्य साक्षियों से भी होना आवश्यक है।

12. अभियोजन की दूसरी साक्षी स्वयं चोटिल मालती देवी पी0डब्लू 2 है। उसने बयान दिया है कि मैं मुल्जिमान सुनील, अरूण, ढुल्लू यादव, अंगद, उदयभान, पप्पू व रामअवतार यादव को जानती हूं। इन सातों के अलावा एक और आदमी था जिसको मैं पहचान नहीं सकी। घटना के पहले सुनील व अरूण आदि सभी मुल्जिमान मेरे घर के पास आकर मेरी लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। इस बात को मैं अपने पति से कही तो मेरे पति जाकर डांटे और उनके परिवारवालों से शिकायत किये। इस कारण से अभियुक्तगण हम लोगों से नाराज थे। सुनील का घर मेरे घर से दक्षिण-पूरब थोड़ी दूर पर है। घटना हुये करीब तीन साल हुआ। रात्रि ग्यारह बजे का समय था। मैं खा पीकर घर के दरवाजे के बगल के मड़ई में सोयी थी। मेरे साथ मेरी मां जिरिया, मेरा लड़का रामध्यान सोया था। मेरे पति तथा मेरा लड़का रामअवध मेन दरवाजे पर सोये थे तथा मेरी लड़कियां लालसा, मनसा व हंसा घर के अंदर सोयी थी। रात्रि ग्यारह बजे सभी मुल्जिमान डंडा लेकर आये जिसमें काटी ठोका था। सुनील कट्टा लिये थे। रामऔतार ललकार रहे थे। मुल्जिमान आकर मेरे पति को मारने लगे। शोर पर मैं पहुंची। मेरे साथ मेरी मां व लड़का रामध्यान भी आये तो मुल्जिमान हम लोगों को मारने लगे। शोर पर मेरी लड़कियां दरवाजा खोलकर बाहर आयी तो मुल्जिमान उन्हें भी मारने लगे। जब मैं छुड़ाने गयी तो सुनील ने कहा कि चमारिया साली बचाने आयी है और मुझे गोली मार दिये जो मेरे दाहिने हाथ में लगी। अन्य मुल्जिमान मुझे कांटी लगे डंडे से मारे। मेरे पति मौका पाकर गांव में जाकर शोर किये। गांव के लोगों के आने का शोर सुनकर सुनील अपने साथियों के साथ यह कहकर भाग गया कि अब चमारिया साला सुधर जायेगा। मेरे दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। मुल्जिमान टार्च लिये थे। मुल्जिमान के मारने से मुझे, मेरे पति श्यामबिहारी, लड़कियां लालसा, हंसा, मंसा व रामअवध व मेरी मां जिरिया को चोट आयी थी। हम लोग

रात्रि में ही सदर अस्पताल गये। वहां इलाज करने के बाद बनारस के लिये रेफर कर दिये लेकिन बनारस जाने लायक ताकत नहीं थी तो सिटी हड्डी अस्पताल में भर्ती हो गये। सरकारी अस्पताल घोसी में मेरे हाथ का एक्स रे भी हुआ था। सी0ओ0 साहब मेरा बयान लिये थे।

13. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटना के दिन नौ बजे तक खाना खाकर सो गये थे। मेरे पति व लड़का रामअवध घर के बाहर दरवाजे पर सोये थे। दरवाजे पर मड़ई है। मैं मड़ई में सोयी थी व लड़कियां घर के अन्दर सोयी थी। मेरे मकान में छोटी सी चारदीवारी है जिसे फांदकर कोई अंदर जा सकता है..........। चोर-चोर की आवाज सुनाई दी। मेरे पति शोर करके बाहर निकले। जब मैं शोर पर मड़ई के बाहर निकली तब गोली नहीं लगी जब मैं घर में घुसी तब गोली लगी.........। कुछ लोग बाउंड्री फांदकर भाग गये। मैं गोली लगने से आंगन में बैठ गयी। बेहोश नहीं हुई, किसी मुल्जिम को नहीं पकड़ी। जब मैं आंगन में पहुंची तो बदमाश घर के अंदर भी थे और बाहर भी थे। बदमाश मुंह नहीं बांधे थे। लड़कियों का गहना नहीं छीना, बक्सा लेकर नहीं भागे। गांववाले पकड़ने की आवाज दिये यही शोर सुनकर मुल्जिमान भाग गये। मेरे पति आंगन से होकर मड़ई की टाटी फाड़कर बाहर भागे थे और उन्हीं के पीछे बदमाश भागे थे........। गांववाले गाड़ी किये और अस्पताल ले गये। मेरे पति भी साथ में गये थे। मुझे भर्ती कराकर मुकदमा लिखाने चले गये..........। बदमाश मेन दरवाजे से घर के अन्दर नहीं घुसे। हो हल्ला सुनकर लालसा दरवाजा खोली तो बदमाश घर में घुसे आदि-आदि।

14. साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं बताया है जिससे उसका मुख्य परीक्षण अविश्वसनीय प्रतीत हो बल्कि प्रतिपरीक्षण में भी उसने पूछे गये विभिन्न प्रश्नों का सहज उत्तर दिया है जो स्वाभाविक प्रतीत होता है तथा उसके बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। पी0डब्लू 2 भी मौके की प्रत्यक्ष साक्षी है तथा घटना की मुख्य आहत महिला है। साक्षी के बयान से पी0डब्लू 1 के बयान को संतोषजनक रूप से समर्थन मिलता है।

15. अभियोजन की तीसरी साक्षी लालसा देवी पी0डब्लू 3 है। उसने बयान दिया है कि घटना हुये आज से चार साल से अधिक हुआ। ग्यारह बजे रात्रि का समय था।

उस समय मैं, मंसा, हंसा व निशा थी। मेरा बड़ा भाई रामअवध व श्यामबिहारी मेन दरवाजे के सामने सोये थे। मेरी मां मालती, नानी जिरिया व भाई रामध्यान एक मड़ई में सोये थे। दरवाजे पर लालटेन जल रहा था। मैं अपने भाई रामअवध व पिता श्याम बिहारी का शोर सुनकर वहां गयी तो देखी कि सुनील, ढुल्लू, अंगद, उदयभान, पप्पू, अरूण, रामऔतार मेरे पिता श्यामबिहारी व भाई रामअवध को मार पीट रहे थे। मैं, मेरी मां व नानी आये तो हमें भी मारे पीटे। मुल्जिमान लौर से मार रहे थे जिसमें कटिया लगा था और कह रहे थे कि लूट लो मारो साले को, मां बहन की गालियां दे रहे थे, चमार की गाली दे रहे थे। मारने पर मैं दरवाजा खोली तो मेरा भाई टाटी फाड़कर भाग गया। मुल्जिमान मुझे घर के अंदर घुसकर मारे थे। मेरा भाई रामअवध घर के आंगन से होकर टाटी फाड़कर पश्चिम की तरफ भागा। गांववालों के आने तक मुल्जिम सुनील कट्टे से मेरी मां को गोली मारकर भाग गया और कहा कि चमार साला आज सुधर जायेगा। घटना के पहले सुनील, अंगद, ढोलू, उदयभान, रामऔतार तथा एक आदमी और था जो रोज रोज आते थे और हम लोगों पर बोली आवाज करते थे। मेरे पिता श्यामबिहारी इस बात पर मुल्जिमान को डाटे फटकारे थे। इसी रंजिश को लेकर ये लोग मारे। मेरी मां, भाई तथा मुझे भी चोट आयी थी। मेरा डाक्टरी मुआयना अस्पताल में हुआ था। सी0ओ0 साहब मुझसे पूछताछ किये थे।

16. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि हम तीन बहने घटना के समय घर पर थीं। मेरी शादी घटना के समय हो गयी थी..........। मेरी भाभी हम लोगों को हमेशा डाट्ती रहती थी कि तुम लोग आवारागर्दी मत करो। हम लोगों का घर गांव से बाहर एकांत में है...........। नखतपुर के जवान लड़के हम लोगों के घर के पास मंडराते थे। हम लोगों की किसी से दोस्ती नहीं थी। शारदा से दोस्ती थी या नहीं मैं नहीं जानती............। सुनील से मेरी दोस्ती नहीं थी। सुनील मुझको जानता था क्योंकि रोज वह आता था तथा बाजार जाता था............। सुनील से कभी मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरी बहन से भी कभी बात नहीं हुई। उसका घर आधा किलोमीटर दूर है। उसने मुझसे छेड़खानी नहीं किया था बोलबाजी नहीं किया था। रामऔतार सिंह मर चुके हैं। मुझे ध्यान नहीं है कि रामऔतार कहां मरे। रामऔतार सिंह मेरे गांव के बगल के थे.............। मेरे घर जब डकैती पड़ी थी उसमें रामऔतार सिंह नहीं थे.........। पप्पू

बल्लम चाकू नहीं लिये थे। पप्पू व सभी ललकार रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे। पप्पू घटना में थे। उनको मैं सही बताया था। पप्पू मेरे कमरे में नहीं पहुंचे थे। आंगन में मैनें पप्पू को देखा था और लोग मकान के बाहर थे। जब मैं गोली की आवाज सुनी तो उससे मैं डरी नहीं थी। फायर मैं नहीं जानती गोली जानती हूं.........। मेरा भाई पश्चिम भागा। दरवाजा बन्द था। जब मैं खोली तब वह बाहर भागा। मेरा भाई आंगन खोलते हुये टट्टी फांदकर भागा था आदि-आदि।

17. इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि उसने मुख्य परीक्षण में झूठा बयान दिया हो बल्कि प्रतिपरीक्षण में उसने पूछे गये प्रश्नों के अनुसार घटना का जो वर्णन किया है वह स्वाभाविक प्रतीत होता है जिससे साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। साक्षी के बयान का संतोषजनक रूप से समर्थन पी0डब्लू 1 एवं 2 के बयानों से भी होता है।

18. अभियोजन ने घायल मालती देवी व लालसा देवी का चिकित्सीय परीक्षण तथा एक्स रे कराया जाना बताया है तथा इस संबंध में मालती देवी व लालसा देवी का ईलाज करने वाले डा0 अरूण कुमार राय एवं डा0 के0के0 राय को बतौर पी0डब्लू 4 एवं 5 परीक्षित किया गया है। पी0डब्लू 4 डा0 अरूण कुमार राय ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 22.07.06 को समय 02.15 बजे मालती देवी के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना मैनें किया था। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थीः-

1. लेसरेटेड वुन्ड 9X7 सेमी. हड्डी तक गहरा राइट साइड से ऊपर एक्स्ट्रीमिटी पर जो कि राइट के वाइटल फोसा के 2 सेमी. ऊपर से शुरू होकर उसके मध्य बिन्दु से 5 सेमी. नीचे तक था। इस घाव के चारो तरफ ब्लैकनिंग व टैटूईंग मौजूद थी। घ ाव की मार्जिन नीचे की ओर था और मसल कटा फटा था। खून बहने का निशान उपस्थित था।

2. लेसरेटेड वुन्ड 3X1 सेमी. हड्डी तक गहरा दाहिने हाथ के पीछे के तरफ इसके चारो तरफ ब्लैकनिंग थी। खून बहने का निशान उपस्थित था।

3. लेसरेटेड वुन्ड 1X.5 सेमी. मांस तक गहरा ऊपर के ओठ पर दाहिने तरफ बीच में है। खून का निशान उपस्थित था।

4. लेसरेटेड वुन्ड 4X0.3 सेमी. स्किनडीप नाक के जड़ में खून बहने का निशान उपस्थित था।

5. मल्टीपल लेसरेटेड वुन्ड 0.3X0.3 सेमी. दाहिने आर्म के भीतर की तरफ घ ाव के चारो तरफ ब्लैकनिंग थी।

6. मल्टीपल 0.3X0.3 सेमी. जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती जिसकी संख्या 14 थी। दाहिने फोर आर्म के भीतर के तरफ।

7. लेसरेटेड वुन्ड 1.5X1 सेमी. हड्डी तक गहरा रिंग फिंगर के टिप पर एक्स रे राइट आर्म एपी एण्ड लेटरल एक्स रे राइट फोर आर्म राइट एल्बो ज्वाईंट के साथ एपीएण्ड लेटरल। एक्स रे दाहिने हाथ एवं इंडेक्स फिंगर।

चोट नं0 1,2,5,6 आग्नेयास्त्र द्वारा फायर करके पहुंचायी गयी है। चोट नं0 3,4,7 सख्त कुन्दाल द्वारा पहुंचायी गयी है। चोट नं0 1,2,5,6,7 को मैनें निगरानी में रखा था। एक्स रे की सलाह दी गयी थी। चोट नं0 3,4 साधारण थी। सभी चोटें मुआयनें के समय ताजी थी।

उसी दिन समय 02.35 बजे मैनें ही श्रीमती लालसा के शरीर का भी चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीः-

1. फटा हुआ 1.5X1 सेमी. हड्डी तक गहरा दाहिने पैर पर इन्टीरीयल आसपेक्ट दाहिने घुटने से 10 सेमी. नीचे।

दाहिने पैर के एक्स रे की सलाह दी गयी। खून बहने का निशान उपस्थित। चोट नं0 1 कुन्दाल से आना संभव है जिसे निगरानी में रखा गया तथा मुअयाने के समय चोट ताजी थी। दोनों ही चुटैलों की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क2 एवं प्रदर्श क3 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मालती देवी की चोट नं0 1,2,5,6 दिनांक 21.07.06 की रात्रि 11.00 बजे आग्नेयास्त्र से फायर कर पहुंचायी गयी हो सकती हैं तथा चोट नं0 3,4 व 7 तथा लालसा देवी की चोट नं0 1 सख्त कुन्दाल मसलन लाठी डंडा से दिनांक 21.07.06 की रात्रि 11.00 बजे आना संभव है।

19. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि डाक्टरी मुआयना की मूल प्रति मेरे समक्ष न्यायालय में नहीं है। दाखिल प्रमाणित प्रति मेरे द्वारा प्रमाणित नहीं है। मूल मेडिकल रजिस्टर मेरे सामने नहीं है। मालती देवी की चोट एक बार फायर करने से

नहीं आ सकती। कई बार फायर किया जाये तो आयेगा। मालती की चोट नान वाईटल पार्ट पर है। लालसा की चोट हार्ड आब्जेक्ट पर गिरने से आ सकती है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि मालती के शरीर पर बरवख्त मुआयना सात चोटें विद्यमान थी जिनमें चोट नं0 1,2,5,6 अग्नेयशस्त्र से पहुंचायी गयी चोट थी तथा शेष चोटें सख्त आला द्वारा पहुंचायी गयी थी तथा लालसा के शरीर पर विद्यमान चोटें सख्त आला से पहुंचायी गयी थी। साक्षियों ने अपने-अपने बयानों में अभियुक्तों द्वारा लाठी डंडे से मार किया जाना बताया है तथा सुनील द्वारा मालती पर फायर किया जाना भी बताया है। अतएव मालती एवं लालसा के शरीर पर विद्यमान चोटों के दृष्टिगत साक्षियों के साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है। मालती तथा लालसा के शरीर पर आयी चोटें स्वतः कारित चोटें नहीं हैं, अतः निश्चय ही उसे अन्य व्यक्तियों ने ही पहुंचाया है और साक्ष्यों के दृष्टिगत यही निष्कर्ष निकलता है कि उक्त चोटें उन्हें अभियुक्तों द्वारा ही पहुंचायी गयी हैं।

20. मजरूबा मालती देवी का एक्स रे करने वाले डा0 के0के0 राय को बतौर पी0डब्लू 5 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 25.07.06 को उन्होनें श्रीमती मालती देवी के दाहिने हाथ, दाहिने अग्रबाहु एवं केहुनी के जोड़ तथा दाहिने हाथ का एक्स रे अपने निर्देशन में कराया था। उक्त मजरूबा को डा0 ए0के0 राय द्वारा एक्स रे हेतु भेजा गया था। एक्स रे प्लेट के अनुसारः-

1. राइट आर्म में बहुत सारे अलग-अलग आकार प्रकार के धातु के घनत्व के रोडियो ओपेक सैडो दाहिने बांह के निचले व निचले हिस्से में देखे गये। राइट ह्यूमेरस बोन के निचले हिस्से में टूटन पाया गया था।

2. राइट फोर आर्म एल्बो के साथ में उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग आकर प्रकार के धातु के घनत्व के रेडियो ओपेक सैडो पाये गये। दाहिने केहुनी व अग्रबाहु के ऊपरी हिस्से में पाये गये। दाहिना रेडियस व अलना बोन के ऊपरी हिस्से में टूटन पायी गयी।

3. राइट हैन्ड के रिंग फिंगर के डिस्टल फेलेग्स में टूटन पायी गयी।

उक्त एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श क4 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था तथा एक्स रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श 1 ता 3 डाला गया। मजरूबा के उक्त समस्त

फ्रेक्चर उसकी इंजरी रिपोर्ट की चोट सं0 1,2,5,6 एवं 7 से मेल खाते हैं।

21. यद्यपि साक्षी से प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण से प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने झूठा बयान दिया हो। अतएव इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि बरवख्त एक्स रे मालती देवी के दाहिनी भुजा की ह्यूमरस हड्डी टूटी थी, दाहिना रेडियस व अलना बोन का ऊपरी हिस्सा टूटा था तथा रिंग फिंगर टूटी थी तथा धातु की गोलियों से घाव कारित किये गये थे जिससे पी0डब्लू 1,2,3 एवं 4 के बयानों को इस आशय का समर्थन मिलता है कि मालती देवी को आग्नेयशस्त्र से चोटें पहुंचायी गयी थी।

22. अभियोजन का अगला साक्षी कां0मुहर्रिर जगमोहन राम पी0डब्लू 6 है जिसने बताया है कि दिनांक 22.07.06 को मैं बतौर कां0मोहर्रिर थाना सरायलखंसी में तैनात था। उस दिन वादी श्यामबिहारी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क1 के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 707/06, अंतर्गत धारा 147,148,452,323,324,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क4 अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था। इस मुकदमें की कायमी का तस्कीरा कां0मुहर्रिर प्रद्युम्न कुमार ने अपने लेख व हस्ताक्षर में समय 03.10 बजे तैयार किया था जो प्रदर्श क5 है। कां0मुहर्रिर प्रद्युम्न कुमार मेरे साथ रहे हैं। उनको लिखते पढ़ते मैनें देखा है तथा उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं।

23. इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि घटना की कायमी दिनांक 22.07.06 को 03.10 बजे सुबह ही हो गयी थी जबकि घटना दिनांक 21.07.06 समय 11.00 बजे की बतायी गयी है अर्थात घटना के तीन घण्टे के पश्चात ही घ टनास्थल से सात किलोमीटर दूरी पर स्थित थाने में मामला पंजीकृत करा दिया गया था। मामले के अविलम्ब पंजीयन से घटना झूठी होने की संभावना नहीं रहती तथा इससे अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

24. अभियोजन द्वारा प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार पाण्डेय द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 7 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 23.07.06 को मुकदमा अपराध सं0 707/06 धारा 147,148,452,323,324,504 भा0दं0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया था। फर्द की नकल केस डायरी में अंकित किया। वादी मुकदमा, मजरूबा लालसा देवी का बयान अंकित किया। वादी मुकदमा व गवाहों की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क6 तैयार कराया। नक्शा नजरी बलेहाज मौका सही है इसमें खसरा दर्ज है। घटनास्थल पर मेरे निर्देशन में उपनिरीक्षक द्वारा खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी तथा खोखा कारतूस 12 बोर की फर्द प्रदर्श क7 तथा प्रदर्श क8 तैयार किया गया। समई साक्षी भोदू राम का बयान अंकित किया गया। वादी से मजरूबा मालती देवी व लालसा देवी की इंजरी रिपोर्ट व एक्स रे रिपोर्ट व एक्स रे प्लेट प्राप्त कर अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। मजरूबा श्रीमती मालती देवी तथा गवाहान रामअवध राम, रामध्यान, कु0 मंसा, श्रीमती जिरिया, श्रीमती हंसा का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण सुनील यादव, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव व उदयभान का बयान अंकित किया। दिनांक 26.07.06 को अभियोग में धारा 304,325 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी किया (केस डायरी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वास्तव में धारा 307 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी किया गया है, अतः यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने ‘‘307’’ ही बोला होगा परन्तु सुनने की गलती के कारण रीडर द्वारा ‘‘304’’ लिख गया)। वादी द्वारा शपथ पत्र दिया गया जिसके अवलोकन पश्चात वादी का मजीद बयान अंकित किया गया जिसके आधार पर अभियुक्त पप्पू को घटना में शामिल होना नहीं पाया गया। दौरान विवेचना यह पता चला कि रामऔतार की मृत्यु घटना के पहले ही हो चुकी थी तथा विवेचना पूरी कर अभियुक्तगण सुनील यादव, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान व पप्पू यादव के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क9 प्रेषित किया। माल खोखा कारतूस, खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी सील हालत में न्यायालय में मौजूद है। खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 4, कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 5, खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श 6 व 7, डिब्बियों पर वस्तु प्रदर्श 8 व 9, कपड़ों पर वस्तु प्रदर्श 10 व 11 डाला गया। दौरान विवेचना अभियुक्त पप्पू यादव तथा डा0 ए0के0 राय का बयान अंकित किया गया था। दौरान विवेचना वादी द्वारा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र दिया गया था जिसका

अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया गया था।

25. यद्यपि इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने मामले की विवेचना न किया हो तथा आरोप पत्र न प्रेषित किया हो।

26. अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में बचाव साक्षी राजू, रणधीर को बतौर डी0डब्लू 1 ता डी0डब्लू 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। डी0डब्लू 1 राजू ने बयान दिया है कि मैं श्यामबिहारी को जानता हूं। आज से करीब साढ़े छः–सात साल पहले ग्यारह सवा ग्यारह बजे उनके घर पर डकैतों ने धावा बोला था। श्यामबिहारी का लड़का रामअवध किसी तरह भागकर शोर मचाया। मैं टार्च व लाठी लेकर श्यामबिहारी के घर की तरफ दौड़ा। रणधीर तथा गांव के तमाम लोग मौके पर दौड़ते हुये आ रहे थे। दरवाजे पर खड़े बदमाशों ने ललकारते हुये कहा कि आगे बढ़े तो जान से मार दिया जायेगा। हम लोग बीस पच्चीस मीटर की दूरी पर खड़े हो गये। टार्च की रोशनी में बदमाश साफ दिखायी दे रहे थे। औरतें घर में चिल्ला रही थी और गांव वाले शोर मचा रहे थे। लूटपाट करने के बाद हम लोगों के पहुंचने के दस मिनट बाद सभी बदमाश मुख्य दरवाजे से निकलकर फायरिंग करते हुये चले गये। उन बदमाशों को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा व पहचाना था। सामने आने पर पहचान सकते हैं। साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिमान अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान सिंह, पप्पू यादव, सुनील को देखकर बताया कि ये लोग मौके पर मारपीट करने में नहीं थे और न ही इन्हें वहां देखा था। श्यामबिहारी को बदमाश एक कमरे में बन्द कर दिये थे जिन्हें हम लोगों ने दरवाजा खोलकर निकाला था।

27. डी0डब्लू 2 रणधीर ने बयान दिया है कि मैं श्यामबिहारी को जानता हूं। वो मेरे गांव के हैं। आज से करीब पौने सात साल पहले रात के ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे श्यामबिहारी के घर डकैतों ने धावा बोला था। श्यामबिहारी का लड़का रामअवध शोर मचाया तब मैं लाठी व टार्च लेकर श्यामबिहारी के घर की तरफ दौड़ा। राजू व गांव के तमाम लोग मौके पर दौड़कर आये। बदमाशों को ललकारने पर बदमाश बोले कि आगे बढ़े तो जान से मार दिया जायेगा। हम लोग बीस पच्चीस मीटर की दूरी पर खड़े

होकर टार्च जलाये तो बदमाश दिखायी दे रहे थे। उनको हम लोग शक्ल से पहचाने। सामने आने पर पहचान लेंगे। घर में औरतें चिल्ला रही थी। डकैत लूटपाट करने के बाद फायर करते हुये निकल गये। हाजिर अदालत मुल्जिमान सुनील यादव, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव, उदयभान सिंह, पप्पू यादव को देखकर साक्षी ने बताया कि ये लोग मौके पर लूटपाट में नहीं थे और न घटना कारित किये थे। इन लोगों को मैं नहीं देखा था। श्यामबिहारी को मुल्जिमान एक कमरे में बन्द कर दिये थे।

28. डी0डब्लू 1 एवं 2, दोनों के ही बयानों से इतना तो सिद्ध हो गया कि बचाव पक्ष को स्वीकार है कि घटना वाले दिन वादी श्यामबिहारी के घर डकैत अर्थात कुछ संख्या में असामाजिक तत्व एकत्र थे तथा वे ललकार भी रहे थे कि यदि आगे बढ़ोगे तो जान से मार दिया जायेगा। बचाव पक्ष के साक्ष्यों द्वारा उन तत्वों को डकैत बताया गया है तथा यह बताया गया है कि वे लूटपाट करने के पश्चात फायर करते हुये निकल गये अर्थात बचाव साक्षी से ही यह भी सिद्ध हो गया कि उक्त तत्वों ने घ टनास्थल पर फायर भी किया था। जहां तक उनके लूटपाट करने का प्रश्न है तो वादी ने अपने घर में अभियुक्तों द्वारा लूटपाट करना नहीं बताया है न ही लूटपाट करने का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया है और न ही किसी साक्षी ने लूटपाट करना बताया है बल्कि पी0डब्लू 2 ने तो अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट बताया है कि बदमाशों ने लड़कियों का गहना नहीं छीना, बक्सा लेकर नहीं भागे। अतः इन साक्ष्यों से यह तो स्पष्ट है कि श्यामबिहारी के घर पर कतिपय असामाजिक तत्व अवश्य एकत्र थे। उनमें से किसी ने फायर भी किया था परन्तु निश्चय ही उन्होनें लूटपाट नहीं किया था अर्थात वे डकैत नहीं थे। दोनों साक्षीगण ने अदालत में उपस्थित अभियुक्तगण को देखकर बताया कि वे मौके पर मारपीट करने वालों में तथा लूटपाट करने वालों में नहीं थे और न ही घटना कारित किये परन्तु दोनों ही साक्षीगण का उक्त बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। चूंकि दोनों ही साक्षी को अभियुक्त सुनील द्वारा ही अपने प्रयास से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव यह नितांत स्वाभाविक है कि वे दोनों साक्षी किसी अभियुक्त को घटनास्थल पर होना नहीं बतायेंगे, परन्तु जैसा कि ऊपर के प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है कि घटना रात्रि में 11.00 बजे की बतायी

गयी है तथा उसके मात्र चार घण्टे के पश्चात अर्थात 03.10 बजे ही नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है अर्थात वादी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व सलाह मशविरा करने का या अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से फंसाने के उद्देश्य से विचार करने अथवा मनन करने का समय नहीं था। त्वरित नामजद रिपोर्ट इस तथ्य को इंगित करती है कि वादी ने अभियुक्तों की नामजदगी सही किया था। यद्यपि यह सत्य है कि वादी ने रामऔतार एवं पप्पू को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना में सम्मिलित होना बताया है परन्तु पी0डब्लू 3 लालसा ने अपने बयान में रामऔतार को घटना से पूर्व मृतक बताया है तथा विवेचक ने भी दौरान विवेचना यह पाया है कि रामऔतार की घटना से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है तथा पप्पू यादव के विषय में वादी श्यामबिहारी ने स्वयं इस आशय का शपथ पत्र विवेचक के समक्ष प्रस्तुत किया है कि घटना में वह सम्मिलित नहीं था। अतएव रामऔतार एवं पप्पू का नामांकन प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा साक्षियों द्वारा न्यायालय में घटनास्थल पर उपस्थिति के बावत बयान संदिग्ध प्रतीत होता है। रामऔतार के विरूद्ध तो आरोप पत्र ही नहीं आया है परन्तु पप्पू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु श्यामबिहारी के उक्त शपथ पत्र के दृष्टिगत घटना में उसकी संलिप्तता गंभीर रूप से संदेहास्पद है जिसका उसे लाभ दिया जाना उचित होगा।

29. बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि साक्षियों ने लगभग आठ व्यक्तियों द्वारा वादी, उसकी पत्नी, उसकी सास, उसकी तीन पुत्रियों एवं दो पुत्रों को लाठी डंडे एवं कोचने से मारे जाने का कथन किया है परन्तु चिकित्सीय परीक्षण केवल मालती एवं लालसा का कराया गया है। मालती के शरीर पर यद्यपि अग्नेयशस्त्र की तथा कुन्द हथियार की चोट विद्यमान है तथा लालसा के पैर में केवल एक ही चोट पायी गयी है। अन्य किसी का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं को चोटिल नहीं बताया है परन्तु बयान में स्वयं को चोटिल होना बताता है जबकि उसका भी चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है। अतएव उक्त परिस्थितियों में घटना झूठी प्रतीत होती है परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि सम्भव है कि परिवार के अन्य सदस्यों को यद्यपि मारापीटा गया होगा परन्तु उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट न होने के कारण उनका चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया

गया हो। यद्यपि यह सत्य है कि पी0डब्लू 1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं को भी घ ायल होने का उल्लेख नहीं किया है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना से संबंधित प्रत्येक तथ्य का उल्लेख अवश्य हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल घटना की रिपोर्ट होती है। वह घटना की इनसाइक्लोपीडिया नहीं होती। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है बचाव पक्ष ने वादी के घर पर स्वयं अनेक व्यक्तियों को डकैतों के रूप में उपस्थित देखना स्वीकार किया है जो कि वास्तव में डकैत सिद्ध नहीं होते तथा वादी द्वारा उन्हें अभियुक्तगण बताया गया है। अतएव वादी उन्हें अकारण ही क्यों इस घटना में आलिप्त करेगा जबकि उसके अनुसार उनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा उसकी लड़कियों को छेड़ा जाता था जिस पर उसने उन्हें डांटा था। अतएव उन अभियुक्तों को वादी के ऊपर चढ़ाई करने का हेतुक भी विद्यमान था।

30. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया है तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों को झूठा एवं उनका बयान गलत होना बताया है तथा अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा लिखाया जाना बताया है परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि प्रत्येक साक्षी के बयान की समीक्षा किया गया तथा सत्यतता की कसौटी पर कसने पर यह प्रतीत नहीं होता कि उन्होनें मात्र किसी रंजिश के वशीभूत होकर झूठा बयान दिया हो बल्कि इसके विपरीत उनके बयान एक दूसरे से समर्थित हैं तथा सत्य प्रतीत होने के कारण भरोसेमन्द हैं। अतएव अभियोजन साक्षियों के विषय में अभियुक्तों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

31. अतएव उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध होता है कि दिनांक 21.07.06 को अभियुक्तगण सुनील कुमार, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव व उदयभान तथा एक या दो अन्य व्यक्तियों ने जिनकी पहचान स्थापित नहीं हो सकी है, ने वादी तथा उसके परिवार के सदस्यों को जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य थे, जानबूझकर तथा सआशय अपमानित करने, मारने पीटने एवं अग्नेयशस्त्र से हमला कर उनकी अथवा उनमें से किसी की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया तथा घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध मजमा कायम किया, बलवा किया तथा अपने सामान्य आशय को क्रियान्वित तथा अग्रसारित करते

हुये उन्हें जातिसूचक ''चमारिया'' जैसे शब्दों से गवाहों की श्रवण गोचरता में संबोधित कर अपमानित किया एवं ''साले'' जैसे शब्द का प्रयोग करके भी उन्हें अमानित एवं प्रकोपित किया तथा लाठी डंडे एवं हाथ से मारकर साधारण उपहति भी कारित किया एवं अभियुक्तगण में से सुनील ने अभियुक्तगण के सामान्य आशय को अग्रसारित करते हुये मालती पर कट्टे से फायर कर मालती की हत्या करने का प्रयत्न किया जिसकी गोली लगने से मालती देवी के दाहिनी भुजा में चोट लगी एवं ह्यूमरस हड्डी, दाहिना रेडियस व अलना बोन तथा रिंग फिंगर की हड्डी भी टूट गयी परन्तु वह देवयोग से बच गयी। अतएव अभियुक्तगण सुनील यादव, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव व उदयभान को धारा 147,148,307/34,323/34,325/34,504 भा0द0वि0 एवं 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा अभियुक्त पप्पू यादव को संदेह का लाभ देते हुये सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

32. दोषीगण न्यायालय में उपस्थित हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

33. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 18.07.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2, मऊ।

<u>दिनांक 19.07.2018</u>
<u>पुनश्च</u>

34. दोषीगण सुनील यादव, अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव व उदयभान मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान एस0पी0ओ0 उपस्थित।

35. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

36. दोषीगण का कथन है कि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। उन पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। विगत एक दशक से भी अधिक समय से मामला विचाराधीन है जिसमें वे नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे विचारण की त्रासदी पर्याप्त मात्रा में पहले ही झेल चुके हैं जो किसी प्रकार से दण्ड से कम नहीं है। अतएव उन्हें किसी कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान एस0पी0ओ0 द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उन्होनें एक अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के साथ गंभीर अपराध किया है। अतएव उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

37. दोषीगण को धारा 147,148,307/34,323/34,325/34,504 भा0द0वि0 व 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 147 भा0द0वि0 2 वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 148 भा0द0वि0 3 वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 307 भा0द0वि0 10 वर्ष तक के कारावास तथा अर्थदण्ड अथवा दोनों परन्तु यदि हत्या के प्रयत्न में उपहति भी कारित किया गया है तब आजीवन कारावास तक के दण्ड से, धारा 323 भा0द0वि0 1 वर्ष तक के कारावास अथवा 1000 रूपये तक के अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 325 भा0द0वि0 7 वर्ष तक के कारावास तथा अर्थदण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 2 वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों तथा धारा 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 5 वर्ष तक के कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

38. दोषीगण द्वारा अनुसूचित जाति के सम्मानित सदस्यों को अकारण ही बिना उनके द्वारा किसी प्रकार के प्रकोपन के न केवल उन्हें जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर उनका अपमान किया है बल्कि उन पर हमलावर हुये हैं, उनके रिहायसी आवास पर बलवा किया गया है तथा उन्हें मारपीटकर उपहति भी कारित किया है एवं मालती देवी पर उसकी हत्या करने के आशय से अग्नेयशस्त्र से फायर किया गया है जिससे उसकी अस्थियां भंग हुई हैं एवं उसे गंभीर उपहति भी कारित हुई है। दोषीगण का उक्त कृत्य दुस्साहसिक है जिससे शांत समाज की आत्मा भी उद्वलित एवं आक्रोशित हुई है। विधायिका द्वारा अधिनियम पारित कर यह प्रयास किया जा रहा है कि समाज में जातिगत भेदभाव यथाशीघ्र समाप्त हो तथा समाज के सभी सदस्यों को समानता का अवसर मिले एवं सभी सदस्यों को एक प्रकार का सम्मान मिले, परन्तु विधायिका की इस आशा के ठीक प्रतिकूल अभियुक्तगण ने एक मजमा नाजायज कायम करके बलवा करते हुये उक्त अपराध कारित किया है जिसके लिये प्रत्येक दोषी को एक ऐसा दण्ड अवश्य मिलना चाहिये जिससे न केवल उनको एक पाठ मिल सके बल्कि उस जैसी विचारधारा रखने वाले समाज के अन्य असामाजिक तत्वों को भी एक संदेश मिल सके कि यदि वे विधायिका के उद्देश्यों तथा आशाओं के प्रतिकूल आचरण करेंगे तो उसके लिये उसे अवश्य दण्डित होना होगा जिससे उनके मन में विधि का भय व्याप्त रहे एवं विधि अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तथ्यों से स्पष्ट है कि यद्यपि समस्त दोषीगण ने एक सामान्य आशय बनाकर वादी के घर पर हमला करके उक्त समस्त अपराध किये हैं परन्तु अग्नेयशस्त्र का प्रयोग केवल दोषी सुनील यादव द्वारा किया गया है जो निश्चय ही उक्त समूह के सामान्य आशय का अग्रसारण एवं क्रियान्वयन नहीं था। उपरोक्त परिस्थितियों में सभी दोषीगण को न केवल एक उचित अवधि के कारावास के दण्ड से बल्कि ऐसे अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा जिसमें से एक पर्याप्त मात्रा आहत को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी जा सके।

आदेश

39. दोषीगण में से सुनील यादव को धारा 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 5 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड

से एवं दोषीगण अरूण कुमार, ढुल्लू यादव, अंगद यादव व उदयभान प्रत्येक को 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 2 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से तथा समस्त दोषीगण को धारा 147 भा0द0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से, धारा 148 भा0द0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 2 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से, धारा 323/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से, धारा 325/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से, धारा 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से व धारा 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

40. प्रत्येक दोषी से प्रत्येक धाराओं के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि आहत मालती देवी तथा लालसा को बराबर-बराबर मात्रा में क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जायेगी जो उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

41. प्रत्येक दोषी पर प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ-साथ चलेगा तथा दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी

अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

42. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक-पृथक दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

43. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

44. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 19.07.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2, मऊ।

45. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 19.07.2018

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2, मऊ।

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 223 सन् 2011

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. श्यामदेव हरिजन पुत्र खन्ती
2. चन्दन पुत्र श्यामदेव
साकिनान- सरयाँ, थाना- दोहरीघाट,
जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 953/2011
अंतर्गत धारा 304/34,323/34,325/34,
504,506 भा0द0वि0,
थाना- दोहरीघाट, जनपद- मऊ।

<u>निर्णय</u>

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित इस आपराधिक मामले में अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन का विचारण धारा 304/34,323/34,325/34,504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा किशुन हरिजन के भाई गौरी की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया जिसे अग्रसारित एवं क्रियान्वित करते हुये गौरी को लाठी, डंडे से मारपीटकर साधारण एवं गंभीर उपहति कारित करके उसकी हत्या कर दिये तथा वादी को गाली गुप्ता देकर अपमानित किये एवं उसे जान से मारने की धमकी भी दिये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 11.07.11 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता किशुन ने थानाध्यक्ष, दोहरीघाट, मऊ के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *आज दिनांक 11.07.11 को सुबह करीब 05.30 बजे उसके बड़े भाई गौरी खेत देखने गये थे। खेत का मेड़ उसके चाचा श्यामदेव व चन्दन फावड़े से काट रहे थे। उसके भाई ने मना किया तो उसके चाचा श्यामदेव व चन्दन उसके भाई गौरी को लाठी डंडे से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिये तथा दाहिना पैर तोड़ दिये। शोर सुनकर वह तथा गनेश जो उसके गांव के हैं व अन्य*

तमाम लोग मौके पर पहुंचे, घटना देखे व जान बचाये। दोनों मुल्जिमान गाली गुप्ता व जान मारने की धमकी देते हुये चले गये। गौरी बेहोश थे। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना दोहरीघाट में अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 953/11 अंतर्गत धारा 308,323,325,504,506 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक एवं नकल रपट प्राप्त किया एवं उसका इन्द्राज केस डायरी में किया। वादी किशुन का बयान अंकित किया। चुटैल गौरी की इंजरी रिपोर्ट का अवलोकन कर उनका इंन्द्राज केस डायरी में किया। चिक लेखक कां0 घूरा प्रसाद का बयान अंकित किया। मृतक का पंचायतनामा प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया तथा पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन को गिरफ्तार किया गया तथा उनका बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। घटना से भिज्ञ अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया। चश्मदीद व समई साक्षीगण का बयान अंकित किया। डा0 ए0के0 मिश्र व डा0 फैजान का बयान अंकित किया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन के विरूद्ध धारा 304,308,323,325,504,506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का प्रसंज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन के विरूद्ध धारा 304/34,323/34,325/34,504,506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी वादी मुकदमा किशुन, डा0 फैजान, डा0 ए0के0 मिश्रा, कां0मोहर्रिर घूरा प्रसाद, उपनिरीक्षक उदय प्रताप पाण्डेय, गनेश, श्रवण कुमार, रामबचन, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 8, क्रमश : का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, मृतक/चुटैल गौरी की इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, पंचायतनामा, चालान लाश, फोटो लाश, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, पत्र प्रतिसार निरीक्षक, घटनास्थल का नक्शा नजरी, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क13 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान एस0पी0ओ0 द्वारा समस्त मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि उन्होनें अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्तगण को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना बताये हैं। अपने विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत होना बताये हैं। डाक्टरी रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विषय में जानकारी न होना बताये हैं तथा गलत आरोप पत्र प्रस्तुत करना बताये हैं। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6,7 व 8 के बयानों को गलत एवं जानकारी न होना बताये हैं तथा अपने विरूद्ध पट्‌टीदारी की रंजिशवश मुकदमा चलाया जाना बताये हैं तथा कथन किये हैं कि पट्‌टीदारी की रंजिश के कारण उन्हें फंसा दिया गया है। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं वादी मुकदमा किशुन पी0डब्लू 1 है जिसने अपने बयान में बताया है कि घटना दिनांक 11.07.11 की सुबह 05.30 बजे

की है। मृतक गौरीशंकर मेरे बड़े भाई लगते हैं। वह सुबह अपना खेत देखने के लिये गये थे तो देखे कि मुल्जिमान श्यामदेव व चन्दन फावड़े से मेड़ छांट रहे थे। मेरे भाई ने मना किया तो गाली गुप्ता देते हुये अपने हाथ में लिये लाठी डंडे से मेरे भाई को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिये तथा मारकर दाहिना पैर तोड़ दिये। शोर पर मैं व गनेश घटनास्थल पर पहुंचे तो मुल्जिमान मेरे भाई को मारना छोड़कर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। चोट लगने से मेरे भाई मौके पर बेहोश हो गये थे। मैं गांववालों के सहयोग से अपने भाई को थाने ले गया फिर थाने से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोहरीघाट ले गया। वहां डाक्टरों ने दवा इलाज के बाद स्थिति गंभीर होने पर जिला अस्पताल मऊ के लिये संदर्भित कर दिया जहां दवा इलाज के दौरान मेरे भाई की मृत्यु हो गयी। मुल्जिमान के मारने से मेरे भाई के सिर, दाहिना पैर तथा ठुड्डी तथा शरीर के अन्य भागों पर चोटें आयी थी और इन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। मैनें घटना की तहरीर प्रदर्श क1 स्वयं लिखकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था। मैनें दरोगा जी को घटनास्थल दिखाया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

9. विदित हो कि इसी साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क1 देकर घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी गयी थी, अतः निश्चय ही उसकी तहरीर प्रदर्श क1 तथा उस पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट उसका पूर्व वक्तव्य है जिसका उपयोग साक्षी की विश्वसनीयता को परखने के आशय से उसके न्यायालय में दिये गये बयान के समर्थन अथवा खण्डन हेतु किया जा सकता है। साक्षी के प्रदर्श क1 तहरीर में किये गये कथनों का उल्लेख प्रस्तर सं0 3 में किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि साक्षी ने न्यायालय में तात्विक रूप से वही कथन किया है जो उसने अपनी तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया है। अतः साक्षी के उक्त पूर्व वक्तव्य से साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का समर्थन होने के कारण साक्षी के बयान में विश्वसनीयता तथा भरोसा उत्पन्न होता है।

10. बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या साक्षी के प्रतिपरीक्षण से उसकी विश्वसनीयता भंग होती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटना के समय वह अपने घर

पर था.............। खेत जिसमें गौरीशंकर घायल होकर गिरे थे वह सड़क के पूरब तरफ है। सड़क मेरे गांव तक ही जाती है..........। गांव घटनास्थल से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मैं व गनेश तथा शंकर व गांव के कुछ और लोग घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर गये थे। मौके पर दूसरे गांव के लोगों की भीड़ लगी थी..............। मौके से गौरीशंकर को मैं, गनेश व शंकर उठाकर आटो से दोहरीघाट ले गये। थाने पर सुबह 6 बजे के लगभग पहुंच गये थे। दरोगा जी से भेंट हुई, बातचीत हुई। दरखास्त पहले से लिखकर ले गये थे। मैनें गौरीशंकर से घटना के बारे में बातचीत किया था। दरोगा जी ने भी पूछा था कि आपकी किन–किन लोगों से दुश्मनी है। मैनें श्यामदेव व चन्दन से दुश्मनी की बात बताया था। थाने से 8 बजे के बाद गौरीशंकर को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल पहुंचने में 10 मिनट लगा होगा। उसके बाद मऊ ले गये। मऊ पहुंचने में 10–11 बज गया होगा। मऊ में इलाज शुरू हो गया था। इलाज 10 मिनट चला होगा और 10 मिनट के अंदर ही मृत्यु हो गयी। मौके पर घटना वाले दिन ही 6 बजे सुबह दरोगा जी से भेंट हुई थी। दरोगा जी ने खून आलूदा मिट्टी लिया था..............। थाने में गौरीशंकर की चोटों को भी देखा था............। गनेश अपने गांव से पहले मेरे घर आये उसके बाद मेरे साथ घटनास्थल गये थे। मेरे गांव से गनेश का गांव आधा किलोमीटर की दूरी पर है। गनेश मेरे घर 05.30 बजे पहुंच चुके थे। आते ही तुरंत हम लोग खेत पर चले गये जहां घटना घ टी थी।

11. बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि यह साक्षी वास्तव में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है क्योंकि साक्षी के बयान से ही प्रतीत होता है कि तथाकथित मारपीट के समय वह अपने घर पर था। वह तथा गनेश घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर गये थे तथा गनेश जो कि ठाकुर गांव का रहने वाला है, घटना की सूचना पाकर पहले साक्षी किशुन के घर आया उसके पश्चात किशुन के संग घटनास्थल पर पहुंचा, अतः न केवल किशुन बल्कि गनेश भी तथाकथित घटना घटित हो जाने के पश्चात पहुंचे। अतः उनके द्वारा घटना को अभियुक्तों द्वारा कारित किया जाना देखना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि साक्षी को यह ज्ञात ही नहीं था कि उसके भाई को किसने मारा। यही कारण है कि साक्षी ने बताया है कि

''मैनें गौरी से घटना के बारे में बातचीत किया था। दरोगा जी ने भी पूछा था कि आप की किन–किन लोगों से दुश्मनी है। मैनें श्यामदेव व चन्दन से दुश्मनी की बात बताया था।'' अतः इससे स्पष्ट है कि हमलावरों के बारे में जानकारी न होने के कारण साक्षी ने गनेश से चर्चा किया था तथा पुलिस द्वारा यह पूछने पर कि उससे गांव में किस–किस से रंजिश चल रही है, श्यामदेव व चन्दन का नाम बताया था अतः अभियुक्तों को केवल और केवल अनुमान के आधार पर आलिप्त कर दिया गया है परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि इसी साक्षी ने इन पंक्तियों से मात्र कुछ पंक्ति पूर्व यह स्पष्ट बताया है कि थाने पर सुबह 6 बजे के लगभग गौरीशंकर को लेकर पहुंच गये थे तथा दरखास्त पहले से ही लिखकर ले गये थे तथा स्पष्ट है कि उसकी **''दरखास्त''** प्रदर्श क1 में दोनों ही अभियुक्त नामित हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क4 से भी स्पष्ट है कि उसमें घटना घटित होने का समय 05.30 अंकित है तथा रिपोर्ट उसी दिन 06.45 पर हुई है। अतएव इससे बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है कि रंजिश के आधार पर सोच विचारकर एक अनुमान से अभियुक्तों को फंसाया गया हो बल्कि थाने पहुंचने से पहले ही वादी द्वारा अभियुक्तों को नामित किया गया तथा नामित अभियुक्तों के विरूद्ध ही तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी। अतएव साक्षी के प्रतिपरीक्षण से प्रतीत नहीं होता कि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में झूठा बयान दिया हो बल्कि प्रतिपरीक्षण में उसके प्रत्येक उत्तर स्वाभाविक प्रतीत होते हैं जो साक्षी के बयान को भरोसेमन्द बनाते हैं।

12. अभियोजन का दूसरा साक्षी गनेश पी0डब्लू 6 है जिसने अपने बयान में बताया है कि अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन को मैं जानता हूं। वे मेरे गांव के हैं। घटना दिनांक 11.07.11 समय 05.30 बजे सुबह की है। अभियुक्तगण, मृतक गौरी के खेत की मेड़ छांट रहे थे। गौरी ने मना किया तो मुल्जिमान लाठी, डंडे व फावड़े से गौरी को बुरी तरह से मारपीटकर घायल कर दिये। उसकी हालत गंभीर देखकर मैं व मृतक का भाई किशुन उसे दोहरीघाट ले गये फिर जिला अस्पताल लाये। जिला अस्पताल में उसी दिन उसकी मृत्यु हो गयी। दरोगा जी ने जिला अस्पताल जाकर मुझे पंचान नियुक्त कर शव का पंचायतनामा प्रदर्श क6 तैयार किया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर बनवाये थे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

13. बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से भी सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें साक्षी ने बताया है कि घटनास्थल से उठाकर ले जाते समय हमने गौरी से यह जानने की पूरी कोशिश की थी कि उन्हें कैसे चोट लगी। मेरे साथ ही घटनास्थल पर किशुन हरिजन भी गये थे। मौके पर जब मैं और किशुन पहुंचे (तब) गौरीशंकर पीठ के बल पड़े थे, खून जमीन पर गिरा हुआ था..........। समय 7 बजे के लगभग गौरी को लेकर हम लोग पहले थाने गये फिर साथ में सिपाही लेकर अस्पताल गये थे, 07.30 बजे अस्पताल में रहने के बाद हम व किशुन, गौरी को लेकर अस्पताल गये। गौरी की अस्पताल में मृत्यु हो गयी..............। किशुन से यहीं पर रिपोर्ट तैयार कराये। जिला अस्पताल में मैनें रिपोर्ट लिखा था। साक्षी ने तहरीर कागज सं0 5क प्रदर्श क1 देखकर बताया कि यही रिपोर्ट उसने लिखा था तथा थाने पर दिया था, आदि-आदि।

14. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के प्रतिपरीक्षण के इस बयान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है जहां उसने बताया है कि गौरी को घटनास्थल से उठाकर ले जाते समय हमने गौरी से यह जानने की पूरी कोशिश किया कि उन्हें चोट कैसे आयी तथा यह तर्क दिया है कि चूंकि साक्षी ने स्वयं घटना नहीं देखा था अतः वह गौरी से यह जानने की प्रयास कर रहा था कि उसे कैसे चोट आयी तथा यह सुस्थापित है कि यदि साक्षी किसी अन्य से यह जानने का प्रयास करता है कि अमुक घटना कैसे घटी तो निश्चय ही वह स्वयं घटना का साक्षी नहीं हो सकता परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि घटना देखने के बावजूद लोग अन्य व्यक्तियों से प्रायः यह जानने का प्रयास करते हैं कि घटना की भूमिका क्या है तथा अन्य तथ्य क्या हैं क्योंकि वह व्यक्ति घटना की सम्पूर्ण भूमिका तथा अन्य तथ्यों से अनभिज्ञ रहता है इसीलिये उन तथ्यों को जानने का वह प्रयास करता है। इससे कदापि यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसने घटनाचक्र के उस भाग को स्वयं नहीं देखा जो अपराध में अनुवादित हुई। साक्षी ने स्वयं घटना देखा था यह तथ्य उसके अपने ही उस साक्ष्य से सिद्ध होता है जहां उसने यह बताया है कि अस्पताल में ही किशुन ने उससे बोलकर रिपोर्ट लिखाया था तथा उक्त रिपोर्ट निःसंदेह नामित रिपोर्ट है अतः निश्चय ही इस लेखक ने स्वतः भी घटना कारित करते हुये अभियुक्तों को देखा है अन्यथा वह अवश्य किशुन से पूछता कि वह किस आधार पर अभियुक्तों को नामित

कर रहा है। इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से भी यह आभास नहीं होता कि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में झूठा कथन किया हो। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से पर्याप्त एवं संतोषजनक समर्थन पी0डब्लू 1 के साक्ष्य से होता है जिससे पी0डब्लू 1 का साक्ष्य में विश्वसनीयता तथा भरोसा उत्पन्न होता है एवं अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

15. अभियोजन का तीसरा साक्षी श्रवण कुमार पी0डब्लू 7 है जिसने अपने बयान में बताया है कि गौरी की मृत्यु की सूचना पाकर मैं जिला अस्पताल गया था। वहां पर दरोगा जी ने मेरे सामने शव का पंचायतनामा तैयार किया था तथा मुझसे मृत्यु का कारण भी पूछा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

16. अभियोजन का चौथा साक्षी रामबचन पी0डब्लू 8 है जिसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11.07.11 को अपने गांव के गौरी की मृत्यु की सूचना पाकर जिला अस्पताल गया था। वहां दरोगा जी ने पंचायतनामा मेरे सामने तैयार किया था तथा पंचायतनामे पर मेरा हस्ताक्षर भी करवाये थे। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

17. पी0डब्लू 7 एवं 8 के साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि गौरीशंकर के शव का पंचायतनामा उनके समक्ष ही तैयार किया गया था। पंचायतनामा प्रदर्श क6 पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर इन दोनों ही साक्षियों के हस्ताक्षर विद्यमान हैं जिनसे साक्षियों का बयान पुष्ट होता है तथा पंचायतनामे से सिद्ध होता है कि दिनांक 11.07.11 को ही गौरीशंकर के शव का पंचायतनामा किया गया था जो 14.00 से प्रारंभ होकर 15.30 बजे समाप्त हुआ। साक्षियों का बयान तथा पंचायतनामे से भी अभियोजन कथानक पुष्ट होता है।

18. अभियोजन कथनानुसार गौरीशंकर की मृत्यु घटनास्थल पर तुरंत ही नहीं हुई थी बल्कि उसके भाई किशुन एवं गनेश उसे लेकर थाने गये तथा वहां से दोहरीघाट अस्पताल एवं तत्पश्चात जिला अस्पताल मऊ लाये जहां उसका इलाज प्रारंभ हुआ था परन्तु 10 मिनट पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गयी। अस्पताल में उसकी चोटों की जांच भी हुई थी।

19. अभियोजन ने गौरीशंकर का मेडिकल तथा उसका इलाज करने वाले डा0

फैजान, मेडिकल आफीसर को बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है। पी0डब्लू 2 डा0 फैजान ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11.07.11 को समय 07.30 बजे सुबह उन्होनें घायल गौरी के शरीर पर आयी हुई चोटों का डाक्टरी मुआयना किया था। मजरूब के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयीः-

1. कटा हुआ घाव 4X.5 सेमी. मसलडीप ठुड्डी पर बांयें तरफ। घाव से खून बह रहा था।

2. कटा हुआ घाव 5X.5 सेमी. मसलडीप सिर पर बायें तरफ बायें कान से 10 सेमी. ऊपर। घाव से खून बह रहा था।

3. कटी हुई चोट 6X.5 सेमी. मसलडीप सिर पर दाहिनी तरफ दाहिनी भौंह से 15 सेमी. ऊपर। चोट से खून बह रहा था।

4. बायें हाथ में 10 सेमी. कोहनी से नीचे लाल रंग की सूजन जिसकी साइज 3.5X3.5 सेमी. थी।

5. दाहिने पैर के जांघ के निचले हिस्से में लाल रंग की सूजन जिसकी साइज 10X5 सेमी. थी। चोट के एक्स रे की सलाह दी गयी।

उपरोक्त सभी चोटें हार्ड एण्ड ब्लण्ट आब्जेक्ट से आ सकती हैं। चोट नं0 1 से 4 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट नं0 5 के एक्स रे की सलाह दी गयी। इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क2 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था।

20. इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क2 पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे साक्षी के साक्ष्य को समर्थन मिलता है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से भी प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें उसने बताया है कि चोटों का ड्यूरेशन मैं नहीं बता सकता परन्तु मृत्यु के लिये चोट नं0 1 व 2 ही जिम्मेदार है। अतएव इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व गौरीशंकर के शरीर पर 6 चोटें पायी गयी थी जिनमें खोपड़ी पर दाहिने तथा बायें दोनों ओर खोपड़ी की गहराई तक भी चोटें विद्यमान थी तथा अन्य चोटें ठुड्डी पर, केहुनियों पर तथा जांघ पर मौजूद थी परन्तु उक्त खोपड़ी पर विद्यमान चोटें घातक थी जो मृत्यु कारित कर सकती थी।

21. अभियोजन ने शव विच्छेदन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में शव विच्छेदन करने वाले डा0 ए0के0 मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शदाता को बतौर पी0डब्लू 3

परीक्षित किया है, जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11.07.11 को समय 16.30 बजे उन्होनें मृतक गौरी के शव का शव विच्छेदन किया था। मृतक की आयु लगभग 40 वर्ष थी तथा उसकी मृत्यु दिनांक 11.07.11 की समय 11.35 बजे हुई थी। मृतक सामान्य कद काठी का था। मुंह बंद था तथा दाहिने कान व दाहिने नाक में खून मौजूद था। मृत्यु के बाद अकड़न अभी अपीयर नहीं हुआ था, केवल पी0एम0 लिवलटी डिपेन्डेन्ट पार्ट पर मौजूद थी लेकिन फिक्स नहीं थी। शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें पायी गयी थीः–

1. फटा हुआ घाव 6X1 सेमी. खोपड़ी की गहराई तक दाहिने तरफ सिर पर तथा 14 सेमी. दाहिने कान से ऊपर।

2. फटा हुआ घाव 6.5X1 सेमी. खोपड़ी की गहराई तक बायें तरफ सिर पर 11 सेमी. बायें कान से ऊपर।

3. फटा हुआ घाव 4X.5 सेमी. मसल गहराई बायें तरफ ठुड्डी पर।

4. निलगू निशान 5X1.5 सेमी. बायें भुजा के पिछले तरफ बायें केहुनी से 1 सेमी. ऊपर।

5. खराशयुक्त निलगू निशान 5X1 सेमी. बायें अग्रबाहु के पीछे की तरफ तथा बायें केहुनी से 11 सेमी नीचे।

6. सूजनयुक्त निलगू निशान 11X3 सेमी. दाहिने थाई के पीछे तथा दाहिने इलियक क्रिस्ट के ठीक नीचे दाहिनी फीमर टूटी हुई।

आंतरिक परीक्षणः– सामने की तरफ फ्रन्टल बायें तरफ तथा पेराइटल दाहिने तरफ हड्डी टूटी हुई थी। एक्स्ट्राड्यूरल व सबड्यूरल मौजूद था। ब्रेन के अंदर हैमरेज मौजूद था। आमाशय के अंदर 100 सी.सी. लिक्विड कन्टेन्ट था तथा पेट की सतह नार्मल थी। छोटी व बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद था। मृतक की मृत्यु का कारण कोमा था जो मृत्यु पूर्व आयी सिर की चोट से हुआ था। यह घटना दिनांक 11.07.11 की हो सकती है तथा चोटें लाठी डंडे से आ सकती हैं। मजरूब के शरीर पर आयी चोटों से मजरूब की मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क3 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क3 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें शव पर उन्हीं चोटों का विद्यमान रहने का उल्लेख है तथा शव की आंतरिक स्थिति की वही

दशा अंकित है जो साक्षी ने न्यायालय में बताया है। अतएव पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साक्षी के बयान का समर्थन होता है और यह भली भांति सिद्ध होता है कि मृतक के शव पर लाठी डंडों से मारकर कम से कम 6 चोटें पहुंचायी गयी थी जिनमें खोपड़ी की सामने की बायें ओर तथा दाहिनी पैराइटल हड्डी टूट गयी थी एवं मस्तिष्क के अंदर भी हैमरेज हो गया था तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी सिर की चोटों से उत्पन्न कोमा था। अतएव चिकित्सीय परीक्षण से न केवल पी0डब्लू 1 एवं 6 के साक्ष्यों का समर्थन होता है बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि घटना वाले दिन ही गौरीशंकर के शरीर पर तथा विशेषकर खोपड़ी जैसे मर्मस्थल पर लाठी जैसे ठोस हथियार से मारपीटकर उतनी चोटें कारित की गयी थी जिनसे सामान्य परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु संभव है। अतः निश्चय ही वह चोटें गौरीशंकर की मृत्यु कारित करने के आशय से ही पहुंचायी गयी थी और निश्चय ही पी0डब्लू 1 एवं 6 के साक्ष्यों के दृष्टिगत वह चोटें अभियुक्तों द्वारा ही पहुंचायी गयी थी।

22. अभियोजन कथानक के अनुसार घटना की अविलम्ब लिखित रिपोर्ट किशुन के द्वारा थाने पर दी गयी थी जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीकृत किया गया था। किशुन की तहरीर प्रदर्श क1 जिसे किशुन द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। अभियोजन ने उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना थाने के कां0मोहर्रिर को बतौर साक्षी प्रस्तुत कर सिद्ध किया गया है।

23. अभियोजन का अगला साक्षी कां0मोहर्रिर घूरा प्रसाद पी0डब्लू 4 है जिसने बयान दिया है कि दिनांक 11.07.11 को मैं बतौर कां0मोहर्रिर थाना दोहरीघाट में तैनात था। उस दिन समय 06.45 बजे वादी किशुन की लिखित तहरीर के आधार पर चिक सं0 72/11, अपराध सं0 953/11, अंतर्गत धारा 308,323,325,504,506 भा0दं0वि0 विरूद्ध अभियुक्तगण श्यामदेव व चन्दन अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था तथा मुकदमें का इन्द्राज उसी दिन समय 06.45 बजे थाने की जी0डी0 में किया था जिसकी चिक प्रदर्श क4 तथा जी0डी0 कायमी की नकल प्रदर्श क5 है।

24. पत्रावली पर प्रदर्श क4 एवं प्रदर्श क5 उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है तथा साक्षी के साक्ष्यों एवं प्रदर्श क4 एवं प्रदर्श क5 से यह सिद्ध

होता है कि 05.30 बजे प्रातः की घटित घटना की तत्काल अभियुक्तगण को नामित करती हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट 06.45 बजे ही हो जाती है, अतः वादी के इस आचरण से घटना में छेड़छाड़ करना अथवा किसी निर्दोष को मिथ्या आलिप्त करने की सारी सम्भावना क्षीण हो जाती है बल्कि अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना तथा घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता को पुष्ट कर देती है। अतएव इन साक्ष्यों से भी अभियोजन कथानक सिद्ध होता है।

25. अभियोजन द्वारा प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक, उदय प्रताप पाण्डेय द्वारा करना बताया गया है तथा उन्हें बतौर पी0डब्लू 5 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11.07.11 को उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। दौरान विवेचना मैनें नकल चिक, नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया। वादी किशुन का बयान अंकित किया। मजरूब गौरी का बयान लेने का प्रयास किया गया लेकिन काफी आहत होने के कारण बयान नहीं दे सका। गौरी की इंजरी रिपोर्ट का उल्लेख केस डायरी में किया। चिक लेखक का बयान अंकित किया। गौरी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मुकदमें में धारा 304 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी किया तथा उसका उल्लेख केस डायरी में किया तथा जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक गौरी के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क6 तैयार किया। पोस्टमार्टम से संबंधित कागजात चालान नाश प्रदर्श क7, फोटो नाश प्रदर्श क8, पत्र सी0एम0ओ0 प्रदर्श क9, पत्र आर0आई0 प्रदर्श क10 तैयार कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। उसी दिन अभियुक्तगण को बुढ़ावल रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया। अभियुक्त श्यामदेव ने जुर्म से इंकार किया तथा अभियुक्त चन्दन ने जुर्म इकबाल किया। दिनांक 12.07.11 को वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क11 तैयार किया। समई साक्षीगण का बयान अंकित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने वाले डाकेट की रसीद का अवलोकन कर संबंधित कांस्टेबल का बयान अंकित किया। पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। पोस्टमार्टमकर्ता डाक्टर व मेडिकल करने वाले डाक्टर का बयान अंकित किया तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर आरोप पत्र प्रदर्श क12 न्यायालय प्रेषित किया। विधि

विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क13 है। रिपोर्ट में मानव रक्त पाया गया था। मृतक गौरी का कपड़ा मैनें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था जो एक सफेद कपड़े में सीलबन्द हालत में न्यायालय में पेश हुआ तथा जिसे न्यायालय के आदेश से खोला गया तो कपड़े के अंदर कागज के डिब्बे में एक सफेद कपड़े में सील मृतक का कपड़ा पाया गया जिसे खोला गया तो कपड़े के अन्दर मृतक का गमछा व अण्डरवियर पाया गया। कपड़े के अन्दर गमछे पर वस्तु प्रदर्श 1, अण्डरवियर पर वस्तु प्रदर्श 2, सफेद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 3, कागज के डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श 4 तथा ऊपर कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 5 डाला गया। पत्रावली पर पंचायतनामा प्रदर्श क6, चालान लाश प्रदर्श क7, फोटो लाश प्रदर्श क8, चिट्ठी सी.एम.ओ. एवं आर.आई क्रमशः प्रदर्श क9 एवं प्रदर्श क10, नक्शा नजरी प्रदर्श क11, आरोप पत्र प्रदर्श क12, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क13, न्यायालय में प्रस्तुत गमछा वस्तु प्रदर्श 1, अण्डरवियर वस्तु प्रदर्श 2, सफेद कपड़ा वस्तु प्रदर्श 3, कपड़े में लिपटा कागज का डिब्बा क्रमशः वस्तु प्रदर्श 4 एवं 5 उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है।

26. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि घटनास्थल पर खून आलूदा मिट्टी नहीं मिली थी। वह मुंगड़ी (लकड़ी का टुकड़ा) बरामद नहीं हुआ था जिससे मृतक को चोट आना बताया गया था। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि विवेचक के इस साक्ष्य से अभियोजन कथानक धाराशायी हो जाता है क्योंकि न तो उसे मौके पर खून मिला और न ही वह टूटी मेड़ जिससे घटना की उत्पत्ति हुई और न ही वह लकड़ी का टुकड़ा जिसे बतौर हथियार प्रयोग कर गौरीशंकर को चोट पहुंचायी गयी थी परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि उक्त कृत्य विवेचक की उदासीनता तथा लापरवाही एवं कर्त्तव्य विमुखता का द्योतक है जिससे यह अपेक्षा थी कि वह अधिक से अधिक साक्ष्य एकत्र करता परन्तु उसने उक्त साक्ष्य एकत्र करने में उदासीनता प्रकट किया है परन्तु फिर भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य समस्त साक्ष्यों जिनकी जांच सत्यतता की सभी कसौटियों पर की जा चुकी है, से घटना तथा अभियुक्तों द्वारा ही घ टना कारित किया जाना भली भांति सिद्ध है। अतएव विवेचक की इस लापरवाही का अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कदापि नहीं पड़ता।

27. पत्रावली पर विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित डाकेट कागज

सं0 21ख तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज सं0 41 प्रदर्श क13 उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध होता है कि विवेचक द्वारा एक पोटली में मृतक का कपड़ा– अण्डरवियर एवं गमछा जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया था तथा उन दोनों पर ही मानव रक्त के धब्बे पाये गये थे।

28. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक साक्ष्य के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने तथ्यों के साक्षियों के साक्ष्य को गलत होना, उन्हें रंजिशन फंसाया जाना तथा उनके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट करना तथा विवेचक द्वारा झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया जाना बताया है तथा उन्हें पटीदारी की रंजिश के कारण फंसाया जाना बताया है परन्तु अभियुक्तों की यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है क्योंकि यद्यपि यह सर्वविदित है कि पटीदारों से प्रायः रंजिश रहती है परन्तु यह विश्वास करने का आधार नहीं है कि वास्तविक हमलावरों जिनकी मारपीट से वादी के भाई की मृत्यु हो गयी है, को छोड़कर पटीदार को मात्र पटीदारी की रंजिश के कारण फंसा दिया जाये। भला वादी को वास्तविक हमलावरों से इतना प्रेम क्यों होगा। अतः अभियोजन ने समस्त साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि दिनांक 11.07.11 को अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन ने गौरीशंकर का वध करने का सामान्य आशय बनाया तथा लाठी, डंडे (मुंगरी) जैसे ठेस हथियार से सआशय मारपीट करके उसका वध कर दिया तथा गौरीशंकर को एवं पी0डब्लू 1 एवं 6 के पहुंचने पर उन्हें गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दिया जिससे वे अपमानित तथा अभित्रासित हुये। अतएव अभियुक्तगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन को धारा 304/34,323/34,325/34,504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

29. दोषीगण न्यायालय में उपस्थित हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को प्रस्तुत हो।

30. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 27.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

<u>दिनांक 28.09.2018</u>

<u>पुनश्च</u>

31. दोषीगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

32. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

33. दोषीगण का कथन है कि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं। दोषीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा आपस में पिता पुत्र हैं। दोषी श्यामदेव हरिजन एक वृद्ध व्यक्ति है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अभियुक्तों को पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। उन पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। अतएव उन्हें किसी कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उन्होनें लाठी डंडे से मारपीटकर एक व्यक्ति का वध कर दिया है। अतएव उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

34. दोषीगण को धारा 304/34,323/34,325/34,504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 304 भा0द0वि0 आजीवन कारावास के दण्ड से अथवा 10 वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से एवं अर्थदण्ड से, यदि वह कृत्य जिससे मृत्यु कारित हुई है मृत्यु कारित करने के आशय से अथवा ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से शारीरिक क्षति पहुंचायी गयी है जिससे मृत्यु सम्भाव्य हो, किया गया हो अथवा 10 वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से अथवा अर्थदण्ड से अथवा दोनों से यदि वह कृत्य जिससे मृत्यु कारित हुई है इस ज्ञान से किया गया हो अथवा इस ज्ञान से शारीरिक क्षति पहुंचायी गयी हो जिससे मृत्यु सम्भाव्य हो किया गया हो, धारा 323 भा0द0वि0 1 वर्ष तक के कारावास अथवा 1000 रूपये तक के अर्थदण्ड अथवा दोनों, धारा 325 भा0द0वि0 7 वर्ष तक के कारावास तथा अर्थदण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 2 वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों तथा धारा 506 भा0द0वि0 7 वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डनीय है।

35. यद्यपि यह सत्य है कि किसी भी दोषी का कोई आपराधिक भूमिका प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा यह उन पर पहला दोषसिद्ध अपराध है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में दोषियों द्वारा बिना किसी विशेष कारण के गौरीशंकर को अकेले पाकर लाठी जैसे ठेस हथियार से खोपड़ी जैसे मर्मस्थल पर अनेक प्रहार करके जिससे उसकी खोपड़ी की दोनों तरफ की हड्डियां टूट गयी, गंभीर उपहति कारित किया गया तथा उक्त उपहति कारित करने के पश्चात वे उसे लगातार मारते रहे जिससे उसके शरीर के अन्य अंगों पर भी विभिन्न चोटें आयी। अतएव निश्चय ही उन्होनें उक्त चोटें उसका वध करने के आशय से ही पहुंचायी थी। दोषीगण का उक्त कृत्य अशोभनीय एवं दुस्साहसिक है जो सम्भ्रान्तता, शालीनता, सौम्यता एवं सज्जनता से परे जाकर कारित कर दिया गया है जिससे न केवल पीड़ित का अस्थिभंग हुआ तथा कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु में परिणित हुई जिससे न केवल गौरीशंकर का जीवन समाप्त हुआ बल्कि शांत समाज की आत्मा भी उद्वलित एवं आक्रोशित हुई है जिसके लिये प्रत्येक दोषी को एक ऐसा दण्ड अवश्य मिलना चाहिये जिससे न केवल उनको एक पाठ मिल सके बल्कि उस जैसी विचारधारा रखने वाले समाज के अन्य असामाजिक तत्वों को भी एक संदेश मिल सके। उपरोक्त परिस्थितियों में दोषीगण को न केवल एक उचित अवधि के कारावास के दण्ड से बल्कि ऐसे अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा जिसमें से एक पर्याप्त मात्रा मृतक के विधिक वारिसों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी जा सके।

आदेश

36. दोषीगण श्यामदेव हरिजन व चन्दन प्रत्येक को धारा 304/323/325/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 50000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से, धारा 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से व धारा 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के

अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

37. प्रत्येक दोषी से प्रत्येक धाराओं के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक गौरीशंकर के विधिक वारिसों को बराबर-बराबर अंश बतौर क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जायेगी जिसका भुगतान उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

38. प्रत्येक दोषी पर प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ-साथ चलेगा तथा दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

39. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक-पृथक दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

40. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

41. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 28.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

42. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 28.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(POCSO Act), कोर्ट सं.1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 62 सन् 2016

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र तप्पी लाल गुप्ता
साकिन- वाजिदपुर, थाना- कोपागंज,
जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 876/2016
अंतर्गत धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,
थाना- कोपागंज, जनपद- मऊ।

<u>**निर्णय**</u>

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित इस आपराधिक मामले में इस विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता का विचारण धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्त ने सूचनाकर्ता संजय बर्नवाल के अवयस्क पुत्र पीड़ित जिसकी उम्र उस समय 10 वर्ष थी, के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग किया, प्रवेशन लैंगिक हमला किया, गाली गुप्ता देकर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दिया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 19.08.16 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता संजय बर्नवाल ने थानाध्यक्ष, कोपागंज, मऊ के समक्ष इस आशय का टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि *उसका लड़का पीड़ित जिसकी उम्र करीब 10 साल है, को उसके बगल में रहने वाला ज्योति मेडिकल हाल का मालिक राजेन्द्र गुप्ता (मद्धेशिया) लगभग 4-5 महीना पहले बहला फुसलाकर अपने गोदाम हुंसापुरा में ले गया तथा अश्लील फिल्मे दिखाया तथा पीड़ित के मन में डर व दहशत पैदा करके मारने की धमकी देकर पीड़ित के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। बाद में भी*

कई बार डरा धमकाकर गोदाम पर ले जाकर दुराचार किया तथा किसी को न बताने के लिये बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दिया जिसके कारण लड़का दहशत में रहने लगा तथा लड़के का मन पढ़ने एवं किसी काम में नहीं लगता था जिस कारण परिवार के सदस्य 4-5 महीने तक परेशान थे। उसके बाद बहुत प्यार से पूछने पर पीड़ित ने सारी सच्चाई बताया। जब उसने राजेन्द्र गुप्ता से पूछा तो वह गाली गुप्ता देते हुये गोली मारने की धमकी दिया एवं कहा कि मैं किसी से नहीं डरता उसे जो करना है कर ले। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि राजेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना कोपागंज में अभियुक्त राजेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध अपराध सं0 876/16, अंतर्गत धारा 377,504,506 भा0दं0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक व नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया। वादी संजय बर्नवाल, पीड़ित, चिक लेखक कां0मुहर्रिर भैरव प्रसाद वैश्य, पीड़ित की माता श्रीमती संगीता देवी, चाचा मनोज बर्नवाल का बयान अंकित किया। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट, पैथोलाजी रिपोर्ट प्राप्त कर उनका अंकन केस डायरी में किया। पीड़ित का बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। अभियुक्त का बयान अंकित किया। डा0 चन्द्रशेखर साहनी एवं समई साक्षियों का बयान अंकित किया। घटना से भिज्ञ अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध धारा 377,504,506 भा0दं0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामले को अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए इस विशेष न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध धारा 377,504,506 भा0दं0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में

लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन साक्षी सूचनाकर्ता संजय बर्नवाल, पीड़ित, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गुप्तेश्वर राय, डा0 सरिता, डा0 चन्द्रशेखर साहनी, पैरोकार रमाकान्त सिंह, लिपिक ईश्वरचन्द राय को बतौर पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 7 परीक्षित किया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, पीड़ित का धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान, पीड़ित की पैथोलाजी रिपोर्ट, घटनास्थल का नक्शा नजरी, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त, मेडिकल रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट, नकल जी0डी0, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्रमशः प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क7 को सिद्ध कराया है तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्त को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना, अपने विरूद्ध गलत अभियोग पंजीकृत कराया जाना तथा गलत विवेचना द्वारा आरोप पत्र प्रेषित करना बताया है। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6 एवं 7 के बयानों को गलत, झूठा एवं जानकारी न होना बताया है तथा कथन किया है कि वादी अपनी लड़की शालू की शादी के लिये दो लाख रूपया दिनांक 20.12.11 को कर्ज लिया था। जब उसने पैसा वापस मांगा तो विवाद कर पैसे न देने की बदनीयती से झूठा मुकदमा लिखा दिया। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं सूचनाकर्ता संजय बर्नवाल है जिसे

अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया है जिसने बयान दिया है कि घटना हुये आज से लगभग 8-9 माह हुआ। घटना के दिन मेरा लड़का पीड़ित कक्षा 6 में पढ़ रहा था जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 10 वर्ष रही होगी जिसकी जन्मतिथि 24.09.06 है जिसके अंकपत्र की फोटोप्रति पत्रावली में संलग्न है। घटना के दिनों दवा आदि लेने कभी कभी पीड़ित, अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के मेडिकल स्टोर पर आता जाता था। मेरा लड़का घर पर रहकर ही स्कूल जाता था। जब मेरा लड़का पीड़ित गुपचुप, गुमसुम रहने लगा और अन्य लोगों से बातचीत बंद कर दिया तो ऐसा लगने लगा कि वह कुछ दहशत में है, पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लग रहा था। उसके ऐसे आचरण को देखकर मैं काफी परेशान था। एक दिन मेरे कहने पर पीड़ित दवा लेने राजेन्द्र गुप्ता की दुकान पर गया तथा तुरंत लौटकर कहा कि दुकान पर राजेन्दरवा साला बैठा है मैं नहीं जाउंगा तब मैनें कहा कि तुम्हे अच्छे संस्कार दिये जा रहे हैं राजेन्द्र को गाली क्यों दे रहे हो वे तुमसे बड़े हैं तो उसने कहा कि पापा वह बहुत गंदा आदमी है उसे आप नहीं जानते। फिर मैनें दुबारा प्यार से पूछा तो पीड़ित ने रोते हुये बताया कि आज से करीब 4-5 महीना पहले राजेन्द्र गुप्ता मुझे बहला फुसलाकर अपने गोदाम हुंसापुरा पर ले गया था और वहां अश्लील फिल्म दिखाया था तथा डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और कहा कि यदि किसी से कहोगे तो जान से मार देंगे। राजेन्द्र गुप्ता ने 3-4 बार पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी होने पर राजेन्द्र गुप्ता से शिकायत किया तो उसने बहनचोद मादरचोद की गाली देते हुये जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि जो करना है कर लो मैं किसी से नहीं डरता। मैनें इस घटना के बावत प्रार्थना पत्र प्रदर्श क1 बोलकर, टाईप करवाकर, पढ़कर तथा अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस ने मेरे लड़के का डाक्टरी मुआयना कराया था। विवेचक ने घटना के बारे में मुझसे पूछताछ किया था।

9. विदित हो कि इसी साक्षी द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क1 प्रस्तुत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क7 दर्ज कराया गया है, जिसका उल्लेख पूर्व में ही किया जा चुका है। साक्षी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में सारवान एवं तात्विक रूप से वही कथन किया है जो उसने न्यायालय में बताया है। अतएव साक्षी के न्यायालय में दिये

गये बयान का समर्थन उसके पूर्व वक्तव्य से होता है जिससे साक्षी के बयान में विश्वसनीयता उत्पन्न होती है।

10. साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें उसने बताया है कि घटना अगस्त सन् 2016 से 4-5 माह पहले की है। पहली घटना का दिन व समय बच्चा नहीं बता पाया इसलिये मैं नहीं बता सकता। जहां घटना हुई थी उस स्थान पर मैं गया था। घटनास्थल की चौहद्दी मैं नहीं बता सकता............। घटनास्थल गोदाम के अंदर मैं तथा मेरा बेटा दरोगा जी के साथ नहीं गये थे बाहर ही से तस्दीक करके चले गये थे। गोदाम में क्या रखा जाता है मैं नहीं बता सकता.............। मेरे लड़के के साथ दुष्कर्म किस अवस्था में हुआ, खड़ा करके हुआ अथवा गिराकरके हुआ मैं नहीं बता सकता क्योंकि लड़के ने मुझे नहीं बताया था। दुष्कर्म के समय पीड़ित की चढ्ढी अभियुक्त के वीर्य से गंदी हो जाती थी। पहली बार जब दुष्कर्म हुआ उस समय खून नहीं निकला था हल्का हल्का दर्द बताया था। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि वह तथा रामलखन साहनी दोनों ने मिलकर अभियुक्त से धन उगाही की नीयत से उसके विरूद्ध ये झूठे मुकदमें कराये हैं तथा दोनों ही झूठी गवाही दे रहे हैं तथा अभियुक्त ने कोई अनैतिक कृत्य अथवा घटना नहीं किया तो साक्षी ने इन सुझावों से स्पष्ट इंकार किया।

11. साक्षी के प्रतिपरीक्षण से प्रतीत होता है कि उसका साक्ष्य स्वाभाविक साक्ष्य है। दुष्कर्म जैसा कृत्य निश्चय ही साक्षी की उपस्थिति में नहीं हुआ होगा। साक्षी को उसकी जानकारी केवल उसके अबोध बालक के बताये जाने पर हुई होगी। अतएव जो उसके पुत्र ने उसे बताया साक्षी ने वैसा ही बयान न्यायालय में दिया है। अतः साक्षी के प्रतिपरीक्षण से उसके मुख्य परीक्षण में दिया गया बयान अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

12. निःसंदेह घटना का प्रमुख साक्षी स्वयं पीड़ित है, जिसे अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है जिसने बयान दिया है कि आज से 8-9 माह पहले मेरे साथ बुरा काम हुआ था। मुल्जिम राजेन्द्र की मेडिकल दवाईयों की दुकान ज्योति मेडिकल हाल के नाम से है। घटना के दिन राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता मुझे बहला फुसलाकर गोदाम के पिछले दरवाजे से ले जाकर मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाता था तथा

मेरे साथ बुरा काम करता था (मेरे टट्टी वाले रास्ते में बुरा काम करता था) और बुरा काम करने के बाद धमकी देता था कि अगर किसी से बताओगे तो तुम्हे व तुम्हारे पिता को जान से मार देंगे। इसी तरह 3-4 बार मेरे साथ बुरा काम किया। पहली बार जब राजेन्द्र ने मेरे साथ बुरा काम किया था उस समय शाम के 4-5 बजे का समय रहा होगा तथा दूसरी बार भी शाम के 4-5 बजे बुरा काम किया था। यह पिछले वर्ष मार्च महीने में होली के बाद की घटना है। स्कूल आते जाते समय राजेन्द्र मुझे बुलाता था तो मैं डर के मारे घर में भाग जाता था तथा स्कूल से आने के बाद राजेन्द्र के भय से ज्यादातर अपने घर में ही रहता था। एक बार पिता जी मम्मी की दवा लाने के लिये राजेन्द्र की दुकान पर भेज रहे थे तौ मैनें कहा कि राजेन्दरवा साला बैठा है मैं नहीं जांउगा तब मेरे पिता जी कहे कि क्यों उसे गाली दे रहे हो तो मैनें डरते हुये घटना के बारे में सारी बात बताया था तब मेरे पिता जी ने थाने में दरखास्त दिया था। मेरे पिता जी पुलिस के साथ मेरा डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराये थे। पुलिस ने घटना के बारे में मेरा बयान लिया था तथा मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0, प्रदर्श क2 भी कराया था। मुझे 3-4 बार में 20, 50 व 100 रूपये राजेन्द्र ने दिया था। घटना के पहले मैं अक्सर दवा लेने राजेन्द्र गुप्ता की दुकान पर जाता था।

13. साक्षी का बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0, प्रदर्श क2 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें यह अंकित है कि ***"मैं छठवीं कक्षा में पढ़ता हूं। मैं राजेन्द्र गुप्ता को पहले से जानता हूं। मैं राजेन्द्र गुप्ता के मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाता था। यह घटना 3-4 महीने पहले की है। मुझे राजेन्द्र ने अपने गोदाम में बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाया था फिर मेरा अण्डरवियर उतारकर मेरे साथ बुरा काम किया मुझे धमकी दिया कि किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे। इस घटना के पूर्व भी मेरे साथ 3-4 बार बुरा काम कर चुका है। उस वक्त मैनें अपने घर इस घटना की जानकारी नहीं दी थी। इस घटना के बाद मुझे फिर बुलाया था। इसी डर के कारण मैनें घटना की जानकारी मम्मी पापा को दिया। उसने मुझे पहली बार 20 रूपये दिया था दूसरी बार 50 रूपये दिया तीसरी बार एक सौ रूपये दिया।"*** साक्षी के इस बयान से उसके न्यायालय में दिये गये बयान को समर्थन मिलता है। अतः साक्षी का बयान

भरोसेमन्द प्रतीत होता है, परन्तु इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। अतएव न्यायालय को उस पर विचार कर यह विचार करना है कि क्या साक्षी का बयान विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द है?

14. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मुल्जिम राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता का मेडिकल हाल मेरे घर के बगल में है। उनका मकान मेडिकल हाल से 3-4 सौ मीटर की दूरी पर है। मैं राजेन्द्र गुप्ता के घर पर कभी नहीं गया..........। राजेन्द्र गुप्ता के लड़के रवि दुकान पर रहते थे तथा दोनों दवा बेचने का कार्य करते थे। मैं अपनी मम्मी के लिये दवा लेने जाता था...........। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता जी किये हैं............। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बहन शालू मुझसे कितने वर्ष बड़ी है। साक्षी को जब बचाव पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उसके पिता ने उसकी बहन शालू की शादी के लिये दिसम्बर 2011 में अभियुक्त राजेन्द्र गुप्ता से दो लाख रूपया कर्ज लिया था तो साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया तथा इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसी कर्ज के मांगने पर उसके विरूद्ध उसने झूठा मुकदमा किया है।

15. प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों का स्वाभाविक उत्तर दिया है जिससे यह प्रतीत नहीं होता कि उसने मुख्य परीक्षण में झूठा बयान दिया हो। अतएव पी0डब्लू 2 एवं 1 के बयान एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं।

16. अभियोजन द्वारा पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना बताया गया है तथा उसके शरीर का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डा0 चन्द्रशेखर साहनी को बतौर पी0डब्लू 5 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 20.08.16 को समय 03.00 बजे दिन में उन्होनें मजरूब पीड़ित के शरीर का परीक्षण किया था। मजरूब होशो हवास में था। मैनें उसके जनरल कंडीशन का भी उल्लेख मेडिकल रिपोर्ट में किया था। उसके शरीर पर कोई वाह्य चोटें नहीं थी। मजरूब के गुदा द्वार पर कोई इंजरी नहीं पायी गयी थी। स्पर्म की जांच हेतु स्लाइड बनाकर जांच हेतु पैथोलाजिस्ट को भेजा था तथा नाखून की कतरन व बाल डी.एन.ए. टेस्ट हेतु लिया गया था। डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क4 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। दिनांक 29.09.16 को पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क5 अपने लेख व

हस्ताक्षर में तैयार किया था।

17. इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि साक्षी ने बालक का चिकित्सीय परीक्षण किया है परन्तु दौरान चिकित्सीय परीक्षण न तो उसके शरीर पर और न ही उसके गुदा पर कोई चोट पायी थी।

18. साक्षी डा0 सरिता पी0डब्लू 4 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 22.09.16 को मजरूब पीड़ित की पैथोलाजिकल रिपोर्ट प्रदर्श क3 मैनें अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। प्रदर्श क3 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें यह उल्लिखित है कि स्मीयर स्लाईड के श्राव में कोई शुक्राणु नहीं पाये गये थे। अतएव इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि बरवक्त मेडिकल रिपोर्ट बालक के गुदा स्थान पर कोई शुक्राणु मौजूद नहीं थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिकित्सीय परीक्षण कुकृत्य के तत्काल पश्चात नहीं किया गया है बल्कि काफी दिनों के बाद किया गया है। अतएव बालक के शरीर अथवा गुदा पर चोट अथवा शुक्राणुओं के विद्यमान न रहने से अभियोजन कथानक झूठा सिद्ध नहीं होता बल्कि स्वाभाविकता को इंगित करता है।

19. अभियोजन का अगला साक्षी ईश्वरचन्द, लिपिक, समसा चिल्ड्रेन प्राईमरी स्कूल पी0डब्लू 7 है जिसने अपने बयान में बताया है कि पीड़ित ने मेरे विद्यालय में कक्षा 1 में 2 जुलाई, 2011 में प्रवेश लिया था। उसके प्रवेश के समय उसके माता पिता आये थे और उनके बताने पर ही प्रवेश रजिस्टर में जन्मतिथि 24.06.09 अंकित की गयी जो मेरे प्रवेश रजिस्टर में आज भी प्रवेश रजिस्टर क्रमांक 248 पर अंकित है। पीड़ित मेरे विद्यालय से दिनांक 28.03.16 को कक्षा 5 पास कर चुका है। पीड़ित का जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श क6 मेरे लेख में है जिस पर मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर एवं मुहर है जिसके समर्थन में मैं प्रवेश रजिस्टर की छाया प्रति स्वप्रमाणित आज अदालत में प्रस्तुत कर रहा हूं।

20. इस साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि बालक ने समसा चिल्ड्रेन प्राईमरी स्कूल में सर्वप्रथम प्रवेश लिया था जहां उसके माता पिता के बताने के आधार पर उसकी जन्मतिथि 24.06.09 अंकित की गयी है अतः विद्यालय अभिलेख के अनुसार पीड़ित बालक की जन्मतिथि 24.06.09 है जिससे यह सिद्ध होता है कि घटना तिथि अर्थात दिनांक 19.08.16 से 4-5 महीने पूर्व वह 10 वर्ष से कम का अवयस्क

बालक था।

21. अभियोजन का अगला साक्षी कां0 रमाकान्त सिंह पैरोकार पी0डब्लू 6 है जिसने अपने बयान में बताया है कि मैनें कां0मुहर्रिर भैरो प्रसाद वैश्य के साथ थाना कोपागंज में कार्य किया है तथा उनके लेख व हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूं। पत्रावली में संलग्न चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क7 कां0मुहर्रिर भैरो प्रसाद वैश्य के द्वारा बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर से लिखवाया गया है तथा तहरीर प्रदर्श क1 के पुश्त पर अंकित तश्कीरा प्रदर्श क6 उक्त कां0मुहर्रिर भैरो प्रसाद वैश्य के लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। प्रदर्श क6 एवं प्रदर्श क7 पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है तथा प्रदर्श क6, प्रदर्श क7 एवं पी0डब्लू 6 के बयान से यह सिद्ध होता है कि वादी संजय बर्नवाल द्वारा दिनांक 19.08.16 को घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाया गया था जो कि पीड़ित बालक का पिता है, के इस स्वाभाविक आचरण को प्रकट करता है कि कोई भी पिता अपने पुत्र के साथ हुई किसी भी हिंसा की तत्काल रिपोर्ट पुलिस को करेगा। अतः इन साक्ष्यों से भी अभियोजन कथानक पुष्ट होता है।

22. अभियोजन द्वारा इस मामले के विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गुप्तेश्वर राय को बतौर पी0डब्लू 3 परीक्षित किया गया है, जिन्होनें बयान दिया कि दिनांक 19.08.16 को वह बतौर उपनिरीक्षक थाना कोपागंज पर तैनात थे। उस दिन मुकदमा अपराध सं0 876/16, अंतर्गत धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बनाम राजेन्द्र गुप्ता की विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी थी। साक्षी ने दौरान विवेचना नकल चिक, नकल रपट को केस डायरी में अंकित करना, वादी संजय बर्नवाल का बयान अंकित करना, विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट जिस पर मजरूब की जन्मतिथि अंकित थी, का अंकन केस डायरी में करना, पीड़ित व कां0मुहर्रिर भैरो प्रसाद का बयान अंकित करना, मजरूब की मेडिकल रिपोर्ट का अंकन केस डायरी में करना, दिनांक 21.08.16 को मजरूब की मां संगीता देवी, चाचा मनोज बर्नवाल का बयान अंकित करना, दिनांक 22.08.16 को पीड़ित के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान की नकल केस डायरी में करना, काल डिटेल का उल्लेख केस डायरी में करना, दिनांक 27.08.16 को मजरूब की निशानदेही पर घटनास्थल का

निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क3 तथा खसरा अपने लेख व हस्ताक्षर में बनाना, समई साक्षीगण अखिलेश व दिलीप का बयान अंकित करना, दिनांक 08.09.16 को अभियुक्त के आत्मसमर्पण की सूचना का उल्लेख केस डायरी में करना, दिनांक 14.09.16 को अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता का बयान अंकित करना, मजरूब की पूरक रिपोर्ट, पैथोलाजिकल रिपोर्ट तथा डा0 सी.एस. साहनी का बयान अंकित करना, मजरूब के जन्मतिथि प्रमाण पत्र का उल्लेख केस डायरी में करना तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रथम दृष्टया साबित पाकर आरोप पत्र प्रदर्श क4 न्यायालय प्रेषित करना बताया है।

23. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के बयान को इस आधार पर चुनौती दिया गया है कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के विवेचक द्वारा झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वास्तव में वादी संजय बर्नवाल ने अपनी पुत्री के विवाह के लिये अभियुक्त से दो लाख रूपये बतौर ऋण लिया था। अभियुक्त द्वारा बार-बार अपने रूपयों को वापस मांगा जा रहा था परन्तु वादी संजय बर्नवाल, अभियुक्त के रूपयों को लौटा नहीं रहा था। जब अभियुक्त ने अपने पैसों की कड़ाई से मांग किया तो उसने न केवल पैसे देने से इंकार कर दिया बल्कि यह धमकी भी दिया कि वह उसे मजा चखायेगा। अतः अपनी उसी धमकी को क्रियान्वित करते हुये वादी संजय बर्नवाल ने अपने पुत्र को मोहरा बनाकर यह झूठा मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत करा दिया। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मुकदमा पंजीकृत कराये जाने के तत्काल पश्चात पीड़ित बालक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है परन्तु उसके शरीर एवं गुदा स्थान पर कोई चोट नहीं पाया गया और न ही कोई शुक्राणु विद्यमान पाया गया। घटना के समय बालक 10 वर्ष से भी कम अवधि का बालक था। उसका शरीर कोमल था। अतः यदि अभियोजित कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होता तो कोमल बालक के गुदा स्थान पर किसी न किसी प्रकार का घाव अवश्य विद्यमान होता परन्तु बालक के शरीर के किसी स्थान पर चोट एवं घाव के न पाये जाने से अभियोजन कथानक सिद्ध नहीं होता। अभियोजन साक्ष्यों के विषय में अभियुक्त का ध्यान आकर्षित कर उसका परीक्षण अंतर्गत धारा 313

सी0आर0पी0सी0 किया गया तो उसमे भी अभियुक्त ने साक्षीगण के बयानों को गलत होना, स्वयं का निर्दोष होना तथा वादी द्वारा झूठा एवं फर्जी मुकदमा लिखाया जाना बताया है।

24. जहां तक पीड़ित बालक के शरीर अथवा गुदा में किसी घाव के न होने का प्रश्न है वास्तव में अभियोजित कृत्य रिपोर्ट करने के 4-5 माह पूर्व से विभिन्न तिथियों पर किया गया है। अतएव 4-5 माह के पश्चात यदि किसी घाव को विद्यमान नहीं पाया गया तो वह आश्चर्यजनक नहीं है तथा मात्र इस तथ्य से घटना झूठी साबित नहीं होती। यदि पी0डब्लू 2 जो कि स्वयं पीड़ित बालक है, के मौखिक साक्ष्य पर विचार किया जाये तो यह प्रतीत होता है कि उसने बहुत ही सहज एवं स्वाभाविक साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसके साक्ष्य का पूरा पूरा समर्थन उसके पिता पी0डब्लू 1 के साक्ष्य से होता है। जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है पीड़ित बालक के साक्ष्य का समर्थन स्वयं उसके अपने बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 से भी होता है। अतएव सत्यता की विभिन्न कसौटियों पर कसने के बावजूद पी0डब्लू 2 का साक्ष्य झूठा प्रतीत नहीं होता तथा वह भरोसा किये जाने योग्य पाया जाता है। किसी पिता द्वारा अपने पुत्र के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दिया जाना नितान्त स्वाभाविक है। इस प्रकरण में भी पी0डब्लू 1 ने जो पीड़ित बालक का पिता है, ऐसा ही किया है अतः इससे अभियोजन कथानक पुष्ट होता है। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई संतोषजनक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादी द्वारा उससे दो लाख रूपये बतौर ऋण प्राप्त किया गया है जो वादी द्वारा अभियुक्त को अदा नहीं किया जा रहा है। विवेचक निष्पक्ष पुलिसकर्मी है। उसके पास ऐसा कोई हेतुक विद्यमान नहीं है जिसके वशीभूत होकर वह अभियुक्त के विरूद्ध झूठा आरोप पत्र प्रेषित करेगा। अतएव न तो बचाव पक्ष के किसी तर्क में बल है और न ही अभियोजन साक्ष्यों के विषय में उसके द्वारा धारा 313 सी0आर0पी0सी0 के परीक्षण में दिये गये स्पष्टीकरण का संतोषजनक उत्तर।

25. इस प्रकार अभियोजन ने अपने समस्त साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने दिनांक 19.08.16 के

4–5 माह पूर्व से भिन्न–भिन्न अवसरों पर वादी के 10 वर्ष से भी कम आयु के अवयस्क एवं अबोध बालक के साथ गुदा मैथुन किया है तथा उसे उक्त अवधि में लगातार जान से मारने की धमकी देता रहा कि यदि वह उक्त कृत्य के विषय में किसी को बतायेगा तो वह उसे तथा उसके माता पिता को जान से मार देगा, जिससे बालक वास्तव में डर गया था तथा डर के कारण अभियुक्त के कृत्य को अपने माता पिता से नहीं बताता था। घटना की जानकारी होने पर जब उसके पिता अर्थात सूचनाकर्ता ने अभियुक्त से शिकायत किया तो अभियुक्त ने उसे ''बहनचोद मादरचोद'' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया जिससे प्रकोपित होकर निश्चय ही शांति भंग कर सकता था। अतः अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने योग्य है। तदानुसार अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

26. दोषी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता न्यायालय में उपस्थित है। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

27. दोषी के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 21.08.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
मऊ।

दिनांक 22.08.2019

पुनश्च

28. दोषी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कारागार से प्रस्तुत होकर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

29. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

30. दोषी का कथन है कि वह अच्छे चाल चलन का व्यक्ति रहा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उसे पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। उस पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है तथा जीविकोपार्जन हेतु मात्र एक मेडिकल स्टोर है। अतएव उसे किसी कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषी के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सिद्ध हो चुका है। अतएव उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

31. दोषी को धारा 377,504,506 भा0द0वि0 व धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 377 भा0द0वि0 आजीवन कारावास के दण्ड से अथवा किसी भी प्रकार के 10 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से एवं अर्थदण्ड से, धारा 504 भा0द0वि0 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से, धारा 506 भा0द0वि0 7 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से एवं 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध किसी भी प्रकार के ऐसी अवधि के कारावास के दण्ड से जो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी परन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी एवं अर्थदण्ड से, परन्तु अधिनियम की धारा 5(m) जिसके अंतर्गत गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला परिभाषित है जो धारा 6 के अंतर्गत दण्डनीय है, यदि पीड़ित बालक की आयु 12 वर्ष से कम है तो वह कठोर कारावास की ऐसी अवधि से जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी एवं अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डनीय है।

32. दोषी को दिनांक 21.08.19 को इसी विशेष न्यायालय द्वारा विशेष सत्र

परीक्षण सं0 70/16, अंतर्गत धारा 377,506 भा0द0वि0 एवं धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषी ठहराया जा चुका है जिसमें दण्ड के प्रश्न पर उसे सुना जाना शेष है। इससे यह सिद्ध होता है कि दोषी इस प्रकृति का अपराध करने का आदी है। लैंगिक हमले का अपराध विशेषकर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध एक ऐसी प्रकृति का अपराध है जिससे पीड़ित बालक अथवा बालिका केवल शारीरिक रूप से आहत नहीं होता बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाता है। वह लज्जा, अपमान, घृणा, कुन्ठा एवं आत्मदोष के बोध से ग्रसित रहता है जो उसके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी कारण से इस प्रकृति के अपराध को गंभीरतम अपराधों की कोटि में गणना की जाती है। इस मामले में दोषी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के अबोध बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन/प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध केवल एक बार नहीं किया गया है बल्कि विगत 5-6 महीनों की अवधि में विभिन्न अंतराल पर कई बार किया गया है जिससे बालक बुरी तरह से मानसिक रूप से आहत हुआ है। दोषी द्वारा धमकी दिये जाने के कारण वह बहुत दिनों तक घटना के विषय में अपने माता पिता को भी नहीं बताता था तथा वह दहशत में रहता था एवं उसका मन पढ़ने लिखने तथा किसी काम में नहीं लगता था। ऐसी स्थिति में दोषी को विधि की मंशा के अनुसार एक उचित अवधि के कारावास के दण्ड तथा एक ऐसी धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत होगा जिसमें से एक बड़ा अंश पीड़ित बालक के माता पिता को इस उद्देश्य से दिया जाये कि वह धनराशि पीड़ित बालक के पुनर्उत्थान पर व्यय करे।

आदेश

33. चूंकि एक ही कृत्य से अपराध अंतर्गत धारा 377 भा0द0वि0 एवं धारा 3/5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का गठन होता है अतएव दोषी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को धारा 377 भा0द0वि0/3/5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से

तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से व धारा 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

34. दोषी से धारा 377 भा0द0वि0/3/5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित बालक के पिता को क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जायेगी जिसका भुगतान उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

35. दोषी पर प्रत्येक धाराओं में अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ-साथ चलेगा तथा दोषी द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

36. तदानुसार दोषी का दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

37. दोषी को निर्णय की एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

<u>पीड़ित बालक के माता पिता से अपेक्षा</u>

38. पीड़ित बालक के माता पिता से अपेक्षा है कि वह लाड एवं प्यार से अपने पुत्र को यह समझाने का प्रयास करें कि इस घटना में उसका कोई दोष नहीं है बल्कि उक्त घटना उसके साथ मात्र वैसे ही घटी है जैसे किसी पशु के आक्रमण अथवा काटने से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे बालक के मानस पटल पर आसीन अपराध तथा लज्जा का बोध शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो सके तथा वह पुनः आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ अपना व्यक्तित्व विकसित कर सके। क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध करायी गयी सम्पूर्ण धनराशि उसके माता पिता द्वारा बालक के पुनर्उत्थान पर व्यय की जायेगी। उसके माता पिता, बालक की आयु एवं रूचि के

अनुसार उक्त धनराशि में से उसे उचित खिलौने, परिधान एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध करायेंगे तथा यह विशेष ध्यान रखेंगे कि इस घटना की चर्चा कहीं भी न की जाये जिससे बालक के नाम का समाज के किसी क्षेत्र में प्रकाशन हो। बालक को यह आस्वस्थ करें कि इस दुर्घटना के विषय में जिसके लिये वह दोषी नहीं है, किसी भी अन्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तथा उसे यह बतायें कि दुर्घटना करने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कठोर दण्ड दिया जा चुका है जो अब कभी उसके सम्पर्क में नहीं आयेगा तथा वह एवं कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसी घटना करने का साहस नहीं करेगा जिससे बालक निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके।

39. पीड़ित बालक के पिता को भी निर्णय के अनुकूल तथा अपने पुत्र के प्रति निर्णय में अपेक्षित व्यवहार करने के लिये निर्णय की एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध करा दी जाये।

दोषी को चेतावनी

40. दोषी सक्षम न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध विधि अनुकूल अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है परन्तु दोषी को उपरोक्त दण्ड के साथ-साथ यह चेतावनी दी जाती है कि वह स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्यों अथवा ईष्टमित्रों के द्वारा इस घटना का किसी भी रूप में समाज के किसी क्षेत्र में प्रकाशन नहीं करेगा जिससे बालक अथवा उसके माता पिता की पहचान प्रकट हो सके न ही एतद्मिन पश्चात वह अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य पीड़ित बालक के सम्पर्क में आने का प्रयास करेगा।

प्रेस को सलाह

41. प्रेस को न्यायालय द्वारा स्पष्ट सलाह दी जाती है कि वह ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे पीड़ित बालक अथवा उसके माता पिता का प्रकाशन हो सके अथवा उनका अनुमान लगाया जा सके। प्रेस को यह भी सलाह दिया जाता है कि दोषी व्यक्ति के नाम एवं पते का भी प्रकाशन नहीं किया जायेगा जिससे पीड़ित बालक की पहचान हो सके अथवा किसी प्रकार उसका अनुमान लगाया जा सके अथवा स्वयं दोषी व्यक्ति का अपमान हो सके। दोषी व्यक्ति को दण्डित करने का उद्देश्य उसका अपमान करना नहीं है बल्कि केवल दण्ड देना है जिससे उसे अपराध का बोध हो सके तथा वह अपने कृत्यों पर पश्चाताप कर सके एवं उसे तथा उस जैसी

मानसिकता रखने वाले अन्य असामाजिक तत्वों को यह पाठ मिल सके कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्राविधान कठोर हैं तथा इस विधि की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा कठोर दण्ड से दण्डित किया जायेगा जिससे अवयस्क बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व, सम्मान तथा जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा इस विशेष अधिनियम की मंशा पूर्ण हो सके।

42. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 22.08.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
मऊ।

43. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 22.08.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
मऊ।

न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1/विशेष न्यायाधीश(POCSO Act), मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 90 सन् 2017
C.N.R. No.- UPMA010039702017

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. रामजीत पुत्र हरेन्द्र
2. रमेश पुत्र स्व0 स्वामीनाथ
साकिनान- भुजौटी, थाना- सरायलखंसी,
जनपद- मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 358/2017
अंतर्गत धारा 376डी भा0द0वि0
व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम,
थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित इस आपराधिक मामले में इस विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रामजीत व रमेश का विचारण धारा 376डी भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने सूचनाकर्ता कैलाश की अवयस्क लड़की पीड़िता जिसकी उम्र उस समय 17 वर्ष थी, के साथ सामूहिक बलात्कार तथा लैंगिक प्रवेशन हमला किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 02.08.17 को समय 01.10 बजे वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता कैलाश ने प्रभारी निरीक्षक, सरायलखंसी, मऊ के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर दिनांकित 01.08.17 प्रस्तुत किया कि *आज दिनांक 01.08.17 को उसकी बेटी पीड़िता शाम के वक्त शौच के लिये घर के पीछे स्थित बाउन्ड्री के अंदर गयी थी। शौच के वक्त समय करीब रात्रि 8 बजे अचानक उसके गांव के रामजीत व रमेश आकर उसकी बेटी का मुंह दबाकर कुछ दूर पर स्थित सरपत (काश) की आड़ में ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार (बुरा काम) किये। उसकी बेटी चाहकर भी चिल्ला नहीं पायी। इन दोनों दरिन्दों को उसकी बेटी देखी व पहचानी।*

जब उसकी बेटी काफी देर तक नहीं लौटी तो वह और उसकी पत्नी ढूंढ़ते ढूंढ़ते बाउन्ड्री की तरफ गये तो वहीं उसकी बेटी पीड़िता मिली। साथ लेकर आया है। उसकी बेटी की उम्र करीब 17 वर्ष है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उसका मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना सरायलखंसी में अभियुक्तगण रामजीत व रमेश के विरूद्ध अपराध सं0 358/17 अंतर्गत धारा 376डी भा0दं0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक व नकल रपट का अंकन केस डायरी में किया। सूचनाकर्ता कैलाश, पीड़िता तथा साक्षीगण रामविलास, विद्यावती देवी व चिक लेखक महिला आरक्षी अनीता पटेल का बयान अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। पीड़िता का हाईस्कूल का अंक पत्र प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया तथा उनका बयान अंकित किया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट व पैथोलाजी रिपोर्ट प्राप्त कर उनका अंकन केस डायरी में किया। पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। डा0 अन्जुम का बयान अंकित किया। घटना से भिज्ञ अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण रामजीत व रमेश के विरूद्ध धारा 376डी भा0दं0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामले को अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए इस विशेष न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अभियुक्तगण रामजीत व रमेश के विरूद्ध धारा 376डी भा0दं0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन साक्षी सूचनाकर्ता कैलाश, पीड़िता, रामविलास, डा0 अंजुम, महिला कां0 अनीता पटेल, चंदन कुमार सहायक लिपिक, विवेचक पंकज कुमार सिंह

को बतौर पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 7 परीक्षित किया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, पीड़िता का धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0, पीड़िता के हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2015 का अंक पत्र, हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2015 का गजट, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण, घटनास्थल का नक्शा नजरी, क्रमशः प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क9 को सिद्ध कराया है तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि उन्होनें सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः सभी अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना, पीड़िता की जन्मतिथि फर्जी होना तथा गलत विवेचना द्वारा आरोप पत्र प्रेषित करना बताया है। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6 एवं 7 के बयानों को गलत एवं जानकारी न होना बताया है तथा कथन किये हैं कि वे निर्दोष हैं। उनके विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी कुसुम कुमारी राय, प्रभारी प्रधानाध्यापक को बतौर डी0डब्लू 1 परीक्षित कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं सूचनाकर्ता कैलाश है जिसे अभियोजन ने बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया है जिसने बयान दिया है कि घटना दिनांक 01.08.17 के लगभग 8 बजे रात्रि की है। मेरी पुत्री पीड़िता शौच के लिये घर के पीछे बाउन्ड्री में गयी थी। मेरे गांव के रामजीत, रमेश व विजय वहां पहले से मौजूद थे। मेरी लड़की का मुंह दबाकर झाड़ी के अंदर ले गये और बारी–बारी बुरा काम किये। मेरी लड़की काफी देर तक नहीं आयी तो मैं तथा मेरी पत्नी उसे ढूढ़ने घर के

पीछे बाउन्ड्री की तरफ गये तो मेरी लड़की चिल्लाते हुये आ रही थी। हम लोगों को मिली और हम लोगों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बतायी। मेरी लड़की की उम्र उस समय 17 वर्ष थी जो इण्टर में पढ़ती थी। इस घटना के बावत थाने पर रपट लिखाने अपनी लड़की को लेकर गया था और थाने पर प्रार्थना पत्र प्रदर्श क1 रामविलास से बोलकर लिखवाकर, उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर दिया था। मेरी लड़की की डाक्टरी हुई थी और उसका न्यायालय में बयान हुआ था। दरोगा जी मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे। दरोगा जी ने मौका मुआयना किया था। मेरी लड़की ने घटना कारित करने वालों को अच्छी तरह से पहचाना था।

9. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि रामवृक्ष जो अभियुक्त रामजीत के पिता के चाचा हैं, से उससे और उसके परिवार के सदस्यों के बीच चकबंदी का मुकदमा घटना के पहले से चल रहा है। मुल्जिम रमेश मेरे खानदान का है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का सुझाव दिया गया है कि घटना के पहले रामवृक्ष की जमीन पर मड़ई डालकर कब्जा करने के लिये रमेश व उसकी मां को साक्षी उकसा रहा था परन्तु जब वह तैयार नहीं हुई तो साक्षी ने रमेश को ठीक करने की धमकी दिया था तो साक्षी ने सुझाव से इंकार किया। साक्षी ने आगे बताया है कि उसने दरोगा जी को अपने बयान में बताया था कि रपट दर्ज करने के लिये उसने दो दरखास्त दिया था। पहली दरखास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं कराया। दूसरी दरखास्त पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तीसरी दरखास्त दरोगा जी ने स्वयं बोलकर लिखवाया था उस पर मैनें हस्ताक्षर करके मुकदमा दर्ज कराया। मैं इण्टर तक पढ़ा हूं........घटना के दिन रात में मैनें स्वयं उपरोक्त दरखास्त लिखकर थाने पर दिया था लेकिन रपट दर्ज नहीं हुई। पहली दरखास्त थाने में 9-10 बजे रात को लिखकर दिया था। पहली दरखास्त के 10 मिनट बाद ही दूसरी दरखास्त दिया था। तीसरी दरखास्त रात के लगभग 11 बजे दिया था........मेरी लड़की पीड़िता मेरे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय भुजौटी में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ी है जिसमें उसका नाम लिखाने के लिये मेरी पत्नी गयी थी......... पीड़िता से जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो वह अपना कपड़ा सलवार व फ्राक पहनी थी। उस पर कीचड़ नहीं लगा था। वहां कीचड़ नहीं था। वह बलात्कार वाली जगह पर ही मिली थी। बलात्कार वाला स्थान गणेश दत्त मिश्रा के आफिस के

पूरब एक बीघा की दूरी पर है। जब पीड़िता उसे मिली थी तो बताया था कि अभियुक्तगण ने उसे बलात्कार वाले स्थान से उठाया था। बलात्कार वाले स्थान के चारो तरफ सरपत था। दरोगा जी ने मेरा बयान घटना वाली रात में ही 8-9 बजे लिया था। मुझसे 3-4 बार पूछताछ किया था। मेरी लड़की के किसी हिस्से से खून नहीं बह रहा था न उसके कपड़े पर लगा था परन्तु औरतों ने देखा था कि पट्टे पर खून लगा था.......दरोगा जी और पुलिस घटना के आधे घण्टे के अंदर घर पर आ गये थे तथा मुझे व पीड़िता को पुलिस जीप में लेकर थाने पर गये थे.......आदि-आदि।

10. साक्षी के बयान से प्रकट होता है कि इसी साक्षी ने तहरीर दिनांकित 01.08.17 रात्रि में दिया था जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ था परन्तु यह भी प्रकट होता है कि निश्चय ही उसने स्वयं अभियुक्तों को पीड़िता को उठाकर ले जाते तथा उसके साथ किसी प्रकार का अपराध करते नहीं देखा है बल्कि जब पीड़िता काफी देर तक नहीं आयी तो वह अपनी पत्नी के साथ उसे ढूढ़ने के लिये घर के पीछे बाउन्ड्री की तरफ गया तब रोते हुये पीड़िता उसे मिली थी एवं घटना के विषय में उसे बताया था अर्थात इस साक्षी ने अभियुक्तों को भी स्वयं नहीं देखा था।

11. निःसंदेह घटना की प्रमुख साक्षी स्वयं पीड़िता है, जिसके साक्ष्य से ही सिद्ध हो सकता है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता का अपहरण किया गया है तथा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। अभियोजन द्वारा पीड़िता को बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया गया है जिसने बयान दिया है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व दिनांक 01.08.17 की है। जब मैं रात्रि करीब 8 बजे शौच के लिये घर से बाहर गयी तो वहीं पर रामजीत व रमेश मेरा मुंह दबा दिये और मुझे कुछ दूर उठाकर सरपत में ले गये। सरपत में ले जाकर दोनों लोगों ने जबरदस्ती बुरा काम किया। बुरा काम (बलात्कार) का मतलब मैं समझती हूं। मैं वहीं पड़ी रही फिर कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा आये तो मुझे लेकर गये और उसी रात हम लोग थाने चले गये थे। साक्षी ने कागज सं0 8क को अपना हाईस्कूल वर्ष 2015 का अंक पत्र बताते हुये उसमें अंकित जन्मतिथि 2.09.2000 को अपनी जन्मतिथि बताया है। दूसरे दिन पुलिस घर आयी और मेरा बयान ली थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसका धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का बयान कराया था

तथा प्रदर्श क2 को अपना धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का बयान होना स्वीकार किया है। मैनें मजिस्ट्रेट साहब को यह भी बताया था कि इन मुल्जिमानों के बुरा काम करने की वजह से मेरे कपड़ों में खून लगा था और मेरे प्राईवेट पार्ट में दर्द हो रहा था। पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया था।

12. प्रकरण की इस प्रमुख साक्षी का बयान विवेचक द्वारा भी घटना के अगले ही दिन अर्थात दिनांक 02.08.17 को अंकित किया गया है जिसमें साक्षी ने बताया है कि *"........मैं कक्षा 12 पास हूं। मेरी जन्मतिथि 02.09.2000 है। कल दिनांक 01.08.17 को रात्रि 8 बजे शौच के लिये खेत में गयी थी। पीछे से उसी समय मेरे मोहल्ले का रमेश पुत्र स्वामीनाथ व रामजीत पुत्र हरेन्द्र ने आकर मुझे पकड़ लिया तथा मेरा मुंह बंद कर दिया तथा फिर बारी-बारी से मेरे साथ बुरा काम किये। मेरे साथ गलत काम करके वे दोनों मुझे छोड़कर भाग गये। मेरा मुंह बंद किये थे इसलिये मैं शोर नहीं कर सकी थी। देर होने पर मेरे माता पिता खोजते हुये खेत की तरफ आ रहे थे। रास्ते में माता पिता के मिल जाने पर मैनें उन लोगों से सारी बात बतायी। फिर मुझे मेरे माता, पिता, भाई व भाभी साथ लेकर थाने पर गये।"* साक्षी के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान तथा उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में कोई तात्विक विसंगति नहीं प्रतीत होती।

13. विदित हो कि साक्षी का बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 बतौर प्रदर्श क2 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें साक्षी ने बताया है कि ***"मैं बारहवीं की छात्रा हूं। मेरे घर में शौचालय नहीं बना है। मैं रात के आठ बजे शौच के लिये घर के पीछे गयी थी। विजय, रमेश, रामजीत तीनों मेरे ही गांव के हैं। मैं इनको पहचानती हूं। शौच के लिये बैठी थी। पीछे से तीनों ने मुझे पकड़ लिया। मेरा मुंह और गर्दन दबा दिये थे। मैं इसलिये शोर नहीं कर सकी। सबसे पहले रामजीत फिर विजय अंतिम में रमेश ने मेरे साथ बारी-बारी से बुरा काम किया। कपड़े में खून लग गया था। जाते समय जान से मारने की धमकी दिये। कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दिये। जब मैं वहां से चली तो गिर गयी। खोजते-खोजते मेरे मम्मी पापा आये तो मुझे ले गये। मुझे आज भी गुप्तांग में दर्द हो रहा है। घर से पापा, भैया आये हैं। उन्हीं के साथ जाऊंगी।"*** उल्लेखनीय है कि जहां साक्षी ने न्यायालय में

केवल रमेश एवं रामजीत द्वारा अपने साथ दुराचार करने का कथन किया है वहीं धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में विजय नामक व्यक्ति द्वारा भी उसी समय अपने साथ दुराचार करने का कथन किया है। साक्षी का धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का बयान दिनांक 03.08.17 को अर्थात घटना के तीसरे दिन तथा धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान अंकित करने के अगले दिन अंकित किया गया है। साक्षी ने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में भी दुराचार करने वालों में केवल रमेश व रामजीत को ही बताया है विजय का नाम नहीं लिया है।

14. पीड़िता से बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। प्रतिपरीक्षण में पीड़िता ने बताया है कि मैनें विवेचनाधिकारी को तीन लोगों का नाम बताया था यदि विवेचक में मेरे बयान धारा 161 सी0आर0पी0सी0 में न लिखा हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने आगे बताया है कि घटनास्थल मेरे घर से 200 या 300 मीटर पूरब है। घटना के समय मैं अपने घर से पश्चिम से पूरब दिशा की ओर आ रही थी। घटनास्थल से पूरब और मेरे मकान से पश्चिम रास्ते में मुझे पकड़ा गया था। साक्षी ने फिर बताया कि मुझे रास्ते में नहीं बल्कि उस समय पकड़ा गया जब मैं शौच बैठकर कर रही थी। यही बात मैनें विवेचक को भी बतायी थी। जहां शौच कर रही थी वहां से कुछ दूर सरपत में ले जाकर बुरा काम किया गया था। शौच करने वाली जगह से वह जगह पूरब दिशा में थी। यह जगह मेरे गांव से पश्चिम जाने वाले आम रास्ते के बगल में है। उस रास्ते से बाजार आने जाने वालों का 10 बजे रात का आना जाना अनवरत रहता है। इस जगह से पूरब मेरे गांव की आबादी है.......तथा इस जगह से पश्चिम तरफ मेरा घर है। आम रास्ते के पूरब तरफ घटना घटी थी। साक्षी ने आगे बताया है कि सलवार निकालकर सिर की तरफ रखी गयी थी। जमीन पर कुछ बिछायी नहीं गयी थी। एक के काम करने के बाद तुरंत दूसरे ने संबंध बनाया था.........दो तीन मिनट में घटना घट जाने के पश्चात मैं उठी अपने सिर से सलवार उठायी और पहनी........वह रास्ता जिसके बगल में घटना घटी थी वह दक्षिण से उत्तर को जाती है। यह पोख्ता सड़क है। इससे सटे पूरब धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 रामकुंवर का मकान है। मैनें घटनास्थल विवेचनाधिकारी को दिखा दिया था यदि स्थल मानचित्र में स्थान न बनाया हो तो कारण नहीं बता सकती। इसी पोख्ता सड़क

के पूरब एक कच्ची सड़क जाती है। पोख्ता सड़क से पूरब 300 मीटर पूरब गणेश दत्त की बाउन्ड्री है। उस बाउन्ड्री से 15-20 कदम से पूरब गांव की आबादी शुरू हो जाती है। जब मुझे पकड़ा गया था तब मैं चिल्ला नहीं पायी क्योंकि मुंह हाथ से बंद किये थे.......प्राईमरी पाठ्शाला में मेरी क्या जन्मतिथि लिखायी थी मुझे याद नहीं है। मैं कक्षा 1 से 5 तक प्राईमरी पाठ्शाला भुजौटी व जूनियर हाईस्कूल भुजौटी से पढ़ी हूं। साक्षी ने आगे बताया है कि मैं उसी कपड़े में थाने गयी थी। कपड़े सलवार और शमीज दरोगा ने ले लिया था। थाने के बाद जब मेडिकल करवाने गयी तो वहीं पर कपड़े लिये थे। कपड़ों में खून लगा था। दरोगा जी ने जो मेरे कपड़े समीज सलवार लिये थे उसके कागज पर मैनें दस्तखत किया था। उन्हें झोले में रखकर सील मुहर किया था तथा मेरा दस्तखत बनवाया था........आदि-आदि।

15. साक्षी के प्रतिपरीक्षण की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी तीन व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करना बताया है जबकि मुख्य परीक्षण में केवल दो व्यक्तियों द्वारा ही बलात्कार करने का कथन किया है अतः साक्षी का बयान में तात्विक विविधता है। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि तथाकथित बलात्कार गांव के पश्चित स्थित सड़क के किनारे हुआ है जबकि नक्शा नजरी से यह प्रतीत होता है कि उस सड़क से काफी पूरब गणेश दत्त तिवारी के कार्यालय के पूरब सरपत की झाड़ के पास घटना हुई है। अतएव साक्षी के बयान से घटनास्थल बदल रहा है। उपरोक्त कारणों से साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं है।

16. अभियोजन का तीसरा साक्षी रामविलास, पी0डब्लू 3 है जिसने अपने बयान में बताया है कि घटना दिनांक 01.08.17 समय लगभग 8 बजे शाम की है। उस समय मैं अपने घर पर था। कैलाश का लड़का आलोक कुमार मुझे बुलाने मेरे घर पर आया। कैलाश मेरे चाचा लगते हैं। मैं चाचा कैलाश के घर पहुंचा तो देखा कि पीड़िता रो रही है। मैनें उससे पूछा तो उसने बताया कि वह शौच के लिये घर से बाहर गयी थी तो घर से बाहर स्थित बाउन्ड्री में गांव के ही रामजीत और रमेश ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। यह बात कैलाश के लड़के आलोक ने मुझे बुलाने के समय भी बताया था। बाउन्ड्री वाले खेत में ही रामजीत और रमेश ने पीड़िता को पकड़कर

उसका मुंह दबाकर सरपत की आंड़ में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। कैलाश ने मुझे बताया कि जब पीड़िता देर तक घर वापस नहीं आयी तब कैलाश और उसकी पत्नी उसको खोजते हुये बाउन्ड्री वाले खेत की तरफ गये तो पीड़िता वहां पर मिली और सारी घटना बतायी। उसके बाद मैं, मेरी पत्नी विद्यावती, पीड़िता और उसके पिता कैलाश को लिवाकर थाने पर गये जहां पर पीड़िता व कैलाश के बताने के अनुसार मैनें दरखास्त लिखा था और कैलाश से दस्तखत बनवाकर और अपनी भी दस्तखत कर थानाध्यक्ष सरायलखंसी को दिया जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

17. साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि साक्षी ने स्वयं अपनी आंख से घटना नहीं देखा था बल्कि उस समय वह अपने घर पर था परन्तु उसी रात वादी ने उसे अपने घर पर बुलवाया था तो साक्षी ने स्वयं पीड़िता को रोते हुये देखा था और उसने पीड़िता से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया था कि रामजीत और रमेश ने उसके साथ बलात्कार किया था। साक्षी के बयान से यह प्रतीत होता है कि उसी समय वह, उसकी पत्नी, पीड़िता तथा उसके पिता थाने पर गये थे वहां इसी साक्षी ने पीड़िता व कैलाश के बताने के अनुसार दरखास्त लिखा था। उस पर कैलाश से उसका हस्ताक्षर बनवाकर तथा अपना हस्ताक्षर बनाकर थानाध्यक्ष को दिया था जिस पर मुकदमा कायम हुआ था। यद्यपि इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें घटनास्थल के विषय में भी पूछा गया है परन्तु चूंकि स्वयं साक्षी ने बलात्कार की घटना नहीं देखा था। अतएव उक्त प्रश्नों एवं उनके उत्तरों से न तो घटनास्थल पुष्ट होता है और न ही खण्डित होता है।

18. अभियोजन द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना बताया गया है तथा उसके शरीर का चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डा0 अंजुम को बतौर पी0डब्लू 4 परीक्षित किया गया है जिन्होनें अपने बयान में बताया है कि दिनांक 02.08.17 को समय 12.30 बजे उन्होनें मजरूबा पीड़िता के शरीर का मेडिकल परीक्षण किया था। मजरूबा होशो हवास में थी। मजरूबा का रक्तचाप 120/80, लंबाई 153 सेमी. और भार 39 किग्रा. मैनें अंकित किया था। पीड़िता के कांख व गुप्तांग के बाल उपस्थित थे और पतले थे। स्तन पूर्ण विकसित था। घटना के बाद पीड़िता ने कपड़ा नहीं बदला

था न ही उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट थी। हाथ और चेहरे पर हल्का खरोंच का निशान था। प्राईवेट पार्ट पर कोई वाह्य चोट व स्त्राव नहीं था। हाइमन पुराना फटा हुआ था। शुक्राणु जांच हेतु वेजाइनल स्मीयर बनाकर पैथोलाजिस्ट को भेजा गया। पीड़िता ने कपड़े नहीं बदले थे अण्डर गारमेंट और ब्रा को जांच हेतु भेजा था तथा उम्र निर्धारण हेतु केहुनी और कलाई के जोड़ों के एक्स रे की सलाह दी थी। डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क3 मैनें लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मेरे द्वारा कोई पूरक रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है। डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क3 पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे साक्षी के बयान को समर्थन मिलता है।

19. चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क3 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इसमें भी घटना की तिथि 01.08.17 तथा 08.00 पी.एम. अंकित है तथा परीक्षण का समय 12.30 पी.एम. एवं दिनांक 02.08.17 अंकित है अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण अगले दिन 12.30 बजे किया गया। इस आख्या में चिकित्सक द्वारा घटना का संक्षेप विवरण जैसा कि पीड़िता ने उसे बताया था, भी अंकित है जिसमे यह लिखा है कि ''मैं रात 8 बजे के करीब लैट्रिन जा रही थी। खेत में लैट्रिन करते समय मेरे ही गांव के तीन लड़के मुझे उठाकर मेरा मुंह बंद करके लेकर गड़ही में गये। दो लड़कों ने मेरे साथ बलात्कार किया। पतलो से मेरे गाल पर खरोंच आ गयी। वहां से मैं नंगे ही भागी आधे रास्ते में चड्डी और पायजामा पहनी। रोते रोते घर पहुंची। फिर सभी लोग थाने सूचना दिये।'' इस आख्या में यह भी अंकित है कि परीक्षण के समय वस्त्र बदले नहीं गये थे। चेहरे पर एवं बायें हाथ पर पतलो के खरोंच का निशान था। यद्यपि हाईमन पुराना फटा हुआ था परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं थी। वेजाइनल स्मीयर शुक्राणुओं की जांच हेतु लिया गया था। पीड़िता के अंडरगारमेन्ट्स पैंटी, ब्रा, जननांगों के बाल तथा नाखून के कतरन भी लिये गये थे। पीड़िता के केहुनी कलाई का एक्स रे भी आयु निर्धारण के उद्देश्य से लिया गया था। पैथोलाजी विभाग की रिपोर्ट दिनांक 04.08.17 भी चिकित्सीय परीक्षण का अंग है जिसमे यह अंकित है कि *spermatozoa not seen in vaginal smear slide* ।

20. अभियोजन का अगला साक्षी चन्दन कुमार, सहायक लिपिक, सोनीधापा

खण्डेलवाल बालिका इण्टर कालेज, मऊ, पी0डब्लू 6 है जिसने अपने बयान में बताया है कि मैं इस विद्यालय में सहायक लिपिक के पद पर सन् 2016 से कार्यरत हूं। न्यायालय से सम्मन जाने के बाद स्कूल की प्रधानाचार्या मंजू राय के लिखित आदेश दिनांकित 26.07.19 के आधार पर मैं आज हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2017 के गजट (क्रास लिस्ट) के साथ उपस्थित आया हूं। पीड़िता जिसका रोल नं0 2837617 है, मेरे विद्यालय की नियमित छात्रा रही है। मेरे रिकार्ड में और क्रास लिस्ट में उसकी जन्मतिथि 02.09.2000 अंकित है। पीड़िता ने मेरे विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2015 में उत्तीर्ण किया है। पीड़िता का अंक पत्र प्रदर्श क6 मेरे विद्यालय से जारी है जिसके समर्थन में क्रास लिस्ट गजट की छाया प्रति प्रदर्श क7 प्रधानाचार्या से प्रमाणित कराकर पत्रावली में दिया है जिस पर प्रधानाचार्या मंजू राय के हस्ताक्षर हैं।

21. अभियोजन की अगली साक्षी महिला कां0 अनीता पटेल, पी0डब्लू 5 है जिसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 01.08.17 को समय लगभग एक बजे वादी कैलाश की लिखित तहरीर प्रदर्श क1 के आधार पर मैनें बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अक्षरशः टाईप कराया था जिस पर थाना प्रभारी सुनील चन्द्र तिवारी का हस्ताक्षर है जिसकी मैं तस्दीक करती हूं जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क4 है। मूल तहरीर कागज सं0 5क के पृष्ठ भाग पर मैनें तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 358/17, अंतर्गत धारा 376डी भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के पंजीकृत किये जाने का तस्कीरा अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था जो प्रदर्श क5 है जिसकी मैं तस्दीक करती हूं। जी0डी0 मैने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर कम्प्यूटरीकृत कराया है जो कागज सं0 7क/1 लगायत 7क/3 सामिल पत्रावली है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

22. अभियोजन द्वारा इस मामले के विवेचक पंकज कुमार सिंह को बतौर पी0डब्लू 7 परीक्षित किया है, जिन्होनें बयान दिया कि दिनांक 13.09.17 को पूर्व विवेचक उपनिरीक्षक भगत सिंह यादव से मुझे विवेचना सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना मैनें पूर्व में की गयी विवेचना का अवलोकन कर उसको केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 04.10.17 को डा0 अंजुम का बयान अंकित किया तथा उसी दिन कम्प्यूटराइज्ड आरोप पत्र प्रदर्श क8 न्यायालय प्रेषित किया जिस पर मेरा हस्ताक्षर है।

इस मुकदमे की विवेचना पूर्व में एस.एस.आई. आर.एन. गिरी ने किया था जिनके द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क9 व खसरा तैयार किया गया है जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है। मैनें आर.एन. गिरी के साथ काम किया है तथा उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। इस समय एस.एस.आई. आर.एन. गिरी कहां पोस्टेड हैं मुझे पता नहीं है।

23. अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में बचाव साक्षी कुसुम कुमारी राय, प्रभारी प्रधानाध्यापक, कम्पोजिट विद्यालय भुजौटी को बतौर डी0डब्लू 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। डी0डब्लू 1 कुसुम कुमारी राय ने बयान दिया है कि आज मैं असल प्रवेश पंजिका लायी हूं। पीड़िता का नाम प्रवेश पंजिका के क्रम सं0 1735 पर अंकित है। पीड़िता ने मेरे विद्यालय में दिनांक 01.07.03 को कक्षा 1 में प्रवेश लिया था। प्रवेश पंजिका में उसकी जन्मतिथि 15.02.97 अंकित है। साधारणतया छात्रों के साथ उसके माता पिता अथवा अभिभावक विद्यालय में दाखिला कराने आते हैं जिनके बताये जाने के आधार पर जन्मतिथि लिखी जाती है। जब पीड़िता का नाम लिखा गया था उस समय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 5 तक मान्यता प्राप्त था। वर्ष 2009–10 में विद्यालय जूनियर हाईस्कूल हो गया। अब वही विद्यालय वर्तमान में कम्पोजिट विद्यालय भुजौटी हुआ है। मैनें एक अगस्त 2019 में प्रधानाचार्य का चार्ज लिया। दिनांक 31.08.19 को मैनें बतौर प्रधानाध्यापक कम्पोजिट विद्यालय भुजौटी में अपने हस्तलेख में प्रमाण पत्र प्रदर्श ख1 जारी किया था। मूल प्रवेश छात्र पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल रजिस्टर से मिलाकर मैं दाखिल कर रही हूं जो स्वप्रमाणित है। पीड़िता ने कक्षा 5 मेरे विद्यालय से पास किया है। उसने टी.सी. नहीं लिया है। मेरे विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ी है।

24. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया है कि हाईस्कूल के अंक पत्र के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 02.09.2000 सिद्ध है जिससे यह स्पष्ट है कि घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क कन्या थी तथा अभियोजन साक्षी पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 के बयानों से अभियोजन कथानक भली भांति सिद्ध है। अतएव अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध होते हैं।

25. बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन को झूठा इस आधार पर बताया गया है कि

वास्तव में अभियुक्त रामजीत के पिता के चाचा रामवृक्ष से साक्षी के परिवार के बीच चकबंदी का मुकदमा चल रहा है अतः इस रंजिश से साक्षीगण पी0डब्लू 1, 2 एवं 3 द्वारा अभियुक्तों को फंसाया गया है तथा यह भी तर्क दिया है कि अभियुक्त रमेश उसके खानदान का है। अतएव यह स्वाभाविक नहीं है कि अभियुक्त अपने ही खानदान की किसी कन्या के साथ यथा अभियोग दुराचार करेगा, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि जहां एक अभियुक्त को रंजिशन फंसाया जाना वह इस आधार पर बता रहा है कि उसके पिता के चाचा से चकबंदी मुकदमे को लेकर उसकी रंजिश चली आ रही है वहीं दूसरे अभियुक्त को इस आधार पर निर्दोष बता रहा है कि अभियुक्त रमेश, पीड़िता के खानदान का है अतः वह उससे अपने ही खानदान की किसी कन्या से अभियोजित कृत्य नहीं कर सकता। जहां तक रंजिश का प्रश्न है वह अभियुक्त रामजीत तथा पीड़िता के पिता के बीच सीधी रंजिश नहीं प्रतीत होती तथा अभियुक्त रमेश के केवल खानदानी संबंध होने के कारण दुराचार करना असम्भव प्रतीत नहीं होता।

26. बचाव पक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रीतम सिंह व अन्य {2011 (74) ACC 758} माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षी पी0डब्लू 1 के बयान से यह भी प्रकट होता है कि उसने प्रदर्श क1 के अतिरिक्त अन्य दो दरखास्त भी थाने पर दिया था परन्तु उस पर मुकदमा नहीं लिखा गया। थानाध्यक्ष द्वारा बोलकर तीसरी दरखास्त लिखायी गयी जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया। अतएव अभियोजन कथानक निराधार है क्योंकि साक्षी के कहने के अनुसार ही एफ.आई.आर. थानाध्यक्ष के डिक्टेशन पर लिखायी गयी है, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में भी बल नहीं है क्योंकि इन बिन्दुओं पर साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान एवं उसके धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान की समीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने विवेचक को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि उसने दरोगा जी को अपने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में यह बताया हो कि उसने थाने पर दो दरखास्त दिया था जिस पर उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तथा तीसरी दरखास्त दरोगा जी ने बोलकर लिखाया था। साक्षी को भ्रमित कर प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा

उक्त प्रश्न पूछा गया है। पत्रावली पर भी तथाकथित पहली एवं दूसरी कोई दरखास्त उपलब्ध नहीं है और न ही उसका कोई प्रमाण है। पत्रावली पर केवल एक आवेदन पत्र जो दिनांक 01.08.17 को रामविलास द्वारा लिखी गयी है तथा जिस पर कैलाश का हस्ताक्षर है, उपलब्ध है जिसे दिनांक 02.08.17 को थाने पर दिया गया है। उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने पर के कारण इस पर लागू नहीं होता।

27. बचाव पक्ष द्वारा यह अवश्य तर्क दिया गया है कि सभी साक्षीगण ने यह बताया है कि घटना वाले दिन ही पीड़िता को लेकर वे थाने पर गये थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना वाले दिन भी एफ.आई.आर. हेतु तहरीर प्रस्तुत किया गया था परन्तु उस पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तथा दूसरे दिन थानाध्यक्ष के डिक्टेशन पर एफ.आई.आर. लिखायी गयी परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि संभव है कि घटना वाले दिन भी वादी, पीड़िता को लेकर थाने पर गया हो परन्तु किन्ही कारणों से उस दिन उसकी सुनवाई थाने पर न हुई हो अतः वह उसी दिन की लिखित अपनी तहरीर लेकर लौट आया तथा दूसरे दिन थानाध्यक्ष से मिलने के पश्चात थानाध्यक्ष के कहने पर उसने वह तहरीर थाने पर दिया जिस पर घटना के दूसरे दिन एफ.आई.आर. दर्ज हुई। साक्षी विधि विज्ञ नहीं होते। उनसे सटीक शब्दों के चयन की अपेक्षा नहीं होती। साक्षी का कदापि यह तात्पर्य नहीं है कि थानाध्यक्ष के बोलने अर्थात डिक्टेशन पर एफ.आई.आर. लिखी गयी बल्कि साक्षी का तात्पर्य मात्र यह है कि साक्षी ने जब आपबीती थानाध्यक्ष के समक्ष व्यक्त किया तो थानाध्यक्ष ने लिखित तहरीर प्रस्तुत करने के लिये वादी से कहा और तब वादी ने विगत रात लिखी हुई तहरीर थाने पर दिया था।

28. पी0डब्लू 2 अर्थात पीड़िता के साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाकर बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में केवल रामजीत एवं रमेश द्वारा बलात्कार करने का कथन किया है परन्तु धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में विजय, रमेश एवं रामजीत अर्थात तीन व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने का कथन किया है। अतएव अभियोजन के प्रमुख साक्षी के साक्ष्य का खण्डन उसके धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान से हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी पीड़िता ने

चिकित्सीय परीक्षण के समय भी गांव के तीन लड़कों द्वारा घटनास्थल पर रहना तथा उसे उसका मुंह बंदकर उठाकर ले जाना परन्तु उनमे से केवल दो के द्वारा दुराचार करना बताया है जिससे भी साक्षी का न्यायालय में दिया गया बयान खण्डित हो जाता है क्योंकि चिकित्सक के समक्ष पीड़िता द्वारा दिया गया बयान भी सक्षम अधिकारी के समक्ष उसका पूर्व वक्तव्य है जिसका उपयोग साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान की विश्वसनीयता को परखने के आशय से किया जा सकता है। परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में भी बल नहीं है क्योंकि यद्यपि साक्षी ने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में एवं न्यायालय में केवल यह बताया है कि रमेश व रामजीत ने उसके साथ बलात्कार किया था परन्तु धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में उसने एक अन्य व्यक्ति विजय द्वारा भी उसी समय बलात्कार करना बताया है परन्तु चूंकि धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में उसने रमेश एवं रामजीत द्वारा भी बलात्कार करना बताया है और उन्हीं का नाम न्यायालय में भी लिया है एवं केवल उन्हीं दोनों का नाम धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में बताया है अतएव रमेश एवं रामजीत की संलिप्तता के विषय में साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का समर्थन उसके धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान से होता है। यदि साक्षी ने धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में विजय का नाम लिया है तथा डाक्टर के समक्ष तीन लड़कों को मुंह बंदकर उठाकर ले जाना बताया है तो अब यह बचाव पक्ष पर गुरूतर दायित्व था कि वह विजय के विषय में साक्षी को controvert (प्रतिपरीक्षित) करते तो अवश्य ही उसकी कोई व्याख्या साक्षी की ओर से प्रकट होती। चूंकि विजय की संलिप्तता के विषय में बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से स्वयं कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है अतएव उसके कालांतर के बयान में इस लोप का लाभ बचाव पक्ष नहीं ले सकता। मात्र इस विविधता से अभियोजन साक्षी अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसका शेष साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है।

29. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता के बयान से घटनास्थल परिवर्तित होता है क्योंकि जहां बयान में पीड़िता ने घटनास्थल गांव के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चलती पोख्ता सड़क के सटे पूरब होना बताया है परन्तु विवेचक ने नक्शा नजरी में घटनास्थल गणेश दत्त के कार्यालय के पूर्व, पूरब होने का

उल्लेख किया है जो पीड़िता द्वारा बताये गये घटनास्थल से 300 मीटर से भी अधिक दूर स्थित है। अतएव घटनास्थल में परिवर्तन हो जाने के कारण भी अभियोजन कथानक झूठा सिद्ध हो जाता है, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है क्योंकि यद्यपि यह प्रतीत होता है कि पीड़िता को बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर भ्रमित करने का प्रयास किया गया है परन्तु यदि पीड़िता के बयान की ध्यान से समीक्षा किया जाये तो घटनास्थल से उसका आशय वही स्थान है जिसे नक्शा नजरी में अक्षर 'X' से दिखाया गया है जो बाउन्ड्री के अंदर तथा गणेश दत्त के कार्यालय के पूरब सरपत के पास स्थित है। पीड़िता को लगे हुये सरपत की खरोंचे जिन्हे चिकित्सीय परीक्षण के समय भी पाया गया था, से भी यही मत पुष्ट होता है तथा तथाकथित रूप से घटनास्थल में परिवर्तन आना कदापि प्रतीत नहीं होता।

30. बचाव पक्ष द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम एफ. नटराज {2014 (91) ACC 983} माननीय उच्चतम न्यायालय, अमर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2016 (93) ACC 848} माननीय उच्च न्यायालय, देवनरायन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2013 (83) ACC 387} माननीय उच्च न्यायालय, महेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2016 (94) ACC 421} माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राजू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2009 (64) ACC 672} माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण घटना के अगले ही दिन समय 12.30 बजे हुआ है। उस समय तक उसने वही वस्त्र धारण कर रखा था परन्तु उसमे किसी प्रकार का रक्त नहीं लगा था। चिकित्सक की आख्या से स्पष्ट है कि पीड़िता के योनिश्राव की स्लाइड शुक्राणुओं की उपस्थिति के आशय से उसी समय ले लिया गया था परन्तु पैथोलाजी रिपोर्ट के अनुसार वेजाइनल स्मीयर स्लाइड में शुक्राणु नहीं पाये गये। यदि यथा अभियोग वास्तव में दो तीन व्यक्तियों द्वारा पीड़िता के साथ सहसा ही बलात्कार किया गया हो तो निश्चय ही वेजाइनल स्मीयर में शुक्राणु मौजूद होंगे तथा गुप्तांग भी घायल होगा परन्तु इस प्रकरण में न तो गुप्तांग के पास किसी प्रकार के घाव का निशान पाया गया और न ही वैजाइनल स्मीयर में शुक्राणु पाये गये। निश्चय ही बालिका कुंवारी थी परन्तु उसका हाईमन पुराना फटा हुआ पाया गया था। यदि घटना के कारण पीड़िता

का हाईमन फटा होता तो चिकित्सक द्वारा हाईमन पुराना फटा हुआ न लिखा गया होता तथा घटना के फलस्वरूप हाईमन के फटने से रक्तश्राव के संकेत अथवा ताजा घ ााव विद्यमान रहता। अतः अभियोजन साक्ष्य किसी प्रकार से विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द नहीं है जिससे घटना किसी प्रकार से युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होती, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है क्योंकि यद्यपि यह सत्य है कि पीड़िता के गुप्तांगों पर अथवा शरीर के किसी भी अन्य भाग पर कोई चोट नहीं है तथा वेजाइनल स्मीयर में शुक्राणु भी नहीं पाये गये थे एवं पीड़िता का हाईमन पुराना फटा हुआ पाया गया था परन्तु यह परमसत्य नहीं है कि प्रत्येक दशा में वयस्क हो चुकी अथवा वयस्क होने वाली कन्या के साथ यदि लैंगिक संबंध बनाया जाये तो प्रत्येक दशा में गुप्तांगों पर जाहिरा चोट उत्पन्न ही हो जाये तथा जैसा कि चिकित्सीय परीक्षण अगले दिन 12 बजे के पश्चात अर्थात घटना के कम से कम 15 घण्टे के पश्चात प्रारंभ हुआ है तथा वेजाइनल स्मीयर भी 15 घण्टे बाद लिया गया है। अतएव निश्चय ही इस अवधि में पीड़िता द्वारा शौच अथवा मूत्र त्याग किया गया होगा जिससे उपलब्ध पदार्थ साफ हो गया होगा। उक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने पर के कारण इस पर लागू नहीं होते।

31. बचाव पक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामानन्दन {2005 (53) ACC 123} में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में अभियोजित कृत्य आवासीय क्षेत्र में हुआ है। अतएव निश्चित रूप से आसपास के बहुत से निवासी उपलब्ध रहे होंगे तथा घटना के विषय में उनको जानकारी होगी परन्तु आसपास के किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी है जिसमें उसके माता पिता एवं पीड़िता का चाचा है। अतएव इस कारण से भी अभियोजन कथानक विश्वसनीय नहीं है, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में भी बल नहीं है क्योंकि इस प्रकार की अप्रिय घटना किसी कन्या के साथ घटित हो जाने पर न तो उसके माता पिता ढिढोरा पीटेंगे और न ही उसकी चर्चा करना पसंद करेंगे। घटना रात्रि के 8 बजे की है। अतः निश्चय ही पीड़िता एकान्त स्थान की ओर

बढ़कर शौच क्रिया से निवृत्त होने का प्रयास करेगी न कि अनेक व्यक्तियों एवं साक्षियों की उपस्थिति में जिससे घटना के साक्षी उत्पन्न हों। घटनास्थल जो सरपत से आच्छादित था, से भी यह प्रकट होता है कि वह निर्जन एवं एकान्त स्थान था जहां केवल अभियुक्तगण एवं पीड़िता ही मौजूद थे। यदि अन्य कोई भी व्यक्ति वहां उपस्थित होता तो अभियुक्तगण पीड़िता के साथ दुराचार करने का साहस भी नहीं करते। उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने पर के कारण इस पर लागू नहीं होता।

32. बचाव पक्ष द्वारा आरिश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2010 (70) ACC 287} में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण के बयान एक दूसरे से भिन्न हैं। अतएव उनमे से कोई भी साक्षी भरोसेमन्द नहीं है, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में भी बल नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में तथ्यों के तीन भिन्न-भिन्न साक्षी हैं तथा तीनों ने प्रकरण में अपनी-अपनी भूमिका के आधार पर अर्थात जिस सीमा से उन्हें घटना का ज्ञान हुआ उस सीमा से घटना का वर्णन कर रहे हैं जो एक दूसरे को पर्याप्त रूप से समर्थन प्रदान करते हैं तथा एक भरोसेमन्द दृश्य उत्पन्न करता है। उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने पर के कारण इस पर लागू नहीं होता।

33. बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता के ही इस बयान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि उसने सलवार उतारकर सिर के नीचे रखा तथा उसके बाद अभियुक्तों ने उसके साथ दुराचार किया अतः इससे प्रकट होता है कि स्वयं पीड़िता ने तथकथित दुराचार की सहमति दिया, परन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि इस मामले में दोनों अभियुक्त सामूहिक बलात्कार के लिये अभियोजित किये जा रहे हैं एवं यदि अभियुक्तगण सामूहिक बलात्कार के लिये अभियोजित किये जा रहे हैं तथा पीड़िता का यह कथन है कि उसने उक्त कृत्य के लिये सहमति नहीं दिया था तो यह उपधारणा किया जायेगा कि लैंगिक संबंध में पीड़िता की सहमति नहीं थी जब तक कि बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्यों

से उसे खण्डित न कर दिया जाये परन्तु इस प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा इस उपधारणा को खण्डित करने के लिये इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

34. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन ने पीड़िता की आयु को सिद्ध करने के लिये सोनीधापा खण्डेलवाल बालिका इण्टर कालेज मऊ के अभिलेख को आहूत कर वर्ष 2015 में हाईस्कूल परीक्षा के आधार पर तथा वहां से निर्गत हाईस्कूल का अंक पत्र प्रदर्श क6 के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 02.09.2000 होना सिद्ध किया है जबकि पीड़िता ने उस विद्यालय से पूर्व कम्पोजिट विद्यालय भुजौटी में शिक्षा ग्रहण किया है जिसे बचाव साक्षी डी0डब्लू 1 द्वारा कम्पोजिट विद्यालय भुजौटी की प्रवेश पंजिका न्यायालय में प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया गया है कि प्रवेश पंजिका के आधार पर उक्त विद्यालय में पीड़िता की जन्मतिथि 15.02.97 अंकित है अतएव इस जन्मतिथि के आधार पर पीड़िता घटना की तिथि पर अवयस्क सिद्ध नहीं होती बल्कि घटना की तिथि दिनांक 01.08.17 को वह 18 वर्ष से अधिक की वयस्क कन्या सिद्ध होती है। चिकित्सीय परीक्षण में भी पीड़िता की घुटने, केहुनी एवं कलाई फ्यूज्ड पायी गयी है जिससे पीड़िता पूर्ण रूप से वयस्क कन्या थी। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। बचाव पक्ष के इस तर्क में पर्याप्त बल है क्योंकि वर्तमान समय में प्रभावी किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार किशोर की आयु निर्धारित करने के लिये सर्वप्रथम किशोर के विद्यालय द्वारा निर्गत जन्मतिथि प्रमाण पत्र अथवा संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो, के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। चूंकि धारा 94(2)(i) में विद्यालय से निर्गत जन्म तारीख प्रमाण पत्र का उल्लेख बोर्ड द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र से पहले किया गया है। अतएव इससे यह प्रकट होता है कि यदि दोनों ही प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं तो पहले विद्यालय द्वारा निर्गत जन्म तारीख प्रमाण पत्र को वरीयता दी जायेगी। इस प्रकरण में चूंकि वादी एवं उसकी पुत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने सर्वप्रथम कम्पोजित विद्यालय भुजौटी में भी शिक्षा ग्रहण किया है। अतएव कम्पोजिट विद्यालय भुजौटी द्वारा निर्गत जन्मतिथि प्रमाण पत्र को ही सोनीधापा खण्डेलवाल बालिका इण्टर कालेज से निर्गत हाईस्कूल

प्रमाण पत्र प्रदर्श क6 पर वरीयता प्राप्त होगी। चूंकि यह निर्विवाद है कि कम्पोजिट विद्यालय भुजौटी में पीड़िता की जन्मतिथि 15.02.97 अंकित है। अतएव यह अवधारणा किये जाने का पर्याप्त आधार है कि पीड़िता की जन्मतिथि 15.02.97 ही थी तथा घटना की तिथि 01.08.17 को पीड़िता 18 वर्ष से अधिक आयु की वयस्क कन्या थी। अतएव निश्चय ही अभियुक्तगण के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी धारा आकर्षित नहीं होती तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता।

35. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों के विषय में अभियुक्तों का पृथक-पृथक परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया तो दोनों ही अभियुक्तों ने साक्षियों के बयानों को गलत होना तथा आरोप को झूठा होना बताया है तथा यह कथन किया है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। साक्षियों के उनके विरूद्ध बयान देने का कारण रंजिश होना बताया है तथा मुकदमा भी रंजिशन चलना बताया है एवं स्वयं को निर्दोष होना बताया है, परन्तु अभियुक्तगण का स्पष्टीकरण कदापि संतोषजनक नहीं है क्योंकि उन्होनें मात्र रंजिशन एवं झूठा आरोप लगाना बताया है परन्तु रंजिश का कोई संतोषजनक साक्ष्य नहीं दिया है। यह विश्वास किया जा सकता कि वादी पक्ष सहसा अभियुक्तगण पर इतना गंभीर आरोप क्यों लगायेगा जबकि इस आरोप के लगाने में उसकी अपनी ही पुत्री की छवि तथा उसका भविष्य एवं उसकी मर्यादा दाव पर लग जायेगी। मात्र किसी मामूली मनमुटाव के कारण अथवा तू तू मैं मैं के कारण आज भी कोई व्यक्ति अपनी पुत्री की आहूति नहीं दे सकता।

36. इस प्रकरण में अभियोजन के सभी साक्ष्यों की गहनता से समीक्षा किया गया है, सत्यता की सभी कसौटियों पर उन्हें टेस्ट किया गया है वे प्रत्येक अपने आप में विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द प्रतीत होते हैं तथा उनके साक्ष्य परस्पर एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं जिससे अभियोजन कथानक पुष्ट होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य को बचाव पक्ष द्वारा न तो खण्डित किया जा सका है और न ही उसे संदेहास्पद बनाया जा सका है।

37. अतएव अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध होता है कि दिनांक 01.08.17 की रात्रि 8 बजे अभियुक्तगण रामजीत एवं रमेश ने एकांत स्थान पर पीड़िता के साथ बारी–बारी से बलात्कार किया जो सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में आता है तथा धारा 376डी भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय है परन्तु चूंकि घटना की तिथि पर पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की कन्या सिद्ध नहीं होती। अतएव किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप सिद्ध नहीं होता। अतएव अभियुक्तगण रामजीत व रमेश धारा 376डी भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। तदानुसार अभियुक्तगण रामजीत व रमेश को धारा 376डी भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

38. दोषीगण रामजीत व रमेश पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं। वे न्यायिक अभिरक्षा में बने रहेंगे। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

39. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 01.02.2020

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
मऊ।
ID No.- UP 5723

<u>दिनांक 03.02.2020</u>

<u>पुनश्च</u>

40. दोषीगण रामजीत व रमेश कारागार से प्रस्तुत होकर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

41. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

42. दोषीगण का कथन है कि वे अच्छे चाल चलन का व्यक्ति रहे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। अतएव उन्हे किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये, जबकि राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 376डी भा0द0वि0 सिद्ध हो चुका है। अतएव उन्हे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

43. दोषीगण को धारा 376डी भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 376डी भा0द0वि0 कठोर कारावास के दण्ड से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी परन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी के दण्ड तथा अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डनीय है।

44. इस मामले में यद्यपि दोषीगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु उनका अपराध गंभीर एवं जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। उनके द्वारा कृत्य अपराध से नारी जगत में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है तथा सभ्य समाज की आत्मा को ठेस पहुंची है। यही कारण है कि विधायिका द्वारा इस अपराध के लिये कठोर दण्ड का प्राविधान किया गया है। अतएव समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत दोषीगण को एक समुचित अवधि के कारावास के दण्ड से तथा ऐसी अर्थदण्ड की धनराशि के दण्ड से जिसमें से एक उचित अंश पीड़िता को भी बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जा सके, दण्डित करने से विधि की मंशा पूर्ण हो सकेगी।

<u>आदेश</u>

45. दोषीगण रामजीत व रमेश प्रत्येक को धारा 376डी भा0द0वि0 के अंतर्गत 21 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड तथा 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने की दशा में 4 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

46. दोषीगण से धारा 376डी भा0द0वि0 के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जायेगी जिसका भुगतान उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

47. प्रत्येक दोषी पर अधिरोपित कारावास का दण्ड साथ-साथ चलेगा तथा दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

48. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक-पृथक दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

49. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

50. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 03.02.2020

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
मऊ।
ID No.- UP 5723

51. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 03.02.2020

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
मऊ।
ID No.- UP 5723

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या 158 सन् 2018

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. नूर हसन पुत्र स्व0 मुख्तार अहमद
2. गुल मुहम्मद पुत्र स्व0 मुख्तार अहमद
साकिनान– मुंगेशर, थाना– सरायलखंसी,
जनपद– मऊ।
मुकदमा अपराध सं0 77/2018
अंतर्गत धारा 304/34,504,506 भा0दं0वि0
थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ।

<u>**निर्णय**</u>

1. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित तथा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र न्यायालय को उपार्पित तथा वहां से इस विशेष न्यायालय में अंतरित इस सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण नूर हसन व गुल मुहम्मद का विचारण धारा 304/34,504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में किया गया है।

2. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा इस आशय का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मुहम्मद सम्मन की बहन पुतुल का वध करने का सामान्य आशय बनाया जिसे अग्रसारित एवं क्रियान्वित करते हुये पुतुल को बुरी तरह से मारपीटकर उपहति कारित करके उसका वध कर दिये तथा वादी की मां व बहन को गाली गुप्ता देकर अपमानित किये तथा जान से मारने की धमकी दिये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 22.02.18 को वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता मुहम्मद सम्मन ने थानाध्यक्ष, सरायलखंसी, मऊ के समक्ष इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया कि *उसकी बहन पुतुल की शादी नूर हसन के साथ लगभग 8-9 वर्ष पहले हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं। उसकी बहन को नूर हसन आपसी विवाद के कारण अक्सर मारता पीटता रहता था, 3-4 दिन पहले भी काफी मारा पीटा था। कल दिनांक 21.02.18 को भी रात में लगभग 9 बजे काफी मारपीट दिया था जिससे 11.30 बजे रात्रि उसकी बहन पुतुल मर गयी। पुतुल को*

मारने पीटने में उनके जेठ गुल मुहम्मद, जेठानी शारजहां व ननद तईया भी थे। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. इस तहरीर के आधार पर थाना सरायलखंसी में अभियुक्तगण नूर हसन, गुल मुहम्मद, शारजहां व तईया के विरूद्ध अपराध सं0 77/18, अंतर्गत धारा 304 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक एवं नकल रपट प्राप्त किया एवं उसका इन्द्राज केस डायरी में किया। चिक लेखक हेड मुहर्रिर अरविन्द कुमार दूबे, वादी मुहम्मद सम्मन का बयान केस डायरी में अंकित किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनका बयान अंकित किया। मृतका का पंचायतनामा प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया तथा पंचायतनामें के गवाहों का बयान अंकित किया। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन केस डायरी में किया। समई व स्वतंत्र साक्षियों एवं घटना से भिज्ञ अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण नूर हसन व गुल मुहम्मद के विरूद्ध धारा 304,504,506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के पश्चात सक्षम मजिस्ट्रेट ने मामले का प्रसंज्ञान लिया एवं मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाने पर मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जहां से अंतरित होने के पश्चात मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर अभियुक्तगण नूर हसन व गुल मुहम्मद के विरूद्ध धारा 304/34,504,506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। अतः मामले को विचारण में लिया गया।

5. दौरान विचारण अभियोजन ने अभियोग को सिद्ध करने के लिए साक्षी सूचनाकर्ता मुहम्मद सम्मन, एकराम, मराछी, असगरी, सूबेदार अहमद, छटंकी, उषा, पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 7 क्रमशः का बयान अंकित कराया तथा सुसंगत साक्षियों द्वारा तैयार किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों तहरीर, आरोप पत्र विरूद्ध

अभियुक्तगण, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी0डी0 कायमी, थाना सरायलखंसी की रिपोर्ट, पंचायतनामा, चालान लाश, फोटो लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल का नक्शा नजरी, प्रदर्श क1 ता प्रदर्श क10 क्रमशः को सिद्ध कराया है तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया गया है कि उन्होनें अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्तगण को सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया जाये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 किया गया तो प्रत्येक अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के विषय में जानकारी न होना बताया है। पी0डब्लू 1,2,3,4,5,6 व 7 के बयानों के विषय में कुछ नहीं कहा है तथा अपने विरूद्ध रंजिशवश मुकदमा चलाया जाना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के किसी साक्ष्य से किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अतः उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाये।

7. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जायेगा। तदुपरान्त उनकी समीक्षा करते हुए उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

8. अभियोजन का सर्वप्रथम साक्षी स्वयं सूचनाकर्ता मुहम्मद सम्मन, पी0डब्लू 1 है। उसने अपने बयान में बताया है कि मेरी बहन पुतुल की शादी नूर हसन के साथ लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके दो बच्चे भी हैं। दिनांक 19.02.18 को मेरा भांजा वसीम उम्र एक साल छत से गिर गया था उसी को उठाने की हड़बड़ाहट में मेरी बहन पुतुल सीढ़ी से उतर रही थी कि पैर फिसलने के कारण वह गिर गयी जिससे उसको चोटें लगी थी। मेरे बहनोई नूर हसन, ससुर गुल मुहम्मद और उसकी औरत शाहजहां तथा ननद तईया ने मेरी बहन का काफी इलाज करवाया लेकिन दिनांक 21.02.18 को समय 11.30 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। सूचना पाकर मैं मौके पर गया और बहन की लाश देखकर मैं काफी बदहवास हो गया था। गांववालों के कहने के अनुसार शेखकमल से दरखास्त प्रदर्श क1 लिखवाया और गुस्से में बिना पढ़े ही उस पर

दस्तखत बना दिया था। मेरी बहन पुतुल ने कभी भी उसके पति नूर हसन, जेठ गुल मुहम्मद, जेठानी शारजहां व ननद तईया के द्वारा उसे मारने पीटने या परेशान करने की कोई भी शिकायत नहीं किया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

9. साक्षी ने स्वीकार किया है कि तहरीर प्रदर्श क1 पर अपना हस्ताक्षर बनाकर एफ.आई.आर. दर्ज कराया। एफ.आई.आर. प्रदर्श क1 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका उल्लेख प्रस्तर सं0 3 में किया जा चुका है जो उसका पूर्व वक्तव्य है। तहरीर में उसने यह अंकित कराया है कि उसकी बहन का पति नूरहसन उसकी बहन को मारता पीटता था। दिनांक 21.02.18 को भी रात में 9 बजे काफी मारापीटा था जिससे 11.30 बजे रात्रि उसकी बहन पुतुल मर गयी। स्पष्ट है कि साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान का समर्थन उसके पूर्व वक्तव्य से नहीं होता। अतः यह प्रतीत होता है कि साक्षी न्यायालय में पूर्ण सत्य नहीं बता रहा है।

10. साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। प्रतिपरीक्षण में अभियोजन ने साक्षी के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान की ओर ध्यान आकर्षित किया है जहां साक्षी ने विवेचक को यह बताया था कि मेरी बहन पुतुल की शादी नूरहसन के साथ लगभग 8-9 वर्ष पहले हुई थी। मेरी बहन के दो बच्चे हैं। मेरी बहन को उसका पति नूरहसन आपसी विवाद के कारण अक्सर मारता पीटता था, 3-4 दिन पहले भी काफी मारा पीटा था। कल भी दिनांक 21.02.18 को रात में लगभग 9 बजे काफी मारपीट दिया जिससे 11.30 बजे रात्रि में मेरी बहन पुतुल की मृत्यु हो गयी। मेरी बहन को उसके जेठ गुल मुहम्मद, जेठानी शाहजहां व ननद तइया भी मारते पीटते थे। 3-4 दिन पहले मेरी बहन का लड़का छत से गिर गया था। उसको देखने के लिये मेरी बहन असगरी व मेरी मां मरछी यहां आयी थी। इस घटना को मेरी बहन असगरी व मां मरछी व उषा पत्नी एकराम तथा आस पास के लोगों ने देखा व बीच बचाव भी किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि यह बयान उसने विवेचक को नहीं दिया था। चूंकि साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान एवं उसके धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में तात्विक विरोधाभाष है अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी न्यायालय में पूर्ण सत्य नहीं बता रहा है।

11. साक्षी के बयान के संबंध में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया है तो अभियुक्त ने साक्षी के बयान को चुनौती नहीं दिया है। अतः साक्षी के बयान से **इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि दिनांक 21.02.18 को अभियुक्त के घर पर ही चोटों के आ जाने के कारण रात्रि में पुतुल की मृत्यु हो गयी।** जहां तक साक्षी का यह बयान है कि सीढ़ी से उतरते समय गिर जाने के कारण पुतुल को चोटें लगी थी तो उसका यह बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसने स्वयं पुतुल को सीढ़ी से उतरते समय गिरकर चोट आना नहीं देखा है।

12. अभियोजन का दूसरा साक्षी एकराम, पी0डब्लू 2 है। उसने बयान दिया है कि मैं मुल्जिम नूर हसन को जानता हूं। मेरे ही गांव का रहने वाला है। उसका घर मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर है। नूर हसन का उसकी पत्नी पुतुल से अच्छा संबंध था। घटना के दिन 21 फरवरी 2018 को मैं काम करने के लिये मऊ शहर आया हुआ था। उस दिन रात में भी एक आदमी के घर छत डालने का काम हो रहा था। मैं 22 तारीख को दूसरे दिन दोपहर में अपने घर पहुंचा तो पता चला कि नूर हसन की पत्नी पुतुल सीढ़ी से गिर गयी थी और उसे गंभीर चोटें आयी थी जिसके कारण 21 फरवरी 2018 की रात में ही उसकी मृत्यु हो गयी। घटना के समय मैं घर पर मौजूद नहीं था। नूर हसन के परिवारवाले रो पीट रहे थे। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

13. इस साक्षी का भी विवेचक द्वारा बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया गया है जिसमें उसने बताया है कि मेरे गांव का नूर हसन अपनी औरत पुतुल को हमेशा मारता पीटता था, 19.02.18 को नूर हसन का लड़का छत से गिर गया था। उस दिन वह घर पर मौजूद नहीं था। दिनांक 21.02.18 को जब नूर हसन रात को 9 बजे घर आया और अपने लड़के के छत से गिरने की बात सुना तो अपनी औरत पुतुल को गाली देते हुये कहा कि मादरचोद तुम कहां थी कि लड़का छत से गिर गया तथा उससे तेल गरम करके लाने को कहा तो पुतुल ने कहा कि थोड़ी देर में लाती हूं। इस पर नाराज होकर नूर हसन अपनी औरत पुतुल को बड़ी बेरहमी से लात मुक्का से मारने लगा। मौके पर पुतुल की मां मराछी और बहन असगरी भी मौजूद थी। शोर सुनकर मैं भी मौके पर पहुंचा और पुतुल को बचाने का प्रयास किया

तो गुल मुहम्मद ने गाली देते हुये कहा कि हम लोगों के बीच में कोई नहीं आयेगा। पुतुल की मां एवं बहन असगरी ने हाथ जोड़कर गुल मुहम्मद से कहा कि पुतुल को न मारो नहीं तो मर जायेगी तब गुल मुहम्मद ने गाली देते हुये कहा कि भाग जाओ नहीं तो तुम लोगों को भी मार डालूंगा..........। नूर हसन के मारने से पुतुल को अंदरूनी चोट आ गयी और उसकी हालत खराब होने लगी। तब गुल मुहम्मद व नूर हसन उसको अस्पताल ले गये जहां रास्ते में वह मर गयी। साक्षी के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान के दृष्टिगत अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उक्त धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान की ओर उसका ध्यान आकर्षित करके उसके संबंध में उसका प्रतिपरीक्षण किया गया तो साक्षी ने बता दिया कि उसने वह बयान नहीं दिया था। अतः स्पष्ट है कि इस साक्षी ने भी मुख्य परीक्षण में पूरा सच नहीं बताया है परन्तु इस साक्षी के बयान से भी कम से कम इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि उसने भी सुना था कि गंभीर चोटों के कारण 21 फरवरी की रात में पुतुल की मृत्यु हो गयी थी।

14. अभियोजन की तीसरी साक्षी मराछी, पी0डब्लू 3 है, जिसने बयान दिया है कि मेरी लड़की पुतुल की शादी नूर हसन के साथ लगभग 8 साल पूर्व हुई थी। उसके दो बच्चे भी है। दिनांक 19.02.18 को पुतुल का लड़का छत से अनजाने में गिर गया था। उसे गिरता देख बदहवासी की हालत में पुतुल सीढ़ी से उतर रही थी कि हड़बड़ाहट में सीढ़ी से उतरते वक्त पैर फिसल गया जिससे वह नीचे गिर गयी और उसे गंभीर चोटें आ गयी। मेरे दामाद नूर हसन, ससुर गुल मुहम्मद, शाहजहां व तईया ने मेरी बेटी का काफी इलाज कराया लेकिन दिनांक 21.02.18 को उसकी मृत्यु हो गयी। मेरे दामाद नूर हसन और उसके भाई गुल मुहम्मद व शाहजहां व तइया के द्वारा मेरी बेटी पुतुल को मारने पीटने वाली बात मेरी बेटी ने मुझे कभी नहीं बताया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

15. यह साक्षी मृतका पुतुल की माता है। इस साक्षी का भी विवेचक ने बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया है जहां उसने यह बताया है कि उसकी पुत्री को उसका दामाद नूर हसन मारता पीटता था। दिनांक 21.02.18 को भी नूर हसन ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुये पुतुल को मारा था। काफी लोग

इकट्ठा हो गये थे। मैनें मौके पर पहुंचे लोगों से अपनी लड़की को बचाने के लिये कहा तो गुल मुहम्मद ने गाली देते हुये कहा कि तुम्हारा भी वही हाल होगा तो पुतुल का हुआ है...........। गांव के लोगों ने बीच बचाव किया। तब तक पुतुल की हालत काफी खराब हो चुकी थी...........। नूर हसन व गांव के लोग पुतुल को अस्पताल ले गये जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन ने साक्षी के उक्त बयान के दृष्टिगत इसे भी पक्षद्रोही घोषित किया है। जैसा कि साक्षी के न्यायालय में दिये गये बयान तथा धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में तात्विक विरोधाभाष है अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह किसी भय अथवा प्रलोभन के वशीभूत होकर न्यायालय में पूर्ण सत्य कथन नहीं कर रही है बल्कि कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है, परन्तु इस साक्षी के बयान से भी इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण के घर में ही पुतुल को आयी चोटों से दिनांक 21.02.18 को उसकी मृत्यु हो गयी।

16. अभियोजन की चौथी साक्षी असगरी, पी0डब्लू 4 है, जिसने बयान दिया है कि मेरी बहन, पुतुल के यहां आती जाती थी। उसकी शादी नूर हसन के साथ हुआ था। मेरे बहनोई नूर हसन कभी भी मेरी बहन को मारते पीटते नहीं थे न ही दहेज की मांग करते थे। मेरे बहनोई मेरी बहन को काफी मानते थे और इज्जत देते थे। न मेरी बहन को और न ही मेरे मायके वालों को पुतुल के पति नूर हसन, ससुर मुख्तार, देवर गुल मोहर व सास तईया से कोई शिकायत नहीं मिली थी। मेरी बहन का बेटा छत से गिर गया था तो हड़बड़ाहट में सीढ़ी से उतरते समय सीढ़ी से गिर जाने के कारण उसे काफी चोटें आयी। उसके ससुर व परिवारवालों ने काफी इलाज कराया परन्तु उसे बचाया नहीं जा सका और उसका इंतकाल हो गया।

17. इस साक्षी ने भी धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान में विवेचक को यह बताया है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 21.02.18 को पुतुल को मारा था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी परन्तु न्यायालय में मुख्य परीक्षण में अन्यथा कथन कर रही है। अतः अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर उसके धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के संबंध में उसका प्रतिपरीक्षण किया तो उसने ऐसा बयान विवेचक को देना नहीं बताया है। स्पष्ट है कि यह साक्षी भी झूठ बोल रही है तथा कालांतर में किसी भय तथा प्रलोभन के वशीभूत होकर यह साक्षी भी न्यायालय में पूर्ण सत्य नहीं बता रही है

परन्तु इस साक्षी के बयान से भी इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण के घर पर ही चोट आने के कारण पुतुल की मृत्यु हो गयी थी।

18. अभियोजन का अगला साक्षी सूबेदार अहमद, पी0डब्लू 5 है, जिसने अपने बयान में बताया है कि मेरा घर नूर हसन के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। घटना के दिन मैं अपने घर पर मौजूद नहीं था बल्कि ग्राम कंधेरी अपने रिश्तेदारी में गया था। मैनें कभी भी नूर हसन को उसकी पत्नी पुतुल को मारते पीटते, दहेज के लिये प्रताड़ित करते नहीं देखा था और न ही कभी सुना था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

19. इस साक्षी का भी विवेचक ने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान अंकित किया है जहां उसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया था परन्तु न्यायालय में उसके अन्यथा बयान दे रहा है अतः अभियोजन ने उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया है। अतः यह साक्षी भी झूठा साक्षी प्रतीत होता है। जैसा कि साक्षी ने न्यायालय में बताया है कि घटना वाले दिन वह घर पर मौजूद नहीं था। अतः इस साक्षी के बयान से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मृतका पुतुल को किस प्रकार चोट आयी थी।

20. अभियोजन का अगला साक्षी छटंकी, पी0डब्लू 6 है, जिसने बयान दिया है कि मैं नूर हसन को जानता हूं। मेरा घर और नूर हसन का घर सटा हुआ है। नूर हसन और उसकी पत्नी पुतुल के बीच संबंध अच्छा था। दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। मेरे सामने नूर हसन और उसके परिजनों ने कभी भी पुतुल या उसके परिजनों को कोई गाली गुप्ता नहीं दिया था। घटना के दिन मैं घर पर ही मौजूद था। नूर हसन का बच्चा छत से गिर गया था उसी को बचाने में पुतुल सीढ़ी से उतरते समय नीचे गिर गयी और उसे गंभीर चोटें आ गयी थी और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

21. इस साक्षी का भी विवेचक ने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान अंकित किया है जहां उसने पुतुल को अभियुक्तों द्वारा मारापीटा जाना बताया है। अतः अभियोजन ने इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया है तथा धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करके उसका प्रतिपरीक्षण किया तो उसने बताया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। स्पष्ट है कि

यह साक्षी भी झूठ बोल रहा है तथा न्यायालय के समक्ष पूर्ण तथ्य प्रकट नहीं कर रहा है परन्तु इस साक्षी के बयान से भी इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण के घर में ही पुतुल को चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। जहां तक साक्षी का यह कथन है कि बच्चे को बचाने के प्रयास में पुतुल के सीढ़ी से उतरते समय गिरने से उसे चोट आयी थी विश्वसनीय नहीं है। इस बिन्दु पर साक्षी झूठ बोल रहा है।

22. अभियोजन की अगली साक्षी उषा, पी0डब्लू 7 है, जिसने अपने बयान में बताया है कि मैं मुल्जिम नूर हसन को जानती हूं। वह मेरे ही गांव का रहने वाला है। उसके घर से मेरे घर की दूरी लगभग एक किलोमीटर है। हमारे परिवार का उसके परिवार के यहां आना जाना नहीं है बस दुआ सलामी है। मैनें सुना था कि नूर हसन की पत्नी पुतुल को चोट लग गयी थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। मैं यह नहीं बता सकती कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

23. इस साक्षी को भी उसके धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान के दृष्टिगत अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अन्य अभियोजन साक्षियों की भांति यह साक्षी भी झूठ बोल रही है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उसने सुना था कि नूर हसन की पत्नी पुतुल को चोट लग गयी है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। साक्षी ने यह भी बताया है कि मैं नहीं बता सकती कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई। अतः इस साक्षी के बयान से जहां एक ओर यह सिद्ध नहीं होता कि सीढ़ी से गिरने के कारण पुतुल को चोटें आयी थी वहीं दूसरी ओर यह सिद्ध होता है कि पुतुल की मृत्यु किसी चोट के कारण हुई थी।

24. बचाव पक्ष द्वारा केस डायरी के साथ प्रेषित पुलिस प्रपत्रों यथा आरोप पत्र प्रदर्श क2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क3, जी0डी0 प्रदर्श क4, पंचायतनामा प्रदर्श क6, पुलिस फार्म सं. 13 प्रदर्श क7, फोटोनाश प्रदर्श क8, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क9 व नक्शा नजरी प्रदर्श क10 की मौलिकता को स्वीकार किया गया है। अतएव अभियोजन ने उन प्रदर्शों को औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं कराया है।

25. नक्शा नजरी प्रदर्श क10 की सत्यता को, जैसा कि ऊपर के प्रस्तर में अंकित है, भी अभियुक्तगण ने स्वीकार किया है। नक्शा नजरी में अभियुक्त नूर हसन के

मकान के अंदर ही मृतका को मारना पीटना बताया गया है अर्थात मृतका को चोटें अभियुक्तगण के मकान के अंदर ही कारित हुई हैं। पंचायतनामा प्रदर्श क6, जिसकी सत्यता को भी बचाव पक्ष ने स्वीकार किया है, में भी मृतका पुतुल की मृत्यु मारने पीटने के कारण होना अंकित है। पंचायतनामा के समय पंचों ने भी मृतका की मृत्यु मारने पीटने के कारण होना व्यक्त किया है तथा सही जानकारी हेतु पोस्टमार्टम कराये जाने की राय दी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पंचायतनामा के समय भी पंचों की राय में पुतुल सीढ़ी अथवा छत से नहीं गिरी थी बल्कि मारने पीटने की चोटों से उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी।

26. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क9 की सत्यता भी बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुतुल को मृत्यु पूर्व चोटें आना अंकित हैं। मृतका के शरीर पर कुल 7 चोटें पायी गयी थी जो निम्नलिखित हैंः–

1. दाहिनी आंख पर periorbital blackening (contusion)

2. पीठ के बायीं ओर बीच के क्षेत्र में 3X0.5 सेमी. का अब्रेजन और कन्ट्यूजन।

3. बायें अग्र भुजा पर विभिन्न अब्रेजन।

4. दाहिनी अग्र भुजा एवं केहुनी पर विभिन्न अब्रेजन।

5. दाहिने पैर में विभिन्न अब्रेजन।

6. बायें पैर में विभिन्न अब्रेजन।

7. छाती के दाहिनी दिशा में नीचे एवं ऊपरी abdomen के ऊपर **traumatic swelling.**

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से मृत्यु पूर्व आयी वे समस्त चोटें तथा तात्कालिक कारण सदमा बताया गया है तथा मृत्यु का समय एक दिन पूर्व बताया गया है। पोस्टमार्टम दिनांक 22.02.18 को हुआ है अर्थात मृत्यु दिनांक 21.02.18 को कारित हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि बचाव पक्ष द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गयी है।

27. यदि पुतुल के शव पर विद्यमान चोटों पर विचार किया जाये तो यह प्रतीत होता है कि उसके पूरे शरीर पर अर्थात आंख पर, बायीं पीठ पर, दाहिने एवं बायें

अग्र भुजाओं पर, दाहिने एवं बायें पैरों में चोट के निशान मौजूद थे तथा दाहिनी छाती एवं abdomen के ऊपर traumatic सूजन थी। निश्चय ही छत से गिरने पर किसी व्यक्ति के शरीर के चारो ओर उन समस्त अंगों पर चोट नहीं आयेगी विशेषकर उसकी छाती के नीचे एवं abdomen के ऊपर जिसे पोस्टमार्टम में चोट सं0 7 के रूप में प्रकट की गयी है। निश्चय ही वह चोट बलपूर्वक बारम्बार तीव्र घूंसों के प्रहार से पहुंचायी गयी है। मृतका की आंख पर विद्यमान चोट भी यही संकेत देती है कि उसे भी तीव्र घूंसे के प्रहार से पहुंचायी गयी है। संक्षेप में मृतका के शरीर पर विद्यमान चोटें ऐसी नहीं हैं जो छत अथवा सीढ़ी से गिरने से उत्पन्न हो सकें बल्कि वे सभी इस प्रकृति की हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रत्येक ओर मारने पीटने से पहुंचायी गयी हैं।

28. जैसा कि अभियोजन के अन्य साक्ष्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि पुतुल को चोटें अभियुक्तगण के घर में ही पहुंचायी गयी थी। अतः चूंकि अभियुक्तगण ही घर के वास्तविक प्रभारी तथा स्वामी हैं जिनकी मौजूदगी में उक्त चोटें पुतुल के शरीर पर पहुंचायी गयी हैं अतः यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत ऐसे तथ्य हैं जो अभियुक्तगण के विशेष ज्ञान का विषय हैं जिन्हें किस प्रकार से कारित की गयी हैं, को सिद्ध करने का भार उन पर ही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि पुतुल के शरीर पर विद्यमान चोटें सीढ़ी अथवा छत से गिरने से उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इस न्यायालय द्वारा सुरक्षित रूप से यह उपधारणा किया जा सकता है कि उन चोटों को दिनांक 21.02.18 को अभियुक्तगण द्वारा ही जानबूझकर पहुंचायी गयी हैं तथा जिनके पहुंचाये जाने के कारण ही उत्पन्न सदमें से पुतुल की मृत्यु दिनांक 21.02.18 को हो गयी। कृपया देखें [*State of A.P. v. Gangula Satya Murthy, AIR 1997 SC 1588, State of Punjab v. Karnail Singh, AIR 2003 SC 3609 (para 7), State of W.B. v. Mir Mohd. Omar, 2000 AIR SCW 3230, Sucha Singh v. State of Punjab, 2001 Cr.LJ 1734 (paras 15, 19-22)(SC), State of Rajasthan v. Laxman Singh, (2002) 10 SCC 65 (para 6), Balram Prasad Agrawal v. State of Bihar, AIR 1997 SC 1830, Trimukh Maroti Kirkan v. State of Maharashtra,*

(2006) 10 SCC 681, 690-91 (para 15), Shunmugasundaram v. State, 1997 CrLJ 499 (Mad), Shambhu Nath Mehra v. State of Ajmer, AIR 1956 SC 404, Garibi v. State of U.P., 2003 CrLJ 671, 673 (paras 8, 9 & 11) (All), State of Rajasthan v. Jaggu Ram, 2008 CrLJ 1039]

29. विदित हो कि अभियोजन साक्ष्यों के विषय में प्रत्येक अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 किया गया तो उन्होनें किसी भी अभियोनज साक्ष्य को चुनौती नहीं दिया है बल्कि उन्हें स्वीकार ही किया है। रोचक यह है कि उन्होनें अपने विरूद्ध रंजिशवश मुकदमा चलाया जाना बताया है जबकि वादी पक्ष से किसी भी अभियुक्त ने किसी प्रकार की रंजिश होना नहीं बताया है और न ही कोई साक्ष्य दिया है बल्कि वादी पक्ष ने अभियुक्तगण के पक्ष में यह साक्ष्य दिया है कि पुतुल का पति उसे कभी मारता पीटता नहीं था तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। यदि अभियुक्तगण से वादी की कोई रंजिश नहीं थी तो वे अभियुक्तगण के विरूद्ध किस रंजिशवश मुकदमा लिखायेंगे। अतएव यह प्रतीत होता है कि पी0डब्लू 1 द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीकृत कराया गया है जिसकी एफ.आई.आर. प्रदर्श क3 है तथा जिसे जी0डी0 प्रदर्श क4 (जिसकी सत्यता बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार की गयी है) में अंकित किया गया है। अपराध की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी है एवं विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान होने के कारण आरोप पत्र अंतर्गत धारा 304,504,506 भा0द0वि प्रदर्श क2 प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र को भी अभियुक्तगण द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है।

30. अतएव अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों से तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत की गयी उपधारणा से अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध होता है कि दिनांक 21.02.18 को अभियुक्तगण ने पुतुल का वध करने का सामान्य आशय बनाया एवं उसे जानबूझकर तथा सआशय मारपीटकर इस प्रकृति की चोटें पहुंचायी जो साधारण अवस्था में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी तथा उन्हीं चोटों के कारण पुतुल की मृत्यु हो गयी परन्तु साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने के कारण ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है

जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की मां व बहन को गाली गुप्ता देकर अपमानित किया गया हो अथवा जान से मारने की धमकी दिया गया हो। अतएव अभियुक्तगण नूर हसन व गुल मुहम्मद 304/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने एवं धारा 504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। तदानुसार अभियुक्तगण नूर हसन व गुल मुहम्मद को धारा 304/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा धारा 504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

31. दोषी नूर हसन पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। वह न्यायिक अभिरक्षा में बना रहेगा। दोषी गुल मुहम्मद न्यायालय में उपस्थित है। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

32. दोषीगण के जमानतदारों के जमानतनामें तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी ठहराये जाते हैं।

दिनांकः 09.12.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

<u>दिनांक 10.12.2019</u>

<u>पुनश्च</u>

33. दोषीगण नूर हसन व गुल मुहम्मद कारागार से प्रस्तुत होकर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित।

34. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

35. दोषीगण का कथन है कि वे अच्छे चाल चलन के व्यक्ति रहे हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा आपस में सगे भाई हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उन्हें पहली बार किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। उन पर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। अतएव उन्हें किसी कारावास के दण्ड से दण्डित न किया जाये जबकि राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अजय कुमार सिंह द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषीगण के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 304/34 भा0द0वि सिद्ध हो चुका है। उन्होनें लात मुक्का से बुरी तरह से मारपीटकर एक महिला का वध कर दिया है। अतएव उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

36. दोषीगण को धारा 304/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है। अपराध अंतर्गत धारा 304 भा0द0वि0 आजीवन कारावास के दण्ड से अथवा 10 वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से एवं अर्थदण्ड से, यदि वह कृत्य जिससे मृत्यु कारित हुई है मृत्यु कारित करने के आशय से अथवा ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से शारीरिक क्षति पहुंचायी गयी है जिससे मृत्यु सम्भाव्य हो, किया गया हो अथवा 10 वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से अथवा अर्थदण्ड से अथवा दोनों से यदि वह कृत्य जिससे मृत्यु कारित हुई है इस ज्ञान से किया गया हो अथवा इस ज्ञान से शारीरिक क्षति पहुंचायी गयी हो जिससे मृत्यु सम्भाव्य हो किया गया हो, के दण्ड से दण्डनीय है।

37. यद्यपि यह सत्य है कि दोषीगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु उन्होनें एक उस स्त्री, जो कि अपने पति के घर जीवनपर्यन्त

सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये अपने माता–पिता के घर को छोड़कर सदा सदा के लिये चली गयी हो, को उसके उसी पति ने जिस पर उसकी सुरक्षा, संरक्षण एवं पोषण का दायित्व था, ने निर्दयता पूर्वक लात घूंसों से मारकर उसके कोमल अंगों को इस प्रकार आहत किया कि वह मृत्यु में परिणित हो गयी एवं उसके इस कृत्य में उसके अपने सगे भाई ने, जिससे यह अपेक्षा होती है कि यदि दूसरा भाई अपने आप पर नियंत्रण खो दे अथवा अनुचित मार्ग पर कदम रखे तो उसे सद्मार्ग दिखायेगा, ने भी अपने भाई के कुकृत्यों का सक्रिय साथ देकर उस स्त्री का वध करने में सहयोग किया। इस प्रकार दोनों दोषियों ने क्रूरता एवं अमानवीयता की पराकाष्ठा का परिचय दिया है। इस मानसिकता के साथ क्या वे सभ्य समाज का अंग बने रहने योग्य हैं? इस न्यायालय के मत में निश्चय ही नहीं। यदि उनमे अपने ही परिवार की एक महिला के प्रति आदर, सम्मान, दया, सहानुभूति एवं करूणा का अभाव है तो वे समाज के अन्य सदस्यों के प्रति कैसी भावना रख सकते हैं इस पर व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। उनके समाज में रहने से समाज की सुरक्षा सदैव दाव पर लगी रहेगी। अतएव ऐसी परिस्थिति में उन्हें समाज से दूर रखकर ही आपराधिक न्याय का उद्देश्य सफल होगा। दोषीगण के विरूद्ध यह सिद्ध हो चुका है कि उन्होनें **सआशय** पुतुल को मारपीटकर उसका वध किया है। अतएव उन्हें आजीवन कारावास के दण्ड से कम के दण्ड से दण्डित करना कदापि उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाना आवश्यक है जिससे दण्ड का दंश उन्हें अनुभव हो। जहां तक दण्ड की धनराशि में से कोई अंश मृतका पुतुल के माता/भाई/बहन आदि को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, इस प्रकरण में मृतका की माता, भाई एवं बहन पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं तथा न्यायालय को यह समाधान हो चुका है कि उन्होनें जानबूझकर न्यायालय के समक्ष पूर्ण सत्य नहीं प्रकट किया है अतः उनके चरित्र के कारण वे न्यायालय की सहानुभूति खो चुके हैं। अतएव वे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के पात्र नहीं हैं। साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि मृतका पुतुल का एक बेटा है। अतएव अधिरोपित दण्ड की धनराशि में से एक अंश मृतका पुतुल के पुत्र को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

38. दोषीगण नूर हसन व गुल मुहम्मद प्रत्येक को धारा 304/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड तथा 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

39. प्रत्येक दोषी से धारा 304/34 भा0द0वि के अंतर्गत अर्थदण्ड स्वरूप वसूली गयी धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतका पुतुल के पुत्र/पुत्रों/पुत्रियों (जो भी मौजूद हों) को बतौर क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जायेगी जिसका भुगतान उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, यदि अपील न किया जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपील की जाये, किया जायेगा।

40. दोषीगण द्वारा दौरान विवेचना तथा विचारण कारावास में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित होगी।

41. तदानुसार प्रत्येक दोषी का पृथक-पृथक दण्ड वारंट निर्मित किया जाये तथा दण्ड वारंट के साथ प्रत्येक दोषी को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मऊ को दण्डादेश को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाये।

42. प्रत्येक दोषी को निर्णय की एक-एक निःशुल्क प्रति तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

43. सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 10.12.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

44. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 10.12.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
मऊ।

Chapter-IV

Judgments of the Family Court.

न्यायालय– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मऊ।
उपस्थित– श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
मुकदमा संख्या 846 सन् 2019
C.N.R. No.- UPMA020015812019

1. कु0 निर्मला यादव उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्री बाबूराम यादव
2. कु0 शिमला यादव उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्री बाबूराम यादव
3. गुलजार यादव उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र बाबूराम यादव (मानसिक विकलांग)
4. कु0 रंजना यादव उम्र लगभग 16 वर्ष पुत्री बाबूराम यादव (शारीरिक विकलांग)

जरिये संरक्षिका माता हकीकी श्रीमती सुशीला देवी
साकिनान– बहरामपुर बलुआ, तह0 व थाना– मधुबन, जनपद– मऊ।

......................याचीगण

बनाम

बाबूराम यादव पुत्र स्व0 रामदुलारे यादव, साकिन– बहरामपुर बलुआ, तह0 व थाना– मधुबन, जनपद– मऊ।

.....................विपक्षी

अंतर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता
थाना– मधुबन, जनपद– मऊ।

<u>निर्णय</u>

1. याचीगण कु0 निर्मला यादव, कु0 शिमला यादव, कु0 रंजना यादव एवं गुलजार यादव द्वारा विपक्षी अपने पिता बाबूराम यादव के विरूद्ध कुल 32000/– रूपये प्रतिमाह की भरणपोषण राशि हेतु यह याचिका/आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है।

2. याचीगण का कथन है कि याचिनी सं0 1 एवं 2 क्रमशः बी.टी.सी. एवं बी.एस. सी. में अध्ययनरत विपक्षी की अविवाहित पुत्रियां, याची सं0 3, विपक्षी का मानसिक विकलांग पुत्र तथा याचिनी सं0 4, विपक्षी की शारीरिक रूप से विकलांग पुत्री है। सभी याचीगण अपनी माता के संग रहते हैं तथा उन पर आश्रित हैं जिनका कि स्वयं उनके पिता अर्थात विपक्षी द्वारा परित्याग कर दिया गया है। याचीगण तथा उनकी माता स्वयं का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं एवं अत्यन्त निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रही हैं। विपक्षी न तो याचीगण की और न ही उनकी माता का कोई परवाह करता है। याचीगण की माता 60 वर्ष की असहाय महिला हैं जबकि विपक्षी प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त होकर प्रतिमाह 35000/– रूपये की पेंशन प्राप्त

करता है। इसके अतिरिक्त वह कृषि भूमि का स्वामी है जिन्हें मिलाकर उन्हें प्रतिमाह लगभग एक लाख रूपये की आय होती है। विपक्षी ने याचीगण की माता को भी कोई भूमि नहीं दिया है तथा जब कभी भी भूमि की मांग की जाती है तो विपक्षी उन्हें मारपीट कर भगा देता है। याचीगण की माता ने विपक्षी के विरूद्ध धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत एक पृथक से याचिका प्रस्तुत किया था जिसमे उसे विपक्षी द्वारा प्रतिमाह 5000/- रूपये भरणपोषण राशि देने का आदेश दिनांक 25.06.19 को पारित किया जा चुका है। अतएव यह याचिका याचीगण सं0 1 एवं 2 प्रत्येक को 10000/- रूपये प्रतिमाह एवं याचीगण सं0 3 एवं 4 को 6000/- रूपये प्रतिमाह कुल 32000/- रूपये प्रतिमाह भरणपोषण राशि दिलाये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रतिपक्षी द्वारा उपस्थित होकर याचिका को निरस्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर किया गया है कि याचिका सर्वथा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। याचीगण के अतिरिक्त विपक्षी के एक अन्य पुत्र एवं पुत्री भी है। याचीगण को सम्मिलित करते हुये उसके समस्त छः पुत्र एवं पुत्रियां तथा उसकी पत्नी अर्थात उनकी माता उसके साथ ही एक साथ उसके द्वारा बनवाये गये घर में ही रहती हैं तथा वह उन सब का समुचित भरणपोषण करता है। अतएव उनमे से किसी को भरणपोषण की राशि हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त याचीगण, विपक्षी के वयस्क पुत्र एवं पुत्रियां हैं। अतः इस आधार पर भी वे विपक्षी से पृथक से धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत भरणपोषण की राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। याचीगण की माता द्वारा याचीगण को सम्मिलित करते हुये भरणपोषण हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया था जो केवल उनकी माता हेतु 5000/- रूपये प्रतिमाह की दर से भरणपोषण दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जा चुका है जिसे वह अदा कर रहा है। अब उसकी पुत्रियों ने अपनी माता के बहकावे में आकर सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर उसके विरूद्ध यह पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। याची सं0 1 एवं 2 क्रमशः बी.टी.सी. एवं बी.एस.सी. कोर्स में अध्ययनरत हैं जिसका पूरा व्यय प्रतिपक्षी द्वारा ही वहन किया जा रहा है। प्रतिपक्षी द्वारा एक कृषि भूमि भी याचीगण की माता

के नाम क्रय किया गया है। यद्यपि प्रारंभ में याचीगण की माता का व्यवहार उसके साथ सामान्य रहा परन्तु धीरे–धीरे कतिपय आधुनिक विचारधारा की महिलाओं के सम्पर्क में आने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया तथा वह अपने ऊपर तथा अपने मायके वालों के लिये आवश्यकता से अधिक धन व्यय करने लगी जबकि ऐसा न करने के लिये विपक्षी द्वारा उसे कई बार समझाया भी गया परन्तु न मानने पर उनके संबंध बिगड़ने लगे परन्तु फिर भी उनकी माता तथा समस्त याचीगण एवं उसके अन्य बच्चे उसके साथ ही उसके घर में रहते हैं। खेती से संबंधित सभी कार्यकलाप याचीगण की माता द्वारा ही किया जाता है एवं उसकी देखभाल की जाती है। याचीगण की माता द्वारा ही खेती की उपज एवं उससे प्राप्त होने वाली लगभग 50000/– रूपये प्रतिमाह की आय को प्राप्त करके व्यय किया जाता है। याचीगण स्वयं भी न केवल वयस्क कन्यायें हैं बल्कि शिक्षित कन्यायें हैं तथा अपनी योग्यता से 20000/– रूपये प्रतिमाह अर्जित कर लेती हैं। उनमे से किसी को पृथक से भरणपोषण की राशि दिलाये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपक्षी स्वयं सेवानिवृत्त तथा अपनी पेंशन पर निर्भर वृद्ध एवं कमजोर व्यक्ति है जो स्वयं अपनी देखभाल करने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में उसकी संतानों को स्वयं उसकी देखभाल तथा सेवा करनी चाहिये न कि उसके विरूद्ध ही याचिका प्रस्तुत करना चाहिये। वास्तव में उन्होनें स्वयं अपने दायित्वों से पलायन करने के आशय से झूठे कथनों के आधार पर यह याचिका प्रस्तुत किया है। अतः याचिका को निरस्त कर दिया जाये।

4. आवेदन पत्र तथा आपत्ति में किये गये कथनों के आधार पर याचिका को निर्णीत करने के लिये इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :–

(i) क्या याचीगण, प्रतिपक्षी की अवयस्क ऐसी संताने हैं जो स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ हैं ?

(ii) क्या प्रतिपक्षी द्वारा याचीगण का भरणपोषण नहीं किया जा रहा है अथवा भरणपोषण करने से इंकार किया जा रहा है ?

(iii) क्या याचीगण स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ हैं तथा क्या प्रतिपक्षी सामर्थ्यवान पिता है ?

(iv) क्या याचीगण, प्रतिपक्षी से किसी भरणपोषण राशि को प्राप्त करने के पात्र हैं ?

5. याचीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में याची सं0 1 को बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया है तथा अपनी माता श्रीमती सुशीला देवी को भी बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया है। प्रतिपक्षी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को बतौर डी0डब्लू 1 परीक्षित किया है तथा स्थानीय निवासी श्री संतोष जायसवाल को बतौर डी0डब्लू 2 परीक्षित किया है।

6. **<u>विचारणीय बिन्दु सं0 (i):-</u>** प्रतिपक्षी ने अपनी आपत्ति में याचीगण को अपनी संतान होना स्वीकार किया है। अतः यह निर्विवाद है कि याचीगण, प्रतिपक्षी की पुत्रियां/पुत्र हैं। याचिका में ही याचीगण सं0 1 एवं 2 को क्रमशः 21 एवं 19 वर्ष का प्रकट किया गया है। अतः स्पष्ट है कि स्वीकृत रूप से याचीगण सं0 1 एवं 2, प्रतिपक्षी की अवयस्क कन्यायें नहीं हैं। अतएव वे प्रतिपक्षी से धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत पृथक से भरणपोषण की राशि प्राप्त करने की पात्र नहीं हैं। जहां तक याचीगण सं0 3 एवं 4 का प्रश्न है उन्हे क्रमशः मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग प्रकट किया गया है परन्तु विकलांगता का कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु चूंकि प्रतिपक्षी द्वारा उनकी विकलांगता को अपने आपत्ति में विशेष रूप से चुनौती नहीं दिया गया है अतः यह मान लिया जाता है कि वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ हैं तथा अपने पिता अर्थात प्रतिपक्षी पर निर्भर हैं। अतः यह विचारणीय बिन्दु इन शब्दों में निर्णीत किया जाता है कि याचीगण सं0 1 एवं 2 अपने पिता की वयस्क कन्यायें होने के कारण प्रतिपक्षी से भरणपोषण प्राप्त करने की अर्ह्य नहीं हैं परन्तु याचीगण सं0 3 एवं 4 क्रमशः मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण अपने पिता अर्थात प्रतिपक्षी से भरणपोषण हेतु धनराशि प्राप्त करने के अर्ह्य हैं।

7. **<u>विचारणीय बिन्दु सं0 (ii):-</u>** याचिका पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि याचीगण ने स्वयं को अन्यत्र रहने का कोई कथन नहीं किया है। दूसरे शब्दों में याचीगण ने याचिका में कहीं यह कथन नहीं किया है कि वे अपने पिता से पृथक

होकर किसी अन्य पृथक घर में निवास करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में वे अपने पिता के घर में ही निवास करते हैं। पी0डब्लू 2 अर्थात याचीगण की माता ने अपने बयान के पृष्ठ सं0 6 पर यह स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है कि हम उसी घर में रहते हैं जिस घर में उसका पति रहता है परन्तु यह कथन किया है कि वे अलग कमरे में रहते हैं। याचीगण द्वारा प्रस्तुत इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह भलीभांति स्थापित हो जाता है कि याचीगण, प्रतिपक्षी अर्थात अपने पिता के घर में ही निवास करते हैं। चूंकि सभी याचीगण वयस्क कन्यायें हैं अतः स्वाभाविक है कि वे घर में उपलब्ध अन्य कमरों में ही रहेंगे। अतः याचीगण द्वारा पिता के घर में ही रहते हुये अलग कमरों में निवास करना स्वाभाविक भी है। जहां तक याचीगण के भरणपोषण का प्रश्न है तो याचीगण का कथन है कि उनके पिता अर्थात प्रतिपक्षी द्वारा उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है बल्कि उनका भरणपोषण बड़ी कठिनाई से उनकी माता द्वारा किया जा रहा है और वे अपनी माता पर आश्रित हैं परन्तु उन्होनें यह नहीं बताया कि स्वयं उनकी माता किस पर आश्रित हैं अर्थात उनकी माता का भरणपोषण किसके द्वारा किया जा रहा है। उनकी माता जिन्हे बतौर पी0डब्लू 2 परीक्षित किया गया है, ने अपने बयान में बताया है कि वह कोई काम नहीं करती हैं केवल घरेलू काम करती हैं अर्थात वह मात्र एक गृहणी हैं। उनका आय का अन्य कोई आर्थिक श्रोत नहीं है। उन्होनें यह भी बताया है कि उनके 6 बच्चे उनके साथ रहते हैं तथा वह अपना तथा अपने सभी बच्चों का भरणपोषण कृषि की उपज से करती हैं। उन्होनें यह भी स्वीकार किया है कि उसके पति ने उसके नाम से 6 मण्डा जमीन क्रय किया है जिस पर वह बुआई कराती हैं तथा उस पर गेहूं उत्पन्न हुआ था। जब उससे पूछा गया कि कुल कितना गेहूं पैदा हुआ था तो वह उसे नहीं बता सकी। उन्होनें यह भी स्वीकार किया कि खेत में कुछ धान भी पैदा हुआ था। अतः स्पष्ट है कि स्वयं याचीगण की माता के नाम से उपलब्ध खेत में गेहूं एवं धान दोनों ही फसलें उत्पन्न होती हैं जिसका उपयोग एवं उपभोग याचीगण द्वारा किया जाता है। एक अन्य स्थान पर यद्यपि पी0डब्लू 2 अर्थात याचीगण की माता ने स्वीकार किया है कि प्रतिपक्षी ने उनके नाम से खेती की जमीन खरीदा है परन्तु तुरंत ही यह कहने से नहीं चूकि कि उस पर कोई और खेती करता है एवं गेहूं एवं धान उगाता है परन्तु

वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बताती जो व्यक्ति उक्त खेती करता है। स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रही हैं तथा सत्य को छिपाने का असहज प्रयास कर रही हैं। वह आगे बताती हैं कि प्रतिपक्षी अपना खाना अलग बनाता है परन्तु स्वीकार करती हैं कि त्योहारों के दिन याचीगण उसे खाना दे देते हैं। वह आगे बताती हैं कि वह ही गैस सिलेण्डर लेती हैं तथा उन्होनें ही पुत्री शिमला की 10000/- रूपये एवं निर्मला की 40000/- रूपये फीस भरा था। जैसा कि ऊपर अंकित है वह यह भी स्वीकार करती हैं कि वह अशिक्षित महिला हैं तथा केवल घरेलू कार्य करना जानती हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में जब उनसे पूछा गया कि वह इतना खर्च कैसे उठा लेती हैं अर्थात उन्होनें शिमला की 10000/- रूपये की तथा निर्मला की 40000/- रूपये की फीस कैसे अदा किया तो उन्होनें उत्तर दिया कि उन्होनें उक्त राशि कर्जे से लिया था। जब उनसे आगे पुनः पूछा गया कि उन्होनें इतनी बड़ी धनराशि किससे कर्जा लिया तो उन्होनें यह बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति से लिया था परन्तु जब पुनः गांव के उस व्यक्ति का नाम पूछा गया तो बगले झांकते हुये उन्होनें यह उत्तर दिया कि वह उसका नाम नहीं जानती केवल उसका घर उन्होनें देखा है। अतः स्पष्ट है कि वह किसी अन्य व्यक्ति से कर्जा लेने वाली बात झूठ बोल रही हैं क्योंकि कोई भी अंजान व्यक्ति उन्हें इतनी बड़ी धनराशि कर्जे के रूप में नहीं देगा जबकि उसे भली भांति ज्ञान हो कि वह एक उपेक्षित, असहाय पत्नी है तथा जिससे कर्जे की वापसी संभव नहीं है। आगे वह कथन जारी रखते हुये बताती हैं कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर उन्होनें उस व्यक्ति से दस-दस हजार रूपये कर्ज लिया है परन्तु पुनः वह झूठ बोल रही हैं क्योंकि वह उस व्यक्ति का नाम तक बताने में असमर्थ हैं जिससे वह कर्जा ले रही हैं। न्यायालय में जब उनसे यह पूछा गया कि अपनी पुत्रियों के संग न्यायालय उपस्थित होने के लिये उन्होनें उस दिन कितना धन व्यय किया तो उन्होनें बताया कि 350/- रूपये व्यय किया परन्तु जब उनसे पूछा गया कि वह धन उन्हे कहां से प्राप्त हुआ तो वह पुनः बगले झांकते हुये शांत रहीं। उन्होनें यद्यपि सहजता से बताया है कि निर्मला एवं शिमला क्रमशः बी.टी.सी. एवं बी.एस.सी. कर रही हैं परन्तु यह कहने से नहीं चूकि कि उनके पिता द्वारा उनकी पढ़ाई का व्यय वहन नहीं किया जा रहा है। यदि पुत्रियां पढ़ाई कर रही हैं एवं पिता द्वारा पढ़ाई का व्यय वहन नहीं किया जा

रहा है, वह स्वयं निराश्रित महिला हैं जिनकी आय का अन्य कोई श्रोत नहीं है तथा वे सभी प्रतिपक्षी के मकान में ही निवास करते हैं तथा उनका पृथक से भोजन बनता है तो इन सब व्यय को कौन वहन करता है? इन साक्ष्यों के प्रतिकूल डी0डब्लू 1 तथा 2 दोनों ही द्वारा बताया गया है कि समस्त याचीगण तथा उनकी माता, प्रतिपक्षी के साथ ही उसके द्वारा बनवाये गये मकान में रहते हैं तथा प्रतिपक्षी ही उनका भरणपोषण करता है एवं उनकी शिक्षा का व्यय वहन करता है। प्रतिपक्षी ने सशपथ यह भी बयान दिया है कि उसने ही याचीगण की माता के नाम एक कृषि योग्य भूमि क्रय किया है (जिसे पी0डब्लू 2 ने स्वीकार भी कर लिया है)। प्रतिपक्षी ने यह भी बयान दिया है कि उसकी पत्नी अर्थात याचीगण की माता ही स्वयं घर की एवं खेती बारी का काम करती हैं, समस्त उपज रखती हैं, देखभाल करती हैं तथा उपज से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक माह लगभग 50000/- रूपये की आय प्राप्त करती हैं। अतः याचीगण के साक्ष्य की तुलना में प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अधिक विश्वसनीय तथा भरोसेमन्द लगता है क्योंकि यदि याचीगण की आय का अन्य कोई श्रोत नहीं है तथा उनके खान-पान से लेकर शिक्षा दीक्षा पर एक बड़ा खर्च वहन किया जा रहा है तथा वे सभी प्रतिपक्षी के मकान में ही संयुक्त रूप से खाना बनाते हुये, खाते पीते हुये निवास कर रहे हैं तो निश्चय ही उस व्यय का वहन उनके पिता अर्थात प्रतिपक्षी द्वारा ही किया जा रहा है जैसा कि उसने सशपथ बताया है। प्रतिपक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अपनी एक पुत्री का विवाह कर दिया है तथा उसकी अन्य संतान विवाह योग्य हैं जिनका विवाह करने का दायित्व उसका ही है। प्रतिपक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह केवल पेंशन के रूप में 32000/- रूपये अर्जित करता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह वृद्ध एवं कमजोर व्यक्ति हो चुका है। इस वृद्धावस्था में स्वयं याचीगण को उसकी सेवा करनी चाहिये न कि उससे अपनी सेवा करवानी चाहिये।

8. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करने के पश्चात यह प्रकट होता है कि वास्तव में समस्त याचीगण मय अपनी माता, प्रतिपक्षी के घर में ही निवास करते हैं तथा प्रतिपक्षी की अपनी कृषि भूमि तथा याचीगण की माता के नाम क्रय की गयी भूमि से एवं प्रतिपक्षी की आय से ही याचीगण का भरणपोषण, शिक्षा दीक्षा होती है।

अतएव याचीगण का यह कथन कि प्रतिपक्षी द्वारा उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है झूठा सिद्ध होता है। याचीगण द्वारा साक्ष्य में यह बताया गया है कि उसी घर में याचीगण का खाना अलग बनता है तथा प्रतिपक्षी का खाना अलग बनता है तथा मात्र त्योहार के अवसर पर याचीगण द्वारा प्रतिपक्षी को खाना दे दिया जाता है। वास्तव में याचीगण का यह साक्ष्य तथा वक्तव्य उनकी संवेदनहीनता, पिता के प्रति घ ोर उपेक्षा, कृतघ्नता तथा क्रूरता प्रकट करता है। पिता वास्तव में जनक होता है तथा पुत्रियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे उसी घर में रहते हुये पिता की सम्पत्ति से प्राप्त उपज से स्वयं अलग खाना बनाकर भोजन कर लें और पिता को पृथक से अपना भोजन बनाने के लिये मजबूर होना पड़े जबकि पिता सेवानिवृत्त होकर वृद्ध हो चुके हैं तथा यह सहज अपेक्षा कर सकते हैं कि वृद्धावस्था में उनकी संतान उनकी देखभाल करे। परन्तु उनकी संतानों ने उनकी देखभाल करना तो दूर उनकी पेंशन पर कुदृष्टि लगाकर उन्हे न्यायालय में आहूत कर लिया है तथा मुकदमा लड़ने के लिये बाध्य कर रहे हैं। यद्यपि याचीगण स्वीकार करते हैं कि उनके पिता की पेंशन मात्र 35000/- रूपये प्रतिमास है परन्तु फिर भी उन्होनें 32000/- रूपये प्रतिमाह की राशि स्वयं के भरणपोषण के लिये यह दावा प्रस्तुत किया है जबकि वे यह भली भांति जानते हैं कि 5000/- रूपये पिता द्वारा उनकी माता को भरणपोषण दिये जाने का आदेश पारित हो चुका है। यदि वे 32000/- रूपये याचीगण को दे देंगे तो फिर वह उनकी माता को भरणपोषण की राशि कैसे अदा कर सकेंगे तथा स्वयं वृद्धावस्था में अपना जीवनयापन कैसे कर सकेंगे। उनके पिता ने यह स्वीकार किया है कि एक पृत्री के विवाह के पश्चात उनकी शेष संताने भी विवाह योग्य हो चुकी हैं जिनका विवाह करने का दायित्व भी उन पर है। निश्चय ही उनके विवाह पर व्यय होने वाली धनराशि की बचत वह अपनी पेंशन से ही करेंगे तथा दो विकलांग बच्चों का भरणपोषण भी अपनी पेंशन की राशि से ही करेंगे परन्तु याचीगण ने सभ्य परिवार के सभी भारतीय संस्कारों को दरकिनार करते हुये स्वार्थ के वशीभूत अपने पिता के प्रति अपने कर्त्तव्यों की पूर्णरूप से अवहेलना करते हुये मिथ्या कथनों के साथ यह याचिका प्रस्तुत किया है। अतएव इस विश्लेषण से इस विचारणीय बिन्दु पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिपक्षी द्वारा याचीगण का संतोषजनक रूप से भरणपोषण किया जा

रहा है तथा याचीगण उससे पृथक से भरणपोषण हेतु कोई राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

9. **<u>विचारणीय बिन्दु सं0 (iii):-</u>** विचारणीय बिन्दु सं0 (i) एवं (ii) पर निकाले गये निष्कर्षो से यह प्रकट होता है कि याचीगण सं0 1 एवं 2 वयस्क होने के कारण प्रतिपक्षी से भरणपोषण राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। वे पर्याप्त रूप से शिक्षित भी हैं तथा पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में स्वीकार भी किया है कि वह ट्यूशन पढ़ा सकती है अर्थात वयस्क होने के कारण तथा पर्याप्त रूप से शिक्षित होने के कारण भी वह प्रतिपक्षी से भरणपोषण की राशि प्राप्त करने की पात्र नहीं है। विपक्षी यद्यपि सामर्थ्यवान है परन्तु वह याचीगण का संतोषजनक रूप से भरणपोषण भी कर रहा है। अतः यह विचारणीय बिन्दु तदानुसार निस्तारित किया जाता है।

10. **<u>विचारणीय बिन्दु सं0 (iv):-</u>** उपरोक्त विचारणीय बिन्दु सं0 (i), (ii) एवं (iii) पर निकाले गये निष्कर्षो के आधार पर यह पाया जाता है कि याचीगण, प्रतिपक्षी से कोई भी भरणपोषण धनराशि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं तथा याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11. याचिका निरस्त किया जाता है। सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 21.12.2020

(आदिल आफताब अहमद)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।
ID No.- UP 5723

12. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 21.12.2020

(आदिल आफताब अहमद)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।
ID No.- UP 5723

न्यायालय- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मऊ।
उपस्थित- श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
मुकदमा संख्या 6809 सन् 2005
C.N.R. No.- UPMA020000642005

1. मंजू यादव उम्र लगभग 34 वर्ष पत्नी सतेन्द्र यादव पुत्री बैजनाथ यादव
2. सचिन यादव उम्र लगभग 08 वर्ष पुत्र सतेन्द्र यादव
3. सौरभ यादव उम्र लगभग 05 वर्ष पुत्र सतेन्द्र यादव
नाबालिगान बलायत माता हकीकी मंजू यादव
साकिनान- लुदुही (ललितपुर), थाना- घोसी, जनपद- मऊ।

......................याचीगण

बनाम

सतेन्द्र यादव पुत्र दूधनाथ यादव, साकिन- बुढ़नापुर, पोस्ट- किड़िहरापुर, थाना- भीमपुरा, जनपद- बलिया।

.....................विपक्षी

अंतर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता
थाना- घोसी, जनपद- मऊ।

निर्णय

1. याचीगण मंजू यादव, सचिन यादव एवं सौरभ यादव द्वारा विपक्षी अपने पति/पिता सतेन्द्र यादव के विरूद्ध कुल 3000/- रूपये प्रत्येक को प्रतिमाह की भरणपोषण राशि हेतु यह याचिका/आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है।

2. याचीगण का कथन है कि याची सं0 1 का विवाह विपक्षी से हिन्दू धर्म शास्त्र एवं रीति रिवाज के अनुसार मई वर्ष 1993 में सम्पन्न हुआ था तथा गवना अप्रैल सन् 1996 में होने के पश्चात याची सं0 1, विपक्षी के साथ गई थी जहां वह अपने स्त्री धर्म एवं कर्त्तव्यों का पालन कर रही थी। उभय पक्षों के संसर्ग से याची सं0 1 को दो बच्चे सचिन एवं सौरभ, याची सं0 2 एवं 3 उत्पन्न हुये परन्तु विपक्षी एवं उसके परिवार के सदस्य उस पर यह दबाव डालते रहे कि वह अपने पिता से दस हजार रूपये मांगकर लाये। उसके असमर्थतता व्यक्त करने पर विपक्षी ने उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। याची सं0 1 का कोई भाई नहीं है अतः विपक्षी ने यह धमकी देना प्रारंभ किया कि अपने पिता से मांगे गये पैसे

लेकर आओ अथवा अपने पिता की पूरी सम्पत्ति उसके नाम लिखवा दो अन्यथा विपक्षी, याची को उसके मायके पहुंचा देगा। जुलाई 1999 में विपक्षी ने याची सं0 1 को मारपीटकर घर से निकाल दिया तब याची सं0 1 अपने पिता के घर वापस आ गयी। याची सं0 1 को दूसरा पुत्र उत्पन्न होने पर भी विपक्षी ने उसका व्यय वहन नहीं किया तथा कोई खोज खबर नहीं लिया। याची सं0 1 के पिता ने विपक्षी से प्रार्थना किया तथा पंचायत में भी मामला रखा परन्तु विपक्षी याची सं0 1 के पिता से पैसे लेने एवं सम्पत्ति अपने नाम करवाने की जिद पर अड़ा रहा तथा उसे अपने घर ले जाने से इंकार कर दिया। याची सं0 1 ने इस प्रार्थना पत्र से पूर्व भी भरणपोषण हेतु एक अन्य वाद सं0 86/03, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु विपक्षी के आश्वासन पर सुलह कर वह उसके साथ चली गयी एवं अपने स्त्री धर्म एवं दायित्वों का निर्वहन करने लगी परन्तु एक दो माह पश्चात ही विपक्षी का व्यवहार पुनः कठोर हो गया तथा वह पुनः उसके पिता से पैसा एवं सम्पत्ति की मांग करने लगा एवं उसे मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। अपने पुत्रों के भरणपोषण, शिक्षादीक्षा की भी व्यवस्था नहीं किया अतः उसने बड़े पुत्र सचिन की शिक्षा हेतु अपने मायके भेज दिया। घर में खाने पीने की समस्त सामग्री उपलब्ध होने पर भी विपक्षी, याचीगण को उनका उपभोग करने का अधिकार नहीं देता है। दिनांक 06.02.05 को विपक्षी ने याची को मारपीटकर घर से निकाल दिया। अतः अपने पुत्र सौरभ के साथ वह मायके चली गयी। याची सं0 1 स्वयं कोई व्यवसाय नहीं कर सकती तथा उसके पास कोई धन व सम्पत्ति अपने भरणपोषण हेतु नहीं है जबकि विपक्षी के पास खेती है तथा वह दुकान करके भी काफी पैसा अर्जित करता है। अतः विपक्षी से प्रत्येक याची को 3000/- रूपये बतौर भरणपोषण धनराशि दिलाया जाये।

3. विपक्षी ने आवेदन पत्र के विरूद्ध आपत्ति 12क प्रस्तुत किया है तथा आवेदन पत्र में वर्णित अभिकथनों को अस्वीकार करते हुये आवेदन पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर किया है कि वह निर्धन एवं बेरोजगार व्यक्ति है। उसके पास कोई दुकान एवं खेती बारी नहीं है जबकि याची सं0 1 के पिता के पास काफी खेती है तथा वह सम्पन्न व्यक्ति है। याची सं0 1 ही अपने पिता की खेती बारी की समस्त आमदनी को अपने पास रखती है तथा इस प्रकार वह दस हजार रूपये प्रतिमाह की

आय अर्जित करती है। याची सं0 1 अपने दोनों पुत्रों के साथ विपक्षी के घर पर ही रहती है तथा स्वेच्छा से कभी-कभी अपने मायके चली जाती है। वर्ष 2008 में वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गयी। जब वह उसकी विदाई कराने के लिये गया तो उसने उसके संग आने से यह कहकर मना कर दिया कि विपक्षी के पास कोई आय का स्त्रोत नहीं है अतः विपक्षी, याची सं0 1 के मायके रहे अन्यथा उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। अतः वह वापस लौट आया। याची सं0 1 द्वारा मारने पीटने का लगाया गया आरोप निराधार है। विपक्षी के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है। याची सं0 1 स्वयं उसके साथ रहने के लिये तैयार नहीं है। वह अपने पिता की सम्पत्ति की मालिक है जिससे वह अपना तथा अपने बच्चों का भरणपोषण कर रही है।

4. आवेदन पत्र तथा आपत्ति में किये गये कथनों के आधार पर याचिका को निर्णीत करने के लिये इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-

(i) क्या याची सं0 1, विपक्षी की पत्नी एवं याची सं0 2 व 3, विपक्षी की अवयस्क संताने हैं?

(ii) क्या याचीगण उचित एवं पर्याप्त कारण से विपक्षी से अलग रहते हैं एवं विपक्षी द्वारा उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है तथा उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है?

(iii) क्या याचीगण, प्रतिपक्षी से किसी भरणपोषण राशि को प्राप्त करने के पात्र हैं, यदि हां तो कितनी भरणपोषण की धनराशि?

5. याचीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में याची सं0 1 मंजू यादव को बतौर पी0डब्लू 1 परीक्षित किया है। प्रतिपक्षी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को बतौर डी0डब्लू 1 परीक्षित किया गया है तथा साक्षीगण रामअशीष एवं अवधेष को बतौर डी0डब्लू 2 एवं 3 परीक्षित किया है।

6. **<u>विचारणीय बिन्दु सं0 (i):-</u>** विपक्षी ने अपनी आपत्ति में याची सं0 1 से अपना विवाह होना तथा याची सं0 2 एवं 3 को अपना पुत्र होने से इंकार नहीं किया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि याची सं0 1, विपक्षी की पत्नी एवं याची सं0 2 व

3, विपक्षी के पुत्र है। अतएव विचारणीय बिन्दु सं0 1 पर सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है।

7. **<u>विचारणीय बिन्दु सं0 (ii):-</u>** याची सं0 1, पी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया है कि याची सं0 1 का विवाह विपक्षी से हिन्दू धर्म शास्त्र एवं रीति रिवाज के अनुसार मई वर्ष 1993 में सम्पन्न हुआ था तथा गवना अप्रैल सन् 1996 में होने के पश्चात याची सं0 1, विपक्षी के साथ गई थी जहां वह अपने स्त्री धर्म एवं कर्त्तव्यों का पालन कर रही थी। उभय पक्षों के संसर्ग से याची सं0 1 को दो बच्चे सचिन एवं सौरभ, याची सं0 2 एवं 3 उत्पन्न हुये परन्तु विपक्षी एवं उसके परिवार के सदस्य उस पर यह दबाव डालते रहे कि वह अपने पिता से दस हजार रूपये मांगकर लाये तथा उसके बाद असमर्थतता व्यक्त करने पर विपक्षी ने उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। याची सं0 1 का कोई भाई नहीं है अतः विपक्षी ने यह धमकी देना प्रारंभ किया कि अपने पिता से मांगे गये पैसे लेकर आओ अथवा अपने पिता की पूरी सम्पत्ति उसके नाम लिखवा दो अन्यथा विपक्षी, याची को उसके मायके पहुंचा देगा। जुलाई 1999 में विपक्षी ने याची सं0 1 को मारपीटकर घर से निकाल दिया तब याची सं0 1 अपने पिता के घर वापस आ गयी। याची सं0 1 को दूसरा पुत्र उत्पन्न होने पर भी विपक्षी ने उसका व्यय वहन नहीं किया तथा कोई खोज खबर नहीं लिया। याची सं0 1 के पिता ने विपक्षी से प्रार्थना किया तथा पंचायत में भी मामला रखा परन्तु विपक्षी याची सं0 1 के पिता से पैसे लेने एवं सम्पत्ति अपने नाम करवाने की जिद पर अड़ा रहा तथा उसे अपने घर ले जाने से इंकार कर दिया। याची सं0 1 ने इस प्रार्थना पत्र से पूर्व भी भरणपोषण हेतु एक अन्य वाद सं0 86/03, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु विपक्षी के आश्वासन पर सुलह कर वह उसके साथ चली गयी एवं अपने स्त्री धर्म एवं दायित्वों का निर्वहन करने लगी परन्तु एक दो माह पश्चात ही विपक्षी का व्यवहार पुनः कठोर हो गया तथा वह पुनः उसके पिता से पैसा एवं सम्पत्ति की मांग करने लगा एवं उसे मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। अपने पुत्रों के भरणपोषण, शिक्षादीक्षा की भी व्यवस्था नहीं किया अतः उसने बड़े पुत्र सचिन की शिक्षा हेतु अपने मायके भेज दिया। घर में खाने पीने की समस्त सामग्री उपलब्ध होने

पर भी विपक्षी, याचीगण को उनका उपभोग करने का अधिकार नहीं देता है। दिनांक 06.02.05 को विपक्षी ने याची को मारपीटकर घर से निकाल दिया। अतः अपने पुत्र सौरभ के साथ वह मायके चली गयी। याची सं0 1 स्वयं कोई व्यवसाय नहीं कर सकती तथा उसके पास कोई धन व सम्पत्ति अपने भरणपोषण हेतु नहीं है जबकि विपक्षी के पास खेती है तथा वह दुकान करके भी काफी पैसा अर्जित करता है।

8. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि सत्येन्द्र तीन भाई हैं। जितेन्द्र मर गये हैं तथा दूसरे भाई रवीन्दर जीवित हैं। मेरे गांव के प्रधान गोपाल यादव द्वारा दी गयी यह रिपोर्ट गलत है कि मंजू के लड़के सचिन और सौरभ औराईकला में रहते हैं। आज के दिन सचिन 20-22 वर्ष का तथा सौरभ 18-19 वर्ष का होगा, सचिन के जन्म की तारीख 2 जून तथा सौरभ की 11 जून है, वर्ष याद नहीं है। मैं इण्टर तक पढ़ी हूं। (विपक्षी) सत्येन्द्र के हिस्से की 1/3 जमीन माद्दा देवी को नहीं बेची बल्कि रवीन्द्र को दिया है जो उन्होनें दान में दिया है। उस पर मेरा तथा सचिन का हस्ताक्षर है..........यह कहना गलत है कि मेरे पिता ने सारी जमीन अपने भतीजों को दे दिया है........मेरे और सत्येन्द्र के बीच दो बार सुलहनामा हुआ था और उन्होनें दोनों बार मारपीटकर भगा दिया..........मैं आखिरी बार 6 फरवरी 2003 को औराईकला से अपने मायके आयी थी.........आज बयान देने मैं अपने ससुराल से आयी हूं.........सचिन और सौरभ दोनों बालिग हो गये हैं परन्तु केवल सचिन स्कूल में चपरासी है सौरभ काम नहीं करता। यह कहना गलत है कि सचिन और सौरभ हम पक्षकारों की संतान नहीं है...........बलिया में मैनें सत्येन्द्र के खिलाफ मुकदमा किया है फिर कहा कि आपत्ति किया है। मौजूदा समय में विपक्षी के पास 5 मण्डा जमीन शेष है जिसे विपक्षी जोत बो रहा है। यह कहना सही है कि विपक्षी सत्येन्द्र की जमीन पर मैने दो कमरा बनाया है तथा करकट रखकर उसी में रह रही हूं.........मैनें सत्येन्द्र के नाम की जमीन जवाहिर शर्मा को नहीं दिया है। सत्येन्द्र की आबादी वाली जमीन को मैनें विजयशंकर एवं विश्वनाथ को नहीं बेचा है। यह कहना गलत है कि सत्येन्द्र की पूरी सम्पत्ति मैं जोतती बोती हूं तथा यह भी कहना गलत है कि मैं स्वयं विपक्षी के साथ बतौर पत्नी नहीं रहना चाहती।

9. विपक्षी सत्येन्द्र, डी0डब्लू 1 ने बयान दिया है कि मंजू यादव मेरी पैत्रिक

जमीन में ही मकान बनाकर रहती है। खेती बारी में फसल कास्त करती है और उसका उपभोग व उपयोग करती है। सौरभ यादव मेरा पुत्र है जो बालिग है तथा विद्यालय में काम करता है। सचिन यादव मेरा पुत्र नहीं है। मेरी पत्नी एवं सौरभ द्वारा मेरी पूरी खेती बारी पर कब्जा कर लिया गया है और मुझे एक भी दाना नहीं दिया जाता है। मंजू यादव मुझ पर दबाव बनाती है कि अपना खेत बेचकर मेरे मायके चलकर रहो अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह स्वयं 2008 में सौरभ और सचिन को लेकर अपने मायके चली गयी तथा मेरे साथ आने को तैयार नहीं हुई। वह व्यभिचारिणी व स्वेच्छारिता का जीवन व्यतीत कर रही है। मेरी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। मेरा भाई रवीन्द्र मुझसे अलग रहता है तथा अपने हिस्से पर खेती करता है तो याचिनी तथा सचिन उससे झगड़ा करते हैं। मंजू देवी ने हस्ताक्षर करके मेरे नाम की जमीन को विक्रय कर दिया था। मेरी पत्नी द्वारा बलिया में आराजी नं0 88 एवं आराजी नं0 39 एवं आराजी नं0 48 के बावत वाद सं0 830/14, मंजू देवी बनाम सत्येन्द्र योजित किया गया था जिसमे उसका स्टे निरस्त हो चुका है। मंजू ने बलिया में ही मेरे विरूद्ध प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय में मुकदमा सं0 540/18 वास्ते भरणपोषण योजित किया था तथा मेरे आराजियात को कुर्क करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था। लाकडाउन के दौरान मंजू देवी ने मेरी जमीन पर मकान का निर्माण कर लिया है। ग्राम प्रधान गोपाल यादव तथा जिला पंचायत सदस्य अमरजीत यादव ने यह प्रमाण पत्र दिया है कि मंजू देवी मेरे घर पर रहती है और उपभोग उपयोग करती है। इसके बावजूद मैं उसे पत्नी के रूप में रखने को तैयार हूं लेकिन उसने स्वच्छन्द आचरण करके मेरी पूरी खेती बारी का कब्जा कर लिया है तथा मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। मंजू अपना भरणपोषण करने में स्वयं समर्थ है क्योंकि वह स्वयं मेरे पैत्रिक जमीन पर खेती करती है तथा सचिन विद्यालय में नौकरी करता है। मंजू ने झूठे कथनों के आधार पर विवाह के 12 वर्ष के पश्चात यह झूठा मुकदमा दाखिल किया है।

10. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि औराईकला में मेरे नाम गाटा नं0 38, 48 एवं 39 है। मैनें तथा मेरे भाई ने 4-4 मण्डा जमीन विद्यालय को दान दिया है। कोरोना काल में मेरी पत्नी ने मेरी जमीन में निर्माण किया है। निर्माण के लिये मैनें

उसे कोई पैसा नहीं दिया था..........जब घर जमीन (याचीगण ने) ले लिया है तो मेरे पास कुछ नहीं है.........जब (याची सं01 ने) घर, खेत ले लिया है तो कोरोना पीरियड में उसकी मदद कैसे करें। सब आबादी दो जगह की जमीन बेच दिये हैं। यह कहना गलत है कि मैं ज्ञान ज्योति स्कूल में पढ़ाता हूं तथा दस हजार रूपये कमाता हूं तथा यह भी कहना गलत है कि सारी जमीन बेचकर भाई को दे देना चाहता हूं तथा यह भी कहना गलत है कि मेरे भाई के स्कूल में मेरा शेयर है।

11. डी0डब्लू 3 अवधेश ने बयान दिया है कि सत्येन्द्र उसके रिश्तेदार हैं। वह कोई दुकान नहीं करते। उनकी खेती बारी उनकी पत्नी मंजू करती हैं एवं फसल का भाग स्वयं ले लेती हैं तथा सत्येन्द्र को कुछ नहीं देती। सत्येन्द्र के दोनों लड़के काम करते हैं जो सत्येन्द्र पर आश्रित नहीं हैं। मंजू यादव, सत्येन्द्र यादव की पुश्तैनी जमीन पर भी रहती है और एक मकान भी बनाया है।

12. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने से यह प्रकट होता है कि यद्यपि वर्ष 2008 में याची अपने पुत्रों सचिन एवं सौरभ को लेकर अपने मायके चली गयी थी परन्तु तत्पश्चात किसी समय वह वहां से वापस आ गयी एवं अपने पति विपक्षी सत्येन्द्र की पैत्रिक जमीन पर ही स्वयं उसने कब्जा करके दो कमरों का निर्माण कर लिया है एवं अपने पति की ही सम्पत्ति में रहती है। विपक्षी के पास 5 मण्डा जमीन शेष है। उसकी समस्त जमीन पर याची सं0 1 स्वयं जोत बो भी रही है एवं उसकी फसल कास्त कर रही है। उभय पक्षों के साक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि याची सं0 1 अब अपने मायके में नहीं रहती बल्कि अपने पति, विपक्षी की पुश्तैनी जमीन पर ही कब्जा करके स्वयं मकान बनाकर रह रही है तथा उक्त मकान भी उसने स्वयं के संशाधन से बनाया है। याची सं0 1 द्वारा अपने पुत्रों हेतु भी भरणपोषण का दावा प्रस्तुत किया है परन्तु वे वयस्क हैं तथा उनमे सचिन किसी विद्यालय में चपरासी की नौकरी कर रहा है। यद्यपि याची सं0 1 द्वारा याचिका में विपक्षी पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी उससे दस हजार रूपये की मांग कर रहा था तथा उस पर यह दबाव बना रहा था कि वह अपने पिता की सम्पत्ति विपक्षी के नाम लिखवा दे और उक्त मांग पूरी न होने पर उसने उसे मारपीटकर मायके भगा दिया परन्तु विपक्षी ने इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वह उस

पर निरंतर दबाव बना रही थी कि अपनी जमीन बेचकर उसके साथ उसके मायके में रहे। याची सं0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पति की जमीन में कमरा बनवा लिया है। अतः इन साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि याची सं0 1 स्वेच्छा से पहले अपने मायके रहने इस कारण चली गयी थी कि उसके पिता का कोई पुत्र नहीं था तथा अब वह स्वयं वहां से लौट आयी है तथा अपने पति की पैतृक जमीन पर स्वयं उसने मकान का भी निर्माण कर लिया है तथा उसी में अपने पुत्रों के साथ निवास करती है। वह अपने पति पर उसे उपेक्षित करने का मिथ्या दोषारोपण कर रही है। उसके दोनों ही पुत्र वयस्क हैं। उनमे से सचिन विद्यालय में नौकरी करके वेतन प्राप्त करता है। अतएव उपरोक्त साक्ष्यों से यह प्रकट नहीं होता कि याची सं0 1 किसी उचित कारण से विपक्षी से अलग रहती है बल्कि यह प्रतीत होता है कि स्वेच्छा से वह अपने पति से अलग अपने मायके में रहना प्रारंभ किया था परन्तु कालांतर में वह अपने पति की जमीन पर मकान बनाकर रह रही है तथा उसकी जमीन पर स्वयं ही काश्त भी करती है। याचीगण सं0 2 एवं 3 भी वयस्क हैं तथा उनमे सचिन वेतन भी प्राप्त करता है। अतः इस विचारणीय बिन्दु पर यह निष्कर्ष निकलता है कि याचीगण उचित कारण से विपक्षी से अलग नहीं रहते तथा विपक्षी द्वारा उनके भरणपोषण में उपेक्षा नहीं की गयी है।

13. **<u>विचारणीय बिन्दु सं0 (iii):-</u>** उपरोक्त विचारणीय बिन्दु सं0 (i) एवं (ii) पर निकाले गये निष्कर्षो के आधार पर यह पाया जाता है कि याचीगण, प्रतिपक्षी से कोई भी भरणपोषण धनराशि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं तथा याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

14. याचिका निरस्त किया जाता है। सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 22.03.2021

(आदिल आफताब अहमद)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।
ID No.- UP 5723

15. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 22.03.2021

(आदिल आफताब अहमद)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।
ID No.- UP 5723

<u>In the Court of Principal Judge, Family Court, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Case No.- 582 of 2015
C.N.R. No.- UPMA020013532015

1. Saroj Chauhan w/o Jitendra Chauhan d/o Baijnath Chauhan
2. Prince s/o Jitendra Chauhan
3. Vidyansu d/o Jitendra Chauhan
Caretaker as mother Saroj Chauhan
R/o- Chhichhor Karudi (Chinora), P.S.- Haldharpur, District- Mau.
…......................Petitioners

Versus

Jitendra Chauhan s/o Shivji Chauhan, R/o- Natthopur (Savara), P.S.- Rasda, Post- Gopalpur, District- Balia.
….................Respondent

Under section- 125 Cr.P.C.,
P.S.- Haldharpur, District- Mau.

<u>JUDGMENT</u>

1. The wife and two minor sons of the respondent have filed this petition for maintenance under section 125 Cr.P.C.

2. The petitioner no. 1 has averred that she was married to respondent and have gone along with him to his house as his wife. On the occasion of marriage one lakh rupees, gold and other presents were given to them by her father. During her stay with respondent in his house, the respondent and his parents started expressing their dissatisfaction with the presents given in the marriage and started demanding more. They used to curse her for inadequate dowry. With their wedlock three children were born to them. On the birth of her third child as a girl child they became more annoyed and started making demand for two lakh rupees so that respondent may purchase an used truck to earn more. When she refused to fulfill their demand they asked her father to take the petitioner back to his house and not to sent her again unless and until he gives them two lakh rupees. On 04.06.15 the respondent and his father came to her house assaulted her and abused her and thereafter, forcibly took her son Piyush along with him

threatening her to kill her if she dares to come to their house. Ever since she is living at her parents house and is unable to maintain her. The respondent is neglecting and refusing to maintain her. She is unable to make any earning and is dependent upon her parents whereas respondent earns as much as rupees 80000 per month and is capable of maintaining the petitioners.

3. Respondent has submitted objection to the application. He has admitted his marriage with petitioner no. 1 and about their children as averred in the application but has opposed the application on the grounds that he has never demanded any dowry from her. Instead, it is the brothers and father of the petitioner no. 1 who are by nature criminals and themselves were demanding money from the respondent. The petitioner no. 1 herself has chosen not to live with him. She herself is not ready to live with him. She is exerting pressure upon him to live separately from his parents. At first the petitioner no. 1 herself left him for her father's home leaving all the children with the respondent and later, in the month of April 2015, the petitioner no. 1 came at his house along with her brother and a few more persons and forcibly took away his two children from his custody. In spite of his best efforts she is not ready to live with him as his wife and is forcing him to seek divorce. She has filed a suit for divorce in district Balia. She has voluntarily chosen to live in her parents house and that the respondent has never caused to go her from his house.

4. On the basis of averments made in the application and the objection following points for determination are there before this court in the matter :-

(i) Whether the petitioner no. 1 is the wife and petitioner nos. 2 and 3 are minor children of respondent ?

(ii) Whether respondent is neglecting and refusing to maintain the petitioners ?

(iii) Whether petitioners are incapable of maintaining themselves and respondent has sufficient means to maintain the petitioners ?

(iv) To what amount of maintenance allowance the petitioners are entitled to, if any ?

5. The petitioner no. 1 has got herself examined as PW 1 and her father Baijnath Chauhan as PW 2 in her oral evidence. The respondent has got himself examined as DW 1 and has produced Gulab Chand Chauhan as witness who has been examined as DW 2.

Point no. (i) The respondent has admitted that he was married to petitioner no. 1 and that the children mentioned in para no. 6 of the application are his children. From this admission it is proved that petitioner no. 1 is the wife and petitioner nos. 2 and 3 are the minor children of respondent. This point is accordingly decided in the affirmative.

Point no. (ii) The petitioner, PW 1, in her oral evidence has reiterated what she has averred in her application. However, in her cross examination she has admitted that "*…...after the birth of her child respondent and his father had gone to her house and took away her son Piyush along with them. Jitendra had taken away her son from the house of her parents three years ago. He is nine years old and now lives with respondent. He was making efforts to take away the remaining two children too but he could not because she boldly resisted their attempts.......I intend that respondent live along with her separately from his parents. It was this reason why they are not seeing eye to eye…...*" "…….इस बीच मैं ससुराल आती जाती थी। बड़ा लड़का पियूष, जितेन्द्र के साथ रहता है। जितेन्द्र उसे लेकर भाग गये थे। मेरे मायके से जितेन्द्र लड़के को लेकर भाग गये थे। तीन साल पहले लेकर भागे थे। मेरा बड़ा लड़का 9 साल का है जो जितेन्द्र के यहां रहकर पढ़ता है। इन दोनों बच्चों को भी ले जाने के चक्कर में थे लेकिन मैं बरियाई से रोक ली थी। ये दोनों बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि जितेन्द्र आकर मेरे मायके में रहें। मैं यह चाहती थी कि मुझे लेकर अपने मां बाप से अलग रहें। इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच तकरार हो गयी।......." The respondent in his oral evidence has reiterated that he had never demanded any dowry from the petitioner

no. 1. Instead after living only for short period with him she herself had left his house. With their wedlock three children were born to them. The brother of petitioner no. 1 is of criminal nature and he keeps him extorting money. The petitioner no. 1 herself is not ready to live with him. She is exerting pressure upon him to leave his parents and live separately with her. At first she left him for her parents house leaving all the three children with him but later, in the month of April 2015, she came to his house along with her brother and a few more persons and forcibly took away along with her his two children Prince and Vidyansu. He has never neglected her. Instead, it is she who has filed a suit for divorce from him which is pending. In his cross examination he has stated that the petitioner no. 1 has withdrawn the suit for divorce. He keeps taking information about the welfare of his wife and children through any person of her village who visits his village. However, he has not paid any amount to his wife or children for the last five years. He earns only 220 rupees per day. It is false to state that he is a truck driver.

6. From the evidence of petitioner, PW 1, it is proved that she is insisting the respondent to part with his parents and live separately along with her and it is due to this reason that they are not seeing eye to eye. This insistence on the part of the petitioner no. 1 appears to be the reason why she has chosen to leave the company of her husband. A son cannot be forced to part with his parents or leave his parents and if the son is not ready to part with his parents and it is due to this reason that his wife is not ready to live with him, there is no just and sufficient reason for the wife to live separately and claim maintenance from her husband.

7. As far as the prayer for maintenance for the children is concerned it is apparent that respondent is eager to have them with him. From the evidence of none other than the petitioner no. 1 herself, it is proved that when all the three children were living with her at her parents house the respondent muster courage to go there and took away one of his children namely, Piyush forcibly from her custody and even intended to bring back

the remaining two children too but he failed because he was forcibly resisted by the petitioner no. 1. Therefore, it is not difficult to conclude that respondent is not only ready and willing but is leaving no stone unturned to have his children with him but it is the petitioner no. 1 who is resisting his effort. Therefore, there is no good and sufficient reason for the petitioners to leave the company of respondent and live separately. Accordingly, it is not proved that respondent is refusing to maintain his wife and children, the petitioners. Actually it is the petitioner no. 1 who has deserted the respondent. Hence, on this point it is not proved that respondent is neglecting and refusing to maintain the petitioners.

8. On the basis of finding on point no. (ii) there is no need to dwell upon rest of the points.

9. Since it is not proved that respondent is neglecting and refusing to maintain the petitioners, this petition under section 125 Cr.P.C. does not deserves to be allowed.

<u>Order</u>

10. The petition is dismissed. Consign the record after necessary entries in the relevant registers.

Dated: 15.10.2020 **(Adil Aftab Ahmad)**
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

11. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 15.10.2020 **(Adil Aftab Ahmad)**
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

<u>In the Court of Principal Judge, Family Court, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Case No.- 2852 of 2014
C.N.R. No.- UPMA020011652014

1. Kalindi Singh w/o Dayashankar d/o Late Paras, R/o- Itaura Chaubeypur, P.S.- Mohammadabad Gohna, District- Mau.
2. Diksha d/o Dayashankar
Caretaker as mother Kalindi Singh
Present address- Bharthiyan Kadipur, P.S.- Kopaganj, District- Mau.

…......................Petitioners

Versus

Dayashankar Singh s/o Late Rampalat, R/o- Itaura Chaubeypur, P.S.- Mohammadabad Gohna, District- Mau.

…................Respondent

Under section- 125 Cr.P.C.,
P.S.- Mohammadabad Gohna,
District- Mau.

<u>JUDGMENT</u>

1. The petitioners, the wife and the minor daughter, have filed this petition for an amount of rupees 10000 to petitioner no. 1 and for rupees 8000 for petitioner no. 2 as maintenance under section 125 Cr.P.C against their husband/father, the respondent.

2. The petitioners have averred that petitioner no. 1 was married to respondent on 24.02.12 as per Hindu Law. After the marriage petitioner no. 1 had gone along with her husband to his house and began performing her marital obligations but the mother-in-law and brother-in-law of the respondent were not happy with her because a motor cycle and refrigerator were not given on the occasion of marriage and started cursing the petitioner no.1 for the same. After sometimes the petitioner no. 1 became pregnant. Even thereafter, the respondent kept insisting for motor cycle and refrigerator and expressed his desire many times for the same. He started assaulting and thereby causing cruelty to her. She had brought the matter to the notice of her parents too who, in turn, advised her to keep patience.

Meanwhile, the respondent developed illicit relationship with other women. He kept all the presents given on the occasion of the marriage with himself. On 31.08.12 the respondent demanded motor cycle and refrigerator from her brother on phone. When her brother expressed his helplessness, the respondent became furious and hit her in her stomach as a result she bore a premature child on 04.09.12 in the hospital. Even thereafter the demand of said items continued from the side of her in-laws. They used to cease providing food to her and milk to her infant. They even attempted to kill her by pouring kerosene on her. She called police by dialing 100. The police too reprimanded them for their conduct. Ultimately they forced the petitioner no. 1 to quit their house along with her child. In this way the respondent has deserted the petitioners who is living in her parent's house. The respondent is not taking care of petitioners. The petitioners are unable to earn a livelihood and maintain themselves while the respondent is an employee in a factory from where he earns as much as rupees 25000 per month. He has agricultural income too but he is neglecting and not maintaining the petitioners. Hence, this petition for rupees 10000 and 8000 per month respectively for the petitioners.

3. The respondent has filed objections 10ka and 9ka against the petition mentioning therein that it is true that petitioner no. 1 was married to him on 24.02.12 as per Hindu law but she is not legally wedded wife of the respondent. Petitioner no. 2 is not fathered by him and therefore, she is not his daughter. The said marriage solemnized between them on 24.02.12 as per Hindu law is a result of fraud and, therefore, sham. There has never been any marital relations between them. She had been to his house but initially, after quarreling with the members of the respondent’s family in his house, she choose to live in her parent's house. In the year 2012 she went to Chhattisgarh with his brother where her brother lived and gave birth to a child on 04.09.12. Before she had left his house for her parent's house, apprehending foul play, he had inquired from her about her pregnancy.

Then she replied that irrespective of the fact as to who was the father of the child she would remain his wife and would live with him as such. As they were married on 24.02.12 and petitioner no. 2 was born on 04.09.12 it is apparent that petitioner no. 1 was already married to some other person sometimes before 24.11.11 and it was from this former wedlock that she had become pregnant. He had no access to her when the child should have been begotten. This is a fact which has been concealed by the petitioner no. 1 in her application. Therefore, neither petitioner no. 1 is his legally wedded wife nor petitioner no. 2 is his daughter. For this reason they are not entitled to any maintenance which a legally wedded wife and a daughter is entitled to. For being entitled to the reliefs of a wife the petitioner no. 1 must first have discharged her marital obligation but as she is discharging the said obligation with any other person she has disqualified herself from any relief from the respondent. Therefore, petition is not maintainable.

4. On the basis of averments made in the application and the objections thereto, following points for determination are there before this court in the matter :-

(i) Whether the petitioner no. 1 is the wife and petitioner no. 2 is the minor daughter of respondent ?

(ii) Whether petitioners are living separately from respondent for a just cause and respondent is neglecting and refusing to maintain the petitioners ?

(iii) Whether petitioners are incapable of maintaining themselves and respondent has sufficient means to maintain the petitioners ?

(iv) To what amount of maintenance allowance the petitioners are entitled to, if any ?

5. The petitioner no. 1 has got herself examined as PW 1 in her oral evidence and has also produced Asha Devi, PW 2, as witness. The respondent has got himself examined as DW 1 and has also produced Sacchidanand Singh, Usha Singh and Kripashankar Singh as witnesses who

have been examined as DW 2, 3 and 4.

6. Point no. (i)

7. The petitioner no. 1, PW 1, in her oral evidence has deposed that she was married to respondent on 24.02.12 as per Hindu Law. After the marriage the petitioner no. 1 had gone along with her husband to his house and began performing her marital obligation but the mother-in-law and brother-in-law of the respondent were not happy with her because a motor cycle and refrigerator were not given on the occasion of marriage and for this reason they started cursing the petitioner no. 1. After sometimes the petitioner no. 1 became pregnant. Even thereafter, the respondent kept insisting for motor cycle and refrigerator and made his demand many times. He started assaulting and thereby causing cruelty to her. She brought the matter to the notice of her parents too who, in turn, advised her to keep patience. Meanwhile, the respondent developed illicit relationship with other women. On 31.08.12 the respondent demanded the said items from her brother too on phone. When her brother expressed his helplessness, the respondent became furious and hit her in her stomach as a result she bore a premature child on 04.09.12 in the hospital. Even thereafter the demand of said items continued. They used to cease providing food to her and milk to her infant. They even attempted to kill her by pouring kerosene on her. She called police by dialing 100. The police too reprimanded them for their conduct. Ultimately they forced the petitioner no. 1 to quit his house along with her child. In this way the respondent has deserted the petitioners who is living in her parent's house. The respondent is not taking care of petitioners. The petitioners are unable to earn a livelihood and maintain themselves while the respondent is an employee in a factory from where he earns as much as rupees 25000 per month. He has agricultural income too but he is neglecting and not maintaining the petitioners. PW 2, in her oral evidence, has substantially stated the same things as has been deposed by PW 1. Though the respondent, in his objection, has admitted that a marriage

was solemnized between the parties and that after the solemnization of marriage petitioner no. 2 was born to petitioner no. 1 but he has deposed that the petitioner no. 1 is not legally wedded wife of the respondent. The marriage solemnized between them on 24.02.12 as per Hindu law is a result of fraud and, therefore, sham. There have never been any marital relations between them. After quarreling with the members of the respondent’s family in his house petitioner no. 1 left for her parent's house and choose to live there. Thereafter, in the year 2012, she went to Chhattisgarh where her brother lived and gave birth to a child on 04.09.12. Before she had left his house for her parent's house, apprehending foul play, he had inquired from her about her pregnancy. Then she replied that irrespective of the fact as to who was the father of the child she would remain his wife. As they were married on 24.02.12 and petitioner no. 2 was born on 04.09.12 it is apparent that petitioner no. 1 was already married to someone else sometimes before 24.11.11 and it was from this former wedlock that she had become pregnant. This is a fact which has been concealed by the petitioner no. 1 in her application. Therefore, neither petitioner no. 1 is his legally wedded wife nor petitioner no. 2 is his daughter. For this reason they are not entitled to any relief which a legally wedded wife and a daughter entitled to. For being entitled to the reliefs of a wife the petitioner no. 1 must first have discharged her marital obligation but if she is discharging the said obligation with any other person she has disqualified herself from any relief from the respondent. Therefore, petition is not maintainable. Rest of the witnesses of respondent have deposed almost the same thing what have been deposed by the respondent.

8. From the admissions made in the objections above mentioned and the oral evidence of respondent it is apparent that respondent has admitted that a marriage was solemnized between petitioner no. 1 and him. Though he has stated that the said marriage is sham because, as alleged by him, the petitioner no. 1 was already married to someone and pregnant too at the

time of marriage but the fact remains that the said marriage has not been declared void by any competent court till now. Therefore, the marriage subsists even till date and consequently petitioner no. 1 continue to be legally wedded wife of the respondent.

9. As far as petitioner no. 2 is concern, admittedly she was born on 04.09.12, that is to say during the continuance of a valid marriage between petitioner no. 1 and respondent. Therefore, according to Section 112 of the India Evidence Act petitioner no. 2 is the legitimate daughter of the respondent until otherwise declared by a competent court. A court exercising jurisdiction under Section 125 Cr.P.C. is not competent to declare any child as illegitimate. As the birth of petitioner no. 2 during the continuance of valid marriage between petitioner no. 1 and respondent is conclusive proof of her legitimacy within the meaning of Section 112 Indian Evidence Act until declared otherwise by a competent court in an appropriate proceeding for the said relief this court, exercising jurisdiction **only** under Section 125 Cr.P.C., need not indulge in further probe. Therefore, this point is decided to the effect that petitioner no. 1 is the wife and petitioner no. 2 is the daughter of respondent.

10. **<u>Point no. (ii)</u>**

11. It is undisputed between the parties that petitioners are living separately from the respondent. Respondent has not felt shy in admitting that petitioners are living separately albeit on the ground that petitioner no. 1 is living in adultery and that petitioner no. 2 is not fathered by him but he has failed to mention even a single instance of adultery **after** his marriage with her much less any evidence to that effect. A woman can be said to be living in adultery only when she has any illegitimate affair with any person other than her husband after her marriage with the latter which alone would dis-entitled her to the claim of maintenance under Section 125 Cr.P.C. In the case at hand, as stated above, the respondent has not stated that his wife, the petitioner no. 1, is still living in adultery with any person after his marriage.

He has failed to name any person worth the name who might have committed adultery with his wife. From the averments and oral evidence of the respondent it is apparent that he entertains a belief that petitioner no. 1 had illegitimate affairs with any other person and that petitioner no. 2 is not his daughter. It is also apparent that he has not averred that the petitioners are living away from him without a reasonable cause or that he is ready and willing to keep them with him. The respondent has no where alleged that he is maintaining the petitioners. Therefore, from these evidences it is proved that petitioners are living separately from respondent due to just cause and that respondent is neglecting and not maintaining them. This point too, accordingly, is decided in the affirmative.

12. **<u>Point no. (iii)</u>**

13. The petitioner no. 1 has deposed that she is incapable of making any earning and is incapable of maintaining herself and her child. The respondent has not challenged this assertion and evidence to this effect. He has nowhere stated that petitioner no. 1 is making any earning for herself and petitioner no. 2 while he has admitted that he is employed in a factory in Chhattisgarh. Undisputedly he is an able bodied man too. From these evidences it is proved that the petitioners are incapable of maintaining themselves and respondent has sufficient means to maintain himself and the petitioners. Accordingly, this point too, is decided in the affirmative.

14. **<u>Point no. (iv)</u>**

15. The petitioners have averred that respondent is earning rupees 20000 per month as an employee in a factory in Chhattisgarh and respondent has averred that he is earning only rupees 5000 per month but has not submitted any documentary evidence to prove his salary regarding the said amount as his wages. Needles to say that if he is an employee in a factory and is getting wages from there he could have filled a copy of his pay slip proving his actual income but he has withheld the said documentary evidence lending credence to the belief that he earns more than what he has stated.

Besides, certain copies of extract of *khatauni* and revenue records paper no. 30kha is on record disclosing the fact that respondent is the owner of certain agricultural land too which must supplements his income. As stated above he is an able bodied person. Therefore, under these circumstances and keeping in view the socio economic status of the parties the petition deserves to be allowed for maintenance but partly.

Order

16. The petition is partly allowed. The respondent is directed to pay an amount of rupees 3000 to petitioner no. 1 and rupees 2000 to petitioner no. 2 till her minority from the date of filing of this petition/application *i.e.* 06.11.14. The amount shall be payable on 10th day of every successive month the first being payable on 10.12.2020. The amount paid as interim maintenance shall be adjusted in the amount of arrears. The arrears till October 2020 shall be calculated and shall be payable in **eight equal installments** at the interval of one month each, the first installment being payable on 10.12.2020 along with the amount of maintenance due for the month of November 2020 and thereafter, accordingly, on the 10th day of every succeeding month till full payment. The order for payment of interim maintenance shall cease to have effect from 30.10.2020 accordingly.

Dated: 23.11.2020 **(Adil Aftab Ahmad)**
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

17. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 23.11.2020 **(Adil Aftab Ahmad)**
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

न्यायालय– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मऊ।
उपस्थित– श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
मुकदमा संख्या 771 सन् 2019
C.N.R. No.- UPMA020016302019

श्रीमती जाहिदा पत्नी फैजान पुत्री सुभान, साकिन– नई बस्ती बारा, थाना– कोपागंज, जनपद– मऊ।

......................वादी

बनाम

फैजान पुत्र अब्दुल मन्नान, साकिन– कुर्थीजाफरपुर, थाना– कोपागंज, जनपद– मऊ।

.....................विपक्षी

अंतर्गत धारा 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता
थाना– कोपागंज, जनपद– मऊ।

<u>निर्णय</u>

1. आवेदिका श्रीमती जाहिदा द्वारा अपने पति फैजान के विरूद्ध धारा 127 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 02.04.02 को प्रस्तुत तथा दिनांक 16.02.12 को निर्णीत भरणपोषण वाद सं0 1707/11, अंतर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 में उसे 1000/– रूपये प्रतिमाह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से देने के लिये आदेशित किया गया था जो धनराशि विपक्षी द्वारा उसे अदा किया जा रहा था परन्तु कालांतर में आवेदिका बीमारी से ग्रस्त हो गयी है जिसके इलाज पर प्रतिमाह लगभग 10,000/– रूपये खर्च हो रहा है जिसके कारण वह कर्जदार हो गयी है जबकि विपक्षी अपने लूम एवं साड़ियों के व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 50,000/– रूपये की आय अर्जित करता है एवं अपनी उक्त आय से अपनी मां एवं भाभी के नाम अचल सम्पत्ति भी क्रय कर लिया है। अतः भरणपोषण की धनराशि 1000/– रूपये से बढ़ाकर 8000/– रूपये प्रतिमाह कर दिया जाये। आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं भरणपोषण वाद सं0 1707/11 में पारित आदेश दिनांकित 16.02.12 की प्रति भी प्रस्तुत किया गया है।

2. विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति 10ख प्रस्तुत किया गया है परन्तु बाद में

उसने न्यायालय उपस्थित होना बंद कर दिया। विपक्षी द्वारा इस आधार पर आपत्ति किया गया है कि अवर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उसने माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत किया है जो अभी विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वह आवेदिका तथा उसकी पुत्री को 1000/- एवं 500/- रूपये निरंतर अदा किया जा रहा है जबकि उसकी पुत्री बालिग हो चुकी है तथा उसका विवाह भी हो चुका है। अतः उक्त कारण से अब वह 500/- रूपये प्राप्त करने की पात्र नहीं है परन्तु फिर भी उक्त राशि वह उसे अदा करता है। विपक्षी के पास किसी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति नहीं है। वह स्वयं शारीरिक रूप से अक्षम एवं रोगग्रस्त हो चुका है जबकि आवेदिका ने अपने मायके में लूम लगा लिया है तथा मजदूरों से चलवाकर स्वयं 20,000/- रूपये प्रतिमाह अर्जित करती है एवं अपनी पर्याप्त आय से उसने अपनी पुत्री नाजनीन का विवाह भी एक सम्पन्न परिवार में कर दिया है। आपत्ति के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. भरणपोषण वाद सं0 1707/11, अंतर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 में पारित आदेश दिनांकित 16.02.12 से प्रकट होता है कि विपक्षी को अपनी पत्नी श्रीमता जाहिदा को 1000/- रूपये प्रतिमाह बतौर भरणपोषण अंतर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 देने के लिये आदेशित किया गया था। यद्यपि स्वीकृत रूप से उक्त राशि विपक्षी द्वारा आवेदिका को अदा किया जा रहा है परन्तु उक्त आदेश के पश्चात 8 वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है। अतएव आवेदिका की तत्पश्चात उत्पन्न आवश्यकता एवं मुद्रास्फीति के दृष्टिगत निश्चय ही 1000/- रूपये की राशि वास्ते भरणपोषण नितांत अपर्याप्त है। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह स्थापित किया गया है कि आवेदिका स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है जबकि विपक्षी व्यवसाय करके पर्याप्त आय अर्जित करता है। शपथ पत्र के खण्डनस्वरूप विपक्षी की ओर से कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

4. आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद सं0 1707/11, अंतर्गत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 में आवेदिका हेतु निर्धारित भरणपोषण धनराशि को

1000/– रूपये से बढ़ाकर 4000/– रूपये किया जाता है तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 01.04.2021 से वह, आवेदिका श्रीमती जाहिदा को 1000/– रूपये के स्थान पर भरणपोषण स्वरूप प्रतिमाह 4000/– रूपये अदा करेगा जिसका भुगतान प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को किया जायेगा।

दिनांकः 15.04.2021

(आदिल आफताब अहमद)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।
ID No.- UP 5723

<u>In the Court of Principal Judge, Family Court, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
1. Case No.- 638 of 2014
C.N.R. No.- UPMA020015242015

Asha Devi w/o Chandrashekhar d/o Dodha Ram, R/o- Astupura, P.S.- Dakkhintola, District- Mau.

…....................Petitioner

Versus

Chandrashekhar s/o Ramakant, R/o- Mahuva Baag, P.S.- Kotwali Gazipur, District- Gazipur.

…...............Respondent

Under section- 127 Cr.P.C.,
P.S.- Dakkhintola, District- Mau.

And

2. Case No.- 1226 of 2019
C.N.R. No.- UPMA020023412019

Chandrashekhar s/o Ramakant, R/o- Mahuva Baag, P.S.- Kotwali Gazipur, District- Gazipur.

…....................Petitioner

Versus

Asha Devi d/o Dodha Ram, R/o- Astupura, P.S.- Dakkhintola, District- Mau.

…...............Respondent

Under section- 127 Cr.P.C.,
P.S.- Dakkhintola, District- Mau.

<u>JUDGMENT</u>

1. The Case No. 638/2014 has been instituted under Section 127 Cr.P.C. by a wife against her husband for alteration in maintenance allowance granted to her under Section 125 Cr.P.C. and enhanced under Section 127 Cr.P.C. for further enhancement and Case No. 1226/2019 has been instituted by the husband too under Section 127 Cr.P.C. for alteration in the same order reliving him from payment of any maintenance to his wife now. Both of the said cases being dealing with the same matter between the same parties are being decided by this common judgement.

2. The petitioner, the wife Asha Devi, has filed this petition under Section 127 Cr.P.C. for enhancing the amount of maintenance from rupees 500 to rupees

5000 per month on the grounds that in the proceeding, being Case no. 10/92, under Section 125 Cr.P.C., she was at first, awarded rupees 350 as back as on 07.07.95 which was subsequently enhanced to rupees 500 on 11.05.01 under Section 127 Cr.P.C. in subsequent proceeding, being Case no. 117/98. But now due to high inflation and also due to her further requirements on account of her sickness the said amount has become quite inadequate.

3. Not disputing the fact that his wife was first awarded rupees 350 which in subsequent proceeding under Section 127 Cr.P.C. was enhanced to rupees 500 the respondent, husband Chandrashekhar has opposed the petition of his wife and has prayed in his own petition for reliving him from paying of any amount to his wife on the grounds that he had instituted a suit for divorce against his wife Asha Devi (being Case no. 86/04) which has finally been decided and decreed in his favour by which the marriage between them has been dissolved. In the judgement the court has observed that his wife was living separately from him not for a just cause. Therefore, as Asha Devi is no longer his wife and has been found to be not living separately from him for sufficient reason she is not entitled to any maintenance from him. Even another case instituted by his wife Asha Devi, being Case no. 14/90, Asha Devi vs Chandrashekhar, under Hindu Adoption and Maintenance Act, has been dismissed. Not only this, but in the criminal cases also which was lodged quite falsely by her against him have been decided and he has been acquitted in them.

4. Both the parties have filed their respective affidavits in respect of their petitions/objections. The copies of the judgements of the cases referred by him Chandrashekhar, too have been filed by the husband.

5. The Ld. Counsel for the husband has submitted that the marriage between the parties has been dissolved and that in the divorce petition the court has observed that the wife Asha Devi is living separately from her husband without sufficient reason which dis-entitles her to any claim for maintenance from her husband under Section 125 Cr.P.C. Therefore, after passing of the said decree of the dissolution of marriage and observation of the court the wife remains no longer entitled to continue to receive the maintenance amount. Therefore, the order for the maintenance of rupees 350 and the subsequent order for its

enhancement be altered relieving the husband from paying any maintenance anymore. The findings of the courts in rest of the criminal cases and the civil case under Hindu Adoption and Guardianship Act too goes to prove that all the allegations and the claims of wife Asha Devi against her husband were false which now necessitates alteration in the order of maintenance.

6. The Ld. Counsel for the wife Asha Devi has argued that even after dissolution of marriage between the parties the divorcee is entitled not only to maintenance from her husband under Section 125 Cr.P.C. but also to its enhancement from time to time. The other cases referred to by the husband would not affect the right of wife to maintenance and for its enhancement under Section 127 Cr.P.C.

7. Heard. Considered. Record perused.

8. The expression (wife) under Section 125 Cr.P.C. includes a divorcee until she remarries. Therefore, even after the marriage between the parties is dissolved the divorcee will not become dis-entitled to continue to get maintenance from her husband. As far as the observation of the court in the judgement of divorce petition to the effect that *"wife is not living separately from her husband without sufficient cause"* is concern the same is not relevant in the proceedings in hand as long as the order passed under Section 125 Cr.P.C. and Section 127 Cr.P.C. is in force and has not been annulled by a competent court.

9. As far as the argument regarding acquittal of husband in other criminal cases is concern the same shall too not relieve the husband from the liability of maintaining his wife which includes his divorcee under Section 125 Cr.P.C. until she remarries. In the proceeding under Hindu Adoption and Maintenance Act the wife has not been awarded any maintenance which may be apportioned from the amount awarded under Section 125 Cr.P.C. or enhanced under Section 127 Cr.P.C. Therefore, the objections of the husband against the petition of wife for enhancement is devoid of force and his petition to the same effect too does not bear substance. On the other hand, undisputedly, the order for the enhancement of the amount from rupees 350 to rupees 500 was made as back as in the year 2001. Much water has flown through the river Ganges ever since and the fact of high inflation and corresponding devaluation of rupee ever since cannot escape judicial

notice of this court lending credence to the claim of wife. No prudent mind can disbelieve that even the enhanced amount of rupees 500 cannot help the wife to make her both ends meet with that amount now. However, though the wife has prayed to enhance the amount from rupees 500 to rupees 5000, this court, considering all the relevant facts and circumstances, finds it appropriate to enhance the amount from rupees 500 to rupees 1000 from the date of application till the date of this order and from rupees 1000 to rupees 3000 from today on-wards. Accordingly, the petition of wife deserves to be partly allowed and that of husband to be dismissed.

Order

10. The petition no. 638/14, Asha Devi vs Chandrashekhar is partly allowed and the amount of maintenance awarded in the previous proceeding (namely Case no. 117/98, Asha Devi vs Chandrashekhar) vide order dated 11.05.01 is enhanced from rupees 500 to rupees 1000 from the date of application under Section 127 Cr.P.C. *i.e.* 16.03.10 till today and from rupees 1000 to rupees 3000 since 01.04.2021 on-wards. The enhanced amount of allowance shall be payable on the 10th day of every successive month. The arrears shall be calculated and shall be paid in four equal monthly installments beginning from 10.04.2021.

11. The petition no. 1226/19, Chandrashekhar vs Asha Devi is dismissed.

12. A copy of the judgement each shall be kept in the record of Case No. 1226/2019, Chandrashekhar vs Asha Devi too.

13. After making necessary entries in respect of both the cases decided by this common judgement in the relevant registers, consign the record.

Dated: 02.04.2021

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

14. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 02.04.2021

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

<u>In the Court of Principal Judge, Family Court, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Case No.- 417 of 2018
C.N.R. No.- UPMA020016162018

Parmi Devi w/o Kalpnath Yadav@Kalpu Yadav, R/o- Noniyapur (Suruhurpur), Tehsil & P.S.- Mohammadabad, District- Mau. Present address- Mathiya Dangauli, Tehsil- Maunath Bhanjan, P.S.- Mohammadabad, District- Mau.

…....................Petitioner

Versus

Kalpnath Yadav@Kalpu Yadav s/o Late Balli, R/o- Noniyapur (Suruhurpur), Tehsil & P.S.- Mohammadabad, District- Mau.

…................Respondent

Under section- 18 Hindu Adoptions and Maintenance Act,
P.S.- Mohammadabad, District- Mau.

<u>JUDGMENT</u>

1. The petitioner, wife, has instituted this petition/suit against respondent, her husband for maintenance under section 18 Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.

2. The petitioner has averred that she was married to respondent as back as 40 years according to Hindu Law and rites and rituals. After the marriage she had gone to her husband's house and lived there with them as such with full devotion. Out of their wedlock three daughters were born to them who have since been married and are living along with their husbands. The respondent was a teacher in *Harijan Prathmic Vidyalay, Nagripar, Mohammadabad Gohna, Mau* and has since retired in March 2018. However, he is not getting any pension after retirement. After remaining initially well behaved with her gradually his approach started deteriorating towards her. He started cursing her and calling her as rustic villager not worthy of him. He started drinking and spending money which he had got after his retirement lavishly upon his friends. He is not maintaining the petitioner and is causing physical and mental cruelty to her. Owing to his company with the drunkards he is eager to sell the agricultural plots set forth at the foot of the plaint. She is any how maintaining herself from those properties of the respondent. The petitioner is an uneducated lady not aware of any skill and unable to earn a livelihood herself and the respondent is not ready to maintain her.

If he succeeds in doing so the petitioner will die of starvation. Hence, this suit for maintenance of rupees 5000 per month and also for a decree of declaration creating charge on the agricultural plots mentioned at the foot of the plaint for her maintenance and for injunction against respondent enjoining him to alienate the same.

3. The respondent has contested the petition/suit filling a Written Statement wherein he has prayed to dismiss the petition/suit. He has admitted that the petitioner is his wife but has denied the rest of her allegations against him. He has averred that soon after his marriage with the petitioner he had entrusted the entire responsibilities relating to agriculture and his cattle to her who has been managing them well. He being preoccupied in his job as teacher never inquired anything from his wife about the income accruing from the agriculture and from cattle nor does asks for her to account for them even today. She was extravagant from the very beginning but he never restrained her. After his retirement in the year 2018 he has no earning because his service was not pensionable. Therefore, he is no longer in a position to give cash to the petitioner. He had already spent the amount he earns on the marriages of his daughters. Even in 65th years of his age he is taking care of the petitioner and maintaining her well. It is she who undertakes all the agricultural activities of the family and keeps the entire earning accruing from agriculture to the selling of milk of the cattle so much so that it is he who depends upon the petitioner for his own miscellaneous expanses. She still lavishly spends money at her will. She has instituted another case for maintenance under section 125 Cr.P.C., being Case no. 859/18 against him for maintenance in district Azamgarh. She has also instituted a proceeding under Domestic Violence Act against him being Case no. 801/19 in district Azamgarh. It is she who is not taking care of him even during his sickness, keeps visiting her parent's house at her will and does all daily activities at her whims. This second suit, in hand for maintenance is not maintainable. She has not disclosed this fact to the court and, therefore, she has not come up with clean hand.

4. On the basis of pleadings following issues were settled in the matter :-

(i) Whether the petitioner is entitled to rupees 5000 per month from respondent as maintenance ?

(ii) Whether petitioner is entitled to creating a charge on the property of respondent mentioned at the foot of the plaint/petition ?

5. The petitioner has got herself examined as PW 1 in her oral evidence and has also submitted the extract of *khatauni* relating to the agricultural property of the respondent in documentary evidence.

6. The respondent has got himself examined as DW 1 in his oral evidence. He has submitted the copy of the application moved by petitioner under section 125 Cr.P.C. for maintenance registered as Case no. 859/18 and the order passed therein as paper no. 28ga.

7. **Point no. (i)** Section 18 Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 provides that :-

x x x x

18. Maintenance of wife.- (1) Subject to the provisions of this section, a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this Act, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime.

(2) A Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance-

(a) if he is guilty of desertion, that is to say, of abandoning her without reasonable cause and without her consent or against her wish, or of willfully neglecting her;

(b) if he has treated her with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband;

(c) if he is suffering from a virulent form of leprosy;

(d) if he has any other wife living;

(e) if he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with a concubine elsewhere;

(f) if he has ceased to be a Hindu by conversion to another religion;

(g) if there is any other cause justifying her living separately.

x x x x

8. From the statuary provisions above noted it appears that for the reasons mentioned in the section a Hindu wife is entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance. It implies that a Hindu wife must first live separately from her husband and only then she can claim maintenance from her husband if she is not being maintained by him. In the entire pleading of the petition she has not averred that she is living separately from her

husband for any reason whatsoever. Therefore, it is apparent that she still lives with her husband, the respondent. Though she has averred that her husband is not taking care of her and is not maintaining her but still she is surviving. She has not disclosed any other source of her income. She is living as stated above together with her husband in his house. If she is not being looked after and maintained by her husband who is maintaining her and how she is surviving ? She ultimately admitted the truth by stating in her own petition that she is maintaining herself by the produce of the agricultural land mentioned at the foot of the plaint which admittedly belong to respondent and which, in turn happens to be the only source of income of the respondent. From these facts and admissions of the petitioner it is proved that she is being maintained by the respondent. She has stated that the respondent is about to sell the property in question and in that event she would be deprived of her maintenance but her this apprehension is misconceived. She has not given a single instance of selling any property by her husband in spite of the fact that there was no injunction against him. The petitioner herself admitted that all of her three daughters are happily married. This fact itself shows that the respondent was a very caring and responsible father. Now he has retired and is 65 years old fragile man getting no pension. Therefore, it can hardly be believed that he is eager to sell his agricultural plot without any genuine reason. After all he has to support himself from those agricultural plots alone in his old age. How will he support himself if he will sell the property, the only source of his income ?

9. From the copy of the order passed in Case no. 859/18 it is apparent that the petitioner is claiming as much as rupees 5000 per month from respondent as maintenance. She appears not satisfied with that amount in her old age when the necessaries of her life has become too limited particularly when she has no complain of any sickness much less serious sickness of permanent nature. Therefore, the evidence of petitioner, PW 1 to the effect that her husband is not taking care of her and that he is not maintaining her is not trustworthy at all. Instead, the evidence of respondent to the effect that the petitioner has been managing all the agricultural activities of his house and the cattle too from the very beginning and also keeping all the income therefrom herself, is trustworthy. It is apparent that it is the respondent who is maintaining the petitioner the source

of income being the agricultural plots in question. There is no evidence to prove that the respondent is eager to sell any part of his property. Therefore, it is proved that as petitioner is being maintained satisfactorily by respondent. Hence, she is not entitled to further maintenance anymore under this provision. Accordingly, this point is decided in negative.

10. **Point no. (ii)** Undisputedly the respondent is recorded tenure holder of the plots set forth at the foot of the plaint. The nature of his tenure is that of "*bhumidhar* with transferable right". This right has been conferred upon him by U.P. Zamidari and Land Reform Act, 1950 meaning thereby that the right conferred upon respondent is his statuary right. The statute is self contained that is to say, his right relating to his land is unfettered and subject only to those restrictions mentioned in the statute itself. The Act is not subject to any personal law of any community. Therefore, hardly the right conferred by the statute in favour of the respondent with respect to his land can be fettered by creating a charge thereupon for any reason whatsoever. Not only this but, as according to the findings on point no. (i) discussed above, as the respondent has not failed in maintaining the petitioner, the petitioner has not been found entitled to any maintenance anymore. Therefore, there is just no reason, occasion or justification for creating any charge on the agricultural plots of the respondent of which he is *bhumidhar* "with transferable right". It need not be reiterated that petitioner has bitterly failed to prove that respondent is either eager to or even intends to sell or in any way alienate his property. Therefore, the petitioner is not found entitled to get a charge created for her maintenance on the plots in question. Accordingly, this point too, is decided in the negative.

11. On the basis of findings the petition deserves to be dismissed.

Order

12. The petition is dismissed. Cost easy.

13. Accordingly, a decree be drawn up. Consign the record thereafter.

Dated: 21.12.2020

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

14. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 21.12.2020

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

न्यायालय– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मऊ।
उपस्थित– श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
मुकदमा संख्या 973 सन् 2012
C.N.R. No.- UPMA020005552012

दिनेश सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह, सचाकिन– मकान नं0 49, राजेन्द्र नगर कालोनी, भोपाल, जनपद– भोपाल मध्य प्रदेश।

......................वादी

बनाम

श्रीमती शुभ्रा सिंह पत्नी दिनेश सिंह पुत्री रामनवल सिंह, हाल पता द्वारा पिता रामनवल सिंह, ग्राम लेरो दोनबार, पोस्ट व थाना– कोपागंज, जनपद– मऊ।

.....................विपक्षी

निर्णय

1. वादी दिनेश सिंह द्वारा धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपनी पत्नी श्रीमती शुभ्रा सिंह/विपक्षी के विरूद्ध विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति हेतु वाद योजित किया गया है।

2. संक्षेप में वादी का कथन है कि विपक्षी के साथ उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 27.01.08 को बगैर किसी दान दहेज के जनपद मऊनाथ भंजन में सम्पन्न हुआ था परन्तु विपक्षी का व्यवहार प्रारंभ से ही उसके एवं उसके परिजनो के साथ अच्छा नहीं रहा। उसके द्वारा पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता था बल्कि पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिये कहने पर उसके द्वारा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। इसी दौरान उनके संसर्ग से उनका एक पुत्र चिरंजीव कार्तिक भी उत्पन्न हुआ। विपक्षी द्वारा पुत्र की देखभाल उचित रूप से नहीं की जाती थी। अतः उसे समझाया गया तो उसने बताया कि वह बच्चा उसका नहीं है। अतः उसके लिये उसको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। याची के अपने कार्यालय जाते समय विपक्षी द्वारा कभी उसके कपड़ों पर आटा लगा दिया जाता था तथा कभी पानी डाल दिया जाता था तथा मना करने पर वह अमादा फसाद हो जाती है, गालियां देने लगती है और घरेलू सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। आवेदक को बिना सूचित किये हुये वह अपने मायके चली जाती है और दो तीन माह बाद आवेदक द्वारा बार–बार निवेदन करने पर वापस आती है। आवेदक के विपक्षी के मायके जाने पर

वहां उसे वह अपमानित करती है। आवेदक तथा उसके परिवारजनों द्वारा उसे उपहारस्वरूप दिये गये समस्त आभूषणों को भी उसने अपने मायके में रख लिया है। विपक्षी द्वारा उस पर उसके साथ आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिये दबाव डाला जाता है तथा अश्लील चलचित्र सामग्री उपलब्ध कराने के लिये बल दिया जाता है तथा ऐसा न करने पर उसके द्वारा आवेदक को कहा जाता है कि उसे जीवन जीना नहीं आता एवं वह सड़ा गला आदमी है। विपक्षी के पिता तथा भाईयों एवं जीजा द्वारा उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया जाता है। एक निश्चित घटना का उल्लेख करते हुये आवेदक ने यह भी अभिकथन किया है कि दिनांक 03.09.12 को विपक्षी के पिता एवं भाई, आवेदक के आवास पर उपस्थित हुये, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा मारपीटकर गाली गलौच किया। उसके द्वारा विरोध करने पर विपक्षी के पिता ने अपने दोनों पुत्रों को ललकारते हुये कहा कि आवेदक को मार डालो तथा आज जिन्दा न छोड़ो। आवेदक ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचायी तथा घटना की सूचना महिला थाना भोपाल में दिनांक 03.09.12 को ही दिया जहां उभय पक्षों के मध्य एक समझौता भी लिखा गया जिसमे विपक्षी ने स्वीकार किया कि आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्यों ने कभी किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं किया है और यह कि वह अब आवेदक के साथ अच्छा व्यवहार करेगी और आवेदक उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिससे यह प्रकट होता है कि विपक्षी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा है। विपक्षी की जिद के कारण ही उसे अपना परिवार छोड़कर अलग किराये के मकान में रहना पड़ा। विपक्षी का यह कथन रहा है कि भले ही उनके बीच एक समझौता रहा है परन्तु वह समझौता उसने मात्र पुलिस कार्यवाही से बचने के लिये किया था जिस पर वह अमल नहीं करेगी। विपक्षी द्वारा उसे विगत दो वर्षों से दाम्पत्य सुखों से भी वंचित रखा गया है। दिनांक 31.12.12 को विपक्षी ने उसके साथ पुनः मारपीट किया, उसका चश्मा तोड़ दिया, चाभी के गुच्छों से सिर पर मार देने के कारण उसको गहरा घाव हुआ जिसके बावत उसने थाना कोहेफिजा में मामला भी दर्ज कराया तथा उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। दिनांक 18.10.12 को भी उसने विपक्षी द्वारा आवेदक एवं उसकी भाभी के विषय में कहे गये गंदे अपशब्द रिकार्डिंग करके सुनाया गया। विपक्षी द्वारा आवेदक के साथ उसकी भाभी के साथ

अवैध संबंध का लान्छन लगाती है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा उसके साथ घोर तथा गंभीर कूरता का व्यवहार किया जा रहा है जिसके कारण आवेदक का विपक्षी के साथ वैवाहिक संबंध बनाये रखना गंभीर रूप से हानिकारक है तथा संभव नहीं है। अतः विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति हेतु वाद प्रस्तुत है।

3. विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है जिसमे उसने आवेदक से अपना विवाह होना स्वीकार किया है परन्तु अन्य अभिकथनों से इंकार करते हुये तथा वाद कारण न होना बताते हुये वाद को निरस्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर किया गया है कि आवेदक द्वारा याचिका में अभिकथित समस्त कथन झूठे हैं। विवाह के अवसर पर यद्यपि उसके पिता ने पर्याप्त नगद धनराशि, आभूषण एवं अन्य सामान दिया था तथा विपक्षी अपने ससुराल जाकर स्त्री धर्म का पालन कर रही थी परन्तु आवेदक एवं उसके परिवारवाले दिये गये दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा दहेज स्वरूप मारूती जेन व तीन लाख रूपये की मांग कर रहे थे और उसके लिये उसे प्रताड़ित करने लगे। उनके संसर्ग से उन्हें एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ परन्तु उसका समस्त खर्चा विपक्षी के माता पिता ने ही उठाया। दिनांक 31.12.12 को आवेदक एवं उसके घरवालों ने पुनः दहेज के लिये उसे मारापीटा एवं सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर यह कहकर घर से निकाल दिया कि जब तक मारूती कार एवं तीन लाख नगद लेकर नहीं आओगी तब तक घर में नहीं घुसने दिया जायेगा। घटना की सूचना पिता को देने पर वह उसे अपने साथ लिवा गये। पिता द्वारा भी निवेदन करने पर आवेदक तथा उसके घरवाले उसे वापस लेने के लिये सहमत नहीं हुये। वह एक सांस्कृतिक महिला है। आवेदक द्वारा लगाये गये अन्यथा कथन असत्य है। विपक्षी का एक पुत्र है जिसकी देखभाल वह स्वयं नहीं कर सकती। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक भरणपोषण की धनराशि भी उसे देने में आनाकानी करता है। अतएव उक्त समस्त कारणों से याचिका निरस्त कर दिया जाये।

4. उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये :-

(i) क्या वादी, विपक्षी से हुये विवाह को खण्डित कर विवाह विच्छेद कराने का अधिकारी है ?

(ii) अन्य कोई अनुतोष ?

5. वादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य बतौर शपथ पत्र पी0डब्लू 1 एवं साक्षी गोपाल सिंह का साक्ष्य बतौर शपथ पत्र पी0डब्लू 2 प्रस्तुत किया है। विपक्षी ने भी अपने कथन के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य बतौर शपथ पत्र डी0डब्लू 1 तथा साक्षीगण रामनवल सिंह, अमित कुमार सिंह, सुरेश सिंह का साक्ष्य बतौर शपथ पत्र क्रमशः डी0डब्लू 2 ता 4 प्रस्तुत किया है।

6. आवेदक द्वारा यद्यपि एक समझौता नामा की फोटो प्रति प्रस्तुत किया है परन्तु मूल समझौतानामा प्रस्तुत न किये जाने का कोई कारण ही बताया है और न ही इसे द्वितीय साक्ष्य के रूप में विधि की अपेक्षाओं के अनुसार सिद्ध किया है।

7. **वाद बिन्दु सं0 (i):–** उपरोक्त विरचित वाद बिन्दु अत्यन्त व्यापक तथा विस्तृत है। अतएव न्यायालय को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त विवाह विच्छेद के सभी आधारों पर विचार करना आवश्यक है।

8. आवेदक के अभिकथनो से यह प्रकट होता है कि उसने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत विपक्षी के विरूद्ध अपने पति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन करने के आधार पर अथवा विपक्षी द्वारा किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेने के आधार पर विपक्षी के असाध्य रूप से विकृत–चित हो जाने अथवा मानसिक विकार से पीड़ित हो जाने के आधार पर अथवा उग्र और असाध्य कुष्ट रोग से पीड़ित हो जाने के आधार पर अथवा संचारी रोग से यौन रोग से पीड़ित हो जाने के आधार पर अथवा विपक्षी के द्वारा किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुकने के आधार पर अथवा सात वर्ष या उससे अधिक कालवधि से लापता होने के आधार पर अथवा न्यायिक अलगाव की आज्ञप्ति पारित होने के पश्चात एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी सहवास का पुनरारम्भ न होने के आधार पर अथवा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना के पश्चात भी एक वर्ष या इससे अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना न होने के आधार पर विवाह विच्छेद किये जाने की प्रार्थना नहीं किया है बल्कि यह प्रतीत होता है कि केवल विपक्षी के विरूद्ध क्रूरता के आधार पर तथा विगत दो वर्षों से उसे दाम्पत्य सुख से वंचित किये जाने के कारण उसे अभित्यक्त रखे जाने

के आधार पर प्रस्तुत किया है। अतएव न्यायालय द्वारा मात्र यह विनिश्चित किया जाना है कि क्या विपक्षी द्वारा आवेदक के साथ ऐसा लगातार क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है जिससे आवेदक के मस्तिष्क में युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो चुकी है कि विपक्षी के साथ रहना अपहानिकर होगा अथवा क्या विपक्षी ने आवेदक को विगत दो वर्षों से दाम्पत्य सुख से वंचित रख कर आवेदक का अभित्याग (desert) किया गया है ?

9. आवेदक ने अपने मौखिक साक्ष्य में बताया है कि विपक्षी के साथ उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 27.01.08 को बगैर किसी दान दहेज के सम्पन्न हुआ था परन्तु विपक्षी का व्यवहार प्रारंभ से ही उसके एवं उसके परिजनो के साथ अच्छा नहीं रहा। उसके द्वारा पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता था बल्कि पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिये कहने पर उसके द्वारा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। इसी दौरान उनके संसर्ग से उनका एक पुत्र चिरंजीव कार्तिक भी उत्पन्न हुआ। विपक्षी द्वारा पुत्र की देखभाल उचित रूप से नहीं की जाती थी। अतः उसे समझाया गया तो उसने बताया कि वह बच्चा उसका नहीं है। अतः उसके लिये उसको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। याची के अपने कार्यालय जाते समय विपक्षी द्वारा कभी उसके कपड़ों पर आटा लगा दिया जाता था तथा कभी पानी डाल दिया जाता था तथा मना करने पर वह अमादा फसाद हो जाती है, गालियां देने लगती है और घरेलू सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। आवेदक को बिना सूचित किये हुये वह अपने मायके चली जाती है और दो तीन माह बाद आवेदक द्वारा बार-बार निवेदन करने पर वापस आती है। आवेदक के विपक्षी के मायके जाने पर वहां उसे वह अपमानित करती है। आवेदक तथा उसके परिवारजनों द्वारा उसे उपहारस्वरूप दिये गये समस्त आभूषणों को भी उसने अपने मायके में रख लिया है। विपक्षी द्वारा उस पर उसके साथ आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिये दबाव डाला जाता है तथा अश्लील चलचित्र सामग्री उपलब्ध कराने के लिये बल दिया जाता है तथा ऐसा न करने पर उसके द्वारा आवेदक को कहा जाता है कि उसे जीवन जीना नहीं आता एवं वह सड़ा गला आदमी है। विपक्षी के पिता तथा भाईयों एवं जीजा द्वारा उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया जाता है। एक निश्चित घटना का उल्लेख

करते हुये आवेदक ने यह भी अभिकथन किया है कि दिनांक 03.09.12 को विपक्षी के पिता एवं भाई, आवेदक के आवास पर उपस्थित हुये, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा मारपीटकर गाली गलौच किया। उसके द्वारा विरोध करने पर विपक्षी के पिता ने अपने दोनों पुत्रों को ललकारते हुये कहा कि आवेदक को मार डालो तथा आज जिन्दा न छोड़ो। आवेदक ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचायी तथा घटना की सूचना महिला थाना भोपाल में दिनांक 03.09.12 को ही दिया जहां उभय पक्षों के मध्य एक समझौता भी लिखा गया जिसमे विपक्षी ने स्वीकार किया कि आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्यों ने कभी किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं किया है और यह कि वह अब आवेदक के साथ अच्छा व्यवहार करेगी और आवेदक उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिससे यह प्रकट होता है कि विपक्षी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा है। विपक्षी की जिद के कारण ही उसे अपना परिवार छोड़कर अलग किराये के मकान में रहना पड़ा। विपक्षी का यह कथन रहा है कि भले ही उनके बीच एक समझौता रहा है परन्तु वह समझौता उसने मात्र पुलिस कार्यवाही से बचने के लिये किया था जिस पर वह अमल नहीं करेगी। विपक्षी द्वारा उसे विगत दो वर्षों से दाम्पत्य सुखों से भी वंचित रखा गया है। दिनांक 31.12.12 को विपक्षी ने उसके साथ पुनः मारपीट किया, उसका चश्मा तोड़ दिया, चाभी के गुच्छों से सिर पर मार देने के कारण उसको गहरा घाव हुआ जिसके बावत उसने थाना कोहेफिजा में मामला भी दर्ज कराया तथा उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। दिनांक 18.10.12 को भी उसने विपक्षी द्वारा आवेदक एवं उसकी भाभी के विषय में कहे गये गंदे अपशब्द रिकार्डिंग करके सुनाया गया। विपक्षी द्वारा आवेदक के साथ उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध का लान्छन लगाती है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा उसके साथ घोर तथा गंभीर कूरता का व्यवहार किया जा रहा है जिसके कारण आवेदक का विपक्षी के साथ वैवाहिक संबंध बनाये रखना गंभीर रूप से हानिकारक है तथा संभव नहीं है।

10. विपक्षी द्वारा आवेदक से सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमे उससे आवेदक तथा उसके परिवार के पृष्ठभूमि के विषय में नाना प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं जिनका आवेदक ने सहज उत्तर दिया है परन्तु आवेदक द्वारा मुख्य परीक्षण में विपक्षी के विरूद्ध वर्णित नाना प्रकार के कूरतापूर्ण व्यवहारों के विषय में अथवा उसके द्वारा

आवेदक को विगत दो वर्षो से भी अधिक समय से दाम्पत्य सुख से वंचित किये जाने के साक्ष्य को चुनौती नहीं दिया गया है। अतः प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता है कि आवेदक द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में विपक्षी के व्यवहार के विषय में किया गया कोई भी कथन असत्य है।

11. साक्षी गोपाल सिंह, पी0डब्लू 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में भी यह कथन किया है कि वह आवेदक का पड़ोसी है। अतः उसे जानता है। आवेदक व उसके परिवार के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। विपक्षी, आवेदक को घर जमाई बनने के लिये विवश करती थी। अतः जब आवेदक ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह आवेदक के साथ गाली गलौच, मारपीट करती थी। उसे तथा उसके माता पिता को नाश्ता भोजन आदि से वंचित रखती थी। कार्यालय जाते समय उसके कपड़ों को गंदा कर देती थी। तंग आकर आवेदक, विपक्षी को लेकर अलग रहने लगा था। आवेदक द्वारा महिला थाने पर शिकायत करने पर थाने पर ही उनके बीच एक समझौता भी हुआ था। विपक्षी ने उसके सामने ही आवेदक पर हमला किया था, भद्दी भद्दी गालियां दिया था जिससे उसके सिर में चोट लग गयी थी चश्मा टूट गया था आदि-आदि।

12. इस साक्षी से भी विपक्षी द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमे उसने भी स्वीकार किया है कि दिनांक 31.12.12 को भी उनके मध्य झगड़ा हुआ था तथा उसके सामने ही विपक्षी ने आवेदक को मारा था। प्रतिपरीक्षण से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में झूठा कथन किया हो।

13. विपक्षी डी0डब्लू 1 ने अपने साक्ष्य में बताया है कि उसका विवाह दिनांक 27.01.08 को आवेदक के साथ हुआ था जिसमे उसके पिता ने दो लाख रूपये नगद, दो लाख पचहत्तर रूपये का बैंक ड्राफ्ट, विभिन्न प्रकार के सोने के आभूषण एवं घरेलू सामान दहेज के रूप में दिया था। विवाह उपरांत अपने ससुराल जाकर वह परिवार की सेवा भी करती थी परन्तु आवेदक एवं उसके परिवारवाले उससे मारूती कार एवं तीन लाख रूपये की मजीद मांग करत थे। इसी दौरान उसे उनके संसर्ग से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका सारा व्यय उसके पिता ने वहन किया तथा आवेदक एवं उसके परिवार के लोग उसके पुत्र को देखने तक नहीं आये।

आवेदक का यह कथन कि ससुराल में उसे अपमानित किया जाता था निराधार है। दिनांक 31.12.12 को आवेदक एवं उसके माता पिता दहेज के लिये उसे बुरी तरह से मारापीटा था, सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था तथा समस्त आभूषण एवं कपड़े रखकर उसे घर से यह कहकर भगा दिया गया था कि यदि कार एवं नगद लेकर नहीं आओगी तो वापस नहीं रखा जायेगा। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति महिला है। आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप गलत एवं निराधार है।

14. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि हम लोगों के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा विवाद प्रायः होता रहता है। उसने चाभी के गुच्छे से पति को मारने एवं उसे चोट लगने के तथ्य से इंकार किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उक्त घटना के बावत उसके पति ने एफ0आई0आर0 किया था उसे मालूम नहीं है परन्तु यह अवश्य स्वीकार किया है कि दिनांक 31.12.12 को मारपीट होने के पश्चात वह अपने पति के घर नहीं गयी। झगड़े के बाद भोपाल लाते समय उसके पति ने सादे पेपर पर उससे हस्ताक्षर कराया था कि मैं तुम्हे ठीक ठाक रखूंगा और मैनें भी कहा था कि मैं भी आपके पास ठीक ठाक रहूंगी। उसके बाद भी हम लोगों के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहा..........दिनेश सिंह के पास सेंट्रो कार है। विदा होने के बाद भी मेरे पिता ने हार, चूड़ी, चेन, अंगूठी और कान के रिंग दिये थे। बहुत सारे गहने पहले से थे..........मैने पति से कभी नहीं कहा कि अपने परिवार से अलग रहो..........मैं एक दो बार थाने में साथ में गयी थी। वहां भी हम लोगों के बीच बात नहीं हुई। नोटरी पत्र पर मुझसे जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया गया। वह हस्ताक्षर गलत है आदि-आदि।

15. साक्षी के साक्ष्य पर विचार करने योग्य यह है कि यद्यपि उसने आवेदक एवं उसके परिवार पर यह आरोप लगाया है कि वे दिये हुये दहेज से संतुष्ट नहीं थे, दहेज स्वरूप मारूती जेन एवं तीन लाख रूपये की मांग कर रहे थे तथा उसकी पूर्ति न होने पर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। यदि वास्तव में दहेज के लिये उसे बुरी तरह से मारापीटा गया होता तो उसका कोई अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होता। जैसे किसी अधिकारी के समक्ष उसकी शिकायत की गयी होती अथवा उसके द्वारा एफ0आई0आर0 किया गया होता परन्तु ऐसे किसी

शिकायत एवं एफ0आई0आर0 का किया जाना नहीं बताया गया है। यद्यपि दहेज में मात्र मारूती जेन की मांग करना बताया गया है परन्तु साक्षी ने स्वीकार किया है कि आवेदक के पास पहले से ही सेंट्रो कार मौजूद थी। विपक्षी द्वारा आवेदक पर केवल और केवल यह आरोप लगाया गया है कि वह तथा उसके परिवार के लोग उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करते थे तथा दहेज में मारूती जेन एवं तीन लाख रूपये की मांग करते थे। उनके विरूद्ध अन्य कोई आरोप नहीं लगाया गया है जबकि उसे स्वीकार है कि आवेदक के पास पहले से ही सेंट्रो कार मौजूद थी। उनका विवाह वर्ष 2008 में हुआ है तथा विवाह विच्छेद की याचिका एक पुत्र उत्पन्न हो जाने के बाद वर्ष 2012 के नवम्बर माह में प्रस्तुत किया गया है। अतः यह सहसा विश्वास नहीं होता कि मात्र तीन लाख रूपये अप्राप्त रहने के कारण विवाह के चार वर्ष के पश्चात तथा एक पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात विवाह विच्छेद करा लेगा जबकि विपक्षी द्वारा आवेदक के विरूद्ध अन्य कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। विपक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि उनके संबंध निरंतर खराब चले आ रहे हैं तथा उनके मध्य समझौता भी हुआ था। इस प्रकरण में उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा तो आवेदक के विरूद्ध कोई एफ0आई0आर0 नहीं लिखायी गयी है परन्तु आवेदक द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 लिखाया जाना बताया गया है। अतः इससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकरण में विपक्षी ही आवेदक पर प्रारंभ से ही आक्रामक रही है। अपने साक्ष्य में विपक्षी ने आवेदक के अभिकथनों एवं साक्ष्यों से मात्र सरसरी तौर पर इंकार किया है। अतः विपक्षी साक्ष्य से उसे आवेदक द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित किये जाने का कथन किसी प्रकार विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता तथा यह भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि मात्र दहेज के लिये आवेदक, विपक्षी से विवाह विच्छेद कर लेगा जबकि उनका अपना एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका है।

16. डी0डब्लू 2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में लगभग वही कथन किया है जो विपक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मेरे सामने दोनों पक्षों के मध्य कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ***सन् 2012 में मैं ट्रेन से भोपाल गया था.......बच्ची द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जलाने की सूचना देने पर मैं विपक्षी के यहां गया था यदि मैं न जाता तो विपक्षीगण मेरी बच्ची को जलाकर***

मार डालते। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि स्वयं विपक्षी ने कहीं यह नहीं बताया है कि उसे आवेदक द्वारा कभी मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया गया हो परन्तु साक्षी जो कि विपक्षी का पिता है, ने यह बयान दिया है कि उसकी पुत्री ने उसे यह सूचना दिया था कि आवेदक ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया है। अतः या तो उसकी पुत्री अर्थात विपक्षी झूठी है जिसने झूठी सूचना अपने पिता को दिया या स्वयं उसके पिता झूठे हैं जिन्होनें न्यायालय में यह बयान दिया। इससे भी यही प्रतीत होता है कि विपक्षीगण, आवेदक पर गंभीर, मिथ्या दोषारोपण करने से नहीं चूकते तथा साक्षी विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द साक्षी नहीं है।

17. डी0डब्लू 3, अमित कुमार सिंह ने यह बयान दिया है कि विपक्षी के पिता उसके पड़ोसी हैं। मैं विपक्षी के विवाह में सम्मिलित हुआ था। आवेदक एवं उसके माता पिता द्वारा दहेज मांगने की बात उसे बार-बार पता चली थी। दिनांक 31.12.12 को विपक्षी से सादे स्टैम्प पर दस्तखत कराकर उसे मारपीटकर भगा दिया गया था जो अपने बच्चे को लेकर भोपाल एक रिश्तेदार के घर चली गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी। मैं घटना की सुनी हुई बात बताने आया हूं।

18. स्पष्ट है कि डी0डब्लू 3 का साक्ष्य भरोसेमन्द नहीं है।

19. डी0डब्लू 4, सुरेश सिंह ने बयान दिया है कि वह विपक्षी के पिता के गांव का रहने वाला है। वह विपक्षी का विवाह में सम्मिलित हुआ था। विवाह में नगद, ड्राफ्ट, आभूषण एवं अन्य सामान दिये गये थे। शुभ्रा के प्रताड़ित किये जाने की खबर आने पर उसके पिता ने विदाई करायी थी। कई पंचायतें भी हुई थी जिसमे मैं उपस्थित था। आवेदक द्वारा विपक्षी को मारपीटकर निकाल दिया गया था तो विपक्षी व उसके पिता भोपाल में एक रिश्तेदार के यहां चले गये थे। वहां यह ज्ञात हुआ कि दहेज की पुरानी मांग पूरी न होने के कारण आवेदक एवं उसके परिवारवालों ने मारकर घर से निकाला है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मेरे सामने शुभ्रा व दिनेश के बीच कोई मारपीट नहीं हुई।

20. स्पष्ट है कि यह साक्षी भी केवल सुनी सुनाई बात बता रहा है तथा वही कथन कर रहा है जो विपक्षी द्वारा किया गया है।

21. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने से यह प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा विपक्षी के विरूद्ध क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने का विशिष्ठ आरोप लगाया गया है तथा उन्हीं से क्षुब्ध होकर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति हेतु वाद योजित करने का कथन किया गया है परन्तु जैसा कि ऊपर कथन किया गया है विपक्षी द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया है बल्कि केवल और केवल दहेज के लिये उसे प्रताड़ित किया जाना तथा मारपीटकर घर से भगाये जाने का कथन किया गया है तथा दहेज में भी मात्र मारूती जेन एवं तीन लाख रूपये की मांग किया जाना बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इस आरोप के बावजूद विपक्षी द्वारा दहेज की मांग के बावत न तो कोई एफ0आई0आर0 लिखायी गयी है और न ही कोई अन्य शिकायत प्रस्तुत की गयी है जबकि आवेदक द्वारा विपक्षी द्वारा आक्रामक होने पर महिला थाना पर ही उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने का तथा उसे चोट लग जाने के कारण अपना मेडिकल कराये जाने का भी कथन किया गया है। यदि वास्तव में आवेदक द्वारा विपक्षी को दहेज के लिये प्रताड़ित किया जा रहा था तो विपक्षी को महिला थाना पर ही एक अच्छा अवसर प्राप्त था जहां वह आवेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत कर सकती थी अथवा एफ0आई0आर0 करा सकती थी। विपक्षी द्वारा स्वयं को मिट्‌टी के तेल से जलाये जाने का कोई कथन नहीं किया गया है जबकि उसके पिता द्वारा यह कथन किया गया है कि उसकी पुत्री ने उसे सूचित किया था कि उसे आवेदक द्वारा मिट्‌टी के तेल से जलाया जा रहा है। अतः इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षीगण द्वारा झूठा तथा अतिशन्योक्तिपूर्ण कथन किया जा रहा है। यदि आवेदक द्वारा विपक्षी से न तो दहेज की मांग किया जा रहा है और न ही उसे दहेज के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्या कारण है कि उनके संबंध इतने खराब हो चुके हैं। अतएव विपक्षी की अपेक्षा आवेदक के साक्ष्य अधिक भरोसेमन्द तथा विश्वसनीय हैं। यह सहज विश्वास नहीं किया जा सकता कि केवल तीन लाख रूपये एवं एक मारूती जेन के कारण आवेदक, विपक्षी से तलाक ले लेगा जबकि उसको एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका है तथा तलाक के परिणामस्वरूप उसका जीवन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जायेगा। अतएव उपरोक्त साक्ष्यों से भली भांति यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ से ही विपक्षी का व्यवहार आवेदक के प्रति

क्रूरतापूर्ण रहा है जिससे आवेदक के मस्तिष्क में युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो चुकी है कि विपक्षी के साथ रहना उसके लिये अपहानिकर होगा।

22. आवेदक का यह कथन भी सिद्ध होता है कि विगत दो वर्षो से विपक्षी ने उसे दाम्पत्य सुख से वंचित कर रखा है। अतः विपक्षी ने दाम्पत्य सुख से आवेदक को वंचित कर रखने के कारण आवेदक को अभित्यक्त भी कर रखा है।

23. इस प्रकार आवेदक, विपक्षी के विरूद्ध विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र प्रतीत होता है तथा वाद आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

24. **वाद बिन्दु सं0 (ii):–** वाद बिन्दु सं0 (i) पर निकाले गये निष्कर्ष के उपरांत इस वाद बिन्दु पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

25. वाद आज्ञप्त किया जाता है। वादी दिनेश सिंह एवं विपक्षी श्रीमती शुभ्रा सिंह के मध्य विवाह का विच्छेदन किया जाता है। तदानुसार वादी दिनेश सिंह एवं विपक्षी श्रीमती शुभ्रा सिंह के मध्य विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति बनायी जाये। सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 26.02.2021

(आदिल आफताब अहमद)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।
ID No.- UP 5723

26. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 26.02.2021

(आदिल आफताब अहमद)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।
ID No.- UP 5723

UPMA020009612020

In the Court of Principal Judge, Family Court, Mau.
पीठासीन अधिकारी– (Sri Adil Aftab Ahmad), (**H.J.S.**) – UP05723

Case No.- 392 of 2020

Surendra s/o Katwaru, R/o- Siyarahi Barjala, Post- Panail Vihata, Pargna & Tehsil- Ghosi, District- Mau.

…....................Petitioner

Versus

1. Chanda w/o Surendra, Present address- Machula, Tehsil- Sagadi, Post- Machula, District- Azamgarh.

2. Vinod s/o Ganeshi, R/o- Atarsahavan, Tehsil- Ghosi, Post- Mandi Dullah, District- Mau.

…...............Respondents

<u>JUDGMENT</u>

1. This petition has been presented by the petitioner, husband, against his wife for a decree of divorce under Section 13 Hindu Marriage Act.

2. The petitioner, in short, has averred that he was married to respondent no. 1 on 22.05.13 as per Hindu Law and rites. Out of their wedlock two children, Ayush and Panchi, aged 3 years and 1.5 years, respectively were born to them. After the birth of their latest child the respondent no. 1 declined to have physical relationship with him. In this way she has deserted the petitioner for last many years causing mental cruelty to him. She has also developed illicit relationship with another person for the last more than two years. Respondent no. 2, the brother-in-law of respondent no. 1 frequently visits respondent no. 1. When petitioner objects to his undue visits to her respondent no. 1 reacts sharply. On 20.08.2020 respondent no. 2 took along respondent no. 1 with him along with his children and also the jewelries and rupees 50000 kept in his house. He was expecting his wife and children back home but when he had gone to his in-laws house to bring them back they were not found there. On 11.09.2020 the father of petitioner had made a complaint to S.P., Mau to the effect that after abducting his daughter-in-law respondent no. 2 had sold her along with her children to someone

but no action was taken by the police. The respondent no. 2 has either sold respondent no. 1 to someone with whom respondent no. 1 has married or respondent no. 2 has himself married her. Hence, this suit.

3. The respondents together have filed a joint written statement praying therein to dismiss the petition on the grounds that petitioner himself is a man of bad repute. He has developed illicit relationship with another woman. He used to assault respondent no. 1 and kept demanding dowry from her parents. In fact he himself had driven away respondent no. 1 and her children from his house and, therefore, there is no physical relationship with respondent no. 1 for last more than three years. She is living at her parent's house and it has become very difficult for her to make her both ends meet. There is no relationship much less any illicit relationship between respondents inter se except that respondent no. 2 is a distant relative of respondent no. 1. This false acquisition of illicit relationship is only to exert pressure upon respondent no. 1.

4. On the basis of pleadings of the parties following points for consideration are there before this court :-

(i) Whether respondent no. 1 is the wife of petitioner ?

(ii) Whether respondent no. 1 has persistently or repeatedly treated petitioner with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in the mind of petitioner that it will be harmful or injurious for him to live with the respondent no. 1, or ?

(iii) Whether respondent no. 1 has deserted petitioner for last more than two years ?

(iv) Whether petitioner is entitled to a decree of divorce ?

5. In support of his averments the petitioner has got himself examined as PW 1 and respondent no. 1 in her evidence has got herself examined as DW 1.

6. **<u>Point No. (i)</u>** Respondents have admitted that petitioner was married to respondent no. 1. Therefore, this point for consideration is decided in the affirmative.

7. **<u>Point Nos. (ii) & (iii)</u>** The petitioner has deposed that immediately after the birth of his daughter, Panchi, respondent no. 1 has ceased to have physical relationship with him and had left for her mother's house. She started causing

mental cruelty to him from her untoward conduct. He had come to know that she has developed illicit relationship with another person. She used to visit her brother-in-law, respondent no. 2. When he used to inquire about it she would become aggressive. Ultimately on 20.08.2020 she had left his house along with her said brother-in-law. When he had gone to bring her back he could not found his wife and children at her parent's house. She does not intend to continue to live with him. In his cross-examination he has reiterated that relationship between them has ceased to exist for last more than three years. He has not seen his wife with respondent no. 2 in objectionable relationship. He has made this averments only on the basis of suspicion. He is not aware as to with whom respondent no. 1 has married.

8. The respondent no. 1 in her oral evidence has stated that petitioner used to demand dowry from her parents. When his demands were not met he assaulted her and deprived her of from her daily needs. Even after the birth of children the assault on the part of her husband continued. Finally her husband and her father-in-law drove her and her children away from their house. Therefore, she had come back to her parent's house and is ever since living there. They had their last physical relationship more than two and a half years ago. She has no relationship with her brother-in-law, Vinod as alleged by petitioner. She has not married any other person either. It is no longer possible for her to live in the house of her in-laws for the reason that they used to assault her for the sake of dowry. In her cross-examination she has further stated that she is not ready to live together with petitioner anymore. Even in the *panchayat,* held to resolve the issues between them, it was agreed upon between them that they shall not live together and that each of them shall be at liberty to marry elsewhere. She vows not to file any suit against petitioner after the decree of divorce is passed. She asserts that she would no longer live with petitioner.

9. From the evidences discussed above it is proved that the parties are living separately for the last more than two years and also that respondent no. 1 has not established any physical relationship with petitioner during this entire period. Now she has chosen to live at her parent's house and is determined not to come back. Therefore, it is proved that respondent no. 1, the wife, has deserted

petitioner for a continues period of not less then two years immediately preceding the presentation of the petition and is not willing to come back. Needless to say that desertion of husband by a wife amounts to treating the husband with cruelty and, as the wife is determined not to come back to live together with her husband anymore, it would now certainly be injurious for the petitioner to attempt to live with her. Therefore, this cruelty attributed to respondent no. 1 may cause a reasonable apprehension in the mind of petitioner that it will be harmful or injurious for him to live with respondent no. 1. Accordingly, point nos. (ii) and (iii) too are decided in the affirmative.

10. **Point No. (iv)** On the basis of findings on point nos. (i), (ii) and (iii) aforesaid the petition deserves to be decreed.

Order

11. The petition is decreed. The marriage of petitioner, Surendra with respondent no. 1 Chanda is dissolved with immediate effect.

12. Accordingly, a decree of divorce be drawn up. Consign the record after necessary entries in the relevant registers.

Dated: 09.04.2021 **(Adil Aftab Ahmad)**
Principal Judge,
Family Court, Mau.

13. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 09.04.2021 **(Adil Aftab Ahmad)**
Principal Judge,
Family Court, Mau.

In the Court of Principal Judge, Family Court, Mau.
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Case No.- 360 of 2020
C.N.R. No.- UPMA020009082020

1. Ravindra Verma s/o Late Chandrika Prasad Verma, R/o- Baktavarganj, P.S.- Dakhintola, Tehsil- Sadar, District- Mau.

2. Sarita w/o Ravindra Verma, R/o- Baktavarganj, P.S.- Dakhintola, Tehsil- Sadar, District- Mau. Present address- d/o Lalchand, R/o- Hal Mampur Mahadeva, P.S.- Bhimpura, District- Ballia.

…....................Petitioners

JUDGMENT

1. The petitioners Ravindra Verma and Sarita together have filed the petition on 03.09.2020 under section 13-B Hindu Marriage Act 1955 for a decree of divorce.

2. The petitioners above mentioned have stated that they were married on 11.07.2019 as per Hindu rites but soon after marriage differences of opinion crept in between them and it remained no longer possible for them to live together as husband and wife. Therefore, they started living separately soon after marriage. Hence, they have mutually agreed that their marriage should be dissolved and accordingly they have presented this petition for a decree of divorce.

3. After the elapse of a period of more than six months the petition is taken up again today on 13.04.2021 for hearing. The Counselor was directed to mediate and counsel the parties. The Counselor has submitted her report according to which she has counseled the parties but even after much persuasion by her the petitioners are not inclined to change their intention and are not ready to live together as husband and wife.

4. The petition is supported by their respective affidavits as such.

5. The petitioners, as stated above, are present in person and have been examined by the Court.

6. The court itself tried it's level best to resolve the issues between them and to make them live together as husband and wife but it appears that the parties persist in their intention and they have not withdrawn their petition.

7. It appears that the petitioners who are subject to Hindu law, were married

on 11.07.2019. They have presented this petition for divorce after more than one year of their marriage. Now they have mutually agreed that their marriage should be dissolved and, therefore, have filed this petition together for a decree of divorce on 03.09.2020 with mutual consent. It appears that they are living separately for a period of last more than one year and it is no longer possible for them to live together as husband and wife. They appear to have presented the joint petition with their free will. Even a counseling by this Family Court and a period of more than six months after filing this petition given to them for reconsideration of their opinion and reconciliation was of no avail. Under these circumstances the petition deserves to be allowed.

Order

8. The joint petition for divorce under section 13-B Hindu Marriage Act is allowed. The marriage between Ravindra Verma and Sarita stands dissolved with effect from the date of decree. Accordingly, a decree of divorce between the petitioners be drawn up.

Dated: 13.04.2021

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

9. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 13.04.2021

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

In the Court of Principal Judge, Family Court, Mau.
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Case No.- 123 of 2020
C.N.R. No.- UPMA020003612020

Akhilesh Gupta s/o Chaturbhuj Gupta, R/o- Pahasa Mahiuddinpur, P.S.- Haldharpur, District- Mau.

…....................Petitioner

Versus

Anuradha Gupta w/o Akhilesh Gupta d/o Purushottam Gupta, R/o- Bheeti, P.S.- Kotwali, District- Mau.

…...............Opposite Party

JUDGMENT

1. The plaintiff instituted this suit against his wife, the defendant, for a decree of restitution of conjugal rights.

2. The plaintiff, in his plaint, has averred that he was married to defendant on 30 November 2016 as per Hindu rites at the house of the parents of defendant. After the marriage she came along with him at his house as his wife. His father had given her adequate presents too, on the occasion of marriage aforesaid. For the first time on 29 February 2017 she left his house for the house of her parents and, thereafter, she is to visit her parents at her convenience. However, meanwhile she kept accusing the plaintiff of being too poor to take care of her. On one occasion when she had gone to her parents house and plaintiff went to bring her back her father insisted that she would go along with him only if he would take her to Mumbai and keep her there along with him otherwise he would not let her go. He tried his level best to woe them but all in vain. Even the efforts made by the relatives and friends to persuate defendant and her father to let defendant join him bore no fruit. Defendant finally refused to join his society. Hence, the suit for a decree of restitution of conjugal right.

3. Defendant appeared and filled her written statement wherein she admitted her marriage with plaintiff and that after her marriage she spent a period of two months with him as his wife. She has further stated that her husband carries on his business in Mumbai. Her husband had assured her that he would take her to Mumbai but she could not. Meanwhile the parents of plaintiff kept making demand for dowry too and thereby caused physical and mental cruelty to her. She

informed about this development to her husband but all in vain. Whenever her husband would come to his house he would take her along with him and after leaving her in his parents house he used to leave alone for Mumbai. His parents kept insisting for further dowry causing her mental agony to grow day by day. The allegations made by plaintiff is false. Instead she would be most happy to live in the society of her husband if he takes her along with him to Mumbai. The defendant is ready and willing to perform her martial obligation. Therefore, decreeing the suit the plaintiff be directed to take her along with him from her parents house.

4. On the basis of pleading following points for determination were made :-

(i) Whether defendant is the wife of plaintiff ?

(ii) Whether defendant has withdrew herself from the society of plaintiff without reasonable excuse ?

(iii) Whether there is any other legal impediments why the restitution of conjugal right should not be granted ?

5. The plaintiff and defendant have got themselves examined as PW 1 and DW 1 respectively in oral evidence.

Point no. (i) Defendant in her written statement has admitted that she was married to plaintiff and is his wife. Therefore, this point is decided in the affirmative.

Point no. (ii) The plaintiff in his plaint, has averred that defendant is not willing to join the society as his wife and she is insisting that he take her to Mumbai, where she carried on his business, along with him only then she would join his society. In her written statement defendant has not refused that she is not living separately from her husband right now. Instead she has averred that she would be most willing to be in the society of her husband. From these pleadings of the parties it is apparent that right now defendant is not living in the society of her husband. PW 1 has deposed that he has instituted this suit for restitution of conjugal right against his wife, she is present in the court, the misunderstanding that has erupted between them is now over and that now they are ready to live together as husband and wife. DW 1 too has deposed that due to any misunderstanding her husband has instituted this suit, she is ready and willing to

go along with him and that she would never provide any occasion to her husband for any annoyance anymore. Now there is no longer any misunderstanding between them. From these evidences it appears that the defendant had withdrew herself from the society of her husband without any reasonable cause and that now she is ready and willing to join the society of plaintiff as his wife. Therefore, this point is decided to the effect that defendant had withdrew from the society of plaintiff without any reasonable cause.

Point no. (iii) Neither there appears any legal impediment nor any argued why the restitution of conjugal right should not be granted. Therefore, there is no legal impediment why restitution of conjugal right should not be allowed.

6. On the basis of findings on different points of determination as discussed above the suit deserves to be decreed.

Order

7. The suit is decreed. The defendant is directed to join the society of plaintiff as his wife immediately.

8. Accordingly, a decree be drawn up and consign the record thereafter.

Dated: 28.09.2020

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

9. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 28.09.2020

(Adil Aftab Ahmad)
Principal Judge,
Family Court, Mau.
ID No.- UP 5723

<u>Chapter-V</u>

Judgments of the First Appellate Court.

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 1, मऊ

उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद, एच.जे.एस.

सिविल अपील सं0 25 सन् 1993

1. फागू पुत्र श्री सुखरन
साकिन मौजा- अमिला नोनिया का पूरा, तप्पा गोठा, परगना व तहसील- घोसी, जनपद- आजमगढ़। ....अपीलार्थी

बनाम

1. पल्टू पुत्र बनारसी (मृतक)
1/1. रामपाल पुत्र स्व0 पल्टू
1/2. धनपाल पुत्र स्व0 पल्टू
1/3. महदेईया पत्नी स्व0 पल्टू
2. सुदेशी पुत्र अलीयर (मृतक)
2/1. रमेशर पुत्र स्व0 सुदेशी
2/1/1. दीपू पुत्र रमेशर
2/2. समरधिया पत्नी स्व0 सुदेशी
3. शिशुपाल पुत्र मंगल
4. किरपाल पुत्र मंगल (मृतक)
4/1. कृपाल पुत्र किरपाल संरक्षिका माता हकीकी प्रभावती देवी
4/2. प्रभावती देवी पत्नी किरपाल
समस्त साकिनान- अमिला नोनिया का पूरा, तप्पा गोठा, परगना व तहसील- घोसी, जनपद- आजमगढ़।

.................................विपक्षीगण प्रथम पक्ष

5. दहारी पुत्र सुभग (मृतक)
साकिन मौजा- अमिला, हाल मुकाम मुहल्ला- पहाड़पुर (गोलगड़ही) तप्पा हवेली, परगना व तहसील- घोसी, जनपद- आजमगढ़।

.................................विपक्षी द्वितीय पक्ष

निर्णय

1. हस्तगत सिविल अपील मूल वाद सं0 479/1988 पल्टू बनाम फागू आदि में न्यायालय अवर मुन्सिफ एकादश जनपद आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 16.12.92 से क्षुब्ध होकर मूल वाद के प्रतिवादी फागू द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने मूल वाद आज्ञप्त कर दिया है।

2. संक्षेप में अपील की पृष्ठभूमि यह है कि प्रतिपक्षी/वादी पल्टू ने अपीलाण्ट/प्रतिवादी फागू आदि के विरूद्ध उक्त मूल वाद दिनांक 21.04.88 को इस अभिकथन के साथ मुन्सिफ मोहम्मदाबाद गोहना आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया कि

वाद पत्र के अंत में प्रस्तुत नक्शा नजरी में प्रदर्शित क स्थान वादी का मकान है। उससे उत्तर द,स,र,ल उसके मकान का सहन तथा रास्ता है। उसके उत्तर की भूमि जिसे अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, गांव के ही दहारी नामक व्यक्ति की सम्पत्ति थी जिसे दहारी विक्रय करना चाहते थे तथा वादी को उसकी आवश्यकता थी, अतः दहारी ने उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के लिए वादी के पक्ष में दिनांक 18.04.85 को एक रजिस्टर्ड मुहाइदा व्यय निष्पादित किया, परन्तु बाद में उक्त सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की साजिश करने लगे, अतः वादी ने मुहाइदा व्यय के विशिष्ट अनुपालन हेतु मूल वाद 851/86 पल्टू बनाम दहारी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जो डिग्री हुआ। अतः प्रतिवादी दहारी ने दिनांक 08.07.87 को उक्त सम्पत्ति का रजिस्टर्ड बैनामा वादी के पक्ष में कर दिया। दिनांक 18.04.85 से ही वादी का उस पर एलानिया तौर पर कब्जा चला आ रहा है, जिसमें वादी के नाद, खूंटा, मड़ई आदि स्थित हैं। उनसे प्रतिवादी का कोई संबंध अथवा वास्ता सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी के कब्जा दखल में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे हैं तथा वादी को उससे बेदखल करना चाहते हैं। दौरान विचारण वाद विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने वादीगण की मड़ई, नाद, खूंटा आदि उखाड़कर फेक दिया एवं वादी के मकान के सामने ही बलपूर्वक कच्ची दीवार बना दिया, अपनी मड़ई तथा नाद एवं खूंटा रख दिया एवं बाद में अपनी नवस्थापित मड़ई को हटाकर उसके स्थान पर खपरैल का मकान बना लिया। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित किया जाय कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा दखल में कभी हस्तक्षेप न करें और न उसमें स्वयं कोई निर्माण करें तथा दौरान विचारण वाद वादग्रस्त भूमि से उनके द्वारा नवनिर्मित तामीर एवं नाद, खूंटा हटाकर स्थिति पूर्ववत कर दिया जाय तथा उनके द्वारा ऐसा न करने पर न्यायालय द्वारा डिग्री के माध्यम से वादग्रस्त सम्पत्ति की स्थिति पूर्ववत करा दिया जाय।

3. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर वाद को निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर किया गया है कि उनके गांव में दहारी पुत्र सुमग नामक कोई व्यक्ति कभी नहीं रहा है। वह एक काल्पनिक व्यक्ति है। मुहाइदा व्यय व बैनामा

दिनांकित 18.04.85 व 08.07.87 क्रमशः तथा संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु प्रस्तुत वाद सं0 851/86 पल्टू बनाम दहारी फर्जी है, जिसका कोई ज्ञान प्रतिवादी सं0 1 को नहीं है। उक्त मुहाइदा बैनामा तथा डिग्री की कोई पाबंदी प्रतिवादी पर नहीं है बल्कि उसके विपरीत विवादित स्थान प्रतिवादी सं0 1 का सहन उनके पूर्वजों के समय से जमींनदारी उन्मूलन के पूर्व से है जो जमींनदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उनके मकान की संलग्नक भूमि है जिसे विक्रय करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। यदि तथाकथित बैनामा मौजूद है तो वह षडयंत्र स्वरूप तथा बिना किसी प्रतिफल के है। वादी के मकान के उत्तर स्थान प्रदर्शित अक्षर द,स,र,ल वादी का सहन नहीं है बल्कि वह गांव का पुराना रास्ता है।

4. प्रतिवादी सं0 2, 3 एवं 4 ने प्रतिवाद पत्र 42क प्रस्तुत कर वाद को निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर किया है कि वास्तव में वादी तथा प्रतिवादी सं0 2, 3 एवं 4 एक ही पूर्वज की संतान हैं। वर्तमान में उनका अलग-अलग मकान है। वादी की समस्त सम्पत्ति उनके मकान के उत्तर स्थित रास्ता जो पूरब पश्चिम रवां है के दक्षिण ओर ही स्थित है। रास्ते के उत्तर उसकी कोई सम्पत्ति नहीं है बल्कि उसने प्रतिवादी सं0 1 की सम्पत्ति को हड़पने के आशय से उसे अपनी बताकर यह वाद योजित किया है। वादग्रस्त भूमि अ,ब,स,द क स्वामी बकब्जा प्रतिवादी सं0 1 है। दहारी नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं था। वह एक फर्जी व्यक्ति है। वादी ने कोई भूमि तन्हा नहीं क्रय किया है।

5. वादी द्वारा प्रतिवाद पत्र का जवाबुल जवाब कागज सं0 28क प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का कभी कोई नाद, खूंटा, मड़ई, मकान नहीं था बल्कि प्रस्तुत दावे की जानकारी हो जाने के पश्चात तथा वाद में नियुक्त कमिश्नर के मौके पर जाने से पूर्व प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित जमीन से वादी की मड़ई, नाद, खूंटा उखाड़कर फेक दिया था एवं मिट्टी की कच्ची दीवार बनाकर मड़ई रख दिया था तथा अपना नाद, खूंटा, चारा मशीन लगा दिया था तथा कमिश्नर को अपनी साजिश में करके सही रिपोर्ट नहीं आने दिया। कमिश्नर के आने के बाद मड़ई हटाकर उसमें खपरैल का मकान बना लिया एवं झूठा जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 1 का यह अभिकथन गलत है कि वादग्रस्त भूमि

जमींनदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उसके मकान की संलग्न भूमि है। प्रतिवादी सं0 2, 3 एवं 4 ने वादी से साजिश कर लिया है और मिलकर एक जैसा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित जमीन वादी की है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। विवादित जमीन प्रतिवादी सं0 5 दहारी की रही है जो गांव का कदीमी वाशिंदा था जो चन्द साल पहले गांव से अपना निवास छोड़कर अन्य मौजा गोलगड़ही में अपना निवास बना लिया और ग्राम अमिला की सम्पूर्ण जायदाद बेच दिया। विवादित जमीन को वादी ने दहारी से बैनामे से लिया है।

6. प्रतिवादी सं0 5 दहारी की ओर से कोई प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किए गये-

1. क्या वादी विवादित भूमि व उसमें स्थित वस्तुओं का मालिक व काबिज है?

2. क्या विवादित भूमि में निर्माण व वस्तुएं हटाये जाने योग्य हैं व वादी उन पर दखल पाने का अधिकारी है?

3. क्या वाद में अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का दोष है?

4. क्या वाद काल बाधित है?

5. क्या वाद में सिद्धान्त विबंधन बाधक है?

6. क्या वाद में धारा 34 कानून दादरसी खास बाधक है?

7. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है व न्याय शुल्क कम अदा किया गया है?

8. क्या वाद में धारा 49 सी.एच. एक्ट बाधक है?

9. क्या वादी किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

8. विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु सं0 1 और 2 पर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वादग्रस्त भूमि के दहारी स्वामी बकब्जा थे जिन्होनें उक्त सम्पत्ति वादी को बेच दिया, जिससे वादी उसका स्वामी बकब्जा हो गया तथा वाद बिन्दु सं0 3,4,5,6 व 8 पर नकारात्मक निष्कर्ष निकालते हुए वाद बिन्दु सं0 9 के अनुसार वादी को वांछित अनुतोष का पात्र पाते हुए वाद को सव्यय डिग्री पारित कर प्रतिवादी को द्वारा स्थायी

व्यय आदेश वादग्रस्त भूमि पर जिसे वाद पत्र के मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है में वादी के कब्जा दखल में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया है तथा द्वारा आदेशात्मक व्यय आदेश प्रतिवादी को वादग्रस्त सम्पत्ति से दौरान मुकदमा निर्मित नवनिर्माण, नाद, खूंटा आदि को दो माह के अंदर हटाकर भूमि को पूर्ववत करने का आदेश दिया तथा कमिश्नर मानचित्र कागज सं0 19क2 को डिग्री का अंश बनाया।

9. उपरोक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी फागू ने हस्तगत अपील इस आधार पर योजित किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित डिग्री विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त भूमि का मालिक व काबिज वादी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण हैं। वाद में उल्लिखित मुहाइदा व्यय व बैनामा फर्जी है। तथाकथित दहारी नामक कोई व्यक्ति नहीं था और न उसका उस सम्पत्ति से कोई संबध था। मूल वाद सं0 851/86 प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा व निर्माण है जो हटाये जाने योग्य नहीं है। आलोच्य आदेश सरसरी तौर पर पारित एक मनमाना आदेश है, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का भी उल्लेख नहीं है.........आदि-आदि।

10. इस अपील में अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त सम्पत्ति जिसे वाद पत्र के नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, के दहारी स्वामी थे जिनसे वादी ने उक्त सम्पत्ति क्रय कर लिया है तथा अब वादी उस सम्पत्ति के स्वामी हैं जिस पर प्रतिवादीगण ने दौरान विचारण वाद कब्जा करके अपना निर्माण कर लिया है तथा नाद, खूंटा आदि रखकर कब्जा कर लिया है यदि हां तो क्या वादी उक्त निर्माण एवं नाद, खूंटा को हटवाये जाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

11. वादी पल्टू पी0डब्लू 1 ने यह बयान दिया है कि मेरे मकान के उत्तर मेरे मकान से मुताल्लिक मेरा सहन है उसी सहन से गांव के लोग आते जाते भी हैं। मेरे घर के उत्तर मेरे गांव के दहारी की जमीन थी। वह अपनी जमीन बेच रहे थे तो मैनें दहारी से उनकी जमीन का मुहाइदा बय लिखाया तथा उन्होनें जमीन पर मुझे कब्जा

दखल दे दिया। उक्त जमीन से सटे पश्चिम नीम व तरकुल का पेड़ है। नीम व तरकुल के पेड़ के पश्चिम फागू प्रतिवादी का मकान व जमीन है। मुहाइदा बय के बाद दहारी दूसरे लोगों से जमीन को बेचने की बात करने लगे तब मैनें दीवानी में दावा किया, जिसमें दहारी को आदेश दिया गया कि दहारी जमीन हमे बेंच दे। तब दहारी ने जमीन हमे बेच दिया। दहारी अमिला गांव छोड़कर घोसी तहसील में गोलगड़ही में 10-15 साल से घर बनाकर वहीं रह रहे हैं। यह जमीन दहारी के बापदादों की जमीन है। प्रतिवादीगण फरीकौअल एक राय होकर विवादित जमीन पर जबरदस्ती चारदीवारी घेरने की धमकी देने लगे तब मैनें दावा दाखिल किया। दावा की जानकारी होने पर प्रतिवादी मेरी मड़ई, नाद, खूंटा उखाड़कर फेक दिये। कमिश्नर के आने से पहले मड़ई रख दिया। तब मिट्टी की दीवार गीली थी। कमिश्नर जब मौके पर गये तब हमने उनको बताया था। मड़ई में घास काटने की मशीन भी रख लिया, खूंटा भी लगा लिया था लेकिन कमिश्नर साहब प्रतिवादीगण के प्रभाव में होकर सही रिपोर्ट नहीं दिये। कमिश्नर साहब प्रतिवादीगण के वकील साहब के बिस्तर पर बैठ्ते हैं इसीलिए सही रिपोर्ट नहीं दिये। वादी से प्रतिवादीगण ने सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया है, परन्तु उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे वादी का मुख्य परीक्षा में दिया गया बयान झूठा प्रतीत हो।

12. वादी ने स्वयं दहारी को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसे पी0डब्लू 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उसने बयान दिया है कि मैं बापदादे के जमाने से अमिला का वाशिंदा हूं। इस समय गोलगड़ही मौजा पहाड़पुर तहसील घोसी में रहता हूं। विवादित जमीन हमारे बापदादा के जमाने से हमारी थी। उसके उत्तर छत्तर का मकान है, दक्षिण पल्टू वादी का मकान है, पूरब दरगाही का मकान है तथा विवादित जमीन से सटे पश्चिम तरकुल व नीम का पेड़ है। उसी तरकुल व नीम के पेड़ के पश्चिम वाली जमीन में फागू का सहन व मकान है। अपनी जमीन को आज से 7 साल पहले पल्टू को मुहाइदा व्यय कर दिया था तथा पल्टू का कब्जा दे दिया था। उसमें उन्होनें अपनी मड़ई बना लिया है तथा नाद, खूंटा रख लिया है। बाद में पल्टू को बैनामा कर दिया है। जब तक बेचा नहीं था तब तक विवादित जमीन पर मेरा कब्जा था। विवादित जमीन पर फागू आदि का कभी कोई कब्जा नहीं था। जब

मैनें पल्टू को बैनामा कर दिया तब फागू ने विवादित जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। विवादित जमीन पर पल्टू के अलावा और किसी दीगर शख्स का कोई कब्जा नहीं है। फागू भी मेरी जमीन लेने गया था मैनें उसे नहीं दिया। पल्टू से पहले बात हो गयी थी इसलिए फागू को नहीं दिया। इसी से रंज होकर फागू ने मुझे मारने के लिए दौड़ाया जब मैं अमिला गया था। इसकी शिकायत मैनें पुलिस चौकी अमिला में किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मैं मौजा गोलगड़ही में रहता हूं। गोलगड़ही में मेरे फूफा रहते हैं। मेरे फूफा के बाल बच्चे हैं। अपनी जायदाद में से फूफा ने अपने लड़कों के साथ-साथ मुझे भी थोड़ा सा दिया है। जब मैं 8-10 साल का था तभी गोलगड़ही चला गया था। मेरी शादी मौजा अमिला से ही हुई थी। मेरे बाप को मरे करीब 40 साल हुआ होगा। जब मेरे पिता जी मर गये तब अमिला वाला मकान गिर गया, केवल एक मड़ई शेष है। मौजा अमिला में मेरे नाम से खेत है जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है। जब मैं बंगाल चला गया था तो उसी समय अमिला वाले खेत पर वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया था। तब मैनें दावा किया................आदि-आदि।

13. इस साक्षी से भी प्रतिवादी द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पी0डब्लू 2 ने झूठा बयान दिया हो।

14. वादी का तीसरा साक्षी शिवगोविन्द तिवारी पी0डब्लू 3 है जो स्थानीय निवासी है, जिसने बयान दिया है कि विवादित जमीन के उत्तर छत्तर नोनिया का मकान, दक्षिण पल्टू, पश्चिम सुखरन नोनिया का मकान तथा पूरब सहदेव का कुल्हाड़ा था तो पस्त हो गया। उसके पूरब दरगाही का मकान है। विवादित जमीन पहले सुभग नोनिया का मकान था उस पर उसकी बांसकोठी थी। सुभग नोनिया के लड़के दहारी हैं जो अपने फुफौरे मे रहते हैं जब तक सुभग जिन्दा थे तब दहारी आते जाते थे। सुभग के मरने के बाद दहारी गोलगड़ही चले गये तब भी दहारी का विवादित जमीन पर कब्जा था, 6-7 साल पहले दहारी ने वह जमीन पल्टू को बेंच दिया। तीन साल पहले फागू जबरदस्ती कब्जा कर लिये तब पल्टू ने आकर दीवानी में दावा किया। मैनें अप्रैल महीने में जाकर देखा कि विवादित जमीन में आधे में खपरैल मकान बन गया है तथा आधे में मड़ई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मेरा पुरवा नोनिया का

पुरवा से 5 फर्लांग पूरब है। नोनियों के गांव में किसी के यहां खाने पीने का प्रचलन नहीं है। पूजा पाठ करता हूं तब अपने हाथ से बनाकर खाता हूं। नोनियों के गांव में पहले 15-16 घर मेरे जजमान थे। पल्टू भी मेरा जजमान है.................। विवादित जमीन कितने लाठा लंबी चौड़ी है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैनें पैमाइश नहीं किया। मेरी मुलाकात दहारी से हमेशा रास्ते में चलते फिरते हुई है...............। मैं ब्राम्हण होने के नाते सारे गांव का हितैषी हूं।

15. इस प्रकार इस साक्षी के बयान से यह प्रतीत नहीं होता है कि इस साक्षी ने झूठा बयान दिया हो।

16. प्रतिवादी ने स्वयं को बतौर डी0डब्लू 2 परीक्षित कराया है तथा साक्षी नन्दन को बतौर डी0डब्लू 1 परीक्षित कराया है। प्रतिवादी सं0 1 फागू डी0डब्लू 1 ने अपने बयान में बताया है कि मेरे घर का दरवाजा सहन पूरब तरफ है। पूरब सहन में दक्षिण तरफ एक खपरैल का मकान तथा एक मड़ई, 6 खूंटी बांस स्थित है, एक तरकुल तथा एक नीम का पेड़ है, तीन नाद, खूंटा है। घर व सहन के दक्षिण 4 हाथ चौड़ा पूरब पश्चिम आम रास्ता है। उससे दक्षिण वादी का मकान है.............। विवादित जमीन पर मेरा कब्जा है। उस पर वादी अथवा प्रतिवादी सं0 2,3,4 का कब्जा नहीं है। दहारी पुत्र सुभग नाम का कोई व्यक्ति मेरे होश में मेरे गांव में नहीं रहता। मेरे गांव में एक दहारी नाम के आदमी रहते हैं जिनके पिता का नाम रामनाथ है। विवादित जमीन पर मेरा कब्जा मेरे पितामह के जमाने से चला आ रहा है। विवादित भूमि पर यदि कोई बैनामा किसी ने वादी के हक में लिखा हो तो वह बिल्कुल गलत है। उसे बेचने का उसे कोई हक नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मुझे गांव के बारे में 40 साल से जानकारी है। गांव में सुभग नाम का कोई आदमी है कि नहीं मैं नहीं जानता। उनके घर द्वार के बारे में भी नहीं जानता। मैं दहारी को भी नहीं जानता। मेरे सामने दहारी ने गवाही नहीं दिया। हमको नहीं मालूम कि मेरे वकील ने दहारी से जिरह किया या नहीं................। विवादित जमीन कितनी लंबी चौड़ी होगी, मैं नहीं बता सकता।

17. प्रतिवादी साक्षी डी0डब्लू 1 नन्दन ने अपने बयान में बताया है कि मैनें विवादित जमीन देखा है। उस पर प्रतिवादी सं0 1 का मकान है.............। मैं अपने

होश से विवादित जमीन पर फागू व उनके पिता सुखरन का कब्जा देखते चला आ रहा हूं। इस जमीन पर पल्टू का कब्जा नहीं है। सुभग या दहारी या किसी अन्य व्यक्ति का जमीन पर कब्जा नहीं रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मेरी उम्र 80-85 साल होगी..............। फागू के पिता का नाम सुखरन है। सुखरन के पिता का नाम फेरई है। साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मेरे गांव में दो दहारी थे। एक दहारी के पिता का नाम रामनाथ था, दूसरे दहारी के पिता को नहीं जानता न दूसरे दहारी को ही जानता हूं। मेरे गांव में सुभग थे या नहीं, मैं नहीं जानता। कभी रहें होंगे...............आदि-आदि।

18. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि जहां वादी साक्षियों ने अपने-अपने बयानों में बताया है कि विवादित भूमि के पूर्व स्वामी सुभग थे जिनका पुत्र दहारी है जिसने अपनी जमीन का पहले मुहाइदा व्यय तथा बाद में बैनामा वादी पल्टू के पक्ष में कर दिया था जबकि स्वयं प्रतिवादी डी0डब्लू 2 ने गांव में किसी दहारी पुत्र सुभग नाम के व्यक्ति के होने से इंकार किया है जबकि उसके साक्षी नन्दन ने यद्यपि यह स्वीकार किया है कि गांव में दहारी नामक दो व्यक्ति थे जिनमे एक के पिता का नाम रामनाथ था, परन्तु दूसरे के पिता का नाम नहीं जानता। यह साक्षी 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसने स्वीकार किया है कि गांव में दहारी नामक व्यक्ति था, परन्तु उनके पिता का नाम न बताकर यह प्रतीत होता है कि साक्षी कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा है। जहां तक स्वयं प्रतिवादी सं0 1 फागू के बयान का प्रश्न है तो उसके द्वारा गांव में दहारी नामक व्यक्ति के आस्तित्व से इंकार करना स्वाभाविक है। वादी साक्षी सं0 पी0डब्लू 1,2,3 के साक्ष्य स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वो गांव की स्थिति से भली भांति भिज्ञ हैं तथा उनके बयान एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं। स्वयं प्रतिवादी साक्षी सं0 2 ने भी गांव में दहारी नामक व्यक्ति का होना स्वीकार किया है, अतः प्रतिवादी साक्षी की तुलना में वादी साक्षी अधिक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद प्रतीत होते हैं। वादी पक्ष की ओर से नकल परिवार रजिस्टर प्रदर्श 5 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि दहारी पुत्र सुभग चौहान नाम का व्यक्ति ग्राम सभा अमिला नोनियापुर का निवासी रहा है, अतः इस साक्ष्य से भी सिद्ध होता है कि नोनियापुर

ग्राम का दहारी नामक व्यक्ति निवासी था। उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से ग्राम प्रधान लक्षीराम द्वारा जारी प्रमाण पत्र कागज सं0 71ग तथा प्रतिवादी की ओर से इसी ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र कागज सं0 68ग भी प्रस्तुत किया गया है। कागज सं0 71ग में ग्राम प्रधान ने इस आशय का प्रमाण पत्र दिया है कि दहारी पुत्र सुभग चौहान मौजा अमिला (चौहानपुरा) के निवासी हैं जो चन्द साल से मौजा पहाड़पुर गोलगढ़ही तहसील घोसी जनपद मऊ में रहते हैं तथा कागज सं0 68ग में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया है कि दहारी नाम का कोई व्यक्ति चौहानपुरा अमिला में नहीं है। यद्यपि अवर न्यायालय ने इन दोनों प्रमाण पत्रों को विश्वसनीय इस आधार पर नहीं माना है कि वे दोनों परस्पर अंतर्विरोधी हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। वे दोनों ही प्रमाण पत्र एक ही आशय के प्रमाण पत्र हैं, क्योंकि जहां कागज सं0 68ग में यह अंकित है कि दहारी नाम का कोई भी व्यक्ति चौहानपुरा अमिला में नहीं है, (यह प्रमाण पत्र दिनांक 19.07.92 को जारी किया गया है) जबकि कागज सं0 71ग में यह अंकित है कि दहारी पुत्र सुभग चौहानपुरा के निवासी हैं जो चन्द साल से मौजा पहाड़पुर गोलगढ़ही तहसील घोसी में निवास करते हैं। अतः निश्चित रूप से दहारी दिनांक 19.07.92 को चौहानपुरा के नियमित निवासी नहीं थे। वादी का यह भी कथन है कि दहारी ने वर्ष 1987 में अपनी जमीन का बैनामा वादी के पक्ष में कर दिया था तथा गोलगढ़ही ग्राम में जाकर निवास करने लगे थे, अतः वर्ष 1987 के पश्चात दहारी का ग्राम चौहानपुरा का निवासी न होना स्वाभाविक भी है। अतः दोनों ही प्रमाण पत्र एक दूसरे के पूरक हैं तथा भरोसेमंद हैं। अतएव परिवार रजिस्टर प्रदर्श 5 एवं ग्राम प्रधान अमिला द्वारा जारी प्रमाण पत्र कागज सं0 68ग एवं 71ग से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि दहारी मौजा अमिला चौहानपुरा के ही निवासी थे जो कुछ वर्ष पूर्व अपना पैत्रिक गांव छोड़कर मौजा पहाड़पुर गोलगढ़ही में अपने फूफा के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमीन पर निवास करते है। अतएव उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों एवं प्रलेखीय साक्ष्यों से संतोषप्रद रूप से यह सिद्ध होता है कि दहारी मौजा अमिला चौहानपुरा के ही निवासी थे, अतः निश्चय ही गांव में उसकी पैतृक भूमि थी। प्रतिवादी ने यह नहीं बताया है कि विवादित भूमि के अतिरिक्त दहारी की गांव में कोई दूसरी भूमि थी, अतः निश्चित रूप से विवादित भूमि जिसे स्वयं

दहारी पी0डब्लू 2 ने तथा पी0डब्लू 1 एवं पी0डब्लू 3 ने अपने-अपने बयानों में चौहद्दी देते हुए बताया है वही पैतृक सम्पत्ति दहारी की थी।

19. वादी ने यह कथन किया है कि दहारी ने विवादित सम्पत्ति का पहले वादी के पक्ष में मुहाइदा व्यय निष्पादित किया तथा बाद में उसका बैनामा निष्पादित कर दिया। वादी साक्षी दहारी ने स्वयं अपने बयान में भी वादी के पक्ष में अपनी पैतृक सम्पत्ति का मुहाइदा बय तथा बैनामा किया जाना स्वीकार किया है। असल दस्तावेज मुहाइदा बय दिनांक 18.04.85 तथा बैनामा दिनांक 08.07.87 प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि दहारी ने विवादित भूमि का बैनामा वादी के पक्ष में किया है। मुहाइदा व्यय प्रदर्श 2 में विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति की चौहद्दी, उत्तर मकान व अहाता छत्तर पुत्र जगन्नाथ, दक्षिण मकान पल्टू पुत्र बनारसी, पूरब मकान व सहन दरगाही व पश्चिम मकान व सहन फागू पुत्र सुखरन अंकित है। यही विवादित भूमि की भी चौहद्दी है। बाद में इसी मुहाइदा बय के विशिष्ट अनुपालन स्वरूप बैनामा दिनांक 08.07.87 भी निष्पादित किया गया है, जिसमें यद्यपि चौहद्दी स्पष्ट नहीं है पर निश्चित रूप से मुहाइदा बय की सम्पत्ति ही बैनामे के द्वारा विक्रय की गयी है और उसी चौहद्दी की भूमि विवादित भूमि है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि का बैनामा दहारी ने वादी पल्टू के पक्ष में किया था। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दहारी पी0डब्लू 2 ने अपने द्वारा निष्पादित किये गये मुहाइदा बय व बैनामे को सिद्ध किया है, अतः इन मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों से यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि दहारी ग्राम अमिला चौहानपुरा के कदीमी वाशिंदे थे, विवादित सम्पत्ति उन्हीं की पैतृक सम्पत्ति थी जिसे उन्होनें रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 08.07.87 के द्वारा पल्टू के पक्ष में विक्रय करके कब्जा दे दिया, जिसके फलस्वरूप वादी वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी बकब्जा हो गये। कमिश्नर मानचित्र कागज सं0 19क2 में स्थल की स्थिति प्रकट की गयी है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के मकान के पूरब उसका सहन दर्शाया गया है, जिसमें प्रतिवादी का नाद, खूंटा, बांसकोठी दर्शायी गयी है तथा प्रतिवादी के सहन के पूरब विवादित भूमि प्रदर्शित की गयी है। अतएव यदि वर्तमान समय में विवादित भूमि में प्रतिवादी ने मड़ई, खपरैल, नाद, खूंटा आदि स्थापित कर लिया है तो निश्चय ही उसने उक्त निर्माण एवं

नाद खूंटों की स्थापना वादी द्वारा क्रयशुदा जमीन में कर लिया है। अतएव इस अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्मित विचारणीय बिन्दु पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी के ग्राम अमिला के दहारी पुराने वाशिंदे थे। विवादित सम्पत्ति उनकी पैतृक सम्पत्ति थी। उनसे वादी ने विवादित सम्पत्ति द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा क्रय कर लिया था तथा क्रय करने के पश्चात वादी उसका स्वामी है यदि कालांतर में प्रतिवादी ने उस पर कोई निर्माण कर लिया है तथा नाद, खूंटा की स्थापना कर लिया है तो वादी उसे हटवाने का अधिकारी है। विद्वान अवर न्यायालय ने भी वाद बिन्दु सं0 1 व 2 पर यही निष्कर्ष निकाला है जो साक्ष्यों एवं विधि के पूर्णतः अनुकूल है, अतः पुष्ट किये जाने योग्य है तथा उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

20. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क अवश्य दिया गया है कि अवर न्यायालय ने कमिश्नर मानचित्र कागज सं0 19क2 को डिग्री का अंश बनाया है, जिसमें कमिश्नर ने विवादित भूमि से भी अधिक भूमि को विवादित भूमि प्रकट किया है जिसकी चौहद्दी भी वाद पत्र के मानचित्र से मेल नहीं खाती, अतः डिग्री गलत है।

21. वादी द्वारा वाद पत्र में प्रदर्शित नक्शा नजरी, मुहाइदा व्यय में उल्लिखित चौहद्दी एवं कमिश्नर मानचित्र पर विचार किया गया। यह प्रतीत होता है कि कमिश्नर मानचित्र में वादग्रस्त सम्पत्ति उचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी है। अतः यदि उक्त मानचित्र को डिग्री का अंश बनाया जायेगा तो उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अतएव कमिश्नर मानचित्र कागज सं0 19क2 को डिग्री का अंश बनाये जाने का अवर न्यायालय का आदेश संशोधित किये जाने योग्य है तथा कमिश्नर मानचित्र कागज सं0 19क2 को डिग्री का अंश न बनाया जाकर नक्शा नजरी वाद पत्र को स्थिति स्पष्ट करते हुए डिग्री का अंश बनाना उचित होगा। तदानुसार उपरोक्त डिक्री में संशोधन के साथ अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

22. प्रस्तुत अपील निरस्त किया जाता है। निर्णय तथा आज्ञप्ति दिनांकित 16.12.1992 इस संशोधन के साथ पुष्ट किया जाता है कि कमिश्नर मानचित्र कागज सं0 19क2 डिक्री का अंश नहीं रहेगा बल्कि डिक्रीत सम्पत्ति की पहचान नक्शा नजरी वाद पत्र में प्रदर्शित अक्षर अ,ब,स,द से ही की जायेगी। शेष निषेधाज्ञा

आदेश एवं आदेशात्मक व्यय आदेश यथावत पुष्ट किया जाता है।

दिनांकः 08.08.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी.1,
मऊ।

23. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 08.08.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी.1,
मऊ।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.

सिविल अपील सं0 49 सन् 1992

जमुना व अन्य ....अपीलार्थीगण

बनाम

चन्द्रमा व अन्य ....विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. हस्तगत सिविल अपील तत्कालीन अपर मुंसिफ 15 जनपद आजमगढ़ द्वारा मूल वाद सं0 479/87 रामदास बनाम जमुना आदि में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 09.01.92 से क्षुब्ध होकर प्रतिवादीगण जमुना आदि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने मूल वाद आज्ञप्त कर दिया था।

2. संक्षेप में अपील की पृष्ठभूमि यह है कि वादी रामदास ने विपक्षीगण जमुना, संता, रामकरन तथा बंगाली सभी पुत्रगण ढोढ़ा के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा तथा आदेशात्मक व्यय आदेश के अनुतोष हेतु इस आधार पर वाद योजित किया कि वादी वाद पत्र के अंत में प्रकट की गयी नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित सम्पत्ति का स्वामी है जिसके पश्चिमी भाग में वादी का मौरूसी मकान जमीनदारी उन्मूलन के पूर्व से स्थित है तथा उसका पूर्वी अंश जिसे अक्षर य,ब,स,र,य से प्रदर्शित किया गया है मौरूसी मकान से संलग्न सहन है जिसमें उसके दरख्तान बांस खूंटी, हैण्डपम्प, खूंटा, ईंटा आदि भी मौजूद है। इसी वादग्रस्त सम्पत्ति के विषय में उभय पक्षों के मध्य वाद सं0 42/1964 रामदास बनाम जमुना आदि माननीय उच्च न्यायालय तक विचाराधीन होकर अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है जिसमें विवादित भूमि व उसमें स्थित मकान वादी का माना गया था। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 बिना किसी अधिकार के विवादित भूमि व मकान पर काबिज थे परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में पारित डिक्री के आधार पर वादी ने दिनांक 03.04.86 को विवादित भूमि व उस पर स्थित मकान में बाजाप्ता दखल प्राप्त किया। विवादित सहन पर प्रतिवादीगण ने एक छप्पर बना लिया था। बरवख्त दखल

प्राप्त करने विवादित भूमि पर, प्रतिवादीगण ने उक्त छप्पर में से अपना सामान निकालकर जला दिया और वादी को जमीन पर कब्जा दे दिया। इस प्रकार प्रतिवादीगण का विवादित भूमि व उसमें स्थित मकान से कोई वास्ता सरोकार नहीं है परन्तु वे इजरा वाद में दखल देने के पश्चात भी विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण अपने एक मेली आदमी अवधेष सिंह से विवादित भूमि का एक फर्जी बैनामा अपने पक्ष में लिखवाकर उक्त बैनामें के आधार पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि उक्त अवधेष सिंह का विवादित भूमि से कभी कोई वास्ता सरोकार किसी प्रकार का नहीं था। अतः प्रतिवादीगण उक्त बैनामें के आधार पर विवादित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। विवादित भूमि के पूरब सुमेर सिंह का खेत था जो चकबन्दी उपरांत राजेन्द्र सिंह को प्राप्त हुआ जिसको प्रतिवादीगण ने दौरा बैनामा प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह से क्रय कर लिया है तथा उस पर छप्पर डालकर रह रहे हैं। प्रतिवादीगण विवादित भूमि में क,ख,ग,घ स्थान पर बुनियाद खोदकर तामीरात कराने की धमकी दे रहे हैं। अस्तु उनके विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होने पर विवादित भूमि य,ब,स,र के विषय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद योजित किया गया। दौरान विचारण वाद वादीगण ने संशोधन के द्वारा अवधेष सिंह, बृजमोहन सिंह, श्रीराम सिंह, लल्लन सिंह तथा रामाश्रय सिंह को बतौर प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 पक्षकार बनाया तथा इस आशय का अभिकथन भी बढ़ाया कि दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि में X व M अक्षरों से प्रदर्शित स्थान पर छप्पर व भरसायं क्रमशः स्थापित कर लिया है तथा इस आशय के आदेशात्मक व्ययआदेश के अनुतोष की भी प्रार्थना किया कि उक्त छप्पर व भरसायं न्यायालय द्वारा हटवा दिया जाये।

3. वाद का प्रतिवाद प्रतिवादीगण 1 व 2 क्रमशः जमुना व संता द्वारा तथा प्रतिवादीगण 7 व 9 क्रमशः श्रीराम सिंह व रामाश्रय सिंह द्वारा पृथक-पृथक प्रतिवाद पत्र कागज सं0 34क1 एवं 51क1 प्रस्तुत कर किया गया है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा वाद को निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर किया गया है कि विवादित जमीन तथा उस पर स्थित वस्तुओं से वादी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है बल्कि उसके स्वामी प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से जमींनदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से स्वामी

बकब्जा चले आ रहे हैं। विवादित जमीन वाद सं0 42 सन् 1964 में शामिल नहीं थी और न ही विवादित जमीन पर कोई दखल देहानी की कार्यवाही हुई और न वादी ने कोई दखल उस पर प्राप्त किया। वाद सं0 42/1964 विवादित भूमि के पश्चिम स्थित केवल एक मकान के विषय में था तथा वादी ने उसी पर उक्त वाद के इजरा में कब्जा प्राप्त किया था। विवादित जमीन के दक्षिण पश्चिम अंश पर जो छप्पर स्थित है उससे वादी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उस छप्पर को अथवा उस स्थान पर स्थित किसी अन्य छप्पर को प्रतिवादीगण ने बरवख्त दखल देहानी न तो जलाया और न हटाया। वाद सं0 42 सन् 1964 में केवल मकान विवादित था और मकान के बावत ही दखल देहानी हुई थी अगर वादी ने अमीन अदालत से मिलकर कोई गलत रिपोर्ट तैयार करा लिया हो तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रतिवादीगण पर नहीं पड़ता। कार्यवाही दखल देहानी के समय कोई कागज नहीं लिखा गया था। ''पुलिस की मौजूदगी में अमीन साहब ने सादे कागज पर दस्तखत करवाया था।'' और अगर मुद्दई ने अमीन को मिलाकर उस सादे कागज पर गलत इबारत खिलाफ असलियत लिखवाया हो तो उसका कोई लाभ वादी को नहीं मिल सकता। वास्तव में वादी का पैत्रिक मकान विवादित भूमि से काफी दूर आबादी के अंदर स्थित है। विवादित भूमि से लगे मकान पर वादी की कोई रिहाइश नहीं रही। उसमें ताला बंद रहता था जो दखल देहानी के पश्चात कुछ ही समय बाद गिर गया था तथा वर्तमान में केवल एक धरोही के रूप में रह गया है। इस प्रकार विवादित जमीन तथा उसमें स्थित दरख्तान बांस खूंटी आदि से वादी का कोई संबंध नहीं है बल्कि उसमें दक्षिण पश्चिम स्थित छप्पर, जमीन में रखी हुई ईंट तथा जमीन में लगा हैण्डपाईप प्रतिवादी का है। दरख्तान प्रतिवादी ने लगाये हैं जिसके फल फूल का वे प्रयोग करते हैं। विवादित भूमि से सटे पूरब प्रतिवादीगण की मड़ई है जिसका दरवाजा तथा निकास पश्चिम ओर है। भविष्य के विवाद को मिटाने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण ने नेक नीयती से उचित मूल्य देकर अवधेष सिंह से विवादित जमीन का दिनांक 27.03.87 को बैनामा लिया है जिसका ज्ञान वादी को प्रारंभ से ही है।

4. प्रतिवादीगण सं0 7 तथा 9 ने भी ठीक इन्हीं आधारों पर प्रतिवाद करते हुये वाद को निरस्त करने की प्रार्थना किया है।

5. उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित कियेः–

1. क्या वादी विवादित भूमि एवं उसमें स्थित हैण्डपाईप आदि का स्वामी व भोगी है?

2. क्या वाद पोषणीय नहीं है?

3. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

4. क्या वाद धारा 34 विशिष्ट वाद अधिनियम से बाधित है?

5. क्या वाद विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है?

6. क्या वाद अवधि बाधित है?

7. अनुतोष?

8. क्या विवादित भूमि में स्थित मड़ई व भरसायं हटाये जोन योग्य है?

6. विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु सं0 1 व 8 पर सकारात्मक निष्कर्ष निकालते हुये तथा वाद बिन्दु सं0 2, 3, 4, 5, 6 पर नकारात्मक निष्कर्ष निकालते हुये वाद को आज्ञप्त कर दिया है।

7. इस निर्णय तथा आज्ञप्त से क्षुब्ध होकर प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने इस आधार पर अपील योजित किया है कि आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। विवादित भूमि तथा उस पर स्थित वस्तुओं से वादी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है बल्कि साक्ष्यों से भली भांति सिद्ध रहा कि उस पर स्थित दरख्तान हैण्डपाईप, ईंट चट्टा, मड़ई, भरसायं पर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा वे उस पर बकब्जा हैं। अवर न्यायालय ने मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का सही विश्लेषण नहीं किया है। प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 (जिन्हें इस अपील में बतौर प्रतिपक्षी सं0 2 ता 6 पक्षकार बनाया गया है) के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में विवादित जमीन का बैनामा लिखा जाना भी सिद्ध है परन्तु इन सब के बावजूद विवादित भूमि को प्रतिपक्षी के मकान का पूर्वी सहन मानकर अवर न्यायालय ने भूल किया है जबकि विवादित भूमि अपीलांट के मकान का पश्चिमी सहन है। अवर न्यायालय ने उचित वाद बिन्दु नहीं विरचित किया है। आलोच्य डिक्री अनुमान एवं कल्पना पर आधारित है। वाद बिन्दुओं पर अवर न्यायालय ने उचित निष्कर्ष नहीं निकाला है तथा अपीलांट द्वारा

प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं पर भी अवर न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है।

8. प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 की ओर से उपस्थित होकर अपील का विरोध इस आधार पर किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण करने के पश्चात विधि एवं तथ्यों के अनुकूल पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील को मय विशेष हर्जा निरस्त कर दिया जाये।

9. उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया। विचार किया गया। अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. इस अपील में विचारणीय बिन्दु यह है किः-

क्या वादी/अपीलांट विवादित भूमि का स्वामी बकब्जा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है?

11. इस मूल वाद में वादी की ओर से रामलाल तथा जगन्नाथ को बतौर पी0डब्लू 1 एवं 2 के रूप में परीक्षित किया गया है तथा प्रतिवादीगण की ओर से जमुना, दुर्गविजय सिंह एवं रामाश्रय सिंह को बतौर डी0डब्लू 1, 2 एवं 3 परीक्षित किया गया है।

12. पी0डब्लू 1 रामलाल, वादी रामदास का पौत्र है। उसने अपने बयान में बताया है कि मेरा मौरूसी मकान पूरब रूखा है। इस मकान के पूरब स्थित सहन का विवाद है। इस सहन में मेरा उठना बैठना, रहन सहन, दरख्तान, बांस खूंटी, हैण्डपाईप, खूंटा, ईंटा, पथनौर व ग्रहस्थी के अन्य सामान हैं। यह सहन भी बपंशी मौरूसी सहन है। विवादित सहन के पूरब प्रतिवादीगण की मड़ई व उनकी जमीन है, उत्तर तरफ विश्वनाथ का मकान व जमीन, दक्षिण तरफ मेरा खेत है। विवादित जमीन से प्रतिवादीगण का कभी वास्ता सरोकार न था और न है। दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण ने विवादित जमीन में नई मड़ई व भरसायं बना लिया है। मेरे आजा रामदास व प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष से एक मुकदमा नं0 42/1964 चला था जिसमें विवादित भूमि व उसमें स्थित मकान हाई कोर्ट तक मेरे आजा रामदास का ही माना गया था। उस मुकदमें में डिक्री के आधार पर मेरे आजा रामदास को विवादित भूमि पर दिनांक 03.04.86 को दखल दिलाया गया था। दखल के समय प्रतिवादीगण ने उस जमीन

पर जो एक छप्पर बना लिया था उसमें से अपना सामान निकालकर छप्पर को जला दिया तथा जमीन पर हमें दखल मिल गया..............। पहला वाला मुकदमा हारने की वजह से उन्हे बहुत दुःख हुआ। दखल देहानी के बाद प्रतिवादीगण उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे, अतः उन्होनें अवधेश सिंह से एक फर्जी बैनामा अपने पक्ष में करा लिया था जबकि अवधेष सिंह उस जमीन के कभी मालिक काबिज नहीं रहे। झगड़े वाली जमीन के पूरब सुमेर सिंह का खेत था जो चकबन्दी के दौरान राजेन्द्र सिंह को मिला था जिसे प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष ने बैनामे से हासिल करके छप्पर डाल दिया था। अप्रैल 1987, में जब वे जबरदस्ती बुनियाद खोदने की धमकी देने लगे तो वे नहीं माने तब यह दावा किया। मेरे मकान के सटे पूरब मिट्टी की दीवाल पर मेरी मड़ई है। उस पर मेरा ही कब्जा है। प्रतिवादीगण का उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मेरा दूसरा मकान डीह बाबा के स्थान के पास है (परन्तु) मेरा नाद खूंटा, हौदी वगैरह सभी उस जमीन में है...............। विवादित मकान से सटे पूरब तरफ पूरब पश्चिम प्रतिवादीगण ने मड़ई बना लिया था जिस पर हमें कब्जा मिला था जिस दिन हमें कब्जा दखल कराया गया उसी दिन प्रतिवादीगण ने उस मड़ई को जला दिया था। उक्त मड़ई प्रतिवादीगण ने मेरे होश से पहले से बना रखा था। उस मड़ई का दरवाजा उत्तर रूखा था। इस मड़ई के जलाने के बाद से उसी स्थान पर मेरी मड़ई बनी है। जब कमीशन गया था उस समय मेरी मड़ई नहीं थी केवल दीवाल थी। तब तक मेरी मड़ई छायी नहीं गयी थी। मड़ई एक साल बाद पड़ी आदि–आदि।

13. पी0डब्लू 2 जगन्नाथ ने अपने बयान में बताया है कि वादी का मौरूसी मकान पूरब रूखा है व मकान के पूरब मकान से लगी हुई वादी की विवादित जमीन है जो वादी का मौरूसी सहन है। उस पर रामदास का कब्जा बहुत दिन से देखता चला आ रहा हूं..............। उसी में रामदास की दीवाल पर मड़ई है जिससे प्रतिवादीगण का कोई मतलब नहीं है। विवादित जमीन में प्रतिवादीगण पूरब हासिये में बढ़कर मड़ई बना लिये हैं और भरसायं कायम कर लिये हैं जो बिल्कुल नई है। साक्षी से विपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण भी किया गया है परन्तु उसके प्रतिपरीक्षण एवं मुख्य परीक्षण में दिये गये बयान में कोई अंतर्विरोध नहीं है।

14. डी0डब्लू 1 जमुना ने बयान दिया है कि झगड़ा वाली जमीन हम लोगों की मौरूसी सहन है। हमारे पिता और वादी के बीच मुकदमा नं0 42/1964 चला था जिसमें विवादित भूमि शामिल नहीं थी। विवादित जमीन में स्थित भरसायं व नीम का उपयोग हर तरह से प्रतिवादीगण करते चले आ रहे हैं। रामदास वगैरह अपने डीह वाले मकान में मय परिवार रहते हैं। विवादित जमीन के पास जो मकान है वह गिर गया है। विवादित जमीन अवधेष सिंह वगैरह का है। जब वह लोग हम लोगों को खाली करने के लिये कहने लगे तो हम लोग उचित मुआवजा देकर बैनामा ले लिये। बैनामे का दस्तावेज मेरे व वादी के बीच में कमिश्नरी में चल रहे मुकदमें में दाखिल है आदि-आदि।

15. दुर्गविजय सिंह डी0डब्लू 2 ने अपने बयान में बताया है कि झगड़े वाली जमीन जमुना वगैरह की मौरूसी है। प्रतिवादीगण उस जमीन का सहन के रूप में इस्तेमाल बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं। झगड़ा वाली जमीन के पश्चिम मकान पर वादी की डिक्री हो जाने के पश्चात विवादित भूमि अवधेष सिंह वगैरह के नाम से थी। खाली करने हेतु परेशान करने लगे तो प्रतिवादीगण, अवधेष सिंह से वाजिब रकम लेकर बैनामा करवा लिया आदि-आदि।

16. रामाश्रय सिंह डी0डब्लू 3 ने अपने बयान में बताया है कि झगड़े वाली जमीन मेरे परिवार की रही है। मेरे चाचा अवधेष सिंह ने विवादित जमीन को प्रतिवादीगण के नाम बेच दिया। विक्रय के काफी पूर्व से प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा अधिकार चला आ रहा है। उस पर स्थित दरख्तान, बांस खूंटी, हैण्डपाईप, चट्टा, ईंटा, नाद खूंटा सब प्रतिवादीगण का है। उस पर कभी रामदास का कब्जा नहीं रहा............ । अवधेष सिंह से प्रतिवादीगण ने उचित मूल्य देकर नेक नीयती से भविष्य का विवाद निपटाने के लिये बैनामा कराया। झगड़े वाली जमीन पर मेरे बाप दादा की इच्छा से बाप दादा काबिज रहे हैं।

17. पत्रावली पर कमिश्नर रिपोर्ट कागज सं0 16क भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित स्थान में पश्चिम ओर वादी का ही मकान होना प्रतिवादी को भी स्वीकार है। यद्यपि उसका यह कथन अवश्य है कि वादीगण का उस मकान से दूर डीह बाबा के स्थान पर एक अन्य मकान भी हैं

जहां वादीगण परिवार सहित रहते हैं परन्तु उस अन्य मकान के रहने से यह सिद्ध नहीं होता कि विवादित भूमि से लगे पश्चिम ओर वादी का मकान नहीं है जबकि उसका वादी का होना प्रतिवादी को स्वीकार है। पी0डब्लू 1 एवं 2 ने अपने-अपने बयानों में बताया है कि वादी का अ,ब,स,द में पश्चिम ओर स्थित मकान पूरब रूखा है। प्रतिवादी ने अपने अभिकथन अथवा साक्ष्य में इससे इंकार भी नहीं किया है कि वादीगण का वह मकान पूरब रूखा न हो। कमिश्नर मानचित्र 16क में उक्त मकान पूरब रूखा प्रदर्शित भी किया गया है। उक्त मकान का कोई अन्य निकास नहीं है। अतः मकान एवं सहन की स्थिति से ही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वादी के मकान की संलग्न भूमि (appurtenant land) है। अतः उस सहन के स्वामी स्वाभाविक रूप से वादी ही होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण का कोई भी मकान विवादित भूमि से लगा किसी ओर नहीं है। विवादित भूमि के पूरब तरफ सुमेर सिंह का खेत था जो दौरान चकबन्दी राजेन्द्र सिंह को मिला। अतः निश्चित रूप से जमींनदारी उन्मूलन की तिथि पर विवादित भूमि के पूरब कोई मकान नहीं था जिसका कि विवादित भूमि संलग्न भूमि (appurtenant land) हो सके। उसी खेत को प्रतिवादीगण ने राजेन्द्र सिंह से क्रय किया। अतः राजेन्द्र सिंह केवल और केवल उस खेत के स्वामी हो सकते हैं, उस खेत से लगे पश्चिम ओर विवादित भूमि के स्वामी नहीं हो सकते थे। अतः यदि जमींनदारी उन्मूलन के पश्चात बाद में प्रतिवादीगण ने राजेन्द्र सिंह से उनकी भूमि क्रय करने के पश्चात उस पर कोई मड़ई अथवा छप्पर डाल भी लिया हो तो निश्चित रूप से विवादित भूमि उस मड़ई अथवा छप्पर की संलग्न भूमि नहीं होगी जिससे प्रतिवादीगण विवादित भूमि के स्वामी हो सके।

18. जैसा कि प्रतिवाद पत्र से तथा प्रतिवादी साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को भी पूर्व वाद सं0 42/1964 का माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम रूप से निर्णीत होना स्वीकार है तथा यह भी स्वीकार है कि उक्त वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में वादी को अ,ब,स,द में स्थित पश्चिम मकान पर दखल मिला था परन्तु उनका यह कथन है कि विवादित भूमि वाद सं0 42/1964 की विषयवस्तु नहीं थी। अतः उक्त वाद के डिक्री के निष्पादन में विवादित भूमि पर न तो वादी को दखल प्राप्त हुआ और न ही दखल प्राप्त करने का कोई औचित्य था। परन्तु प्रतिवादी के इस

तर्क में बल नहीं है क्योंकि यदि विवादित भूमि वादी के मकान की ही संलग्न भूमि (appurtenant land) होकर सहन की भूमि है तो मकान पर दखल प्राप्त करने के पश्चात वादी स्वाभाविक रूप से उक्त सहन पर भी दखल प्राप्त करेगा क्योंकि उक्त सहन मकान का अभिन्न अंग होगा। विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि विवादित भूमि प्रतिवादी के किसी मकान की संलग्न भूमि नहीं है। पत्रावली पर वाद सं0 42/1964 की डिक्री के निष्पादन अर्थात इजरा नं0 40/1984 में अमीन द्वारा दाखिल रिपोर्ट प्रदर्श 1 तथा दखल प्राप्ति रिपोर्ट प्रदर्श 3 उपलब्ध है। प्रदर्श 1 इजरा सं0 40/1984 में न्यायालय अमीन जववात खां द्वारा दिनांक 03.04.86 को दाखिल किया गया है जिसमें उन्होनें न्यायालय को यह रिपोर्ट दिया है कि "..............मकान दखल तलब **मय सहन** अन्दर चौहद्दी बाद खाली करने मकान का कब्जा दखल वाकई डिक्रीदार को दिलाकर दखलनामा मुस्तनद करा दिया। अन्दर सहन मन्डई नेजाई बाद खाली करने मद्दयूम डिक्री संता ने आग लगा दिया। मन्डई पूरी जल गयी कोई और क्षति नहीं हुई। मद्दयूम डिक्री ने मकान खाली करके अपना निशान अंगूठा बना दिया................ ।" इस रिपोर्ट पर न्यायालय अमीन के हस्ताक्षर होने का उल्लेख साक्षीगण रामाश्रय सिंह, हवलदार सिंह के हस्ताक्षर का उल्लेख तथा मद्दयूम डिक्री जमुना, संता व अवधेष के निशानी अंगूठा का उल्लेख है। इसी प्रकार इसी इजरा में रामदास द्वारा दाखिल दखलनामा प्रदर्श 3 में यह उल्लेख है कि "............आज दिनांक 03.04.86 बइमदाद पुलिस, रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ मकान दखल तलब मुदर्ज अर्जी दावा वाद तखलिया सामान मद्दयूम डिक्री मकान नेजाई दखल तलब पर मार्फत अमीन अदालत बाजाप्ता दखल वाकई पाकर दखलनामा लिख दिया कि समय पर काम आवे और सनद रहे। मद्दयूम डिक्री संता पुत्र ढोढ़ा ने अंदर सहन मन्डई को आग लगा दिया उसमें कोई सामान नहीं था। तफसील मकान दखल तलब वाकये मौजा मोटी कला तप्पा खानपुर परगना मोहम्मदाबाद गोहना हस्ब चौहद्दी जैल जिस पर बाजाप्ता दखल पाया जिसमें अंदर सहन तीन पेड़ नीम, एक खूंटी बांस भी है, पूरब सहन बादहू खेत सुमेर जो चकबन्दी से राजेन्द्र सिंह को मिला है, पश्चिम मकान गौरीशंकर आदि, उत्तर मकान विश्वनाथ कोहार, दक्षिण खेत सुमेर सिंह जो चकबन्दी से रामदास को मिला है बादहू दुर्गविजय सिंह वगैरह..........।" इस दखलनामें पर भी न्यायालय

अमीन जववाद खां का तथा अनिल कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर तथा वादी रामदास के हस्ताक्षर होने का उल्लेख है तथा यह रिपोर्ट बकलम ऊधव राम द्वारा लिखी गयी है तथा अमीन व इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर के नीचे तिथि 03.04.86 अंकित है। अमीन रिपोर्ट प्रदर्श 1 एवं उक्त दखलनामा प्रदर्श 3 एक दूसरे को भली भांति समर्थन प्रदान करते हैं तथा उनसे वादी साक्षी पी0डब्लू 1 के बयान को समर्थन मिलता है तथा इससे यह सिद्ध होता है कि वादी रामदास ने मकान के साथ-साथ पूर्वी सहन पर भी दखल प्राप्त किया था तथा दखल प्राप्त करते समय दक्षिण-पश्चिम अंश पर जो मड़ई प्रतिवादीगण ने बनाया था उसे भी जला दिया था तथा तहती जमीन पर भी रामदास ने कब्जा प्राप्त किया था। यद्यपि प्रतिवादीगण ने अमीन रिपोर्ट तथा दखलनामे पर अविश्वास व्यक्त करते हुये यह कथन किया है कि उसमें सही तथ्य अंकित नहीं हैं तथा यह कि चूंकि वाद सं0 42/1964 में केवल मकान का विवाद था तथा सहन का विवाद नहीं था, अतः दखलनामे से केवल वादी ने मकान पर दखल प्राप्त किया था सहन पर नहीं परन्तु प्रतिवादी के इस कथन तथा तर्क में बल नहीं है क्योंकि अमीन रिपोर्ट तथा दखलनामा पर प्रतिवादी के अगूंठा निशान मौजूद है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपने प्रतिवादी पत्र 34क के प्रस्तर 4ब में यह स्वीकार किया है कि बरवख्त कार्यवाही दखल अमीन अदालत ने पुलिस की मौजूदगी में सादे कागज पर दस्तखत बनवा लिया था। परन्तु उनका यह कथन है कि मुद्दई ने अमीन को मिलाकर सादे कागज पर कोई रिपोर्ट लगा दिया तो उसका कोई लाभ वादी को नहीं मिलेगा। परन्तु प्रतिवादी के इस तर्क में कदापि बल नहीं है क्योंकि यदि उसने दखलनामें पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तो वह उससे बाध्य है। चूंकि उस समय इस वाद का झगड़ा प्रारंभ ही नहीं हुआ था, अतः यह माना भी नहीं जा सकता कि इस वाद में कोई साक्ष्य बनाने के उद्देश्य से वादी ने सहन के संबंध में विशेष मन्तव्य से झूठी रिपोर्ट लगाकर दखलनामा तथा अमीन रिपोर्ट दाखिल किया हो। अतः अमीन रिपोर्ट एवं दखलनामें प्रदर्श 1 एवं 3 से भी यह सिद्ध होता है कि वाद सं0 42/1964 के इजरा में वादी ने विवादित सहन पर दखल प्राप्त किया था।

19. विशेष उल्लेखनीय यह है कि प्रतिवादीगण के अभिकथन स्वयं में ही अंतर्विरोधी हैं। जहां एक ओर प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 ने प्रतिवाद पत्र के प्रस्तर सं0 4अ में यह

कथन किया है कि विवादित भूमि पर वे अपने मूरिसान के समय से जमींनदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभावी होने के पहले से स्वामी व काबिज होते चले आ रहे हैं वहीं प्रस्तर सं0 8 में यह कथन किया है कि उन्होनें विवादित भूमि दिनांक 27.03.87 को अवधेष सिंह से बैनामे से प्राप्त किया। अतः यदि जमींनदारी उन्मूलन के पूर्व से ही प्रतिवादी सं0 1 ता 4 विवादित भूमि के स्वामी थे तो अवधेष सिंह उसके स्वामी कैसे हो सकते हैं और उन्हें अवधेष सिंह से विवादित भूमि खरीदने की क्या आवश्यकता थी और यदि दिनांक 27.03.87 तक अवधेष सिंह विवादित भूमि के स्वामी थे तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 जमींनदारी उन्मूलन की तिथि के पूर्व से उस पर काबिज दाखिल कैसे चले आ सकते हैं? तथा उसके स्वामी कैसे हो सकते हैं? तथा दिनांक 27.03.87 के पूर्व उस पर दरख्त कैसे नसब कर सकते हैं जबकि दावा दिनांक 27.03.87 के मात्र एक माह पूर्व अर्थात दिनांक 24.04.87 को योजित किया गया है? तथा उस पर उस तिथि को दरख्त एवं बांस खूंटी स्थित थी? अतः निश्चत ही वे दरख्त तथा बांस खूंटी प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने नहीं लगाया था। अतः निश्चित रूप से उन्हें वादी ने ही लगाया था क्योंकि विवादित भूमि वादी के मकान की संलग्नक भूमि थी। उक्त भूमि के अवधेष सिंह की भूमि होने का अन्य कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। उक्त भूमि के किसी ओर अवधेष सिंह का संलग्न मकान भी नहीं है जिसकी कि विवादित भूमि संलग्न भूमि होती। अतः यदि अवधेष सिंह ने विवादित भूमि का बैनामा भी प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में निष्पादित कर दिया हो तो वह बैनामा केवल एक कागज का टुकड़ा है जिससे प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को विवादित भूमि पर स्वत्व नहीं प्राप्त हो सकता बल्कि उस बैनामे से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने विवादित भूमि को एनकेन प्रकारेण प्राप्त करने की लालसा में हताश होकर अवधेष सिंह से वह बैनामा मात्र इसलिये निष्पादित कराया जिससे वे विवादित भूमि के संबंध में एक टाइटिल डीड प्राप्त कर सकें जिसके आधार पर वे विवादित भूमि पर अपना अधिकार प्रकट कर सकें परन्तु प्रतिवादीगण का यह कृत्य कपटपूर्ण कृत्य है जिससे उन्हें वादी के सापेक्ष कोई लाभ नहीं मिल सकता और उसके आधार पर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 विवादित भूमि का स्वत्व नहीं प्राप्त कर सकते। वह बैनामा, जैसा कि ऊपर कथन किया गया है मात्र कागज का एक टुकड़ा

है जो नजरअन्दाज करने योग्य है।

20. अतएव वादी द्वारा प्रस्तुत मौखित एवं प्रलेखीय साक्ष्यों से भली भांति यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि वादीगण के ही मकान की संलग्नक भूमि बतौर सहन है जिस पर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने दौरान विचारण वाद X तथा M स्थान पर मड़ई एवं भरसायं बना लिया है जिसे वे हटाने के लिये बाध्य हैं।

21. विद्वान अवर न्यायालय ने भी पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर विवादित भूमि को वादी का सहन होना पाया है तथा प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 द्वारा दौरान विचारण वाद X तथा M स्थान पर भरसायं एवं मड़ई रखना पाया है तथा वाद मड़ई एवं भरसायं हटाने के लिये आदेशात्मक व्ययआदेश द्वारा तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप न करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा डिक्री किया है तथा कमिश्नर मानचित्र कागज सं0 16क को डिक्री का अंश बनाया है। अतएव विद्वान अवर न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों के अनुकूल निर्णय करते हुये उचित आज्ञप्ति पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है तथा अपील में कोई बल न होने के कारण अपील निरस्त किये जाने योग्य है तथा अवर न्यायालय का निर्णय एवं आज्ञप्ति पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

22. अपील सव्यय निरस्त किया जाता है। आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 09.01.92 पुष्ट किया जाता है। तदानुसार आज्ञप्ति बनायी जाये। सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 24.11.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर जिला न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

23. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 24.11.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर जिला न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 1, मऊ
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
फौजदारी अपील सं0 70 सन् 2017

1. सोनू डोम पुत्र मोहन डोम, साकिन- हठ्ठी मदारी, थाना- कोतवाली, जनपद- मऊ, विधि विवादित किशोर द्वारा- मोहन संरक्षक पिता।

.................अपीलार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. रूबी पत्नी अहमद, मुहल्ला- मुंशीपुरा, थाना- कोतवाली, जनपद- मऊ।

.................विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. अपीलांट सोनू डोम बाल अपचारी जरिये संरक्षक पिता मोहन द्वारा हस्तगत अपील किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं0 102/2017 के संबंध में पारित आदेश दिनांकित 08.11.17 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है।

2. संक्षेप में अपील की पृष्ठभूमि यह है कि दिनांक 05.02.17 को वादिनी/सूचनाकर्ता श्रीमती रूबी द्वारा एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध थाना कोतवाली जनपद मऊ में अपराध सं0 125/17 धारा 363 भा0दं0वि0 के अंतर्गत इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि दिनांक 03.02.17 को समय करीब 03.00 बजे दिन में उसकी लड़की जन्नत जो कि मन्द बुद्धि की थी और जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, घर से मुंशीपुर ट्विुल के पास स्कूल में पढ़ने गयी थी जो शाम तक वापस नहीं आयी। उसने अपनी लड़की का काफी तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसकी लड़की का हुलिया लंबाई करीब 5 फिट, रंग गेहुंवा, चेहरा गोल, आंख नाक कान औसत, उम्र करीब 14-15 वर्ष तथा पहनावा छिट्दार सलवार समीज, नीले रंग की ओड़नी, पैर में हवाई चप्पल पहनी है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1, मऊ द्वारा दिनांक 04.10.17 को इस प्रकरण में किशोर अपचारी घोषित किया गया। किशोर अपचारी द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 102/17 पेश किया गया जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि ''अपचारी किशोर का गलत संगत में जाने तथा न्याय का उद्देश्य विफल होने की प्रबल संभावना है। किशोर को शारीरिक, मानसिक व नैतिक खतरा है तथा यह कि किशोर का भविष्य अंधकारमय हो सकता है।''

4. अपीलांट द्वारा इस आधार पर अपील प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 08.11.17 तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क एवं विवेक का समुचित प्रयोग नहीं किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में भूल कारित किया है तथा विपरीत निष्कर्ष निकाला है। अपीलार्थी/अपचारी किशोर निर्दोष एवं निरापराध है। उसे साजिश के तहत फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। अपीलार्थी/अपचारी किशोर ने न तो वादिनी की पुत्री बहला फुसलाकर भगाया और न ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। उस पर लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत व निराधार है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा दौरान विवेचना काफी विलम्ब से उसका नाम प्रकाश में आया है। उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से गलत तरीके से उसे उक्त मुकदमें में फंसाया गया है। वह दिनांक 14.04.17 से जेल में निरूद्ध है तथा दिनांक 04.10.17 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1, मऊ द्वारा उसे किशोर घोषित किया जा चुका है जो बरवक्त सम्प्रेक्षण गृह में है। उसके जमानत पर अवमुक्त होने पर किसी ज्ञात या अज्ञात अपराधी के संगत में जाने की संभावना नहीं है तथा उसके शारीरिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक रूप से किसी खतरे में पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदन पत्र के समर्थन में अपचारी किशोर के पिता मोहन द्वारा इसी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि किशोर अपचारी ने धारा 363,366,376 भा0दं0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध किया है, जिसकी प्रकृति गंभीर है। जमानत पर छोड़े जाने से उसके पुनः अपराधियों के संगत में पड़ जाने की तथा उसके

शारीरिक, मानसिक व नैतिक पतन की संभावना है एवं जमानत पर छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतः आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

6. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बाल अपचारी के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करते समय न्यायालय/किशोर न्याय परिषद द्वारा अपराध की गंभीरता पर कदापि विचार नहीं किया जायेगा बल्कि उसका जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जायेगा यदि जमानत पर रिहा किये जाने पर किशोर के ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधियों की संगत में जाने की संभावना न हो अथवा उसके नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पतन की संभावना न हो तथा उसको जमानत पर छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल न हो। इस प्रकरण में किशोर न्याय परिषद द्वारा विधि सह परिवीक्षा अधिकारी से किशोर के चाल चलन तथा पृष्ठभूमि के विषय में आख्या आहूत की गयी है, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि किशोर के पिता मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बालक के प्रति पड़ोसियों का प्रेक्षण सहानुभूतिपूर्ण एवं बालक की मित्रों के प्रति तथा बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्ति सामान्य है। बालक इस प्रकरण से पहले किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। बालक का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति सामान्य है। बालक किसी भी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों या वयस्कों के समूह द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बालक निरक्षर है। इस प्रकार सह परिवीक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार बालक का किसी असामाजिक तत्व से संबंध होने का कोई संदेह अथवा प्रमाण नहीं है। बालक की किसी अन्य व्यक्ति से रंजिश अथवा वैमनस्वता भी नहीं बतायी गयी है बल्कि इसके विपरीत बालक के प्रति पड़ोसियों का प्रेक्षण सहानुभूतिपूर्ण है। अतः यदि बालक के पड़ोसियों के मन में बालक के प्रति सहानुभूति है तो निश्चय ही बालक अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। इस मामले में पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 161 एवं 164 सी0आर0पी0सी0 के अनुसार पीड़िता को बालक ने बहलाया फुसलाया नहीं है और न ही किसी अन्य स्थान से अपहरण करके लाया है बल्कि साक्षियों के बयान से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 05.02.17 को एक लड़की रोती बिलखती हुई मोहन डोम अर्थात किशोर अपचारी के पिता के घर

के सामने आकर बैठ गयी जिसकी रोने की आवाज सुनकर मुहल्ले के लोग इकट्ठा हो गये तथा पीड़िता से पूछने पर उसने अपना नाम जीनत बताया और बताया कि उसे उसके माता पिता ने घर से मारपीटकर भगा दिया है इसलिये मैं वाराणसी से भागकर आयी हूं और आप लोगों का बर्तन साफ कर अपना जीवन बिताऊंगी। पीड़िता ने भी अपने धारा 161 एवं 164 सी0आर0पी0सी0 के बयानों में यही बताया है कि वह अपनी मर्जी से ही बाल अपचारी के साथ रह रही है। बाल अपचारी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया है और न ही कोई बुरा काम किया है बल्कि वह अपने पिता के आचरण एवं व्यवहार से खिन्न होकर अपने घर से भाग आयी है तथा स्वेच्छा से बाल अपचारी के साथ रह रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह प्रतीत नहीं होता कि जमानत पर रिहा हो जाने पर बाल अपचारी किसी ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधियों की संगत में आयेगा अथवा उसका नैतिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक पतन होगा अथवा जमानत पर छोड़े जाने पर किसी प्रकार से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतः किशोर न्याय परिषद द्वारा इसके प्रतिकूल निकाला गया निष्कर्ष तथा व्यक्त किया गया मत निराधार प्रतीत होता है। अतएव समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि की मंशा के दृष्टिगत बाल अपचारी को दौरान विचारण वाद उसके पिता की सुपुर्दगी में दिये जाने का पर्याप्त आधार है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. अपील स्वीकार किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.11.2017 निरस्त किया जाता है। यदि मोहन डोम, पिता/संरक्षक बाल अपचारी सोनू डोम द्वारा 50,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू एवं इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि:-

1. वह दौरान विचारण वाद बाल अपचारी को अपने पूर्ण संरक्षण, नियंत्रण एवं देखभाल में रखेंगे।

2. बाल अपचारी को किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में आने से रोकेंगे।

3. वह स्वयं अथवा बाल अपचारी किसी भी प्रकार से अभियोजन के किसी साक्षी को प्रभावित करने की चेष्टा तथा अभियोजन के किसी अन्य साक्ष्य को मिटाने

अथवा छिपाने का प्रयास नहीं करेंगे।

4. बाल अपचारी को दौरान विचारण वाद प्रत्येक नियत तिथि पर परिषद के समक्ष अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण में प्रस्तुत करते रहेंगे तथा विचारण पूर्ण हो जाने के पश्चात यदि बाल अपचारी के संबंध में परिषद द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह परिषद के आदेशानुसार बालक को सुपुर्द कर देंगे। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर बाल अपचारी को अभिरक्षा में ले लिया जायेगा तथा उनसे एवं उनके जमानतदारों से जमानत राशि वसूल जी जायेगी तो उसे जमानत पर रिहा कर उनकी सुपुर्दगी में दिया जाय।

9. अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ तुरन्त अवर न्यायालय वापस भेज दी जाये।

दिनांकः 23.11.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

10. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 23.11.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.1,
मऊ।

न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.

1. सिविल अपील सं0 01 सन् 2004

1. उ0प्र0 राज्य बजरिये जिलाधिकारी मऊ, जनपद- मऊ।
2. दिनेश सिंह, भूतपूर्व जिलाधिकारी मऊ। हाल मुकाम जिलाधिकारी कानपुर।

................अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरस्वती देवी पत्नी कमला पाण्डेय, निवासी मुहल्ला- दक्षिणटोला, तहसील- सदर, जिला- मऊ।

................विपक्षी प्रथम पक्ष

2. श्याम करन राय, भूतपूर्व अध्यक्ष दुर्गा पूजा महासमिति, निवासी- विद्युत कालोनी मऊ, तहसील- सदर, जिला- मऊ।
3. श्री रमेश शुक्ला भूतपूर्व अध्यक्ष रामलीला मेला समिति, निवासी-दक्षिणटोला, तहसील- सदर, जिला- मऊ।

................विपक्षीगण द्वितीय पक्ष

2. सिविल अपील सं0 05 सन् 2004

1. श्याम करन राय, भूतपूर्व अध्यक्ष दुर्गा पूजा महासमिति, निवासी- विद्युत कालोनी मऊ, तहसील- सदर, जिला- मऊ।

................अपीलार्थी

बनाम

1. सरस्वती देवी पत्नी कमला पाण्डेय, निवासी मुहल्ला- दक्षिणटोला, तहसील- सदर, जिला- मऊ।

................विपक्षी प्रथम पक्ष

2. उ0प्र0 सरकार बजरिये कलेक्टर मऊ, जनपद- मऊ।
3. दिनेश सिंह, भूतपूर्व जिलाधिकारी मऊ। हाल मुकाम जिलाधिकारी कानपुर।
4. श्री रमेश शुक्ला **(मृतक)**

भूतपूर्व अध्यक्ष रामलीला मेला समिति, निवासी-दक्षिणटोला, तहसील- सदर, जिला- मऊ।

4/1. रामप्रसाद शुक्ला पुत्र स्व0 रमेश शुक्ला
4/2. सुभावती देवी पत्नी स्व0 रमेश शुक्ला

साकिनान मोहल्ला- दक्षिणटोला, परगना व तहसील- मऊनाथ भंजन, जिला- मऊ।

................विपक्षीगण द्वितीय पक्ष

<u>निर्णय</u>

1. हस्तगत सिविल अपीलें, सिविल अपील सं0 01/04, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरस्वती देवी तथा सिविल अपील सं0 05/04, श्यामकरण राय बनाम सरस्वती देवी, मूल वाद सं0 230/94, सरस्वती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं चार अन्य में न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) मऊ, द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 22.12.03 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है। चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही निर्णय एवं आज्ञप्ति से क्षुब्ध होकर योजित की गयी हैं। अतएव दोनों अपीलों का निस्तारण साथ-साथ सुनवाई करते हुये एक कामन निर्णय से किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अपील की पृष्ठभूमि यह है कि मूल वाद में वादिनी सरस्वती देवी ने प्रतिवादीगण उत्तर प्रदेश राज्य, श्री दिनेश सिंह भूतपूर्व जिलाधिकारी मऊ, श्री श्यामकरण राय, श्री रमेश शुक्ला के विरूद्ध 30,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति के अनुतोष हेतु इस आधार पर वाद योजित किया है कि वादिनी आराजी नं0 309 रकबा 54 कड़ी स्थित मौजा जहांगीराबाद मोहल्ला दसई पोखरा, कस्बा व परगना मऊनाथ भंजन जिसकी चौहद्दी भी वाद पत्र के अंत में वर्णित है जहां की जमींनदारी अभी कायम है, की पूर्व जमींनदार विन्ध्याचल राय से दिनांक 29.10.68 को बैनामा कराने के पश्चात स्वामी बकब्जा है। उक्त आराजी पर वादिनी ने सन् 1977 में नगर पालिका से मानचित्र स्वीकृत करने के पश्चात कुछ जमीन छोड़कर चारदीवारी से घेर लिया था। वर्ष 1987 में नगर पालिका से पुनः मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात उत्तर ओर सड़क की दिशा में तीन दुकानें तामीर की। वर्ष 1990 में वादिनी ने तीसरी बार नक्शा स्वीकृत कराकर अपनी भूमि पर आर0सी0सी0 से निर्माण कराया। उपरोक्त निर्माण करने के पूर्व दुर्गा पूजा महासमिति व रामलीला समिति मऊ की ओर से उसके अध्यक्ष श्री श्यामकरण राय व रमेश शुक्ल, प्रतिवादी सं0 3 एवं 4 क्रमशः ने वादिनी के कब्जा दखल में हस्तक्षेप करने के कारण वादिनी ने उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद सं0 850/90 दीवानी न्यायालय में योजित किया था जिसमें उनके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी हुआ। इसके पश्चात वादिनी ने उपरोक्त दुकान एवं हाल का निर्माण किया। निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने अपील प्रस्तुत किया जो स्वीकार हो गयी थी परन्तु अपीलीय आदेश के विरूद्ध वादिनी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका सं0 3028/91 प्रस्तुत किया जिसमें निचले

न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा का आदेश बहाल हो गया। वाद सं0 850/90 अंततः आज्ञप्त हो गया जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को है। उक्त रिट प्रस्तुत करने से पूर्व ही विपक्षी सं0 2 ने बहैसियत जिलाधिकारी मऊ ने पुलिस फोर्स की सहायता से तथा प्रतिवादी सं0 3 एवं 4 की उपस्थिति में तथा उनके दबाव में वादिनी का उक्त निर्माण क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध मुकदमा करने के कारण पुलिस से वादिनी की रंजिश चल रही थी। निर्माण के ध्वस्त होने से वादिनी को लगभग तीन लाख रूपये की क्षति हो गयी जिसको अदा करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर है। वाद योजित करने से पूर्व प्रतिवादी सं0 1 उ0प्र0 राज्य को विधिवत नोटिस दिनांक 22.09.94 को प्रेषित की गयी जो उन पर तामील हुई परन्तु उन्होनें उक्त हर्जा अदा नहीं किया। अतएव उनके विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होने पर उनके विरूद्ध मात्र 30,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति हेतु वाद योजित किया जा रहा है।

3. प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रतिवाद पत्र 16क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसे वादिनी के स्वामित्व एवं निर्माण की जानकारी नहीं है। शेष अन्य अभिकथन गलत हैं। वाद कारण तथ्यों के विपरीत है, याचित अनुतोष वादिनी प्राप्त करने की पात्र नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा निर्माण नहीं गिराया गया है। प्रतिवादी सं0 2 एवं वादिनी के मध्य कोई रंजिश नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बहैसियत जिलाधिकारी कार्य किया जाता रहा है इसलिये प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध वाद योजित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा न तो निर्माण ध्वस्त करने का कोई आदेश पारित किया गया है न निर्माण गिराने से उसका कोई संबंध है। अन्य प्रतिवादीगण के कृत्यों एवं उनकी स्वीकारोत्ति की कोई पाबंदी प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर नहीं है। उसे अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। वाद धारा 80 सी0पी0सी0 के प्राविधानों से बाधित है, काल बाधित है तथा पोषणीय नहीं है।

4. प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवाद पत्र 14क प्रस्तुत कर वाद को निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर किया गया है कि वादी को उसके विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से वाद योजित करने का वाद कारण प्राप्त नहीं है। उसे अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। अतएव उसका नाम बतौर पक्षकार निरस्त किये जाने योग्य है। उसके

द्वारा कोई भी कार्य व्यक्तिगत क्षमता में नहीं किया जाता। उसे दुर्भावना से तथा तंग करने के आशय से तथा उसके शासकीय दायित्वों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने के आशय से पक्षकार बनाया गया है। उसे वादिनी के विवादित भूमि के स्वामित्व तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। संदर्भित दीवानी वाद एवं याचिका सं0 3028/91 में न तो उसने प्रतिवाद पत्र अथवा प्रतिशपथ पत्र अपने व्यक्तिगत क्षमता में न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया था और न ही व्यक्तिगत क्षमता में उसे कांटेस्ट किया था बल्कि उनको उसने शासन की ओर से साधारण शासकीय कार्य के रूप में कांटेस्ट किया था जिसकी उसे व्यक्तिगत क्षमता में कोई जानकारी नहीं है। उसके द्वारा निर्माण ध्वस्त करने का आदेश जारी करने का अभिकथन दुर्भावनापूर्ण एवं असत्य है। उसने केवल शासन के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है और उसका किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। वादिनी उसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने की पात्र नहीं है। यह वाद उसके विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है जबकि जिलाधिकारी के रूप में यह वाद योजित नहीं किया जा सकता तथा वाद मेंटनेबल नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 ने सदैव अपने में निहित शक्तियों के अनुकूल तथा पब्लिक पालिसी के दृष्टिगत तथा सदभावना में शासकीय कार्य निष्पादित किया है। उससे परे जाकर उसने कोई कार्य नहीं किया है। अतः वाद विशेष हर्जे के साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

5. प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रतिवाद पत्र 21क प्रस्तुत कर वाद को निरस्त किये जाने की प्रार्थना, वाद पत्र में किये गये समस्त दावों एवं आरोपों से इंकार करते हुये इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में वादिनी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। वाद ग्राह्य नहीं है। विवादित सम्पत्ति से उसका कोई वास्ता व ताल्लुक नहीं है। विवादित जमीन का कोई विवाद दुर्गापूजा महासमिति का नहीं है। समिति एवं वादिनी के मध्य सुलहनामा दिनांकित 18.03.90 के अनुसार वादिनी अपने मकान का निर्माण पूर्व में ही कर चुकी है। यदि इसका कोई विवाद प्रशासन अथवा अन्य प्रतिवादीगण से हो तो प्रतिवादी सं0 3, वादिनी के किसी क्षतिपूर्ति के भुगतान करने का दायी नहीं है। तथाकथित तोड़फोड़ अथवा निर्माण ध्वस्त करने का न तो उसे कोई ज्ञान है और न ही उसका वह जिम्मेदार है। उसने उक्त निर्माण को न तो कभी

अपना बताया और न ही उसे गिराने के लिये प्रशासन से कहा। वाद पक्षकारों के कुसंयोजन से, धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से, विबंधन के सिद्धान्त से, समय सीमा के सिद्धान्त से, धारा 92 सी0पी0सी0 से बाधित है। अतएव वाद मय विशेष हर्जा निरस्त कर दिया जाये।

6. प्रतिवादी सं0 4 की ओर से कोई प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये हैंः-

(i) क्या प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अवैधानिक एवं दुर्भावना से ग्रस्त होकर वादिनी के निर्माण का गिरा दिया है?

(ii) क्या प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा मकान क्षतिग्रस्त करने से वादिनी की तीन लाख रूपये की क्षति हुई?

(iii) क्या वादिनी प्रतिवादीगण से तीस हजार रूपये क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारी है?

(iv) क्या वाद में पक्षकार के कुसंयोजन का दोष है?

(v) क्या दावा वादी धारा 80 जा0दी0 से बाधित है?

(vi) क्या दावा वादी काल बाधित है?

(vii) क्या दावा वादिनी पोषणीय नहीं है?

(viii) क्या दावा वादिनी आदेश 2 नियम 2 से बाधित है? यदि हां तो प्रभाव?

(ix) क्या वादिनी अनुतोष पाने की अधिकारिणी है?

8. अवर न्यायालय में वादिनी ने प्रलेखीय साक्ष्यों के रूप में सूची सं0 46ग से मूल बैनामा बहक सरस्वती देवी आराजी नं0 309 रकबा 54 कड़ी 47ग, खतौनी 48ग, खसरा 49ग, नगर पालिका की नोटिस 50ग, वाद सं0 850/90 में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की सत्यापित प्रति 51ग, प्रार्थना पत्र 7ग पर पारित आदेश की प्रति 52ग, नकल डिग्री 53ग, वाद सं0 1205/91 में वादिनी की ओर से प्रस्तुत जवाब की प्रति 54ग, नोटिस बनाम सरस्वती 55ग, दो किता फोटोग्राफ मय निगेटिव 56ग, कमला पाण्डेय द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र की प्रति 57ग,

रसीद 59ग, एकनालेजमेन्ट 69ग, नोटिस धारा 80 जा0दी0 62ग एवं 64ग तथा अन्य प्रलेखीय साक्ष्य में नकल नक्शा, नगर पालिका को नोटिस आदि प्रस्तुत किया है तथा मौखिक साक्ष्यों के रूप में अशोक कुमार पाण्डेय, राजेन्द्र सिंह को बतौर पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 2, क्रमशः परीक्षित कराया गया है।

9. प्रतिवादीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्यों के रूप में वाद सं0 850/90 में पारित एकपक्षीय निर्णय की प्रति 75ग, शपथ पत्र 96ग, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की सत्यापित प्रतियां 77ग प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से केवल डी0डब्लू 1 गोबर्धन प्रसाद, स्टेनों जिलाधिकारी, मऊ का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

10. विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु सं0 1 पर सकारात्मक निष्कर्ष निकालते हुये तथा वाद बिन्दु सं0 2 एवं 3 पर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि वास्तविक क्षति को साक्ष्य से निश्चित नहीं किया जा सका है। अतएव वादिनी केवल पन्द्रह हजार रूपये प्रतिकात्मक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की पात्र है। वाद को प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के विरूद्ध पन्द्रह हजार रूपये की क्षतिपूर्ति हेतु आज्ञप्त कर दिया है।

11. आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति से क्षुब्ध होकर अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1 व 2, उ0प्र0 राज्य एवं दिनेश सिंह तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अपील सं0 01/04 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आलोच्य डिक्री बिना किसी ठोस आधार के पारित की गयी है। वाद काल बाधित था परन्तु अवर न्यायालय ने उसे नकारात्मक इस आधार पर निर्णीत कर दिया कि उस पर बल नहीं दिया गया है। अपीलांट को लोक सेवक की हैसियत से पक्ष बनाया गया है परन्तु उस रूप में उसे धारा 80 सी0पी0सी0 की नोटिस नहीं दिया गया है। वादिनी ने स्वयं उपस्थित होकर अभिकथनों को सिद्ध नहीं किया है, अतः उसके विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा आपेक्षित थी परन्तु न्यायालय ने उसके पावर आफ अटार्नी होल्डर के साक्ष्य पर विश्वास कर लिया है। अपीलांट सं0 2 की क्षमता व्यक्तिगत नहीं थी परन्तु उसे व्यक्तिगत क्षमता में उत्तरदायी मानकर वाद विधि विरूद्ध आज्ञप्त कर दिया गया है जबकि न्यायालय ने ही उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तरदायी नहीं पाया है। अतएव उत्तर प्रदेश राज्य एवं जिलाधिकारी को भिन्न-भिन्न व्यक्ति नहीं कल्पित किया जा सकता। अपीलांट ने पूर्व

वाद सं0 850/90 में अपने समस्त तथाकथित वांछित अनुतोषों का दावा नहीं किया था। अतएव यह वाद आदेश 2 नियम 2 से बाधित है। पर्याप्त साक्ष्य न होना पाये जाने का निष्कर्ष निकालने के बावजूद अवर न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रतिकात्मक राशि हेतु वाद आज्ञप्त करके वैधानिक त्रुटि किया है। अवर न्यायालय ने एक ओर तो केवल अपीलांट सं0 2 को उत्तरदायी ठहराया है परन्तु दूसरी ओर प्रतिवादीगण 2 ता 4 को भी क्षतिपूर्ति देने का निर्देष दिया है जो बिना किसी आधार के हैं, साक्षियों के साक्ष्य परस्पर विरोधी हैं, तथ्यों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर डालकर विधि की उपेक्षा किया है, विभिन्न वाद बिन्दुओं पर निकाले गये निष्कर्ष विरोधाभाषी होने के कारण वाद आज्ञप्त किये जाने योग्य नहीं था।

12. विपक्षी सरस्वती देवी द्वारा अपील के विरूद्ध इस आधार पर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि आलोच्य आज्ञप्ति अपीलांट सं0 1 उ0प्र0 राज्य के विरूद्ध पारित नहीं की गयी है परन्तु फिर भी अपीलांट सं0 2 ने उ0प्र0 राज्य को अपीलांट सं0 1 बनाकर अपील प्रस्तुत किया है, इस आधार पर अपील पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत वाद विपक्षी सं0 2 के विरूद्ध व्यक्तिगत क्षमता में आज्ञप्त हुआ है। अतएव विपक्षी सं0 2 द्वारा बिना न्यायशुल्क अदा किये हुये अपील प्रस्तुत की गयी है। अतएव अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव अपील निरस्त कर दिया जाये। इस लिखित आपत्ति के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ने अपील को निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर किया है कि आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति विधि, तथ्यों एवं साक्ष्यों के सर्वथा अनुकूल पारित की गयी है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रतिवादी सं0 3 श्यामकरन राय ने आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरूद्ध इस आधार पर अपील सं0 05/04 प्रस्तुत किया है कि आलोच्य निर्णय एवं डिग्री ''कंजेक्टल व सरमाईज'' पर आधारित है। अवर न्यायालय ने उसके प्रतिवाद पत्र में अभिकथित सुलहनामे पर कोई विचार नहीं प्रकट किया है और न ही उसके इस प्रतिवाद पर विचार किया है कि वादिनी की सम्पत्ति से उसका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। प्रतिवादी सं0 3 के दायित्वों के विषय में कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं किया गया है जिसके कारण उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हुई परन्तु इसके बावजूद उसके विरूद्ध भी क्षतिपूर्ति का वाद आज्ञप्त कर वैधानिक त्रुटि की गयी है।

आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति विधि विरूद्ध है। साक्षियों के साक्ष्यों की सही विवेचना न करते हुये आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

14. अपील सं0 01/04 में विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

क्या अपीलांट सं0 2 द्वारा न्यायशुल्क अदा किये बिना अपील प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण अपील आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत रिजेक्ट किये जाने योग्य है? यदि नहीं तो क्या अपीलांट सं0 2 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से वादिनी के कतिपय निर्माणों को ध्वस्त करा दिया गया है जिसके कारण वादिनी, अपीलांट सं0 2 से पन्द्रह हजार रूपये की राशि प्रतिकात्मक क्षतिपूर्ति के रूप में अथवा कोई अन्य राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने की पात्र है तथा क्या वाद काल बाधित अथवा आदेश 2 नियम 2 के प्राविधानों से बाधित है?

15. अपील सं0 05/04 में विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

क्या वादिनी, अपीलांट से पन्द्रह हजार रूपये की राशि प्रतीकात्मक रूप से अथवा कोई अन्य धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की पात्र है?

16. जहां तक अपील सं0 01/04 का प्रश्न है तो उक्त अपील प्रतिवादी सं0 1 एवं 2, उ0प्र0 राज्य एवं श्री दिनेश सिंह तत्कालीन जिलाधिकारी मऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि आलोच्य आज्ञप्ति उ0प्र0 राज्य के विरूद्ध पारित नहीं की गयी थी बल्कि दिनेश सिंह एवं प्रतिवादी सं0 3 एवं 4 के विरूद्ध व्यक्तिगत क्षमता में पारित की गयी थी, परन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा अपील को उ0प्र0 राज्य एवं लोक सेवक की क्षमता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो उचित नहीं है। यदि सक्षम न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक के विरूद्ध भी उसके विरूद्ध उसके व्यक्तिगत क्षमता में कोई आदेश पारित होगा तो उसके विरूद्ध वह व्यक्तिगत क्षमता में ही अपीलीय न्यायालय से अनुतोष हेतु अपील प्रस्तुत कर सकता है तथा उस

क्षमता में उस पर वांछित न्यायशुल्क देय होगा भले ही वह आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति को इस आधार पर भी चुनौती दे रहा हो कि आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति उसके विरूद्ध उसकी व्यक्तिगत क्षमता में पारित नहीं की जा सकती। अतएव हस्तगत मामले में मुंसरिम आख्या के अनुसार वांछित न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है जबकि विपक्षी द्वारा भी अविलम्ब इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत कर उसे सचेत कर दिया गया था। अतएव पर्याप्त समय व अवसर उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी अपीलांट सं0 2 द्वारा वांछित न्यायशुल्क अदा न किये जाने के कारण अपील सं0 01/04, आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत रिजेक्ट किये जाने योग्य है।

17. जहां तक अपील सं0 05/04 का प्रश्न है तो वादिनी ने वाद पत्र के प्रस्तर सं0 9 में प्रतिवादी सं0 3 एवं 4 की केवल यह भूमिका बतायी है कि प्रतिवादी सं0 2 दिनेश सिंह ने पुलिस की मदद से प्रतिवादी सं0 3 व 4 की मौजूदगी में तथा उनके दबाव में आकर उसका निर्माण गिरवा दिया तथा इस तथ्य को मौखिक साक्ष्यों से सिद्ध करने का प्रयास किया है। विदित हो कि वादिनी सरस्वती देवी वाद पत्र को सिद्ध करने के लिये न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुई है बल्कि उसकी ओर से केवल अशोक कुमार पाण्डेय एवं राजेन्द्र सिंह का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अशोक कुमार पाण्डेय पी0डब्लू 1 ने स्वयं को वादिनी का पुत्र एवं उसका मुख्तारेखास होना बताया है जिसने अपने बयान में प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादिनी का स्वामित्व व कब्जा बताते हुये केवल यह कथन किया है कि 03 व 04 अक्टूबर 1991 की दरम्यानी रात में प्रतिवादी सं0 2 दिनेश सिंह ने पुलिस फोर्स की सहायता से प्रतिवादी सं0 3 व 4 की मौजूदगी में रातों रात निर्माण क्षतिग्रस्त कर दिया था। किसी व्यक्ति की केवल मौके पर मौजूदगी से मौके पर की गयी गतिविधि में उसकी संलिप्तता अथवा भागीदारी सिद्ध नहीं होती। आगे साक्षी ने यह अवश्य कथन किया है कि दिनेश सिंह ने उनके दबाव में आकर निर्माण ध्वस्त किया परन्तु दबाव का कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वादिनी द्वारा यद्यपि यह बताया गया है कि उस समय प्रदेश में अमुक पार्टी का शासन था परन्तु वादिनी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि विपक्षी सं0 3 एवं 4 पार्टी के कोई ऐसे पदाधिकारी थे जिनकी जिलाधिकारी पर दबाव की उपधारणा किया जा सकता है। वादिनी द्वारा तथाकथित निर्माण ध्वस्तीकरण में

अपीलांट की कोई अन्य भूमिका नहीं बतायी गयी है जबकि प्रतिवाद पत्र में अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि उनसे वादिनी की सम्पत्ति से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। वादिनी साक्षी पी0डब्लू 2 राजेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि अक्टूबर सन् 1991 में जब सुबह-सुबह वह मिर्जाहाजीपुरा टहलने जा रहा था तो पुरानी दीवानी के पास मैनें देखा कि वादिनी की दुकानात व मकान उस समय के जिलाधिकारी महोदय श्री दिनेश सिंह अपने कई कनिष्ठ अधिकारियों के साथ व पुलिस बल के साथ खड़े होकर वादिनी की दुकानात व मकान गिरवा रहे थे। मैं वहां रूककर काफी देर तक देखता रहा। उपरोक्त लोग पूरा मकान व दुकानात को गिरवा दिये। मैं पहले से जानता था कि दुकानात व मकान सरस्वती देवी के हैं। वादिनी के ही साक्षी ने स्वयं को मौके पर रहना तथा समस्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रूककर देखना बताया है परन्तु अपीलांट की उपस्थिति नहीं बताया है। अतएव इस साक्षी के साक्ष्य से भी तथाकथित निर्माण ध्वस्त करने में अपीलांट की भूमिका अथवा किसी प्रकार का दायित्व सिद्ध नहीं होता। विद्वान अवर न्यायालय ने भी मौके पर अपीलांट की उपस्थिति के साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है परन्तु इसके बावजूद अपीलांट तथा प्रतिवादी सं0 4 (जिसके द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गयी) के विरूद्ध प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति हेतु वाद आज्ञप्त कर दिया जो तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल है। अतएव अपील सं0 05/04 के आधार अपीलों में पर्याप्त बल है तथा आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति जहां तक प्रतिवादी सं0 3 एवं 4 के विरूद्ध आज्ञप्त है, स्वीकार किये जाने योग्य है। अतएव अपील सं0 01/04, आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत रिजेक्ट किये जाने तथा अपील सं0 05/04 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18. सिविल अपील सं0 01/04 रिजेक्ट किया जाता है तथा सिविल अपील सं0 05/04 स्वीकार किया जाता है। मूल वाद सं0 230/94, सरस्वती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं चार अन्य में प्रतिवादी सं0 2 दिनेश सिंह के विरूद्ध पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति पुष्ट करते हुये प्रतिवादी सं0 3 एवं 4 के विरूद्ध पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति निरस्त किया जाता है। तदानुसार आज्ञप्ति बनायी जाये।

19. निर्णय की एक प्रति सिविल अपील सं0 05/04 में रखी जाये। सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 15.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
मऊ।

20. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 15.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
मऊ।

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.

सिविल अपील सं0 06 सन् 2001

संजय सिंह पुत्र श्री अम्बिका सिंह, साकिन- पकड़ीयार, पोस्ट- मुन्डेरा ठ्कुराई, थाना- झंगहा, तहसील- मुंडेरा बाजार (चौरा चौरी), जनपद- गोरखपुर।

...............अपीलार्थी

बनाम

माधुरी देवी पत्नी संजय सिंह, साकिन- पकड़ीयार, पोस्ट- मुन्डेरा ठ्कुराई, थाना- झंगहा, तहसील- मुंडेरा बाजार (चौरा चौरी), जनपद- गोरखपुर। हाल मुकाम- पुत्र अनन्त मल्ल, साकिन- लकुरा, परगना- नत्थूपुर, तहसील- मधुबन, जनपद- मऊ।

...............विपक्षी

निर्णय

1. हस्तगत सिविल अपील अपीलांट संजय सिंह द्वारा मूल वाद सं0 191/97 संजय सिंह बनाम माधुरी देवी में सिविल जज (सी0डि0), मऊ द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 21.12.2000 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है।

2. आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने वादी/अपीलांट द्वारा प्रतिवादी/विपक्षी के विरूद्ध विवाह विच्छेदन का वाद निरस्त कर दिया।

3. संक्षेप में अपील की पृष्ठभूमि यह है कि वादी संजय सिंह ने विपक्षी के विरूद्ध विवाह विच्छेदन के आज्ञप्ति हेतु इस आधार पर मूल वाद योजित किया कि वादी का विपक्षी के साथ दिनांक 01.06.91 को हिन्दू धर्म व रीति रिवाज के अनुसार मौजा लकुरा, पोस्ट मधुबन, जनपद मऊ में विवाह सम्पन्न हुआ। विवाह उपरांत प्रतिवादिनी 6 माह तक ससुराल में रही। तत्पश्चात अपने मायके चली गयी तथा एक वर्ष वहां रहने के पश्चात वापस वादी के घर आयी। प्रतिवादिनी असामान्य, मनबढ़, झगड़ालू तथा करकस स्त्री है। विवाह के पश्चात से ही उसका वादी तथा वादी के परिवार के सदस्यों के प्रति व्यवहार असामान्य तथा क्रूरतापूर्ण रहा है। गौना में विदा होकर आने के तीन माह पश्चात ही वह वादी की अदम मौजूदगी में बिना उसे बताये हुये अपने मायके चली गयी। जब वादी उसे लिवाने के लिये गया तो प्रतिवादिनी तथा उसके माता पिता ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा विदा करने से इंकार कर दिया।

अतः वह अकेले चला आया। तीन माह पश्चात पुनः वादी के भाई उसके मायके गये। उसे विदा कराके ले आये। तदोपरान्त उनके संसर्ग से 1993 में उसने एक पुत्री प्रीति को जन्म दिया परन्तु उसके पश्चात भी उसके कूरतापूर्ण व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह वादी को गाली गुप्ता देती थी, उसे अभित्याज करने की धमकी देती थी एवं तेज स्वर में गाली गुप्ता देते हुये घर से बाहर चली जाती थी। घर गृहस्थी का काम नहीं करती थी। **प्रतिवादिनी, वादी को पीड़ित करने के लिये आत्महत्या करके पूरे परिवार को हत्या के मुकदमें में फंसाने व तबाह करने की धमकी देती थी तथा बात-बात में बिजली का करंट पकड़ने तथा मिट्‌टी का तेल छिड़कर जलने का प्रयास कर चुकी है एवं वादी को उसके दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखती है।** अंततः पुत्री के जन्म के मात्र एक वर्ष पश्चात वह वादी व उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुये अपनी पुत्री को लेकर तथा विवाह में उसे दिया गया आभूषण लेकर घर छोड़कर चली गयी तथा उसके पश्चात वापस नहीं आयी। इस प्रकार प्रतिवादिनी ने विगत तीन वर्ष से उसे त्याग दिया है तथा दाम्पत्य अधिकार से वंचित कर रखा है। वादी द्वारा विदा कराने का अनेक प्रयास किया गया तथा दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने का आग्रह किया गया परन्तु वह तैयार नहीं हुई। अतः उसके विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होने पर उसके विरूद्ध विवाह विच्छेदन का वाद योजित किया गया है।

4. प्रतिवादिनी द्वारा वादी से विवाह होना तथा विवाह उपरांत विदा होकर उसके संग जाना तथा उनके संसर्ग से पुत्री का जन्म होना स्वीकार करते हुये वाद को निरस्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर किया गया है कि याची को वाद योजित करने का वाद कारण प्राप्त नहीं है, वाद कारण झूठा है, मात्र उससे भरण-पोषण देने के दायित्व से मुक्त होने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रतिवादिनी ने वादी अथवा उसके परिवार के सदस्यों के प्रति कभी कूरता का व्यवहार नहीं किया। इसके प्रतिकूल स्वयं याची व उसके परिवार के सदस्यों का प्रतिवादिनी के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार रहा तथा वे उससे पचास हजार रूपये की मांग बतौर दहेज करते रहे एवं उससे पुत्री उत्पन्न होने के कारण वे उससे और अधिक नाराज हो गये। उक्त राशि अदा न कर सकने के कारण याची स्वयं विपक्षी को मारता पीटता रहा तथा प्रतिवादिनी का समस्त

आभूषण बेचकर उसने फोटो स्टूडियो खोला। याची का अवैध संबंध उसकी भाभी कवलवासी पत्नी सुरेन्द्र सिंह से है। इस कारण से वह प्रतिवादिनी तथा उसकी पुत्री पर ध्यान नहीं देता तथा विरोध करने पर उसे मारता पीटता है और दूसरा विवाह करने की धमकी देता है। याची ने स्वयं सितम्बर 1997 में प्रतिवादिनी को घर से यह कहकर निकाल दिया कि जब तक पचास हजार रूपये लेकर नहीं आओगी परिवार में नहीं रहने देंगे। वादी का यह आरोप गलत है कि वह उसे आत्महत्या करके अथवा करंट लगाकर अथवा मिट्‌टी का तेल छिड़ककर जलकर परिवार को फंसाने का प्रयास करती है। स्वयं वादी ने उसके साथ कूरता किया है जिससे उसने उसके विरूद्ध धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत भरण पोषण का वाद योजित किया है।

5. उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित कियाः–

(i) क्या प्रतिवादिनी ने वादी व उसके परिवार के साथ कूरता का व्यवहार किया है?

(ii) क्या प्रतिवादिनी ने वादी को बिना पर्याप्त कारण के प्रत्याग (डिजर्ट) कर रखा है?

(iii) वादी किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

6. अवर न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी की ओर से संजय सिंह व राम गनेश को बतौर पी0डब्लू 1 एवं 2 परीक्षित किया गया है तथा प्रतिवादिनी की ओर से राम नरेश व माधुरी देवी को बतौर डी0डब्लू 1 व 2 परीक्षित किया गया है।

7. विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दुओं पर नकारात्मक निष्कर्ष निकालते हुये वाद को निरस्त कर दिया।

8. उक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति से क्षुब्ध होकर अपलांट ने प्रतिवादिनी/विपक्षी के विरूद्ध इस आधार पर यह अपील योजित किया है कि आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह पूर्णतयः सिद्ध था कि विपक्षी ने अपीलांट/वादी के साथ कूरता किया है एवं उसका अभित्यजन किया है तथा विपक्षी का उससे दहेज मांगने का आरोप एवं उस पर किसी अन्य

महिला से नाजायज संबंध होने का आरोप सत्य नहीं पाया है परन्तु उसके बावजूद विद्वान अवर न्यायालय ने अन्यथा निष्कर्ष निकालकर निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित करने में वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि किया है। अपीलांट द्वारा इस आधार पर भी आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति को चुनौती दिया गया है कि एक लंबे समय से उभय पक्षों के मध्य पति पत्नी का संबंध स्थापित न रहने से विवाह मृत हो चुका है तथा पक्षकार पृथक-पृथक जीवन यापन कर रहे हैं तथा विपक्षी द्वारा आज तक दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना हेतु कोई वाद प्रस्तुत न कर केवल उसके विरूद्ध धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत भरण पोषण का वाद योजित किया गया है। अतएव इस आधार पर भी विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति ही आपेक्षित थी। अतएव अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर अपील को निरस्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित करने में किसी प्रकार तथ्यात्मक एवं वैधानिक त्रुटि नहीं किया है, परन्तु दौरान तर्क यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा वैवाहिक दाम्पत्य पुनर्स्थापना हेतु वाद योजित नहीं किया गया है केवल धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत भरण पोषण का आवेदन पत्र विचाराधीन है। विपक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पक्षकार आज भी अलग-अलग जीवनयापन कर रहे हैं तथा उनके मध्य वाद योजित करने के पूर्व से दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं है। विपक्षी के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उनकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, अतः अपीलांट का दायित्व है कि वह विपक्षी एवं अपनी पुत्री का भरण पोषण करे तथा पुत्री प्रियंका का विवाह करने का प्रबंध करे।

10. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

क्या विपक्षी ने अपीलांट के विरूद्ध क्रूरता किया है तथा क्रूरता के आधार पर अपीलांट, विपक्षी के विरूद्ध विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र है?

12. याचिका में किये गये अभिकथनों से स्पष्ट है कि याची ने विपक्षी पर क्रूरता

का आरोप इन आधारों पर लगाया है कि वह असामान्य, झगड़ालू, करकस स्त्री है। बात-बात पर तेज स्वरों में वादी को गाली गुप्ता देते हुये घर से बाहर हो जाती है, उसकी गरीब व लाचारी पर बरस पड़ती है, उसे त्याज्य करने की धमकी देती है जबकि वह सम्मानित परिवार का व्यक्ति है तथा वह करेंट पकड़कर एवं मिट्‌टी का तेल छिड़ककर, जलकर, आत्महत्या करके पूरे परिवार को हत्या के मुकदमें में फसाने की व नष्ट करने की धमकी देती है। वह स्वयं वादी को छोड़कर अपनी पुत्री एवं अपना आभूषण लेकर घर से चली गयी है तथा आज तक वापस नहीं आयी है। इस प्रकार उसने वादी को दाम्पत्य अधिकारों से भी वंचित रखा। विदित हो कि दौरान तर्क विपक्षी ने स्वीकार भी किया है कि मूल वाद योजित करने के समय से आज तक पक्षकार अलग-अलग रह रहे हैं।

13. कहने की आवश्यकता नहीं कि उभय पक्षों में यह निर्विवाद है कि उभय पक्ष पति-पत्नी हैं तथा यह भी विवाद नहीं है कि वाद योजित करने के समय से विपक्षी, अपीलांट से आज तक अलग रह रही है। पी0डब्लू 1 जो कि स्वयं अपीलांट है, ने अपने बयान में बताया है कि माधुरी काफी मनबढ़, झगड़ालू व करकस स्त्री है। विदा होकर आने के पश्चात ही बात-बात में झगड़ा व गाली गुप्ता देना, घर से बाहर चले जाना उसके लिये सामान्य बात थी। विदा होकर आने के बाद उसकी अनुपस्थिति में वह अपने मायके चली गयी तथा जब वादी उसे समझाने बुझाने व लेने गया तो उसने तथा उसके मायकेवालों ने गाली गुप्ता दिया व अपमानित किया जिसके फलस्वरूप वह वापस चला आया। प्रतिवादिनी तेज स्वरों में गाली गुप्ता देती है व उसकी लाचारी व गरीबी का उपहास करती है व उसे छोड़ देने तथा सम्बन्ध विच्छेद कर देने की धमकी देती है............। आत्महत्या करके पूरे परिवार को फंसाने व तबाह करने की धमकी देती है। बिजली का करंट पकड़ने की कोशिश करती थी तथा एक बार मिट्‌टी का तेल छिड़ककर जलने की तैयारी की थी। उसके साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता का आचरण करते हुये उसके दाम्पत्य अधिकारों से उसको वंचित रखती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि पिता जी से राय किया तो पिता जी ने कहा कि नहीं पट रही है तो मुकदमा कर दो, सब को फंसाने की धमकी दे रही है तो मुकदमा कर दो, तब मैनें मुकदमा किया............। आज से चार साल पहले मुझे फंसाने की धमकी दी थी।

पुलिस में सूचना नहीं दिया। उस समय मुहल्ले के कई आदमी थे। उनका नाम नहीं जानता। लगभग शादी के डेढ़ साल बाद ही शुरू हुआ था। उस समय छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे जिसे हम लोग भूल जाया करते थे..........। मुझे याद नहीं है कि वह कितनी बार मुझे फंसाने की धमकी दी थी। कहती थी कि मैं जान से मर जाउंगी और पूरे परिवार को फंसा दूंगी। उसकी मां ने भी धमकी दी थी............। मैनें पन्द्रह हजार रूपये लगाकर स्टूडियो खोला। यह पैसा मेरे पिता जी दिये। कुछ पैसा नौकरी किया था उसका लगा है। माधुरी ने कोई पैसा नहीं दिया। उसका गहना बेचकर पैसा नहीं लगाया। करीब तीन चार साल पूर्व जब वह घर से गयी थी तो वह पूछकर नहीं गयी थी अपना सामान लेकर चली गयी थी। उस समय झगड़ा नहीं हुआ था आदि-आदि।

14. साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि उसने अपने बयान में मिथ्या कथन किया है।

15. याची का दूसरा साक्षी राम गनेश है। उसने अपने बयान में बताया है कि संजय सिंह मेरे घर के सामने के रहने वाले हैं...........। माधुरी, संजय के परिवार के लोगों से झगड़ा करके गाली गुप्ता देती थी। संजय को भी अपमानित करती थी। संजय की गरीबी एवं लाचारी पर अपने भाग्य को कोसा करती थी। संजय और उसके परिवार के समझाने बुझाने पर गाली गुप्ता देते हुये घर से बाहर हो जाती। आत्महत्या करके पूरे परिवार को फंसाने की धमकी देती। शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जलने की कोशिश करती थी। एक बार करंट पकड़ने की भी कोशिश की थी। आज से लगभग सवा चार वर्ष पूर्व ससुराल से मायके चली गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि संजय के घर की जानकारी इसलिये है कि मेरे घर के सामने हैं। एक परिवार की तरह उठना बैठना, खाना पीना है............। झगड़ा घर के भीतर शुरू हुआ, झगड़ा करते करते बाहर निकल आयी। समय याद नहीं है। कहती थी कि नौकरी नहीं करता, यह घर हमारे रहने लायक नहीं है............। अपने दरवाजे पर बैठकर झगड़ा देखता रहता था.............। मेरे सामने माधुरी अपने शरीर पर मिट्टी का तेल नहीं डाली थी। घर में मिट्टी के तेल से भीगी हुई बाहर आयी थी। उसके शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी और हाथ में माचिस थी। परिवार वालों ने कहा कि

आत्महत्या करने जा रही है आदि-आदि।

16. प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत नहीं होता कि इस साक्षी ने भी न्यायालय में झूठा कथन किया हो बल्कि साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि उसने स्वाभाविक रूप से उन सबकी गतिविधियों का वर्णन किया है जो उसने अपनी आंखों से देखा है। साक्षी के बयान से याची के बयान को संतोषजनक रूप से समर्थन मिलता है।

17. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या याची के साक्ष्यों का खण्डन विपक्षी साक्षियों से होता है अथवा नहीं?

18. डी0डब्लू 1 रामनरेश जो कि विपक्षी के मामा हैं, ने यह बयान दिया है कि संजय ने माधुरी को घर से निकाल दिया। वह अपने मायके में है। माधुरी को लड़की होने की वजह से उसके ससुरालवाले नाराज हैं। उससे दहेज में पचास हजार रूपये की मांग कर रहे हैं। उसका गहना बेच संजय ने स्टूडियो में लगा दिया। पैसा न पाने के कारण संजय उसको मारे थे। यह बातें मुझे माधुरी ने बतायी। स्पष्ट है कि कोई भी घटना इस साक्षी के समक्ष घटित नहीं हुई है बल्कि वह जो बता रहा है वह अनुश्रृति साक्ष्य है। इस साक्षी के साक्ष्य से कदापि याची साक्ष्य खण्डित नहीं होता।

19. विपक्षी का दूसरा साक्षी स्वयं विपक्षी है जिसने बयान दिया है कि मैनें अपने व्यवहार से अपने पति व ससुराल वालों को कोई कष्ट नहीं दिया और न अपमानित किया न जान देने की कोशिश की एवं न धमकी दी। मेरे परिवार और ससुरालवाले दहेज में मुझसे पचास हजार रूपये मांगते थे जिसको देने में मेरे पिता असमर्थ थे। पुत्री पैदा होने के नाते मेरे पति नाराज रहने लगे तथा पैसा न देने के नाते मारे थे। मेरे पति मेरा गहना बेचकर स्टूडियो खोले थे। मेरे पति का नाजायज संबंध मेरी जेठानी से है जिससे मैं उन्हें मना करती हूं तो वह मुझे मारते पीटते थे और दूसरी शादी की धमकी देते थे। दो साल पहले संजय ने मुझे घर से यह कहकर निकाल दिया कि पचास हजार रूपये लेकर आओ तब मैं तुम्हे घर में रहने दूंगा। मैनें मिट्टी का तेल छिड़ककर जान देने की कोशिश नहीं की और न बिजली का तार छुआ और न संजय के परिवार को फंसाने की धमकी दी। उन्होनें स्वयं छोड़ा था जिसके लिये मैनें खर्चे का दावा किया। यदि मुझे और मेरी बच्ची को कायदे से रखें तो मैं जा सकती हूं। संजय तथा उनके परिवार का कोई मुझे लिवाने कभी नहीं आये और न

ससुराल जाने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मैं अपने घर चिट्ठी लिखकर डाक द्वारा भेजती थी। मारने पीटने की सूचना डाकखाने से भाई को भेजती थी। चिट्ठी देवर, ननद, ससुर छोड़ते थे। ससुराल में देवर, ससुर, ननद और सासू से कोई शिकायत नहीं है। जेठानी के साथ सोते, उठते बैठते थे। मैं टोकती थी तो मुझे मारते थे। कवलवासी (जेठानी) के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी 12 साल की है। कवलवासी की उम्र नहीं बता सकती, पर मुझसे ज्यादा है। संजय व सुरेन्द्र का संयुक्त परिवार रहा है। संजय और सुरेन्द्र में आपसी संबंध काफी अच्छे थे। संजय, सुरेन्द्र में कोई आपसी झगड़ा नहीं था। खाना बनाने और घर के कामों में कवलवासी मेरा सहयोग करती थी। कवलवासी के संग मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। कवलवासी अपने बच्चों के साथ घर में अपने कमरे में सोती थी। मैं अलग कमरे में सोती थी। संजय से अपने मां बाप के संबंध अच्छे नहीं है। संजय से मेरा भी संबंध पिछले 5-6 साल से अच्छा नहीं है। मुझसे व संजय से बातचीत व पति पत्नी का संबंध नहीं है। अगर वे अच्छे से रखें तो संबंध अच्छे हो जायेंगे। पांच साल पहले संजय से झगड़ा नहीं होता था। कवलवासी के प्रकरण के अलावा संजय से और कोई शिकायत नहीं है आदि-आदि।

20. साक्षी के प्रतिपरीक्षण से प्रतीत होता है कि उसके बयान में एकरूपता नहीं है। जहां उसने मुख्य परीक्षण में एक ओर यह बताया है कि संजय उससे दहेज स्वरूप पचास हजार रूपये की मांग करते थे तथा यह कि पुत्री के उत्पन्न होने से वह उससे खिन्न रहते थे वहीं प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि कवलवासी के प्रकरण के अलावा संजय से और कोई शिकायत नहीं है। स्पष्ट है कि वह दहेज मांगन की बात तथा पुत्री के उत्पन्न होने के कारण खिन्न रहने की बात झूठी बता रही है। जहां तक कवलवासी के साथ संबंध होने का प्रश्न है तो यह भी मिथ्या दोषारोपण प्रतीत होता है क्योंकि याची का संयुक्त परिवार है। यदि ऐसा अवैध संबंध होता तो अवश्य ही परिवार में आपत्ति होती तथा कम से कम कवलवासी के पति अर्थात सुरेन्द्र से संजय का संबंध खराब रहता परन्तु इसी साक्षी ने अपने बयान में बताया है कि संजय और सुरेन्द्र का संबंध अच्छा था। उनमें कोई झगड़ा नहीं था। इस साक्षी ने कवलवासी के विषय में भी यही बताया है कि वह घर में खाना बनाने और काम करने में सहयोग

करती थी। उससे इस साक्षी का कोई झगड़ा नहीं है। यदि वास्तव में किसी अवैध संबंध के कारण वह खिन्न थी तो उससे कवलवासी को भी खिन्नता होती। इसके अतिरिक्त जैसा कि साक्षी ने अपने ही बयान में यह बताया है कि ससुराल में देवर, ससुर, ननद एवं सास से कोई शिकायत नहीं थी। यदि वास्तव में उसके पति का किसी स्त्री से अवैध संबंध होता तो वह कम से कम अपने सास ससुर से अवश्य शिकायत कर सकती थी तथा उसके द्वारा समाधान का प्रयास न करने पर वह उससे खिन्न हो सकती थी परन्तु ऐसा नहीं है। साक्षी ने यह भी बताया है कि ससुराल से मारने पीटने की सूचना चिट्टी से वह अपने भाई को बताती थी तथा वह चिट्ठी उसके देवर, ननद, ससुर छोड़ते थे परन्तु ऐसी कोई समकालीन चिट्टी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसमें उसकी वेदना प्रकट हो। अतएव इस साक्ष्य से विपक्षी का यह आरोप भी खण्डित हो जाता है कि याची का उसकी जेठानी कवलवासी के साथ अवैध संबंध था। अतएव यदि दहेज की मांग करन का आरोप, पुत्री के जन्म लेने के कारण वादी की खिन्नता का आरोप तथा कवलवासी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप झूठा सिद्ध होता है तो आखिर क्या कारण है कि प्रतिवादिनी, वादी से अलग रह रही है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादिनी स्वयं अपने आचरण, विचार के कारण याची से अलग रहती है। प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से याची साक्ष्य खण्डित नहीं होता और न ही वह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अतएव इससे याची के द्वारा विपक्षी पर लगाये गये ये आरोप विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि विपक्षी, याची को गाली गुप्ता देती थी, उससे संतुष्ट नहीं थी, आत्महत्या करने का प्रयास करती थी जिससे याची को आपराधिक मामले में फंस जाने की आशंका थी तथा स्वयं अपने आचरण, विचारण एवं व्यवहार के कारण वह याची को छोड़कर चली गयी थी जिससे याची दाम्पत्य सुख से भी वंचित हो गया।

21. शब्द ''क्रूरता'' अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, परन्तु इसे सआशय किसी व्यक्ति द्वारा किये गये ऐसे आचरण एवं कृत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी भी दशा में युक्तिसंगत आचरण न हो एवं इस प्रकृति का भी हो जो जीवन, शरीर अथवा मानसिक शांति के लिये घातक एवं संकटापन्न हो। स्पष्ट है कि क्रूरता शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। पत्नी द्वारा आत्महत्या

करने का प्रयास क्रूरता की उस श्रेणी में भलीभांति आ सकता है जो विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति प्रदान करने के लिये पर्याप्त है। **(कृपया देखें श्रीमती अलका बनाम डा0 आर0के0 गौतम, ए.आई.आर. 1996 दिल्ली 276 एवं विमला लडकानी बनाम डा0 चन्द्र प्रकाश लडकानी, ए.आई.आर. 1996 एम0पी0 86)** इस मामले में भी जैसा कि ऊपर पाया जा चुका है कि विपक्षी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तथा आत्महत्या करने की धमकी भी इस आशय की दिया है कि वह आत्महत्या करने के पश्चात परिवार के सदस्यों को फंसा देगी।

22. पत्नी द्वारा पति के चरित्र पर खुले न्यायालय में लान्छन लगाना पति के चरित्र पर ऐसा कुठाराघात है जो निश्चय ही क्रूरता की श्रेणी में आयेगा जिसके आधार पर पति ऐसी पत्नी के विरूद्ध विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र हो सकता है। **(कृपया पुनः देखें विमला लडकानी बनाम डा0 चन्द्र प्रकाश लडकानी, ए.आई.आर. 1996 एम0पी0 86)** इस प्रकरण में भी प्रतिवादिनी के प्रतिवाद पत्र तथा साक्ष्य से स्पष्ट प्रकट है कि प्रतिवादिनी ने अपने पति पर खुले न्यायालय में अपनी जेठानी के साथ अवैध संबंध होने का लान्छन लगाया है परन्तु वह उसे एक सत्य के रूप में सिद्ध नहीं कर सकी है। अतः निश्चय ही पत्नी द्वारा पति पर लगाया गया यह लान्छन उस प्रकृति की क्रूरता में सम्मिलित है जो वाद आज्ञप्त करने के लिये पर्याप्त है।

23. क्रूरता, आचार, व्यवहार, संकेत, हिंसा, अहिंसा एवं मात्र शांत रहने से भी कारित की जा सकती है। **(कृपया देखें जगदीश मित्तल बनाम जूना सैनी, 1978 एच.एल.आर. 304)** इस प्रकरण में याची द्वारा संतोषजनक रूप से सिद्ध किया गया है कि विपक्षी उसे गाली गुप्ता देती थी, गाली गुप्ता देते हुये घर से बाहर आ जाती थी जिसे पी0डब्लू 2 अर्थात घर के बाहर के व्यक्ति भी सुन सकते थे तथा उसकी गरीबी के लिये भी उसे ताने देती थी एवं अपनी नवजात पुत्री तथा आभूषणों को लेकर पति का घर छोड़कर सदैव के लिये अपने मायके चली गयी जबकि हिन्दू समाज में पति-पत्नी के बीच जन्म जन्म के संबंध की कामना की जाती है। अतएव प्रतिपक्षी का पति का घर छोड़कर इस प्रकार चला जाना भी एक ऐसी मानसिक क्रूरता परिकल्पित होगी जो विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति के लिये पर्याप्त होगी। कहने की

आवश्यकता नहीं कि विवाह का एक उद्देश्य पति-पत्नी को एक दूसरे को दाम्पत्य सुख भी प्रदान करना होता है परन्तु पत्नी द्वारा सहसा पति को सदैव के लिये परित्याग कर देने से निश्चय ही पति दाम्पत्य सुख से वंचित रह जायेगा जो स्वयं में पति के लिये मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता है जो विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति हेतु विधि संगत एवं तर्कसंगत आधार है। **(कृपया देखें सुनील कुमार बनाम ऊषा, ए.आई. आर. 1994 एम0पी0 1)** प्रतिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि इस मामले में याची द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि पत्नी ने पति अथवा उसके परिवार के सदस्यों के साथ कभी हिंसा किया हो परन्तु पत्नी द्वारा अन्य प्रकार से की गयी प्रताड़ना के दृष्टिगत केवल हिंसा न करने के कारण उसकी उक्त प्रताड़नाओं को कदापि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। **(कृपया देखें एस0 जया कुमारी बनाम कृष्णनन नायर, ए.आई.आर. 1995 केरल 140)** पत्नी द्वारा पति के विरूद्ध गाली गुप्ता भरे शब्दों का प्रयोग करना तथा उसका उपहास करना भी क्रूरता की श्रेणी में आयेगा। **(कृपया देखें सन्नताना बनर्जी बनाम एस0एन0 बनर्जी, ए.आई.आर. 1990 कलकत्ता 367)** इस प्रकरण में भी याची ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि विपक्षी उसे तेज स्वरों में गाली गुप्ता देती थी व उसकी लाचारी व गरीबी का उपहास करती थी। याची का यह साक्ष्य इसलिये विश्वसनीय प्रतीत होता है कि यदि उसे झूठा साक्ष्य देना ही होता तो वह अपनी पत्नी पर कोई अन्य लान्छन लगा सकता था, परन्तु जैसा कि यह प्रतीत होता है कि वह उस समय बेरोजगार था। अतएव उसकी बेरोजगारी के दृष्टिगत ही विपक्षी ने उसकी लाचारी एवं गरीबी का उपहास किया होगा तथा उसे छोड़कर चली गयी। अतएव इस साक्ष्य से भी यह सिद्ध होता है कि विपक्षी ने निश्चय ही पति के प्रति क्रूरता किया है जिससे पति विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति का पात्र है।

24. इस प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वाद योजित करने के पूर्व से ही विपक्षी, याची को छोड़कर चली गयी है तथा आज तक वापस नहीं आयी है। यह वाद वर्ष 2001 में योजित किया गया है तथा आज वर्ष 2018 है तथा पत्नी द्वारा विदाई हेतु कोई दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की कोई संभावना प्रतीत होती है। अतः पक्षकारों के बीच इस लंबी अवधि की पृथकता

तथा भविष्य में संबंधों की पुनर्स्थापना की कोई आशंका न होने से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के मध्य वैवाहिक संबंध पूर्णरूप से मृत हो चुके हैं तथा दाम्पत्य संबंध असाध्य रूप से नष्ट हो चुका है। अतएव ऐसी परिस्थिति में पति के पक्ष में विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति न प्रदान करना पति को सर्वदा के लिये मानसिक प्रताड़ना में रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फलतः पति को वांछित आज्ञप्ति से वंचित रखना विधि की आपेक्षाओं के विरूद्ध होगा। **(कृपया देखें श्रीमती मीना सिंह बनाम मिथलेश कुमार सिंह, 2009 इलाहाबाद सी.जे. 958)**

25. इस प्रकार उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह भली भांति सिद्ध था कि विपक्षी द्वारा याची के विरूद्ध इस प्रकृति की कूरता किया गया है जिसके आधार पर याची विवाह विच्छेदन की आज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र था परन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित परिशीलन तथा उनकी उचित समीक्षा नहीं किया तथा उनके आधार पर युक्तिसंगत निष्कर्ष न निकालते हुये एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुये वाद को निरस्त कर दिया है जो किसी भी दशा में उचित ठहराये जाने योग्य नहीं है। अपील आधारों में पर्याप्त बल है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

26. प्रस्तुत सिविल अपील स्वीकार किया जाता है। आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 21.12.2000 निरस्त किया जाता है। वाद आज्ञप्त किया जाता है। याची संजय सिंह का विपक्षी माधुरी देवी से विवाह विच्छेदित किया जाता है। तदानुसार आज्ञप्ति बनायी जाये। उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांकः 12.11.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
मऊ।

27. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 12.11.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
मऊ।

<u>In the Court of IInd Additional Sessions Judge/Special Judge, Mau.</u>

Present- Adil Aftab Ahmad,

H.J.S.

1. Criminal Appeal No.- 31 of 2018

Diwakar Sharma s/o Uttam Sharma, R/o- Baniyapar Saiyyad Tahir, P.S.- Ghosi, District- Mau.

…....................Appellant

Versus

1. Government of Uttar Pradesh
2. Ashok Sharma s/o Lalsu Sharma, R/o- Baniyapar Saiyyad Tahir, P.S.- Ghosi, District- Mau.

…................Opposite parties

And

2. Criminal Appeal No.- 32 of 2018

Ashok Sharma s/o Lalsu Sharma, R/o- Baniyapar Saiyyad Tahir, P.S.- Ghosi, District- Mau.

…....................Appellant

Versus

1. Diwakar Sharma s/o Uttam Sharma, R/o- Baniyapar Saiyyad Tahir, P.S.- Ghosi, District- Mau.
2. Government of Uttar Pradesh

…................Opposite parties

<u>JUDGMENT</u>

1. Criminal Appeals above noted have been preferred against the Judgment and order dated 18.04.18 passed by Shri Pramod Kumar Singh, the then Chief Judicial Magistrate, Mau, in Criminal Case no. 2955/2000 State vs Ashok Sharma registered as Crime no. 172/09, under Sections 419,420,467,468,471 IPC in P.S. Ghosi, District Mau.

2. By the impugned order the Ld. Magistrate has acquitted the accused/appellant from the charges of offences under Sections 419,467,468 & 471 IPC but has found him guilty under Section 420 IPC and has punished him with simple imprisonment of 2 years and with fine of rupees five thousand.

3. The facts, in brief, giving rise to these appeals are that the informant Divakar Sharma lodged an FIR against the accused to the effect that the said Ashok Sharma had agreed to sell his plot no. 319 area 056 *kadi* to him for a consideration of rupees 40000. Accordingly, the sale deed was inscribed by Santosh Kumar. Thereafter, the deed was signed by him and by Ashok Sharma and also by Ameen Chauhan and Santosh Kumar as marginal witnesses thereof.

The deed was got registered on the same day and the informant got a copy thereof. After perusing the sale deed he came to know that Ashok Sharma, Ameen Chauhan and Santosh Kumar, in connivance with each other, have while mentioning the boundaries of plot no. 319 correctly in the sale deed have mentioned the number of plot sold as plot no. 774 instead of plot no. 319 to which he had already sold to one Ram Avatar on 09.11.06. In this way the said Ashok Sharma, in connivance with Santosh Kumar and Ameen Chauhan have cheated him and have obtained rupees 40000 from him. He had requested them to execute sale deed of plot no. 319 in his favour but they refused to do so. On the basis of this report crime no. 172/09, under Section 419,420,467,468,471 IPC was registered against the said persons. However, after investigation the investigating officer submitted final report against them but the same was dismissed by the Magistrate who ordered further investigation in the matter. Thereafter, the matter was further investigated and the investigating officer submitted charge sheet against Ashok Kumar only but making Ameen Chauhan and Santosh Kumar as prosecution witnesses. The Magistrate took cognizance of the offence and framed charges against the accused under those sections and began trial. During trial the prosecution has examined as many as 6 witnesses which include, the informant and the inscribe and witnesses of the deed namely, Santosh Kumar, Narvesh Chandra Rai and Ameen Chauhan, the G.D. writer and investigating officer. After recording the evidences of prosecution witnesses the Magistrate has examined the accused under Section 313 Cr.P.C. After considering the evidences of the prosecution and the explanations given in respect thereof by the accused person under Section 313 Cr.P.C. the Ld. Magistrate not finding him guilty under Sections 419,467,468,471 IPC has acquitted him from the charges of those sections but has found him guilty under Section 420 IPC and has punished him with imprisonment of a period of two years and also with fine of rupees five thousand.

4. The appellant Diwakar Sharma has preferred appeal no. 31/18 against acquittal of the accused from the charges of Section 419,467,468,471 IPC reiterating all those facts mentioned in the FIR and on the further grounds that the impugned order is against fact and law, has been passed summarily without

considering the evidences properly, is not in accordance with the evidences available on record from which all the charges were well proved as per the ingredients and requirements of all the offences, has awarded inadequate sentence under Section 420 IPC. From the evidences it is also proved that after obtaining rupees 12000 the accused Ashok Sharma had proposed to execute a correction deed but had not executed the correct sale deed knowingly and, therefore, has failed to execute the correction deed too. Therefore, as from all the evidences produced by prosecution all the charges were proved but the Ld. Magistrate has acquitted the accused from Section 419,467,468,471 IPC and has found him guilty only under Section 420 IPC and has awarded inadequate sentence under that 420, the order be set aside and the accused be held guilty under all those charges and be adequately punished under all those sections.

5. Appellant/accused Ashok Sharma has preferred appeal no. 32/18 against the order of conviction under Section 420 IPC on the grounds that all the allegations made by the informant against him is false, the order is against fact and law, from the evidences adduced by the prosecution, no offense under any section much less under Section 420 IPC is made out or proved. Therefore, the Ld. Magistrate has rightly acquitted him from Section 419,467,468,471 IPC but has wrongly held him guilty under Section 420 IPC which is bad in law and fact. Therefore, the appellant be acquitted from Section 420 IPC as well.

6. The accused/respondent Ashok Sharma has contested appeal no. 31/18 on the grounds that the order of acquittal passed under Sections 419,467,468,471 IPC is perfectly legal order, based on evidences and is in accordance with law. But the order of holding him guilty under Section 420 IPC is without any evidence which deserves to be set aside. There is no question of holding him guilty under Section 420 IPC and awarding him any sentence at all much less the awarded one.

7. The informant has contested appeal no. 32/18 preferred by the accused Ashok Sharma on the grounds that the contention of the appellant against the order of the conviction is not tenable. Not only the offense under Section 420 IPC was made out for which he has been rightly held guilty but has been punished with an inadequate punishment which deserves to be enhanced so that from the amount of fine the informant may be adequately compensated for the loss

occasioned to him due to the criminal conduct of accused. The accused be held guilty under other sections as well from which he has been acquitted and be punished with adequate sentence of imprisonment and fine.

8. The order in question considered. Record perused and heard.

9. The allegation, as mentioned in the FIR, against the accused is that he had agreed to sell plot no. 319 but while executing the sale deed though he had mentioned the boundaries of the plot sold correctly but has written the number of the plot as 774 instead of 319. He has alleged that he had done so in connivance with Santosh and the marginal witnesses of the deed deliberately to cheat him and has thereby duped rupees 40000 from him. To bring home the charges the prosecution has examined the informant himself, the inscribe Narvesh Chandra Rai and the marginal witnesses Ameen Chauhan and Santosh Kumar as PW 1, 2, 3, 4 respectively.

10. Undisputedly the sale deed was written, the same was got registered on the same date and that even the boundaries of the land sold was correctly mentioned therein. Only the number of the plot was written incorrectly. It is well settled that if in a sale deed the number of the plot transferred and the boundaries thereof differ it is the boundaries which prevails that is to say the land sold shall be identified by the boundaries and the number may be ignored or rectified either by the parties themselves or through recourse to court of law. Thus viewed, there appears no dishonest intention much less any design to cheat on the part of the seller, the accused. If the number of the plot was written as 774, at the most it appears to have been written by sheer mistake. Had his intention been dishonest he would not have mentioned even the boundaries correctly because as stated above it is the boundary which would prevail and the alienation would be effective even with incorrect number of the plot. The fact that the number of the plot was written by mistake has been admitted by non other than PW 3 himself who is one of the marginal witnesses of the deed. He has stated in so many words at page no. 4 of his testimony that "…….the version of PW 1 to the effect that it was due to the connivance of Ashok Sharma, his friend Ameen Chauhan and Santosh Kumar that the number of plot was written as 774 instead of 319 is untrue and baseless. He had no intention of the sort and that he had done anything like

that deliberately. Whatever happened **it was by sheer mistake.** There was no cheating at all……..." Thus, it is the prosecution witness who himself admits that the omission to write the number of the plot as 319 and writing at that place 774 was by sheer mistake, shatters the version of prosecution. Even the inscribe Santosh Kumar, examined as PW 4 has deposed at the foot of page no. 2 that "……..Diwakar was keenly interested to purchase the said plot because he had no land to construct his house on road side. The boundaries were written that of plot no. 319 but the **number was written wrongly by mistake.** The number was told by Ashok. Diwakar Sharma was present there……..it is untrue to state that Diwakar Sharma was duped. **If Diwakar Sharma says that he was duped, it is false**……..." This marginal witness too has deposed that the number of the plot was mistakenly written and that the informant was not cheated. Therefore, from the testimony of this another important prosecution witness himself the prosecution version is disproved.

11. Really if the number of the plot was written wrongly without any intention to cheat the purchaser, the accused, would steer clear if he is ready and willing to write a rectification deed to that effect as soon as the mistake comes to his knowledge. It would definitely absolve him from all the charges. Therefore, now the court is to see whether the accused had made any effort to write a rectification deed ? There is available on record a rectification deed exhibit ka2 proved by PW 1 himself. It bears the signatures of the accused and the informant and it also bears a photograph of the accused. Not only the accused but also the prosecution witnesses too has admitted its execution by the accused. What more the accused was required to do? Of course the document needed registration. Now it is to be seen as to who is responsible for its non-registration. The informant PW 1 has on page no. 9 of his deposition stated that "…...the supplementary deed was in his possession and that it was he who had not presented the supplementary deed for registration......" and confirming the supplementary deed to be in his possession he has further stated that "…..it is he who has submitted the said supplementary deed in the court....." He goes on to say that "…..the supplementary deed was in his possession and that even a *panchayat* was held in the village in the matter…." From this deposition of PW 1 himself it is evident that the accused had in fact

executed the rectification deed too with his full signature and even pasting his photograph on the same and had after duly executing it had handed it over to the PW 1 but it was he, that is to say PW 1, who chose not to get the same registered instead had chosen to keep the same in his possession. From this evidence it is amply clear that the number on the sale deed was written by sheer mistake and that the accused was not only ready and willing to write a rectification deed when he had came to know about this mistake but had in fact even executed the same and had handed the same over to the purchaser. This conduct on the part of seller, the accused, proves his *bonafied* intention from the very beginning absolving him from the misdeed attributed to him.

12. From the evidences discussed above and from the fact that there is no allegation against the accused that he had made any false signature on any document making a forged document it is not true that the accused has committed any offense of cheating under Section 420 IPC or those of preparing forged documents punishable under section 419,467,468,471 IPC. Therefore, the prosecution has bitterly failed to prove any charge framed against the accused person much less charge under Section 420 IPC entitling his acquittal from all the charges. The Ld. Magistrate has passed a legal order in acquitting him from Section 419,467,468,471 IPC but a grossly erroneous order in holding him guilty under Section 420 IPC and punishing him for the said offense which can hardly sustain in law.

13. It would not be out of place to mention here that PW 1 at the foot of page no. 7 of his deposition has admitted that he has instituted a civil suit too in the matter. It means that the informant/purchaser has approached the civil court too to get his rights enforced under the deed. From this **conduct** of the purchaser it is apparent that he is asserting before the civil court that the deed is enforceable in the court of law meaning thereby that the deed is a genuine document not forged one and that, that is a legal document in the sense that property has been lawfully alienated by the same in his favour. In other words the document being genuine one the executant thereof had executed the same with *bonafied* intention. Therefore, in the civil court the informant asserts that the executant had executed the sale deed honestly but in the criminal court he asserts that the executant has

prepared a forged document dishonestly. The informant cannot be allowed to blow hot and cold at the same time. From the conduct of the informant in instituting a civil suit on the basis of same sale deed it is made out that he has impliedly admitted that there was no dishonest intention of any sort on the part of accused. From this fact also it may be safely concluded that the accused/appellant has not committed any of the offense he is charged with.

14. For the reasons aforesaid it is made out that the Ld. Magistrate has not appreciated the facts in its true perspective and has totally failed in marshaling the evidences available on record and has consequently passed an erroneous order in holding the accused/appellant guilty even under Section 420 IPC. Therefore, while appeal no. 31/18 bears no forces and deserves to be dismissed, the appeal of the accused/appellant no. 32/18 bears substance and deserves to be allowed.

Order

15. The appeal no. 31/18, Diwakar Sharma vs Government of Uttar Pradesh and others is dismissed and the appeal no. 32/18, Ashok Sharma vs Diwakar Sharma and others is allowed. The judgment and order dated 18.04.18 by the Ld. CJM is set aside. The appellant/accused is acquitted from all the charges. The bail bond of the accused/appellant shall cease to have effect henceforth.

16. The record of the Lower Court be sent back to the Record Room/Lower Court from where requisitioned. A copy of this judgment be placed on the record of the Lower Court also. Consign the record after making necessary entries in the relevant registers.

Dated: 27.11.2018 **(Adil Aftab Ahmad)**
IInd Addl. Sessions Judge/
Special Judge, Mau.

17. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 27.11.2018 **(Adil Aftab Ahmad)**
IInd Addl. Sessions Judge/
Special Judge, Mau.

<u>In the Court of Additional District Judge/Special Judge, Court No.- I, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Civil Appeal No.- 25 of 2016

Mohd. Murtaza s/o Mohammad Hanif, Residence Mohalla- Purabaz city, Tehsil-Maunath Bhanjan, District- Mau.

…....................Appellant

Versus

Ejaz Ahmad and others …...............Respondents

<u>JUDGMENT</u>

1. This Civil Appeal has been preferred by the appellant/defendant against the judgment and decree dated 03.09.16, passed by Ld. Civil Judge (S.D.)/Fast Track Court, Mau in Civil Suit No. 138/2000, Ejaz Ahmad vs Mohd. Murtaza and others. By the impugned judgment and decree the Ld. Civil Judge has decreed the suit.

2. The facts, in brief, giving rise to this civil appeal is that the plaintiffs instituted a civil suit in respect of a portion of the house shown in the map at the foot of the plaint for perpetual injunction, for recovery of possession after removal of the constructions made by the defendant *pen dente lit* and also for compensation for the loss sustained on the grounds that Sri Mohd. Hanif, a Mohammedan, was the owner of the house who had three sons namely Mohd. Mustafa, Mohd. Murtaza and Neyaz Ahmad. Mohd. Hanif had partitioned his house amongst all of his three sons and let them had possession on their respective shares in his lifetime after making '*hiba*' thereof to each of them. Mohd. Mustafa predeceased his father. Plaintiffs include the sons and widow of late Mohd. Mustafa. Consequent upon the demise of Mohd. Mustafa in the lifetime of his father, the plaintiffs became '*mehjoob*', incapable of inheriting from their grand father directly. Therefore, in conformity with the oral *hiba* he had already made, Mohd. Hanif penned down a memorandum of the same too on 18.05.1972 in presence of witnesses and had handed over the deed to the plaintiffs. Therefore, as per *hiba*, plaintiffs and defendant nos. 1 and 2, each became owner of 1/3 share in the house and accordingly plaintiffs came into possession over the portion shown by the letters A,B,C,D and defendant nos. 1 and 2 respectively came into possession over the portions shown by the letters A,B,O,P,L,D and M,N,O,P in the

map shown at the foot of the plaint. But the defendants now intend to usurp the portion of the plaintiffs. Hence, the suit. Adamant in their intentions the defendants demolished the construction made over the portion A,B,C,D belonging to plaintiffs during pendency of suit and took away the remains of the debris such as log-wood etc. causing loss to the tune of rupees 20000 to the plaintiffs, and further, going ahead they constructed a house too at the portion of plaintiffs. Hence, prayer for additional relief.

3. Defendant no. 1 has contested the suit by filing written statement. He has neither disputed the relationships of the parties nor the fact of death of the father of plaintiffs in the lifetime of his father, Mohd. Hanif, but has denied the claim of plaintiff regarding making any *hiba* either in favour of plaintiff or in favour of their father. He has condemned the *hibanama* dated 18.05.1972 as forged document. He has disclosed that late Mohd. Hanif had one another house situated in mohalla Lachipura. After the demise of Mohd. Mustafa, in view of the hardships being faced by the plaintiffs, Mohd. Hanif let them had the said house situated in mohalla Lachipura for the time being only wherein plaintiffs still have their abode but merely as licensee. After the demise of Mohd. Hanif in the year 1991 the defendants together with their sisters have succeeded to the whole house shown at the foot of the plaint and the sisters having relinquished their shares in the house the defendants together have become the exclusive owner in possession of the whole house. Of late they partitioned the house between them in two halves among themselves, whereby the northern portion came into possession of defendant no. 2 and the southern into possession of defendant no. 1.

4. The learned trial court framed as many as 11 issues which follows:-

(i) Whether plaintiffs are the owner in possession of the house shown by the letters A,B,C,D in the map at the foot of the plaint?

(ii) Whether plaintiffs have right to sue?

(iii) Whether suit is barred by the principle of estoppel ?

(iv) Whether the suit is barred by time?

(v) Whether the suit is under valued and the court fees paid is insufficient ?

(vi) Whether the suit is barred by Section 34 of the Specific Relief Act ?

(vii) Whether plaintiffs are entitled to any relief?

(viii) Whether plaintiffs are entitled to get possession over the disputed property?

(ix) Whether the plaintiffs are entitled to get the constructions raised on the disputed land demolished?

(x) Whether plaintiffs are entitled to any damages?

(xi) Whether the suit is barred by Section 2(14A) and Section 17 of Indian Registration Act?

5. The Ld. Civil Judge giving findings on issue nos. 2, 3, 4, 5, 6 and 11 in the negative and on issue nos. 1, 8, 9 and 10 in the affirmative decreed the suit holding that '*after the demise of their father the plaintiffs had become owner in possession of the portion A,B,C,D by hibanama and due to the reason of being successors of their grand father Mohd. Hanif and that during pendency of suit defendants have ousted plaintiffs from their possession and have themselves made construction thereof*.'

6. The appeal has been preferred on the grounds that the judgement and decree is against fact and law. The trial court has totally ignored the fact that plaintiffs have failed to prove *hiba* and also ignored the fact that the alleged *hiba* never came into effect yet has decreed the suit. The learned lower court has committed gross error in holding the plaintiffs owner of the suit property on account of being successor of Mohd. Hanif is spite of the fact that only the *hiba* was made the basis of suit by the plaintiffs. The learned lower court has ignored the admission of the plaintiffs that they are living in the house situated in mohalla Lachipura since before the alleged *hiba* but the disputed house is situated in another mohalla namely Purabaz while the alleged *hibanama* is related to an house situated in mohalla Aurangabad. The Ld. Court failed to appreciate that the *hibanama* is a forged document and being unregistered inadmissible in evidence and consequently incapable of making any conveyance of property. The Ld. Lower Court has ignored all the evidences adduced by the defendant/appellant. There was no evidence at all as to when plaintiffs were dispossessed and when they incurred the alleged loss for being entitled to any compensation. The lower court failed to appreciate the evidences available on record, failed to understand the alleged *hibanama* properly and passed the decree arbitrarily. Hence, the

judgement and decree be set aside.

7. The respondents/plaintiffs have contested the appeal on the grounds that the impugned judgement and decree is perfectly legal judgement and decree passed quite in accordance with the law and evidence available on record warranting no interference. Therefore, the appeal be dismissed.

8. Heard. Considered. Record perused.

9. The only point for determination in this appeal is that:-

> ***Whether the grand father of the plaintiffs, namely Mohd. Hanif, had made any hiba of the disputed property in favour of plaintiffs ?***

10. It is apparent from the plaint that plaintiffs have averred that Mohd. Hanif had partitioned the house amongst all of his three sons and had made oral *hiba* of the same in their favour handing over possession of their respective shares to each of them too. Later, after the demise of his elder son Mohd. Mustafa, in conformity with the oral *hiba* made by him, Mohd. Hanif penned down a memorandum of the said oral *hiba* on 18.05.1972 and handed over the same to the plaintiffs. Therefore, it appears that there were two separate and distinct transactions, one made before the demise of Mohd. Mustafa and the other made after the demise of Mohd. Mustafa, the former being **Oral *Hiba*** and the later, being writing down of the **memorandum** of the oral *hiba* already made. Needles to say that a Mohammadan can transfer his immovable property by oral *hiba.* Now let us see whether Mohd. Hanif had made any oral *hiba* ?

11. The Plaintiffs have not disclosed any date at all on which the oral *hiba* was made, on which the same was accepted by the donees and on what date the possession of the property was delivered. Making of oral *hiba* is an important transaction every ingredient of which requires to be proved by evidence to make it complete. Mere a general averments would not suffice. Let us see if there is any evidence to this effect on record.

12. Plaintiff no. 1, Ejaz Ahmad, himself has been examined as PW 1. He has deposed that after the demise of Mohd. Mustafa, Mohd. Hanif had written a *hibanama* on 18 May, 1972 as memorandum in favour of the plaintiffs, the sons of Mohd. Mustafa. He has further stated that his grand father had already made a

hiba in favour of his father. But he has again failed to disclose any date on which the alleged oral *hiba* was made, accepted and the property was delivered. Contrary to it he goes on to say in the same vain that "…...after **writing *hiba*** (his grand father) had delivered possession and handed over the *hibanama* to the plaintiffs…..." It apparently means that possession was not delivered to the any person, either to the father of the plaintiffs or to the plaintiffs themselves until penning down of the *hibanama* on 8 May, 1972. This witness was again examined on 08.08.16 and on that date he has deposed that his grand father had made *hiba* in favour of hos brothers and that he had submitted the 'sale-deed' paper no. 47ga1 in the court. It appears that due to ignorance the witness is referring the *hibanama* as sale-deed but it is apparent that this witness says two things, one, his grand father had made oral *hiba* in favour of his father and the other, his grand father had written *hibanama* in favour of plaintiffs. If his grand father had already made *hiba* he remained no longer the owner of the property to make further *hiba* of it in favour of plaintiffs. Further, if the father of plaintiffs had already become the owner of property on account of *hiba* what was the need for Mohd. Hanif to make further *hiba* by the alleged *hibanama* because plaintiffs could inherit directly from their father Mohd. Mustafa. The statement of the witness is contradictory. Therefore, any oral *hiba* by Mohd. Hanif in favour of the father of plaintiffs is not proved from the evidence of this witness who is none other than one of the plaintiffs himself. It hardly needs comment that if there was no *hiba* there cannot be any memorandum thereof.

13. The next witness of the plaintiffs, Shafiqurrahman, examined as PW 2, too has not stated anything about any oral *hiba*. He has only given an account of the alleged *hibanama* dated 18 May, 1972 allegedly made in his presence by Mohd. Hanif in favour of plaintiffs after the demise of Mohd. Mustafa.

14. Plaintiffs witness Khairulbashar has stated that more than 40 years ago Mohd. Hanif had executed a *hibanama* about his house in favour of the sons Mohd. Ejaz etc. of his son Mohd. Mustafa over which Ejaz etc. are in possession. This witness too has stated nothing about any alleged oral *hiba*.

15. Therefore, any oral *hiba* could not be proved by the witnesses Shafiqurrahman and Khairulbashar too. It may be mentioned that after declaration

of intention of *hiba* by the doner acceptance of the same by the donee and delivery of possession thereof by the doner to the donee are essential to complete the transaction of *hiba* but in the case at hand PW 1 has admitted that while disputed house is situated in mohalla Purabaz, he along with his brothers live in mohalla Lacchipura, since 1962. He has further deposed that his father died in the year 1964. It means that plaintiffs are not living in the disputed house at least since 1962 implying thereby that the possession of disputed house was never delivered to the plaintiffs. The witnesses Khairulbashar and Shafiqurrahman too have deposed that the plaintiffs live in mohalla Lacchipura and have their business powerloom etc. in that very mohalla lending credence to the view that the possession of the disputed house was never delivered to them. From this fact too no oral *hiba* by Mohd. Hanif in favour of the father of plaintiffs is proved and if there was not oral *hiba* there is no question of any memorandum being written thereof.

16. Now let us consider the 'memorandum' of the *hiba*, paper no. 47ga1. It reads "……...चूंकि हम मुकिर के तीन सगे लड़के मुसम्मियान मोहमद मुस्तफा व मोहमद मुर्तजा व नेयाज अहमद थे जिसमें से मोहमद मुस्तफा सबसे बड़ा लड़का था अर्सा हुआ इन्तिकाल हो गया है चुंकि हम मुकिर अपने जिन्दगी में अपने बड़े लड़के मोसम्मी मोहमद मुस्तफा मजकूर के हुसने एकलाक व नेक नियती व खिदमतगारी व वफादारी से बेहद खुश था जिससे कतई तौर से तय कर लिया था कि अपनी जिन्दगी में ही मोसम्मी मोहमद मुस्तफा को अपनी महफूज जायदाद किता मकान में से एक सूलुस जानिब दक्खिन जिसमें एक लंबी दालान व एक खमिया जो पूरब पश्चिम लंबी है हस्ब नक्शा नजरी जैल है हम मुकिर खुशी बखुशी व बिला दबाव नाजायज खूब सोच समझकर बिला मुआवजा हिबा दवामी मोसम्मी मोहमद मुस्तफा मजकूर को कर दूंगा। बदकिस्मती से हिबा तहरीर करने के कब्ल मोहमद मुस्तफा मजकूर का इंतकाल हो गया हम मूकिर की दिली तमन्ना पूरी न हो सकी लेहाजा **आज** हम मूकिर खुशी बखुशी व बेजा दबाव नाजायज खूब सोच समझकर मकान मजकूर बाल का एक सूलुस हिस्सा जानिब दक्खिन जिसमें एक किता दालान व एक किता खमिया मजकूर पड़ती है विला मोआवजा मोसम्मियान एजाज अहमद व अशफाक अहमद व अलताफ अहमद व शाहनवाज अहमद व इश्तेयाक अहमद पेसरान मोहमद मुस्तफा मजकूर साकिनान...........को हिबा जबानी कर दिया और कब्जा दखल बएजाजा अपने हिबा दारान मजकूर का कब्जा दखल करा दिया..........'' From this deed, relied upon by the plaintiffs himself the fact of oral *hiba* having been made by Mohd. Hanif to Mohd. Mustafa is belied. Instead, it is apparent that Mohd. Hanif could not make any *hiba* to his son Mohd. Mustafa and he is making *hiba* for the first

time on the date of writing of this deed in favour of the children of Mohd. Mustafa. Therefore, this deed is certainly not memorandum of any previous *hiba* but an instrument from which the rights in immovable property in favour of the plaintiffs has been created. From this deed the claim of plaintiffs over the disputed property on the basis of oral *hiba* is disproved.

17. Now let us see whether plaintiffs are owner of the disputed property on the basis of this *hibanama* ? As the rights in the immovable property has been created in favour of plaintiffs by this deed, the deed requires registration under Section 17 of the India Registration Act. Unless and until this deed is duly registered it is not admissible in evidence. Therefore, devoid of this deed plaintiffs claim over the disputed property fails. The suit deserved dismissal but the Ld. Lower Court had decreed the suit. The ground on which the suit has been decreed by the lower court is that plaintiffs are the owner of the suit property 'by *hibanama* and due to the reason of being successors' of their grand father Mohd. Hanif. The ground for decreeing suit given by the lower court is not only baseless, against any evidence but also utterly confused. Hence, the appeal bears force and deserves to be allowed and the impugned judgement and decree deserves to be set aside.

ORDER

18. The Civil Appeal is allowed. The impugned judgment and decree dated 03.09.16 is set aside. The suit is dismissed. Decree be drawn up accordingly.

Dated: 13.05.2019

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. District Judge/Special Judge,
Court No.-I, Mau.

19. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 13.05.2019

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. District Judge/Special Judge,
Court No.-I, Mau.

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
कोर्ट सं0 1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.
फौजदारी अपील सं0 37 सन् 2019

लल्लू उर्फ अमन कुमार पुत्र संतोष, साकिन- पीपरसाथ, थाना- हलधरपुर, जनपद- मऊ द्वारा संरक्षक संतोष कुमार (पिता) पुत्र स्व0 इन्द्रदेव राम, साकिन- पीपरसाथ, थाना- हलधरपुर, जनपद- मऊ।

................अपीलार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. मीना देवी पत्नी काशीनाथ राम, साकिन- पीपरसाथ, थाना- हलधरपुर, जनपद- मऊ द्वारा संरक्षिका माता।

..................विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. अपीलांट लल्लू उर्फ अमन कुमार बाल अपचारी बजरिये संरक्षक पिता हकीकी संतोष कुमार द्वारा हस्तगत अपील थाना हलधरपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 308/18, अंतर्गत धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामले में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं0 291/2019 के संबंध में पारित आदेश दिनांकित 25.03.19 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है।

2. संक्षेप में अपील की पृष्ठभूमि यह है कि दिनांक 14.12.18 को वादिनी/सूचनाकर्ता मीना देवी द्वारा बाल अपचारी लल्लू के विरूद्ध थाना हलधरपुर, जनपद मऊ में अपराध सं0 308/18, धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि कल दिनांक 13.12.18 को समय करीब 11.00 बजे दिन में उसकी पुत्री आचल उम्र करीब 5 वर्ष जो घर के बाहर खेल रही थी, के साथ उसके गांव का लड़का लल्लू बगल के पलानी में दुष्कर्म कर रहा था। जब वह उसकी लड़की को खोजते हुये पलानी में गयी तो उसने शोर मचाया जिससे लल्लू भाग गया। इस आधार पर थाना हलधरपुर में अपराध पंजीकृत किया जाकर मामले को विवेचना

में लिया गया तथा दौरान विवेचना विवेचक ने वादिनी, साक्षियों एवं स्वयं पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया तथा बाद में पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उसका बयान अंतर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0 भी अंकित कराया गया जिसका उल्लेख भी केस डायरी में किया गया, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करया गया जिसका उल्लेख केस डायरी में किया गया तथा अभियुक्त को भी पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसे किशोर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 08.03.19 को इस प्रकरण में किशोर अपचारी घोषित किया गया। किशोर अपचारी द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र सं0 291/19 पेश किया गया जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि ''अपचारी किशोर के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने, ज्ञात व अज्ञात अपराध में संलिप्त होने तथा न्याय का उद्देश्य विफल होने की प्रबल संभावना है।''

4. अपीलांट द्वारा इस आधार पर अपील प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। वह तथा वादिनी एक ही परिवार के सदस्य हैं। पीड़िता के बाबा तथा उसके बाबा सगे भाई हैं। बटवारे की रंजिश को लेकर वादिनी ने उस पर गलत लांछन लगाया है। मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है तथा पीड़िता के शरीर पर कोई वाह्य अथवा अंदरूनी चोट नहीं पायी गयी। वह कक्षा 7 का छात्र है। उसका तथा उसके माता पिता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। घटनास्थल रास्ते से सटा हुआ पलानी में बताया गया है जहां से काफी लोग आते जाते हैं वहां से पीड़िता का मकान काफी दूर है। वहां पर स्थित मकानो के किसी साक्षी द्वारा घटना को न देखना घटना को झूठा सिद्ध करता है। आवेदन पत्र के समर्थन में अपचारी किशोर के पिता संतोष कुमार द्वारा इसी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि किशोर अपचारी ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष है तथा जो घर के बाहर खेल रही थी, के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया, जिसकी प्रकृति गंभीर है। जमानत

पर छोड़े जाने से उसके पुनः अपराधियों के संगत में पड़ जाने की तथा उसके शारीरिक, मानसिक व नैतिक पतन की संभावना है एवं जमानत पर छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतः आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

6. किशोर अपचारी के संबंध में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि सहपरिवीक्षा अधिकारी से आख्या आहूत की गयी। उनकी आख्या के अनुसार बाल अपचारी की मानसिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति सामान्य है तथा वह शारीरिक रूप से स्वथ्य है। किशोर की आदतें सामान्य हैं तथा किशोर कक्षा 7 का विद्यार्थी है। विधि सहपरिवीक्षा अधिकारी द्वारा यह भी आख्या दी गयी है कि जांच के दौरान संरक्षक एवं स्थानीय लोगों ने यह बताया कि किशोर सामान्य व्यवहार का है। किशोर की सामाजिक स्थिति सामान्य एवं आर्थिक स्थिति निम्न स्तरीय प्रतीत होती है। किशोर का कोई आपराधिक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया। किशोर अपने परिवार के संरक्षण में रहकर पढ़ाई कर रहा है। किशोर से अनजाने में उक्त अपराध हुआ है। किशोर अपराध की गंभीरता को समझ नहीं पाया। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण के कारण किशोर की शिक्षा बाधित हो रही है। वर्तमान में किशोर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मऊ में निरूद्ध है। किशोर को उचित संरक्षण एवं देखरेख की आवश्यकता है। उचित देखरेख एवं संरक्षण के अभाव में किशोर के किसी अपराधिक घटना में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

7. किशोर अपचारी के जमानत पर अवमुक्त किये जाने के आवेदन पत्र पर सुनवाई करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है बल्कि किशोर अपचारी को जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 12 के अंतर्गत जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा, परन्तु यदि यह संभावित हो कि जमानत पर रिहा हो जाने पर वह किसी ज्ञात अपराधी की सहचरिता में आ जायेगा अथवा जमानत पर छोड़े जाने से उसकी नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति होगी अथवा न्याय की मंशा विफल हो जायेगी तो उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जायेगा।

8. इस मामले में कोई ऐसा ज्ञात अपराधी प्रतीत नहीं होता जिसकी सहचरिता में

किशोर अपचारी के आने की संभावना हो। यह भी प्रतीत नहीं होता कि जमानत पर रिहा हो जाने के उपरांत किशोर अपचारी को नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति होगी। जहां तक जमानत पर रिहा होने के परिणामस्वरूप न्याय के उद्देश्य के विफल होने का प्रश्न है, ''न्याय का उद्देश्य'' तो अब तक कहीं भी परिभाषित नहीं है। अतः भिन्न-भिन्न मामलों में न्याय के उद्देश्य समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय को ही निश्चित करना होगा। जब इस मामले की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाता है तो यह प्रकट होता है कि इस मामले में किशोर अपचारी पर एक अवयस्क कन्या जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष है, के साथ बलात्कार करने का अभियोग है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, किशोर अपचारी के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः केवल 'न्याय के उद्देश्य का हनन' निश्चित करने के लिये अपराध की प्रकृति एवं परिणाम को न्यायालय के मानसपटल पर रखकर युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में यदि किशोर अपचारी को जमानत पर रिहा किया जायेगा तो वह निश्चय ही उस बालिका के समक्ष पुनः उपस्थित हो सकेगा जो कि कुछ दिन पूर्व ही उसके कृत्य से शारीरिक एवं मानसिक आघात से आहत हुई थी। विधि की अपेक्षा जहां किशोर का कल्याण है वहीं किशोरियों के सम्मान व मर्यादा की रक्षा करना तथा उनमें निर्भयता एवं सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना भी है। ऐसे तत्व को पीड़िता, पीड़िता के माता-पिता तथा समाज शीघ्र ही पुनः अपने बीच पाकर ठगा से महसूस करेंगे। यदि आज सभ्य समाज में आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत लेना न्याय के उद्देश्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है तो कम से कम समाज के नियमों की उपेक्षा करने वालों को समाज से बाहर रखकर सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना तो आपराधिक विधि का उद्देश्य है ही। चिरस्थापित सामाजिक मूल्यों का हनन होना भी सम्भवतः न्याय के उद्देश्य का हनन ही है। **नंगू उर्फ राम कुमार प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2007(1) जे0आई0सी0 701(इलाहाबाद)** में व्यक्त माननीय उच्च न्यायालय के शब्दों में:-

> *"What we have to see is whether the grant of bail to a person who is alleged to have raped a six year old girl*

will be equitable ? The answer, I think, has to be in the negative. A person who rapes a six year old girl is not entitled to any lenience or latitude on the part of the Court. It would shock the conscience of the community if youngsters who molest and rape little girls are allowed to roam freely, after bail, raising apprehensions about recurrence."

9. किशोर अपचारियों को कारागार में रखना अपेक्षित नहीं है बल्कि उन्हें ऐसे चिल्ड्रेन होम में रहना है जहां राज्य की ओर से उसके शैक्षिक, नैतिक एवं शारीरिक विकास व प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गयी हो। अतः इस मामले में जहां किशोर अपचारी को ऐसे चिल्ड्रेन होम में रखा जायेगा जहां न केवल भविष्य में उसके विचारों में परिवर्तन होगा बल्कि आहत समाज भी कुछ समय के लिये उसे अपने बीच न पाकर निश्चय ही संतोष का अनुभव करेगा। ऐसा करना न केवल किशोर अपचारी बल्कि स्वयं पीड़िता के हित में भी होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

10. अतः निश्चय ही इस प्रकरण में किशोर अपचारी को जमानत पर रिहा किये जाने से न्याय का उद्देश्य विफल होगा। अतः यद्यपि किशोर न्याय बोर्ड के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा अपेक्षित आदेश पारित करने में व्यक्त किया गया यह कारण तथा आधार तथ्यों पर आधारित नहीं है कि जमानत पर रिहा किये जाने से अपचारी किशोर के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने तथा उसके ज्ञात अपराधी की संगत में लिप्त होने की संभावना है परन्तु बोर्ड का यह मत विधिसंगत है कि जमानत पर रिहा किये जाने पर अथवा उसे किसी अभिभावक की सुपुदर्गी में दिये जाने पर न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतएव किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आलोच्य आदेश में कोई तथ्यात्मक अथवा वैधानिक त्रुटि नहीं है जिसके फलस्वरूप उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील आधारों में बल न होने के कारण अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11. अपील निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ तुरन्त अवर न्यायालय वापस भेज दी जाये।

दिनांकः 29.04.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
कोर्ट सं.1, मऊ।

12. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 29.04.2019

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(POCSO Act),
कोर्ट सं.1, मऊ।

Chapter-VI

Judgments of the Revisional Court.

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 1, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद, एच.जे.एस.
सिविल निगरानी सं0 47 सन् 2015

1. बालचन्द पुत्र स्व0 खेलाड़ी
2. अमेरिका पुत्र स्व0 खेलाड़ी
साकिनान- बेला कसैला, परगना- नत्थूपुर, तहसील- मधुबन, जनपद- मऊ।
............................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. हरिहर पुत्र स्व0 रामधरी
2. रामप्यारे (मृतक) जरिये वारिस
2/1. विद्यामती पत्नी स्व0 रामप्यारे
साकिनान- बेला कसैला, परगना- नत्थूपुर, तहसील- मधुबन, जनपद- मऊ।
3. सुदामा (मृतक) जरिये वारिस
3/1. सुमित्रा उर्फ सुमित्री पुत्री स्व0 सुदामा पत्नी लालचन्द
साकिन- चकबारा, परगना- नत्थूपुर, तहसील- मधुबन, जनपद- मऊ।
हाल मुकाम- बेला कसैला, परगना- नत्थूपुर, तहसील- मधुबन, जनपद- मऊ।
........................प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष

4. चन्द्रिका पुत्र स्व0 खेलाड़ी
5. रामफल पुत्र स्व0 खेलाड़ी
साकिनान- बेला कसैला, परगना- नत्थूपुर, तहसील- मधुबन, जनपद- मऊ।
........................प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

निर्णय

1. हस्तगत सिविल निगरानी सिविल जज, जू0डि0, कोर्ट नं0 1, मऊ द्वारा मूल वाद सं0 2320/1999, बालचन्द बनाम हरिहर में पारित आदेश दिनांकित 04.05.2015 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है।

2. संक्षेप में सिविल निगरानी की पृष्ठभूमि यह है कि वादी/निगरानीकर्ता द्वारा 84 कड़ी क्षेत्रफल के भूखण्ड के विषय में जिस पर कच्चा घर, दीवाल, मड़ई, नाद, खूंटा, गोहनौर, पथनौर, बांस आदि सम्पत्ति भी स्थित है, के विषय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद योजित किया गया तथा वाद का मूल्यांकन मात्र 1000/- रूपये किया गया। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी के आपत्ति के दृष्टिगत इस आशय का वाद बिन्दु विरचित किया कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है? वादग्रस्त सम्पत्ति यथा भूमि तथा उस पर स्थित निर्माण आदि के दृष्टिगत विद्वान अवर न्यायालय ने वाद को उचित मूल्यांकित न पाया जाकर यह मत व्यक्त किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य

10,000/– रूपये से कम नहीं होगा तथा वाद बिन्दु को सकारात्मक निर्णीत करते हुये वादी को आदेशित किया कि वह मूल्यांकन प्रस्तर के दुरूस्तीकरण की कार्यवाही करे।

3. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत किया गया है कि अवर न्यायालय न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के उपलब्ध रहते हुये ही मात्र अपने मत के आधार पर वाद का मूल्यांकन 1000/– रूपये से बढ़ाकर 10,000/– रूपये कर दिया अर्थात आलोच्य आदेश ''पूर्वानुमान व सरमाईजेज'' पर आधारित है तथा ''प्रिजुडिस'' ''बेग'', ''मिसकन्सीव्ड'', ''आफ्टर थाट'' तथा विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से परे है।

4. विपक्षीगण द्वारा निगरानी का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि आलोच्य आदेश न्यायालय द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता का उचित प्रयोग करते हुये पारित किया गया है जो विधि संगत है। वादी द्वारा अवर न्यायालय में एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किया गया है। अतः मात्र वाद के निस्तारण में विलम्ब करने के आशय से अनावश्यक रूप से यह निगरानी प्रस्तुत किया गया है।

5. सुना गया। विचार किया गया। वाद पत्र की प्रति जो निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया, का अवलोकन किया गया।

6. वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन विवादित जमीन एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के दृष्टिगत मात्र 1000/– रूपये किया गया है तथा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त जमीन तथा सम्पत्ति का मूल्य मात्र 1000/– रूपये किस प्रकार होगा। अतः प्रथम दृष्टया ही वाद अवमूल्यांकित प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य 10,000/– रूपये स्वयं निश्चित नहीं किया गया है जैसा कि निगरानीकर्ता का तर्क है, बल्कि केवल यह बताया गया है कि उक्त सम्पत्ति का मूल्य 10,000/– रूपये से कम नहीं होगा तथा वादी को एक अवसर दिया है कि मूल्यांकन संबंधी प्रस्तर को दुरूस्त करे अर्थात कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति का बाजारू मूल्य स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुये प्रस्तर को संशोधित करे जो कि वादी द्वारा नहीं किया गया। अतः विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त वाद बिन्दु को निस्तारित करते समय अपनी क्षेत्राधिकारिता का उचित

प्रयोग किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतीत होता है कि एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के पश्चात वादी वाद को लंबित रखना चाहता है जो कि उसकी दुर्भावना का परिचायक है। अतः निगरानी में बल नहीं है। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रस्तुत निगरानी 300/- रूपये हर्जे के साथ निरस्त किया जाता है। निगरानीकर्तागण विद्वान अवर न्यायालय के आदेश का अनुपालन तत्काल करें अन्यथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत रिजेक्ट किया जा सकेगा। यदि अब तक विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत रिजेक्ट नहीं किया गया है तो इस उद्देश्य के लिये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी को केवल और केवल एक अवसर प्रदान किया जाये। उभय पक्ष विद्वान अवर न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित रहेंगे।

8. आदेश की प्रति अवर न्यायालय भी प्रेषित हो। सुसंगत पंजिकाओं में प्रविष्टि के बाद अभिलेख अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 11.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 01,
मऊ।

9. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 11.10.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 01,
मऊ।

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 1, मऊ

उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद, एच.जे.एस.

फौजदारी निगरानी सं0 85 सन् 2015

1. रामचन्दर मौर्य पुत्र त्रिवेणी मौर्य
साकिन- नियामतपुर उर्फ बगली, थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।

.................................निगरानीकर्ता

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य
2. अजय कुमार द्विवेदी पुत्र काशीनाथ तथाकथित प्रबंधक, साकिन- पिजड़ा, थाना- सरायलखंसी, जनपद- मऊ।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा अधिकारी) कार्यालय प्राथमिक शिक्षक भवन भीटी, थाना कोतवाली, जनपद मऊ।
5. तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, जनपद मऊ।
6. वर्तमान शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक पुलिस लाईन, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।
7. प्रधानाध्यापक नागेन्द्र सिंह पुत्र जयराम सिंह, श्री गांधी महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।
8. तत्कालीन नगर शिक्षा अधीक्षक, जनपद मऊ।

...................................विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. हस्तगत निगरानी निगरानीकर्ता रामचन्दर मौर्य द्वारा मुकदमा नं0 26/10 त्रिवेणी बनाम अजय आदि में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश के द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ ने निगरानीकर्ता के पिता श्री त्रिवेणी मौर्य द्वारा अजय कुमार द्विवेदी, बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ, वित्त एवं लेखाधिकारी मऊ, तत्कालीन एवं वर्तमान शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा मऊ, प्रधानाध्यापक श्री गांधी महाविद्यालय मऊ तथा तत्कालीन नगर शिक्षा अधीक्षक मऊ के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को गुणदोष पर विचार करते हुए धारा 203 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत निरस्त कर दिया।

2. संक्षेप में पुनरीक्षण की पृष्ठभूमि यह है कि परिवादी त्रिवेणी मौर्य द्वारा उपरोक्त उल्लिखित विपक्षीगण के विरूद्ध आपराधिक मामले की विवेचना कराये जाने के आशय

से धारा 156(3) के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के समक्ष इस आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि श्री गांधी महाविद्यालय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत (पंजीकरण सं0 172/1952-53) शिक्षण संस्था है जो संस्था के अंतिम प्रबंधक श्री परमानन्द द्विवेदी की मृत्यु दिनांक 10.10.85 के पश्चात विघटित हो गयी। परिवादी तथा विपक्षी सं0 1 अजय कुमार द्विवेदी उक्त संस्था के साधारण सभा के सदस्य थे। उक्त संस्था के प्रबंधीकरण का चुनाव दिनांक 09.05.99 को सम्पन्न हुआ तथा तत्पश्चात दिनांक 15.12.2000 को संस्था का नवीनीकरण हुआ अर्थात दिनांक 09.05.99 तथा 15.12.2000 के मध्य संस्था का नवीनीकरण नहीं हुआ था। इसी अवधि में विपक्षी सं0 1 अजय कुमार द्विवेदी, साधारण सभा के सदस्य, ने नगेन्द्र सिंह को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया तथा उनके वेतनमान का निर्धारण भी तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, तत्कालीन तथा वर्तमान शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मऊ ने भी साजिश करके व मिल मिलाकरके फर्जी तरीके से कर दिया था। उक्त अजय कुमार द्विवेदी ने स्वयं को संस्था का प्रबंधक प्रकट करते हुए दिनांक 11.05.99 को तत्कालीन नगर शिक्षा अधीक्षक मऊ के द्वारा व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के आशय से एवं विद्यालय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आशय से अपना हस्ताक्षर सत्यापित करा लिया। श्री अजय कुमार द्विवेदी एवं तत्कालीन बेसिक शिखा अधिकारी ने आपस में षडयंत्र कर मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष प्रबंधीकरण के प्राधिकारियों व सदस्यों की सूची दिनांक 05.10.01 को इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत कर दिया कि संस्था का नवीनीकरण दिनांक 05.11.99 को हुआ है जबकि वास्तव में संस्था का नवीनीकरण दिनांक 15.12.2000 को हुआ। संस्था को तत्कालीन विधायक ने विधायक निधि से भवन निर्माण हेतु दो लाख रूपये भी दिया था। उक्त राशि का आहरण भी विपक्षीगण ने आपसी सहयोग एवं साजिश से कर लिया जबकि उक्त राशि का आहरण प्रबंधक/कर्मचारी करने के लिए सक्षम नहीं थे, जब तक कि उनका हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया जाता। विपक्षी के सहयोग एवं साजिश से अभियुक्त नगेन्द्र सिंह के वेतन पर भुगतान भी किया जा रहा था जिनकी नियुक्ति अवैधानिक है।

3. इस आवेदन पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुआ तथा उसकी विवेचना किया गया। विवेचना उपरान्त विवेचक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध यथा दोषारोपण कोई अपराध कारित किया जाना न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया, जिसके विरूद्ध परिवादी ने प्रोटेस्ट पेटीशन प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विवेचक को पुनः मामले की विवेचना करने के लिए आदेशित किया गया। विवेचक ने आदेशानुसार पुनः विवेचना करते हुए पुनः मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दिया जिसके विरूद्ध परिवादी ने पुनः प्रोटेस्ट पेटीशन प्रस्तुत किया। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रोटेस्ट पेटीशन पर सुनवाई करते हुए मामले पर बतौर परिवाद संज्ञान लिया तथा दौरान जांच परिवादी एवं उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी का साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 एवं 202 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय साक्ष्यों पर विचार करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किए जाने का पर्याप्त आधार न पाते हुए परिवाद को धारा 203 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत निरस्त कर दिया। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि नागेन्द्र सिंह की नियुक्ति के दिनांक 06.07.2000 को विद्यालय का प्रबंधीकरण आस्तित्व में नहीं था तथा तत्संबंधी साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध था, परन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर विचार और विश्वास नहीं किया तथा परिवाद को निरस्त कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण की रिपोर्ट के आधार पर परिवाद निरस्त किया है जबकि परिवादी के प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना सिद्ध हो रहा था और न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्वीकार भी किया है कि परिवादी के साक्षीगण ने अपने बयान में अभियोग कथानक का समर्थन किया है। परिवाद मामले में न्यायालय को केवल यह विचार करना होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है अथवा नहीं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है जो कि विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा अभियुक्तगण विचारणार्थ आहूत किये जाने योग्य हैं। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

ने अपने तर्क के समर्थन में शाश्वत विक्रम गुप्ता एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य {2014 (2) जे.आई.सी. 63 (इला.)} तथा मनसुख लाल एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य {2016 (2) जे.आई.सी. 99 (इला.)} की विधि व्यवस्थाओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि परिवाद मामले में summoning order पारित करते समय न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया केस देखना आपेक्षित है न कि साक्ष्यों की गहन समीक्षा करना तथा इस मामले में परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि विपक्षीगण ने अपराध किया है।

4. विपक्षीगण ने उपस्थित होकर निगरानी का विरोध इस आधार पर किया है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं था। अतः विद्वान मजिस्ट्रेट ने समस्त साक्ष्यों की उपयुक्त समीक्षा करने के पश्चात परिवाद को गुणदोष पर निस्तारित करते हुए निरस्त किया है। निगरानीकर्ता के इस तर्क में बल नहीं है कि तथाकथित नियुक्ति दिनांक 06.07.2000 को संस्था के नवीनीकरण न होने के कारण प्रबंधीकरण आस्तित्व में नहीं था। वास्तव में संस्था का नवीनीकरण हो चुका है तथा वह नियमित रूप से 5-5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा रहा है। अतः निगरानी में बल न होने के कारण निगरानी निरस्त कर दिया जाये।

5. अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश पर विचार किया गया तथा उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया।

6. आलोच्य आदेश से स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद के अभिकथनों पर विचार किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों की समीक्षा किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 58739/2007 में पारित निर्णय के आलोक में तत्कालीन जिलाधिकारी मऊ श्री पी0 गुरू प्रसाद द्वारा योजित करायी गयी जांच पर विचार किया है तथा उक्त जांच की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर यह पाया है कि अजय कुमार द्विवेदी विद्यालय के विधिमान्य प्रबंधक हैं। नागेन्द्र सिंह नियमानुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियुक्त हैं। उनके वेतन का

नियमानुसार निर्धारण किया गया है, संस्था का प्रबंधक द्वारा समय-समय पर उपनिबंधक सोसाइटी एवं चिट्स आजमगढ़ के द्वारा नवीनीकरण कराया गया है। प्रधानाध्यापक के पद पर नागेन्द्र सिंह की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है। प्रबंधक तथा प्रधानाध्यापक दोनों की ही नियुक्तियां विधिमान्य हैं। इस प्रकार समस्त मामले की सम्यक तथा गहन जांच तत्कालीन जिलाधिकारी मऊ द्वारा पूर्व में ही सम्पन्न की जा चुकी है तथा जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है। उसी जांच आख्या पर विचार करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने आलोच्य आदेश पारित किया है। यद्यपि परिवाद में परिवादी ने विधायक निधि से प्राप्त दो लाख रूपये की राशि को भी विधि विरूद्ध तरीके से प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा आहरित किये जाने का आरोप लगाया है, परन्तु इस आरोप पर परिवादी के साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 में कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त आरोप के विषय में अपने आदेश में उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि उक्त के संबंध में भी तत्कालीन जिलाधिकारी मऊ द्वारा जांच की गयी है, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि विधायक निधि से दो कक्षों के निर्माण हेतु दो लाख रूपये वर्ष 1999-2000 में अवमुक्त कराया गया था तथा उक्त निधि की धनराशि का उपभोग लगभग किया जा चुका है। दूसरे शब्दों में सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी मऊ द्वारा विधायक निधि से अवमुक्त धनराशि के आहरण अथवा उपयोग में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। अतएव विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले से संबंधित समस्त साक्ष्यों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त ही आलोच्य आदेश पारित किया है। यह तथ्य निर्विवाद है कि संस्था का नवीनीकरण किया जा चुका है तथा वह आज भी प्रभावी है। अतः नवीनीकरण हो जाने की दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि संस्था किसी भी अवस्था अथवा काल में निष्प्रभावी थी तथा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य निष्पादित करने के लिये उसके पदाधिकारी अक्षम थे। निगरानीकर्ता के इस तर्क में कदापि बल नहीं है कि परिवादी तथा उसके साक्षी ने अपने मौखिक साक्ष्य में परिवाद का समर्थन किया है। अतः उनके साक्ष्यों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध विचाराणार्थ आहूत किए जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या केस बनता है क्योंकि यदि अन्य साक्ष्यों के आलोक में अथवा न्यायालय के विवेक तथा न्यायिक

मस्तिष्क के प्रयोग पर परिवादी तथा उसके साक्षियों के मौखिक साक्ष्य अविश्वसनीय तथा दुर्भावनापूर्ण पाये जाते हैं तो संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी के साक्ष्यों पर अविश्वास किया जा सकता है। न्यायालय से कदापि यह अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि वह परिवादी अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के साक्ष्य के आधार पर यंत्रवत आदेश पारित करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने M/s Pepsi Food Ltd. & Anr. v. Special Judicial Magistrate & Ors., (1998 UPCrR 118) में अत्यन्त सुन्दर शब्दों में Summoning order के लिए निम्नलिखित विधि व्यवस्था दिया हैः-

"Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course. It is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the Magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence both oral and documentary in support thereof and would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused. It is not that the Magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning the accused. Magistrate had to carefully scrutinize the evidence brought on record and may even himself put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of the allegations or otherwise and then examine if any offence is *prima facie* committed by all or any of the accused."

7. इस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आलोच्य आदेश, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा वैधानिक त्रुटि नहीं है जिससे उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। अतः पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली इस

निर्णय की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय में वापस प्रेषित किया जाये।

दिनांकः 30.06.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 01,
मऊ।

9. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 30.06.2017

(आदिल आफताब अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 01,
मऊ।

<u>In the Court of Additional Sessions Judge/Fast Track Court No.I,Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Criminal Revision No.- 103 of 2016

1. Jagvanta Rai w/o Anil Rai
2. Anil Rai s/o Late Markandey Rai, Residences- Kuranga, P.S.- Doharighat, District- Mau.

…....................Revisionists

Versus

1. State of Uttar Pradesh
2. Rambadan Rai s/o Jharkandey Rai, Residence- Kuranga, P.S.- Doharighat, District- Mau.

…...............Opposite parties

<u>JUDGMENT</u>

1. This Criminal Revision has been preferred against the Order dated 19.07.13 passed by Ld. S.D.M. Ghosi in case no. 30, instituted under Section 145 Cr.P.C., Jagvanta Rai vs Rambadan Rai.

2. By the impugned order the Ld. S.D.M. has attached plots belonging to khata no. 732, 583, 577, 532, 530, 529, 526 etc. situated in village Kuranga, Pargana Ghosi, Mau.

3. From perusal of record it transpires that the SHO P.S. Ghosi reported to the SDM that there was a dispute between the villagers namely Jagvanta Rai and Rambadan Rai relating to the property of one late Phoolmati Kunwar. A litigation between them too, was pending. Due to this tension between them, any of them might commit any serious offense and that there was likelihood of breach of peace.

4. Acting upon this report the Ld. S.D.M. issued notices to the parties inviting there respective versions about the property. Thereupon both of them submitted their respective written statements.

5. Rambadan stated that after the demise of Phoolmati he had become owner of her property and was in possession thereof since more than two months prior to the notice. The mutation proceeding was under consideration before the Revenue Court. The opposite party intended to take possession of the property but there was no apprehension of breach of peace, he being in settled and uninterrupted possession of the property.

6. The another party Jagvanta, in her written statement stated that it was she who was in possession of the disputed property regarding which C.J. (S.D.) has ordered the parties to maintain status quo. In spite of the stay order the opposite party had forcibly harvested the wheat sown on the disputed land by her with the connivance of the police and that there was no apprehension of breach of peace. Therefore, the proceeding under 145 Cr.P.C. be dropped. She has also submitted a copy of an order of the C.J.

(J.D.), Mohamdabad Gohna Mau dated 12.10.11 passed in Civil Suit no. 690/11 Jagvanta Vs Rambadan wherein Ld. Civil Judge has directed both the parties to maintain status quo in respect of the disputed property.

7. After considering the versions of both the parties the Ld. SDM observed that as dispute between the parties continues the situation is emergent, therefore, for the purpose of maintaining law and order the disputed property should be attached and attached the property by the impugned order.

8. The revision has been preferred on the grounds that civil suit no. 690/11 Jagvanta v. Rambadan regarding the property between the same parties is already pending before the civil court wherein order to maintain status quo has already been passed on 12.10.11 and that the name of the revisionist Jagvanta has been since mutated on the basis of registered will in her favour in the revenue records yet the SDM has attached the property. Therefore, the impugned order is against law.

9. It appears that Jagvanta has already instituted a civil suit in the year 2011 against Rambadan regarding disputed property and an order for preservation of property too has been passed by the Civil Court on 12.10.11. The fact of pending civil suit was brought to the notice of SDM not only by the SHO in his very first report as aforesaid but also by Jagvanta in her written statement. She also brought the fact into the notice of SDM that the civil court had directed the parties to maintain status quo on spot. In spite of this knowledge the Ld. SDM has attached the property.

10. In Ranjit Singh v. Moti Lal Katiyar {1988 (25) ACC 26 (Alld.)}, Hon'ble Allahabad High Court has observed that the civil suit where the question of possession was involved, was pending in the Civil Court on the date when the order under sections 145(1) and 146(1) Cr.P.C. were passed and an injunction order was in operation, the proceedings under Section 145 cannot be allowed to continue as it would be nothing but abuse of the process of the Court.

11. In Nehar Singh v. State of Punjab {1987 (3) Crimes 483 (P&H)}, the Hon'ble High Court has laid down that if the Civil Court passed an order of ad interim injunction in favour of a party, such an order cannot be interfered with in proceedings under section 145, Cr.P.C.

12. In Sardari Lal v. State of Punjab {1980 Cr.L.J. 1151 (P&H)}, it has been held that when an interim order or injunction has been passed by a Civil Court, section 145, Cr.P.C. is not attracted and if at all there is likelihood of breach of peace, concerned person shall be proceeded under section 107, Cr.P.C. It has further been held in Sukhdeo Singh v. S.D.M., Sirsa, Jora Singh v. State of Punjab, Prakash Chand Sachdeva v. State, and Dharampal v. Ramshri, that where civil suit relating to disputed land is pending in Civil Court and the complainant has obtained interim injunction in his favour, the institution of proceedings under section 145, Cr.P.C. without notice to parties is arbitrary and abuse of the process of the Court. The proceedings under section 145, Cr.P.C. were quashed.

13. The Hon'ble High Court in Madan Pal Singh v. State of U.P. {1995 Cr.L.J. 2353 (Alld)}, has held that where in a pending civil suit, the Civil Court had passed injunction directing the parties not to interfere with each other's possession, dropping of section 145 Cr.P.C. proceeding by the Magistrate was proper.

14. In Sukhbir Singh v. State of Punjab {2008 Cr.L.J. (NOC) 714 (P&H)}, it was laid down that where the civil suit with regard to the same property is pending and the Civil Court has passed status quo order, initiation of proceedings under section 145, Cr.P.C. would not be justified and proceedings would be quashed.

15. In Amresh Tiwari v. Lalta Prasad Dubey and another {(2000) 4 SCC 440 = 2000 (40) ACC 1016 (SC)}, the Hon'ble Supreme Court has observed that ".........we clarify that we are not stating that in every case where a civil suit is filed, section 145 proceedings would never lie. It is only in cases where civil suit is for possession or for declaration of title in respect of the same property and where reliefs regarding protection of the property concerned can be applied for and granted by the Civil Court that proceedings under section 145 should not be allowed to continue. This is because the Civil Court is competent to decide the question of title as well as possession between the parties and the orders of the Civil Court would be binding on the Magistrate.

16. In S. Prabhjeet Singh Johr v. Harjeet Singh {2002 (4) Crimes 25 (26) (SC)}, the Hon'ble Supreme Court laid down that where a civil suit is pending and injunction order therein for status quo has been passed, proceedings under section 145 Cr.P.C. are not maintainable.

17. In the case at hand not only that a civil suit is pending between the rival parties but also that the Civil Court, conscious enough regarding the consequence of dispute if the disputed property is left without any order, directed the parties to maintain status quo, the order of the attachment passed by the Ld. SDM is in total disregard to the order of the Civil Court. Therefore, in view of the settled position of law, the order of the Ld. SDM suffers from gross impropriety which cannot sustain in law. If the SDM really apprehends breach of peace he can well maintain the same by resorting to the proceeding under Section 107/16 Cr.P.C. Accordingly, the revision bears force and deserves to be allowed.

Order

18. The revision is allowed. The impugned order dated 19.07.2013 is set aside. The record of the Court of S.D.M. be sent back forthwith along with a copy of this order for further suitable consequential order in the proceeding pending before him.

Dated: 31.03.2018

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. Sessions Judge/
Fast Track Court no.I, Mau.

19. Judgment signed, dated and pronounced today in open Court.

Dated: 31.03.2018

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. Sessions Judge/
Fast Track Court no.I, Mau.

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, मऊ।
उपस्थितः श्री आदिल आफताब अहमद,
एच.जे.एस.

सिविल निगरानी सं0 38 सन् 2017

1. अंजनी कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र, निवासी मुहल्ला- मोहसिनपुरा (मुंशीपुरा), कस्बा, परगना व तहसील- मऊनाथ भंजन, जनपद- मऊ।

..................निगरानीकर्ता

बनाम

1. राधा बल्लभ दास पुत्र स्व0 चतुर्भुज दास, निवासी मुहल्ला- छेदापुरा, शहर- मऊनाथ भंजन, जनपद- मऊ। हाल मुकाम मुहल्ला- सहादतपुरा, कस्बा, परगना व तहसील- मऊनाथ भंजन, जनपद- मऊ।

................विपक्षी प्रथम पक्ष

2. गोविन्द बल्लभ दास पुत्र स्व0 चतुर्भुज दास, निवासी मुहल्ला- सहादतपुरा (गर्ग स्टेशनरी), कस्बा, परगना व तहसील- मऊनाथ भंजन, जनपद- मऊ।
3. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी रामनरायन दास अग्रवाल, निवासी मुहल्ला हरिशंकर, जनपद- गाजीपुर।
4. श्रीमती बीना रानी अग्रवाल पत्नी नरसिंह दास अग्रवाल, निवासी मुहल्ला- अग्रवाल टोला, कस्बा- रसड़ा, जनपद- बलिया।
5. श्रीमती विन्द्रा अग्रवाल पत्नी स्व0 गोपाल दास अग्रवाल, निवासी मुहल्ला- हयातगंज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर।
6. श्रीमती सरिता रानी जैन पत्नी सतीश कुमार जैन, निवासी- अग्रवाल भवन के पीछे आर्यनगर, गोरखपुर।

................विपक्षीगण द्वितीय पक्ष

<u>निर्णय</u>

1. हस्तगत सिविल निगरानी लघु वाद न्यायाधीश/सिविल जज (जू.डि.), मऊ द्वारा लघु वाद सं0 04/01 राधाबल्लभ दास बनाम अंजनी कुमार आदि में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 08.03.17 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है।

2. संक्षेप में निगरानी की पृष्ठभूमि यह है कि वादीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध हर्जा इस्तेमाल मय गृहकर एवं दुकान से बेदखली हेतु वाद इस आधार पर योजित किया गया है कि वाद पत्र के अंत में वर्णित दुकान के स्वामी स्व0 चतुर्भुज दास थे जिनके वादी सं0 1 एवं प्रतिवादी सं0 2 पुत्र, वादी सं0 2 पत्नी तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 पुत्रियां हैं। पुत्रियों के विवाह उपरांत विवादित दुकान से उनका कोई संबंध नहीं रह गया, अतः वादीगण चतुर्भुज दास की मृत्यु उपरांत बतौर वारिस दुकान के भवन स्वामी हैं जिसमें प्रतिवादी सं0 1, 10.11.86 से 150 रूपये प्रतिमाह की

दर से किरायेदार है। किरायेदारी माह दर माह है जो प्रत्येक अंग्रेजी माह की पहली तिथि से प्रारंभ होकर अंतिम तिथि पर समाप्त होती है। किराया प्रति तीन वर्ष के पश्चात 10 प्रतिशत की दर से बढ़ता है। कालांतर में प्रतिवादी द्वारा वादी को किराये का नगद भुगतान किया जाना बंद कर दिया गया तथा न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) के समक्ष मुकदमा नं0 61/95 वास्ते जमा किये जाने किराया योजित कर दिया गया परन्तु उसमें भी किराया जमा नहीं किया जा रहा है। अतएव 01 अगस्त 1998 से 30 अप्रैल 2001 तक का उस पर किराया राशि 15560/- रूपये बाकी हो चुका है जिसका भुगतान बावजूद मांग उसने नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने दुकान के पिछले भाग में स्थापित दरवाजे की चौखट काट दिया, एक पल्ला व एक चौखट गायब कर दिया तथा अन्य तोड़फोड़ किया है। उक्त दुकान का गृहकर भी अदा नहीं कर रहा है तथा उसने दुकान को शिकमी किराये पर उठा दिया है जिसमें शिकमी किरायेदार मिठाई की दुकान करता है। प्रतिवादी सं0 1 स्वयं अपने मकान में ब्यूटी कलेक्शन के नाम से अलग दुकान करता है। इसके विपरीत वादी सं0 1 का 20 वर्षीय शिक्षित पुत्र दुकान के अभाव में बेरोजगार है। अतः उक्त कारणों से वादी ने रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 31.05.01 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 की किरायेदारी दिनांक 30.06.01 से समाप्त कर दिया परन्तु इसके बावजूद न तो प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बकाया किराया अदा किया गया और न ही दुकान रिक्त करके उसका कब्जा वादी को दिया गया। अतएव उसके विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होने पर यह वाद वास्ते बकाया किराया तथा बेदखली योजित किया गया है।

3. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा इस आधार पर प्रतिवाद किया गया है कि वादी को वाद योजित करने का वाद कारण प्राप्त नहीं है, वादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण (औपचारिक प्रतिवादीगण) के मध्य दुरभि संधि है जिससे वह शेष प्रतिवादीगण के अभिकथनों से बाध्य नहीं है, विवादित दुकान के वादीगण तनहा मकानदार नहीं हैं बल्कि चतुर्भुज दास के मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी कर्ता खानदान व मालिक दुकान हैं, वादी सं0 1 को वाद योजित करने का अधिकार नहीं है, प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित दुकान दिनांक 10.11.86 से उसके वर्तमान स्वरूप में ही 150 रूपये प्रतिमाह की दर से किराये पर लिया था तथा 900 रूपया प्रतिवादी सं0 2, दूसरे पुत्र स्व0 चतुर्भुज दास,

के यहां बतौर जमानत जमा किया है जिसे प्रतिवादी सं0 1 वादी से प्राप्त करने का पात्र है, प्रतिवादी कभी किराया अदायगी का नादेहन्द नहीं रहा तथा किरायेदारी तय होते समय लिखित **किरायानामा** बतौर याददाश्त के पालन में नियमित रूप से किराया देता चला आ रहा है। किराये पर लेने के पश्चात दुकान में पर्याप्त पूंजी लगाकर जनरल स्टोर की दुकान प्रारंभ किया है जिसकी अपनी गुडविल स्थापित हो चुकी है तथा दुकान प्रतिवादी के परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। प्रतिवादी ने दुकान में न तो तोड़फोड़ किया है और न कोई परिवर्तन किया है और न ही चौखट, पल्ला हटाया है। वर्ष 1991-92 में वादी के आग्रह पर प्रतिवादी सं0 1 ने 10 प्रतिशत मासिक की दर से किराया बढ़ा भी दिया था जो अब 173.25 रूपये प्रतिमाह हो गया है जिसकी रसीद भी वादीगण ने प्रतिवादी को दिया है। प्रति तीन वर्ष पर 10 प्रतिशत की दर से किराया बढ़ने के एग्रीमेंट का वाद पत्र का अभिकथन असत्य है। वर्ष 1995 में वादी के प्रस्ताव अनुसार 900 रूपये प्रतिमाह किराया बढ़ाने का प्रस्ताव प्रतिवादी द्वारा स्वीकार न करने पर तथा वादी द्वारा पूर्व दर से किराया लेने से इंकार करने पर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में किराया जमा किया जा रहा है। वादी द्वारा रेंट कन्ट्रोल एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत योजित कार्यवाही गुणदोष के आधार पर दिनांक 21.02.2000 को निरस्त हो चुकी है। वादी का लड़का बेरोजगार नहीं है न उसके व्यवसाय हेतु वादी को दुकान की आवश्यकता है। प्रतिवादी की किरायेदारी अभी समाप्त नहीं हुई है न ही वादी को किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार है। वादी मात्र नाजायज दबाव डलवाकर किराये की दर 900 रूपये बढ़ाना चाहता है तथा जबरदस्ती दुकान से बेदखल करने तथा तोड़फोड़ करने की धमकी दे रहा है। अस्तु प्रतिवादी सं0 1, वादीगण के विरूद्ध काउंटर क्लेम वास्ते निषेधाज्ञा विरूद्ध वादीगण व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष भी प्रस्तुत कर रहा है जिसे आज्ञप्त किया जाये तथा दावा वादी निरस्त किया जाये। प्रतिवादी ने शिकमी किरायेदार को पक्ष नहीं बनाया है, अतः वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। फलतः वादी किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

4. वादी द्वारा काउंटर क्लेम का प्रतिवाद करते हुये तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी के दावों के अन्यथा किये गये कथनों से इंकार करते हुये काउंटर क्लेम को

निरस्त किये जाने तथा वाद को आज्ञप्त किये जाने की प्रार्थना किया है।

5. उभय पक्षों के अभिकथनों के दृष्टिगत विचारण न्यायालय ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुये निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित कियाः–

(i) क्या वादीगण को दावा दाखिल करने का अधिकार हासिल है?

(ii) क्या प्रतिवादी पर किराया या हर्जा की कोई रकम बाकी है, यदि हां तो प्रभाव?

(iii) क्या किरायेदार, मकान मालिक की अनुमति प्राप्त किये बिना वादस्थ दुकान में ऐसी तोड़-फोड़ या सारवान संरचनात्मक परिवर्तन किया गया है, जिससे कि दुकान की उपयोगिता या मूल्यांकन में सारवान ह्वास या कमी हुई है?

(iv) क्या प्रतिवादी किरायेदार द्वारा मकानदार की अनुमति के बिना कोई शिकमी किरायेदार रखा गया है, यदि हां तो प्रभाव?

(v) क्या दावा में आवश्यक पक्षकार मुकदमा न बनाये जाने का दोष है?

(vi) अन्य अनुतोष?

6. विचारण न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं0 1, 2 एवं 4 पर सकारात्मक तथा वाद बिन्दु सं0 3 एवं 5 पर नकारात्मक निष्कर्ष निकालते हुये वाद आज्ञप्त कर दिया है।

7. आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/प्रतिवादी ने इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत किया है कि वादी सं0 1 को तनहा वाद योजित करने का अधिकार नहीं था। विद्वान अवर न्यायालय ने सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 व रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत आवश्यक नोटिस की वैधता अथवा तामील का विनिश्चयन नहीं किया है, वादी द्वारा केवल बेदखली एवं बेदखली की तिथि तक की क्षतिपूर्ति के ही अनुतोष हेतु वाद योजित किया था तथा वाद योजित करने के पूर्व के किराये अथवा गृहकर एवं जलकर एवं ब्याज के अनुतोष की प्रार्थना नहीं किया था, परन्तु इसके बावजूद अवर न्यायालय ने गृहकर, जलकर एवं ब्याज हेतु भी वाद आज्ञप्त कर दिया है। वाद अधिनियम की धारा 20(2)(a) के प्राविधानों से एवं आदेश 15 नियम 5 सी0पी0सी0 के प्राविधानों से परे जाकर आज्ञप्त किया है। साक्ष्यों की सही समीक्षा नहीं किया है। अधिनियम सं0 13 सन् 1972 की धारा 20 के अंतर्गत वांछित वाद बिन्दु विरचित नहीं किया है। वाद तथ्यों एवं सुस्थापित वैधानिक सिद्धान्तों

के विरूद्ध तथा वादी द्वारा स्वीट सागर के नाम से वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गयी सूचना साक्ष्य में अग्राह्य दस्तावेजी साक्ष्य है, को ग्राह्य करके आज्ञप्त किया है।

8. प्रतिपक्षी द्वारा उपस्थित होकर निगरानी का विरोध इस आधार पर किया है कि निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय में विवादित दुकान को चतुर्भुज दास की दुकान होना तथा 10.11.86 से ही स्वयं को दुकान में उनका किरायेदार मानना वादीगण तथा औपचारिक प्रतिवादीगण को चतुर्भुज दास की संतान/पत्नी स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा उसे धारा 106 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की नोटिस की तामील से स्पष्ट इंकार नहीं किया गया है। शेष बकाया किराया को वादी को नगद न अदा करना तथा किराया जमा करने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आदि जैसे महत्वपूर्ण तथ्य अपने प्रतिवाद पत्र में ही स्वीकार कर लिया है तथा शिकमी किरायेदारी के अभिकथन को इंकार नहीं किया है बल्कि उसके संबंध में केवल यह प्रतिवाद किया है कि शिकमी किरायेदार को पक्षकार न बनाये जाने से वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है तथा न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्यों की उचित समीक्षा करने के पश्चात साक्ष्यों, तथ्यों एवं विधि के अनुकूल आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. आधार निगरानी में व्यक्त आधारों के दृष्टिगत इस निगरानी न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

> ***क्या विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विधि एवं साक्ष्यों के अनुकूल निष्कर्ष निकालकर निहित क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग किया है अथवा नहीं? (i) क्या वादीगण के प्रश्नगत दुकान के हर्जा इस्तेमाल एवं बेदखली का वाद योजित करने के लिये स्वयं सक्षम हैं? (ii) क्या वादी द्वारा प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त करने के लिये नोटिस अंतर्गत धारा 106 टी0पी0ए0 एवं अधिनियम सं0 13 सन् 1972 व धारा 20(2) के अंतर्गत प्रेषित किया गया है जो उस पर तामील हुआ है? (iii) क्या प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किराया अदायगी में***

चूक किया गया है तथा क्या प्रतिवादी द्वारा सुनवाई की प्रथम तिथि पर सम्पूर्ण स्वीकृत बकाया किराया न्यायालय में जमा नहीं किया गया है तथा तत्पश्चात नियमित रूप से महीना दर महीना किराया न दिया जाकर आदेश 15 नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया? प्रभाव? (iv) क्या अवर न्यायालय को अधिनियम सं0 13 सन् 1972 की धारा 20(4) के अंतर्गत विचारणीय बिन्दु सृजित करने की आवश्यकता थी? (v) क्या प्रतिवादी द्वारा शिकमी किरायेदार रखा गया है? (vi) क्या शिकमी किरायेदार को पक्ष न बनाये जाने के कारण वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है? (vii) क्या दौरान वाद संशोधन द्वारा शिकमी किरायेदारी के आधार पर याचित बेदखली का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है? (viii) क्या विचारण न्यायालय ने याचित अनुतोषों से परे जाकर अनुतोष हेतु वाद आज्ञप्त किया है?

10. जहां तक वादीगण द्वारा किराया बेदखली हेतु वाद योजित करने के सक्षम होने का प्रश्न है तो प्रतिवादी को यह स्वीकार है कि विवादित दुकान के स्वामी चतुर्भुज दास थे तथा उसे यह भी स्वीकार है कि वादी सं0 1 तथा प्रतिवादी सं0 2 चतुर्भुज दास के पुत्र, वादी सं0 2 पत्नी तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 पुत्रियां हैं अतः निश्चय ही वे सभी चतुर्भुज दास के उत्तराधिकारी हैं। अतएव चतुर्भुज दास के समस्त उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से अथवा उनमें से उनका कोई भी उत्तराधिकारी किरायेदार के विरूद्ध बकाया किराया एवं बेदखली का वाद योजित करने के लिये भली भांति सक्षम है, जब तक कि उनमें आपस में कोई विवाद न हो। इस वाद में चतुर्भुज दास के उत्तराधिकारियों में आपस में कोई विवाद नहीं है और न ही उनमें से किसी एक ने वादीगण के दावे को चुनौती दिया है। अतएव विद्वान अवर न्यायालय का इस आशय का निष्कर्ष सर्वथा विधि एवं साक्ष्यों के अनुकूल है कि वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध बकाया किराया एवं बेदखली का वाद योजित करने के लिये सक्षम है।

11. द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादी द्वारा प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त करने के लिये नोटिस अंतर्गत धारा 106 टी0पी0ए0 एवं अधिनियम सं0 13 सन् 1972 व धारा 20(2) के अंतर्गत प्रेषित किया गया है जो उस पर तामील हुआ है?

12. निगरानीकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय ने यह वाद बिन्दु विरचित नहीं किया है कि क्या वादी, प्रतिवादी को नोटिस अंतर्गत धारा 106 टी0पी0ए0 तथा अंतर्गत धारा 20(2) अधिनियम सं0 13 सन् 1972 किराया नियंत्रण अधिनियम प्रेषित किया है जो उस पर तामील है? अतएव वादी द्वारा नोटिस अंतर्गत धारा 106 टी0पी0ए0 तथा अंतर्गत धारा 20(2) किराया नियंत्रण अधिनियम की तामील सिद्ध न किये जाने के कारण किरायेदारी विधिवत समाप्त नहीं हुई है। अतएव वादी, प्रतिवादी को विवादित दुकान से बेदखली की आज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु निगरानीकर्ता के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि लघु वाद मामलों में औपचारिक वाद बिन्दु विरचित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अर्थात केवल उन बिन्दुओं को जिस पर वाद का निर्धारण निर्भर करता है, विचारणीय बिन्दु के रूप में विचारण में लिया जाता है तथा निष्कर्ष निकालते हुये उचित आदेश पारित किया जाता है। आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति में विद्वान अवर न्यायालय ने **''अन्य अनुतोष''** के प्रस्तर में इस बिन्दु पर विचार किया है तथा इस आधार पर नोटिस की तामील तथा किरायेदारी की समाप्ति माना है कि प्रतिवादी ने अपने बयान में नोटिस पाने से पूर्णतयः अस्वीकार नहीं किया है बल्कि अपने बयान के पृष्ठ सं0 4 पर स्वीकार किया है कि नोटिस कब प्राप्त किया याद नहीं है। वाद पत्र पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि वादी ने प्रस्तर सं0 7 में यह स्पष्ट अभिकथन किया है कि वादी द्वारा दिनांक 31.05.01 को धारा 106 की नोटिस प्रतिवादी को प्रेषित कर किरायेदारी दिनांक 30.06.01 को समाप्त कर दिया तथा अपने मौखिक साक्ष्य में भी यही कथन किया है। उक्त प्रस्तर अर्थात प्रस्तर सं0 7 में किये गये समस्त अभिकथनों के विषय में प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र के प्रस्तर सं0 1 में मात्र यह अभिकथन है कि ''धारा 7 में किराया जमा करना स्वीकार है, शेष से इंकार है'' जबकि उक्त प्रस्तर में वादी ने अनेक अभिकथन किये हैं। नोटिस

प्रेषित करना तथा उसका तामील होना एक विशिष्ट तात्विक अभिकथन है जिसकी विशिष्ट इंकारी आपेक्षित है। यदि प्रतिवादी/किरायेदार द्वारा इस महत्वपूर्ण अभिकथन को विशेष रूप से अर्थात आदेश 8 नियम 5 सी0पी0सी0 की मंशा के अनुरूप ''स्पेसिफिक डिनायल'' नहीं किया जाता तो ऐसा अभिकथन प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत अभिकथन माना जायेगा। अतएव इस प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा धारा 106 के अंतर्गत उसे प्रेषित नोटिस के विषय में अपने प्रतिवाद पत्र में वाद पत्र के प्रस्तर सं0 7 में नोटिस प्रेषित करने तथा द्वारा नोटिस किरायेदारी समाप्त करने के विषय में किये गये अभिकथन को विशेष रूप से इंकार नहीं किया गया है बल्कि सरसरी तौर पर इंकार है अर्थात evasive denial है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी को यह स्वीकार है कि वादी द्वारा उस पर धारा 106 टी0पी0ए0 का नोटिस प्रेषित किया गया था जो उस पर तामील हुआ। इसके द्वारा वादी ने प्रतिवादी की किरायेदारी दिनांक 30.06.01 को समाप्त कर दिया। विदित हो कि इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर वादी ने प्रतिवादी साक्षी से प्रश्न भी किया है तो प्रतिवादी ने पेज सं0 4 पर यह कथन किया है कि नोटिस कब प्राप्त किया उसे याद नहीं है अतः इस साक्ष्य से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी स्पष्ट तौर पर यह इंकार नहीं कर रहा है कि उसे धारा 106 टी0पी0ए0 की नोटिस प्राप्त नहीं हुई। अतएव वादी के अभिकथन एवं उसके साक्ष्य में यह कथन करने से कि उसने प्रतिवादी को धारा 106 टी0पी0ए0 का नोटिस प्रेषित किया था, भली भांति सिद्ध हो जाता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी को धारा 106 टी0पी0ए0 का नोटिस प्रेषित किया था जो उस पर तामील हुआ था तथा जिसके 30 दिन के पश्चात किरायेदारी समाप्त हो गयी जिस पर विचारण न्यायालय ने विचारणीय बिन्दु के रूप में विचार भी किया है तथा यह निष्कर्ष भी निकाला है कि प्रतिवादी पर नोटिस अंतर्गत धारा 106 टी0पी0ए0 तामील थी। विचारण न्यायालय का उक्त निष्कर्ष विधि एवं साक्ष्यों के सर्वथा अनुकूल है न तो उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता है और न ही इस तर्क में बल है कि नोटिस के बिन्दु पर अवर न्यायालय ने विचार नहीं किया है। जहां तक अधिनियम सं0 13 सन् 1972 की धारा 4(2) के अंतर्गत नोटिस को प्रेषित करने तथा तामील का प्रश्न है तो इस धारा के अंतर्गत पृथक से नोटिस प्रेषित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

13. तृतीय विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किराया अदायगी में चूक किया गया है तथा क्या प्रतिवादी द्वारा सुनवाई की प्रथम तिथि पर सम्पूर्ण स्वीकृत बकाया किराया न्यायालय में जमा नहीं किया गया है तथा तत्पश्चात नियमित रूप से महीना दर महीना किराया न दिया जाकर आदेश 15 नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया? प्रभाव?

14. वादी ने यद्यपि यह वाद इस आधार पर योजित किया है कि प्रतिवादी द्वारा उसे किराये की अदायगी नहीं किया जा रहा है बल्कि किराये की राशि अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद योजित करके न्यायालय में जमा किया जा रहा है तथा कुछ समय पूर्व से उसने न्यायालय में भी किराया जमा करना बंद कर दिया जिसके फलस्वरूप उक्त प्रकीर्ण वाद भी निरस्त हो गया परन्तु वादी ने अपने बयान के पृष्ठ सं0 4 पर यह कथन किया है कि उसने अंतिम बार 1994 में किराया लिया था, तब किरायेदारी का विवाद हो गया, तब अंजनी न्यायालय में किराया जमा करते होंगे जो आज तक जमा हो रहा है अंजनी कुमार ने न्यायालय में जो किराया जमा किया है उसमें से कुछ निकाला है किराया कब तक का निकाला है याद नहीं है। अतएव वादी के इस बयान से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत न्यायालय में किराया जमा किया जा रहा है। अतएव वाद योजित करने की तिथि पर कोई किराया बकाया नहीं था। अतः उसे सुनवाई की प्रथम तिथि पर बकाया किराया मय ब्याज इस न्यायालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु आदेश 15 नियम 5 के अंतर्गत प्रतिवादी से यह भी आपेक्षित है कि वह दौरान लम्बन वाद नियमित रूप से प्रत्येक माह का किराया एक सप्ताह के अंतर्गत इसी वाद में इसी न्यायालय में जमा करना प्रारंभ करेगा परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस वाद में किराया जमा नहीं किया जा रहा है। अतएव प्रतिवादी द्वारा आदेश 15 नियम 5 का उल्लंघन किया गया है जिसके कारण उसकी प्रतिरक्षा समाप्त किये जाने योग्य है।

15. चौथा विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अवर न्यायालय को अधिनियम सं0 13 सन् 1972 की धारा 4(4) के अंतर्गत पृथक से विचारणीय बिन्दु सृजित करने की आवश्यकता थी?

16. यद्यपि आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति को इस आधार पर भी चुनौती दिया गया

है कि अवर न्यायालय ने अधिनियम की धारा 4(4) के अंतर्गत विचारणीय बिन्दु सृजित नहीं किया परन्तु इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि इस धारा के अंतर्गत केवल किराया जमा कर देने के परिणाम का वर्णन है। इस पर पृथक से विचारणीय बिन्दु सृजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि किरायेदार द्वारा सुनवाई की प्रथम तिथि पर वांछित धनराशि न्यायालय में जमा कर दिया जाता है तो उसे बेदखल किये जाने के दायित्व से अवमुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार किया है तथा किरायेदार द्वारा किराया अदा करने में इस आधार पर व्यतिक्रम किया जाना पाया है कि न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात उसने इसी मामले में किराया जमा नहीं किया है परन्तु विगत चार महीनों का किराया बाकी नहीं पाया गया है तथा बकाया किराया के आधार पर वाद आज्ञप्त नहीं किया गया है बल्कि शिकमी किरायेदार रखने के आधार पर वाद आज्ञप्त किया गया है।

17. पांचवां विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा शिकमी किरायेदार रखा गया है?

18. प्रतिवादी ने प्रतिवाद पत्र में दुकान में शिकमी किरायेदार रखने के अभिकथन से भी स्पष्ट इंकार नहीं किया है बल्कि मात्र यह कथन किया है कि शिकमी किरायेदार को पक्षकार न बनाये जाने से वाद दूषित है तथा अपने बयान में स्वीकार किया है कि विवादित दुकान में मनोज कुमार मद्धेशिया द्वारा मिठाई की दुकान किया जा रहा है परन्तु उसका यह कथन है कि मनोज कुमार मद्धेशिया उसका शिकमी किरायेदार नहीं है बल्कि वास्तव में दुकान लेने के पश्चात उसने सबसे पहले मेडिकल स्टोर किया, उसके बाद सोनू सी0डी0 के नाम से सी0डी0 कैसेट की दुकान किया, उसके पश्चात ब्यूटी कलेक्शन के नाम से जनरल स्टोर की दुकान किया तथा ब्यूटी कलेक्शन के पश्चात वह स्वयं उसमें मिठाई की दुकान कर रहा है तथा वह स्वयं ही मिठाई की दुकान का मालिक है मनोज कुमार मद्धेशिया केवल दुकान खोलता है तथा उसमें बैठता है, परन्तु मनोज कुमार के दुकान में बैठने के तथ्य से इंकार नहीं किया गया है। उसे जानना स्वीकार किया है तथा यह कथन किया है कि मनोज कुमार दुकान में देखरेख करते हैं **परन्तु किस हैसियत से रहते हैं यह समझ में नहीं आ**

रहा। मनोज के द्वारा दुकान खोलना भी स्वीकार किया है परन्तु उक्त मनोज को न तो अपना नौकर और न ही अपना भागीदार बताया है। वादी द्वारा असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर के कार्यालय से प्राप्त सूचना दिनांक 18.09.10 कागज सं0 29ग एवं यू0पी0 वैट सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन एण्ड एलाटमेंट आफ टिन की प्रमाणित प्रतिलिपि 30ग1 दाखिल किया है। कागज सं0 29ग1/2 एवं 30ग1/2 में वर्णित दुकान सर्वश्री स्वीट सागर सहादतपुरा के मालिक श्री मनोज कुमार मद्धेशिया ही अंकित है। उक्त दुकान की चौहद्दी वही चौहद्दी है जो विवादित दुकान की चौहद्दी है जिसे प्रतिवादी ने स्वीकार किया है तथा जो अमीन नक्शा नजरी 32क2 में चौहद्दी से मेल खाती है। कागज सं0 29ग एवं 30ग के विषय में प्रतिवादी का मात्र कथन है कि वादी ने उसे स्वयं तैयार करके दाखिल कर दिया है तथा वह साक्ष्य में ग्राह्य साक्ष्य नहीं है परन्तु वास्तव में उक्त प्रपत्र जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचनायें हैं। अतएव वे तथ्यों के साक्ष्य के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सूचना होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य हैं तथा उन पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है, अतः इन साक्ष्यों से भली भांति यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने वास्तव में विवादित दुकान में मनोज कुमार मद्धेशिया को शिकमी किरायेदार रखा है जो बतौर मालिक मिष्ठान के प्रतिष्ठान में स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करता है।

19. छठां विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या शिकमी किरायेदार को पक्ष न बनाये जाने के कारण वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है?

20. निगरानीकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यद्यपि वादी ने बेदखली का वाद इस आधार पर भी योजित किया है कि प्रतिवादी किरायेदार ने शिकमी किरायेदार रख लिया है परन्तु शिकमी किरायेदार को न तो नोटिस दिया गया है और न ही उसे पक्षकार बनाया गया है परन्तु निगरानीकर्ता के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मकानदार की बिना अनुमति के किरायेदार द्वारा शिकमी किरायेदार रखने पर न तो ऐसा शिकमी किरायेदार बेदखली के वाद में आवश्यक पक्षकार होता है और न ही उस पर नोटिस की कोई आवश्यकता होती है। कृपया देंखे :- दीपचन्द बनाम सुन्दर लाल एवं अन्य 2000 (4) ए.डब्लू.सी. 2826 ।

21. सातवां विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दौरान वाद संशोधन द्वारा शिकमी

किरायेदारी के आधार पर याचित बेदखली का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है?

22. निगरानीकर्ता का यह भी तर्क है कि मूल रूप से वादी ने केवल बकाया किराया के आधार पर बेदखली का वाद योजित किया था परन्तु दौरान विचारण वाद उसने शिकमी किरायेदार का भी आधार संयुक्त कर दिया। अतएव शिकमी किरायेदारी के आधार पर वाद पोषणीय नहीं है, परन्तु निगरानीकर्ता के इस तर्क में बल नहीं है क्योंकि वादी दौरान विचारण वाद को विधिसम्मत अभिकथनों को जोड़ने के उद्देश्य से वादपत्र में संशोधन करने के लिये स्वतंत्र है तथा उक्त आधार पर भी अनुतोष प्राप्त करने का पात्र है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रभुदयाल जायसवाल बनाम सप्तम जिला जज बरेली 1993 (1) ए.आर.सी. 101 में किरायेदारी को समाप्त करने के पश्चात किराये के बकाये की प्राप्ति हेतु संस्थित वाद में वाद लम्बित रहने के दौरान किरायेदार द्वारा मकान की छत को ध्वस्त करने का संशोधन स्वीकार करने के आदेश को उचित आदेश तथा उक्त आधार पर भी बेदखली के अनुतोष हेतु बिना पृथक से नोटिस प्रेषित किये हुये, आज्ञप्त किया जाना विधिसम्मत माना है। अतएव इस अपील आधार में भी बल नहीं है।

23. आठवां विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने याचित अनुतोषों से परे जाकर अनुतोष हेतु वाद आज्ञप्त किया है?

24. निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमती तारा देवी बनाम तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद एवं अन्य 1995 इलाहाबाद सी.जे. 509 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया है कि वादी ने गृहकर, जलकर, ब्याज तथा किराये के अनुतोष हेतु वाद योजित नहीं किया था परन्तु फिर भी अयाचित अनुतोषों हेतु भी वाद आज्ञप्त कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने यह वाद केवल दुकान की बेदखली के अनुतोष एवं दुकान खाली किये जाने की तिथि तक ''क्षतिपूर्ति उपयोग'' मय गृहकर याचित किया है, परन्तु अवर न्यायालय ने किराये पर दुकान लेने की तिथि से बकाया समस्त गृहकर, जलकर एवं जुलाई 2011 के पश्चात का जो किराया जमा नहीं किया गया है मय 9 प्रतिशत ब्याज 30 दिन के अंदर जमा करने हेतु वाद आज्ञप्त किया है। वाद पत्र से प्रतीत होता है कि वादी ने वाद पत्र में न तो जलकर व गृहकर का उल्लेख किया है और न ही उसकी राशि

बतायी है और न ही उसे बकाया होना बताया है तथा प्रतिवादी की किरायेदारी दिनांक 30.06.01 से समाप्त कर दिया है। अतएव प्रतिवादी से वादी गृहकर, जलकर एवं जुलाई 2011 के पश्चात का **किराया** पाने का पात्र नहीं है बल्कि विवादित दुकान में शिकमी किरायेदार रखने के कारण केवल बेदखली का अनुतोष एवं किरायेदारी समाप्त होने की तिथि अर्थात 30.06.01 के पश्चात का 150 रूपये प्रतिमाह की दर से हर्जा इस्तेमाल ही प्राप्त करने का पात्र है।

25. अंत में निगरानीकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय ने साक्ष्यों की सही समीक्षा न करते हुये अनुचित निष्कर्ष निकाला है। अतएव आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति अपास्त कर दिया जाये, परन्तु निगरानीकर्ता के इस तर्क में कदापि बल नहीं है क्योंकि आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति पर सम्यक विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात ही निष्कर्ष निकाला है। माननीय उच्च न्यायालय ने बशीरूद्दीन बनाम अपर जिला जज मेरठ 1992 (2) ए.आर.सी. 423, मोहन बनाम तृतीय अपर जिला जज वाराणसी 1995 (1) ए.आर.सी. 45 के मामलों में यह प्रतिपादित किया है कि लघु वाद न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर निकाले गये तथ्यात्मक निष्कर्ष को पुनः निरीक्षण न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः इस मामले में भी जैसा कि विद्वान लघु न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत तथ्यों पर निष्कर्ष निकाला है, अतः उसमें इस निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना कदापि उचित नहीं है।

26. अतएव विचारणीय बिन्दु सं0 8 पर निकाले गये निष्कर्ष से मात्र यह प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने अभिकथित तथा याचित अनुतोष से तनिक परे जाकर वाद आज्ञप्त किया है। फलतः निर्णय एवं आज्ञप्ति में तदानुसार संशोधन की आवश्यकता है। शेष अन्य सभी विचारणीय बिन्दु पर विद्वान अवर न्यायालय ने विधि एवं साक्ष्यों के अनुकूल तथा अनुरूप निष्कर्ष निकालते हुये निहित क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग उचित रूप से करते हुये वाद आज्ञप्त किया है। अतएव निर्णय एवं आज्ञप्ति में इस निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की कदापि आवश्यकता नहीं है बल्कि

निर्णय एवं आज्ञप्ति संक्षिप्त संशोधन के साथ पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

27. प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त किया जाता है। आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 08.03.17 इस प्रकार संशोधित करते हुये पुष्ट किया जाता है कि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी 30 के अंदर विवादित दुकान रिक्त कर उसका रिक्त अध्यसन विपक्षी/प्रतिवादी को दे दे तथा दिनांक 01.07.01 से दुकान रिक्त करने की तिथि तक विपक्षी/प्रतिवादी को 150 रूपये प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति (हर्जा इस्तेमाल दुकान) की राशि भी अदा करे। तदानुसार आज्ञप्ति बनायी जाये। उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांकः 27.07.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
मऊ।

28. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 27.09.2018

(आदिल आफताब अहमद)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
मऊ।

<u>In the Court of IInd Additional District Judge/Special Judge, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Civil Revision No.- 16 of 2017

Tara w/o Suryanath, Residence- Chak Sahaja, Block & Tehsil- Mohamdabad Gohna, District- Mau.

…....................Revisionist

Versus

Government of U.P. and others

…...............Opposite parties

<u>JUDGMENT</u>

1. This Civil Revision has been preferred against the Order dated 21.01.17 passed by the Court of Deputy Collector/Prescribed Authority, Mohamdabad Gohna, District Mau in the Election Petition presented under Section 12C of the U.P. Panchayat Raj Act 1947, Tara vs Assistant Election Officer etc.

2. By the impugned order the Ld. Deputy Collector/Prescribed Authority has dismissed the petition.

3. The facts, in brief, giving rise to this revision is that the petitioner Tara presented an election petition under Section 12C of U.P. Panchayat Raj Act 1947 against Election Officer and the winner candidate for the recounting of the ballot papers and for declaring her as the winner candidate on the grounds that although the polling of votes for the election of Pradhan dated 13.12.15 for Village Chak Sahaja, Block and Tehsil Mohamdabad Gohna, District Mau took place properly but the counting of the votes were made with material irregularity, dishonesty and overlooking the rules under the undue influence of opposite party no. 2 with the objective of declaring her as wining candidate. The prominent irregularities that took place during counting were that (a)- One of the polling agents of opposite party no. 2 was a Government employee (a sweeper posted for village Samauddinpur) who being a local official had influenced his other colleagues on duty. (b)- The requirement of inspection of the ballot papers by the candidates or their agents before being kept in separate packets were overlooked. (c)- The ballot papers concerning each candidate as per their election symbol were not counted at all and their actual number were not known at that time or till date. The petitioner had raised objection before the election officer but of no avail. Therefore, the

matter was brought to the notice of higher authorities too by telephone requesting recounting but all in vain and the result was declare ignoring the protest of the petitioner.

4. The petition was contested by the opposite party no. 2 who had put in her written statement denying all the allegations raised against the counting and maintaining that the election was conducted and counting was done as per rules prescribed and under the superintendence of the competent officers. The petition has been presented only to harass her. Therefore, the petition be dismissed.

5. The competent authority has framed as many as six issues namely-

(a) Whether the petition is maintainable.

(b) Whether the rules relating to counting were observed during counting.

(c) Whether the cognizance of complaint regarding the alleged irregularities relating to counting was taken by the concerned officers and the same was redressed.

(d) Whether the result of counting was declared after making the counting of ballot papers properly as per rules by the employees deputed for the purpose.

(e) Whether any candidate has requested for recounting by presenting any petition to that effect before competent authorities in writing at the relevant time as per rule.

(f) Whether the petition has been presented without any ground.

6. The Deputy Collector examined the returning officer and witness Shri Suryanath for the petitioner and witnesses Shri Gyan Kumar and Shri Shravan Kumar for opposite party no. 2. After appreciating the evidences available on records and hearing the arguments of the Ld. Counsels of the parties, the Deputy Collector, dismissed the petition on the grounds that the allegations made by the petitioner were baseless.

7. The revision has been preferred, reiterating the same facts and allegations as alleged in the petition, on the further grounds that the impugned order is arbitrary, perverse and against law. The court below has exercised the jurisdiction vested in it with material irregularity in passing the impugned order, the order is non-speaking order. The petition has been dismissed without assigning any reason. Although from the evidences adduced and available on record it is evident

that the result of the election is the outcome of irregularity and undue influence of opposite party no. 3 yet the petition has been dismissed.

8. The respondent no. 2 has contested the revision and has prayed to dismiss the same on the grounds that the order in question is perfectly legal order passed in accordance with the evidence available on record.

9. Heard. Considered. Record perused.

10. The election of Gram Pradhan or a Member of Gram Panchayat can be challenged only and only on the grounds mentioned under Section 12C of the Act of 1947. These grounds are-

> *"(a) The election has not been a free election by reasons that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or*
>
> *(b) That the result of the election has been materially affected-*
>
> *(i) by the improper acceptance or rejection of any nomination, or*
>
> *(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the Rules framed thereunder."*

11. From the petition it is clear that the petitioner has not challenged the election on the grounds mentioned under (a) or (b)(i). The petitioner has admitted that the polling took place properly but it was only at the time and stage of counting that the irregularities occurred. Therefore, it appears that the petitioner is challenging the election under Section 12C (b)(ii). Given the fact that the petitioner has grievance only relating to the counting of ballot papers the relevant rule and it observance is required to be looked into. The procedure at the counting has been prescribed under Rule 104 of the U.P. Panchayat Raj (Election of Members, Pradhans and Up-Pradhans) Rules 1994, which is as under-

> *"104. Procedure at the counting-On the date and at the time and place appointed under Rule 101, the Nirvachan Adhikari shall proceed as follows:*
>
> *(a) The Nirvachan Adhikari shall satisfy himself that all the ballot boxes used at the poll and which are to be counted at that*

place have been received and accounted for;

(b) the Nirvachan Adhikari shall then allow the candidate and their Nirvachan Abhikartas and Ganana Abhikartas present at the counting an ***opportunity to inspect the ballot boxes*** *and their seals for satisfying themselves that they are in order;*

(c) the Nirvachan Adhikari shall also satisfy himself that none of the boxes has in fact been tampered with. If any ballot box is found by him to have tampered with or destroyed or lost the Nirvachan Adhikari shall not proceed with the counting of votes and the provisions of Rule 100 shall apply;

(d) if the Nirvachan Adhikari is satisfied that all such ballot boxes which are to be counted at such place have been received and are in order, he shall take up the counting of ballot papers contained in the ballot boxes. All the ballot boxes used at a polling place shall be opened, and the counting of the ballot papers found in those boxes proceeded with, in accordance with their instructions of the State Election Commission, at the same time;

(e) An account of the ballot papers found in the boxes of the polling place shall be recorded in a statement in the form specified by the State Election Commission.

(f) The Nirvachan Adhikari shall allow the candidates, their Nirvachan Abhikartas and Ganana Abhikartas, who may be present, reasonable opportunity to ***inspect all ballot papers which in the opinion of the Nirvachan Adhikari are liable to be rejected****, but shall not allow them to handle those or any other ballot papers. The Nirvachan Adhikari shall on every ballot paper which is rejected endorse rejection thereon in Hindi. If any candidate of his Nirvachan Abhikarta questions the correctness of the rejection of any ballot paper, the Nirvachan Adhikari shall also record briefly on such ballot paper the ground for his rejection;*

(g) After the counting of all ballot papers contained in the ballot boxes of the polling place has been completed the Nirvachan Adhikari shall cause all such ballot papers to be kept in a separate packet on which shall be indicated such particulars as will identify the name of the Gram Panchayat to which the ballot papers relate."

12. According to Rule 3 of the U.P. Panchayat Raj (Settlement of election disputes) Rules 1994, an application under Sub-section 1 of Section 12C of the Act shall be presented before the Sub-divisional Officer.......within 90 days after the day on which the result of the election questioned is announced and shall **specify the grounds on which that election is questioned** and contain a summery of the alleged circumstances.

13. From the perusal of the petition it appears that the petitioner has challenged the election on the grounds, as stated above, that-

(1) One of the polling agents of the winner candidate, opposite party no. 2, was in fact a Government employee- sweeper posted in the local village, who had had undue influence on the officials on duty and that as per rule no Government servant can be an agent of a candidate. Obviously this ground of the petitioner is not tenable because nowhere under the rule it is provided that a person who happens to be a Government servant, cannot be made a polling agent of any candidate. Besides the petitioner has totally failed to plead much less prove as to how that agents had influenced the counting ? It is only a too vague allegation to appreciate. It need not be mentioned that he has also failed to prove that the said agent was a regular Government servant as alleged by any evidence whatsoever.

(2) The second allegation of the petitioner is that the candidates or their agents were not given the opportunity to inspect the **ballot papers** and that the ballot papers were kept in separate packets overlooking the said requirement. But the rules do not provide for the inspection of all the ballot papers by the candidates or their agents. The Rule 104 (b) provides only for an opportunity to inspect the **ballot boxes** and their seals by the candidates and their agents and Rule 104 (f) provides for inspection of only **such ballot papers which in the opinion of Nirvachan Adhikari are liable to be rejected.** As stated above the

petitioner has not made any complaint that the he or his agent was not allowed to inspect the ballot boxes or that any ballot paper which were liable to be rejected were not allowed to be inspected by him or his agent.

(3) As for as the challenge of the petition on the grounds that it was not declared or it was not known as to how many ballot papers stamped on the election symbols of the different candidates were kept in the ballot packets, is concerned, there is no such requirement under the rules. Under Rule 104 (g) the election officer is only required to cause all ballot papers to be kept in separate packets Gram Panchayat wise indicating such particulars as will identify the name of the Gram Panchayat to which the ballot paper relate.

14. Therefore, it is apparent that the petitioner has failed to specifically plead non observance of any of the rules much less prove them. Therefore, the petitioner could not bring home any of the grounds mentioned under Section 12C of the Act of 1947 for setting aside the election or recounting of the ballot papers. The Deputy Collector, after considering the petition and the evidences has, arrived at the conclusion that all the allegations regarding counting of vote is not only baseless but factually incorrect and has dismissed the petition. The Deputy Collector has exercised the jurisdiction vested in him properly. Therefore, the conclusion arrived at by the Deputy Collector does not warrant any interference. Hence, the revision bears no force and deserves to be dismissed.

ORDER

15. The Revision is dismissed. Consign the record. The record of the Deputy Collector be sent back to the court/office of the Deputy Collector along with a copy of this order.

Dated: 16.01.2019 **(Adil Aftab Ahmad)**
IInd Addl. District Judge/
Special Judge, Mau.

16. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 16.01.2019 **(Adil Aftab Ahmad)**
IInd Addl. District Judge/
Special Judge, Mau.

<u>In the Court of Additional Sessions Judge/Special Judge, Court No. 2, Mau.</u>

Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.

Criminal Revision No.- 86 of 2018

Faizan Asharaf s/o Navi Hasan, Residence- Badaganv Bajar near Reliance Tower, P.S.- Ghosi, District- Mau.

…......................Revisionist

Versus

Government of Uttar Pradesh and others

….................Opposite parties

<u>JUDGMENT</u>

1. This Criminal Revision has been preferred against the Order dated 12.06.18 passed by Ld. Chief Judicial Magistrate, Mau in Misc. Application No. 163/17, Faizan Asharaf vs Mohammad Alam and others moved under Section 156(3) Cr.P.C. By the impugned order the Ld. Magistrate has dismissed the application of the revisionist aforesaid.

2. Perusal of the record reveals that the applicant/revisionist presented an application before the CJM against Mohammad Alam etc. under section 156(3) Cr.P.C. for an order to the police to registered and investigate a criminal case against them alleging therein that on 08.02.17 all the opposite parties had abducted the applicant/revisionist and after taking him at their home forced him to sign a cheque at gun point drawn at HDFC and also snatched rupees 20,000/- from him kept in his bag.

3. The Ld. CJM has dismissed the application holding that the applicant has moved the application only to exert pressure on the opposite parties who have got registered a criminal case against him under section 419,420 etc. because the revisionist had issued a cheque in their favour which was dishonored and to avoid the liability of dishonoring of the said cheque issued by him.

4. The revisionist, reiterating the facts alleged in the application, has preferred this revision on the grounds that the report of the police relied

upon by the CJM is not related to revisionist and the opposite party no. 2 and that the crime referred in the order has not been registered by opposite party nos. 2 to 4 and also that the cheque which in the opinion of the CJM has been dishonored was actually been snatched by the opposite parties who had forced him to sign the same. Therefore, the ground for rejection of the application is not proper. The applicant had reported the incident to the police too on 16.03.17 by registered post which goes to establish the bonafieds fo the revisionist. Certain other persons besides the opposite parties too are involved in the incident who are to be nabbed by the police and the hand writing of the person who had filled up the amount written in the cheque too is to be unearthed which is not possible without recourse to police aid. The revisionist has also relied upon Smt. Anjum vs State of U.P. and another [2008 (61) ACC 181] (Allahabad High Court).

5. The revision has been opposed by the respondent on the grounds that the revisionist has committed cheating and criminal breach of trust and has misappropriated the amount given to him. Further, in discharge of his liability the revisionist had issued cheque which has been dishonored. Therefore, the intention behind the application is to avoid the criminal liabilities owing to the aforesaid conduct of the revisionist.

6. Heard. Record perused. Considered.

7. From the perusal of record it appears that according to the report submitted from the local police station the parties have been working together as agent to export manpower. In course of business they have developed certain dispute and in an attempt to resolve the matter the applicant had furnished a cheque to opposite party no. 1 which has since been dishonored. Therefore, a criminal case has been got registered by opposite party no. 1 against the applicant as crime no. 627/16 for the offences of cheating, criminal breach of trust, intimidation and for a conspiracy to commit the same. From the allegation of revisionist it is apparent that he has stated that the incident took place on 08.02.17 and he

was released by the opposite parties the very next day but he has reported the matter to the police only on 16.03.17, more than one month after the alleged incident. Had the incident been true he would have acted swiftly and would have reported the matter to the police immediately but failure on his part to do so lends credence to the opinion that the applicant actually intends to avoid the criminal and pecuniary liability arising out of the dishonor of the cheque issued by him. Therefore, if the Ld. Magistrate has dismissed the application on the grounds as stated above he has prevented the applicant/revisionist to abuse the process of court and of law. The reasons assigned in passing the impugned order is well founded. No one can be allowed to abuse the process of court and law. The Hon'ble High Court, in the case relied upon by the revisionist himself referred above has held that:-

> *8. Hence while dealing with the petitions under section 156(3) Cr.P.C., it is the duty of the Magistrate to make it a point that no petitioner.......may succeed in his wicked game. His petition needs to be dismissed with firmness and boldness.*

8. Finding the application nothing but a wicked game being played by the applicant the Ld. CJM has dismissed the application with firmness and boldness quite in accordance with the spirit of the judgement passed by Hon'ble Court which deserves appreciation for the mental and judicial alertness on the part of Ld. CJM. The order, therefore, does not suffer from any impropriety, illegality or incorrectness warranting any interference in the same. The revision bears no force and deserves to be dismissed.

Order

9. The revision is dismissed. Consign the record. A copy of this order be sent to the Lower Court also for placing the same in the record.

Dated: 01.03.2019

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. Sessions Judge/Special Judge,
Court No. 2, Mau.

10. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 01.03.2019

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. Sessions Judge/Special Judge,
Court No. 2, Mau.

<u>In the Court of Additional District Judge/Special Judge, Court No. I, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Civil Revision No.- 122 of 2018
C.N.R. No.- UPMA010049502018

Santosh Kumar Upadhyaya s/o Late Anil Upadhyaya, R/o- Dhaurahara, Pargana & Tehsil- Mohammadabad Gohna, District- Mau.

…....................Revisionist

Versus

Shamshad and others

…................Opposite Parties

<u>JUDGMENT</u>

1. This Civil Revision has been preferred against the Order dated 25.09.18 passed by Ld. Civil Judge (J.D.), Mohammadabad Gohna, Mau in Civil Suit No. 894/17, Shamshad and others vs Santosh Kumar.

2. By the impugned order the Ld. Civil Judge has dismissed the application paper no. 25C2 moved by revisionist/defendant for injunction.

3. The facts, in brief, giving rise to this revision is that plaintiff/respondent instituted a civil suit for injunction in respect of plot no. 835 stating the same to be his *bhumidhari* land in his exclusive possession and that defendant who has purchased another piece of land no. 841, situated in the south west of plot no. 835 aforesaid is now attempting to intrude in the land of plaintiff. Hence, the suit for perpetual injunction and pending suit for interim injunction. The defendant/respondent contested the injunction application of the plaintiff. However, finding *prima facie* case of plaintiff the Ld. Lower Court granted injunction in favour of plaintiff. Thereafter, defendant filed written statement along with the counter claim alleging therein that actually in the garb of plot no. 835 plaintiff himself is intending to subjugate his plot no. 841 which is a very small plot and situated in the south west and in the counter claim prayed relief of injunction against plaintiff in respect of plot no. 841 and moved application no. 25C2 for temporary injunction. The Ld. Civil Judge, while deposing of 25C2 observed that the plaintiff had instituted the suit for injunction in respect of plot no. 835 and the temporary injunction too has already been granted in his favour. The defendant is seeking injunction in respect of plot no. 841 which is altogether a different plot for which defendant is at liberty to institute a fresh suit seeking

appropriate relief and dismissed the injunction application 25C2.

4. The revision has been preferred by the defendant on the grounds that the order in question is against fact and law and that the lower court has not exercised the jurisdiction vested in it properly. The order in question has been passed without application of judicial mind and without appreciating the facts in its true perspective.

5. The revision has been contested by the respondent/plaintiff on the grounds that the impugned order has been passed by the Ld. Lower Court quite in accordance with law and fact which needs no interference. The revisionist has also brought to the notice of the court that the injunction application of the plaintiff has been dismissed by the appellate court.

6. Heard. Considered. Record perused.

7. The plaintiff has instituted the suit for injunction in respect of plot no. 835 alleging an attempt to intrude on the part of defendant in his plot whereas denying the allegation of plaintiff the defendant has filed written statement along with a counter claim for injunction against plaintiff in respect of plot no. 841 alleging that in fact it is plaintiff who in the garb of plot no. 835 is intending to usurp his plot no. 841 which adjoins in the south west of plot no. 835 and is a very small piece of land.

8. Undisputedly, the revisionist is the owner of plot no. 841 and the respondent is owner of plot no. 835. Apprehending encroachment by plaintiff/respondent on his own plot no. 841 defendant/revisionist has not only filed a written statement contesting the claim of plaintiff in respect of plot no. 835 but has also filed a counter claim seeking protection of his plot no. 841. It need not be mentioned that the counter claim, in law, is as good as plaint. The defendant is entitled to the same relief in counter claim which a plaintiff is entitled in plaint and, therefore, where a defendant seeks temporary injunction in respect of any piece of land in counter claim the same must be disposed of according to the same principle of law which is required to dispose of an application of the plaintiff for temporary injunction. From the perusal of order in question it is apparent that the Ld. Civil Judge has failed to deal 25C2 on the same standered. Therefore, the Ld.Civil Judge has failed to exercise the jurisdiction vested in him

properly. Hence, the revision bears force and deserves to be allowed.

ORDER

9. The Revision is allowed. The order in question dated 25.09.2018 is set aside. The Ld. Civil Judge is directed to dispose of 25C2 afresh according to law treating the same as an application for temporary injunction in a suit. Parties to appear before the Ld. Civil Judge on 08.01.2020. A copy of this order be sent to the lower court for compliance.

Dated: 16.12.2019

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. District Judge/Special Judge,
Court No.-I, Mau.
ID No.- UP 5723

10. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 16.12.2019

(Adil Aftab Ahmad)
Addl. District Judge/Special Judge,
Court No.-I, Mau.
ID No.- UP 5723

<u>In the Court of Additional Sessions Judge/Special Judge, Court No. 1, Mau.</u>
Present- Shri Adil Aftab Ahmad,
H.J.S.
Criminal Revision No.- 48 of 2018

Narendra Singh s/o Parmananad Singh, Residence- Bhiti, P.S.- Kotwali Nagar, District- Mau.

…....................Revisionist

Versus

Government of Uttar Pradesh and others

…...............Opposite parties

<u>JUDGMENT</u>

1. This Criminal Revision has been preferred against the Order dated 31.01.18 passed by Ld. Chief Judicial Magistrate, Mau in Crl. Misc. Case No. 240/15, Santosh Kumar Singh vs Narendra Singh.

2. By the impugned order the Ld. Magistrate has rejected the final report submitted by investigating officer in crime no. 102/15 and has summoned the revisionist for trial under Section 419,420,467,468 IPC on the basis of protest petition of the informant.

3. The facts, in brief, giving rise to this revision is that the informant/complainant Sri Santosh Kumar Singh got an FIR registered against Sri Narendra Singh, the revisionist, on 29.01.15 with the allegations that Narendra Singh had successfully obtained license for firearm concealing his address and the criminal cases registered against him. Upon this FIR a criminal case no. 102/15, under Section 419,420,467,468 IPC was registered against Narendra Singh and the case was investigated. After completing the investigation the then investigating officer prepared a charge-sheet but did not submit the same before the court. The charge-sheet prepared by the investigating officer was perused by his senior officer, the circle officer, who directed the investigating officer to re-investigate the case. The new investigating officer requested S.P. Mau to cancel the charge-sheet prepared earlier by the previous investigating officer so that he may start re-investigation. Accordingly, the charge-sheet was canceled by S.P. Mau. The investigating officer made a thorough investigation again and submitted final report on 13.06.15 mentioning that on the basis of evidence collected, commission of offenses against the revisionist was not found and that there was

no prosecutable evidence for successful prosecution. The final report was considered by the Magistrate who directed the police to re-investigate the case. Accordingly, the matter was re-investigated, but the investigating officer, after making further investigation, again submitted final report mentioning that the accused/revisionist has been found to be living in mohalla Bhiti, Bahadurganj Road, P.S. Kotwali, Mau for the last 25-30 years and that no evidence regarding forgery of any affidavit or preparation of any forged document was found warranting a charge-sheet against him. The Magistrate issued a notice to the informant/complainant regarding the final report enabling him to file objection, if any, against the second final report. The informant/complainant filed protest petition against the final report reiterating the same facts as alleged in the FIR. The final report and the protest petition was considered by the Ld. CJM who allowed the protest petition, rejected the final report, took cognizance of the offense and summoned the accused/revisionist for trial under Sections 419,420,467,468 IPC holding that the investigating officer had made defective investigation and that the evidence available on record was sufficient to presume that the revisionist had committed offenses under Sections 419,420,467,468 IPC.

4. The revision has been preferred on the grounds that the order in question is against fact and law. From the perusal of case diary including FIR it is apparent that no case against the revisionist was made out yet the Ld. Magistrate has summoned him for trial only on the basis of the allegations made in the protest petition. The investigating officers have investigated the case sincerely twice and have submitted final reports under Section 173 IPC both the times. The Ld. Magistrate has not taken into account the fact that the investigating officer had in fact already submitted final report on 13.06.15 even before the order of Hon’ble High Court dated 27.08.15. The Magistrate has decided the protest petition summarily. The Ld. Counsel for the revisionist has also argued that in this matter the complainant/informant has no locus to prosecute the revisionist. The respondent has contested the revision on the grounds that the order is perfectly legal order warranting no interference and has further argued that the criminal matter may be initiated by any person and thereupon the matter is required to be investigated. Therefore, the informant/complainant had locus to prosecute the

revisionist.

5. Heard. Considered. Record perused.

6. The only allegation of the informant in the FIR is that the accused/revisionist had concealed his original address and the criminal cases pending against him and had obtained the license for firearm. By concealing his original address and the fact of pending cases against him he has committed an act which amounts to commission of offenses punishable under Sections 419,420,467,468 IPC.

7. From the perusal of case diary it is apparent that the investigating officer has collected the evidences regarding the residential addresses of the revisionist and has arrived at the conclusion that he has been living in mohalla Bhiti for the last 25 to 30 years, an address which he had given in his application form for renewal of his license and has concluded that from the evidence collected it was not found that the revisionist had prepared any forged affidavit or forged document amounting to any offense.

8. It is quite normal that a person may have more than one addresses. A person may change his abode time and again depending upon the circumstances, his need and requirements. Under these circumstances if he discloses his home address which in his opinion is now his permanent address it does not amount to be an offense. The licensing authority before issuing or renewing the license for firearm makes a thorough investigation himself for being satisfied whether the applicant is eligible for a license or not. In this matter if the license was issued or renewed the licensing authority must have completed the procedure due, for the purpose and must have issued the license only after being satisfied that the revisionist was eligible for one. Pending criminal cases against any person by itself do not make the person criminal which may render him ineligible for getting a license or to get the same renewed. It is for the satisfaction of the licensing authority to asses whether such person should be issued a license or not. If the licensing authority had issued or renewed the license it means that the revisionist was eligible to get the same issued or renewed. If the revisionist is summoned for trial on the grounds mentioned in FIR it would amount to questioning the order of the District Magistrate issuing or renewing the license, by the CJM which he

cannot. From the perusal of case diary it appears that the matter was brought to the notice not only of the District Magistrate but also to the notice of police. Had there been any fraud by concealment of any material fact committed by the revisionist the District Magistrate himself would have taken proper action regarding the cancellation of the license issued/renewed by him but he did not find any need to do so. This further confirms that the conduct attributed to the revisionist by the informant does not amount to commission of any offense.

9. Therefore, from the evidence collected by the investigating officer it is apparent that no offense was found to have been committed by the revisionist and for this reason the successive investigating officers have submitted the final reports which is not only reasonable but quite in accordance with evidence collected. In spite of this the Ld. CJM has summoned the revisionist for trial under Sections 419,420,467,468 IPC. Therefore, the finding of Ld. CJM being perverse, is improper, incorrect and illegal which cannot sustain in law. The revision bears force and deserves to be allowed.

Order

10. The revision is allowed. The impugned order dated 31.01.18 is set aside. The Ld. CJM is directed to dispose of the final report and the protest petition afresh in accordance with law and the observations made above.

11. Consign the record. The record of the Lower Court be sent back to the Lower Court along with a copy of this order.

Dated: 20.05.2019 **(Adil Aftab Ahmad)**
Addl. Sessions Judge/Special Judge,
Court No. 1, Mau.

12. Judgment signed, dated and pronounced in open Court today by me.

Dated: 20.05.2019 **(Adil Aftab Ahmad)**
Addl. Sessions Judge/Special Judge,
Court No. 1, Mau.